अर्थात्

प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०

प्रेसीडेन्सी टाउन्स क़ानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०९ ई०

Provincial Insolvency Act 5 of 1920.

AND

Presidency Towns Insolvency Act 3 of 1909.

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और सन १९३० ई० तकके समग्र संशोधनों व नज़ीरों आदि सहित

लेखक :—
बाबू रूपकिशोर टण्डन
एम० ए०, एलएल० बी०, एम० आर० ए० एस० एडवोकेट

प्रकाशक :—
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल
सन १९३० ई०

मुद्रित
क़ानून प्रेस, कानपुर

मूल्य
५) रुपया प्रति

प्रान्तिक क़ानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२० ई०)
प्रेसीडेन्सी टाउन्स क़ानून दिवालिया (एक्ट ३ सन १९०९ ई०)

इस समय भारतवर्षमें प्रत्येक प्रचलित कानूनका हिन्दी भाषामें होना आवश्यक है क्योंकि इस भाषाको जानने व समझने वालोंकी संख्या बहुत है तथा वह दिन बदिन बढ़तीही जाती है। प्रचलित कानूनोंका ज्ञान भी जनसाधारणके लिये किसी हद तक परमावश्यक है क्योंकि उनकी पाबन्दीसे वह लोग बच नहीं सकते हैं। समझदार व्यक्तियोंका यह कर्तव्य है कि वह ऐसी बातोंको अवश्य जानते रहें जिससे किसी समय भी अनायास हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो अथवा जिनके आधार पर वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सकते हों। मनुष्यकी अवस्था सदैव एकसी नहीं रहती है कभी उसे लाभ होता है तथा कभी हानि, परन्तु वही मनुष्य अपनी स्थिति को समयानुकूल सँभाल सकता है जिसे प्रचलित नियमोंका यथा सम्भव ज्ञान होवे। ऐसे नियमों का जानने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं कर सकता है किन्तु वह अपनी सलाहसे दूसरोंको भी लाभ पहुँचा सकता है।

देशमें व्यापार फैलाने तथा लेनदेनका काम विस्तृत रूपसे हो जानेके कारण इन कामोंसे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियोंको अनायास ही हानि पहुँचनेके अवसर आजाते हैं। चालाक व्यक्ति प्रचलित कानूनोंका अनुचित लाभ उठा कर दूसरे लोगोंको जो उन कानूनोंसे अनभिज्ञ होते हैं तरह तरहकी हानियां पहुँचा दिया करते हैं। क़ानून दिवालियाका प्रयोग अब बहुतायतसे किया जाने लगा है इस कारण उक्त कानूनका जान लेना हर व्यक्तिके लिये आवश्यक प्रतीत होता है जिससे कि वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सकें तथा जहां तक होसके हानियोंसे भी बच सकें। इसी प्रकारकी आवश्यकताको प्रतीत कर कानून दिवालिया हिन्दीमें प्रकाशित किया गया है।

यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें लिखी गई है। प्रत्येक दफाका अनुवाद समझने योग्य भाषामें दिये जानेके अतिरिक्त उसकी व्याख्या भी पूर्ण रूपसे की गई है। व्याख्यामें दफाओंका अर्थ भली भांति समझानेका प्रयत्न किया गया है तथा उन सब उल्लेखनीय मुकद्दमोंका भी

हवाला दिया गया है जो भिन्न भिन्न हाईकोर्टों तथा चीफकोर्ट द्वारा अबतक तय किये गये हैं। यह पुस्तक दो भागोंमें विभक्त है एकमें प्रान्तिक क़ानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२०ई०) का पूरा वर्णन है तथा दूसरेमें प्रेसीडेन्सी टाउन्स क़ानून दिवालिया (एक्ट ३ सन १९०९ ई०) का उसी प्रकार विवरण दिया हुआ है।

ब्रिटिश भारतमें क़ानून दिवालियाका चलन इङ्गलैण्डके बैंकरप्सी एक्टको देख कर हुआ है तथा उसी एक्टके नियमोंका अधिकतर प्रयोग पहिले होता रहा है अब भी कानून दिवालियाके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका अर्थ लगाते समय बैंकरप्सी एक्टका सहारा लिया जाता है तथा अङ्गरेजी अदालतों द्वारा तय किये हुए फैसलोंका उल्लेख हाईकोर्टके जज अपनी तजवीजोंमें किया करते हैं। प्रान्तिक क़ानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२० ई०) के लागू होनेसे पहिले प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९०७ई०(एक्ट ३सन१९०७ई०) प्रचलित था। इससे पेश्तर इस एक्टके स्थानमें जो नियम लागू थे उनका उल्लेख संग्रह जावता दीवानी (Code of Civil Procedure) में मिलता है अर्थात् संग्रह ज़ावता दीवानीमें दिवालेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम मुफस्सिलमें लागू थे। इस प्रकारके नियमोंका हवाला सबसे पहिले सन १८५९ई०के संग्रह ज़ावता दीवानीमें मिलता है इसके पश्चात् सन १८७७ई० व १८७९ ई०के संग्रह जावता दीवानीमेंभी ऐसे नियमोंका उल्लेख है। संग्रह जावता दीवानीमें जिन नियमोंका हवाला मिलता है उनका सम्बन्ध केवल उन कर्जख्वाहोंसे है जो रुपयेकी वसूलीके सम्बन्धमें डिक्री हासिल कर चुके हैं तथा उन मदियूनोंका है जो गिरफ्तार हुए हों या जिनकी जायदाद कुर्क की गई हो। इस प्रकार उन नियमोंसे सब प्रकारके कर्जख्वाहों के कर्जोंकी रक्षा नहीं हो सकती थी और न उनसे कर्ज़दारोंका ही पूर्ण बचाव था। उन नियमों को अपर्याप्त समझ कर तथा उनको संग्रहीत करनेके लिये एक्ट ३ सन १९०७ई० (प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९०७ई०) बनाया गया था जो पहिली जनवरी सन १९०८ई०से लागू हुआ था। यह एक्ट सन १९१४ ई० में कुछ संशोधित किया गया था और लगभग १० साल तक इसका प्रयोग जारी रहा। इस दर्मियानमें बहुतसी न्यूनतायें इस एक्टमें दिखलाई दीं जिनके दूर करनेके लिये भिन्न भिन्न अवसरों पर जजों वकीलों व व्यापारियों आदिने अपनी रायें प्रकट कीं। उन्हीं न्यूनताओंको दूर करनेके लिये प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२०ई०(एक्ट ५ सन १९२०ई०) बनाया गया। इसके अनुसार धोखा देने वाले कर्ज़दारको उचित दण्ड दिया जासकता है। अदालत दिवालिया धोखा देने वाले दिवालियाके बहाल होनेमें रुकावट डाल सकती है तथा उसे रोक भी सकती है। इस कानूनमें अदालत दिवालियाके अधिकार जो उसे वाक़याती या कानूनी मसलोंको तय करनेके सम्बन्धमें हैं भली प्रकार दिखला दिये गये हैं। सरसरीमें सुने जाने वाले मामलोंको नियमबद्ध कर दिया गया है इसी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें बढ़ा दीगई हैं तथा संशोधित कर दीगई हैं जो एक्ट ३ सन १९०७ ई० में नहीं थीं। इस एक्टमें भी सन १९२० ई० के बाद कुछ संशोधन हुए हैं जिनका हवाला संक्षेपमें दे दिया गया है। सन १९२६ ई० के संशोधनके अनुसार अर्थात् एक्ट ९ सन १९२६ के अनुसार प्रान्तिक कानून दिवालियाका प्रयोग कराची टाउन पर नहीं रहा है इससे पहिले यही एक्ट उस टाउनके लिये प्रयोग किया जाता था। अब प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सलवेन्सी एक्ट उस टाउन (Town) के लिये लागू है। इसी प्रकार संशोधनके अनुसार अदालत दिवालिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटके पास इस एक्टके अनुसार किये हुए जुर्मका इस-

गासा भेज सकती है पहिले वह स्वयं उन जुर्मोंको सुनती थी और इधर भी बहुतसे संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दिया गया है।

प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सालवेन्सी एक्ट (एक्ट ३ सन १६०६ ई०) केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई व मद्रास), रंगून व कराचीके लिये लागू है इस एक्टसे पहिले इसके स्थान पर दि इण्डियन इन्सालवेंट एक्ट सन १८४८ [Indian Insolvent Act 1848, (11 & 12 Vic. C. 21)] लागू था परन्तु वह एक्ट केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स व रंगूनके लिये लागू था। यह एक्ट अर्थात् एक्ट ३ सन १६०६ ई० भी केवल इन्हीं शहरोंके लिये लागू था। परन्तु सन १६२६ ई० के संशोधनके अनुसार इस एक्टका प्रयोग कराची शहरके लिये भी किया जाने लगा है। प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालियामें भी संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दे दिया गया है।

जहां तक हो सका है इस पुस्तकमें क़ानून दिवालिया सम्बन्धी सभी बातों पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है। प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १६२० ई०) अर्थात् पहिले भागके अन्तमें कुछ नमूने भी दे दिये हैं जिनके अनुसार दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। नमूनोंके अतिरिक्त क़ानून दिवालियाके सम्बन्धमें बनाये हुए भिन्न भिन्न हाईकोर्टोंके नियम भी लिख दिये गये हैं। इस पुस्तकको पढ़ कर कर्ज़दार अधिक कर्ज़ हो जाने पर अपनी रक्षाका विधान कर सकता है तथा इसी प्रकार कर्ज़ख्वाह भी दिवालिया कर्जदार से अपना कर्ज वसूल करनेके तरीकोंका प्रयोग कर सकता है, धोखदेहीसे किये हुए सौदोंको रद्द करा सकता है, किसी कर्जदारको दिवालिया क़रार दिला सकता है तथा धोखेबाज़ दिवालियों को अदालत द्वारा सज़ा दिला सकता है और उनको हमेशाके लिये दिवालियेके गढ़ेमें ढकेल सकता है।

आशा है कि पाठकगण इस पुस्तकको अवश्य अपनायेंगे जिससे लेखक व प्रकाशक अन्य क़ानूनी ग्रन्थोंको भी इसी प्रकार उनके सम्मुख रखनेका प्रयत्न कर सकें। जो त्रुटियां पुस्तकमें रह गई हों पाठकगण उन्हें भी बतलाने की कृपा करें जिससे वह आयन्दा सुधारी जासकें।

निवेदकः—

रूपकिशोर टण्डन

दूसरा प्रकरण

दिवालियाके कामोंसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाई

दिवालिया क़रार दिये जानेके बादकी कार्रवाई

बहाल होना (जेलखानेसे छुटकारा पाना)

तीसरा प्रकरण

कर्ज़ोंके साबित करनेका तरीक़ा (जायदादका प्रबन्ध)

पहिले किये हुए सौदों या कार्रवाइयों पर दिवालेका असर

जायदादका वसूल करना

तक़सीम जायदाद

रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

चौथा प्रकरण

दण्ड (सज़ा)

पांचवां प्रकरण

सरसरी कार्रवाई

दफा विषय पेज

छठवां प्रकरण

अपील

सातवां प्रकरण

विविध मुतफर्रिक

सूची (शिड्यूल) और हाईकोर्टोंके बनाये रूल्स

दफा	विषय	पेज

कलकत्ता हाईकोर्ट रूल्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स

बम्बई हाईकोर्ट रूल्स

प्रान्तिक क़ानून दिवालियाके अनुसार नमूने

शब्दार्थ सूची

अ

अदालत-कचेहरी, न्यायालय
अभिप्राय-मतलब, आशय
अहाता-प्रदेश, सूबा
अनुसार-मुताबिक
अलहदा-भिन्न, अलग
अर्थ-मतलब, मानी
अधिकतर-बहुतायतसे, अकसर
अधिकार-अख्तयार
अदालत खफीफा-स्माल काजकोर्ट
अवश्य-जरूर
अतिरिक्त-अलावा
अर्जी-दरख्वास्त
अम्र-बात
अम्रतजवीजशुदा-जिस बातका फैसला हो गया हो
अदमपैरवी-गैरहाजिरीमें
अपील-हुक्मके विरुद्ध अर्जी
अदायगी-देना
असर-प्रभाव
अख्तयार-अधिकार
असुविधा-अड़चन
आफिशल रसीवर-सरकारी रिसीवर
आवश्यकता-जरूरत
आगरा टेनेन्सी एक्ट-कानून लगान आगरा व अवध
आधिपत्य-प्रधानता

इ

इन्तकाल-हस्तान्तरित
इस्तकरारिया-किसी हक़के मान लिये जाने के लिये
इनकारी-न मानना
इन्सालवेन्सी-दिवालिया
इजराय डिकरी-डिकरीका जारी करना
इजराय-जारी करना
इन्तखाब-संक्षिप्त
इम्तनाई हुक्म-हमेशाके लिये हुक्म जारी होना
इन्तज़ाम-प्रबन्ध

उ

उदाहरण-मिसाल
उल्लेख-जिकर
उपदफा-दफाके अन्दरका अंक
उचित रूपसे-जायज़ तरीक़ेसे
उपस्थित-मौजूद

ए

एडीशनल-संस्करण, जुड़ा हुआ
एकतर्फा-एकहीपक्ष
एतराज-आपत्ति
एक्ट-क़ानून

क

कमिश्नरी-सूबेकी बड़ी अदालत
कर्जख्वाह-लेहनदार जिन लोगोंका रुपया कर्जदार पर बाक़ी हो
कर्जदार-ह० जिस पर बाकी है, (दिवालिया)
क़र्ज-करजा, ऋण
करार देना-मान लेना, तय कर देना
कम्पनी-जमात
कर्तव्य-फर्ज
कमेटी-समाज, सभा
क्लाज-अन्दर या ऊपरकी दफा या अंक
कानून इन्तकाल जायदाद-ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी

कार्रवाई-काम करना, कारगुज़ारी
कारण-सबब
क्रास अपील-अपील करने पर दूसरा पक्ष भी जो अपील कर दे

ख

ख्याल करना-मान लेना
खफीफा की अदालत-स्माल काज़ कोर्ट
ख़बर-सूचना
ख़ास-विशेष
ख़ानदान मुश्तरका-शामिल शरीक परिवार
ख़ारिज-रद्द कर देना
ख़ुलासा-सारांश

ग

गिरफ़्तारी-कैदके लिये पकड़ना
गिरफ़्तार-कैदके लिये पकड़ लेना
ग़ैरहाज़िर-न उपस्थित होना
ग़ैरमनकूला-अचल जायदाद, स्थावर

घ

घटना-वाक़िया
घोषणा-सूचना, ख़बर
घोषित-प्रकाशित

ज

ज़मानतदार-जिसने जमानत की हो
जमाअमानत-मांगतेही मिलने वाली वस्तुका रखना
जराअत काश्तकारी
जागीरें-सरकारसे इनाममें पाई हुई जायदाद
जागीरदार-इनामदार, मालगुज़ार
जायदाद-सम्पत्ति
जाब्ता दीवानी-सिविल प्रोसीजर कोड
ज़ाब्ता फ़ौजदारी-क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
ज़ाती-निजी
जिक्र-उल्लेख, बयान
जुर्म-अपराध

ट

टापू-जिस ज़मीनके चारो तरफ जल हो
टाउन्स-कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, करांची

ड

डिक्रीदार-जिसके हक़में फैसला हुआ हो
डिक्री-अदालतका फैसला मुद्दईके पक्षमें
डिवीडेन्ड-निश्चित समयमें बांटने वाली रक़म

त

तय-फैसला, ठीक
तस्दीक-क़ानूनके अनुसार मंज़ूरी
तजवीजशुदा-जिसका फैसला हो गया
तहरीर-लिखित
तहरीरी-लिखी हुई
तस्फीया-मामलेका तय हो जाना
तस्फीयानामा-फैसलानामा
तर्ज़-प्रकार, क़िस्म
तर्ज़अमल-बर्ताव की क़िस्म
तरीक़ा-तरह, रीति
तरजीह-श्रेष्ठता
तकसीम-बट जाना
तजवीज़सानी-हुक्मके विचारके लिये अर्ज़ी
तात्पर्य-मतलब

द

दरमियान-मध्यमें, बीचमें
दरअसल-वास्तवमें
दस्तूर-क़ायदा
दस्तन्दाजी-आपत्ति करना
दफ़ा-धारा
दरख्वास्त-अर्ज़ी, प्रार्थना पत्र
दरमियानी-बीचके
दस्तावेज-लिखतें जो स्टाम्प पर हों
दण्ड-सज़ा
दाखिल होना-पेश होना
दावा-नालिश

दिवालिया–कर्ज़दार
दिवालियेके काम–जिन कामोंसे दिवालिया बताया जा सके
दीवानी अदालत–दीवानीकी कोर्ट
देखरेख–सम्हाल, निगरानी

ध

धन–रुपया
धनराशि–रुपयेकी शकलमें
ध्यान रखना–ख्याल रखना

न

नज़रसानी–फैसलेके लिये दुबारा विचार कराने की अर्ज़ी
नाबालिग़–अज्ञान
नावाकिफ–न जानने वाला, अजान
निम्न–ज़ैल, नीच
निर्धारित–मुक़र्रर
निश्चित–क़तई तय कर देना
नियम–क़ायदे
नियत–मुक़र्रर
निजीतौर पर–घरेलू
नियुक्ति–मुक़र्ररी
नियुक्त–मुक़र्रर
नीयत–ईमान
नेकनीयती–शुद्धाचरण ईमानदारीसे
नोटिस–सूचना

प

परिभाषा–खास अर्थ का मान लेना
परिशिष्ट–तितम्मा
परन्तु–लेकिन
परवाह–मानना, ज़रूरत
प्रधान–मुख्य
प्रसङ्ग–सम्बन्ध
प्रयोग–इस्तेमाल
प्रकरण–चेप्टर
प्रकाशित–ज़ाहिर
प्रश्न–सवाल
प्रचलित–रायज है
प्रतिनिधि–एवज़ीमें, स्थानापन्न
प्रांत–ज़िला
प्रांतिक–सूबेका
प्राप्त–मिल गया
प्राविडेन्ड फंड–काट काट कर जो रुपया जमा किया जाता है
पूर्णतया–पूरी तरहसे
पेशा–धंधा
पेश्तर–पहले
प्रेसीडेन्सी–सूबा
प्रेसीडेन्सी टाउन्स–कलकत्ता, बम्बई, मदरास, करांची रंगून
पेंशन–नौकरी के बाद की तनख्वाह
पोलिटिकल पेंशन–राजनैतिक पेन्शन

फ

फर्म–दूकान, कोठी
फार्म–तरीक़ा, छपा हुआ काग़ज़
फीसदी–सैकड़े पर
फैसला–तय हो जाना, निश्चित हो जाना
फैसल– तय होना
फैलाव–विस्तार

ब

बयान तहरीरी–जवाबदावा
बहुमत–कसरतराय
बहाल होना–जेलसे रद्दा पाजाना
बरी करना–छोड़ देना
बहैसियत–इज्जतके मुताबिक
बयनामा–बेचा नामा
बयबात–रेहनमें यह शर्त होती है
बचत–बकाया
बार सुबूत–सुबूतकी ज़िम्मेदारी
ब्रिटिश–अङ्ग्रेज़ी

ब्रिटिश भारत-अङ्गरेजीराज वाला भारत
बुन्देलखंड लैन्ड एलीनेशन ऐक्ट-बुंदेलखंड का ज़मीन लेने सम्बन्धी क़ानून
बेनामीदार-फ़र्ज़ी नाम वाला व्यक्ति
बेजा लाभ-अनुचित लाभ
बेजा-नाजायज़

भ

भत्ता-ख़र्चा
भाँति-तरह, प्रकार

म

मध्यप्रदेश-सी० पी० प्रांत
मदियून-जिस पर डिकरी हो
महफ़ूज़-रेहन रखने वाला
महफ़ूज़ कर्ज़ख्वाह-ज़मानत पर जिसने रुपया दिया है
मनकूला जायदाद-जंगम जायदाद, जो जायदाद चल सकती है
मतालिबा-क़ीमत
मामला-मुक़द्दमा
मातहत-वशीभूत
माक़ब्ल-पहले
मालकियत-हक़ीयत
मिताक्षरा-धर्म शास्त्रका नाम है
मुतफ़र्रिक़-फुटकल
मुनाफ़ा-लाभ
मुन्तक़िल-हस्तान्तरित करना
मुन्तक़िलअलेह-जिसके पास हटा दी जाय
मुआहिदा-इकरार
मुश्तहरी-घोषित की हुई
मुक़र्रर-नियत
मुहय्या-हासिल की गई
मुर्तहिन-जिसने रेहन रखा हो
मौरूसी-पैतृक
मंसूख़ी-रद

र

रक्षा-महफ़ूज़
रद्द-मंसूख़
रसदी-हिस्सेके मुताबिक
राय-मत
रिसीवर-अदालतका एक अफ़सर
रिहाई-छुटकारा पाना
रिपीलिंग ऐक्ट-जिसके द्वारा अन्य कानू रद्द हों
रुकावट-अड़चन
रूल्स-क़ायदे
रेस्पान्डेन्ट-जिसके ख़िलाफ़ अपील हो

ल

लागू-सम्बन्ध
लाभ-फ़ायदा

व

व्यवस्थापक-क़ायम करने वाला
व्यवस्थापिका सभा-जहां पर क़ानून बना जाते हैं
व्यक्ति-शख़्स
व्यवहार-तर्ज़अमल
वाक्य-अल्फ़ाज़
वाक़ियाती-जो क़ानून सम्बन्धी न हो
वारिस-उत्तराधिकारी
वारंट-गिरफ़्तारीका हुक्म
व्याख्या-तशरीह
विस्तार-तशरीह
विपरीत-ख़िलाफ़
विविध-मुख़्तलिफ़
ब्यौरा-तफ़सील

श

शब्द-लफ़्ज़
शर्त-पाबंदी

शख्स-व्यक्ति
शरीकदार-हिस्सेदार
शामिल शरीक खानदान-मुश्तरका परिवार

स

सरसरी-साधारण
सीमा-हद
साधारण-सरसरी
सूची-फेहरिस्त
सूचना-इत्तलाह
सूद-ब्याज

संशोधित-तरमीम किया हुआ
संक्षिप्त-मुख्तसर
संगीन-मुश्किल, कठिन

ह

हकीकतमें-दरअसलमें
हक-स्वत्व
हस्तक्षेप-मुखिल होना
हकशिफा-हक दूसरेसे पहले अपना
हस्ब-अनुसार
हिस्सा रसदी-हिस्सेके अनुसार

अङ्ग्रेजी नजीरोंकी सङ्केताक्षर सूची

A या All.	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् इलाहाबाद सीरीज
A. I. R. (All.)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (इलाहाबाद सीरीज)
A. I. R (Cal.)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (कलकत्ता सीरीज़)
A I R (Mad)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (मद्रास सीरीज)
A. I. R (Bom)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (बम्बई सीरीज़)
A. I. R (Pat)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (पटना सीरीज)
A. I. R. (Rang.)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (रंगून सीरीज)
A I. R (Pri.)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (प्रिवी कौन्सिल सीरीज़)
A. I. R. (Nag)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (नागपुर सीरीज)
A. I. R (Sindh)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (सिंध सीरीज़)
A I R. (Lah.)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (लाहौर सीरीज़)
A. L. J.	इलाहाबाद लॉ जरनल
A W. N.	इन्डियन वीकली नोटस्
B. या Bom.	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् बम्बई सीरीज़
B H. C.	बंगाल हाईकोर्ट रिपोर्टर
B. L R	बम्बई लॉ रिपोर्टर
Bur L. R.	बरमा लॉ रिपोर्टर
C. या Cal.	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् कलकत्ता सीरीज़
C. L J.	कलकत्ता लॉ जरनल
C. W. N.	कलकत्ता वीकली नोटस्
F. B.	फुलबेन्च
I. C.	इन्डियन केसेज लाहौर
L. B. R.	लोअर बरमा रिपोर्टस्
M. या Mad.	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् मद्रास सीरीज़
P. L. J.	पटना लॉ जरनल

प्रेसीडेन्सी टाउन्स क़ानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन् १६०६ ई०

[कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची शहरोंके लिये]

सर्वाङ्ग पूर्ण व्याख्या और हाल तककी नज़ीरों सहित

दफावार सविवरण सूची

दफा | विषय | पेज

पहिला प्रकरण

अदालतों की व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

अपील

दफा | विषय | पेज

दूसरा प्रकरण

दिवालियेके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाई

दिवालियेके काम

दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म

दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी

दिवालियेकी ज़ात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

दिवालियेका बहाल किया जाना

तीसरा प्रकरण

कर्ज़ोंका साबित किया जाना

वह जायदाद जिससे कि कर्ज़ चुकाये जासकते हैं

पिछले सौदों पर दिवालिया होनेका प्रभाव

जायदादका वसूल किया जाना

जायदादका बांटा जाना

दफा विषय पेज

चौथा प्रकरण

आफिशल एसायनी

पांचवां प्रकरण

जांच कमेटी

छठवां प्रकरण

कार्यक्रम

सातवां प्रकरण

मियाद

आठवां प्रकरण

दण्ड

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाइयां

दसवां प्रकरण

विशेष नियम

ग्यारहवां प्रकरण

नियम (रूलस)

बारहवां प्रकरण

पहिली सूची (First Schedule)

क़र्ज़ख़्वाहों (लेहनदारों) की मीटिंग

दूसरी सूची (Second Schedule).

कर्ज़ोंके सुबूत

तीसरी सूची (Thired Schdule).

Provincial Insolvency Act,
No. 5 of 1920.

भारतके समस्त प्रांतोंमें प्रचलित

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र नज़ीरों एवं उदाहरणों तथा अन्य क़ानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :—
बाबू रूपकिशोर टण्डन
एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एस० एडवोकेट

प्रकाशक :—
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :—
क़ानून प्रेस, कानपुर

The Provincial Insolvency Act.

Act No. 5 of 1920.

प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन् १९२० ई०

भारत व्यवस्थापिका सभा (The Indian Legislative Council) द्वारा पास किया हुआ और

ता० २५ फरवरी सन १९२० ई० को गवर्नर जनरल महोदय द्वारा स्वीकृत किया हुआ

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) तथा रंगून को छोड़कर शेष ब्रिटिश भारत (British India) की अदालतोंमें प्रयोग किये जानेवाले कानून दिवाला को समहीत तथा संशोधित करने के लिये बनाया गया है।

चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दिवालिया सम्बन्धी कानून जिनका प्रयोग प्रेसीडेंसी टाउन्स् तथा रंगूनको छोड़कर ब्रिटिश भारतकी शेष सब अदालतोंमें होता है समहीत तथा संशोधित किया जावे अत: नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है।

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) यह एक्ट सन् १९२० ई० का प्रान्तिक कानून दिवालिया (The Provincial Insolvency Act 1920) कहलायेगा।

(२) सूचीमें दिये हुए जिलों (The Scheduled Districts) को छोड़कर यह एक्ट समस्त ब्रिटिश भारत मे लागू होगा।

व्याख्या—

यह कानून कहां पर लागू नही होगा और विस्तार—यह ध्यान रहे कि यह कानून प्रेसीडेंसी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई, मदरास के शहरों) और किराची, रंगून तथा नीचे सूचीमें दिये हुए स्थानोंमें लागू नहीं होगा बाकी अंगरेजी भारतके सब हिस्सोंमें लागू होगा।

सूची मे दिये हुए जिले जिनमें यह कानून लागू न होगा—सूचीमें दिये हुए जिलोंका अभिप्राय उन जगहोंसे है जो सन् १८७४ ई० के शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट नं० १४ (The Schedule District Act XIV of 1874) की पहिली सूची (The First Schedule) में दी हुई हैं वह जगहें यह हैं इन जगहोंमें यह कानून लागू न होगा।—

(ए) कर्जख्वाह (Creditor) का अभिप्राय डिक्रीदार (Decreeholder) से भी है, कर्ज (Debt) का अभिप्राय मतालबा डिक्री (Judgement debt) से भी है, कर्जदार (Debtor) का अभिप्राय मदयून (Judgement debtor) से भी है।

(बी) अदालत जिला (District court) से अभिप्राय उन प्रधान दीवानी अदालतोंसे है जिन्हें मूल अधिकार किसी विशेष सीमाके लिये प्राप्त है परन्तु उन प्रान्तीय प्रधान नगरों (Presidency towns) व उनकी सीमा पृथक समझना चाहिये।

(सी) निर्धारित (Prescribed) का अर्थ उस बात से है जो इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमों द्वारा निर्धारित की गई है।

(डी) जायदाद (Property) से अभिप्राय उस जायदादसे है जिसको या जिसके मुनाफेको अलहदा करनेका अधिकार या जिससे स्वयं लाभ उठानेका अधिकार किसी व्यक्तिको प्राप्त हो।

(ई) महफूज कर्जख्वाह (Secured creditor) से अभिप्राय उस व्यक्तिसे है जिसके पास बतौर जमानतके कर्जदार की कोई जायदाद या उसका कुछ हिस्सा रेहन हो या उसपर उसका बार पहुंचता हो या उसे उसके रोकने का हक हो।

(एफ) इन्तकाल जायदाद (Transfer of property) से अभिप्राय जायदादके किसी हकको अलहदा करनेसे है तथा उस जायदाद पर किसी हकके पैदा कर देनेसे भी है।

(२) जिन शब्दों व वाक्योंकी परिभाषा इसमें नहीं की गई है उन शब्दों व वाक्योंके अर्थ वही समझना चाहिये जो अर्थ उनका सन् १९०८ ई० का ज़ाब्ता दीवानी में है यदि उसमें उनका अर्थ दिया हुआ है।

व्याख्या—

इस दफा में, ऐक्ट में प्रयोग किये हुये कुछ शब्दों व वाक्योंकी परिभाषा दी हुई है तथा यह भी बतलाया गया है कि यदि किसी शब्द या वाक्यकी परिभाषा इसमें न मिले परन्तु वह शब्द या वाक्य ज़ाब्ता दीवानीमें प्रयोग किया गया हो तो उसका अर्थ वही समझना चाहिये जो ज़ाब्ता दीवानीमें दिया हुआ है ऐसा करनेसे ऐक्टकी दफाओं का ठीक २ समझने में काफी सहायता प्राप्त होगी तथा किसी शब्द या वाक्यके भिन्न २ अर्थ लगाने वालोंको कम सम्भावना होगी।

इलाज (ए) कर्जख्वाह (Creditor) शब्दकी कोई विशेष परिभाषा इस दफामें नहीं दी गई है हां इतना अवश्य बतलाया गया है कि डिक्रीदारको भी कर्जख्वाह समझना चाहिए। डिक्रीदारके अतिरिक्त और भी बहुत से कर्जख्वाह (Ceditor) होते हैं। कर्जख्वाह शब्द प्रतिदिनके प्रयोगका शब्द है और उसका अर्थ भी यही है जो लोग मामूली तौरसे समझा करते हैं परन्तु कभी विवादास्पद अवसर आजाता है और उस समय अदालत यह निर्णय करसकती है कि किसी शब्द विशेषसे क्या अभिप्राय है और ऐसा निर्णय नज़ीर (प्रमाण) बनकर माननीय होजाता है जैसे कि केदारनाथ बनाम सातकुमारी 20 C W N 995 में यह निश्चय हुआ था कि कर्जख्वाहके बेनामीदारको कर्जख्वाह नहीं समझना चाहिये परन्तु अब ऐसा मालूम होता है कि यह राय सही नहीं होगई है जैसा कि चौधरी गुरुप्रसन्न बनाम नित्यानन्द सिंह 43 C.I 566 से प्रकट होता है।

कर्ज (Debt) – शब्दभी प्रतिदिनके प्रयोगका शब्द है और अधिकतर उसका अर्थ भी वही है जो लोग समझा

करते हैं परन्तु इस ऐक्टमें इस शब्दका अर्थ केवल उन्हीं कर्जों (Debts) से समझना चाहिये जो इस ऐक्ट की दफा ३८ के अनुसार साबित किये जा सकते हैं।

क्लाज़ (बी) इस क्लाजमें अदालत जिला (District Court) की परिभाषा दीगई है। पुराने ऐक्टमें कोई शब्दकी परिभाषा दी गई थी परन्तु इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार अदालत जिला (District court) को प्राप्त है और इसी शब्द (District court) का प्रयोगभी ऐक्टमें किया गया है इस कारण इसकी परिभाषा दे दी गई है।

क्लाज़ (सी) इस क्लाजमें प्रयोग किये हुये नियमोंका उल्लेख दफा ७९ व ८० तथा परिशिष्ट (Appendex)में मिलेगा।

क्लाज़ (डी) (Property) 'जायदाद' शब्द की पूरी परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है। इस शब्द का प्रयोग जायदाद मनकूला, (Moveable), गैर मनकूला (Immoveable) तथा उन दावों के लिये (Actionable claime) किया गया है जो क़ाबिल नालिश है।

मेसर्स काजी भाई इस्माइल जी छोटिया 11 Ind Case 14 में यह निश्चित हुआ था कि अगर कोई माल किसी अदातियेकी सुपुर्दगीमें बेचनेके लिये दिया गया हो और अदातियेको उस मालके अलाहदा करनेका अधिकार हो तो कानून दिवाला (Insolvency Act) के अनुसार वह माल अदतियेकी जायदाद (Property) समझी जावेगी और उसकी मौतमें रिसीवर अपने कब्जे में ले सकता है।

ऐसा ही सान स्मिथ बनाम इलाहाबाद बैंक 23 All. 131 में निश्चित कीगई है।

जमनादास बनाम विनायक 10 Ind. Cas 698 में यह निश्चित हुआ था कि भावी कमाई भी जायदाद समझना चाहिये। रामचन्द्र बनाम शामाचरन 19 C L J. 83 में यह तय हुआ था कि तनख्वाह भी जायदाद है। अम्बिकानन्दन विस्वास 3 Cal 434 के मामलेमें यह तय हुआ था कि कानून दिवालियामें उपनामा जायदाद समझना चाहिये। अनन्तसिंह बनाम मालवासिंह 48 Ind Cas. 526 में यह तय हुआ था कि अविभक्त मिताक्षरा हिन्दू घरानेमें दिवालिया का मिला हुआ हिस्सा जायदाद न समझी जाना चाहिये।

इसुलराय मुन्नूलाल बनाम राधामोहन 54 Ind. Cas. 93 में यही निश्चित हुआ था कि यदि किसी मिताक्षरा हिन्दू घरानेमें पिता दिवालिया करार दिया जावे और जिन कर्जोंके लिये वह दिवालिया करार दिया गया हो नाजैज कार्योंके लिये न लिए गये हों तो उस दिवालियेकी जायदाद तथा उसके अविभक्त बच्चोंका हिस्सा सब रिसीवर (Receiver) की सुपुर्दगीमें आ जावेगा। वरदलाचारी 2 Mad. 15 के मामले में यह तय हुआ था कि ट्रस्टकी जायदाद दिवालियेकी जायदाद नहीं मानी जावेगी क्योंकि उस जायदादको अपने फायदेके लिए अलहदा करनेका अधिकार ट्रस्टी दिवालियाको नहीं है।

क्लाज़ (ई) इस क्लॉजमें महफूज़ व बिला महफूज़ कर्ज ख्वाहोंका जिक्र है। महफूज (Secured) कर्जख्वाहसे तात्पर्य उस कर्जख्वाहका है जिसने अपने कर्जेके लिए कोई जमानत ले ली हो अर्थात् वह अपने कर्जेको कर्जदारकी जायदादसे वसूल कर सकता हो चाहे जायदाद कर्जदारके हाथमें हो या उसने किसी दूसरेको दे दी हो और ऐसे कर्जख्वाहका हक और बिला महफूज (Unsecured) कर्जख्वाहके हकसे पहिले होगा अर्थात् बिला महफूज कर्जख्वाह या तो कर्जदारकी जातसे अपना कर्जा वसूल कर सकते हैं या उस जायदाद से वसूल कर सकते हैं जो महफूज कर्जख्वाहके कर्ज चुक जाने पर बचे।

कर्जख्वाहका कर्जे जिस जायदादके जरिए सुरक्षित किया जाता है उसे जमानत (Security) कहते हैं।

क्लाज (एफ) इन्तकाल जायदाद (Transfer of property) का अर्थ केवल जायदादको इन्तकाल कर देने, लिख देने या दे देनेसे नहीं है बल्कि जायदादके हक व उसके मुनाफेको इन्तकाल कर देने, लिख देने व दे देने से है।

उपदफा (२) बहुतसे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग इस ऐक्टमें किया गया है परन्तु उनकी कोई परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दीगई है। जो उनकी परिभाषा जाबता दीवानीमें दीगई है उन शब्दोंका अर्थ वही समझना चाहिए जो जाबता दीवानीमें दिया हुआ है उदाहरणस्वरूप हुक्म (Order), मनकूला जायदाद (Moveable property) डिक्री (Decree) आदि शब्दोंकी परिभाषा जाबता दीवानीमें दीहुई है परन्तु इनकी परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं है इत्यादि।

पहला प्रकरण

अदालतका सङ्गठन तथा उनके अधिकार

(Constitution & Powers of Court)

दफा ३ दिवालेकी कार्रवाईके लिये अधिकार की सीमा

(१) अदालत ज़िला (District Court) को इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार प्राप्त होगा:—

परन्तु प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सरकारी गज़ट द्वारा घोषणा प्रकाशित करके अदालत जिलाकी मातहत किसी दूसरी अदालतको, किसी खास किस्मके मामलात करनेका अधिकार दे सके और इस प्रकार जिस मातहत अदालतको अधिकार दिया जावेगा उसको अपने अधिकारकी सीमामे वही अधिकार प्राप्त होंगे जोकि अदालत जिलाके इस ऐक्टके अनुसार प्राप्त हैं।

(२) इस ऐक्टके लिये अदालत खफीफाभी अदालत ज़िलाकी मातहत समझी जावेगी।

व्याख्या—

क्लाज़ (१) अधिकारकी सीमा (Jurisdiction)—अदालत जिला प्रधान दीवानी अदालत है जिनको मूल अधिकार प्रेसीडेंसी टाउन्स व रगूनको छोड़कर अन्य जगहोंमें प्राप्त हैं और अदालत जिलाके हाकिम को जिला जज (District judge) कहते हैं। इसलिए जिला जजकी अदालतको दिवालेकी दरख्वास्तें सुनने का अधिकार है।

अदालत जिला उसी समय दूसरी अदालतोंकी कार्रवाई इजराय डिक्रीमें हस्तक्षेप कर सकती है जबकि वह इस ऐक्टके अनुसार काम करती हो और दूसरी सूरतमें उसे ऐसे हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है अर्थात् जब मदयून डिक्री दिवालिया करार दे दिया गया है या उसकी जायदादके लिए रिसीवर मुकर्रर कर दिया गया है उस समय बहैसियत अदालत दिवालियाके अदालत जिलाको दूसरी अदालतोंकी इजराय डिक्रीके कार्रवाइयोंमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है देखो—अनूपकुमार बनाम केशोदास 39 All. 547.

सहकारी जिला जज (Additional District Judge)—सहकारी जिला जजके उन कामोंको करेंगे जिन्हें जिला जज उनके सिपुर्द करे और उन कामोंके करनेमें उनको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो जिला जजको प्राप्त हैं।

सहकारी जिला जज—जिला जजका मातहत नहीं है, देखो—माखनलाल बनाम श्रीलाल 34 All. 382; 9 A L J. 371. ऊपर दिए हुए मामलेमें अपीलके समय यह भी प्रश्न उठा था कि चूंकि (एडीशनल)

सहकारी जिला जजको दिवालेके मामले सुननेका अधिकार प्रान्तिक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है न उसका घोषणा की गई है इस कारण उसको दिवालियेका मामला सुननेका अधिकार ही नहीं था परन्तु उक्त मामले में यह तय हुआ कि अदालत जिलाको दिवालेके मामले सुननेका अधिकार है और सहकारी जिला जज सिविल कोर्ट्स एक्टकी दफा ८ के अनुसार उन कार्यों को करेगा जो अदालत जिला उनके सुपुर्द करे तथा उन कार्योंके करनेमें उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो अदालत जिलाको है। चूंकि इस मामलेमें जिला जजने यह काम सहकारी जिला जजके सुपुर्द किया था इसलिए सहकारी जिला जजने इस कामको जिला जजके हुक्मके अनुसार किया था और उसको बहैसियत जिला जजके उस कामके करनेका हक था और उस सहकारी जिला जजको अधिकार प्राप्त था और उसने अपने अधिकार सीमाके अन्दर ही काम किया है। परन्तु जब एडीशनल जज प्रान्तिक सरकार द्वारा घोषित किये हुए हुक्मके आधार पर काम करता हो तो उस समय उसे दफा ७-(१) के अनुसार मातहत अदालत ही समझना उचित प्रतीत होता है।

शर्त (Proviso)—प्रान्तिक सरकारको यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपना किसी मातहत अदालतको जोकि अदालत जज नहीं मातहत हो दिवालियेका काम करनेका अधिकार दे सकती है परन्तु इस प्रकारका अधिकार देनेकी आज्ञा प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित की जानी चाहिए और गजटमें प्रकाशित की हुई इस प्रकारकी घोषणामें यह भी प्रकट किया जाना चाहिए कि किस प्रकारके मामले सुननेका अधिकार उस मातहत अदालतको दिया गया है।

चूंकि (Proviso में) Class of cases (किस किस्मके मुकदमे) का उल्लेख है इससे यह प्रकट होता है कि प्रान्तिक सरकार मातहत अदालतोंको दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार देते समय यह बता सकती है कि अदालत मातहत किस किस्मके मुकदमे सुनेगी परन्तु वह उसके अधिकार मालीयत परिवर्तन नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका भी उल्लेख Proviso (शर्त) में अवश्य किया जाता—तात्पर्य यह है कि अदालत मातहत इस ऐक्टके लिए प्रान्तिक सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारोंका केवल अपने अधिकार सीमा में ही प्रयोग कर सकती है उसके बाहर नहीं।

किसी मातहत अदालत (Any Subordinate Court) से अभिप्राय यह है कि मुन्सिफको भी दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार दिया जा सकता है।

यदि, किसी अदालतको दरख्वास्त दाखिल करते समय उसके सुननेका अधिकार प्राप्त न हो, परन्तु उसे दरख्वास्तके फैसलेसे पहिले अधिकार प्राप्त हो जाय तो ऐसी अदालतका फैसला उचित फैसला समझा जावेगा, देखो देवप्रसाद बनाम रामप्यारे 6 A. L. J. 483, 2 I C 228

दफा ४ दिवालेके सब प्रश्नोंको तय करनेके लिये अदालतके अधिकार

(१) यदि अदालत के सामने कोई दिवालेका मामला हो तो उसमें जो प्रश्न अदालतके सामने आवे या जिन प्रश्नोंको निश्चित करना अदालत पूर्ण न्यायके लिये अथवा जायदादको पूर्ण रूपसे बांटने के लिये उचित या आवश्यक समझे तो उन सब प्रश्नों को तय करनेका पूर्ण अधिकार अदालतको होगा यदि वह प्रश्न क़ानूनी हो या वाकियाती या चाहे वह हक़ीयत के हों या हक़ मुक़द्दम (Priority) के हों या और किसी क़िस्मके हों परन्तु साथ साथ इस ऐक्टके नियमोंका ध्यान रखना आवश्यक है।

(२) इस ऐक्ट के नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा किसी दूसरे प्रचलित क़ानूनकी परवाह न करते हुए जो निर्णय अदालत करेगा वह अन्तिम निर्णय होगा तथा वह निर्णय उन सब बातोंके लिये माननीय होगा जो कर्ज़ख्वाह या उसकी जायदाद और उनके या उसके हक़दारों या हक़दारोंके हक़दारोंके दर्मियान पैदा हों।

(३) जब कि अदालत किसी ऐसे मद्दका जिसका उल्लेख पहिली उपदफा में है तय करना उचित या आवश्यक न समझे परन्तु उसे विश्वास हो कि कर्जदारका बेचनेका हक किसी जायदादमें पहुँचता है तो ऐसी सूरतमें अदालतको अधिकार है कि वह बिना अधिक जांच पड़ताल किये हुए जिस प्रकार व जिन शर्तों के साथ चाहे कर्जदार के ऐसे हक को बेच सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको बड़ेही विस्तृत अधिकार प्राप्त है। अदालत दिवालिया, हक या इस प्रश्नको कि बानसा हक पहिले पहुँचता है तय कर सकती है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी किस्मके मामलेको चाहे वह कानूनी हो या चाहे वह वाकयाती हो तय कर सकती है जो कि किसी दिवालके मामलेमें उसके सामने आवे या जिसे वह उस मामले के ठीक तौर से फैसला करनेमें तय करना उचित समझे।

यह प्रश्न नीचे दिये हुए मामलोंमें तय किये जा चुके हैं:—

हरीचन्द बनाम मंगीलाल 48 All. 411, 24 A. L J 495; महराना कुवर बनाम डैविड 46 All. 16; 21 A. L J 737, आफिशल रिसीवर बनाम तीरपरान 97 I C 321; राम स्वामी चेटियर बनाम राम स्वामी अयगर 43 M L J 165

यदि अदालत दिवालियामें उचित रूपमें इस दफाके अनुसार दरख्वास्त दी गई हो, तो उसे अधिकार है कि वह इस तनकीह को कि आया जायदाद दिवालिये की है या नहीं है तय कर सकती है, देखो—चितामल बनाम पोनू स्वामी 50 M. L. J 180, 92 I C 573.

इसी प्रकार अदालत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है कि वह इन दोनों प्रश्नों को एक साथही तय कर सकती है यह कि दिवालिया घोषित किये जाने वाले व्यक्तिको देना देना है तथा उसकी मालकियत कहा तक है, देखो—सजीर सिंह बनाम जनकीदास A. I. R 1925 Lah 679.

जब कि अदालत दिवालियाके सामने दफा ५३ कानून इन्तकाल जायदादके अनुसार यह प्रश्न उपस्थित होवे कि कोई इन्तकाल जायदाद खारिज समझा जावे, तो उसे चाहिये कि वह ऐसे प्रश्नका फैसला करते समय रिसीवर ही की रायसे पूर्ण रूपसे सही न मान ले बल्कि पूरी शहादत लेकर कानूनके अनुसार सुनकर तय करे, देखो—शिवप्रसाद बनाम अजीज अली 44 All. 71; 19 A L J 862,

दफा ५३ कानून इन्तकाल जायदादके अनुसार पेश हुए प्रश्नको सरसरीमें तय नहीं करना चाहिये किन्तु उसे इस दफामें बताए हुए नियमोंके अनुसार तय करना चाहिये, देखो—सुरजा बनाम गिरेन्द्र A. I. R 1925 Oudh. 109.

इस दफाके अनुसार अदालतको तीसरे शख्सके हकका अन्तिम तय करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है, देखो—गङ्गाधर बनाम श्रीधर 61 I C. 589

इसका अभिप्राय यह है कि जब रिसीवर किसी जायदादको दिवालियेकी जायदाद बताकर बेचना चाहता हो तो तीसरे शख्सको अधिकार है कि वह इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियामें अपना हक उस जायदादके लिये पेश कर सकता है, देखो—वेंकप्पा चेटियार बनाम रामनाथन चेटियार 17 Madras 446, A I R 1924 Mad 529, पदम्मा बनाम मानमल 2 Lah 147; 61 I C. 332.

परन्तु उस तीसरे शख्सको यह भी अधिकार है कि वह अपनी हक उस जायदादके लिए साबित करनेके लिए रिसीवरके खिलाफ दूसरी दीवानी अदालतमें भी दावा दायर कर सकता है, देखो देवराव बनाम विट्ठल A. I. R. (1925) ४ Nag 363, हरनाम बनाम नाथ A I R 1923 Lah 224

जबकि किसी हिन्दू पिताके दिवालिया क़रार दिए जाने पर रिसीवर उसकी कुल खानदानी जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लेवे और उसके लड़के इस बिना पर कि पिताके कर्ज़े गर क़ानूनी थे, व बदचलनीके लिए, लिए गए थे एतराज करें तो अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह ऐसे प्रश्नको तय कर सकती है, देखो सन्तप्रसाद बनाम शिवदत्तसिंह 2 Pat. 724.

हक़के प्रश्न किस समय तक नहीं किये जाना चाहिये—जो कि इस दफ़ाके अनुसार अदालत दिवालियाको हर प्रकारके हक़ आदिके मसले तय करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु जहां इस प्रकारके गहन प्रश्न या अस्वाभाविक उलझन आ जावे वहां अदालतको चाहिए कि वह फरीक़ैनसे ऐसे मसलेको बाक़ायदा दावा दायर करके तय करा लेनेको कह देवे, देखो—रासबिहारी बनाम आफ़िशल एसायनी 25 C W. N 852, फूलकुमारी बनाम खिरोड 31 C, W. N. 502, 44 Mad 524, 66 I. C. 863 (All).

अदालत दिवालियाको चाहिए कि वह उस समय हक़के प्रश्नोंको तय करनेकी कोशिश न करे जबकि उसको मालूम हो जावे कि ऐसे प्रश्नको तय कर देने पर भी वह जायदाद पर क़ब्ज़ा रखने वाले शख़्ससे क़ब्ज़ा न दिला सकेगी क्योंकि दिवालिएको खुद भी उस जायदादमें मौजूदा हक़ ऐसा नहीं है कि जिससे वह क़ब्ज़ा रखने वाला व्यक्ति हटाया जा सके, देखो-आफ़िशल रिसीवर बनाम पेरूमल पिल्लई A I. R 1924 Mad. 87.

मामलोंको तय करनेका तरीक़ा—हक़ आदिके प्रश्न तय करनेमें अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह मामूली अदालत दीवानीके नियमोंका प्रयोग करे। अर्थात् अदालतके सामने दरख्वास्तमें वह सब बातें दिखलाई जाना चाहिये जोकि अर्ज़ीदावामें दिखलाई जाती हैं और तब दूसरे फ़रीक़की उसकी जवाबदेही करना चाहिये। इसके बाद तनक़ीहें क़ायम होना चाहिये और तब ज़ाबता दीवानी व क़ानून शहादतके अनुसार उन प्रश्नोंका फ़ैसला होना चाहिये देखो—चिट्टामल बनाम पोन्नुस्वामी 49 Mad 762, शिवप्रसाद बनाम अज़ीज़अली 44 All 71=19 A L. J. 862.

अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata)

उपदफ़ा (२) का अभिप्राय है कि अदालत दिवालियाके फ़ैसले अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata) समझना चाहिए देखिये मिश्रीलाल बनाम कन्हैयालाल A. I R. 1922 All 128. दफ़ा ११ ज़ाबता दीवानीमें अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata) का उल्लेख है। यह कहा जासकता है कि उस दफ़ाके अनुसार वही अम्र तजवीज़ शुदा समझे जावेंगे जिनके सुने जानेका अधिकार पहिली अदालतको रहा हो और यही बात अदालत दिवालियाके लिए भी कहा जासकती है कि उसे अदालत दीवानीके मामलेको सुननेका अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए उसका फ़ैसला अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata) नहीं समझना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं है। इस दफ़ाके अनुसार किया हुआ अदालत दिवालियाका फ़ैसला आख़िरी फ़ैसला है और हर एक फ़रीक़ैनके लिए माननीय है और वह फ़ैसला दुबारा किसी अदालत दीवानीमें नहीं उठाया जासकता है देखो—बशा बेगम बनाम देवनारायन A I R. 1923 All 293

परन्तु वह बात, जिसका फ़ैसला नहीं किया गयाहो अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा देखिए नौरंग बनाम नवाब मुहम्मद 64 I C. 523 (All) अगर किसी क़र्ज़ख़्वाहने यह प्रश्न अदालत दिवालियाके सामने उठाया हो कि दिवालियेका कोई इन्तक़ाल जायदाद, धोखादेहीका था और वह प्रश्न उसके विरुद्ध तय किया हो तो उसको अधिकार नहीं है कि वह दुबारा इस प्रश्नको उठा सके कि वह इन्तक़ाल जायदाद, फ़र्ज़ी व धोखादेहीका था पहिला फ़ैसला अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata) ऐसे मामलेके लिए समझा जावेगा देखो—मगनलाल बनाम हरप्रसाद 16 N L. R 201.

इस दफ़ाके आधार पर अदालत दिवालियाका एकतर्फ़ा फ़ैसलाभी उस सूरतमें अम्र तजवीज़ शुदा (Resjudicata) समझा जावेगा जबकि रिसीवरने दफ़ा ५३ के अनुसार दिवालिएके किसी इन्तक़ाल जायदादको फ़र्ज़ी क़रार देनेकी दरख्वास्तदी हो और उसकी इत्तला मुन्तक़िलअलेह (Transferee) को हो जावे ऐसी सूरतमें वह मुन्तक़िलअलेह

(Transferee) दुबारा दस्तक़रारिया मुक़दमा इस आशय लिये दायर नहीं कर सकता है कि वह इन्तकाल जायदाद सही था और उस जायदादका वह मालिक है देखो—कनीजफातिमा बनाम नारायनसिंह 24 A. L J 897.

अदालत दिवालियाके हुक्मोंकी इजराय—अदालत दिवालियाके हुक्मोंकी इजराय दफा ५ में दिये हुए नियमोंके अनुसार होगी अर्थात् अदालत दिवालियाको इजरायके सम्बन्धमें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे मूल दीवानीके अधिकारोंको बर्तनेमें प्राप्त हैं, देखो—रामस्वामी चेट्टियर बनाम अकिराज रिनीवर मदुरा 42 M L J 185, 65I C 304.

अपील—इस दफाके अनुसार किये हुए फैसलेकी पहिली अपील हाईकोर्टमें दफा ७५ (२) तथा सूची नं० १ (Schedule 1) के आधार पर होसकती है। यदि इस दफाके अनुसार किसी मातहत अदालतने फैसला किया हो तो उसकी दूसरी अपील (कानूनी मसले पर) हाईकोर्टमें दफा ७५ (१) के आधार पर की जासकती है। दूसरी अपील जाब्ता दीवानीकी दफा १०० में दिये हुए नियमोंके अनुसारही की जासकेगी अर्थात् (१) उस समय जबकि कोई क़ानूनी मसला तय होनेसे रहे (२) उस समय जबकि कोई जरूरी तनकीह तय होनेसे रह गई हो (३) जबकि कोई विशेष ग़लती या बेकायदगी मामलेके सुननेमें होगई हो। मियाद अपील दफा ७५ (४) में दी हुई है, देखो—सेठ शिवलाल बनाम गिरधारीलाल A I R 1924 Nag. 361, 19 A L J 862.

जबकि अदालत दिवालियाने उपदफा (३) के अनुसार कार्यवाही की हो तो अदालतकी आज्ञा लेने पर अपील की जासकती है देखो—दफा ७५ (२)

चूंकि अदालत दिवालियाके फैसलेकी अपील की जासकती है, इस कारण यदि अदालत फैसला करनेसे इनकार करदे तो उस इनकारकी भी अपील की जासकती है, जैसाकि नयनतारा बनाम शम्भूनाथ 52 Cal. 662. में तय हुआ था। यह राय कलकत्ता हाईकोर्टकी है दूसरे किसी हाईकोर्टकी राय इस विषयमें अभीतक कुछभी नहीं है और न दफाके पढ़नेहीसे यह राय प्रकट होती है।

जब कि बेनामा मुद्दैयाके देनदार खिलाफ किसी मुक़द्दमेमें कोई जायदाद कुर्क की गई हो और मुद्दैया आर्डर २१ रूल ५८ जाब्ता दीवानीके अनुसार एतराज़की दरख्वास्त देवे और उसके बादही उसका देनदार दिवालिया करार दिया जावे तथा रिसीवर उस देनदारकी जगह फरीक़ मुक़द्दमा बन जावे और मुद्दैयाके दुबारा एतराज़की दरख्वास्त देने पर वह दरख्वास्त नामञ्जूर होगई हो और इसके बाद मुद्दैयाने नालिश, अपना हक़ साबित करनेके लिये दायरकी हो तो यह तय पाया कि अदालत दिवालियाका फैसला जिसमें कि उसने मुद्दैयाके एतराज़को तय किया हो दफा ४ के अनुसार कतई फैसला समझना चाहिये और दुबारा उसके लिये कोई नया मुक़द्दमा नहीं दायर किया जासकता है। यह भी तय हुआ कि आर्डर २१ रूल ५८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म कतई हुक्म नहीं है और उसके लिये नया मुक़द्दमा दायर किया जासकता है देखो—रामरानी बड़ा मिहाजन बनाम जवाहिरलाल मदनलाल A I R 1228 All 158

कानून दिवालियाकी दफा ४ (१) का प्रश्न नियमित मुक़द्दमोंके अनुसार तय किया जाना चाहिये अर्थात् सब फरीक़ैन को सूचना दी जाना चाहिये तथा उनके बयान तहरीरी आदि दाखिल होना चाहिये उनके कागज़ात दाखिल कराये जाना चाहिये तथा उनकी शहादत सुनी जाना चाहिये देखो—गनीमुहम्मद बनाम दीनानाथ पुरी 108 I C. 602, A I R 1928 Lah. 556

इलाहाबाद हाईकोर्टके सामने दो प्रश्न हल करनेके लिये रक्खे गये थे उनमेंसे पहिले प्रश्नका उत्तर दिया गया था परन्तु दूसरे उत्तरकी आवश्यकता नहीं समझी गई थी पहिले यह कि यदि कोई इन्तक़ाल जायदाद दिवालिया करार दिये जानेसे दो साल पहिले हुआ हो और उस इन्तक़ालके लिये ऐसा प्रश्न उपस्थित हो तो क्या अदालत दिवालिया को क़ानून दिवालिया की दफा ५३ के नियमोंका ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नको तय करनेका अधिकार प्राप्त है। हाईकोर्ट के जजोंने बहुमतसे यह तय किया था कि अदालत दिवालियाको ऐसे प्रश्न तय करनेका अधिकार प्राप्त है।

इस प्रश्नको तय करते हुए बहुमत वाले जजोंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि यदि कोई मामला किसी अजनबीके खिलाफ भी अदालत दिवालिया से तय कर दिया जावे तो अदालत दीवानी उस फैसलेके विरुद्ध नहीं जासकेगी अर्थात् दफा ११ जाबता दीवानी लागू समझी जावेगी जैसा कि A. I. R. 1926 All. 470; A. I. R. 1927 All. 66 आदि में तय किया जाचुका है।

दफा ४ में अधिकारका वर्णन है और उसके बाद दूसरी दफाओंमें जो अधिकारोंका उल्लेख है उनका ध्यान रखते हुए ही दफा ४ में बतलाये हुए अधिकारको समझना चाहिये। दफा ५३ व ५४ में अदालत दिवालियाके अधिकार सीमाका वर्णन नहीं है उनमें केवल यही बतलाया गया है कि अदालतमें उपस्थित होने वाले खास २ प्रश्नोंको तय करते समय किन नियमोंका ध्यान रखना उचित है इस प्रकार उन दफाओंका कोई प्रभाव दफा ४ पर नहीं पड़ता है जो दफा ५६ का प्रभाव अवश्य पड़ता है अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह ऐसे प्रश्नको तय कर सके कि दिवालियाका हक किसी जायदाद पर पहुँचता है या नहीं परन्तु ऐसे प्रश्नको तय करते समय दूसरा फरीकको भी यथोचित अवसर उस दरख्वास्तके सम्बन्धमें जवाबदेही करनेके लिये देना चाहिये। देखो-A. I. R 1929 All 105.

दफा ५ अदालतके साधारण अधिकार

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको इस एक्टकी कार्रवाई उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार वह दीवानीके मूल अधिकारों को करते में करती है।

(२) ऊपर लिखे अनुसार हाईकोर्ट व अदालत जिलाको अपनी मातहत अदालतके कार्यों के लिये वही अधिकार होंगे और उसी प्रकार बर्ते जावेंगे जो अधिकार उनको दीवानी मामलोंमें प्राप्त हैं व जिस प्रकार उनमें वह बर्ते जाते हैं।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको उन नियमोंके अनुसार भी कार्य करनेका अधिकार प्राप्त है जिन नियमोंका प्रयोग अदालत दीवानी किया करती है अर्थात् जाबता दीवानीमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अदालत दिवालिया भी काम कर सकता है केवल विशेषता यह है कि अदालत दिवालियाको चाहिये कि इस एक्टमें दिये हुए नियमोंका उल्लंघन न करे अर्थात् यदि इस एक्टमें बनाया हुआ कोई नियम जाबता दीवानीमें बतलाये हुए किसी नियमके विरुद्ध पड़ता हो तो अदालत दिवालिया ऐसी सूरतमें इस एक्टमें बनाये हुए नियमहीके अनुसार कार्रवाई करेगी। जाबता दीवानीके नियमकी उस समय कोई पर्वाह न करेगी परन्तु जहां पर इस एक्टमें किसी कार्यके करनेके लिये कोई विशेष नियम न दिया हुआ हो वहा पर जाबता दीवानीमें दिये हुए नियमोंके अनुसार ही कार्य किया जावेगा इस प्रकार अदालत दिवालियाको इस एक्टमें दिये हुए नियमोंके अतिरिक्त उन सब अधिकारोंके बर्तनेका अधिकार प्राप्त है जो अदालत दीवानी अपने मूल अधिकारोंके बर्तनेमें प्रयोग कर सकती है।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए अधिकार केवल उन्हीं कार्रवाइयोंके लिये प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार की जानेको हैं अर्थात् इस एक्टमें जिन कार्रवाइयोंको करनेका अधिकार अदालत दिवालियाको दिया गया है उन्हीं कार्रवाइयोंको करनेमें वह उक्त नियमोंका प्रयोग कर सकती है। देखो–कालीनाथ बनाम अब्दुल 15. C W. N. 253; नीलमनी बनाम दुर्गाचरण 22. C W. N. 704, 46. I. C. 377.

इस दफामें इस एक्टके अनुसार कार्रवाईसे अभिप्राय उस कार्रवाईसे है जो किसी अदालतमें की जावे अर्थात् यदि इस एक्टके अनुसार कोई कार्रवाई रिसीवरके सामने हो रही हो तो उसमें जाबता दीवानीके नियमोंके प्रयोग किये जानेका अधिकार नहीं दिया गया है। देखो–केदारनाथ बनाम रघुनन्दनप्रसाद 39 All 267, 37 I C 830, पिड्डीपट्टी बनाम गड्डापट्टी 47 I C 33, 24 M. L. T. 106

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि रिसीवर द्वारा दिवालियेकी जायदाद बेच जाने पर जाबता दीवानीके नियम लागू नहीं हैं। देखो—हुमेनी बनाम मुहम्मद सैफ 26 O C 319=74 I. C 802, रिसीवर द्वारा किया जायदादका बेचा जाना दफा ५ (?) के अनुसार की कार्रवाई नहीं है और इसी कारण ऐसे बेच जानेमें जाबता दीवानीके आर्डर २१ रूल ८९ के नियम लागू नहीं हैं। देखो—A. I. R. 1928 Ran 60, 5 Rang 768.

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिया तथा उसकी अपील सुननेवाली अदालत उस अधिकारका प्रयोग कर सकती है जो जाबता दीवानीकी दफा १५१ में दिया हुआ है। इस प्रकार वह किसी गलतीको सुधार सकती है देखो—रामचन्द्र बनाम मजहर हुसेन 51 I C 55 (All) या कार्यके लिये किसी आवश्यक आज्ञाको दे सकती है देखो—अब्दुल बनाम बदीनदीन 14 C. W. N. 586.

इसी प्रकार जब किसी कार्रवाई की गई हो या नेकनीयतीसे दिवालिया बननेके लिये दरख्वास्त नहीं दी गई हो तो अदालत ऐसी दरख्वास्त को इसी बात पर खारिज कर सकती है। देखो—गिरवरधारी बनाम भगवानदास 32 All 645

परन्तु ऊपर दी हुई बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत इच्छानुसार जब चाहे जिस हुक्मको मंसूख कर सकती है अर्थात् किसी हुक्मको उसी समय वह खारिज करेगी जबकि कानूनन उसको उसके खारिज करनेका अधिकार प्राप्त होगा। देखो-हेनरी आर स्मिथ 32 I C 575.

दफा ५ के अनुसार अदालत दिवालियाको वही अधिकार प्राप्त हैं जो जाबता दीवानीके अनुसार मामूली दीवानी अदालतोंको प्राप्त हैं और इसी कारण यदि दो कर्जख्वाहोंमें किसी जायदादके लिये झगड़ा चल रहा हो तो जबतक वह झगड़ा तय न हो जावे तब तकके लिये अदालत दिवालिया एक कर्जख्वाह को उस जायदादके नीलाम करानेसे रोक सकती है। देखो—A I R 1928 Rang 241

इस दफाके अनुसार जाबता दीवानीके आर्डर ९ में दिये हुए नियमोंका प्रयोग भी दिवालिया की कार्रवाईमें किया जासकता है इसलिये अगर कर्जदार दिवालिया की दरख्वास्त सुने जानेके समय हाजिर न होवे तो वह दरख्वास्त खारिज कर दी जावेगी। दिवालिया को अधिकार है कि वह या तो फिर उसी दरख्वास्तके सुने जानेके लिये दरख्वास्त दे या वह नई दरख्वास्त दिवालिया बननेके लिये दे सकता है। लेकिन जब नई दरख्वास्त दिवालिया बननेके लिये दी जावे तो उसमें यह दिखलाना चाहिये कि दरख्वास्त किस कारण खारिज हुई थी और अदालतसे दफा १० (२) के अनुसार दुबारा दरख्वास्त देने की आज्ञा प्राप्त करना चाहिये। अगर अदमपैरवीमें खारिज की हुई दरख्वास्तके बतौर नम्बर कायम होनेकी दरख्वास्त मंजूर न की जावे तो इससे यह न समझना चाहिये कि नई दरख्वास्त भी नहीं दी जासकती है अर्थात् यदि कानूनन नई दरख्वास्त देने का हक़ प्राप्त है तो ऐसी दरख्वास्त नामंजूर होने पर भी दुबारा नई दरख्वास्त दिवालिया बननेके लिये दी जासकती है। देखो—अब्दुल अजीज बनाम हबीब मिस्त्री 49 I. C 228.

इस एक्टके अनुसार कुर्की कार्रवाई करनेमें अदालत दिवालियाको वही नियम बर्तना चाहिये जो जाबता दीवानीके अनुसार दीवानीके मूल अधिकारोंका बर्तनेमें किये जाते हैं। देखो—हशमत बीबी बनाम भगवानदास 36 All 65

अगर कब्जा लेनेका बारह रिसीवर या उसके किसी खरीदारके हक़में किया जाय तो उसके प्रयोग करनेमें वही तरीका इस्तेमाल किया जावेगा जो दीवानीके मूल अधिकारों को बर्तनेमें किया जाता है। देखो—रामस्वामी चेट्टियर बनाम आफिशल रिसीवर मद्रास 45 Mad 434

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिया (Insolvency Court) अपने हुक्म की नज़रसानी (Reveu) भी कर सकती है जैसा कि आर्डर ४७ जाबता दीवानीमें दिया हुआ है। देखो—51 M L J 60, 46 Mad 405, 44 All 605

उपदफा (६)—इस धारामें यह प्रकट है कि जाबता दीवानीके अनुसार हाईकोर्ट व अदालत जिला मातहत अदालत या अपीलोंको ठीक उसी प्रकार सुन सकती है जैसाकि दीवानी की अपीलें सुने जानेका नियम है अर्थात् आर्डर ४१ जाबता दीवानीमें दिये हुए नियमके अनुसार अपीलें की जासकती हैं व सुनी जासकती हैं।

इस उपदफाके आधार पर जाबता दीवानीके आर्डर ४१ रूल ५ के अनुसार हाईकोर्टको अधिकार है कि वह किसी मामले की सुनाई का बंद करनेका हुक्म दे। देखो—नागिनदास बनाम येशाभाई 56 I C 449

दिवालियाके मामले की अपील सुनते समय जिला जजको वह अधिकार प्राप्त है जो उसे मामूली दीवानीके मामलोंमें अर्थात् सुननेमें प्राप्त है। देखो मन्नूलाल बनाम कुञ्जबिहारी 44 All 605=A. I. R 1922 All 206

इन साल्वेन्सी (Insolvency) की अपील होने पर रिस्पाण्डण्ट को क्रास अपील (Cross objection) आर्डर ४१ रूल २२ जाबता दीवानीके अनुसार करनेके अधिकार प्राप्त हैं। देखो—41 Mad 904.

दिवालियाके मामले की अपील प्रिवी कौंसिल (Privy Council) में भी की जासकती है क्योंकि एक्टमें कोई ऐसी बात नहीं दी हुई है जिससे ऐसा अपील का न हो सकना पाया जाय। देखो—छगन बनाम खड्गसिंह 40 Cal. 680; 44 Cal 535

दूसरा प्रकरण

दिवालेके कामोंसे लेकर बहाल (Discharge) होने तककी कार्रवाइयां

दफा ६ दिवालेके काम

(१) नीचे लिखे हुए कामोंके करनेसे यह मानलिया जावेगा कि कर्जदारने दिवाले का काम किया है.—

(ए) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह कर्जदारने अपनी कुल जायदाद या करीब २ सब जायदाद किसी तीसरे शख्सके सुपुर्द करदी हो जिससे कि उसके सब कर्जख्वाहोंको लाभ न होसके।

(बी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह कर्जदारने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस इरादेसे अलहदा कर दिया हो कि जिससे उसके कर्जख्वाहोंका कर्जा वसूल न होसके या उसके वसूल होनेमें देर हो।

(सी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या किसी दूसरी जगह कर्जदारने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस प्रकार अलहदा कर दिया हो जो इस एक्ट या किसी अन्य प्रचलित एक्टके अनुसार उसके दिवालिया होने पर धोखेका सौदा (Fraudulent preference) मान कर नाजायज़ (Void) क़रार दिया जावे।

(डी) यदि कर्जदार अपने कर्जख्वाहोंका रुपया मारने या उनका कर्जा वसूल होनेमें देर करनेकी वजहसे —

(i) वह ब्रिटिश भारतसे चला जावे या बाहर रहे

(ii) वह अपने सकूनती मकान या रोजगारको जगहमे चला जावे या और किसी प्रकार गैरहाजिर हो जावे, अथवा

(iii) वह छिप जावे जिसमें कर्जख्वाहोंको उसकी खबर न मिल सके ।

(ई) जबकि कर्जदार की कोई जायदाद उनके कब्जेमें इजराय डिक्री द्वारा बिक गई हो

(यफ) जबकि वह इस एक्टके अनुसार दिवालिया बनाये जानेको दरख्वास्त देवे ।

(जी) जबकि कर्जदार अपने किसी कर्जख्वाहको यह नोटिस देवे कि वह अपना कर्ज अदा नहीं करेगा या उसकी अदायगी बंद करने वाला है ।

(यच) जबकि कर्जदार किसी अदालत द्वारा रुपयकी अदायगी न करने पर इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुआ हो ।

खुलासा (Explanation)—इस एक्टके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये कारपरदाज (Agent) का काम मालिकका काम माना जासकता है ।

व्याख्या—

दिवालेके काम (Acts of Insolvency)—इस दफाम दिवालेके काम की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी हुई है किन्तु इसमें एसे कामोंका उल्लेख है जिनके करने या होनेसे यह माना जावेगा कि कर्जदारने दिवालेका काम किया है । अगर इस दफामें बतलाये हुए दिवालेके कामोंमें से कोई भी काम किया जावे तो कर्जदारको स्वयं या उसके किसी भी कर्जख्वाहको दफा ९ व १० के नियमोंका ध्यान रखते हुए दिवालेकी दरख्वास्त देनेका हक हो जावेगा जैसा कि दफा ७ में बतलाया गया है अन्यथा कोई दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त नहीं दी जासकती है ।

जिन शब्दोंका प्रयोग इस दफाम दिवालेके काम बतलानेमें किया गया है उनका शाब्दिक अर्थ जैसेका तैसाही ठीक तौरसे समझना चाहिये क्योंकि एसा काम करनेवाले व्यक्ति के लिये बहुतसी असुविधायें उपस्थित हो जाती हैं । देखो—39 Mad 250 परन्तु जब दिवालिया स्वयं दरख्वास्त देवे और उसमें यह प्रकट करे कि वह अपने कर्जाको अदा नहीं कर सकता है या वाकियात से यह प्रकट हो कि कर्जदार स्वयंही दिवालिया बनना चाहता है तो एसी दशाम यह आवश्यक नहीं है कि दिवालेके काम की बाबत छानबीन की जावे देखो—A. I. R 1925 Mad 483

कौनसे काम दिवालियाके काम नहीं हैं—कर्जदार द्वारा किसी कर्जख्वाह या उसके एजेंटको केवल यह सूचना देदेना कि वह दिवालिया है दिवालियेका काम नहीं समझना चाहिये । देखो—मरकन्टायल बैंक बनाम आफिशियल एसाइनी 39 Mad 250.

अगर किसी एक कर्जख्वाहसे सौदा खरीदा जावे व वह सौदा फुटकरमें दूसरोंको बेचा जावे और बिक्रीके दामोंसे दूसरे कर्जख्वाहका कर्ज चुकाया जावे तो एसे कामको दिवालेका काम नहीं समझना चाहिये देखो—दुर्गाराम बनाम हरकिशन 23 A L J 636=A. I R 1925 All 564

किसी आदमीको दिवालिया करार देनेका काम एक बड़ा सगीन काम है इस कारण अदालतको चाहिये कि दिवालिया करार देनेसे पहिले भली भांति छानबीन कर लेवे और यह देख लेवे कि कानून पूर्णतया लागू है । यदि कोई कर्जदार इस बातको तसलीम करे कि उसे किसी कर्जा का रुपया देना है और वह उस कर्जको अदा नहीं कर सकता है तथा इसके पश्चात् उस रकमको चुका देता तो केवल इतनाही कारण यह नहीं मान लिया जावेगा कि उस कर्जदारने दिवालेका काम

लिया है और न एसा काम दफा ६ के भिन्न २ वर्ज़ोमें बताये हुए कामोंमें आता है। देखो—A. I R 1928 Mad 393 यदि कोई कर्जदार अपने कर्जख्वाहोंकी मांग होने पर यह प्रगट करे कि उसने अपनी सब दस्तावेजें किसी तीसरे शख्सके कब्जेमें देदी हैं जिसमें कि वह शख्स उसकी सब जायदादको बेच सके और उसके कर्जोंको निपटा सके तो उसका यह काम दिवालेका काम समझा जावेगा। देखो—A. I R 1928 Mad. 903.

यदि कोई कर्जदार दिवालिया बननेके लिये दरख्वास्त देवे तो चाहे उसका पेटीशन खारिज भी हो जावे तब भी यह समझना चाहिये कि उसने इस दफाके क्लाज़ (एफ) के अनुसार दिवालेका काम किया है। देखो—A I R. 1929 Lah. 72 (1)

जबकि कर्जख्वाहानके दरख्वास्त देनेके तीन माहके अन्दर कर्जदारने यह प्रकट किया हो कि वह अपने कर्जोंका नहीं चुका सकता है तथा साथ २ यह भी अपने कर्जख्वाहानसे कह दिया हो कि वह सबका कर्ज एक साथही चुकावेगा अलहदा २ नहीं चुकावेगा तो इस प्रकारका कहना इस दफाके क्लाज (जी) के अनुसार साफ तौरसे नोटिस देनेके बराबर है। देखो— A I. R. 1929 Lah 136

क्लाज़ (ए) कर्जख्वाहोंके लाभके लिये ट्रस्टियोंके सुपुर्द जायदादका किया जाना इस क्लाजके अनुसार दिवालेका काम है। देखो—हरसापल बनाम कोठामल 19 I C 443

ब्रिटिश भारत (British India) का परिभाषा जनरल क्लाजेज एक्ट (General Clauses Act X 1897) की दफा ३ (७) में दी हुई है अर्थात् इसका अभिप्राय उस सब देशसे है जो गवर्नर जनरल हिन्द या उसके मातहतों द्वारा शासित किया जाता है।

दिवालेका काम चाहे ब्रिटिश भारतमें किया जावे चाहे उसके बाहर किया जावे दिवालकी दरख्वास्त कर्जदारके विरुद्ध दी जासकती है परन्तु दिवालियाकी दरख्वास्त उसी अदालतमें दी जाना चाहिये जिसकी अधिकार सीमामें कर्जदार अधिकतर रहता हो या अपना धंधा करता हो, यदि कोई कर्जदार सबका तसफ़िया करनेके लिये दस्तावेज (Composition deed) लिखे तो यह दिवालेका काम समझना चाहिये। देखो—लालचन्द खुशालदास बनाम हुसेनियां A. I. R. 1927 Sindh 78.

क्लाज़ (बी) इस उपदफाके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुल जायदाद या लगभग सब जायदाद हटा देवे इसके लिये यदि वह अपनी जायदादका थोड़ासा भी हिस्सा हटा देवे तो यह उपदफा लागू हो सकेगी परन्तु यह बात अवश्य साबित होना चाहिये कि कर्जदारने अपनी जायदाद इस कारण हटाई है कि जिसमें उसके कर्जख्वाह उस जायदादको न पासकें या उनका कर्जा वसूल होनेमें रुकावट पड़े व देर होवे। क्लाज (ए) के अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्तिके नाम की जाना चाहिये परन्तु इस क्लाजके अनुसार जायदाद किसी कर्जख्वाहके नामभी की जासकती है इसलिये यदि कोई कर्जदार अपने किसी एक कर्जख्वाहके हकमें अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस मन्शासे लिख देवे कि उसके दूसरे कर्जख्वाहोंको वह जायदाद न मिल सके या उनके कर्जे वसूल करने में देर हो तो भी यह काम दिवालेका काम समझा जावेगा।

क्लाज़ (सी) इस क्लाजके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुल जायदाद को अलहदा करे जैसा कि क्लाज (ए) के लिये आवश्यक है और न यह आवश्यक है कि इन्तकाल जायदाद कर्जख्वाहोंके कर्जे हज़म करने या उनके वसूल होने में देर डालनेकी गरज़से किया गया हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि इन्तकाल किसी तीसरे शख्सके हकमें किया जावे अर्थात् इस क्लाजके लिये चाहे कुल जायदाद या उसका कोई भी भाग हटाया गया हो या किसी भी शख्सके हकमें हटाया गया हो और किसी भी मन्शासे हटाया गया हो तुरन्त

यदि वह इन्तकाल जायदाद, कानूनन दिवालिया होने पर इसबिना पर नाजायज करार दिया जासके कि वह धोखेसे फायदा देनेके लिये (Fraudulent preference) किया गया है तो ऐसे इन्तकाल जायदाद के होने पर दिवालिया काम मानलिया जावेगा। 'Fraudulant preference' धोखेसे फायदा पहुँचानेका अर्थ यह निकलता है कि "किसी एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिलेमें फायदा पहुँचाना" इस प्रकार इन्तकाल जायदाद उसी कर्जख्वाहके हकमें होना चाहिये परन्तु वह इन्तकाल उस कर्जख्वाहको फायदा पहुँचानेके लिये स्वयं उसके हकमें किया जासकता है तथा और भी तीसरे शख्सके हकमें किया जासकता है जिससे उस कर्जख्वाहको फायदा पहुँच सके जिसे वह फायदा पहुँचाना चाहता है।

ऐसे इन्तकाल जायदाद होनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी दबावसे कराया गया हो क्योंकि तर्जीह (Preference) शब्दही इस बातका द्योतक है कि इन्तकाल जायदाद करने वालेने अपनी इच्छासे जानबूझ कर एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबलेमें फायदा पहुँचानेकी इच्छासे उस कामको किया है। देखो—नृपेन्द्रनाथ बनाम आशुतोष 21 C. L. J. 167; मौलाबख्श बनाम तेजमल 11 A. L. J 545

परन्तु यदि ऐसा इन्तकाल जायदाद दबावकी वजहसे किया गया हो तो उससे यह प्रकट होगा कि कर्जदार की मन्शा हर्गिज यह नहीं थी कि वह एक कर्जख्वाहको दूसरोंके मुकाबिले अधिक लाभ पहुँचानेकी इच्छा रखता हो और फिर यह क्लाज़ लागू नहीं रह जावेगा अतः दबावका अभाव होनाही इस क्लाजकी मन्शाके लिये माना गया है।

क्लाज़ (डी) इस क्लाजको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये यह बात साबित होना आवश्यक है कि कर्जदारने इस मन्शासे कि उसके कर्जख्वाहानका कर्जा वसूल न किया जासके या उसके वसूल होनेमें देर लगे इस क्लाजकी तीनों उपदफाओंमें बतलाई हुई कार्रवाई की हो अर्थात् यदि ऊपर बताई हुई मन्शासे ब्रिटिश भारतके बाहर रहता हो या चला जावे अथवा अपने रहने या व्यापार का जगहसे हट जावे अथवा अपने कर्जख्वाहानसे छिप जावे तो यह मान लिया जावेगा कि उसने दिवालिया काम किया है।

इस क्लाजके आधार पर किसी कर्जदारको दिवालिया करार देनेसे पहिले यह निश्चित करलेना चाहिये कि आया कर्जदार दरअसल इस नीयतसे कि उसके कर्जख्वाहानका रुपया मारा जावे या उसके वसूल होनेमें देर हो, हट गया है। देखो—अबूहाजी बनाम हाजीमान 8 Bom L R 684.

चूंकि हटना, कर्जख्वाहानका रुपया मारने या उसके वसूल होनेमें देर करनेकी मन्शासे होना चाहिये इस कारण यदि कोई व्यक्ति व्यापारके सम्बन्धमें चला जावे तो उसका जाना दिवालिया काम इस क्लाजके अनुसार नहीं समझा जावगा। देखो 1816 Holt (N P) 175

जबकि किसी कर्जदारने अपना हिसाब किताब कर्जख्वाहानको दिखलानेसे इनकार कर दिया हो और एक लम्बी रकम इस मन्शासे लेकर अपने व्यापारकी जगहसे हट गया हो कि जिसमें वह कुर्क न कराई जासके तो अदालतका यह मानलेना कि वह कर्जदार अपने कर्जख्वाहानका रुपया हड़प करने या उसके वसूल होनेमें देर डालनेकी गरजसे हट गया है उचित होगा। देखो 21 Bom. 297.

यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार की जगहको छोड़ जावे व वहां एक नोटिस दस्तखती अपने वकीलका लगा जावे कि कर्जख्वाहान उस वकीलसे अपने कर्जेके निस्बत लिखापढ़ी करें तो यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे कर्जदारने दिवालिया काम किया है। देखो—हीरालाल शिवनारायन 97 I C. 446

गबनसे केवल कुछ समयके लिये गैरहाजिर होना इस क्लाजके अनुसार गैरहाजिर होना नहीं समझना चाहिये। देखो—23 A L. J. 536=A I R 1925 All 564

जबकि कर्जदारकी दरख्वास्त दिवालिया बनानेके लिये खारिज हो गई हो और एक कर्जख्वाहकी दरख्वास्त भी इसी तौर पर खारिज हो गई हो और इसके बाद कोई दूसरा कर्जख्वाह दिवालिया करार देनेके लिये दरख्वास्त दे तो यह तय हुआ है कि पहिली दरख्वास्तका खारिज होना अम्र तनकीह शुदा दफा ११ जाबता दीवानीके अनुसार नहीं समझा जावेगा चाहे वह दूसरा कर्जख्वाह भी पहिली दरख्वास्तमें फरीक रहा हो अर्थात् दूसरे कर्जख्वाहकी दरख्वास्त वासते करार देने दिवालियेके सुनी जाना चाहिये। देखो—चौथमल बनाम खेमकरनदास A. I. R. 1928 Pat 116

क्लाज़ (ई) यदि कर्जदारकी जायदादका कोई हिस्सा इजराय डिक्रीमें जो रुपयेके लिये हो बिक जावे तो इस दफाके अनुसार यह मान लिया जावेगा कि उसने दिवालेका काम किया है। जायदाद दरअसल बिक जाना चाहिये केवल उसका नीलाम पर चढ़ना काफी नहीं है। देखो—दौलतराम का मामला 56 I. C. 158

अगर कई हिस्सेदारोंके ऊपर रोजगार शराकतके बाबतमें कोई डिक्री होवे और किसी एक हिस्सेदारका अलहदा हिस्सा नीलाम होजावे तो यह नहीं माना जावेगा कि और हिस्सेदारोंने भी दिवालेका काम किया है। देखो—A. I. R. 1926 Mad 976

क्लाज़ (एफ) जबकि कर्जदार स्वयं दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त देवे तो उसका यह काम दिवालेका काम समझा जावेगा और जबतक कि कोई वजह उसके खारिज किये जानेकी न दिखलाई जावे तो उसकी वह दरख्वास्त मंजूर होकर वह दिवालिया करार दिया जाना चाहिये। देखो—A. I. R. 1926 Mad 494

जबकि दिवालिया करार देनेका हुक्म मंसूख कर दिया गया हो और दिवालिया फिर दरख्वास्त दिवाला निकालनेकी देवे तो उसकी इस दरख्वास्तकी मंजूरीके लिये एक नया दिवालियेका काम इस क्लाजके अनुसार दिखलाना चाहिये। देखो—जमालुद्दीन बनाम विशम्भरदयाल 109 I. C. 578 (2)

क्लाज़ (जी) यदि कर्जदार अपने किसी कर्जख्वाहको यह नोटिस देवे कि उसने अपना कर्ज देना बंद कर दिया है या वह अपना कारबार बंद करनेवाला है तो यह समझना चाहिये कि उसने अपनी तरफसे दिवालेका काम किया है। देखो—बनारसीदास बनाम मदनदास A. I. R. 1925 Oudh 222

यदि नोटिस किसी वकीलके मार्फत भी दिया गया हो तो वह पर्याप्त है। देखो—A. I. R. 1926 Sind 18 *परन्तु नोटिस साफ शब्दोंमें कर्जदार देना चाहिये और उससे यह बात साफ प्रगट होना चाहिये कि वह कर्जेकी* अदायगी बंद करना चाहता है या उसने अदायगी बंद करदी है। उस नोटिससे उसकी यह साफ मंशा टपकना चाहिये कि वह कर्ज देना बंद करने वाला है या कर्ज देना बंद कर दिया है नोटिस केवल इस बातका कि कर्जदार दिवालियाकी हालतमें है काफी नहीं है—और ऐसे नोटिसके देनेसे यह नहीं माना जावेगा कि कर्जदारने दिवालेका काम किया है। देखो—39 Mad 250, नारायनदास बनाम चिमनलाल 25 A. L. J. 219

इस क्लाजके अनुसार जो नोटिस देना बतलाया गया है उससे मतलब उस नोटिससे है जो कर्जदार अपनी इच्छानुसार देवे और कर्जदारकी यह इच्छा मामलेके वाकयातसे समझी जासकती है। यह बात कि आया कोई नोटिस इस दफाके अनुसार काफी है या नहीं हर मामलेकी और सब बातोंको भी देखकर समझा जासकता है अगर किसी कर्जख्वाहसे यह प्रार्थना की जाय कि जबतक बाजारकी दशा सुधर न जावे वह अपना कर्ज वसूल करनेके लिये दबाव न डाले या उससे इस प्रकार का प्रस्ताव किया जावे कि वह अपने कर्जेका कुछ हिस्सा पूरे कर्जेकी अदायगीसे लेलेवे तो इस प्रकारका नोटिस इस दफाके लिये काफी नोटिस समझा जावेगा। देखो—A. I. R. 1926 Sind 246,

अगर कोई एक हिस्सेदार (Partners) इस प्रकारका नोटिस देवे कि वह कर्जेकी अदायगी नहीं देगा तो

ऐसा नोटिस दूसरे शरीकदारों (Partners) के लिये दिवालिया काम नहीं समझा जावेगा। देखो—देवेन्द्र बनाम परमेश्वर 55 I C. 186

इस क्लॉजके लिये केवल रुपयेकी अदायगीही बद कर देनेसे दिवालिया मुआमलत पैदा नहीं होती है किन्तु इस बंद करने का नोटिस देनेसे दिवालिया मुआमिलत पैदा होती है और उसी समयसे मियाद लगाना चाहिए। देखो—मोतीमल बनाम एस उमरखां A I R 1928 Sind 177.

खुलासा (Explanation)—एजेन्टका किया हुआ काम मालिकका काम समझा जावेगा। इस प्रकार यदि कोई व्यापारी कलकत्ता हाईकोर्टकी अधिकार सीमासे बाहर रहता हो परन्तु उसका एजेन्ट (गुमास्ता) कलकत्तेमें काम करता हो और वह गुमास्ता कर्जोंकी अदायगी बन्द कर दवे तथा अपनी दूकान छोड़ देवे या कोई ऐसा काम करे जिसे यदि व्यापारी स्वयं करता तो वह दिवालिया करार दिया जासकता तो एजेन्टके ऐसे काम करने पर उसका मालिक दिवालिया करार दिया जासकेगा। देखो—हरखचन्द 5 Cal 605. लेकिन यह राय इसके बाद वाले मुकदमोंमें इस प्रकार नहीं रक्खी गईथी यानी यह तय पाया था कि यदि मालिककी रायसे कोई काम किया जावे तो उसकीही पाबंदी उस पर हो सकेगी। देखो—धूपतसिंह 20 Cal 771.

एजेन्टका काम उसी वक्त मालिकको बांध सकेगा जबकि वह अपने अधिकारके अन्दर (बतौर एजेन्टके) काम करेगा। देखो—20 Cal. 771, 23 Cal 26 (I C)

दफा ७ दरख्वास्त और दिवालिया क़रार दिया जाना

अगर कोई कर्जदार दिवालियेका कोई काम करे तो उसका कोई कर्जख्वाह या कर्जदार स्वयंही दिवालेकी दरख्वास्त इस एक्टमें दिये हुए शरायतके साथ दे सकता है और अदालत ऐसी दरख्वास्त पर कर्जदारको दिवालिया करार देनेका हुक्म देसकती है इसी आर्डरको दिवालिया करार देनेका आर्डर (Adjudication order) कहते हैं उदाहरण (Explanation)—कर्जदार का स्वयं दरख्वास्त देना इस दफाके अनुसार एक दिवालियेका काम है और अदालत ऐसी दरख्वास्त पर दिवालिया करार देनेका हुक्म दे सकती है।

व्याख्या—

दफा ६ में कर्जदारके उन कामोंका उल्लेख है जिनके करने या होनेसे यह मानलिया जावेगा कि उस कर्जदारने दिवालियेका काम किया है इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियेका काम होने पर उसका परिणाम क्या हो सकता है अर्थात् इस दफामें यह बतलाया गया है कि जब कोई दिवालेका काम किया गया हो तो कर्जदार तथा कर्जख्वाह दोनोंको अधिकार है कि वह अदालत दिवालियामें उस कर्जदारको दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त पेश कर सकें और ऐसी दरख्वास्तके आधार पर वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जासके।

इस दफाके साथ जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसकी जरूरत इस बातसे पड़ी कि जिसमें कायदे का भ्रम दूर हो सके क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त दी जानेसे पहिले कोई न कोई दिवालियेका काम अवश्य होना चाहिये। दफा ६ क्लाज (एक) के अनुसार यदि कोई दिवालिया बननेकी दरख्वास्त दी जावे तो यह मानलिया जावेगा कि दिवालियेका काम हुआ है इस कारण कर्जदार द्वारा कोई दरख्वास्त दिये जानसे पहले एक बेमानी दरख्वास्त दी जा चुकना चाहिये इस भ्रमको दूर करनेके लिये तथा फिजूलकी पाबन्दीसे बचनेके लिये यह व्याख्या जोड़दी गई है जिसके अनुसार कर्जदारका स्वयं दरख्वास्त देना दिवालेका काम माना गया है तथा अदालतको ऐसी दरख्वास्त पर दिवालिया करार देनेका अधिकार प्राप्त है।

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसकी इच्छा पर दिवालिया करार देना निर्भर है परन्तु इस इच्छाका अर्थ यह नहीं है कि अदालत मनमानी जैसा चाहे वैसा करे उसे उचित है कि कानूनी मसलोंको ध्यानमें रखते हुए अपनी इस इच्छाका प्रयोग करे और उसे नियमोंके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। देखो— हरवल्लभदास बनाम मेहेरप्रसाद 5 Cal. 259

दफा ९ व १० में उन सब शर्तोंका उल्लेख है जिनका ध्यान दरख्वास्त देते समय रखना आवश्यक है अतः उन दफाओंमें बताई हुई शर्तोंका पूरा होना भी दरख्वास्तके मंजूर करनेके लिये आवश्यक है और अदालतको इनका भी विशेष करके ध्यान रखना उचित है।

कर्जख्वाह इस दफाके अनुसार केवल अपने कर्जदारोंके खिलाफ दरख्वास्त दे सकता है। कर्जदारके मालिकके खिलाफ दिवालियेकी दरख्वास्त किसी कर्जख्वाह द्वारा उस वक्त तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस कर्जख्वाह व मालिक बाबत कर्जख्वाह व कर्जदारका सम्बन्ध स्थापित न हो गया हो। देखो—शिवजावरन 85. L R 93=25 I. C. 930

जबकि किसी कर्जदारके खिलाफ दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई हो और कर्जदार उस दरख्वास्तकी सुनवाईसे पहिलेहि मर जावे तो वह दरख्वास्त जारी रक्खा जावेगा जिससे कि उसकी जायदाद वसूल की जासके तथा बांटी जासके जैसाकि दफा १७ में बतलाया गया है।

अदालतको यह अधिकार नहीं है कि वह दिवालिया करार देने वाला हुक्म देनेके साथ ही दिवालिया द्वारा किये हुए बयनामोंकोभी मन्सूख करनेका हुक्म दे देवे। देखो—अप्पोडेग्गी बनाम नियुक्ता 45 Mad 169=A I R. 1922 Mad. 246

दफा ८ सभा आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना

किसी जमाअत (Corporation) या किसी प्रचलित एक्ट द्वारा रजिस्टर्डकी हुई सभा या कम्पनीके खिलाफ कोई दिवालियाकी दरख्वास्त नहीं दी जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार रजिस्टर्ड शुदा सभा (Association) व कम्पनीके खिलाफ दिवालियेकी दरख्वास्त नहीं दी जासकती है तथा किसी जमाअत (Corporation के खिलाफ भी नहीं दी जासकती है लेकिन (Corporation) के लिये रजिस्टर्ड शुदा होना आवश्यक नहीं मालूम होता है क्योंकि इस दफाके एक्टमें 'Against' शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है और पिछले 'Against' शब्दके बाद 'Association' व कम्पनी शब्द आये हैं जिनके साथमें 'Registered' (रजिस्टर्ड शुदा) शब्दको लगाते हैं ऐसा करनेमें यह प्रगट होता है कि केवल सभा (Association) व कम्पनी (Company) का रजिस्टर्ड शुदा होना आवश्यक है।

चूंकि इस दफामें खास करके तीन ही शब्दोंका प्रयोग है अर्थात् जमाअत (Corporation) सभा (Association) व कम्पनी (Company) अतः यह प्रकट होता है कि इनके अतिरिक्त अन्य दूसरे जनसमूहोंके खिलाफ दिवालियेकी दरख्वास्त दी जासकती है इससे यह भी नतीजा निकलता है कि जब दो या दोसे अधिक साझेदार कोई व्यापार किसी दूकानके नामसे करतेहों तो उनके खिलाफ दिवालियेकी दरख्वास्त दी जासकती है जो कि इस दफामें कोई बात स्पष्टतया नहीं लिखी गई है इस एक्टमें कहींभी यह नहीं कहा गया है कि फर्म (Firm) के खिलाफ दिवालियेकी दरख्वास्त दी जासकती है और साथ साथ कहीं यह भी नहीं बतलाया गया है कि फर्म (Firm) के खिलाफ दिवालियेकी

दरख्वास्त नहीं दी जासकती है ऐसी दशामें इस दफा का ध्यानमें रखते हुए तथा दफा ७९ (२) पर दृष्टि डालते हुए यदि यह मान लिया जाय कि फर्म (Firm) के विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त दी जासकती है तो अनुचित न होगा। कार्रवाई दिवालिया फर्म (Firm) के नामसे की जासकती है जो अदालतका दिवालिया करार देनेका हुक्म उस फर्मके सब शराकतदारों (Partners) के लिये समझना चाहिये।

नाबालिग—इस एक्टमें कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि नाबालिग दिवालिया करार दिया जासकता है या नहीं परन्तु अधिकतर वही व्यक्ति जो कानूनन् मुआहिदा कर सकता है दिवालिया करार दिया जासकता है चूंकि नाबालिग (Minor) मुआहिदा नहीं कर सकता है इस कारण वह दिवालिया भी नहीं करार दिया जासकता है। इस प्रकार यह तय हुआ है कि किसी फर्म (Firm) का नाबालिग (Minor) शरीकदार (Partner) निजीतौर पर (Individually) दिवालिया नहीं करार दिया जासकता है। देखो—सत्याशीचरन बनाम असन्तोष घोष 42 Cal. 225, जानकीप्रसाद बनाम गिरधारीलाल 16 O C. 68.

क़ानून मुवाहिदा (Contract Act) की दफा २४७ का ध्यान रखते हुए किसी नाबालिग शरीकदार (Partner) का दिवालिया घोषित करना अनुचित है। देखो—जगमोहन बनाम गिरीश बाबू 42 All 515

जबकि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारके बालिग (Adult) मेम्बर दिवालिया करार दिये गए हों तो उस परिवारके नाबालिग (Minor) मेम्बरका हिस्सा रिसीवरकी सुपुर्दगीमें नहीं जावेगा और रिसीवरको उस पर हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है। देखो—A I R 1924 Mad. 791

दफा ९ कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देनेकी शर्तें

(१) कोई कर्ज़ख्वाह किसी कर्ज़दारके खिलाफ दरख्वास्त उस वक्त तक न दे सकेगा जब तक कि:—

(ए) कर्ज़दारका कर्ज़ जो उसे दरख्वास्त देने वाले कर्ज़ख्वाहको देना है या उन सब कर्ज़ोंका जोड़ जो उसे उन सब कर्ज़ख्वाहोंको देना है जिन्होंने एक साथ दरख्वास्त दी हो पांच सौ रुपये न हो। और

(बी) वह कर्ज़ निश्चित धन राशिके रूपमें या तो फौरन अदा होना चाहिए या भविष्य में किसी समय अदा किया जाना चाहिये। और

(सी) दरख्वास्त में दिवालिया क़रार दिये जानेके लिये जो दिवालियेका काम दिखलाया गया हो वह दरख्वास्त दिये जानेके तीन महीनेके अन्दर हुआ हो।

(२) अगर दरख्वास्त देने वाला कर्ज़ख्वाह एक महफूज कर्ज़ख्वाह है तो उसे अपनी दरख्वास्तमें दिखलाना पड़ेगा कि अगर कर्ज़दार दिवालिया क़रार दिया जावेगा तो वह अपनी जमानत दूसरे कर्ज़ख्वाहोंके फायदेके लिये छोड़ देगा या वह अपनी दरख्वास्तमें ज़मानतकी क़ीमतका अन्दाजा देगा। जबकि वह दरख्वास्तमें अपनी जमानतकी क़ीमतका अन्दाजा देगा तो वह उतने रुपयेके लिये दरख्वास्त देने वाला कर्ज़ख्वाह समझा जावेगा जितने रुपये उसके कर्ज़मेंसे जमानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई क़ीमत घटा देनेसे बचेंगे और उस बकाया रुपयेके लिये वह बिला महफूज कर्ज़ख्वाह समझा जावेगा।

निश्चित धन राशि (Liquidated Sum)—कर्जेकी तादाद एक खास व तयकी हुई तादाद होना चाहिये जिसमें कि अदालतको उसकी तादाद न निश्चित करना पड़े। टार्ट (Tort) या मुआहदा शिकनीके आधार पर हर्जे खर्चेका दावा एक अनिश्चित (Unliquidated) कर्जा है इसलिये ऐसे दावेके आधार पर दिवालियाकी दरख्वास्त नहीं दी जासकती है गो यह कर्जा दूसरे कर्जोंकी भांति दफा ३४ (१) के अनुसार साबित किया जासकता है।

तीन महीनेके अन्दर—कर्जख्वाह जिस दिवालेके कामके आधार पर अपनी दरख्वास्त देवे वह दिवालिया काम होनेके बाद तीन माहके अन्दर दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त देदेना चाहिये वरना इसके बाद देनेमें वह दरख्वास्त बाद मियाद समझी जावेगी और उस दिवालियेके कामके आधार पर वह दरख्वास्त काबिल चलनेके नहीं समझी जावेगी। देखो—A I R. 1925 Oudh 222.

यह तीन महीनेका समय अंग्रेजी महीनोंके हिसाबसे गिनना चाहिये जैसाकि जनरल क्लाजेज एक्ट (General Clauses Act) की दफा ३ में बतलाया गया है यदि आखिरी दिन छुट्टियोंमें पड़ जावे तो छुट्टियोंके समाप्त होने ही जिस दिन कचहरी खुले उस दिन दरख्वास्त दाखिल की जासकती है जैसाकि जनरल क्लाजेज एक्टकी दफा १० में बतलाया गया है क्योंकि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ को छोड़कर और किसीके लागू होनेका जिक्र दफा ७८ (१) में या कानून दिवालिया (Insolvency Act) की किसी अन्य दफामें नहीं है देखो—42 Mad 13.

यदि दरख्वास्त किसी गलत अदालतमें देदी गई हो तो वह समय जोकि गलत अदालतमें लग गया हो दुबारा दरख्वास्त देते समय मुजरा नहीं मिलेगा देखो—39 Mad 74. यदि दरख्वास्त ठीक समयके अन्दर दी गई हो परन्तु उसमें कोई गल्ती रह गई हो तो वह गल्ती आयन्दा ठीक की जासकती है और उस गल्तीकी वजहसे वह दरख्वास्त मियाद बाहर नहीं समझी जावेगी किन्तु वह दरख्वास्त ठीक समयमें दी हुई ही मानी जावेगी।

कर्जख्वाह (Creditor)—इसकी परिभाषा दफा २ (१) (ए) में दी हुई है अधिकतर कर्जख्वाहसे अभिप्राय उस व्यक्तिका है जो कि फौरन अपने कर्जेको वसूल करनेका हकदार हो और जो उस कर्जेके चुकतेकी रसीद देसकता हो परन्तु इस एक्टके अनुसार ऐसाभी कर्जख्वाह दरख्वास्त देसकता है जो अपने कर्जेको उसी समय वसूल कर लेनेका हकदार न हो किन्तु भविष्यमें उसके पानेका हकदार हो।

यह आवश्यक नहीं है कि दरख्वास्त देने वाला कर्जख्वाह उस समयभी कर्जख्वाह बना रहे जबकि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे इतनाही पर्याप्त होगा कि वह कर्जख्वाह दरख्वास्त देते समय कर्जख्वाह था। देखो—51 M. L J 680=A. I R 1927 Mad 153

जबकि किसी रहन वाहन अपने कर्जेदारको दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त दी हो तो वह कर्जख्वाह अपना कर्जा दरख्वास्तकी कार्यवाहीमें साबित कर सकता है उसको साबित करनेके लिये अलहदा मामला दायर करनेकी जरूरत नहीं है देखो— A. I R 1923 Rang. 21. यदि कर्जेकी तादादके लिये कोई झगड़ा हो तो अदालत दिवालिया को अधिकार है कि वह ऐसे झगड़ेको तय कर सकती है देखो—A I R 1925 Lah. 436, A. I. R. 1926 Lah 638.

जमाअत (Corporation) व कम्पनीभी बहैसियत कर्जख्वाहके दिवालिया करार दिये जानेके लिये अपने कर्जदारके खिलाफ दरख्वास्त देसकती है जबकि किसी कर्जदारने अपने सब कर्जोंको निपटानेके लिये तस्फीयानामा (Deed of arrangement) लिखा हो और कोई कर्जख्वाह उस तस्फीयामें शामिल हो तो वह कर्जख्वाह उस तस्फीयानामेको दिवालिया काम करार देकर उस कर्जदारके खिलाफ दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त नहीं देसकता है देखो—45 Mad 294=A I. R 1924 Mad 839.

कि उसको विश्वास न हो जावे कि कर्जदार किसी विशेष कारण वश बहाल होनेकी दरख्वास्त नहीं दे सकता था या उसकी पैरवी नहीं कर सका था या इस दूसरी दरख्वास्तमें कोई भिन्न कारण दिखलाया गया हो जो पहिले दिवालिया करार दिजानेवाली दरख्वास्तमें नहीं दिखलाया गया था।

व्याख्या—

इ सालवेंसी एक्ट ११ सन् १९२७ ई० [Insolvency (Amendment act) XI of 1927] के अनुसार वलाज (२) में (Made under this act) के स्थान पर 'Who three made under the Presidency Towns Insolvency Act 1909 or under this act' कर दिया गया है इस संशोधन का असर यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसीडेंसी टाउन्स इ साल्वंसी एक्ट के अनुसार भी दिवालिया करार दिया गया हो तो भी उस पर इस दफामें बतलाये हुए नियम लागू होंगे।

कर्जदार दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त उस दशा में दे सकता है जबकि वह अपने कर्जोंका अदा न कर सकता हो तथा उसके साथ २ क्लाज (१) क (ए) (बी) व (सी) में बतलाई हुई बातोंमेंसे कोई बात उपस्थित हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह सब बातें साथ २ उपस्थित होवें अर्थात् (i) कर्जदार यदि अपने कर्जोंको अदा न कर सकता हो व उसके कर्जे ५००) रु० से कम न होवें तो वह दिवालिया बन सकता है, (ii) इसी प्रकार जबकि वह अपने कर्जोंका अदा न कर सकता हो और डिग्री इजराय डिकरीमें गिरफ्तार हो तो भी वह दिवालिया बननेका हकदार है, (iii) उस सूरतमेंभी जबकि वह कर्ज अदा न कर सकता हो और उसकी जायदाद इजराय डिकरीमें कुर्क हो गई हो वह दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त दे सकता है।

यदि ऊपर बताई हुई शर्तोंमेंसे कोई भी शर्त उपस्थित न होवे तो अदालत ऐसी दरख्वास्तको खारिज कर सकती है देखो—69 I C 622, 40 Bom 707 दिवालियेकी दरख्वास्त नेकनीयतीसे व सच्ची होना चाहिये वह केवल अदालतसे बेजा फायदा उठानेकी मन्शासे ही न होना चाहिये। देखो—30 All 2 0, 44 Cal 899

यदि दिवालिया इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंको पूरा कर देवे तो अदालतको कानूनन् दिवालिया करार देनेका हुक्म देना पड़ेगा अदालत उस दशामें अपनी इच्छानुसार ऐसा हुक्म देनेसे इनकार नहीं कर सकती है। देखो— 44 Cal 0५05; 15 A L J 87; 36 All 250; 41 All 486, A. I R 1926 Cal 905

जबकि कोई कर्जदार अपनी दरख्वास्तमें वह बात दिखलावे जिसके आधार पर वह दिवालियेकी दरख्वास्त दे सकता है तो अदालतको चाहिये कि वह दफा २५ में बतलाये हुए नियमानुसार कानूनन् कार्य करे और तब या तो उसकी दरख्वास्त खारिज कर दे या उसे मंजूर करदे। देखो—लक्ष्मीनारायण बनाम कुन्दनलाल 40 All 665

अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है—इसमें अभिप्राय यह है कि अदालत दरख्वास्त पर हुक्म देनेसे पहिले यह समझ लेवे कि आया दरख्वास्त देने वाले कर्जदारका लहना जो नमूद किया जासकता है उसके कर्जोंसे ज्यादा तो नहीं है यदि उसका लहना (Assets) उसके कर्जेसे ज्यादा समझ पड़े तो ऐसी दशामें कर्जदार दिवालिया करार दिये जानेका हकदार नहीं है। पिछले एक्टके अनुसार इस प्रकारका बन्धन नहीं था, हां दरख्वास्तमें यह कह देना आवश्यक था कि वह कर्ज अदा नहीं कर सकता है परन्तु इस एक्टके अनुसार अदालतको इस बातका विश्वास दिलाना आवश्यक है कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है। इस बातको साबित करनेके लिये कि वह कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है कोई बहुत सुबूतकी आवश्यकता नहीं है केवल उतनाही सुबूत काफी होगा जितनेसे अदालतको विश्वास हो जावे कि दरअसल वह अपने कर्जोंकी अदायगीका प्रबन्ध नहीं कर सकता है। देखो—A I R 1923 Mad 580

यह बात कि कर्जदार अपने कर्जों अदा करनेके लायक नहीं है अदालत कानूनन् तय करे और इस मामले पर अदालत अपना विचार प्रकट कर देवे। देखो— A. I. R. 1924 All 800.

उपदफा (१)

क्लाज (ए) इस क्लाजमें उस कर्जेकी तादाद बतलाई गई जिसका कमसे कम होना आवश्यक है जब कि उसकी दरख्वास्त मंजूर की जावेगी जबकि कोई कर्जदार अन्य कर्जदारोंके साथमें किसी कर्जेसे अदायगीका जिम्मेदार हो और वह कर्जा सबसे या उनमेंसे किसीसे वसूल किया जासकता हो तो ऐसी दशामें वह कर्जदार उस कर्जेके आधार पर दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त देसकता है। देखो—मगाराम बनाम रामचन्द्र 20 I. C 259, गुलामहैदर बनाम मगलमैन देसराज A. I. R. 1926 Lah. 235

जबकि दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त दी गई हो और उसमें तादाद कर्जा ५००) रुपयेसे कम हो उसके बाद दूसरा कर्जख्वाह उस कमीको पूरा करनेके लिये शामिल किया गया हो तो जिस तारीखसे यह दूसरा कर्जख्वाह शामिल किया गया हो उस तारीखसे दिवालिया करार दिया जानेवाला हुक्म काममें लाया जा सकेगा। देखो—26 A. L. J. 941.

क्लाज (बी) इस क्लाजके अनुसार दिवालेकी दरख्वास्त देते समय कर्जदारका कद या हिरासतमें होना आवश्यक है यह पर्याप्त नहीं है कि वह गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार जबकि कोई कर्जदार किसी इजराय डिक्रीमें गिरफ्तार किया गया हो परन्तु उसके कुछही घंटों बाद छोड़ दिया गया हो तो ऐसी दशामें इस गिरफ्तारीके आधार पर वह कर्जदार दिवालिया बननेकी दरख्वास्त नहीं देसकता है। देखो— 25 All. 209.

इसी प्रकार दरख्वास्त देनेसे पहिले ही उसकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिये यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह दरख्वास्त दिये जानेके बाद गिरफ्तार किया गया हो और तब वह इस गिरफ्तारीके आधार पर दिवालिया बनना चाहे। देखो—दिलमल बनाम सदारमल A. I. R. 1927 Lah 38 इस क्लाजमें यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें 'Arrest' व 'Imprisonment' दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है जिससे कि गिरफ्तारीकी हालतमें तथा जेलमें बन्द होने पर दोनों दशाओंमें कर्जदारको दरख्वास्त देनेका हक होवे।

क्लाज (सी) इस क्लाजके अनुसार जायदादकी कुर्की किसी रुपयेकी डिक्रीमें (For payment of money decree) में होना चाहिये। दिवालेकी दरख्वास्त देते समय जायदाद कुर्ककी हुई होना चाहिये यह नहीं कि वह कुर्कीसे छूट गई हो या वह बिक चुकी हो ऐसी दोनों हालतोंमें जायदाद कुर्क नहीं समझी जावेगी और यह कुर्की कर्जदारहीकी जायदादकी होना चाहिये। देखो—ज्ञानी बनाम मुहम्मद अजीमअली 25 All 204

जबकि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारमें एक पिता तथा दो पुत्र होवें और यह दिखलाया गया हो कि कर्जा उन पुत्रोंमेंसे एकने लिया था तो उस वक्त तक पिता तथा दूसरा पुत्र उस कर्जेके आधार पर दिवालिया करार नहीं दिया जावेगा जब तक कि यह साबित न हो जाय कि कर्जा परिवारकी आवश्यकताके लिये लिया गया था। देखो—राजाराम बनाम अमीरचंद A. I. R. 1926 Lah 354

यदि दिवालिया करार दिये जानेकी पहिली दरख्वास्त शहादत पेश न करनेकी वजहसे खारिज हो गई है तो दूसरी दरख्वास्त दी जासकेगी क्योंकि पहिली दरख्वास्त पर कोई विचार उसकी सच्चाई आदिके बारेमें नहीं किया गया था इसी कारण वह अम्र तजवीज शुदा (Res-judicata) दफा ११ जाबता दीवानीके अनुसार नहीं माना जावेगा। देखो— हुसनदीन बनाम कृपाराम A. I. R. 1928 Lah 374

उपदफा (२)—इस उपदफाको बनाकर यह कोशिशकी गई है कि जिसमें कोई कर्जेदार अदालतको बेजा इससे परेशान न करे अर्थात् यह कि आज किसी कर्जख्वाहसे परेशान होकर वह दरख्वास्त देवे व इसके बाद उस कर्जख्वाहसे समझाता हो जाने पर बहाल होनेके लिये कोई पैरवी न करे या बहालकी दरख्वास्त योंही खारिज होजाने देवे उसके बाद दुबारा फिर जब कोई दूसरा कर्जख्वाह अपने कर्जेके लिये उसे परेशान करे तब फिर दरख्वास्त अदालतमें देदेवे या इसी प्रकारके और किसी तरीकेसे अपना बेजा फ़ायदा व अदालतको बेजा परेशान करनेकी कोशिश करे। कर्जदारको मनमानी कार्रवाईसे रोकनेके लियेही यह उपदफा बनाई गई है कि जिसमें नेकनीयतीसे काम करने वालेही कर्जदारको इस एक्टके अनुसार लाभ उठानेका अवसर प्राप्त हो सके।

इन्सालवेन्सी एमेण्डमेण्ट एक्ट ११सन्१९२७ई०(Insolvency Amendment Act XI of 1927) के अनुसार इस उपदफामें यह भी बढ़ा दिया गया है कि यदि प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सालवेन्सी एक्टके अनुसार भी कोई शख्स दिवालिया क़रार दिया गया हो तो उसके लिये भी यह उपदफा लागू होगी।

जबकि कोई व्यक्ति दिवालिया क़रार दिया गया हो तथा उसको यह हुक्म दिया गया हो कि वह ६. माहके अन्दर बहाल होनेकी दरख्वास्त देवे और उसकी जायदाद व लहना आफिशियल रिसीवरकी सुपुर्दगीमें ले लिये गये हों तथा उस जायदाद आदिके दाम भी रिसीवरके हाथ आगये हों परन्तु किसी कर्जख्वाहने अपना हिस्सा रसदी न लिया हो और न दिवालिये ने बहाल होने की दरख्वास्त दी हो तथा ऐसी दशामें दिवालिया क़रार देनेका हुक्म मसूख कर दिया गया हो तो दरख्वास्त देने वालेको हक़ होगा कि वह दुबारा नई दरख्वास्त दिवालिया क़रार देनेके लिये दे सकता है। यह तय हुआ था कि चूंके, जायदाद आफिशल रिसीवरकी ही सुपुर्दगीमें है और इसी कारण दिवालियाको मुमकिन है यह ख्याल रहा हो कि जब तक रिसीवरके यहांसे कर्जख्वाहानको रुपया न बट जावे तब तक उसे बहाल होनेकी दरख्वास्त देनेकी आवश्यकता नहीं है अतः इस दशामें अदालतको चाहिये कि उसे दुबारा दरख्वास्त देनेकी आज्ञा प्रदान करदे। देखो—A. I. R. 1928 Lah 452.

दफा ११ वह अदालत जहां दिवालेकी दरख्वास्तें दीजावेंगी

हर एक दिवालेकी दरख्वास्त उस अदालतमें दी जावेगी जिसके अधिकार सीमामें कर्जदार अधिकतर निवास करता हो या व्यवहार करता हो या लाभके लिये कोई कार्य करता हो और अगर वह गिरफ्तार किया गया हो या क़ैदमें हो तो उस अदालतमें जिसके अधिकार सीमामें वह हिरासतमें (बन्दी) होवे। परन्तु अगर उस अदालतमें जिसमें कि दरख्वास्तकी सुनवाई हुई है जल्दीसे जल्दी कोई एतराज इस बातके लिये न किया जावे कि दरख्वास्त किस जगह देना चाहिये और ग़ैर जगह दरख्वास्त देनेके कारण कोई अन्याय न हो गया हो तो अपील या निगरानीमें कोई इस प्रकारका एतराज़ न माना जावेगा।

व्याख्या—

हर एक दिवालेकी दरख्वास्त चाहे उसे कर्जख्वाह देवे या वह कर्जदार द्वारा दी गई हो उस अदालत दिवालियामें दी जाना चाहिये जिसके अधिकार सीमामें दिवालिया क़रार दिया जाने वाला व्यक्ति अधिकतर निवास करता हो या व्यापार करता हो या फ़ायदेका और कोई काम करता हो। परन्तु जबकि दरख्वास्त देने वाला कर्जदार गिरफ्तार हुआ हो तो वह उस अदालतमें दरख्वास्त देसकता है जिसके अधिकार सीमामें वह बन्दी होवे।

अधिकार सीमाके लिये एतराज जितनी जल्दी होसके किया जाना चाहिये अर्थात् जिस अदालतमें दरख्वास्तकी सुनवाई हो रही हो, उसी अदालतमें जल्दीसे जल्दी एतराज़ करना चाहिये वरना बाद फैसला दरख्वास्तके इस प्रकारका एतराज़ अदालत अपील या निगरानीमें उस वक्त तक न सुना जावेगा जबतक कि गलत जगह समाअत होनेकी वजहसे कोई विशेष हानि न पहुँची हो तथा अधिकार सीमाका एतराज अदालत मातहतमें जल्दीसे जल्दी न उठाया गया हो।

अधिकतर रहता हो या व्यापार करता हो—अधिकतर रहनेसे अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जहां पर वह व्यक्ति खाता पीता हो या सोता हो या जहा उसका परिवार या नौकर खाता पीता या सोता हो। किसी आदमीके रहनेकी जगह वह मानना चाहिये जहा खासतौरसे उसका मकान रहने व सोनेका होवे देखो--38 Cal. 394. यह आवश्यक नहीं है कि बहुत दिनोंसे वहा रहता हो यदि थोड़े समयसे भी व किसी खास कामकी वजहसेभी वह वहा रहता हो तो यह मान लिया जावे कि वह उसके रहनेकी जगह है और अदालतको सुननेका अधिकार हो जावेगा। देखो--17 C. W. N. 405, A. I. R. Mad. 585

चूंकि बहुतसे लोग फायदा उठानेकी गरजसे अपने असली रहनेकी जगहको छिपा कर दूसरी दूसरी जगह दिवालिया बनने की कोशिश करते हैं जिससे असली मुखालिफीन (विरोधक) सामने न आसकें या उन्हें सामने आनेमें परेशानी उठाना पड़े इसलिये एक्टमें यह रख दिया गया है कि जहां अधिकतर कर्जदार निवास करता हो वहीं दरख्वास्त दाखिल करना चाहिये। अदालतको दरख्वास्त सुनते समय यह विश्वास कर लेना चाहिये कि दरख्वास्त देते समय दिवालियाने उनके अधिकार सीमाके अन्दर अपनी सकूनत कायम करली थी। इसी प्रकार जबकि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारोंके साथ थोड़े समयसे रहने लगा हो तो ऐसे रहनेसे अदालत दिवालियाकी उसकी दरख्वास्त सुननेका हक है देखो --39 I. C. 453.

अगर कभी २ वह अपने रहनेकी जगह छोड़कर चला जाता हो तो यह नहीं समझा जावेगा कि वह लगातार उस जगह पर नहीं रहता है। परन्तु इससे यह न मान लेना चाहिये कि यदि कोई शख्स अनायासही अपने किसी रिश्तेदारके यहा ठहर जावे तो उसका इस प्रकारका ठहरना वहांके रहनेके बराबर मान लिया जावेगा देखो—18 C. W. N 1050

यदि कोई व्यापारी भिन्न २ जगहोंमें रहकर व्यापार करता हो तो वह उस अदालत द्वारा दिवालिया करार दिया जासकता है जिसकी अधिकार सीमामें उसका पुस्तैनी मकान व जमीन होवेगी देखो—(1925) M. W. N. 797. रहनेकी जगहका सवाल एक वाकयाती सवाल है और अधिकतर वह जगह जहाँ वह साल भर बराबर मिल सके उसके रहनेकी जगह मानना चाहिये उन व्यापारियोंके लिये जो जगह जगह व्यापार करते हैं रहनेकी जगह वही समझना चाहिये जहा वह अपना रोजानाका काम करते हों व जीविका उपार्जन करते हों। देखो—22 A. L. J. 457.

जबकि कोई व्यक्ति किसी व्यापारसे सम्बन्ध रखता हो और उसके कार्योंमें भाग लेता हो और उसकी घरेलू बातोंमें शामिल हो तो यह मान लिया जावेगा कि वह उस व्यापारको करता है और ऐसे व्यापारकी जगहमें वह दिवालेकी दरख्वास्त देसकेगा देखो—19 A L. J 696. किसी व्यापारका चालू रहना उस वक्त तक समझा जावेगा जबतक कि उसके कर्ज बने रहें और उसका लहना वसूल करनेको बना रहे इत्यादि देखो—48 Mad 795

व्यापारके लिये यह आवश्यक नहीं कि कर्जदार स्वयही उस व्यापारको करता हो किन्तु यदि व्यापार उसका एजेन्ट गुमास्ता या नौकर करता हो तो यह मान लिया जावेगा कि वही उस व्यापारको करता है देखो—A. I. R. 1922 All. 337. इस प्रकार यदि किसीके खास व्यापारकी जगह दूसरी हो परन्तु जहा परभी वह व्यापार करता होगा वहांकी अदालत उसे दिवालिया करार देसकती है। देखो—A. I. R. 1926 Sind 18=97 I. C. 446.

यह शब्द कि 'स्वय या किसी एजेन्टके जरिये' (Either personally or through an agent) इस कारण रक्खे गये हैं कि जिससे अदालत दिवालियाके अधिकार सीमाके अन्दर काम करने वाले बाहरी व्यापारियोंके साथ भी भय लगा रहे यदि वह एजेन्टोंके जरिये या मजदूरोंके जरिये जो खासकर काम करनेके लिये नियुक्त किये गये हों काम करते हों परन्तु इसमें उस क्रय विक्रयकी गणना नहीं होगी जो किसी कमीशन एजेन्ट (आढ़तिया) के जरिये किया जाव देखो--A. I. R. 1929 Sindh. 24.

दफा १२ दरख्वास्तकी तस्दीक़

हर एक दिवालियेकी दरख्वास्त लिखकर दीजावेगी और उस पर हस्ताक्षर व तस्दीक़ उसी प्रकार होगी जिस प्रकार जाबता दीवानीमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अर्ज़ी दावा पर हस्ताक्षर व तस्दीक़ होती है।

व्याख्या—

जैसा कि जाबता दीवानीके आर्डर ६ रूल १४ में दिया हुआ है दिवालिया करार दिये जाने वाली दरख्वास्त पर दस्तख़त दरख्वास्त देने वालेके तथा उसके वकीलके होना चाहिये यदि दरख्वास्त देने वाला अपनी गैरहाज़िरी या किसी ख़ास कारणवश उपस्थित न हो तो उसका नियमपूर्वक नियुक्त किया हुआ एजेंट उसकी तरफसे दस्तख़त कर सकता है इसी प्रकार आर्डर ६ रूल १५ के अनुसार दरख्वास्तके नीचे दरख्वास्त कुनिन्दा की तस्दीक़ स्वागत द्वारा होना चाहिये या किसी ऐसे व्यक्तिके द्वारा होना चाहिये जो उन सब बातोंको जानता हो। यदि कोई दरख्वास्त बाक़ायदा तस्दीककी हुई नहीं होवेगी तो उस पर दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म नहीं दिया जावेगा। यदि दरख्वास्तमें या तस्दीक स्वागतमें कोई गलती हो जावे तो उसका संशोधन बादमें किया जासकता है।—22 All 55.

दफा १३ दरख्वास्तमें दिखलाई जानेवाली बातें

(१) कर्ज़दारकी दी हुई दरख्वास्तमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये:—

(ए) यह बयान कि कर्ज़दार अपने कर्जे अदा करनेके योग्य नहीं है।

(बी) यह कि वह अधिकतर कहां रहता है या कहां रोज़गार करता है या लाभके लिये काम करता है और अगर गिरफ्तार हुआ हो या कैद हो तो वह किस जगह हिरासतमें है।

(सी) किस अदालतके हुक्म द्वारा वह गिरफ्तार या क़ैद हुआ है या किसके हुक्म द्वारा उसकी जायदाद कुर्ककी गई है इसके साथ २ उस डिक्रीका हालभी देना चाहिये जिसके सिलसिलेमें ऊपरका आर्डर दिया गया हो।

(डी) अपने कर्जोंकी तादाद व उनकी तफसील व उनके साथ २ कर्ज़ख्वाहोंके नाम व पते जहां तक उसको मालूम हों या जहां तक वह उचित परवाह व प्रयत्न द्वारा जान सके।

(ई) अपनी कुल जायदादकी तादाद और उसका हवाला और उसके साथ साथ

(i) रुपयेके अतिरिक्त जो जायदाद हो उसका मूल्य

(ii) वह जगह व जगहें जहां वह जायदाद हो

(iii) इस इच्छाकी घोषणा कि वह अपनी कुल जायदाद अदालतके सुपुर्द करनेको प्रस्तुत है केवल उन वस्तुओंको छोड़कर जो ज़ाबता दीवानी या अन्य किसी प्रचलित क़ानून द्वारा कुर्क या नीलाम नहीं होसकती हैं परन्तु इन वस्तुओंमें हिसाबकी किताबें नहीं छूट सकतीं हैं।

(एफ़) इस बातका बयान कि आया उसने दिवालिया बननेकी कोई दरख्वास्त पहिले कभी दी है या नहीं और अगर दी है तो

(i) अगर वह दरख्वास्त ख़ारिज हुई है तो उसके ख़ारिज होनेका कारण क्या था, या

(ii) अगर कर्ज़दार दिवालिया करार दिया जाचुका है तो उस दिवालेका संक्षिप्त विवरण देना चाहिये जिसमें यह भी दिखलाया जावे कि आया पिछले दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख़ हुआ है या नहीं और अगर मंसूख़ हुआ है तो किन कारणोंसे

(२) जबकि दिवालेकी दरख्वास्त कर्ज़ख्वाह या कर्ज़ख्वाहों द्वारा दी जावे तो उसमें कर्ज़दारके बारेमें वह सब बातें दिखलाई जावेंगी जिनका उल्लेख (१) (बी) में है और यह भी दिखलाया जावेगा कि—

(ए) कौनसा दिवालेका काम हुआ है और कर्ज़दारने उसे किस तारीख़में किया है।

(बी) कर्ज़ख्वाहोंके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने वाले कर्ज़ख्वाह या कर्ज़ख्वाहोंके कर्ज़की क्या तादाद है।

व्याख्या—

यह दफ़ा दो उपदफ़ाओंमें विभक्त है उपदफ़ा (१) में उन बातोंका उल्लेख है जिनका दिखलाया जाना कर्ज़दार द्वारा दी हुई दरख्वास्तमें ज़रूरी है तथा उपदफ़ा (२) में वह बातें बतलाई गई हैं जो कर्ज़ख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्तमें दिखलाई जाना चाहिये। पहिली उपदफ़ामें ६ क्लाज़ हैं और उन छहोंके बारेमें जो ठीक ठीक बात हो दरख्वास्तमें दिखलाई जाना चाहिये दूसरी उपदफ़ामें यह बतलाया गया है कि पहिली उपदफ़ाके क्लाज़ (बी) की बातें होना चाहिये तथा उनके अतिरिक्त दो बातें और होना चाहिये जो उपदफ़ा (२) के क्लाज़ (ए) व (बी) में बतलाई गई हैं।

चूंकि अंग्रेज़ी एक्टमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है इससे यह समझना चाहिये कि जिन बातोंका ब्यौरा इस दफ़ामें दिया गया है वह अवश्य दिखलाई जाना चाहिये परन्तु यदि कोई कर्ज़दार अपनी दरख्वास्तमें कर्ज़ेकी तफ़सील ग़लत दिखलावे अर्थात् कर्ज़े ज्यादा या कम दिखला देवे या अपनी जायदादको छिपा जावे तो इस बिना पर उसकी दरख्वास्त नामन्ज़ूर नहीं की जावेगी अर्थात् यह ग़लतियां होते हुए भी यदि ख़ानापूरी दुरुस्त हो तो वह दिवालिया क़रार देदिया जावेगा परन्तु यदि वह ग़लती भूलसे हो गई हो तो दुरुस्त कराई जासकती है या अगर वह ग़लतियां जानबूझकर की गई हैं तो उस कर्ज़दार पर क़ानून दिवालियामें बतलाया हुआ जुर्म लागू होगा और उसको उस जुर्मके साबित होने पर उसके अनुसार दण्ड दिया जासकेगा यदि सब ब्यौरा दरख्वास्तमें न दिखलाया गया हो तो इस बिना पर दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म नहीं रोका जासकेगा देखो—A. I. R. 1922 Bom. 80.

उपदफ़ा (१)

क्लाज़ (ए) जबकि कर्ज़दार अपना कर्ज़ा अदा नहीं कर सकता हो तभी वह दिवालिया बननेकी दरख्वास्त देसकता है। दफ़ा १० में इसके बारेमें काफ़ी लिखा जाचुका है इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि कर्ज़ा न अदा कर सकनेका प्रश्न पूर्णरूपसे साबित किया जावे केवल इतनाही साबित कर दिया जाना कि ज़ाहिरा वह कर्ज़दार अपना कर्ज़ नहीं चुका सकता है इस क्लाज़की आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये पर्याप्त होगा।

क्लाज़ (बी) अधिकार रहनेकी जगह आदिका उल्लेख इस क्लाजमें किया गया है दफा ११ में इसके बारेमें काफी कहा जाचुका है उसको देखनेसे इस क्लाजका अभिप्राय साफ हो जावेगा।

क्लाज़ (सी) इसमें गिरफ्तारी व कैद आदिका उल्लेख है इसके बारेमें भी दफा ११ में काफी लिखा जाचुका है उसको देखनसे इस क्लाजका अभिप्राय भली भांति प्रकट हो जावेगा। दरख्वास्त देते समय गिरफ्तारी या कैदकी दशा कायम होना चाहिये।

क्लाज़ (डी) इस क्लाजमें बतलाये हुए सब दावोंसे अभिप्राय उन सब दावों व कर्जोंसे है जो इस एक्टके दफा ३४ (१) के अनुसार साबित किये जासकते हैं। यदि दरख्वास्तमें किसी कर्जख्वाहका कर्ज दिखला दिया जावे तो वह दिखलाया जाना उस कर्जका इकबाल दफा १९ कानून मियादके अनुसार समझा जावेगा देखो— 16 C. W. N. 346. रोटी कपड़ेके खर्चेका बकाया जो कर्जदारके जिम्मे बाकी हो उसका कर्ज समझा जावेगा और वह कर्जभी कर्जेकी सूचीमें दिखलाया जाना चाहिये, देखो—5 Cal. 536. कर्जोंके साथ सब कर्जख्वाहोंके नाम जहा तक मालूम होसके उनका पूरा पता भी दरख्वास्तमें बतलाना चाहिये जिसमें उनको सुविधा पूर्वक सूचना दी जासके तथा वह दरख्वास्तमें बतलाये हुए कर्जोंकी सचाई व झुठाई की समझ कर अपना एतराज पेश कर सकें व अपना ठीक कर्ज साबित कर सकें।

क्लाज़ (ई) इस क्लाजके अनुसार कर्जदारको अपनी सब जायदाद व लहना बतलाना चाहिये यदि कर्जदारको प्राविडेन्ट फंड (Provident Fund) से रुपया मिलने वाला हो तो उस रुपयेको भी लहनामें दिखलाना चाहिये। देखो—10 Bom. 313.

उपक्लाज (i) में रुपयेके अतिरिक्त जो जायदाद होवे उसकी कीमतका अन्दाजा भी दिया जाना चाहिये।

(ii) के अनुसार उन जगहोंको बतलाना चाहिये जहा पर कि यह सब जायदाद होवे, तथा

(iii) के अनुसार एक बातका ऐलान करदेना आवश्यक है कि वह अपनी सब जायदादको अदालतकी सुपुर्दगीमें देनेको प्रस्तुत है, गो ऐसा ऐलान चाहे किया जावे या न किया जावे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होने पर सब जायदाद अदालत या रिसीवरकी सुपुर्दगीमें आजाती है अर्थात् उनको उस पर कब्जा करलेनेका अधिकार हो जाता है इस क्लाजमें यह भी बतलाया गया है कि वह चीजें जो जाबता दीवानी या अन्य किसी प्रचलित कानूनके आधार पर कुर्क या नीलाम नहीं हो सकती हैं उनके सुपुर्दगीका सवाल पैदा नहीं होता है परन्तु हिसाबकी किताबें जो जाबता दीवानीके अनुसार कुर्क नहीं की जासकती हैं इस एक्टके अनुसार कुर्क की जासकेंगी और कर्जदार को वह किताबें अदालत या रिसीवरकी सुपुर्दगीमें देने को तैयार रहना चाहिये।

अन्य किसी प्रचलित एक्टसे अभिप्राय उन एक्टोंसे है जो प्रचलित हैं तथा जिनके नियमोंके अनुसार कोई खास जायदाद कुर्क या नीलाम मामूली कानूनी तरीकेसे नहीं की जासकती है जैसे कि बुन्देलखण्ड लैन्ड एलियनेशन एक्ट (Bunddel Khand Land Alination Act) तथा प्राविडेन्ट फंड एक्ट (Provident Fund Act) आदि।

क्लाज़ (एफ) चूंकि दफा १० के क्लाज (१) के अनुसार उन दिवालियोंके लिये रुकावट रक्खी गई है जिन्होंने पिछले दिवालेकी कार्रवाई या उनकी पैरवी नेकनीयतीसे नहीं की है इस कारण दरख्वास्त पेश करते समय ही यह बात प्रकट कर देना उन लोगोंके लिये आवश्यक समझा गया है जिसमें आयन्दाकी उलझन जाती रहे व कोई शख्स असली मामलेको छिपाकर धोखा न देसके। इस क्लाजमें दोनों बातोंका तफसील

पूछना नहीं है अर्थात् यदि कोई डिक्री लिखित दरख्वास्त दी गई होती आया वह खारिज हुई है या मंजूर तथा खारिज होने व मंजूर होने दोनोंकी तफ़सील भी दर्याफ्त करना नहीं है।

यदि कोई दरख्वास्त पहिले खारिज या मंजूर न हुई हो तो उसका असर उठ जाता पड़ता है जब कि उसी बाबत पर दूसरा दरख्वास्त दिया जावे परन्तु यदि दूसरा दरख्वास्त किसी दूसरी वाक़यात आधार हो तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है।

उपदफा (२)—कर्जख्वाहकी दरख्वास्तमें तीन बातें खासतौरसे लिखी जाना चाहिये (१) यह कि कर्ज़दार कहां सुकूनत रहता या व्यापार करता है, कहां मुलाज़मत करता है तथा कहां उसकी गिरफ्तारी हुई है (२) यह कि कर्ज़दारने दीवाला निकालनेका काम किया है तथा कब किया है क्योंकि ऐसे कामके ३ मासके अन्दर नालिश होना आवश्यक है (३) यह कि कर्ज़की तादाद क्या है क्योंकि कर्ज़ ५००) रु० से कम न होना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि यदि दरख्वास्तमें दिवालियेका काम न दिखलाया जावे तो वह दरख्वास्त अयोग्य होगी, देखो—50 Bom 624.

दफा १४ दरख्वास्तका वापिस लिया जाना

कोई भी दरख्वास्त चाहे उसे कर्ज़दारने दिया हो या वह कर्ज़ख्वाह द्वारा दी गई हो, बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जायगी।

व्याख्या—

दिवालियेकी दरख्वास्त चाहे वह कर्ज़दार द्वारा या कर्ज़ख्वाह द्वारा दी गई हो बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जासकती है, देखो— A. I. R. 1925 Mad 242. चाहिए यह कि अदालत की आज्ञा लेनेके अदालतसे मामलेके हालात बतलाना चाहिये तथा उसके मानने वापिस लेनेकी शर्त होना चाहिये जिसमें अदालत उस पर विचार करके अपना मत क़ायम कर सके। केवल इसी बिना पर कि कर्ज़दारने अपने कर्ज़ख्वाहोंसे समझौता कर लिया है वापिसीकी इजाज़त नहीं देना चाहिये।

यदि कोई दरख्वास्त देने बाद कर्ज़ख्वाहने अपना मामला दिवालियेसे तय कर लिया हो और वह अदालतमें इसके बाद वापिसीकी दरख्वास्त देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह वापिसीकी आज्ञा न देवे तथा वह कर्ज़दारको दिवालिया क़रार देदेवे देखो—A. I R. 1925 Mad. 242. यद्यपि कर्ज़दार दिवालिया क़रार दिया जाचुका हो जान कर उस वक्त जबकि दरख्वास्त कर्ज़दार द्वारा दी गई हो तो दिवालियेकी दरख्वास्तके वापिसीका हुक्म नहीं दिया जाना चाहिये। देखो A. I. R 1925 Rang. 351.

दफा १५ कई दरख्वास्तें देनेमें अदालतका अधिकार

जब कि दो या दोसे अधिक दिवालियेकी दरख्वास्तें किसी एकही कर्ज़दारके खिलाफ़ दी गई हों या जबकि संयुक्त कर्ज़दारोंके खिलाफ़ भिन्न भिन्न दरख्वास्तें दी गई हों तो अदालतको अधिकार है कि वह जिन शर्तोंके साथ चाहे उन सब या किसी कार्रवाईको एक साथ कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें यह प्रकट है कि इसका निर्माण केवल इसही कारण किया गया है कि जिससे अदालतका बहुतसा समय एकही मामलेके लिये नष्ट न हो जावे तथा एकही मामलेके सम्बन्धमें फ़ैसला विरुद्ध सम्बन्धी न होवें। यह दफा केवल ऐसी दरख्वास्तोंके साथ लगती है जो कर्ज़ख्वाह (Creditors) द्वारा दी जावें इसमें उन दरख्वास्तोंका उल्लेख नहीं है जो

कर्जदार द्वारा दी गई हों। इस प्रकार जब एकही कर्जदारके विरुद्ध कई कर्जख्वाहोंने दिवालिया करार देनेकी दरख्वास्तें दी हों तो वह सब दरख्वास्तें एकही साथ सुनी जासकती हैं या जबकि संयुक्त कर्जदारोंके खिलाफ भिन्न २ दरख्वास्तें दी गई हों तो ऐसी दरख्वास्तोंकी सुनवाई भी एकही साथ होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर बतलाई हुई सभी दरख्वास्तें एक साथ अवश्य सुनी जाना चाहिये अदालतको अधिकार है कि जिन शर्तोंके साथ व जिन २ दरख्वास्तोंको वह साथ सुना चाहे सुन सकती है अर्थात् जिन दरख्वास्तोंको सुविधापूर्वक एक साथ सुना जासकता है उनकोही साथ सुनना चाहिये। रंगून हाईकोर्टने A. I. R 1925 Rang. 36 में यह तय किया था कि एक बर्मानिवासी व उसकी स्त्री दोनोंके खिलाफ दिवालिया करार दिये जानेकी संयुक्त दरख्वास्त दी जासकती है जबकि वह दोनों कर्जख्वाहोंके ऋणी होवें तथा उन दोनोंने दिवालियेका काम किया हो।

इसी प्रकार मद्रास हाईकोर्टने 44 Mad 810 में यह तय किया था कि संयुक्त हिंदू परिवारके मेम्बरोंके खिलाफ संयुक्त दरख्वास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये उस समय दी जासकती है जबकि उन्होंने संयुक्त दिवालेका काम किया हो। परन्तु लाहौर हाईकोर्टने A. I. R 1926 Lah. 235 में यह तय किया था कि कई एक मदयून मिलकर एक साथ दिवालिया करार देनेकी दरख्वास्त नहीं देसकते हैं।

दफा १६ कार्रवाईका तर्ज़ बदलनेका अधिकार

जबकि दरख्वास्त देने वाला कर्जख्वाह अपनी दरख्वास्तकी पैरवी उचित प्रयत्नके साथ न करता हो तो अदालतका अधिकार है कि वह उसके स्थानपर किसी ऐसे दूसरे कर्जख्वाहको दरख्वास्त देने वाला मानले जिसका कर्जा कर्जदार पर उस तादादके अनुसार हो जो दफामें दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहके लिये बतलाई गयी है।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालतको अधिकार दिया गया है कि वह एक कर्जख्वाहकी जगह किसी दूसरे कर्जख्वाहको दरख्वास्त देने वाला मानले बशर्ते कि उस कर्जख्वाहका ऋणी वह कर्जदार होवे तथा उसके भी ऋणकी तादाद ५००) से कम न होवे। यह अधिकार इस कारण दिया गया है जिससे दिवालेकी दरख्वास्तकी पैरवी भली भांति हो सके तथा दूसरे कर्जख्वाहोंको किसी प्रकारकी हानि न होवे क्योंकि एक कर्जख्वाह द्वारा दरख्वास्त दिये जानेका अभिप्राय यह होता है कि वह केवल अपनेही लाभार्थ दरख्वास्त नहीं देता है किन्तु उसकी दरख्वास्तमें सब कर्जख्वाहोंको लाभ उठानेका अवसर प्राप्त होता है। इसलिये यदि बाद दरख्वास्त दिये जानेके दरख्वास्त देने वाला कर्जख्वाह दिवालियेसे मिल जावे और पैरवी दरख्वास्त न करे अर्थात् नोटिस आदिका खर्च न दाखिल करे तो दूसरे कर्जख्वाहोंको मौका दिया जासके जिससे यदि वह चाहें तो कर्जदारके दिवाले के कामसे लाभ उठा सकें तथा उसे दिवालिया करार दिलाकर अपना व दूसरे कर्जख्वाहोंका नुकसान न होन देवें।

दूसरे कर्जख्वाहको दरख्वास्त देने वाला मान लेनेसे वह दरख्वास्त उसी कर्जख्वाहकी दरख्वास्त समझना चाहिये तथा उसी तारीखसे समझना चाहिये जिस तारीखको पहिली दरख्वास्त दी गई हो और इसीलिये यह पर्याप्त है कि इस दूसरे कर्जख्वाहका कर्ज उस पहिली तारीख पर साबित किया जासकता था। जबकि किसी कर्जख्वाहने दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त दी हो तथा नोटिस दूसरे कर्जख्वाहोंके नाम जारी किये गये हों परन्तु इसके बाद अरजी दरख्वास्त देने वाला पैरवी छोड़ दे तथा अदालतने दूसरे कर्जख्वाहको पैरवीकी आज्ञा दे दी हो और यह साबित होकि इस दूसरे कर्जख्वाह का कर्ज इस शामिल होने वाली तारीख पर मियादके अन्दर न आता हो तो यह तय किया गया कि उस कर्जख्वाहके शामिल किये जानेका हुक्म ठीक है और उस कर्जख्वाहका दावा ऐसी दशामें साबित किया जासकता है, देखो—A. I. R 1928 Mad 608

दफा १७ कर्ज़दारके मर जानेपर कार्रवाईका चालू रहना

अगर कोई कर्ज़दार जिसने दिवालेकी दरख्वास्त दी है या जिसके खिलाफ़ दिवालेकी दरख्वास्त दी गई है मर जाय तो उस सूरतमें जबकि अदालत कोई खिलाफ हुक्म न देवे कार्रवाई उस हद तक चालू रक्खी जायेगी जिस हद तक कि उसकी जायदादको वसूल करने व बांटनेके लिये आवश्यक हो।

व्याख्या—

यह दफा उन दोनों प्रकारकी दरख्वास्तोंके लिये लागू है जो चाहे कर्ज़दार द्वारा या चाहे कर्जख्वाह द्वारा दी गई हों। इस दफाके अनुसार कर्ज़दार (दिवालिया) के मर जानेपर भी दिवालेकी कार्रवाई चालू बनी रहेगी अर्थात् रिसीवर या अदालतको अधिकार होगा कि वह दिवालियेकी मृत्युके पश्चात् भी उसकी जायदाद या उसके कर्ज़ेको वसूल कर सके तथा उसके कर्जख्वाहोंमें उस समय किये हुए धनको नियमानुसार विभक्त कर सके।

दिवालेकी कार्रवाई समाप्त होनेसे पहिले यदि कर्ज़दार मर जावे तो उसके लड़के रिसीवरसे अपना हक़ वापिस नहीं मांग सकते हैं यदि रिसीवर उनके हकको बापके जीवनकालमें ले सकता हो। देखो—A. I. R. 1926 Mad 994.

अभिप्राय यह है कि दिवालियेके मरनेपर रिसीवरके हाथमें सुपुर्दकी हुई जायदाद नहीं निकल सकती है। देखो—गोकुलसिंह बनाम शिवराम A. I R. 1925 Lah 366.

अदालतको अधिकार है कि कर्जदारके मर जानेके बादभी उसे दिवालिया करार देदेवे। देखो—A. I. R. 1928 Mad 476 (2); A. I. R. 1928 Mad. 480.

यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके खिलाफ अपील की गई हो और अपील सुने जानेसे पहिले दिवालिया मर जावे तो वह अपील उसके मरनेसे समाप्त हो जावेगी। देखो—नरायनसिंह बनाम गुरबख्शसिंह A. I. R. 1928 Lah 119 (1).

दफा १८ दरख्वास्तोंके लेनेका तरीक़ा

जिस प्रकार सन् १९०८ ई० के ज़ाबता दीवानीके अनुसार अर्ज़ी दावे लिये जाते हैं उसी प्रकार दिवालेकी दरख्वास्तें जहां तक उनका सम्बन्ध होगा ली जायेंगी।

व्याख्या—

इस दफामें ज़ाबता दीवानीकी किसी खास दफाका उल्लेख नहीं है केवल यह बतलाया गया है कि जिन नियमोंका प्रयोग अर्ज़ीदावेके लिये जानेमें किया जाता है उन्हीं नियमोंका प्रयोग दिवालेकी दरख्वास्तोंके लिये जानेमें भी किया जावेगा अर्थात् जिस प्रकार दीवानीकी नालिशोंके दाखिले आदिका रजिस्टर रक्खा जाता है उसी प्रकार दिवालेकी दरख्वास्तोंके दाखिल होनेका भी रजिस्टर रक्खा जावेगा तथा उनमें तारीख दाखिला नम्बर मुक़द्दमा आदिका इन्द्राज भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार दीवानीकी नालिशोंका होता है दरख्वास्त दिवाला चाहे कर्ज़दार द्वारा दीजावे चाहे कर्जख्वाह द्वारा, दोनोंमें ऊपर बतलाया हुआ नियम बर्तना चाहिये।

दफा १९ दरख्वास्तें लीजानेके बादकी कार्रवाई

(१) जबकि अदालतने कोई दिवालेकी दरख्वास्तको लेलिया हो तो वह उसके सुननेके लिये कोई तारीख नियत करनेका हुक्म देगी।

(२) दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मका नोटिस फर्ज़ख्वाहानको नियत किये हुए ढंग पर दिया जावेगा।

(३) जबकि कर्ज़दारने स्वयं दिवालेकी दरख्वास्त नहीं दी हो तो दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मकी सूचना कर्ज़दारको उस ढंग परदी जावेगी जिस प्रकार सम्मन दिये जाते हैं।

व्याख्या–

क्लाज (१)—*इस क्लाजके अनुसार उस समय जबकि दरख्वास्त पेश की गई हो अदालतका कर्तव्य होगा कि* वह अपनी आज्ञा द्वारा उस दरख्वास्तके सुननेके लिये कोई तारीख नियुक्त करे। दरख्वास्तका लिया जाना उस समय समझना चाहिये जबकि इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार दरख्वास्त लिखी गई हो तथा उसी ठीक ढगसे अदालतमें दाखिल कीगई हो।

क्लाज (२)—यह क्लाज कर्जदार व कर्जख्वाह दोनों द्वारा दी हुई दरख्वास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये देखो—A. I R. 1926 Lah. 360.

नियतकी हुई तारीखकी सूचना कर्जख्वाहानको दी जाना चाहिये उस समय जबकि किसी कर्जख्वाहहीने दरख्वास्त दी हो तो बाकी कर्जख्वाहानको सूचनादी जानी चाहिये। नियत किये हुए ढगसे अभिप्राय यह है कि इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसारही इस प्रकारकी सूचना दी जाना चाहिये यह नहीं कि कोई निजीतौर पर कर्जख्वाहको सूचना देदवे। सूचना कर्जख्वाहके ऐसे एजन्टको भी दी जासकती है जिसके हकमें मुख्तारनामा आम हो, देखो—कल्यानमा बनाम बैंक आफ मद्रास 39 Mad. 693

इस उपदफाके अनुसार दिये हुए नोटिसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जाती तामील होवे। यह सूचना रजिस्ट्री द्वारा खतके जरिये भी दी जासकती है यदि डाकखानके जरिये या खास कर रजिस्ट्रीसे ठीक पते पर सूचना भेजी जावे तो यह मान लिया जावे कि सूचना ठीक प्रकारसे दी गई है। जबकि रजिस्ट्री द्वारा पत्र लौट आवे और उस पर लिखा हो कि लेनेसे इन्कार है तो यह मान लिया जावेगा कि जिसके नाम वह रजिस्ट्री गईथी उसको सूचना मिल गई है, देखो—गिरीशचन्द्र बनाम किशोरीमोहन 23 C. W N 319.

इस उपदफाके अनुसार दिये हुए नोटिस दरख्वास्तके सुने जानेसे पहिलेही कर्जख्वाहानके पास पहुँचना चाहिये जिसमें यदि वह चाहे तो अपने एतराज आदि पेश कर सकें।

क्लाज (३) यह क्लाज केवल उन्हीं दरख्वास्तोंके सम्बन्धमें है जो कर्जख्वाहान द्वारा दी जावें इस क्लाजके *अनुसार नोटिस उस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिये जिस प्रकार क्लाज (२) में कर्जख्वाहोंके लिये* दिया जाना बतलाया गया है किन्तु इस नोटिसकी तामील कर्जदार पर ठीक उसी प्रकार होनी चाहिये जिस प्रकार सम्मनकी तामील होती है अर्थात् जाबता दीवानीके आर्डर ५ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ऐसे नोटिस की तामीलकी जाना चाहिये।

दफा २५ (१) के अनुसार अदालतको अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी रायमें कर्जदार पर नोटिसकी काफी तामील नहीं हुई हो तो वह ऐसी दरख्वास्तको खारिज कर देवेगा इस प्रकारकी बात कर्जख्वाहोंके नोटिसके सम्बन्धमें नहीं कही गई है कारण इसका यह प्रतीत होता है कि कर्जदारका नोटिसका पहुँचना बहुत आवश्यक है तथा उसके पास बिला नोटिस पहुँचे हुए जो कार्रवाई की जावेगी वह सब बेकायदा समझी जावेगी वैं कर्जदारको एकतर्फा की गई कार्रवाई को मसूख करानेका भी हक होगा इत्यादि।

दफा २० दरमियानी रिसीवरकी नियुक्ति

अदालतको अधिकार है कि वह दिवालकी दरख्वास्त लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद उस समय जबकि कर्ज़दारने स्वयं दिवालेकी दरख्वास्त दी है जरूर कर्ज़दारकी कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्सेके लिये दरमियानी रिसीवर (Intersim Receiver) नियुक्त करदे जो कि उस जायदाद या उसके किसी खास हिस्सेका क़ब्ज़ा फौरन लेलेवे और ऐसी सूरतमें उस दरमियानी रिसीवरको अदालत द्वारा दिये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १६०८ ई० के ज़ाबता दीवानीके अनुसार रिसीवरको प्राप्त होसकते हैं। अगर इस प्रकार कोई दरमियानी रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है तो भी अदालतको अधिकार है कि दिवालिया करार देनेसे पहिले किसी दूसरे समयमें दरमियानी रिसीवर नियुक्त कर देवे और उसकी नियुक्तिमें भी इस दफाके नियमोंका उपयोग किया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा दिवालियेकी जायदाद पर फौरन कब्ज़ा कर लेनेका अधिकार अदालतको प्राप्त है अर्थात् जिस समय दरख्वास्तका लिया जाना मंजूर किया जाय उसी समय रिसीवर जायदाद पर कब्ज़ा लेनेके लिये नियुक्त किया जासकता है इससे दो बातोंकी सुविधा होजाती है एकतो यह कि जायदाद बरबाद होनेसे बच जाती है दूसरे वह कर्ज़दार जायदादको दरख्वास्त देनेके बाद अलहदा नहीं कर सकेगा और सब कर्ज़ख्वाहोंको जायदादसे पूरा फायदा उठानेका मौका मिल सकेगा।

यदि कर्ज़दार द्वारा दरख्वास्त दी गई हो तो दरमियानी रिसीवर अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिये अर्थात् इस दशामें अदालतका कर्तव्य होगा कि वह रिसीवर नियुक्त करदे परन्तु जब कर्ज़ख्वाह द्वारा दरख्वास्त दी गई हो तो अदालतको अधिकार है कि वह चाहे रिसीवर, दरख्वास्त लिये जाते समय नियुक्त करे या उस समय न करे जैसी आवश्यकता अदालतको उस समय मालूम पड़े—इसका कारण यह भी हो सकता है कि कर्ज़दारका दरख्वास्त देनाही दिवालेका काम बतलाया गया है इस कारण उसके दरख्वास्त देतेही अदालत यदि रिसीवर नियुक्त करदे तो कोई अयुक्ति न होगी परन्तु कर्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त कभी २ केवल दबाव डालने व परेशान करनेकी गरज़सेभी दी जासकती है इसलिये उस पर दरख्वास्त लिये जाते समयही रिसीवर नियुक्त कर देना एक प्रकारसे कर्ज़दारके ऊपर ज्यादती होगी और इसीलिये बाद समात होने व आवश्यकता समझने ही पर रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिये।

दरमियानी रिसीवर (Interim receiver) के अधिकार—दरमियानी रिसीवरको वही अधिकार दिये जा सकते हैं जो ज़ाबता दीवानीके अनुसार नियुक्त किये जानेवाले रिसीवरको प्राप्त हो सकते हैं।

अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह दरमियानी रिसीवरको उसी समय दिवालियाकी जायदाद पर कब्ज़ा ले लेनेका हुक्म दे देवे या किन्हीं शर्तोंके साथ व जा लेनेका हुक्म देवे अदालत दरमियानी रिसीवर मुक़र्रर करनेका हुक्म देते समय उस हुक्ममें उन अधिकारोंका उल्लेख कर सकती है जो वह उस समय उस रिसीवरको दिया चाहती हो, देखो—42 Cal 289 दरमियानी रिसीवर तथा स्थाई रिसीवरमें अन्तर है क्योंकि दरमियानी रिसीवरको जायदाद पर कब्ज़ा ले लेनेहीका अधिकार होता है तथा वह अधिकार उसे प्राप्त नहीं होते हैं जो अदालत उसके लिये अपने हुक्म द्वारा अदा न करे परन्तु स्थाई (Regular) रिसीवर दिवालिया क़रार दिये जानेके बाद होता है और दिवालियाकी सब जायदाद उसकी सुपुर्दगीमें आजाती है तथा वह सब जायदाद उसकी समझी जाना चाहिये। इस एक्टके अनुसार जो रिसीवर नियुक्त किया जावे उसे (Public Officer) ज़ाबता दीवानीकी दफा २ के अनुसार समझना चाहिये तथा उसके विरुद्ध कोई दावा करनेसे पहिले दफा ८० ज़ाबता दीवानीके अनुसार नोटिस दिया जाना आवश्यक है, देखो—50 I. C. 411.

दफा २१ कर्ज़दारके खिलाफ दरमियानी कार्रवाई

दिवालेकी दरख्वास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद दिवालिया क़रार देनेका हुक्म देनेसे पहिले अदालतको अधिकार है कि वह स्वयंही या किसी कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर नीचे दिये हुए हुक्मोंमेंसे एक या एकसे अधिक हुक्म देसकती है:—

(१) कर्ज़दारको उसकी उस वक्तकी हाज़िरीके लिये उचित ज़मानत देनेका हुक्म दे सकती है जबतक कि दिवालेकी दरख्वास्त पर आखिरी हुक्म न हो जावे।

(२) कर्ज़दारके कब्ज़े या उसकी हुकूमतमें जो जायदाद हो उस सबको या उसके किसी हिस्सेको बज़रिये हुक्म कुर्कीके कब्ज़ा लेनेका हुक्म दे सकती है लेकिन इससे वह सब चीज़ें अलावा हिसाब किताबकी किताबोंके बरी हैं जो सन् १६०८ ई० के ज़ाबता दीवानी या किसी अन्य प्रचलित एक्ट द्वारा कुर्क व नीलामसे बरी हैं।

(३) कर्ज़दारकी गिरफ्तारीके लिये ज़मानती या विला ज़मानती वारण्ट निकाल सकती है और यह हुक्म देसकती है कि वह दीवानी जेलमें उस वक्त तक क़ैद रक्खा जावे जबतक कि दिवालेकी दरख्वास्तकी समाअत (सुनवाई) न हो लेवे या वह ज़मानत आदि उन मुनासिब शर्तों पर छोड़ दिया जावे जो उचित व आवश्यक प्रतीत हों।

परन्तु क्लाज़ (२) व (३) के अनुसार अदालत उस समय तक हुक्म न देगी जब तक कि उसको यक़ीन न होजावे कि कर्ज़दार अपने कर्ज़ख्वाहोंको वसूलीमें देर करने या उनके कर्ज़ेको मारनेकी इच्छासे या अदालतके सम्मन न तामील होने देनेकी इच्छासेः—

- (i) अदालतकी अधिकार सीमामें छिप गया है या भाग गया है या छिपने या भागने वाला है या बाहर बना हुआ है, या
- (ii) उसने देसे कागज़ोंको जो समात मुक़द्दमेमें कर्ज़ख्वाहोंके लिये फ़ायदेमंद साबित होंगे छिपा दिया है, या बरबाद कर दिया है या दूसरेको दे दिया है या अधिकार सीमासे हटा दिया है या छिपाने वाला है, या बरबाद करने वाला है या दूसरेको देने वाला है या सीमासे हटाने वाला है, या ऊपर बताई हुई चीज़ोंको छोड़ कर अपनी कोई जायदाद इस प्रकार हटाई हो।

व्याख्या—

इस दफामें अदालतको वह अधिकार दिये गये हैं जिनका प्रयोग वह दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिले कर सकती है इन अधिकारोंका प्रयोग चाहे दरख्वास्त कर्ज़दार द्वारा दीगई हो चाहे कर्ज़ख्वाह द्वारा दोनों दशाओंमें किया जासकता है। अदालत स्वयंही या किसी कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर इस दफामें बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है। इस दफामें बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग करनेमें दरख्वास्तके सुन जानेमें सुविधा रहेगी तथा कर्ज़दार कार्रवाईमें रुकावट या बाधा नहीं डाल सकेगा और कर्ज़दारकी हाज़िरीमें बिना रुकावट होसकेगी क्योंकि या तो उसे हाज़िरीके लिये ज़मानत देनी पड़ेगी या फिर वह दीवानी जेलमें बन्द रक्खा जावेगा जैसी आवश्यकता समयानुसार समझी जावेगी।

इस दफामें बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग या तो दरख्वास्त [illegible] ओर [illegible] लिये ज़मानत मांगी जावेगी या उसके बाद दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले प्रयोग किया जावेगा।

दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म देदिये जानेके बाद इस दफ़ामें बतलाये हुए नियमोंका प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बाद यदि आवश्यकता समझी जावे तो दफा २२ के नियमोंका प्रयोग किया जासकता है।

क्लाज़ (१) उचित ज़मानतका निर्णय अदालतको करना चाहिये अर्थात् अदालत वाक़ियातको समझकर तथा विचार कर जो ज़मानत लेना निश्चित करे वही उचित ज़मानत समझना चाहिये परन्तु ज़मानत बहुत अधिक भी न होना चाहिये कि जिसका प्रबन्ध दिवालिया करही न सके व उसे जेलहीमें रहनेके लिये बाध्य होना पड़े। ज़मानत लेनेका अभिप्राय यह है कि उसे हाज़िर होनेके लिये बाध्य होना पड़े यह अभिप्राय हर्गिज़ नहीं है कि उस ज़मानतके हुक्मसे दिवालियेको परेशान किया जावे।

क्लाज़ (२) इस क्लाज़में दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवालियेकी जायदाद कुर्क किये जानेका उल्लेख है। इस दफ़ाके अनुसार कुर्कीका जो हुक्म दिया जावे वह ज़ाबता दीवानीमें दिये हुए नियमोंके अनुसार दिया जाना चाहिये देखो—हरमतर्नकी बनाम भगवानदास 36 All 65

जिस जायदादकी कुर्कीका हुक्म दिया जावे वह जायदाद कर्ज़दारके क़ब्ज़े या उसकी हुकूमतमें होना चाहिये।

जिन चीज़ोंकी कुर्की ज़ाबता दीवानी या अन्य किसी प्रचलित एक्टके अनुसार नहीं की जासकती है उन चीज़ोंकी कुर्की इस एक्टके अनुसार भी नहीं कीजावेगी केवल हिसाब किताबकी किताबें इस एक्टके अनुसार कुर्क की जासकती हैं गो यह किताबें ज़ाबता दीवानीके अनुसार कुर्क नहीं की जाना चाहिये जैसा कि ज़ाबता दीवानीकी दफा ६० में दिया हुआ है।

प्रावीडेण्ट फण्ड कर्ज़ख्वाहके कहने पर कुर्क नहीं किया जासकता है इसी प्रकार न तो रिसीवर न कोर्ट कर्ज़ख्वाहकी दिवालियाके रेलवे प्राबीडण्ट फण्डको कुर्क करा सकता है देखो—56 Ind Cas 450, 24 C W N. 288.

क्लाज़ (३) इस क्लाज़के अनुसार अदालतको अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयंही या किसी कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिलेही कर्ज़दारको गिरफ्तार कराले व उसको क़ैद करके साथही साथ अदालतको यहभी अधिकार प्राप्त है कि वह बाद गिरफ्तारी ज़मानत लेकर कर्ज़दारको छोड़भी देवे अर्थात् इस क्लाज़का अभिप्राय यह है *कि यदि कर्ज़दारकी उपस्थिति दिवालियेकी दरख्वास्त सुनी जाते समय आवश्यक समझ पड़े या यदि उसकी* जायदाद पर अधिकार करने आदिके लिये उसकी मददकी आवश्यकता प्रतीत हो और साथही साथ यह भी जान पड़े कि वह कर्ज़दार इस प्रकार उपस्थित न होगा या वह इस प्रकारकी सहायता प्रदान करनेसे हटगा तो अदालत अपने इस क्लाज़में दिये हुए अधिकारका प्रयोग कर सकती है तथा यह विश्वास हो जाने पर कि वह उचित समय या अवसर पर हाज़िर होनेसे नहीं हटगा उसे छोड़भी सकती है हाज़िरीके लिये उचित ज़मानत लेने पर अदालतको ऐसा विश्वास हो सकता है। परन्तु अदालतको ऐसी गिरफ्तारीका हुक्म बहुत सोच समझ कर देना चाहिये जैसा कि ऐक्टके नियमोंसे प्रकट होता है क्योंकि कर्ज़दार को ऐसे हुक्मसे बड़ा कष्ट पहुँचनेकी आशंका है।

दफा २२ कर्ज़दारके कर्तव्य

जब कि दिवालेकी दरख्वास्त लिये जानेका हुक्म हो जावे तब कर्ज़दारको हिसाबकी सब किताबें पेश करना पड़ेगी और उसके बाद किसीभी समय अपनी जायदादकी फेहरिस्त देना पड़ेगी व अपने कर्ज़ख्वाहों व उनके कर्ज़ेकी तादाद तथा अपने कर्ज़दारों व उनसे लिये जाने वाले कर्ज़ोंकी तफ़सील भी देना पड़ेगी और अपनी जायदाद या कर्ज़ख्वाहोंके बारेमें जांच करना पड़ेगी और अदालत या रिसीवरके सामने हाज़िर होना पड़ेगा दस्तावेज़ें लिखना पड़ेंगी और अधिकतर वह सब काम व बातें अपनी जायदादके सम्बन्धमें करना पड़ेगी जो अदालत या रिसीवर नियमके अनुसार उससे कराना चाहेगा।

व्याख्या—

इस दफामें कर्जदारके कुछ कर्तव्योंका वर्णन है और इन कर्तव्योंका अधिकतर सम्बन्ध अदालतके साथ है अर्थात् यदि इस दफामें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार दिवालिया काम न करे तो उसका यह काम अदालतके विरुद्ध समझना चाहिये न कि किसी कर्जख्वाहके देखो —54 I C 740.

इस दफामें बतलाये हुए कर्तव्योंका न करना एक प्रकारसे अदालतके निर्धारित नियमोंके विरुद्ध काम करना समझना चाहिये किन्तु उसे कोई फौजदारीका जुर्म न मानना चाहिये, देखो—39 All 171

हिसाबकी किताबें दरख्वास्त दिवालियाके लिये जाते समय दाखिल करदी जाना चाहिये तथा उसके पश्चात् कर्ज-ख्वाहोंकी फेहरिस्त कर्जोंकी तादाद व उनका ब्योरा आदि भी दाखिल करना आवश्यक है परन्तु यह बातें दरख्वास्त लिये जानेके बाद भी किसी समय दाखिल की जासकती हैं चूंकि बिना हिसाब किताबके देखे कर्जों आदिके बारेमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है इस कारण उनका दाखिल होना प्रारम्भहीमें अति आवश्यक समझा गया है परन्तु हिसाबकी किताबें दाखिल हो जानेहीसे काम नहीं चलेगा कर्जदारको उसके पश्चात् अपनी जायदादकी तफसील कर्जोंकी फेहरिस्त तथा उनका ब्योरा आदि भी दाखिल करना पड़ेगा अर्थात् अपने कर्जख्वाहों तथा कर्जदारोंके नाम व उनसे वसूल किया जाने वाला या उनको दिया जाने वाला कर्ज तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली जानने योग्य सब बातोंका ब्योरा दाखिल करना आवश्यक है।

किताबों व कर्जों आदिका ब्योरा दाखिल होजानेके बाद भी अदालत या रिसीवर जब चाहे कर्जदारको हिसाब समझनेके लिये तथा कर्जों आदि की असली हालत जाननेके लिये बुला सकता है और उस समय कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह अदालतको व रिसीवरको उन सब बातोंके समझनेमें सहायता प्रदान करे तथा उन सब बातोंका उत्तर दे जो उससे पूछी जावें या उन सब कामोंको करे जो अदालत या रिसीवर उस सम्बन्धमें उससे कराया चाहे।

अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह किसी व्यक्तिको २०० मीलसे अधिक फासलेसे भी उसकी जायदाद आदिके सम्बन्धमें जांच करनेके लिये बुला सकती है देखो—13 Bom 114, 33 Bom 462

इस दफाके अनुसार कर्तव्य करानेके लिये अदालत दिवालिया या रिसीवर कर्जदारको बाध्य कर सकता है। यदि रिसीवरकी नियुक्ति दरख्वास्त लिये जाते समय होजावे तो कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह रिसीवरसे मिले व रिसीवरको तब चाहिये कि उससे जानने योग्य सब बातोंकी फेहरिस्त दाखिल करले तथा कर्जदारसे जबानीभी वह सब बातें समझले जिनका समझना आवश्यक प्रतीत हो। अदालत या रिसीवर जब चाहे इस दफामें बतलाये हुए कर्तव्योंके पालनके लिये कर्जदारको बुला सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार लिखित आज्ञा द्वाराही बुलाया जावेगा। देखो—चुन्नमल बनाम आफिशल एसाइनी 47 Cal. 56

इस दफामें बतलाये हुए नियमोंका पालन न करने पर कर्जदार दण्डका भागी होगा यदि जानबूझ कर कर्जदार नियमोंका पालन न करेगा तो उसे दफा ६९ के अनुसार दण्ड दिया जासकेगा जिसके अनुसार एक वर्ष कारावास तकका दण्ड दिया जासकता है।

दफा २३ कर्ज़दारकी रिहाई (छुटकारा)

(१) जबकि कर्जदार किसी इजराय डिक्रीमें रुपयेकी वसूलीके लिये जेल या हिरासतमें होवे तो अदालतको अधिकार है कि दिवालेकी दरख्वास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद दिवालिया क़रार देनेसे पहिले कर्ज़दारको ज़मानत आदिकी शर्तों पर-जो उसे उचित व आवश्यक प्रतीतहों छोड़ देवे।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्तिको जिसे उसने इस दफाके अनुसार छोड़नेकी आज्ञा दी है उसे फिर गिरफ्तार करवा लेवे या फिर उसे हिरासतमें भेजदे जहांसे वह मुक्त किया गया था।

(३) इस दफाके अनुसार हुक्म देते समय अदालत अपने हुक्म देनेका कारण लिख कर बतलावेगी।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है कि वह दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिलेही कर्जदारके जेल या हिरासतसे मुक्त कर सके यदि वह कर्जदार किसी रुपयेके वसूलीकी डिक्रीके आधार पर गिरफ्तार किया गया हो। इस अधिकारका प्रयोग करना न करना अदालतके हाथमें है परन्तु जिस समय अदालत कर्जदारको जेल या हिरासतसे जमानत लेकरभी छोड़नेसे इन्कार करे तो उसे वह कारण लिखकर दिखलाना पड़ेंगे कि जिनकी वजहसे वह कर्जदार का छोड़ा जाना उचित नहीं समझी है। देखो—A. I. R. 1924 Pat. 559.

कर्जदारको छुटकारा केवल रुपये वसूलीकी डिक्रीसेही मिल सकता है वह डिक्री चाहे जिस अदालत द्वारा दी गई हो परन्तु छोड़े जानेका हुक्म देनेसे पहिले अदालत उचित जमानत कर्जदारसे लेसकती है। अदालत दिवालियाका इस दफाके अनुसार हुक्म उसी दशामें देवेगा जब कि कर्जदार गिरफ्तारीकी हालतमें होवे अर्थात् या तो वह दीवानीकी जेलमें होवे या हिरासतमें लिया जाचुका हो। इस दफाके अनुसार हुक्म उन्हीं कर्जोंके सम्बन्धमें दिया जावेगा जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासक्ते हैं। देखो —हीरालाल बनाम तुलसीराम 80 I. C. 946

इस दफाके क्लाज (२) में अदालतको यहभी अधिकार दिया गया है कि वह कर्जदारके जेल या हिरासतसे मुक्त करानेका हुक्म देनेके पश्चात् उसे जब चाहे फिरसे गिरफ्तार करवाले परन्तु अदालत ऐसा हुक्म किसी विशेष कारणके उपस्थित होनेही पर देवेगी इस क्लाजकी भाषासे यहभी प्रकट है कि अदालत दिवालिया करार देनेके पश्चात् भी कर्जदारके गिरफ्तारीका हुक्म दे सकती है परन्तु वह दिवालियाके बहाल हो जानेके बाद इस प्रकारकी गिरफ्तारीका हुक्म नहीं देवेगी क्योंकि यह बात न तो इस दफाकी भाषासे प्रकट होती है न एक्टमें और किसी जगहही इस प्रकारका उल्लेख मिलता है। बहाल होजानेके बाद यदि दिवालियेकी कोई अनुचित कार्रवाई साबित होतो दफा ७१ के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाईकी जासकती है।

क्लाज (३) के अनुसार अदालत बाध्य है कि वह क्लाज (१) या (२) के अनुसार हुक्म देते समय उन कारणोंके सहित वह अपने हुक्मको लिखे।

दफा २४ दरख्वास्तके सुनेजानेका तरीका

(१) दरख्वास्तको सुननेके लिये नियतकी हुई तारीख पर या उसके बाद बढ़ाई हुई तारीख पर अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुबूत लेवेगी:—

(क) यह कि कर्जख्वाह या कर्जदारको जिसने दरख्वास्त दी हो दरख्वास्त देनेका हक है या नहीं परन्तु जबकि कर्जदार दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति है तो वह इस बातको साबित करनेके लिये कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेके योग्य नहीं है केवल उतनीही शहादत देगा कि जिससे अदालतको यक़ीन होजावे आहिरा तौर पर कर्जदारका कहना ठीक है और अदालतको जब यह यक़ीन हो जावे तो यह इस बातके लिये और शहादत लेनेके लिये बाध्य नहीं है।

(बी) जबकि कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर कर्ज़दार हाज़िर नहीं हो, तो यह साबित होना चाहिये कि उसके पास दरख्वास्तके लेलिये आनेके हुक्मका नोटिस पहुँच चुका है।

(सी) यह कि कर्ज़दारने दिवालेका काम किया है जिसका करना उसके लिये बताया जाता है।

(२) अगर कर्जेदार हाज़िर होवे तो अदालत उसका भी बयान उसके बर्ताव, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें उन कर्ज़ख्वाहोंके सामने लेगी जो उस पेशी पर मौजूद हों और कर्ज़-ख्वाहोंको भी अधिकार होगा कि वह कर्ज़दारसे उन बातोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर सकें।

(३) अगर पर्याप्त कारण दिखलाया जावे तो अदालतको अधिकार होगा कि वह कर्ज़दार या किसी कर्जख्वाहको उस शहादतको देनेके लिये अवसर देवे जो उसकी रायमें दरख्वास्तका ठीक २ फैसला निर्णय करनेके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(४) कर्ज़दारके बयानों तथा दूसरी ज़बानी शहादतके सारका लेखा अदालत रक्खेगी और वह लेखा मुक़द्दमेकी कार्रवाईका भाग समझा जायगा।

व्याख्या—

इस दफामें उन नियमोंका वर्णन है जिनका प्रयोग दिवालियाकी दरख्वास्त सुने जाने समय किया जाना चाहिये चाहे वह दरख्वास्त कर्जदारने दी हो या वह दरख्वास्त उसके किसी कर्जख्वाह द्वारा दी गई हो इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकारका सुबूत दरख्वास्तको साबित करनेके लिये आवश्यक है। सबसे पहिले अदालत यह देखेगी कि आया दरख्वास्त देने वाले कर्जदार या कर्जख्वाहको दरख्वास्त दिवालिया पेश करनेका हक़ है या नहीं यदि दरख्वास्त देने वाला कर्जदार है तो उसका हक दरख्वास्त दिवालिया देनेका उस समय माना जावेगा जबकि वह अपने कर्ज़ोंको अदा न कर सकता हो तथा उसके साथ साथ या तो उसके कर्ज़ोंकी तादाद ५००) से अधिक हो या वह किसी रुपयेके वसूलीकी डिग्रीके सम्बन्धमें गिरफ्तार किया गया हो या उसकी जायदाद कुर्क की गई हो। कर्जदारको यह बात साबित करनेके लिये कि वह अपने कर्ज़ोंको अदा नहीं कर सकता है केवल इतनाही सुबूत देना पड़ेगा जिससे अदालतको यह विश्वास हो जावे कि वह प्रकट रूपमें कर्जे अदा नहीं कर सकता है अदालत इससे अधिक सुबूत इस बातके साबित करनेके लिये सुननेको बाध्य नहीं है।

परन्तु यदि दरख्वास्त देने वाला कोई कर्जख्वाह है तो उसका हक दरख्वास्त दिवालिया पेश करनेका उस समय समझा जावेगा जबकि वह साबित करे कि कर्जदारने वह दिवालियेका काम किया है जिसका उल्लेख दरख्वास्तमें किया गया हो तथा कर्ज़ोंकी तादाद ५००) से अधिक हो और जिन कर्ज़ोंका उल्लेख दरख्वास्तमें है वह वसूल किये जासकते हैं साथही साथ उसकी दरख्वास्तका नोटिसभी कर्जदार पर नियम पूर्वक तामील हो जाना चाहिये। ऊपर बताई हुई बातोंका वर्णन उपदफा (१) में किया गया है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि दरख्वास्त दिवालिया सुने जाते समय कर्जदार मौजूद हो तो अदालतका कर्तव्य है कि वह कर्जदारका बयान अवश्य लेवे और कर्जदारका इस प्रकार बयान होते समय उसके कर्जख्वाहोंको हक है कि वह उससे जिरह कर सकें अर्थात् दरख्वास्त चाहे कर्जदार द्वारा दी गई हो या उसके किसी कर्जख्वाहने दिया हो अदालत दोनों दशाओंमें कर्जदारके मौजूद होने पर उसके बयान अवश्य लेवेगी तथा कर्जख्वाहोंकोभी कर्जदारसे प्रश्न करनेका अधिकार इसी प्रकार प्राप्त है कर्जदारका बयान अवश्य होना चाहिये चाहे उस समय और किसी गवाहोंके बयान लिये जावें या न लिये जावें देखो—बनारसी बनाम बनारसी 9. A. L. J. 233; A. I. R 1926 Lah. 508.

इस दफामें बतलाये हुए नियम ऐसे नहीं हैं कि जिनकी अवहेलना की जासके अर्थात् उनके अनुसार अदालत कार्य करनेको बाध्य है इसलिये कर्जदारकी उपस्थितिमें उसका बयान लिये बिना यदि कोई हुक्म देदिया जावे तो वह हुक्म ठीक नहीं समझा जावेगा देखो—39 I C 745, A I R. 1927 Cal 32.

कर्जदारका इस प्रकार जो आम बयान लिया जावेगा वह केवल उसहीके खिलाफ प्रयोग किया जासकेगा किसी दूसरेके खिलाफ नहीं प्रयोग किया जावेगा। इस प्रकारका बयान लिये जानेका तात्पर्य यह है कि जितनी जल्दी होसके कर्जदारकी सब जायदाद मालूम होसके तथा यहभी मालूम होसके कि कर्जदारने अपनी जायदादके सम्बन्धमें क्या २ काम किये हैं जिससे कि कर्जख्वाह या रिसीवर दिवालियाकी सब जायदादका ठीक पता पाकर उसे समेट सके तथा बहाल होनेकी दरख्वास्त पेश होते समयभी कर्जख्वाह इस प्रकारकी बातोंको जानकर उसकी बहालकी दरख्वास्तका विरोध कर सकते हैं। देखो—गिरधारी बनाम जयनरायन 32 All. 645.

उपदफा (३) में पर्याप्त कारणसे तात्पर्य उन कारणोंसे समझना चाहिये जो जाबता दीवानीके आर्डर (XVII) १७ रूल १ के अनुसार पर्याप्त कारण माने जासकते हैं। शहादत जबानी या लिखित दोनोंहीसे तात्पर्य है तथा दोनोंहीके देनेके लिये मौका दिया जासकता है। गवाहान व सुबूतके काग़जात उसी प्रकार तलब किये जासकते हैं जिस प्रकार जाबता दीवानीके अनुसार तलब किये जासकते हैं।

उपदफा (४) में शहादत लिये जानेका उल्लेख है शहादत उस प्रकार लीजानेकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि दीवानीकी अदालतोंमें लीजाती है इसमें उस प्रकार लीजासकती है जैसी कि सरसरी कार्रवाई करनेमें लीजाना चाहिये परन्तु जो शहादत लीजावेगी उसको लिखा जाना चाहिये तथा उसकी असली सब बातें अदालतको नोट कर लेना चाहिये वह अदालतकी मिसिल्में शामिल रहेंगी।

यदि कर्जदारके लहनेका मूल्य कर्जोंसे अधिक हो तो कर्जख्वाह इस बिना पर यह नहीं कह सकता है कि कर्जदार अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ नहीं था देखो—हरनाम सिंह बनाम गोपालदास देसराज 109 I C 370, यदि अदालत किसी कर्जख्वाहकी दरख्वास्त इस बिना पर खारिज कर देवे कि उसे दरख्वास्त देनेका कोई हक नहीं था तो अदालत का यह हुक्म और कर्जख्वाहके खिलाफ अम्र तजवीज शुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा। केवल उनके पास नोटिस पहुँच जानेहीसे यह नहीं मानलिया जावेगा कि वह हर बातके लिये फरीक मुकदमा बना लिये गये हैं। देखो—110 I. C 730 (2)=A I R 1928 Sindh. 121.

यदि दिवालियेकी दरख्वास्त किसी कर्जदारने दी हो तो दिवालिया करार देनेका हुक्म देते समय अदालतके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णरूपसे दरख्वास्तमें दिखलाये हुए कर्जोंकी छानबीन करे या उन बातोंकी खोज करे जिनसे कर्जदारका जायदाद छिपाना या धोखादिहीसे जायदादका हटाया जाना साबित हो। ऐसी बातोंकी छानबीन दिवालिया करार दिये जानेके बाद तथा उस समयकी जाना चाहिये जबकि दिवालियेकी जायदाद रिसीवर या अदालतकी सुपुर्दगीमें आजावे। देखो—109 I. C. 552.

दिवालिये करार देनेकी दरख्वास्त पर विचार करते समय अदालतको चाहिये कि वह जायदादकी मौजूदा कीमतका जिनसे कि उसके कर्ज चुकाये जावेंगे ध्यान रक्खे तथा यह देखे कि आया दफा २४ (ए) का ध्यान रखते हुए कर्जदारने अपने कर्जोंको न अदा कर सकनेकी बात साबित करदी है या नहीं देखो—A. I. R 1928 Nag. 226.

कर्ज न अदा कर सकनेकी बात साबित करनेके लिये यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कर्जदारका लहना उसके कर्जोंसे कम है क्योंकि यदि कर्जदार अदालतको विश्वास दिला दे कि गो उसका लहना उसके कर्जोंसे कम नहीं है किन्तु वह अपने कर्जोंको चुकानेके लिये अपनी सब जायदाद पृथक कर देने परभी असमर्थ है तो अदालतको यह मानना

चाहिये कि वह कर्जदार अपने कर्जों के चुकानेमें असमर्थ है। देखो—109 I C 552=A I R 1929 Lah. 87. इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दिवालियेकी दरख्वास्त देने वाले कर्जदारका कर्तव्य है कि वह अदालतके सामने पेश हो तथा उपस्थित कर्जख्वाहोंको उनके प्रश्न करने पर अपनी जायदाद तथा कर्जों आदिके बारेमें पूरा हाल बतलावे। यदि कोई कर्जदार यह बयान करे कि वह कर्जा अदा नहीं कर सकता है तथा यदि उसकी जायदादसे तत्काल रुपया वसूल नहीं होसकता है तो कर्जदारका यह कहना कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है अवश्य ठीक मान लेना चाहिये जबतक कि यह साबित न हो जावे कि उसके सब कर्जे फर्जी हैं या उसने किसी दूसरे ही उद्देश्यसे दिवालियेकी दरख्वास्त दी है केवल इस बातसे कि कर्जदारके पास बहुतसी जायदाद है यह न समझ लेना चाहिये कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है। A I R. 1928 Mad 1193.

दफा २५ दरख्वास्तका ख़ारिज होना

(१) जबकि दिवालेकी दरख्वास्त कर्जख्वाह द्वारा दी गई हो और अदालतको यह यकीन न हो कि उसे दरख्वास्त देनेका हक़ है या इस बातका यकीन न हो कि दरख्वास्तके लिये जानेके हुक्मका नोटिस कर्जदारको पहुँच गया है या बताये हुए दिवालेके कामका यकीन न हो या कर्जदार इस बातका यकीन दिला देवे कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है या किसी दूसरे मुनासिब कारणसे यह समझमें आवे कि कोई हुक्म न दिया जाना चाहिये तो अदालत दरख्वास्तको खारिज कर देगी।

(२) जबकि दरख्वास्त दिवाला कर्जदारने दी हो और अदालतको यह यकीन न होवे कि कर्जदारको दरख्वास्त देनेका हक़ है तो वह उस दरख्वास्तको खारिज कर देगी।

व्याख्या—

इस दफामें उन बातोंका उल्लेख है जिनके कारण दरख्वास्त दिवाला खारिजकी जासकती है यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें कि कर्जदार अपने कर्जोंसे बचने या गिरफ्तारीसे बचनेकी गरजसे दरख्वास्त दिवालिया देकर बेजा फ़ायदा न उठा सकें देखो—A I R. 1924 All. 800

इस दफाके आधार पर दरख्वास्त खारिजकी जाने पर डाकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है देखिये दफा ७५ (२) यद्यपि दफा २४ के अनुसार कर्जदारका बयान होते समय उससे उसकी चालचलन आदिके सम्बन्धमें प्रश्न किये जासकते हैं परन्तु फिर भी दफा २५ में यह नहीं बतलाया गया है कि यदि कर्जदारकी बदचलनी साबित होजाय तो वह दिवालिया करार नहीं दिया जाना चाहिये अर्थात् बदचलनीके कारण कर्जदार दिवालिया बननेसे नहीं रोका जासकता है किन्तु बहाल होनेकी दरख्वास्त देते समय उसकी बदचलनी आदिके प्रश्न उपस्थित किये जासकते हैं और उनसे लाभ उठाया जासकता है। देखो—गिरधारी बनाम जनगायन 32 All 45, 60 I C 848

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि इस दफाके अनुसार तहकीकात करते समय इस प्रश्नका तय करनेकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जदारने अपनी सब जायदाद ठीक ठीक दिखलाई है या नहीं। इस प्रकारका प्रश्न दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेके बाद तय किया जासकता है देखो—46 Bom 107. दिवालियाकी बदचलनीका प्रश्न उस वक्त उत्पन्न होता है जब कि बहाल होनेकी दरख्वास्त देवे उससे पहिले नहीं देखो—A I R. 1926 Mad 494.

इन बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि शुरूमें कर्जदारसे उसकी चालचलनके सम्बन्धमें कोई प्रश्नही नहीं पूछे जासकते हैं जो इन प्रश्नोंका निर्णय शुरूमें नहीं किया जाना चाहिये किन्तु फिर भी ऐसे प्रश्न किये जासकते हैं

पूछना चाहिये जिससे जल्दीसे जल्दी कर्जदारके सम्बन्धी और कार्योंका पता लग सके तथा भविष्यमें उनसे उचित लाभ उठाया जासके । देखो—36 Mad 402.

रिसीवर या दरख्वास्त दिवालाके खारिज करनेसे पहिले अदालतका कर्त्तव्य है कि वह मामलेको पूर्ण रूपसे समझने की कोशिश करे तथा दरख्वास्त खारिज करनेके कारणको अपने हुक्ममें लिखे—इलाहाबाद हाईकोर्टके एक्टिंग चीफ जस्टिस (Acting Chief Justice) वाल्श (J Walsh) साहबका कहना था कि यह दफा उन जजोंके लिये जो मामलेको समझनेका प्रयत्न नहीं करते हैं एक प्रकारका जाल है देखो—ताराचन्द बनाम युगुलकिशोर 46 All 71= 22 A. L. J 684.

दरख्वास्त दिवाला खारिज किये जानेके कारण यह हो सकते हैं:—

(१) उस समय जबकि किसी कर्जख्वाहने दरख्वास्त दी हो—

(ए) यदि कर्जख्वाहको दिवालियेकी दरख्वास्त देनेका हक दफा ९ के अनुसार प्राप्त न हो

(बी) यदि कर्जदार पर दिवालियेकी दरख्वास्त मुनासिब नोटिसकी तामील न हुई हो

(सी) यदि दरख्वास्तमें दिखलाया हुआ कर्जदारके दिवालियेका काम साबित न होवे

(डी) यदि कर्जदार यह साबित करदे कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है

(ई) यदि दरख्वास्त नामञ्जूर करनेके लिये पर्याप्त कारण होवे ।

(२) उस समय जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालियेकी दरख्वास्त दी हो—

(ए) यदि कर्जदारको दफा १० के अनुसार दरख्वास्त देनेका हक प्राप्त न हो केवल कर्जख्वाही इस बिना पर लड़ सकता है कि वह अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ नहीं है दूसरा कोई व्यक्ति इस बिना पर नहीं लड़ सकता है जैसे कि यदि कर्जदारने किसीके हकमें जायदाद का रहन किया हो तो मुर्तहिन जिसके हकमें जायदादकी गई है वह इस बात पर नहीं लड़ सकता है कि कर्जदार दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाते समय अपने कर्जोंको चुका सकता था । देखो—A. I. R 1929 Lah. 79

यदि दरख्वास्त कर्जख्वाह द्वारा दी गई हो तो भी वह इस बिना पर खारिजकी जासकती है कि कर्जदार अपने कर्जोंको अदा कर सकता है अथवा नहीं अर्थात् कर्जदार द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर यह साबित होने पर कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है यह आवश्यक नहीं है कि दरख्वास्त इसी बिना पर खारिज करदी जावे देखो—गिरधारी बनाम जयनारायन 32 All 645, 41 I C. 850, 73 I C 74

जैसाकि ऊपर कहा जाचुका है कि कर्जख्वाहकी दरख्वास्त केवल इसही बिना पर खारिजकी जासकती है कि उसको दरख्वास्त दिवालिया पेश करनेका हक प्राप्त नहीं है कर्जदारके दरख्वास्त दिवालिया पेश करनेका उल्लेख दफा १० में है और यदि दफा १० में बतलाये हुए नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे नहीं होता है तो कर्जदारकी दरख्वास्त दिवाला खारिजकी जासकता है । परन्तु यदि दफा १० में बतलाये हुए नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे हुआ है तो दरख्वास्त दिवाला अवश्य मञ्जूर की जाना चाहिये । अदालतके नियमोंसे बेजा फायदा उठानेकी बिना पर दरख्वास्त दिवालियेके खारिज किये जानेका उल्लेख इस दफामें नहीं है ।

इस दफाके हाईकोर्टोंने बहुधा यह निश्चित किया था कि यदि दरख्वास्त अदालतके नियमोंका बेजा फायदा उठानेकी मन्शासे दी गई हो तो एसी दरख्वास्तको अदालत इसी बिना पर खारिज कर सकता है परन्तु 44 Cal. 535 में प्रिवी कौंसिलके विद्वान जजोंने यह तय कर दिया है कि दरख्वास्त केवल इसी बिना पर खारिज नहीं कर देना चाहिये कि वह

अदालतके नियमोंसे बेजा फायदा उठानेकी गरज़से दागई है यदि इस एक्टमें बतलाये हुए सब नियमोंका पालन किया गया हो। कर्जदारकी दरख्वास्त दिवाला इस बिना पर खारिज नहीं कीजावेगी कि उसने अपनी दरख्वास्तमें कुछ जायदादको छिपाया है या अपनी जायदादके बारेमें गलत ब्यौरा दिया है या अपने कर्जोंका ठीक २ ब्यौरा नहीं दिया है देखो—दालचन्द बनाम साहबलाल 8 I C 1115; 38 I C. 822.

इसी प्रकार यदि कर्जदार बाकायदा हिसाब किताब नहीं रखता हो तो इसकी बिना पर उसकी दरख्वास्त दिवाला नामञ्जूर नहीं की जासकती है देखो—A I R. 1927 Lah 27 दरख्वास्त इस बिना पर भी खारिज नहीं का जासकती है कि कर्जदार व कर्जदारका भाई मुश्तरका है और वह भाई शामिल दरख्वास्त नहीं किया गया है देखो—40 All 75 दिवालियेकी दरख्वास्त इस बात पर खारिज नहीं की जाना चाहिये कि कर्जदारने बदनीयतीसे काम लिया है तथा उसने धोखादेहीसे जायदादको अलग कर दिया है देखो—12 C L J 400, 40 All 665

दरख्वास्त दिवाला इस बात पर भी खारिज नहीं कीजासकती है कि कर्जदारने दरख्वास्त देनेके बाद तथा उसके सुने जानेसे पहिले किसी कर्जख्वाहको रुपयेकी अदायगी की है देखो—ताराचन्द बनाम जुगुलकिशोर 46 All. 713 दरख्वास्त इस बिना पर भी खारिज नहीं की जाना चाहिये कि कर्जदारने उसमें कुछ झूठा कर्ज दिखलाये हैं देखो—मुन्नालाल बनाम भगवानदास 26 I C 24, 37 All 252

केवल इस बिना पर कि कर्जदार एक बेईमान आदमी है उसकी दरख्वास्त दिवाला खारिज नहीं कीजासकती है जो उसके बहाल होते समय इस बात पर पूर्ण रूपसे विचार किया जाना चाहिये देखो—गिरधारीलाल बनाम अयोध्याप्रसाद 37 I. C 391.

अदालत इस दफामें बतलाये हुए किसी दूसरे पर्याप्त कारणके आधार पर केवल उन्हीं दरख्वास्तोंको खारिज कर सकेगी जो कर्जख्वाह द्वारा दीगई हों अर्थात् कर्जदार द्वारा दीगई दरख्वास्तोंको ऐसे किसी दूसरे पर्याप्त कारणके आधार पर खारिज नहीं करेगा दूसरे पर्याप्त कारण कई प्रकारके हो सकते हैं जिनका निर्णय करना अदालतका काम है उदाहरण स्वरूप यदि कर्जदार यह दिखलावे कि उसके कुछ मित्रगण उसके सब कर्जोंकी पूर्ण रूपसे अदायगीका प्रबन्ध कर देंगे तो यह पर्याप्त कारण समझा जासकता है इसी प्रकार कर्जदारका यह साबित करना कि उसके कुछ मामले चल रहे हैं तथा उनके तय होनेसे वह अपने सब कर्जोंको चुका सकेगा पर्याप्त कारण समझा जासकता है देखो—ताराचन्द बनाम जुगुलकिशोर 46 All 713

दफा २६ हर्जेका मिलना

(१) जबकि कर्जख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्त दफा २५ (१) के अनुसार खारिज हो जावे व अदालतको यह यकीन होजावे कि दरख्वास्त फिजूल है या परेशान करनेकी गरज़से दी गई थी तो कर्जदारके दरख्वास्त देनेपर अदालतको अधिकार है कि वह दिवालेकी दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहसे (१०००) एक हजार रुपये तक जैसाकि वह मुनासिब समझे बतौर हर्जेके कर्जदारको उसके खर्च मुकद्दमा व नुकसानके बाबत जो उसे उस दरख्वास्त दिवालाके सम्बन्धमें उठाना पड़ा है दिलावे और यह हर्जा बतौर जुर्मानेके वसूल किया जासकता है।

(२) इस दफाके अनुसार यदि कोई हर्जा दिला दिया जावेगा तो उस दरख्वास्त दिवाला या उसकी कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें कोई हर्जेकी नालिश नहीं चलेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है कि वह (१०००) एक हजार रुपये तक बतौर हर्जेके

क़र्ज़दारको हारनेवाले क़र्ज़ख्वाहसे दिलवा सके। इस अधिकारका प्रयोग उस समय होगा जबकि अदालतको विश्वास होजावे कि दरख्वास्त झूठा है तथा क़र्ज़दारको परेशान करनेको मंशासे दी गई है। हर्जेके रुपयेका निश्चित करना अदालतके अधिकारमें है तथा इस दफ़ामें दिये हुए नियमसे लाभ उठानेके पश्चात् क़र्ज़दार फिर किसी दूसरी अदालतमें हर्जेका दावा क़र्ज़ख्वाहके विरुद्ध नहीं कर सकता है।

इस दफ़ाका प्रयोग क़र्ज़ख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्तोंके सम्बन्धमें नीचे बतलाई हुई दोनों शर्तोंकी पूर्ति होने पर किया जावेगा अर्थात् (१) यह कि वह दरख्वास्त दफ़ा २५ (१) के अनुसार खारिज करदी गई हो तथा (२) यह साबित होजावे कि दरख्वास्त झूठा है या परेशान करनेकी मंशासे दी गई है। अदालत इस दफ़ामें बतलाये हुए अधिकारका प्रयोग उसी समय करेगी जब क़र्ज़दार इसके लिये दरख्वास्त देवेगा।

इस दफ़ामें बतलाया हुआ हर्जा क़र्ज़दारको उसके खर्च या उसके नुक़सानके बदलेमें दिलवाया जावेगा अतः अदालत हर्जेके रुपये निश्चित करते समय उसके खर्चे व नुक़सानका विचार करते हुए अपनी बुद्धिके अनुसार हर्जेकी संख्या निश्चित करेगी। इस प्रकार दिलवाया हुआ हर्जा बतौर जुर्मानेके वसूल किया जासकेगा अर्थात् या तो उसकी जायदाद कुर्क व नीलाम करके वसूल किया जावेगा या जाब्ता दीवानीके अनुसार इजराय करके वसूल किया जावेगा।

यदि इस दफ़ामें दिये हुए अधिकारोंका प्रयोग करके अदालत क़र्ज़दारको हर्जा दिलवादे तो फिर क़र्ज़दार इसी मामलेके सम्बन्धमें दुबारा हर्जेका दावा नहीं कर सकेगा यह बात उपदफ़ा (२) में साफ़ करदी गई है इस दफ़ाके अनुसार दिये हुए हुक्मकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है। देखो—दफ़ा ७५ (२) तथा सूची नं० १ (Schedule 1)

दफ़ा २७ दिवालिये क़रार दिये जानेका हुक्म

(१) अगर अदालत दरख्वास्तको खारिज नहीं करे तो वह दिवालिया क़रार देनेका हुक्म देवेगी और उस हुक्ममें यहभी बतला देवेगी कि दिवालिया कितने समयके अन्दर बहाल होने की दरख्वास्त दे सकेगा।

(२) यदि काफ़ी वजह दिखलाई जावे तो अदालतको अधिकार है कि वह बहाल होनेकी दरख्वास्त देनेका समय और बढ़ादे और ऐसी दशामें वह इस हुक्मकी सूचना जिस प्रकार उचित समझे प्रकाशित करेगी।

व्याख्या—

पिछले एक्टके अनुसार अदालतको बहाल होनेकी दरख्वास्त देनेका समय निश्चित करनेकी आवश्यकता नहीं थी न उपदफ़ा (२) में बतलाये हुए नियमके अनुसार उस समयको बढ़ानेका ही उल्लेख था इस प्रकार यह दफ़ा एक प्रकारसे नई बनाई गई है। इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि अदालत दफ़ा २५ के अनुसार किसी दरख्वास्त दिवालियाको खारिज न करे तो उसे क़र्ज़दारको अवश्य दिवालिया क़रार देना पड़ेगा अर्थात् अदालत क़र्ज़दारको दिवालिया बनानेके लिये उस समय बाध्य होगी वह अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार चाहे उस प्रकारका हुक्म नहीं देसकेगी।

दिवालिया क़रार दिये जानेके हुक्मके साथ वह समय भी बतला दिया जावेगा जिसके अन्दर दिवालिया, बहाल होनेकी दरख्वास्त देसकेगा। चूंकि धोखेबाज़ क़र्ज़दारके कामकी जांच पड़ताल दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् अधिकतर होती है न कि विशेष कर उसी समय होती है जब कि दिवालिया बहाल होनेकी दरख्वास्त देवे इसलिये समयका निश्चित कर देना आवश्यक समझा गया था जिसके दिवालिया उसके अन्दर दरख्वास्त बहाल होनेकी दे सके और

उसके दरख्वास्त देने पर उसके कार्योंकी भली प्रकार जांच होनेके पश्चात् इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जदार दण्डका भागी ठहराया जासके यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो। इन नियमोंके लिए भी एक प्रकारकी सुविधा दी गई है क्योंकि वह भी निश्चित समयके अन्दर बहालीकी दरख्वास्त देकर अपने बिगड़े हुए किस्सेको खतम कर सकता यदि उसने बदनीयतीसे दरख्वास्त नहीं दी है या उसने कोई अनियमित कार्य नहीं किया है तो अदालत उसे अवश्य बहाल कर देगा उपदफा (२) के अनुसार बहाल होनेकी दरख्वास्त देनेका समय, अवसर तथा आवश्यकताके अनुसार बढ़ाया भी जासकता है इस प्रकार समय हुक्ममें बतलाये हुए समयके समाप्त हो जानेके पश्चात् भी बढ़ाया जासकता है देखो—A I R 1924 Cal 777, A I R 1926 Sind 94, A I R 1929 Nag 11 (२).

समय बढ़ानेकी दरख्वास्त कर्जदार व कर्जख्वाह दोनों ही दे सकते हैं क्योंकि इस दफामें खासतौरसे यह नहीं बतलाया गया है कि दरख्वास्त किसे देना चाहिये। देखो—A I R 1928 Lah 82, A I R 1927 Lah. 763 (1); गोपालराम बनाम मगनीराम (A. I. R 1928 Pat 318) में यह तय हुआ था कि अदालतका कर्तव्य है कि वह अपने हुक्ममें बहाल होनेका समय अवश्य दिखला देवे। यदि हुक्ममें बतलाये हुए समयके अन्दर बहाल होनेकी दरख्वास्त न दी गई हो तो भी अदालतको उस समय तक और समय बढ़ा देनेका अधिकार है जब तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मंसूख न किया गया हो। हुक्ममें दिये हुए समयके समाप्त हो जानेके पश्चात् दिवालिया करार देनेका हुक्म अपने आप मंसूख नहीं हो जाता है।

दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है परन्तु यदि उपदफा (२) के अनुसार समय न बढ़ाया गया हो तो एसे हुक्मकी अपील नहीं हो सकेगा देखो—A I R 1926 Oudh 186 तथा 53 M L J 837

दफा २८ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका असर

(१) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होजाने पर दिवालिया अपनी शक्ति भर अपनी जायदादके वसूल होने तथा उसकी कीमत कर्जख्वाहोंमें ठीक तौर पर बटनेमें मदद देगा।

(२) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होने पर दिवालियेकी सब जायदाद अदालत या किसी रिसीवरको जैसा कि आगे दिया हुआ है समझी जावेगी और उसके बाद इस एक्टमें दिये हुए अवसरोंको छोड़कर दिवालियेके किसी कर्जख्वाहको किसी ऐसे कर्जके सम्बन्धमें जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है दिवालेकी कार्रवाईके दौरानमें दिवालियेकी जायदादके खिलाफ किसी कार्रवाईके करनेका हक न होगा और बिला अदालत की आज्ञाके या उसकी शर्तोंके खिलाफ कोई मुकद्दमा या दूसरी अदालती कार्रवाई करनेका हक भी न होगा।

(३) दफा २८ (२) के लिये यह सब माल दिवालियेका समझा जायेगा तारीखके दिन जिस पर कि हुक्म दिया गया हो दिवालियेके कब्जे, हुकूमत या निगरानीमें उसके व्यापार या कारोबारके सिलसिलेमें असली मालिककी रजामन्दी व इजाज़तके साथ ऐसी शकलमें होगा कि लोग उसको उस मालका मालिक समझते हों।

(४) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके बाद बहाल होनेसे पहिले जो जायदाद

दिवालिया पैदा करेगा या पावेगा वह अदालत या रिसीवरकी समझी जावेगी और उस जायदादके सम्बन्धमें दफा २८ (१) के नियम लागू होंगे।

(५) इस दफाके अनुसार वह सब चीजें 'हिसाबकी किताबोंको छोड़कर' जो ज़ाबता दीवानी या किसी दूसरे प्रचलित क़ानूनके ज़रिये कुर्की व नीलामसे बरी है दिवालियेकी जायदाद नहीं समझी जावेगी।

(६) यह दफा महफ़ूज़ कर्ज़ख्वाहके उन अधिकारोंमें कोई बाधा नहीं डालेगी जो उसे अपनी ज़मानत वसूल करने या जमानतके लिये और कोई कार्रवाई करनेके लिये प्राप्त हैं और वह उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा जिस प्रकार वह इस दफाके न होते हुए कर सकता था।

(७) जिस तारीखको दिवालेकी दरख्वास्त दी गई हो उसी तारीखसे दिवालिया क़रार देने वाला हुक्मका सम्बन्ध समझा जावेगा और उसी तारीख़से वह कार्यरूपमें परिणित होवेगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) यह उपदफा बिल्कुल नई है इसमें दिवालिया क़रार दिये जानेके बाद दिवालियेका जो कर्तव्य है वह बतलाया गया है जैसा कि दफा २२ में दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवालियाका कर्तव्य बतलाया गया है।

दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म (Adjudication)—से अभिप्राय उस हुक्मसे है जिसके द्वारा कोई कर्ज़दार जिसने या तो स्वयं दिवालियाकी दरख्वास्त दी हो या जिसके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई हो अदालत द्वारा दिवालिया घोषित किया जावे अर्थात् अदालत यह स्वीकार करले कि दरअसल वह कर्ज़दार क़ानूनन् अपने कर्ज़ोंको अदा करनेमें असमर्थ है और ऐसे हुक्मका प्रभाव यह होता है कि वह कर्ज़दार अपने कर्ज़ोंकी ज़िम्मेदारीसे मुक्त हो जाता है तथा उस हुक्मके बाद उसकी सब जायदाद व लहना अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरके अधिकारमें आजाती है जिसमें कि उसके लहनेको वसूल करके उसके कर्ज़ख्वाहोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांटा जासके। साथही साथ इस उपदफाके अनुसार दिवालियेका भी यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ऐसे हुक्म होनेके बाद अपनी शक्ति भर अपनी जायदादकी वसूली तथा उसके उचित रूपसे विभाजित होनेमें सहायता प्रदान करे।

उपदफा (२) इस उपदफामें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका जो क़ानूनी असर पैदा होता है उसका उल्लेख है पहिले भागमें यह दिखलाया गया है कि इस हुक्मके बाद क्या २ होवेगा तथा दूसरे भागमें यह बतलाया गया है कि क्या २ काम न हो सकेंगे। दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होते ही दिवालियेकी सब जायदाद अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरकी सुपुर्दगीमें समझी जावेगी और वह जायदाद दिवालियेके कर्ज़ख्वाहोंमें बांटी जावेगी। देखो—A I R. 1922 All 448.

तथा कोई कर्ज़ख्वाह जिसका कर्ज़ा इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है अपने कर्ज़ेके लिये दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कोई दूसरी कार्रवाई उस समय तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह दिवालियेका मामला समाप्त न हो जावे और न अदालत दिवालियाकी आज्ञा बिना लिये हुए कोई मुक़दमाही चला सकेगा।'

जबकि कोई फ़र्म (Firm) दिवालिया क़रार दी गई हो तो उस फ़र्मका हर एक साझीदार दिवालिया समझना चाहिये और इसी कारण उस फ़र्मके किसी भी साझीदारके विरुद्ध बिना अदालत दिवालियाकी आज्ञाके कोई दावा नहीं किया जासकता है। देखो—100 I C. 112

- चूंकि दिवालियेकी जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके अनुसार रिसीवरके अधिकारमें उस समयसे समझी जाती है जबसे कि दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त दी गई हो इसलिये उस जायदादकी असली हालत भी उसी तारीखहीसे समझना चाहिये और यदि उस जायदाद पर उस तारीखके बाद कोई बार हो जावे चाहे वह किसी अदालतकी डिकरीके अनुसार पैदा हुआ हो या और किसी प्रकार पैदा हुआ हो तो उसकी पाबन्दी रिसीवर पर नहीं समझी जावेगी देखो— A I. R 1928 Lah 798. (A I R 1928 Lah. 258) में यह तय हुआ था कि डिकरीदार दिवालिया मदयूनकी गिरफ्तारीके लिये इजराय द्वारा कार्रवाई उस वक्त तक नहीं कर सकता है जब तक कि वह अन्तिम दिवालिया स्वीकृत न होवे । बिना अदालतकी आज्ञाके दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेके विरुद्ध मुक़द्दमा नहीं चल सकता है देखो—A. I. R 1928 Lah. 28

यदि कोई संयुक्त हिन्दू परिवार व्यापार करता हो तथा उस परिवारमें एक या इससे अधिक नाबालिग होवें और उस नाबालिगोंका पिता मनजर (कर्ता) न हो तथा उस परिवारके सब बालिग मेम्बर मय मेनेजर (कर्ता) के दिवालिया करार दे दिये गये हों तो संयुक्त परिवारकी जायदादसे व्यापार सम्बन्धी कर्जोंको अदा करनेके लिये अलहदा करनेका जो अधिकार मैनेजरको प्राप्त है वह्दी अधिकार रिसीवरको प्राप्त हो जायगा और रिसीवर नाबालिगोंके हिस्सोंको पाबन्द कर सकेगा। देखो—55 M. L. J. 721=A. I. R 1929 Mad. 166

यदि अदालत दिवालियाके अतिरिक्त किसी दूसरी अदालतमें दिवालियेके विरुद्ध किसी कामको करनेके लिये (Specific performance) जिसका करना वादा उसने दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किया हो दावा दायर किया गया हो तो उस अदालतको यह तय करनेका अधिकार नहीं है कि दिवालियेने किसी एक कर्जख्वाहको दूसरेके मुकाबले भाग्य दकर लाभ पहुँचानेका प्रयत्न किया है देखो—A I R 1928 Mad 860.

यदि अदालत दफा ४२ के अनुसार दिवालियाको बहाल होनेका हुक्म न देवे तो उससे यह नहीं समझा जावेगा कि दिवालियाकी कार्रवाई समाप्त होगई है और बिना अदालतकी आज्ञाके जैसाकि दफा २८ (२) म बतलाया गया है कोई मुकद्दमा दिवालियेके विरुद्ध दायर न किया जासकेगा देखो—A I R 1928 Rang 109 यदि अदालतकी आज्ञा लिये बिना कोई मुकद्दमा चलाया गया हो तो वह चल नहीं सकता है देखो—110 I. C 386 (1)

दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेके पश्चात् दिवालिया अपने किसी कर्जख्वाहका उचित रूपसे कर्ज अदा नहीं कर सकता है और यदि इस प्रकार कोई रुपया दिया गया हो तो उसका कोई प्रभाव रिसीवर पर नहीं होगा देखो—78 I. C 16.

दिवालियेकी जायदाद रिसीवरके अधिकारमें आजानेके पश्चात् रिसीवरही दिवालियेके कर्जोंको चुका सकता है। यदि दिवालियेने या उसकी तरफसे किसी दूसरे व्यक्तिने कोई रुपया रिसीवरसे छिपाकर कर्जख्वाहोंको दिया हो तो यह कार्रवाई बिल्कुल बेकायदा है और इस प्रकार जो रुपया दिया गया हो वह रिसीवरको वापिस दिया जाना चाहिये परन्तु इसके कि अदालत आपसमें तसफिया (Composition) करनेकी इजाजत देवे देखो—A. I. R. 1926 Mad 1166

यदि दिवालिया किसी कारोबार शराकतमें साझेदार होवे तो उसके उस कारोबार शराकतके हिस्सेपर रिसीवरका अधिकार समझना चाहिये देखो—A. I. R 1924 Mad. 223.

जबकि किसी फर्मके शरीकदारोंमेंसे कुछ दिवालिया करार दे दिये जावें तथा कुछ दिवालिया करार न दिये गये हों तो रिसीवरको यह अधिकार नहीं है कि वह उस फर्मे शराकतीके कुल माल पर अकेले ही कब्जा कर लेवे किन्तु वह दिवालिया न करार दिये हुए शरीकदारोंके साथ माल शराकतीका मालिक होगा और यदि रिसीवर चाहे तो दिवालिया करार दिये हुए साझीदारके हिस्सेको उस फर्मसे लेसकता है देखो— 42 Cal 225 तनख्वाह भी इस दफाके अनुसार जायदाद समझना चाहिये देखो—21 I. C 950

यदि किसी मिताक्षरा परिवारका पिता दिवालिया करार दिया गया हो तो रिसीवर उस परिवारके संयुक्त नाबालिग लड़कोंकी जायदाद पर भी अधिकार कर सकता है बशर्ते कि पिताका ऋण व्याभिचार आदिके लिये न लिया गया हो देखो—44 All 310, 47 All 263; A I. R 1925 Mad 52.

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारका कोई मेम्बर दिवालिया करार दे दिया जावे और उसकी पैतृक जायदाद हो जिसमें उसके लड़के व पोतोंका भी हक पहुंचता हो तो रिसीवर उस जायदादको उसी प्रकार अलहदा कर सकेगा जिस प्रकार वह मेम्बर स्वयं अपने लाभके लिये अलहदा कर सकता था देखो—A I R. 1925 Pat. 127, A I R 1924 Mad 550 (A I R 1925 Pri P 39) में यह तय हुआ था कि गो लड़केकी जायदाद बापके दिवालिया करार दिये जाने पर रिसीवरकी नहीं समझना चाहिये किन्तु फिरभी रिसीवरको अधिकार है कि वह बापके कर्ज़ोंको लड़केके हिस्से पर भी चला यह समझते हुए करले कि बापका कर्ज़ चुकाना लड़केका भी फर्ज़ है इसके लिये और भी देखो—48 All 400, A I R 1926 All 262

मदरास हाईकोर्टकी फुलबेन्चने यह तय किया है कि दिवालियेके लड़केका अविभक्त हिस्सा रिसीवरकी सुपुर्दगीमें नहीं जाता है किन्तु उसकी सुपुर्दगीमें बापका वह अधिकार आजाता है जो उसे अपने लड़केकी जायदादका अलहदा करनेके लिये प्राप्त है और इसी कारण रिसीवर संयुक्त हिन्दू परिवारकी कुल जायदाद बेच सकता है देखो—A I. R 1926 Mad 994, A. I. R 1927 Mad 1

सीर व मौरूसी काश्त—किसी मालगुज़ारके दिवालिया करार दिये जाने पर उसकी सीरकी ज़मीन रिसीवरके तहतमें आजाता है किन्तु उसकी **मौरूसी काश्त** नहीं जावेगी देखो—A I R. 1924 Nag. 156 इस दफ़ाके अनुसार दिवालियाकी मौरूसी (Occupancy holding) काश्त रिसीवरकी सुपुर्दगीमें नहीं जाती है और अदालत दिवालियाको उसके अलहदा करने आदिका अधिकार प्राप्त नहीं है देखो—43 All 510.

सरकारी या रेलवेके प्राविडेन्ट फण्ड—में जो रक़म मजबूरन दाख़िल कराई जाती है वह ज़ाब्ता दीवानीके अनुसार काबिल कुर्क़ नहीं है और इसलिये कोई रिसीवर भी जो इस एक्टके अनुसार नियत किया गया हो ऐसी रक़म पर अधिकार करनेका हक़दार नहीं है देखो—सेक्रेटरी आफ स्टेट बनाम राजकुमार 50 Cal. 347.

इसी प्रकार पोलिटिकल पेन्शन (Political Pension) भी अदालत या रिसीवरके अधिकारमें नहीं जासकती यदि ऐसी पेन्शनका कुछ हिस्सा अदा करनेका हुक्म दिवालियाको दिया जावे तो यह क़ानून अच्छा नहीं है देखो—4 I. C 145, 20 A L. J 172

यदि कोई कर्ज़ ऐसा है जो इस एक्टके अनुसार साबित नहीं किया जासकता है या कोई जायदाद ऐसी है जो दिवालियेकी नहीं है तो ऐसे कर्ज़ या जायदादके लिये यह दफ़ा लागू नहीं होगी देखो—39 All 204, 1925 A. I R Nag 77

उपदफ़ा (२) आगरा टेनेन्सी एक्ट (Agra Tenancy Act) के लिये लागू नहीं है इसलिये लगान का दावा किया जासकता है और उसकी डिक्री इजराय कराई जासकती है बिना इस बात पर ध्यान दिये कि कोई कार्रवाई अदालत दिवालियामें है या नहीं देखो—L R 3 A. 339 (Rev) 44 All. 296.

उपदफ़ा (२) में यह नहीं बतलाया गया है कि रुकावट केवल उन्हीं कर्ज़ख्वाहोंके लिये होगी जिनको नोटिस पहुँच चुका है या सब कर्ज़ख्वाहोंके लिये परन्तु अवधमें एक मामलेमें यह तय हुआ है कि रुकावट उन्हीं कर्ज़ख्वाहोंके लिये समझना चाहिये जिन्हें नोटिस हो चुका है उन लोगोंके लिये नहीं जिन्हें नोटिस नहीं मिला है देखो—25 I C. 708.

उपदफा (३) कुर्की जाने वाली जायदाद कर्जदारका देवील व अधिकारमें द्वारा चाहिये वरना वह दिवालिया की जायदाद नहीं समझी जायगी जैसे कि यदि दिवालिया अपना कोई कर्ज़ा किसा दूसरेके हुक्ममें कर देवे और वह दूसरा व्यक्ति दिवालियेके कर्जदारको स्वयं अपना हुक्म होनेकी सूचना देवे तो ऐसा सूचनासे दिवालोका आधिपत्य उस कर्जेसे चला जायगा देखो—पुनि र बहू बनाम भाष्यम् 25 Mad 406 इसी प्रकार यदि दिवालिया कोई माल किसी व्यक्तिके पास भेजे तथा रेलवे रसीद उसे देदेवे तो वह माल दिवालियेके कब्जे व आधिपत्यमें न समझा जावेगा देखो—पारिप्पा बनाम थप्पा 38 Mad. 664.

यदि दिवालियेने अपने शयर्स (Shares) किसी दूसरेके नाम कर दिये हो परन्तु कोई बयनामा न लिखा गया हो या कम्पनीका नाम रजिस्टर न किया गया हो तो वह शयर्स (Shares) दिवालियाके अधिकारमें समझे जावेंगे और उसके दिवालिया करार दिये जाने पर आफिशल एसायनी (Officml assignee) की सुपुर्दगीमें आ जावेंगे देखो—2 Bom 542.

उपदफा (४) इस उपदफाके अनुसार वह सब जायदाद भी जो दिवालियेको दिवालिया करार देनेके हुक्मके बाद तथा बहाल होनेस पहिले प्राप्त होगी अदालत या रिसीवरकी सुपुर्दगीमें आजावेगी और वह उपदफा २ के अनुसार बांटी जावेगी देखो—हुसमद फातिमा बनाम मुहम्मद सादिक 44 All. 617. और भी देखो—कल्याचन्द बनर्जी बनाम जगन्नाथ 101 I C. 442

इस उपदफाके आधार पर अदालत या रिसीवरको अधिकार है कि वह दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेकी आमदनी या तनख्वाहका कुछ हिस्सा कर्जख्वाहोंके लाभार्थ लेलें देखो—देवीप्रसाद बनाम ... 40 All 213

उपदफा (५) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि वह सब चीजें जो कानूनन कुर्क नहीं हो सकती हैं, इस दफाके अनुसार जायदाद न समझी जायेगी अर्थात् वह अदालत या रिसीवरकी सुपुर्दगीमें न आवेंगी परन्तु हिसाबकी किताबें इस प्रकार वर्जित नहीं हैं।

चूंकि बुन्देलखण्ड लैंड एलीनेशन एक्ट (Bundelkhand Land Alienation Act) की दफा १६ के अनुसार जराअत पेशा आदमीकी जायदाद कुर्क नहीं हो सकती इसलिये वह रिसीवरको न होगी देखो—हनुमानप्रसाद बनाम हरनारायन 42 All 142, नैनसिंह बनाम गजराजसिंह A I R 1925 All 467 मगर आपसमें खानगी करार रिसीवरके न होनेकी ... दिवालियाको ... अधिकार न होगा देखो—... बनाम ... 43 All 510.

सरकारी या रेलवेका प्रविडेन्ट फन्ड (Provident Fund) रिसीवरको सुपुर्दगीमें न आवेगा।

उपदफा (६) महफूज कर्जदार पर इस दफाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको अधिकार है कि वह जिस प्रकार चाहे अपना जमानत वसूल कर सकता है देखो—... बनाम नन्दराम 43 All 535

उपदफा (७) इस उपदफामें बताया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रभाव उस तारीखसे समझा जावेगा जिस तारीखको दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई हो अत दिवालियेके दरख्वास्त देनेके बाद दिवालियेका कोई अधिकार अपना जायदाद अन्तकाल करनेका नहीं रह जाता देखो—शिवनाथ बनाम मु ... 42 All 433.

दफा २९ चालू कार्रवाइयोंका रोका जाना

अगर किसी अदालतमें दिवालियेके खिलाफ कोई मुकद्दमा या कोई दूसरी कार्रवाई चल रही हो और यह साबित हो जावे कि इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार देने वाला हुक्म

हो चुका है तो वह या तो उस कार्यवाईको बंद कर देगी या उन शर्तों पर चालू रक्खेगी जो उसे मुनासिब मालूम होवें।

व्याख्या—

यह दफा नई है इससे पहिले यह बतलाया जाचुका है कि दिवालियेके विरुद्ध कोई नया मुकद्दमा नहीं चलाया जावेगा इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई मामला या मुकद्दमा पहिलेसे चल रहा हो व उसके पश्चात् दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो तो ऐसे हुक्मकी सूचना मिलने पर उस मामलेको सुनने वाली अदालत या तो उसका सुनना बंद कर देगी या उचित शर्तोंके ऊपर उसकी समाप्त करती रहेगी। अदालत उसी मामले या कार्रवाईको रोक सकती है या उस पर शर्तें लगा सकती है जो उसके सामने पेश हों तथा उसी समय ऐसा करेगी जब यह साबित कर दिया जावे कि दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दिया जाचुका है देखो—A. I. R. 1925 Mad 1051=48 Mad. 750.

यदि किसी कर्जेका वसूलीका मामला चल रहा हो और मुद्दालेह दिवालिया क़रार देदिया जावे तो यह उचित होगा कि वह मामला रोक दिया जावे तथा कर्जख्वाहको अपना कर्ज़ा अदालत दिवालियामें साबित करनेके लिये छोड़ दिया जावे देखो—34 All 106.

इस दफाके अनुसार मामलेको रोक देनेसे यह अभिप्राय है कि जिसमें कर्जख्वाहको अदालत दिवालियामें अपना कर्ज़ा साबित करनेका अवसर मिल सके परन्तु कर्जख्वाह अगर ऐसा चाहे तो कर सकता है वरना यदि न चाहे तो उसी मामलेको चालू रखनेके लिये अदालतसे कह सकता है देखो—उमर शरीफ बनाम ज्वालाप्रसाद A. I R. 1924 Nag. 300

जबकि कोई फरीक दिवालिया क़रार देदिया जावे तो अदालतको चाहिये कि दूसरे फरीकको हुक्म देवे कि आफिशल रिसीवरको वह 'फरीक मुकद्दमा' बना लेवे और यदि आफिशल रिसीवर फरीक मुकद्दमा न बनना चाहे तो अदालत जिन शर्तों पर चाहे मुकद्दमेको सुन सकता है देखो—A. I. R 1926 1146.

दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदाद दीवानीकी किसी इजराय डिक्री द्वारा बेची गई हो और उसकी सूचना रिसीवरको न दी गई हो तो ऐसी इजरायमें नीलाममें खरीदने वालेका कोई हक पैदा न होगा और रिसीवरको अधिकार है कि वह अदालत दिवालियामें दरख्वास्त देकर ऐसे बेचे जानेको मन्सूख करा देवे। देखो—44 Mad. 524.

इस दफाके अनुसार कार्रवाई केवल उन्हीं मामलोंहीके लिये नहीं की जावेगी जो दिवालिया क़रार दिये जानेसे पहिले दायर किये गये हों किन्तु उन मामलोंके लिये भी ताल्लुक रखता है जो उसके बादभी दायर किये गये हों परन्तु इसका दरअसल कोई इल्म दायर करते समय न रहा हो। देखो—A. I. R. 1924 Nag 300.

इस दफासे यह साफ तौर पर प्रकट है कि मामलेको रोकने आदिका कोई प्रश्न उस समय तक उपस्थित न होगा जब तक कि दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म न देदिया जावे देखो—A. I. R. 1926 Mad. 432. इस तौर पर यदि कोई दिवालियेकी दरख्वास्त देदी गई हो परन्तु उस पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म न दिया गया हो तो केवल इसही बातसे इजराय डिक्रीकी कार्रवाई बंद नहीं की जासकेगी देखो—A. I. R. 1924 All. 707.

इस दफामें यह साफ नहीं किया गया है कि अदालत किस प्रकारके मामलोंकी समाअत रोक देगी तथा किस प्रकारके मामलोंको चालू रखेगी यह बात अदालतकी इच्छा पर ही छोड़ दी गई है तथा जिस प्रकारका मामला हो या जैसी सूरत उस अवसर पर समझ पड़े वैसा करनेका अधिकार अदालतको प्राप्त है इस प्रकार रहनदारोंके मामलेमें या हुक्म इम्तनाई आदिके

मामलेमें चालू रखनेका हुक्म देनाही उचित प्रतीत होता है खर्च खानगी (Maintenance) का दावा उस वक्त मुद्दालेहके विरुद्ध चालू रखा जासकता है जबकि रिसीवर भी मुद्दालेह बना लिया जावे देखो—A. I. R. 1927 Mad 403. इस दफामें जो दूसरी कार्यवाईका जिक्र है उससे तात्पर्य उस कार्यवाईसे समझना चाहिये जो मुकद्दमेंके तौर पर होवे या जो किसी मुकद्दमेंके दौरानमें कीगई हो देखो—A. I. R. 1928 Cal. 782 (F. B).

दफा ३० दिवालिया क़रार देने वाले हुक्मकी मुश्तहरी

दिवालिया करार देने वाले हुक्मका नोटिस सरकारी प्रान्तिक गजटमें या अन्य किसी नियत किये हुए रूपमें प्रकाशित किया जावेगा और उस नोटिसमें दिवालियेका नाम, पता व पेशा रहेगा तथा उस मियादका भी उल्लेख रहेगा जिसके भीतर दिवालियेको अपने बहालकी दरख्वास्त दे देना चाहिये और उसमें उस अदालतका भी नाम होगा जिसने उसे दिवालिया करार दिया हो।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया क़रार दिये जानेके पश्चात् इस हुक्मका सरकारी गजट या अन्य किसी निर्धारित रूपसे प्रकाशित किया जाना आवश्यक बतलाया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि उसमें निम्न लिखित बातें प्रकाशित की जाना चाहिये।

(१) दिवालियेका नाम पता व पेशा

(२) दिवालिया क़रार दिये जानेकी तारीख

(३) वह मियाद जिसके अन्दर दिवालियेको बहाल होनेकी दरख्वास्त देना चाहिये, और

(४) उस अदालतका नाम जिसने कि दिवालिया क़रार दिया हो।

नोट —यदि दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म गजटमें प्रकाशित होनेसे रह जावे तो यह केवल बेतरतीबी समझना चाहिये तथा इसकी वजहसे दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म रद्द नहीं समझा जावेगा या उसका असर नहीं जाता रहेगा देखो —19 P R. 1900.

दिवालिया क़रार दिये जानेके बादकी कार्रवाई

दफा ३१ दिवालियेकी रक्षाका हुक्म

(१) दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अदालतमें दरख्वास्त देसकता है और अदालत उस दरख्वास्त पर दिवालियेको क़ैद व हिरासतसे बचानेका हुक्म दे सकती है।

(२) रक्षाका हुक्म कर्जदारके सब कर्जोंके लिये या उसके किसी एक कर्जेके लिये दिया जासकता है जैसा कि अदालत उचित समझे और यह हुक्म उस वक्त व उतने समयके लिये लागू होगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे और अदालत उस हुक्मको रद्द कर सकती है या और बढ़ा सकती है।

(३) जिस कर्ज़के सम्बन्धमें रक्षाका हुक्म दिया गया हो उसके लिये दिवालिया जेल या हिरासतमें नहीं रहेगा और अगर कोई दिवालिया ऐसे हुक्मके खिलाफ क़ैद किया गया या रोका गया हो तो वह छोड़ दिये जानेका हक़दार होगा।

परन्तु शर्त यह भी है कि इस क़िस्मका कोई हुक्म जबकि वह मंसूख़ कर दिया गया हो या जबकि दिवालिया क़रार देने वाला हुक्म रद्द कर दिया गया हो कर्ज़ख्वाहके अधिकारोंके प्रयोगमें रुकावट नहीं डाल सकेगा।

(४) हर कर्ज़ख्वाहको अधिकार है कि वह हाज़िर होकर रक्षाके हुक्मकी मंज़ूरीकी मुख़ालिफ़त करे।

व्याख्या—

पिछले एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जातेही दिवालिया बिना किसी दरख्वास्त आदिके दिये हुए ही हिरासत आदिसे बचनेका हक़दार हो जाता था परन्तु इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियाके दरख्वास्त देने पर यदि अदालत चाहे तो उसको रक्षाका हुक्म दे सकता है। इस दफ़ाका प्रयोग दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् ही किया जावेगा देखो—A I R 1924 Mad 893

इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है।

ऐसा प्रकट होता है कि इस एक्टके अनुसार रक्षाका इब्तदाई हुक्म नहीं दिया जासकता है जो दफ़ा २३ के अनुसार कर्जदार दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले ही क़ैद या हिरासतसे मुक्त किये जानका अधिकारी है। देखो—A. I. R 1926 Cal 1011 में यह तय हुआ था कि जब तक दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होजावे तब तक रक्षाके लिये हुक्म इब्तदाई नहीं जारी किया जासकता है।

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि अदालत दिवालिया करार दिये जानेके बाद रक्षाका हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है अर्थात् वह अपनी इच्छानुसार हुक्म दे भी सकती है तथा उसके देनेसे इनकार भी कर सकती है। रक्षाका हुक्म देते समय अदालतको चाहिये कि उपस्थित अवस्था तथा दिवालियेके द्वारा किये हुए कार्योंका ध्यान रखे और यदि दिवालियेने बेईमानी व बदनीयतीसे फ़िज़ूल खर्च आदि करके अपनी यह दशा करली हो तो अदालत ऐसी दशामें रक्षाका हुक्म नहीं देवेगी देखो—40 Bom 461.

उपदफ़ा (२) अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षाका हुक्म किसी एकही कर्जेके सम्बन्धमें देवे या दिवालियाके सब कर्जोंके सम्बन्धमें दे देवे अदालतको अपने हुक्ममें यह दिखला देना चाहिये कि रक्षाका हुक्म सब कर्जोंके लिये दिया गया है या किसी खास कर्जेके लिये दिया गया है यदि हुक्ममें कोई ऐसा उल्लेख न हो तो यह समझना चाहिये कि रक्षाका हुक्म सब कर्जोंके लिये है।

अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षाका हुक्म किसी खास मियादके लिये देवे तथा यह भी निश्चित कर देवे कि कबसे कब तक रक्षाके हुक्मका प्रयोग समझना चाहिये अदालत अपने रक्षाके हुक्मको रद्द भी कर सकती है व साथही बढ़ा भी सकती है। रक्षाका हुक्म जो इस दफ़ाके अनुसार दिया जावेगा वह केवल उन्हीं कर्जोंके सम्बन्धमें हो सकता है जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं देखो—हीरालाल बनाम तुलसीराम A. I. R 1925 Nag 77.

उपदफ़ा (३) कर्ज़ख्वाहको अधिकार है कि वह रक्षाका हुक्म देते समय उपस्थित होकर उस हुक्मके देनेमें विरोध करे। इस उपदफ़ामें यह बात स्पष्ट है कि रक्षाकी दरख्वास्त पर विचार करनेसे पहिले उसकी सूचना उन कर्ज़ख्वाहोंको

भी हो जाना चाहिये जिनका उस दरख्वास्तसे सम्बन्ध है देखो—25 C L J 456, 25 C. L J. 149. कर्जख्वाहान स्थगित दरख्वास्तका विरोध उस पर हुक्म होनेसे पहलेही कर सकते हैं हुक्म होजानेके पश्चात् वह हाजिर होकर उसका विरोध नहीं कर सकेंगे।

अदालत दिवालियाको सरकारी कर्जों (Crown debts) के सम्बन्धमें स्थगित हुक्म देनेका कोई अधिकार नहीं है देखो—A. I. R. 1928 Rang 81=109 I C 145

दफा ३२ दिवालिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार

अगर दिवालिया करार दियेके बाद कोई कर्जख्वाह या रिसीवर इस बातकी दरख्वास्त देवे कि दिवालिया छिप रहा है या अदालती अधिकार सीमासे बाहर इस इरादेसे चला गया है *कि जिसमे वह अपने कर्तव्यकी पूर्तिके लिये बाधित न किया जासके या इस एक्टके अनुसार* कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध न की जासके और अदालतको एसी दरख्वास्त पर यकीन हो जावे तो उसे अधिकार है कि वह दिवालियेकी गिरफ्तारीके लिये वारण्ट जारी कर सकती है इसके पश्चात् दिवालियेके हाजिर होने पर या उसके गिरफ्तार होने पर अगर यकीन हो जाव कि वह छिपा हुआ था या ऐसी इच्छासे भागा हुआ था तो उसे जमानत आदि की उन शर्तों पर छोड़ सकती है जो उचित व आवश्यक प्रतीत हों और अगर जमानत न दी जावे तो यह हुक्म दे सकती है कि वह दीवानीकी जेलमें रखा जाय लेकिन यह हुक्म तीन महीने तकके लिये दिया जा सकता है।

व्याख्या—

दिवालिया करार देनेके बाद अदालत आवश्यकता प्रतीत होने पर दिवालियाको गिरफ्तार करा सकता है तथा उसे जेल दीवानीमें भी तीन माह तक रख सकती है परन्तु यह कार्रवाई अदालत उसी समय करगी जबकि रिसीवर या कोई कर्जख्वाह उसके छिपने या भागनेके सम्बन्धम दरख्वास्त देवे तथा अदालतको भी विश्वास हो जावे कि दरअसल दिवालिया उसके अधिकार सीमासे बाहर जाना चाहता था जिसमें वह अपने कर्तव्योंकी पूर्तिके लिये बाध्य न किया जासके तो अदालत उसके गिरफ्तार होनेका हुक्म देवगी परन्तु गिरफ्तार होनेके बाद भी अदालत जमानत लेकर या किसी दूसरे ढगसे यह विश्वास होजाने पर कि दिवालिया भागेगा नहीं किन्तु अपने कर्तव्योंकी पूर्तिके लिये प्रस्तुत रहेगा उसे मुक्त कर सकती है।

अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयानुकूल हुक्म दे सकता है जिससे कि दिवालिया कार्रवाईमें भी रुकावट न पड़े तथा दिवालियाको भी किसी प्रकार बेजा तौरसे परेशान न होना पड़े

दफा ३३ कर्जख्वाहानकी सूची

(१) जबकि इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दिया जाचुका है तब यह सब कर्जख्वाह जो इस एक्टके अनुसार अपने कर्ज साबित कर सकते हैं अपने अपने कर्जोंके लिये सुबूत पेश करेंगे कि उनका कितना कर्जा है व किस किस्मका कर्जा है और अदालत अपने हुक्म द्वारा यह निश्चित करेगी कि कौन २ लोगोंने अपनको कर्जख्वाह साबित किया है और उनका कितना कितना कर्ज है इन लोगोंकी व उनके कर्जोंकी एक सूची तैयार करेगी। परन्तु अगर अदालतकी रायमें किसी कर्जकी तादाद ठीक तौरपर निश्चित नहीं की जासकती है तो अदालत इसी किस्मका हुक्म लिख देगी और इस पर वह कर्ज सूचीमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

उपदफा (१) इस एक्टके अनुसार दो प्रकारके कर्जे हैं जो साबित नहीं किये जासक्ते अर्थात् एक वे कर्जे और जिम्मेदारियां जिनकी कीमतका अन्दाजा अदालत द्वारा नहीं लगाया जासक्ता और जो इसी कारण सूचीसे निकाल दिये गये हैं दूसरे व मांगें जिनका दर्जा निश्चित नहीं किया गया है या मुआहिदा शिकनी व अमानतमें खयानत सम्बन्धी हर्जे साबित किये जासक्ते हैं उदाहरण स्वरूप हमले आदि सम्बन्धी हर्जोंको ऐसी मांग समझना चाहिये जिनका कि दर्जा निश्चित नहीं किया गया है तथा महर मुवज्जल (Deferred dower) भी साबित करने योग्य कर्जा नहीं है क्योंकि यह भविष्यमें होने वाला कर्जा है और यह नहीं कहा जासकता कि वह कर्जा होवेगा या होवेगा ही नहीं देखो—50 I C 774.

उपदफा (२) इन दो प्रकारके कर्जोंको छोड़ कर जिनका उल्लेख उपदफा (१) में किया जाचुका है बाकी सब कर्जे व जिम्मेदारियां (चाहे वह मौजूदा हों या भविष्यमें होने वाली हों चाहे वह निश्चित हों या अनिश्चित) साबितका जाने योग्य है बशर्ते कि कर्जदार दिवालिया करार दिये जाते समय उनका पाबन्द हो या बहाल होनेसे पहिले उनका पाबन्द हो जावे और यह पाबन्दी दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मसे पहिले किये हुए कामके कारण हुई हो यदि कोई जिम्मेदारी दिवालिया करार दिये जानेके बाद हुई हो तो वह इस एक्टके अनुसार साबित नहीं की जासकती है देखो—48 I C 913.

यदि आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिक्री न बनवाई गई हो अर्थात् यदि रहननामेके बकाया मतालबेके लिये डिक्री न बनवाई गई हो किन्तु वह मतालबा निकलता हो तो कर्जख्वाह ऐसे कर्जेके साबित करनेसे वंचित नहीं रखा जासकेगा। कार्रवाई दिवालियेके लिये यह साबित होना आवश्यक है कि कर्जे दरअसल निकलता है देखो--A. I. R 1925 Pat. 438 यदि दिवालियाने कोई रुक्का दिवालिया करार दिये जानेके बहुत दिन बाद लिखा हो तो ऐसे रुक्केका कर्जे साबित नहीं किया जासकता परन्तु उस रुक्केके सम्बन्धमें अलहदा कार्रवाईकी जासकेगी देखो--A I R 1925 Oudh 668.

दिवालिया करार दिये जानेके बाद यदि दिवालियेसे कोई किराया निकलता हो तो उस किरायेके लिये यह नहीं माना जावेगा कि वह दिवालिया करार दिये जाते समय निकलता था और इसी कारण इस दफाके अनुसार साबित नहीं किया जासकता है देखो--A I R 1922 Oudh 73.

जबकि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारका एक मेम्बर दिवालिया करार दिया गया हो तो कर्जख्वाहको चाहिये कि अपना पूरा कर्जे (Joint debt) अदालत दिवालियामें साबित करे और वह उस संयुक्त कर्जेका दिवालिया व दूसरा दिवालिया मेम्बरोंमें बांट कर अलहदा नहीं दिखलाना देखो—A. I. R 1923 Nag 257.

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी

दफा ३५ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके अख्तियार

जबकि अदालतकी रायमें किसी कर्जदारको दिवालिया करार नहीं देना चाहिये था या जबकि अदालतको यकीन हो जावे कि कर्जदारके सब कर्जे पूर्ण रूपसे चुकता हो गये हैं तो कर्जदार या किसी दूसरे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर अदालत लिखकर दिवालिया करार देने वाले हुक्मको रद्द कर देगी और अदालत स्वयं ही या रिसीवर अथवा किसी कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर भी दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको उस समय रद्द कर सकती है जबकि कर्जदार अपनी ही दरख्वास्तके कारण दिवालिया करार दिया गया हो परन्तु वह दफा १० (२) के अनुसार ऐसी दरख्वास्त देनेका अधिकारी न होवे।

व्याख्या—

इस दफामें नीचेका हिस्सा इस एक्टके बन जानेके पश्चात् जोड़ा गया है अर्थात् दिवालिया संशोधक एक्ट न० ९ सन् १९२७ ई० के अनुसार यह भाग सम्मिलित किया गया है। दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके लिये दो बातें बतलाई गई हैं एक (१) तो यह कि जब अदालतकी रायमें दिवालिया करारही नहीं दिया जाना चाहिये था (२) यह कि जब दिवालियेके सब कर्जे पूर्ण रूपसे चुका दिये जावें। परन्तु अब संशोधित एक्टके अनुसार उस समयभी इस हुक्मको रद्द किया जासकेगा जबकि अदालतकी रायमें कर्जदारको दफा १० (२) के अनुसार दरख्वास्त देनेका हक़ही न रहा हो। किन्तु ऊपर कही हुई दोनों बातों या दो म से एक भी बातके साबित होने पर अदालत दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको रद्द करनेके लिये बाध्य है परन्तु इस संशोधित भागके अनुसार हुक्मका रद्द करना तथा न करना अदालतके अधिकारमें है।

दिवालिया यह नहीं कह सकता है कि चूंकि कर्जख्वाहोंको सूचना नहीं दी गई है इस कारण मन्सूखीका हुक्म उचित नहीं है देखा—A I R. 1926 Mad 123.

इस दफाके अनुसार हुक्म रद्द किये जानेकी दरख्वास्त दिवालिया स्वयं भी दे सकता है तथा दूसरे लोग भी दे सकते हैं अर्थात् रिसीवर कर्जख्वाह तथा अन्य कोई व्यक्ति जिसको मंसूखीके हुक्मसे लाभ पहुँचता हो ऐसी दरख्वास्त दे सकता है। अदालत स्वयं भी बिना किसी दरख्वास्तके अपने हुक्म रद्द कर सकता है। दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म धोखादेहीकी बिना पर अथवा इस बिना पर कि अदालती कार्रवाईसे बेजा फायदा उठाया गया है मंसूख किया जासकता है देखो—44 Cal. 899. इस बिना पर भी मंसूख किया जासकता है कि अदालत दिवालियाने उसकी अधिकार सीमा न होते हुए वह हुक्म दे दिया था देखो—रामकमल बनाम बैंक आफ बंगाल 5 C W N 91

इस बिना पर भी मंसूख किया जासकता है कि वह हुक्म दिया ही नहीं जाना चाहिये था क्योंकि जिस दिवालियेके कामके आधार पर वह हुक्म दिया गया था वह दरअसल मौजूद नहीं था देखो—A. I. R 1926 Mad. 1159.

यदि कोई बच्चा (Infant) दिवालिया करार दे दिया गया हो तो अदालत ऐसे हुक्मको रद्द कर देगी देखो—18 A L J 611.

इस दफामें अदालतसे बेजा लाभ उठानेका कोई उल्लेख नहीं है और इसीलिये यदि दिवालिया इस एक्टकी सब शर्तों को पूरा करदे जिससे कि वह दरख्वास्त देनेका अधिकारी समझा जासके तो यह नहीं कहा जावेगा कि उसने अदालती कार्रवाई से बेजा फायदा उठाया है इसी कारण यह दफा ३५ के अनुसार दिवालिया करार ही नहीं दिया जाना चाहिये था। जब कि दिवालियान अदालत द्वारा नियत की हुई मियादके अन्दर बहाल होने की दरख्वास्त दी हो और सब जज ऐसी दरख्वास्तको मञ्जूर न करे तथा अपील किये जाने पर जजने भी बहालीकी दरख्वास्त मञ्जूर न की हो तथा वह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको भी रद्द कर देवे तो यह तय हुआ कि जज का ऐसा हुक्म उसके अधिकारसे बाहर था देखो—A I R. 1928 Mad 609

कर्जे अदा हो जाने पर हुक्मकी मंसूखी उसी समय हो सकेगी जब कि सब कर्जे पूर्ण रूपसे चुका दिये गये हों 38 Bom 200 बादके सूदको भी कर्जे ही समझना चाहिये और यदि यह बादका सूद अदा न हुआ हो तो कर्जोंकी पूर्ण अदायगी न समझी जावेगी देखो—48 All 272

यदि दिवालियाने अपने कर्जख्वाहोंसे बाहरी तौर पर यह तय कर लिया है कि वह उन लोगोंको उनके कर्जोंका चौथाई अदा कर देगा तथा वह लोग उसी चौथाईसे अपना पूर्ण कर्जा चुकता समझेंगे तो ऐसे समझौतेके कारण दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म इस दफाके अनुसार रद्द नहीं किया जासकता देखो—43 Mad 71

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि कर्जोंकी पूरी अदायगी किस प्रकार होना चाहिये अर्थात् दिवालिया स्वयं ही उन कर्जोंको अदा कर सकता है अथवा कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी ओरसे सब कर्जोंकी अदायगी कर सकता है। इस दफाके अतिरिक्त रद किया करार दिये जानेका हुक्म और दफाओंके आधार पर भी मंसूख किया जासकता है देखो—दफा ४३, ३९ व २६ दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मकी मंसूखी लिख कर की जाना चाहिये।

इस हुक्मका मंसूखीका असर वह नहीं होता है जो बहालके हुक्मका हुक्म हुआ करता है देखो—A I R 1926 Lah 489 इस दफाके अनुसार दिये हुए हुक्मकी अपील दफा ७५ (२) तथा शिड्यूल १ के अनुसार होसकती है।

दफा ३६ एक साथ दिये हुए दो दिवालेके हुक्मको मंसूख करनेका अधिकार

अगर किसी मुकद्दमेमें दिवालिया करार देनेका हुक्म दिया जाचुका हो और हुक्म देने वाली अदालतको यह साबित हो जाय कि उसी कर्जदारके खिलाफ़ दिवालेकी कार्रवाई किसी दूसरी अदालतमें चल रही है और उस दूसरी अदालत द्वारा कर्जदारकी जायदाद सुविधाके साथ तकसीम की जासकती है तो उस अदालतको अधिकार है कि वह दिवालिया करार देने वाले हुक्मको मंसूख कर दे या दिवालेकी कार्रवाईको रोक देवे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया करार देनेका हुक्म देने वाली अदालतको यह साबित हो जाय (१) कि किसी दूसरी अदालतमें भी उसी दिवालियेके खिलाफ दिवालेकी कार्रवाई चल रहा है तथा (२) यह कि उस दूसरी अदालतको सुविधा पूर्वक दिवालियेकी जायदाद बांटनेका अवसर है तो ऐसी दशामें या तो वह अदालत अपने हुक्मको रद कर देगी अथवा अपने यहां उस दिवालेके सम्बन्धमें सब कार्रवाइयोंको बन्द कर देवेगी। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया कि इस दफाके अनुसार हुक्म रद करनेकी दरख्वास्त कौन देवे परन्तु दफासे यह बात प्रकट है कि दिवालिया या कर्जख्वाह दोनों ही इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालतमें कह सकते हैं तथा अदालत स्वयं भी ऊपर बतलाई हुई दोनों बातोंके साबित होने पर कार्रवाई कर सकती है।

अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है इसके अनुसार हुक्म देना अदालतकी इच्छापर निर्भर है।

जब कि कोई व्यक्ति दो अदालतों द्वारा अलग अलग दिवालिया करार दे दिया गया हो तो पहिले दिवालिया करार देने वाली अदालत द्वारा नियुक्त किया हुआ रिसीवर दिवालियेकी जायदादका अधिकारी समझा जावेगा तथा दूसरा दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके कारण उसका अधिकार हट नहीं जावेगा। परन्तु जब कि यह मालूम पड़े कि बादमें दिवालिया करार देने वाली अदालत सुविधा पूर्वक दिवालियेकी जायदाद बांट सकती है तब दिवालिया करार दिये जाने वाले पहिले हुक्मको रद किया जासकता है देखो—42 Mad. 121.

एक दूकानका नाम दिल्ली, रावलपिंडी, अमृतसर व कराचीमें होता था तथा उसके कर्जख्वाहान भी इन जगह पर थे। इस दूकानके मालिकान रावलपिंडीमें दिवालियेकी दरख्वास्त दी उसके बाद एक कर्जख्वाहने भी इसी बाबत दरख्वास्त दिल्लीमें दी। रावलपिंडीकी अदालत दिवालियाने रिसीवर नियुक्त कर दिया। कर्जख्वाहोंने दिल्लीमें तब यह दरख्वास्त दी कि उसका मामला वहांसे रावलपिंडी भेज दिया जावे। यह बात भी दालतमें मालूम हुई कि दिल्लीके कर्जख्वाहोंका कर्ज ९७०००) रु० के लगभग था व रावलपिंडी वालोंका ४०००) रु० के लगभग ही था यह भी साबित हुआ कि कर्जदारकी ज्यादा कीमती जायदाद दिल्ली ही में है तथा उन्होंने दिवालियेकी दरख्वास्त देनेसे कुछ ही पहिले अपनी दिल्लीकी जायदादका एक बड़ा भाग

अपने किया समझौता लिख दिया था। यह भी पता लगा कि दिवालियाके कर्जख्वाहोंने कर्जदारसे कुछ समझौता कर लिया है और वह लोग दिवालियेकी जायदादसे अपने कर्जोंका थोड़ा हिस्साही चुकानेमें लेने को प्रस्तुत हो गये हैं—इन वाकियात पर हाईकोर्ट लाहौरने यह तय किया कि दिवालियेकी कार्रवाई दोनों अदालतोंमें जारी रहे तथा यह मामले दूसरी बड़ी अदालतमें तय कर देंगी कि उनमेंसे किस अपना दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मंसूख करना चाहिये देखो— A I R 1928 Lah 848=109 I C 648

दफा ३७ मंसूखीके बादकी कार्रवाई

(१) जबकि कोई दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म मंसूख कर दिया जावे तो वह सब बयनामे व जायदादके तकसीमनामे व वह सब रुपयेकी अदायगी तथा दूसरे सब काम जो इस मंसूखीके हुक्मसे पहिले किये जा चुके हैं ठीक समझे जावेंगे। परन्तु ऊपर दी हुई बातको मानते हुए दिवालिया क़रार दिये जाने वाले कर्ज़दारकी जायदाद उस शख्सको मिलेगी जिसे अदालत नियुक्त करे या अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त न किया जावे तो वह जायदाद कर्ज़दारही को उस हद तक उन शर्तोंके साथ जो अदालत अपने लिखित हुक्म द्वारा घोषित करे वापिस चली जावेगी जिस हद तक कर्जदारका हक़ व हिस्सा उस जायदादमें पहुँचता हो।

(२) दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजटमें तथा अन्य किसी नियत किये हुए ढंगसे प्रकाशित किया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीसे पहिले अदालत या रिसीवर जिन कामोंको कर चुका है सब काम बदस्तूर ठीक माने जावेंगे तथा मंसूखीका हुक्म होते ही सब जायदाद दिवालियेको वापिस नहीं मिल सकेगी किन्तु अदालतको चाहिये कि कर्जख्वाहोंके हकोंकी रक्षाके लिये मंसूखीका हुक्म देते समय किसी ऐसे व्यक्तिको नियुक्त कर दे जो जायदाद पर कब्जा कर सके देखो—A I R 1926 Lah 370, A I R. 1925 Sindh 159

परन्तु जब कि अदालत द्वारा जायदाद पर कब्जा करनेके लिये कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त न किया गया हो तब वह जायदाद दिवालिये ही को वापिस मिल जावेगी। यदि रिसीवरके पास भी उस समय कोई जायदाद बची हो तो वह भी दिवालिये हीको वापिस मिल जावेगी। जब कि दिवालियेकी कोई जायदाद या लहना मंसूखीसे पहिलेही बरबाद हो चुका हो तो उसके लिये कोई सहायता नहीं है किन्तु रिसीवरका खर्च आदि निकालनेके पश्चात् जो बचेगा दिवालिया उसके पानेका अधिकारी है देखो—मुन्नचन्द बनाम राजाराम A I R 1925 All 735, अरुणगिरी बनाम आफिशल रिसीवर 98 I C 1080

यदि दिवालियेकी कार्रवाईके दौरानमें रिसीवर दिवालियेके साझीदारोंके विरुद्ध दिवालियेके भागके लिये दावा करे और उसके बाद दिवालियेकी कार्रवाई मंसूख करदी जावे तो इससे वह दावा समाप्त नहीं हो जावेगा किन्तु दिवालियेको अधिकार है कि वह उस दावेको उस समय अपने नामसे चालू रख सके देखो—41 All 200

किसी कर्जख्वाहकी दरख्वास्त पर दो भाई दिवालिये करार दिये गये उन्होंने नियत किये हुए समयके अंदर बहाल होनेकी दरख्वास्त नहीं दी इस कारण अदालतने दफा ४३ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख कर दिया और इसके पश्चात् जजने दफा ३७ के अनुसार उनकी एककी जायदादको भी रिसीवरके अधिकारमें आगई थी

उसको वापिस कर दिये जानेका हुक्म दे दिया। परन्तु अपीलमें यह हुक्म हुआ कि जायदाद पुराने रिसीवरके अधिकारमें रखा जासकती थी। पहिले इसके कि कर्ज़ख्वाह कोई कार्रवाई करें उस पुराने रिसीवरने जायदादको बेच डाला तथा उसे सूचीके कर्ज़ख्वाहानमें दिस्सा रसदीसे तकसीम कर दिया—लाहोर हाईकोर्टने यह तय किया कि जायदादका बेंचा जाना तथा उसका रसदी तौरसे बाटा जाना कानूनन उचित है देखो—A. I. R. 1928 Lah 453

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि मसूखीका हुक्म प्रान्तिक सरकारी गजटमें अवश्य प्रकाशित किया जाना चाहिये तथा निर्धारित किये हुए किसी दूसरे रूपमें भी उसे प्रकाशित कर देना चाहिये। मसूखीका हुक्म होते समय दिवालिये की जायदादका कि ही शर्तोंके साथ दिवालियेको मिलनेके लिये जो हुक्म दिया जाय उसकी अपील हाईकोर्टमें दफा ७५ (२) व शिड्यूल १ के अनुसार हो सकती है देखो—100 I. C 137.

तसफिया तथा तय करनेका तरीक़ा

दफा ३८ तसफिया तथा तय करनेका तरीक़ा

(१) अगर कोई कर्जदार दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्म हो जानेके पश्चात् अपने कर्ज़ोंके तसफियाके लिये रहे या अपने मामलोंको तय करनेके लिये कोई तरीक़ा बतलावे तो अदालत ऐसे प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये कोई तारीख़ नियत करेगी और सब कर्ज़ख्वाहों को नियत ढंग पर नोटिस दिया जावेगा।

(२) अगर प्रस्ताव पर विचार करनेके पश्चात् कर्ज़ख्वाह कसरत रायसे और जिनका संयुक्त कर्ज़ा कुल कर्ज़के ¾ क़ीमतसे कम न हो तथा उनके कर्ज़े साबित किये जाचुके हों और वह लोग स्वयं हाजिर हों या उनके वकील मौजूद हों इस प्रस्तावको मंजूर करलें तो यह मान लिया जावेगा कि कर्ज़ख्वाहोंने उस प्रस्तावको भली भांति स्वीकार कर लिया है।

(३) कर्ज़दारको अधिकार है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत होते समय उसे संशोधित कर सकता है अगर अदालतकी रायमें वह संशोधन अधिकतर कर्ज़ख्वाहानकी भलाईके लिये है।

(४) अगर अदालत नियुक्त किये हुए रिसीवरकी रिपोर्ट सुनकर तथा कर्ज़ख्वाहों द्वारा या उनकी तरफसे किये हुए एतराज़ोंको समझकर यह राय क़ायम करे कि कर्ज़दारका प्रस्ताव उचित नहीं है या अधिकतर कर्ज़ख्वाहोंके लाभके लिये नहीं है तो वह उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी।

(५) अगर कोई ऐसी बातें साबित हो जावें जिनके साबित होने पर अदालत बेहाल करनेका हुक्म न देसके या रोक दे या उसके साथ शर्तें लगा दे तो अदालत उस वक्त तक उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी जब तक कि बिला महफूज़ कर्ज़ोंके लिये जो कर्ज़दार की जायदादके खिलाफ साबित किये जासकते हैं कमसे कम ६ आना फी रुपयेकी अदायगीका इन्तज़ाम न हो जावे।

(६) कोई तसफिया या स्कीम उस वक्त तक मंजूर नहीं की जावेगी जब तक कि उसके द्वारा उन कर्ज़ोंकी अदायगीका इन्तजाम पहिले न हो जाये जिनकी अदायगी दिवालियेकी जायदादसे पहिले होना चाहिये।

(७) और किसी दूसरी सूरतमें अदालतको अधिकार है कि वह चाहे प्रस्तावको मंजूर करे या नामंजूर करदे ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् दिवालिया अपने कर्जोंको निपटानेके लिये जो कार्रवाई कर सकता है उसका उल्लेख इस दफामें दिया हुआ है ।

समक्रिया (Composition) से तात्पर्य उस समझौतेसे समझना चाहिये जो कर्जदार व कर्जख्वाहोंके दरमियान उनके कर्जे तय किये जानेके लिये किया जावे तथा जिसके अनुसार कर्जख्वाहान अपने कर्जेसे कम लेकर पूरे कर्जोकी अदायगी मान लेवें । जब कोई ऐसा प्रस्ताव अदालतके सामने उपस्थित हो तो अदालतका कर्तव्य है कि वह उसकी सूचना कर्जख्वाहान को देवे तथा इस दफाके अनुसारकी हुई सभा (Meeting) में उस प्रस्ताव पर विचार करे और यदि कर्जदारान जिनके कर्जे साबित हो चुके हैं बहुमतसे तथा जिनके कर्जोंका योग कुल साबित किये हुए कर्जेके तीन चौथाईसे न्यून न होवे तथा जो स्वयं या जिनके वकील उपस्थित होवें उस प्रस्तावको स्वीकार करलें तो अदालतको चाहिये कि वह इस बातको नोट करले कि वह प्रस्ताव कर्जख्वाहानने मंजूर कर लिया है । परन्तु यदि स्वयं या वकीलों द्वारा उपस्थित कर्जख्वाहान जिनके कर्जे साबित किये जा चुके हैं बहुमतसे या जिनके कर्जे तीन चौथाई साबित किये हुए कर्जोंसे कम न हों उस प्रस्तावको मंजूर न करें तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जावेगा अदालतको उस प्रस्तावको अस्वीकारके लिये चाहे जो कुछ राय रही हो । यदि प्रस्ताव कर्जख्वाहान द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो तो अदालतका कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि आया वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं । अदालतके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जख्वाहान द्वारा स्वीकृत किया हुआ प्रस्ताव अवश्यही स्वीकार करले देखो—30 I C 694

इस दफामें बताये हुए नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे किया जाना चाहिये अन्यथा कोई समझौता माननेके लिये कर्जख्वाहान बाधित नहीं होंगे और न ऐसा समझौता कानूनी समझौताही समझा जावेगा देखो—A I R 1926 Lah 87 समझौता कर्जख्वाहानकी स्वीकृतिसे माननीय नहीं समझा जावेगा किंतु उसको माननीय बनानेके लिये अदालतकी स्वीकृति आवश्यक है देखो—A. I R 1926 Lah 489

यदि किसी कर्जख्वाहको सूचना न पहुँचनेके कारण समझौता ठीक न रहे तो कर्जख्वाहको अधिकार है कि वह अपने कर्जदारकी जायदादको कुर्क करा लेवे देखो—A I R 1926 Lah 87

उपदफा (२) तथा आगेकी उपदफाओंसे यह प्रतीत होता है कि समझौतेके प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये एक सभा (Meeting) की की जावेगी यदि कर्जख्वाहान समझौतेको मंजूर कर लेवें तो यह मान लिया जावेगा कि वह प्रस्ताव पास हो गया है ऐसे प्रस्ताव पर वोट देनेका अधिकार उस कर्जख्वाहको नहीं होगा जिसका कि कर्जा साबित नहीं किया गया है तथा जिसका नाम जज द्वारा सूचीमें सम्मिलित नहीं किया गया है देखो—15 A L J. 166=40 I C 156

उपदफा (३) के अनुसार कर्जदार अपने प्रस्तावमें संशोधन कर सकता है यदि अदालतकी रायमें उस संशोधनसे कर्जख्वाहानको लाभ पहुँचता हो ।

उपदफा (४), (५) व (६) में यह बतलाया गया है कि अदालत किन २ दशाओंमें कर्जदारके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा ।

उपदफा (७) में उन मामलोंके सम्बन्धमें कहा गया है जिनका उल्लेख इससे पहिले नहीं किया गया है अदालत

को ऐसे मामले स्वीकार करने व न स्वीकार करनेमें पूर्ण स्वतन्त्रता है उदाहरण स्वरूप यदि दिवालियाने रिसीवरसे छिपाकर किसी कर्ज़ख्वाहको रुपया दिया हो तो अदालत ऐसी दशामें समझौता नामञ्जूर कर सकती है देखो—A I R 1926 Mad 1166 अधिकतर ऐसे प्रस्तावोंकी स्वीकृति लिखित हुक्मके अनुसारही की जाना चाहिये किन्तु ऐसे अवसर भी आजाते हैं जिनमें यह समझा जासके कि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है यद्यपि उसके सम्बन्धमें कोई नियमित हुक्म न दिया गया हो देखो—A I R. 1926 All 361.

दफा ३९ मंजूर करने पर हुक्म

अगर अदालत प्रस्तावको मंजूर करले तो सब शर्तें अदालतके हुक्ममें लिख दी जायेंगी और अदालत दफा ३३ के अनुसार एक सूची तैयार करेगी व दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख कर दिया जावेगा और दफा ३७ में दिये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा और तसफिया या स्कीम उन सब कर्ज़ख्वाहोंके लिये माननीय होगी जिनका उल्लेख सूचीमें है और जहां तक उनका तात्लुक सूचीमें दिये हुए अपने कर्ज़ोंसे है।

व्याख्या—

जब कि अदालत प्रस्तावको स्वीकार कर लेवे तो अदालतको चाहिये कि वह अपने हुक्ममें प्रस्तावकी सब बातोंको दिखला देवे तथा दफा ३३ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्ज़ख्वाहान व कर्ज़ोंकी सूची तैयार करे और साथही साथ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको रद्द कर देवे इसके पश्चात् दफा ३७ में बतलाई हुई कार्यवाई लागू होगी देखो—24 A L J 441 यदि प्रस्तावकी स्वीकृतके साथ कोई शर्तें न लगाई जावें तो दिवालिया अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त हो जावेगा और रिसीवर अपनी कार्यवाईका करना बन्द कर देगा देखो—A. I. R 1926 Mad 1137.

समझौतेकी कार्यवाई केवल उन्हीं कर्ज़ख्वाहों पर लागू होगी जिनके कर्ज़े साबित किये जाचुके हैं तथा जिनका नाम सूचीमें लिखा जाचुका है। वह कर्ज़ख्वाहान समझौतेकी अवहेलना नहीं कर सकते देखो—A I R 1925 Lah. 316 वह कर्ज़ख्वाह जिनका नाम सूचीमें नहीं आया है अपनी डिक्री इजराय करा सकता है देखो—A I. R. 1926 Cal 489

दफा ४० कर्ज़दारको फिर दिवालिया क़रार देनेका अधिकार

अगर तसफिया या स्कीममें तय की हुई किसी किस्तकी अदायगी न हो सके या अदालत को यह मालूम हो कि बिला बेइन्साफी या देर किये हुए उस पर अमल नहीं किया जासकता है या अदालतको यह यक़ीन हो जावे कि उसे धोखा देकर मंजूरी ली गई है तो वह अगर मुनासिब समझे कर्ज़दारको दुबारा दिवालिया करार दे सकती है और तसफिया या स्कीमको रद्द कर सकती है लेकिन वह सब इन्तक़ाल जायदाद अदायगी तथा दूसरे काम जो तसफिया या स्कीमके अनुसार दिये जाचुके हैं ठीक समझे जावेंगे।

जब कि कर्ज़दार इस दफाके अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो वह सब कर्ज़े भी जो दुबारा दिवालिया क़रार देनेसे पहिले लिये हैं और जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं साबित किये जासकेंगे।

व्याख्या—

इस दफामें समझौतेके आधार पर मुक्त किये हुए दिवालियेका दुबारा दिवालिया करार दिये जानेका उल्लेख है तथा समझौतेका स्कीम या व्यवस्थाको रद्द कर देनेका भी वर्णन है। अदालत नीचे दी हुई बातोंके होने पर समझौतेको स्वीकृत की हुई स्कीमको रद्द कर सकती है तथा दिवालियेको फिर दुबारा दिवालिया करार दे सकती है।

(१) यदि समझौतेके अनुसार तय की हुई किस्तकी अदायगी ठीक समय पर न होवे, या

(२) यदि समझौतेके प्रस्ताव पर बिना बेइन्साफी या देर किये हुए अमल न किया जासके, या

(३) यदि अदालतकी स्वीकृति धोखा देकर लीगई हो।

इस दफाके अनुसार समझौतेकी स्कीम रद्द की जानेके बाद कर्जख्वाहान अपना अपना कर्जा साबित कर सकेंगे समझौतेमें दिखलाये हुए कर्तोंकी पाबन्दी उन पर नहीं होगी तथा उस समय वह भी कर्जे दिखलाये जासकेंगे जो समझौतेकी स्कीमके बाद किन्तु उसके रद्द होनेसे पहिले लिये गये हों।

बहाल होना (Discharge).

दफा ४१ बहाल होना

(१) दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी समय भी लेकिन उस मियादके अन्दर जो अदालतने दी हो, दिवालिया बहाल होनेकी दरख्वास्त अदालतमें दे सकता है और अदालत कोई दिन उस दरख्वास्त तथा उस पर किये जाने वाले एतराज़ोंको सुननेके लिये मुकर्रर करेगी तथा उसकी सूचना नियत किये हुए ढंग पर दीजावेगी।

(२) इस दफाके नियमोंका ध्यान रखते हुए कर्जख्वाहोंके एतराजोंको सुननेके पश्चात् तथा जिसमें रिसीवर नियुक्त किया गया हो उसमें उसकी रिपोर्ट देखनेके पश्चात् अदालतको अधिकार है कि वह :—

(ए) पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म दे सकती है या उसके देनेसे इन्कार कर सकती है, या

(बी) या किसी नियत समयके लिये बहाल होने वाले हुकमको कार्यान्वित होनेसे स्थगित कर सकती है, या

(सी) या उन शर्तोंके साथ बहाल कर सकती है जो उसे उसकी आयन्दा आमदनीके सम्बन्धमें या आयन्दा मिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें देना हो।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके बहाल किये जानेका उल्लेख है पिछले एक्टके अनुसार दिवालियेको अधिकार था कि वह दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी बहाल होनेकी दरख्वास्त दे सकता था परन्तु इस एक्टके अनुसार दिवालिया उसी मियादके अन्दर बहाल होनेकी दरख्वास्त दे सकता है जो कि दिवालिया करार दिये जाने समय अदालतने उसको दी हो। बहाल होनेकी विधि इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले दिवालिया अदालत द्वारा निर्धारित किये हुए अथवा दफा २७ (२) के अनुसार उसके द्वारा बढ़ाये हुए समयके अन्दर बहाल होनेकी दरख्वास्त देगा। ऐसी

दरख्वास्त दी जाने पर अदालत कोई तारीख उसके सुननेके लिये नियत करेगी तथा इस नियतकी हुई तारीखकी सूचना कर्ज़ख्वाहोंको निर्धारित ढंग पर दी जावेगी तब कर्ज़ख्वाहोंका विरोध उस दरख्वास्तके लिये सुनकर तथा नियुक्त किये हुए रिसीवरका रिपोर्ट देखकर अदालत अपना हुक्म देवेगी। अदालत अपना हुक्म तीन प्रकारका इस सम्बन्धमें देसकती है जिनका उल्लेख उपदफा (२) के क्लाज (ए), (बी) व (सी) में किया गया है अर्थात् (१) या तो दिवालियेको बिल्कुल बहाल कर देगी या बहाल करनेसे इनकार कर देगी, (२) बहाल तो कर देगी परन्तु साथ साथ यह पाबंद लगा देगी कि बहालीका हुक्म एक नियत किये हुए समयके पश्चात् प्रयोगमें आसकेगा, तथा (३) किसी ऐसी शर्तके साथ उसे बहाल करेगी कि उसे अपनी आमदनीका कोई निश्चित भाग या बादमें प्राप्त होने वाली जायदाद बहाल हो जानेके बाद भी देना पड़े। यदि कर्ज़ख्वाह व कर्ज़दारके दरमियान इस प्रकारका समझौता हो जावे कि वह कर्ज़ख्वाह बहाल होनेकी दरख्वास्त का विरोध नहीं करेगा तो ऐसा समझौता बेअसर समझना चाहिये अर्थात् ऐसे समझौतेके हो जाने पर भी वह कर्ज़ख्वाह बहालीकी दरख्वास्तका विरोध कर सकता है देखो—20 Bom 636

उपदफा (२) बहालीका हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है उसके देनेके लिये वह बाध्य नहीं है। दफा ४२ में उन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत बिल्कुल बहाल होनेका हुक्म नहीं देवेगी यदि बहालीका हुक्म देनेसे इनकार कर दिया जावे तो यह नहीं समझना चाहिये कि दिवालिया करार देनेका हुक्म मन्सूख कर दिया गया है। दिवालियापन उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि दिवालियेकी मसूखीका हुक्म साफ तौर पर न देदिया जावे देखो–52 M. L J. 54

बहाल होनेके हुक्मको स्थगित किये जानेसे अभिप्राय यह है कि किसी नियत समय तकके लिये दिवालिया बहाल न समझा जायेगा किन्तु उस समयके व्यतीत होनेके पश्चात् दिवालिया बहाल समझा जावेगा। जितने समयके लिये अदालत बहाल होनेके हुक्मको स्थगित करना चाहे उसका उल्लेख अपने हुक्ममें कर देना चाहिये अर्थात् अनिश्चित समयके लिये उसे स्थगित न करना चाहिये जैसा कि क्लाज (बी) से प्रकट होता है। यदि बहाल होनेकी दरख्वास्त नामन्ज़ूर किये जानेके बाद रक्षा (Protection) की दरख्वास्त दी जावे तो अदालत उस पर बहुत सोच समझ कर हुक्म देगा। यदि दिवालियेने बेसमझे बूझे तथा बेईमानीसे तमाम कर्ज़े लाद् लिये हों तो ऐसी दशामें अदालतको चाहिये कि वह कर्ज़ख्वाहको ऐसा मौका मिलने दे जिसमें वह बेईमान दिवालियेको उसके कर्मोंका फल देसके अर्थात् उसे कैद करा सके। रक्षाके हुक्मको देना न देना बिल्कुल अदालतके हाथ है जब कि अदालतको यह मालूम हो कि फिजूल खर्ची आदि करके दिवालिया बननेका मौका जबरदस्ती बुलाया गया है तथा कर्ज़ख्वाहोंके कर्ज़ोंका बिल्कुल ध्यान न देते हुए रुपया बरबाद किया गया है तो अदालतको चाहिये कि वह रक्षाका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे देखो—40 Bom 461.

दिवालियेके बहाल होनेमें बादकी कमाई तथा बादमें प्राप्त होने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्त लगा देनेसे अभिप्राय यह है कि जिसमें कर्ज़ख्वाहोंका यदि मौका हो तो कुछ अधिक प्राप्त हो सके। शर्तके साथ बहाल होनेका अभिप्राय यह नहीं है कि दिवालियेकी सब कार्रवाई समाप्त हो गई इसी कारण बादमें आने वाला कर्ज़ख्वाह भी अपने कर्ज़ेको साबित कर सकता है देखो—A. I. R. 1925 Pat 438

दफा ४२ पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण

(१) अदालत नीचे दी हुई बातोंमें से किसी एकके भी साबित होने पर दफा ४१ के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म नहीं देवेगी:—

(ए) यह कि दिवालियेकी जायदादकी क़ीमत उसके बिना महफूज़ कर्ज़ोंके लिये रुपयेमें आठ आना भी अदा करनेके लायक नहीं है, जबतक कि दिवालिया अदालतको

यह यक़ीन न दिला देवे कि उसकी जायदादसे बिला महफूज़ क़र्ज़ोंकी आधी अदायगीका इन्तज़ामका न हो सकना ऐसे कारणोंसे होगया है जिनके लिये यह उचित रीतिसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।

(बी) यह कि दिवालियेके पास वह हिसाबकी किताबें नहीं हैं जो अमूमन उसके ऐसे रोजगार करने वालोंके पास रहना उचित है और जिनसे उसके रोजगारका तथा माली हालतका हाल काफ़ी तौरसे दिवालिये बननेसे तीन साल पहिले तकका मालूम होसकता है।

(सी) यह कि दिवालिया अपनेको दिवालिया जानते हुए भी रोजगार करता रहा हो।

(डी) यह कि इस एक्टके अनुसार साबित होने वाला कोई कर्ज़ दिवालियेने यह न जानते हुए लिया हो कि उसे उस कर्ज़ेके अदा करनेका उचित अवसर न मिलेगा इसके साबित करनेका बार सुबूत दिवालिया पर होगा।

(ई) यह कि दिवालिया भले प्रकार यह नहीं साबित कर सका है कि उसके लहनेमें कमी क्यों हुई या उसके लहनेसे उसके कर्ज़ोंकी अदायगी क्यों नहीं हो पाई।

(एफ) यह कि उसका दिवाला उसके जल्द व खतरनाक सौदोंके करनेके कारण हुआ है या उससे दिवाला निकलनेमें मदद मिली है या उसके अनुचित रूपसे बहुत अधिक खर्च करनेके कारण हुआ है या जुआ खेलनेके कारण या अपने व्यापारके अनुचित रूपसे अवहेलना करनेके कारण हुआ है।

(जी) यह कि दिवालेकी दरख्वास्त दिये जानेके पहिले तीन माहके अन्दर जबकि यह अपने कर्ज़ोंको अदा नहीं कर सकता था उसने किसी खास कर्ज़ख्वाहको बेजा तौर पर तर्जीह दी हो।

(एच) यह कि दिवालिया इनसे पहिले भी दिवालिया करार दिया जाचुका है या यह कोई समझौता या तसफिया अपने कर्ज़ख्वाहोंके साथ कर चुका है।

(आई) यह कि दिवालियेने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा छिपाया है या हटा दिया है या और किसी प्रकारकी धोखादेही या अमानतमें ख्यानतका धोखेका काम किया है।

(२) इस दफाके लिये रिसीवरकी रिपोर्ट शहादत मानी जायेगी और अदालतको अधिकार है कि उसमें दी हुई किसी बातकी सचाईको मानले।

(३) अदालतको अधिकार है कि बहाल करनेके हुक्मको स्थगित करने या उसके साथ शर्तें लगाने, दोनों बातोंको एक साथ भी कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके व्यापार द्वारा किये हुए वह सब काम दिखलाये गये हैं जिनके साबित होनेसे अदालत दिवालियेको पूर्ण रूपसे बहाल करनेको तैयार नहीं होवेगी।

क्लाज़ (ए) से लगा कर क्लाज़ (आई) तक जो बातें दिखलाई गई हैं वह सब एक प्रकारसे दिवालियेकी बदनीयती बेईमानीको तथा दुरुपयोगके काम हैं यदि दिवालिया इन कामोंमेंसे किसी कामका दोषी समझा जावे तो वह क़ानून दिवालिया से होने वाले फ़ायदोंसे वञ्चित रक्खा जावेगा। इस दफ़ाका सम्बन्ध केवल दफ़ा ४१ (२) के क्लाज (ए) के साथ समझना चाहिये अर्थात् इस दफ़ामें बतलाई हुई बातोंके होने पर क्लाज (ए) के अनुसार पूर्ण बहालका हुक्म नहीं दिया जावेगा। इस दफ़ाका प्रभाव दफ़ा ४१ (२) के क्लाज (बी) व (सी) पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् इस दफ़ामें बतलाई हुई बातोंके साबित होनेके कारण बहाल होनेमें शर्त या कोई अवधि न बढ़ा देना चाहिये देखो—39 I. C. 916.

जब कि दिवालियेके रहनेसे उसका आधा कर्ज़ा भी न चुकाया जासकता हो और दिवालियेने कर्ज़ोंकी वसूलीमें रिसीवरके लिये रुकावटें डाली हों तो ऐसे दिवालियेको बहाल करनेसे इनकार कर देनेका हुक्म उचित हुक्म है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 112.

हिसाब किताब न रखने पर ही पूर्ण बहाल किया जाना रोका जासकता है देखो—A I R 1927 All. 352 जब कि किसी अदालत दिवालियाने किसी दिवालियाको बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर दिया हो तो वह अदालत अपने इनकारीके हुक्मको बदल नहीं सकती है देखो—32 I. C. 575 परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि यदि बहाल होनेसे इनकार करनेका हुक्म सदैव क़ायम बना रहेगा देखो—A. I R 1925 Mad. 915.

रिसीवरकी रिपोर्ट एक प्रकारकी शहादत समझी जावेगी और जब तक कि कोई बात उसके विरुद्ध न दिखलाई जावे वह रिपोर्ट ठीक समझी जावेगी देखो—36 I. C 906, 37 All 429 यदि किसी दिवालियेके मामलेमें क़र्ज़ेमें आठ आने देना दिये गये हों और बाद बहाल होनेका हुक्म एक अर्से तक बिल्कुल रोके रहे तो उसका ऐसा हुक्म बिल्कुल क़ानूनके विरुद्ध है देखो—A. I. R. 1928 Oudh 263.

बहालका हुक्म देते समय केवल यह लिख देना काफ़ी नहीं है कि रिसीवरकी रिपोर्टमें कोई बात दिवालियेके बहालमें रुकावट डालने वाली नहीं है बल्कि इस बातका विश्वास कर लेना चाहिये कि दरअसल दिवालियेकी कोई बेईमानीकी व जहसे आधा रक़म वसूल होनेमें रुकावट नहीं पड़ी है अर्थात् दिवालियेकी बेईमानीसे ऐसा हुआ है। बिना इस किस्मकी तजवीज किये हुए अदालतका फ़ैसला क़ानूनन उचित नहीं है। देखो—A. I. R 1928 Cal 843.

उपदफ़ा (३) एक प्रकारसे दफ़ा ४१ में सम्मिलितकी जानेके योग्य है क्योंकि उसमें यह बतलाया गया है कि शर्तें लगाने व अवधिको बढ़ानेके हुक्म साथ २ भी दिये जासकते हैं अर्थात् दफ़ा ४१ (२) के क्लाज (बी) व (सी) की कार्रवाइयां एक साथमें की जासकती हैं।

दफ़ा ४२ बहालकी दरख्वास्त न दिये जानेपर दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूख़ी

(१) अगर दिवालिया बहालकी दरख्वास्त सुने जाने वाले दिन या अदालतसे मुक़र्रर किये हुए बादके किसी दिन पर हाज़िर न हो या दिवालिया अदालतकी दी हुई मियादके अन्दर बहाल होनेकी दरख्वास्त न देवे तो दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख़ कर दिया जावेगा और उसके बाद दफ़ा ३७ की कार्रवाईका प्रयोग होगा।

(२) जबकि क़र्ज़दार इस ऐक्टके अनुसार हिरासतसे छोड़ा गया हो और दफ़ा ४३ (१) के अनुसार उसके दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख़ कर दिया जावे तो अदालतको अधिकार है कि अगर वह मुनासिब समझे तो क़र्ज़दारको फिर उसी हिरासतमें देदे और जलका अफ़सर जिसकी सुपुर्दगीमें क़र्ज़दार इस प्रकार दुबारा दिया जावेगा उसको अपनी सुपुर्दगीमें

सुपुर्दगीके हुक्मके अनुसार ले लेवेगा और उस वक्त यह सब कार्रवाइयां जो कर्जदारकी ज़ातके खिलाफ़ उसके छोड़ जानेके समय लागू थीं इस प्रकार चालू समझी जावेंगी मानो कोई दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया ही नहीं गया था।

व्याख्या—

इस दफामें यह बात प्रकट है कि दिवालियेके लिये बहाल होनेकी दरख्वास्त देना अति आवश्यक है वरना वह इस एक्टके नियमोंका लाभ उठानेसे वंचित रखा जावेगा। बहाल होनेकी दरख्वास्त अदालत द्वारा नियत किये हुए समयके अन्दरही दी जाना चाहिये अदालत द्वारादी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालिया अपने आपही बहाल नहीं हो जावेगा किन्तु उसके बहाल होनेके लिये अदालतका हुक्म होना आवश्यक है देखो—49 All. 201. दिवालियेके हुक्मकी मन्सूखी तथा बहाल होनेका हुक्म दोनों इस एक्टके अनुसार एकही चीज नहीं हैं देखो—A. I. R 1925 Lah. 376. यदि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देते समय बहाल होनेके लिये कोई मियाद नहीं दी गई हो तो यह दफा लागू नहीं होगी और बहालकी दरख्वास्त न देनेके कारण दिवालियेका हुक्म मसूख नहीं किया जावेगा देखो—A. I. R. 1926 Lah 24.

उपदफा (१) इस दफाके अनुसार दिवालियेका हुक्म नीचे दीहुई किसी बातके होनेपर मसूख किया जासकेगा

(१) यह कि जब दिवालिया बहाल होने की दरख्वास्त सुने जानेकी तारीख पर हाजिर न होवे

(२) यह कि जब वह तारीखके बढ जाने पर उस बढ़ी हुई तारीखके दिन हाज़िर न होवे

(३) यह कि जब दिवालिया दफा २७ के अनुसार नियतकी हुई म्यादके अन्दर बहाल होनेकी दरख्वास्त नदेवे।

इस दफामें बतलाये हुए नियमकी पालन करनेके लिये अदालत बाध्य है A. I. R 1926 Sind. 94. इसलिये यदि दिवालिया ऊपर बतलाई हुई कोईभी गलती करे तो मसूखीका हुक्म होजाना चाहिये और दिवालिया उस समय जाब्ता दीवानीके आर्डर ९ के अनुसार भी सहायता नहीं पासकता है अर्थात् बाज बनकर हाकिमकी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है यदि दिवालिये से गलती किसी अनिवार्य कारणही से होगई होतो वह दफा १० (८) से लाभ उठा सकता है अर्थात् इसके अनुसार फिर दरख्वास्त दिवाला देसकता है देखिये 49 Mad. 935; A. I. R. 1924 Mad 635.

अदालत इस दफा के अनुसार स्वयही कार्रवाई करसकती है तथा ऐसा कर्जख्वाहभी जिसको दिवालियेके हुक्मसे हानि पहुंची हो मसूखी के लिये दरख्वास्त देसकता है देखो—A I. R. 1924 Mad. 635.

इस एक्टकी दफा ४३ आज्ञा कारिक है और अदालत को नियतकी हुई मियादके समाप्त होनेके पश्चात् समय बढ़ानेका अधिकार नहीं है म्याद गुजरने के अन्दर दिवालिया या कर्जख्वाह म्याद बढानेकी दरख्वास्त देसकते हैं परन्तु जहां ऐसा नहीं किया गया हो वहां दफा ४३ के अनुसार कार्रवाईकी जानी चाहिये A. I. R. 1928 Mad. 265.

परन्तु अम्मा साहबके मामलेमें यह तय हुआ था कि दिवालिये के हुक्ममें दी हुई मियादके बाद भी समय बढ़ाया जा सकता है।

दफा ४३ (१) दफा २७ के साथ पढ़ी जाना चाहिये और अदालत को अधिकार है, जिस अधिकार को उसे कानूनी ढंग से बर्तना चाहिये कि यदि मातहत अदालतने समय बढा दिया होतो वहभी समय बढा रहने दे सिवा जनके हाईकोर्ट ऐसे हुक्मको हटा नहीं सकता है देखो—1928 M. W. N. 441.

कर्जख्वाह इजाजत लेकर इस दफा के अनुसार दिये हुए हुक्मकी अपील करसकता है 100 I. C. 137.

और यदि अपील मंजूर करली जाय तो यह मान लिया जावेगा कि इजाजत दीजाचुकी है A. I. R. 1928 Pat 338.

दफा ४४ बहाल होनेके हुक्मका असर

(१) बहाल होनेका हुक्म दिवालियेको नीचे दी हुई बातोंसे बरी नहीं होने देगा :—

(ए) किसी सरकारी कर्जेसे

(बी) धोखेबाजीसे या धोखा देकर अमानतमें खयानत करके अगर कोई कर्ज़ या ज़िम्मेदारी पैदा हुई है और जिसमें दिवालियेका भी हाथ रहा हो

(सी) अगर धोखेबाजीमें शरीक रह कर किसी कर्ज़ या ज़िम्मेदारीसे बरी होगया हो तो ऐसे कर्ज व जिम्मेदारीसे, या

(डी) अगर सन् १८६८ ई० के ज़ाबता फौजदारीकी दफा ४८८ के अनुसार कोई हुक्म परवरिशका उसके खिलाफ दिया जावे तो एसे हुक्मकी जिम्मेदारीसे।

(२) पहिली उपदफा अर्थात् ४४ (१) में दी हुई बातोंको छोड़ कर दिवालिया बहाल होनेके हुक्म हो जाने पर और सब कर्जोंसे मुक्त हो जायगा जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं।

(३) बहाल होने वाले हुक्मसे ऐसा व्यक्ति बरी जिम्मा नहीं होगा जो दिवालेकी दरख्वास्त दिये जाते समय दिवालियेका साझी या संयुक्त ट्रस्टी रहा हो या जिसकी दिवालियाके साथ संयुक्त ज़िम्मेदारी या संयुक्त मुआहिदा रहा हो या जो दिवालियेके लिये जामिनदार रहा हो।

व्याख्या—

बहाल होनेके हुक्म दिये जानेपर दिवालिया उन सब कर्जोंसे मुक्त होजाता है जो कानून दिवालियाके अनुसार साबित किये जासकते हैं परन्तु वह ऐसे कर्जोंसे मुक्त उस समयभी नहीं समझा जावेगा जिनका उल्लेख इस दफाकी उपदफा (१) के क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है मुक्त होजाने से अभिप्राय यह है कि वह कर्जे समाप्त समझे जावेंगे। इस एक्टके अनुसार साबित किये जाने योग्य कर्जोंका उल्लेख दफा ३४ में किया गया है।

यदि रिसीवरने किसी कर्जेको रद्दी व वसूल न किये जाने योग्य समझकर छोड़ दिया होतो दिवालिया बहाल होने पर ऐसे कर्जेको वसूल कर सकता है व उसको मुन्तकिल कर सकता है, 39 All. 223. यदि बहाल होनेकी दरख्वास्त एक बार नामञ्जूर करदी गई हो तोभी दिवालिया फिर दूसरी दरख्वास्त दूसरी बातों पर इसके लिये दे सकता है एक्टमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह मान लिया जावे कि बादकी बहाल होने की दरख्वास्त नामञ्जूर किये जानेका प्रमाण आजन्म तक कायम रहेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad 915.

दफा ४४ (१) के अनुसार दिवालियेका बहाल होनेका हुक्म होजाने के पश्चात् उन सब कर्जोंसे मुक्त समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं। यदि किसी कर्जेख्वाहने जान बूझ कर साबित करने योग्य अपने कर्जेको साबित न किया हो तोभी इससे कुछ नहीं हो सकता है, देखो—A. I.R. 1928 Nag 336

जामिनदार अपने जमानतकी जिम्मेदारी साबित कर सकता है। यदि मुद्दई किसी कर्जदारका जामिनदार होवे और वह कर्जदार दिवालिया करार दिये जानेके पश्चात् दफा ४१ के अनुसार बहाल कर दिया गया हो तथा इसके बाद कर्जेख्वाह उस जामिनदारसे अपना कर्जा वसूल करले तो वह जामिनदार बहाल हुए कर्जदारके विरुद्ध अपना रुपया वापिस पानेके लिये दावा करे तो यह तय किया गया कि चूंकि वह कर्जा दफा ३४ (२) के अन्तर्गत नहीं आता है अतः कर्जदार (बहाल किया हुआ दिवालिया) उस कर्जेकी जिम्मेदारीसे दफा ४४ के अनुसार मुक्त हो चुका है, देखो—A. I. R. 1928 All. 306.

तीसरा प्रकरण

क़र्ज़ोंके साबित करनेका तरीक़ा (जायदादका प्रबन्ध)

दफा ४५ आइन्दा अदा होने वाले क़र्ज़े

अगर किसी कर्ज़ख्वाहका रुपया कर्ज़दारसे लेना हो लेकिन वह दिवालिया क़रार दिये जाते समय वाजिबुल् अदा न हो बल्कि आयन्दा चल कर उसकी अदायगी होना चाहिये तो भी उस कर्ज़ख्वाहको अधिकार है कि वह अपना कर्ज़ इस प्रकार साबित करे जैसे कि उसका कर्ज़ उसी वक्त मिलना चाहिये और उसको दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा रसदी दूसरे कर्ज़ख्वाहों की तरह दिलवाया जासकता है लेकिन उसके कर्ज़ेकी तादादसे उतना रुपया कम कर दिया जावेगा जो ६) रुपया सैकड़ा माहवारी सूदके हिसाबसे रसदी बँटनेके वक्तसे उसके कर्ज़ेकी असली अदायगीके वक्त तक निकलेगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार भविष्यके कर्ज़ों पर भी हिस्सा रसदी प्राप्त हो सकता है अर्थात् यदि किसी कर्ज़ख्वाहका कोई कर्ज़ दिवालियासे लेना हो परन्तु वह कर्ज़ दिवालिया क़रार दिये जाते समय वसूल न किया जासकता हो परन्तु उसके बाद भविष्यमें वह कर्ज़ वसूल किये जाने योग्य होवे तो भी कर्ज़ख्वाह अपने उस कर्ज़ेको मौजूदा कर्ज़ोंकी भांति इस एक्टके अनुसार साबित कर सकता है परन्तु उसकी तादाद इस प्रकार निश्चित की जावेगी कि पहिले यह देखना चाहिये, कर्ज़ेकी तादाद उस तारीख़ पर जबकि वह वाजिबुल्अदा है क्या होगी अर्थात् मय ब्याजके उस तारीख़ पर कर्ज़ख्वाहका कितना रुपया दिवालियेसे मिलना चाहिये इसके पश्चात् यह देखना चाहिये कि ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे रसदी बांटे जानेकी तारीख़ से असली अदायगीकी तारीख़ तक कितना ब्याज होगा तब पहिलेकी रक़मसे यह ब्याजकी रक़म निकाल देना चाहिये और बाक़ी बचा हुई रक़मके हिसाबसे हिस्सा रसदी मिलना चाहिये।

दफा ४६ आपसका व्यवहार व मुजराई

जब कि दिवालिया व किसी कर्ज़ख्वाहके दरमियान आपसका व्यवहार रहा हो व दोनों का लेना देना होवे और इस एक्टके अनुसार वह कर्ज़ साबित किया जारहा हो तो इस बातका हिसाब किताब किया जावेगा कि एक फरीकको दूसरे फरीकसे इस व्यवहारके सम्बन्धमें क्या लेना देना है और एकका लेना उसके देनेमेंसे घटा दिया जावेगा और उसके बाद जो रुपया देना लेना चलता केवल वही एक दूसरेसे पानेका मुस्तहक़ होगा।

व्याख्या—

यदि किसी कर्ज़ख्वाह व दिवालिये दोनोंके एक दूसरेसे लेना देना होवे तो ऐसी दशामें दोनोंके लाभार्थ इस दफामें यह बतलाया गया है कि लहनसे देनेकी रक़म घटा कर जो रक़म बचे उसीको हिस्सा रसदी या वसूलीके लिये असली कर्ज़ समझना चाहिये। यद्यपि यदि दिवालियेका कर्ज़ उससे पूरा वसूल कर लिया जावे परन्तु उस उसके वक्त पर और कर्ज़-

बैंकोंकी भांति केवल हिस्सा रसदी ही दिया जावे तो उसका नुकसान रहेगा। इसी प्रकार यदि कर्ज़ख्वाह अपने कर्ज़े पर हिस्सा रसदी ले लेवे परन्तु उसे दिवालियेका कर्ज़ अदा न करना पड़े तो दिवालियेका लहना कम वसूल हो सकेगा। इस तार पर यदि किसी कर्ज़ख्वाहका कर्ज़ उसके देनेसे अधिक होवे तो वह अपने इस अधिक कर्ज़ेके लिये हिस्सा रसदी दिवालियेकी जायदादसे और कर्ज़ख्वाहोंकी भांति पावेगा परन्तु यदि उसका देना उसके कर्ज़ेसे अधिक हो तो उसको वह अधिक निकलती हुई रकम रिसीवर या अदालतको देना पड़ेगी। संयुक्त कर्ज़ोंकी मुजराई अकेले कर्ज़के सम्बन्धमें नहीं की जासकती है जैसे कि यदि किसी बैंकके लिक्विडेटरने मुद्दालेह पर संयुक्त कर्ज़ेकी बिना पर नालिशकी हो और उनमेंसे किसी एक मुद्दाअलेहका कुछ रुपया बैंकमें जमा हो तथा वह चाहे कि उस रुपयेकी मुजराई दावेमें कर दी जावे तो यह मुजराई इस बिना पर नहीं की जासकेगी कि हिसाब दोनों, दो प्रकार है एक दूसरेसे लेन देनके तौर पर नहीं है, देखो—45 Bom. 1219.

यह दफा उसी समय लागू होगी जबकि फरीक़ैनके दरमियान एक दूसरेसे लेने देनेका व्यवहार रहा हो देखो—A. I. R. 1925 Sindh 153.

हिसाब होजानेके बाद मुजराई होना चाहिये। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि किस तारीख तकका हिसाब किताब होना चाहिये परन्तु यह प्रकट होता है कि हिसाब उस तारीख तकका होना चाहिये जबकि रसदी बांटी जाने वाली होवे या उस समय तक होना चाहिये जबकि कर्ज़ा साबित किया जाने वाला हो।

दफा ४७ महफूज़ कर्ज़ख्वाह

(१) जबकि महफूज़ कर्ज़ख्वाह अपनी जमानत वसूल करले तो वह बाद मुजराई उस कुल रुपयेके जो उसे ज़मानतसे वसूल होचुका है अपने बचे हुए कर्ज़ेको साबित कर सकता है।

(२) जबकि महफूज़ कर्ज़ख्वाह अपनी ज़मानतको और सब कर्ज़ख्वाहोंके साथ फायदा उठानेके लिये छोड़ देवे तो वह अपने कुल कर्ज़ेके साबित करनेका मुस्तहक़ है।

(३) जबकि महफूज़ कर्ज़ख्वाहने न तो अपनी जमानत वसूलकी और न उसको छोड़दाई है तो वह सूचीमें अपना कर्ज़ लिखवानेसे पहिले अपने कर्ज़ेका ब्योरा साबित करेगा और वह क़ीमत भी देगा जिसका उसे अन्दाजा है और उस वक्त उसी रुपये पर रसदी पानेका मुस्तहक़ होगा जो उसके असली कर्ज़ेमेंसे अन्दाज़ा लगाई हुई क़ीमत घटानेके बाद बचे।

(४) जबकि जमानतकी क़ीमतका अन्दाज़ा इस प्रकार लगाया जावे तो अदालतको अधिकार होगा कि वह वसूलीसे पहिले किसी समय उस कर्ज़ख्वाहकी अन्दाज़ा लगाई हुई क़ीमतको देकर उस ज़मानतको छुड़ा लेवे।

(५) जबकि कर्ज़ख्वाह अपने ज़मानतकी क़ीमतका अन्दाज़ा लगानेके बाद उस ज़मानतमे रुपया वसूल करले तो इस प्रकार जो रुपया वसूल किया जावेगा वही जायदादकी क़ीमत समझी जावेगी बजाय उस क़ीमतके जो कर्ज़ख्वाहने उसकी पहिले लगाई हो और वह संशोधित क़ीमत सब मामलोंके लिये मानी जावेगी।

(६) जबकि महफूज़ कर्ज़ख्वाह इस दफाके अनुसार कार्रवाई अमलमें न लाये तो उसको वसूलीमेंसे कोई हिस्सा रसदी नहीं मिलेगा।

व्याख्या—

इस दफामें महफूज़ कर्ज़ख्वाहके उन हक़ोंका वर्णन है जो वह अपनी जमानतके सम्बन्धमें कर सकता है तथा उसके

उन हकोंका भी वर्णन है जिसके अनुसार वह दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा रसदी प्राप्त कर सकता है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि यह दफा केवल उन्हीं कर्जख्वाहोंके लिये है जो दरअसल महफूज कर्जख्वाह है लेकिन जबकि उनके महफूज होनेका प्रश्न अनिश्चित होवे तो पहिले यह प्रश्न तय कर दिया जाना चाहिये तब यह दफा लागू हो सकेगी देखो A. I. R 1923 All. 159

महफूज कर्जख्वाहके यह हक समझना चाहिये कि,—या

(१) वह अपनी जमानतहो पर भरोसा कर सकता है व अपना कर्जा न साबित करे, या

(२) वह अपनी जमानत वसूल कर लेवे उसके पश्चात् बचे हुए रुपयोंको साबित करे यदि कुछ निकलते हों,

(३) वह अपनी जमानत छोड देवे व अपना पूरा कर्जा साबित करे, या

(४) वह अपनी जमानतकी क़ीमतका अन्दाजा लगा देवे तथा उससे अधिक जो रकम उसकी निकलती हो साबित करे परन्तु ऐसी दशामें उसकी अन्दाजा लगाई हुई कीमत उसे दी जाकर उसकी जमानत छुड़ा ली जासकेगी। दिवालियेकी कार्रवाईका कोई प्रभाव महफूज कर्जख्वाहके कर्जे पर नहीं पड़ता है देखो- A I R 1923 All. 159. महफूज कर्जख्वाह (Secured creditor) की परिभाषा दफा २ (१) क्लाज (ई) में दी गई है। जमानतकी वसूलीसे यह तात्पर्य है कि वह जायदाद बेंच दी जावे व उसकी बिक्रीकी कीमत ले ली जावे देखो— 41 All. 481.

उपदफा (२) जमानतका छोड़ना या न छोड़ना महफूज कर्जख्वाहकी इच्छा पर निर्भर है वह अपनी जमानत छोड़ देनेके लिये बाध्य नहीं है यदि रिसीवरने किसी महफूज कर्जख्वाह (मुर्तहिन) को यह नोटिस दिया हो कि वह जायदादको बिना किसी बातके बेंचना चाहता है व मुर्तहिन इस पर खामोश रहा हो तो उसकी इस खामोशीसे यह नहीं मान लिया जावेगा कि उसने अपनी जमानत छोड़दी है देखो—47 Mad. 605 इस प्रकार जमानतका छोड़ा जाना दूसरे कार्यों या भावोंसे नहीं माना जासकेगा। किन्तु महफूज कर्जख्वाहको चाहिये कि वह अपने आप जमानतको छोड़नेकी रजामन्दी देवे। इस दफामें महफूज कर्जख्वाहके कर्जेसे तात्पर्य उसके उस कर्जेका समझना चाहिये जिसकी जमानत है, यदि उसका कोई बिला महफूज कर्जा भी होवे तो वह बिला लिहाज इस दफाके और कर्जख्वाहोंके कर्जेकी तरह साबित किया जासकेगा केवल महफूज कर्जे केलिये वह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंका प्रयोग कर सकता है यदि वह उसे जमानतकी कीमतसे अधिक समझता हो।

दफा ४८ सूद

(१) अगर कोई कर्जा या रुपया जो कर्ज़दारके ज़िम्मे उस वक्त निकलता हो जबकि वह दिवालिया क़रार दिया गया हो और जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है लेकिन उसके लिये कोई सूद मुक़र्रर नहीं किया गया है और न तय्यी हुआ है तो कर्ज़ख्वाह ६) रुपया सैकड़ा सालानासे अधिक सूद साबित नहीं कर सकता है।

(ए) जबकि कर्जा या रुपया किसी दस्तावेज़के आधार पर किसी ख़ास समय अदा होना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया क़रार दिये जानेके समय तक (ऊपर कहे हुए छः रुपये सैकड़ा सालानाके, या हिसाबसे मिलेगा)

(बी) जबकि कर्जा या रुपया किसी दूसरी सूरतमें अदा होना चाहिये था और नोटिसके ज़रिये उसकी अदायगीके लिये कर्ज़दारसे कहा गया हो कि तुमको सूद अदा

करना पड़ेगा तो नोटिसकी तारीखसे सूद उस वक्त तक मिलेगा जबकि कर्ज़दार दिवालिया करार दिया जावे।

(२) जबकि कोई कर्ज़ इस एक्टके अनुसार साबित किया जाचुका हो और उसमें सूद शामिल हो या सूदकी जगह कोई और मुनाफा लगाया गया हो तो हिस्सा रसदी देते समय वह सूद या मुनाफा ६) रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे लगाया जावेगा परन्तु उस सूरतमें जबकि और सब कर्जे पूरे तौर पर दिवालियेकी जायदादकी क़ीमतसे अदा किये जाचुकें तो बचे हुए रुपयोंसे कर्ज़दारके असली सूदकी अदायगी होगी चाहे वह इससे अधिक दरका होवे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि सूद किस दरसे लगाया जाना चाहिये।

उपदफा (१) यदि कोई सूद न ठहरा हो तो ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे अधिक सूद नहीं लगाया जाना चाहिये। जबकि कोई कर्ज किसी खास समय पर किसी दस्तावेजके अनुसार अदा किया जाना चाहिये था तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ६) रुपया सैकड़ाकी दरसे लगाया जावेगा इसी प्रकार जबकि कर्ज़ी और किसी प्रकारसे अदा किया जाने वाला होवे तथा कर्ज़दारसे सूद अदा करनेके बाबत नोटिस दिया गया हो तो उस नोटिसकी तारीखसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक छ रुपया सैकड़ा सालानाकी दरहीसे सूद मिलेगा।

इस उपदफाके क्लाज़ (ए) व (बी) दोनोंहीके अनुसार सूद दिवालिया करार दिये जानेके हुक्म तक दिलाया जासकेगा।

क्लाज़ (बी) में जो नोटिसका जिक्र है वह लिखित नोटिस होना चाहिये ज़बानी नोटिससे काम नहीं चलेगा।

उपदफा (२) के अनुसार हिस्सा रसदी असल रक़म व उस सूद या मुनाफाहीके अनुसार मिल सकेगी जो ६) रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे निकले अर्थात् यदि किसी कर्जख्वाहने अपना कर्जा साबित करते समय कुछ असल रकम दिखलाई हो तथा कुछ सूद दिखलाया गया हो और वह सूद ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे अधिक हो तो हिस्सा रसदी देते समय उसको असल रक़म व उस पर ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे जो सूद होता हो उसीके अनुसार उसको हिस्सा रसदी मिल सकेगा परन्तु इस उपदफामें यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्ज़े पूर्ण रूपसे अदा किये जाचुकें व उसके बाद कुछ फाजिल रकम बचे तो उस फाज़िल रकमसे कर्जख्वाहके असली सूदकी अदायगी की जावेगी जो कि हिस्सा रसदीके समय उसके कर्जसे कम करदी गई हो इस प्रकार कर्जख्वाह फाज़िल रकम निकलने पर घाटेमें नहीं रखा जावेगा। इस दफामें उन्हीं कर्ज़ोंके सूदका जिक्र है जो दिवालिये पर होवें उन कर्ज़ोंका जिक्र नहीं है जो दिवालियेको अपने कर्ज़दारोंसे वसूल करना हो इस कारण दिवालियेके कर्ज़दारको यह कर्तव्य समझना चाहिये कि वह निश्चितकी हुई दरके अनुसारही सूद अदा करे देखो—18 I. C 205

महफूज़ कर्जख्वाह (Secured creditor) को अधिकार है कि वह निश्चितकी हुई दरके अनुसार अपना सूद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् कर्ज वसूल होनेकी तारीख तक ले सके देखो—A. I. R. 1924 Rang 352. दिवालिया करार दिये जानेकी तारीखके बाद अदालत ६) रुपया सैकड़ाकी दरसे अधिकका सूद नहीं दिला सकती है देखो—A. I. R 1926 All 361.

दफा ४९ साबित करनेका तरीक़ा

(१) इस एक्टके अनुसार कर्ज़ साबित करनेके लिये कर्ज़की ताईदमें हलफनामा अदालतमें दाखिल किया जासकता है या बज़रिये रजिस्ट्रीके भेजा जासकता है।

(२) हलफनामेमें हिसाब दर्ज होगा या उस हिसाबका हवाला दिया जावेगा जिसमें कर्जकी तफसील दी गई हो और अगर कोई सहयोगी कागज (Vouchers) होवें जिनसे कर्जकी पुष्टि होती हो तो उन कागजोंका भी जिक्र होगा। अदालतको अधिकार है कि वह किसी समय उन सहयोगी कागजों (Vouchers) को मांग सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टके अनुसार कर्जे किस प्रकार साबित किये जासकते हैं।

कर्जकी तसदीकके लिये हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिये और वह हलफनामा या तो अदालतमें दाखिल किया जासकता है या रजिस्टरी खतमें पोस्ट आफिसके जरिये भेजा जासकता है।

उपदफा (१) की भाषासे यह प्रकट होता है कि केवल इस उपदफामें बतलाया हुआ तरीका ही कर्जा साबित करनेके लिये नहीं है किन्तु वह और भी तरीकोंसे शहादत द्वारा साबित किया जासकता है। इस दफामें एक सुविधाजनक व सीधासा तरीका कर्जा साबित करनेके लिये बतला दिया गया है।

दफा ३३ (१) में यह बतलाया जाचुका है कि कर्जख्वाहान शहादत आदिसे अपना अपना कर्ज साबित करेंगे उस दफामें शहादतसे तात्पर्य आम शहादतसे समझना चाहिये जिसके अनुसार अदालतमें कर्जेके बाबत सबूत दिखाया जाता है व कर्जा साबित किया जाता है परन्तु इस दफामें एक खास तरीका कर्जा साबित करनेके लिये बतला दिया गया है जिससे कर्जख्वाहान लाभ उठा सकते हैं व यदि वह चाहें तो इसमें बतलाये हुए तरीकेके अनुसार अपना कर्ज साबित कर सकते हैं।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि जिस हलफनामाके द्वारा कर्ज साबित किया जावे उसमें वह हिसाब दर्ज किया जाना चाहिये जिसमें कर्जेकी तफसील बतलाई हो या उस हिसाबका हवाला दिया जाना चाहिये जिसमें कर्जेका तफसीलवार ब्यौरा दर्ज हो। और साथ ही साथ यदि कोई सहयोगी कागजात उस कर्जेके समर्थनमें होवें तो उन वाउचरोंका भी उल्लेख उसमें किया जाना चाहिये। अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है इस (Shall) शब्दके प्रयोगसे यह बात प्रकट होती है कि कर्जा साबित करने वाला हलफनामा ठीक उन्हीं नियमोंके अनुसार होना चाहिये जिनका ऊपर उल्लेख है यदि उन नियमोंकी अवहेलना करके हलफनामा दिया जावेगा तो वह कर्जा साबित करनेके लिये पर्याप्त नहीं समझा जावेगा।

अदालतको अधिकार है कि जब वह चाहे तब हलफनामामें हवाला दिये हुए कागजातको पेश करा सकती है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि हलफनामाकी तसदीक कौन करेगा परन्तु जाब्ता दीवानीके नियमोंका ध्यान रखते हुए यह कहा जासकता है कि उसकी तसदीक या तो स्वयं कर्जख्वाहको करना चाहिये या किसी ऐसे व्यक्तिके द्वारा होना चाहिये जिसे उस हलफनामेमें दिखलाई हुई बातोंका जाती इल्म हो।

दफा ५० सूचीके इन्दराजको नामंजूर करना या घटाना

(१) जबकि रिसीवरको यह मालूम हो कि कोई कर्ज गलतीसे सूचीमें दर्ज हो गया है तो रिसीवरके दरख्वास्त देने पर व कर्जख्वाहको नोटिस देनेके बाद तथा इस किस्मकी तहकीकात करनेके बाद जो अदालतको उचित प्रतीत हो, अदालत उस कर्जेको सूचीसे खारिज कर देगी या उसे कम कर देगी।

(२) जबकि कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया हो या जबकि रिसीवर हस्तक्षेप करनेसे इनकार करे तो किसी कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर या जबकि तसफिया या स्कीम

द्वारा मामला तय हुआ हो तो कर्ज़दारके दरख्वास्त देने पर अदालत ऊपरकी तरह तहकीकात करके सूचीके इन्दराजको खारिज कर सकती है या कर्जेको घटा सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें अदालतके उस अधिकारका वर्णन है जिसके अनुसार वह सूचीमें दिखलाये हुए कर्जेको सूचीसे हटा सकती है या उसे कम कर सकती है। अदालतको चाहिये कि इस दफाके अनुसार कार्रवाई करते समय स्वयं ही जांच करे और उसके जांचका भार रिसीवर पर न छोड़ देवे देखो—61 I. C 767, A. I. R 1926 Mad 1019 अर्थात् इस दफाके अनुसार रिसीवरको अधिकार नहीं दिया गया है कि वह स्वयंही किसी कर्जेको रद्द करदे अथवा सूचीसे हटादे।

अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह फरीकैनकी उपस्थितिमें या उनको उचित सूचना दिये जानेके पश्चात् कानूनन इस प्रश्नको तय करे कि सूचीमें किसी नामको बढ़ाना या घटाना चाहिये अथवा नहीं। अदालत बिना ऐसा किये हुए नाम बढ़ा या घटा नहीं सकती है देखो—अमीरचन्द बनाम अनुकूलचन्द A. I. R. 1926 Cal 160

जब कि सब कार्रवाई समाप्त हो चुके और वह फरीक जिसको हानि पहुँच रही हो सब कार्रवाई कर चुका हो तो कार्रवाई समाप्त हो जानेके बाद सूची नहीं सुधारी जासकती है देखो—51 I. C. 55 इस दफासे यह प्रकट है कि अदालतको अपने आपही इस दफाके अनुसार कार्रवाई न करना चाहिये किन्तु किसी न किसीके दरख्वास्त देने पर इस दफाके अनुसार कार्रवाई करना चाहिये ऐसी दरख्वास्त उपदफा (१) के अनुसार रिसीवरके द्वारा तथा उपदफा (२) में किसी कर्जख्वाह या कर्जदार द्वाराही जाना चाहिये। इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कर्जेसे सम्बन्ध रखने वाले कर्जख्वाहको सूचना देवे जिसमें कि उसके विरुद्ध कोई हुक्म बिना उसको सूचना मिले हुए न दिया जासके। यदि कोई तमादी कर्जा बिना जाने हुए सूचीमें दर्ज हो गया हो तो उसका दर्ज होना इस दफाके अनुसार अनुचित है और इसी कारण उसको सूचीसे निकाल दिया जाना चाहिये। एक कर्जख्वाह दूसरे कर्जख्वाहके कर्जेका विरोध कर सकता है देखो—37 All 252.

आफिशल रिसीवरका कर्जख्वाहानकी सूची तैयार करना कोई कानूनी या अन्तिम निर्णय नहीं है विशेष कर उन मामलोंके लिये जिनमें झगड़ा हो और इसीलिये उसके सूची तैयार कर देनेसे अदालतका अधिकार सूचीसे कर्जा निकाल देनेके सम्बन्धमें जाता नहीं रहता देखो—45 I C 67. यदि इस दफाके अनुसार सूचीसे कोई कर्ज निकाल दिया जावे या कम कर दिया जाय तो उसकी अपील दफा ७५ (२) व सूची नं० १ के अनुसार की जासकेगा देखो—A I R 1926 All. 361

पहिले किये हुए सौदों (Transactions) या कार्रवाइयों पर दिवालेका असर

दफा ५१ इजरायमें कर्ज़ख्वाहानके हक़ोंमें रुकावट

(१) जबकि कर्जदारकी जायदादके खिलाफ डिक्री जारीकी जाचुकी है तो डिक्रीदारके मुकाबिले किसी शख्सको उस इजरायके लाभ उठानेका हक न होगा परन्तु दिवालेकी दरख्वास्तके लिये जानेसे पहिले इजरायके सिलसिलेमें नीलाम या और किसी तरीकेसे जो असासा कर्जदार का हाथ आ.या हो उसमें यह बात लागू न होगी।

(२) अगर कोई महफूज कर्ज़ख्वाह अपनी डिक्री जायदादके खिलाफ़ जारी करावे तो उसके अधिकारोंमें कोई असर नहीं पड़ेगा।

(३) जो खरीदार नेकनीयतीसे इजराय द्वारा नीलाममें जायदाद खरीदे उसको रिसीवर के मुकाबले हर मामलेमें अच्छा हक़ पहुँचेगा।

व्याख्या—

इस दफ़ाका अभिप्राय यह समझना चाहिये कि कर्जदारकी जायदाद दिवालियेकी कार्रवाई की जानेके पश्चात् सब कर्जख्वाहानके लाभार्थ बचाई जासके अर्थात् कोई कर्जख्वाह दिवालियेकी दरख्वास्त लेलिये जानेके पश्चात् कोई इजरायकी कार्रवाईसे अकेले लाभ नहीं उठा सकेगा।

इस दफ़ासे कर्जख्वाहोंके हक़में रुकावट पड़ती है किन्तु इजराय करनेवाली अदालतके अधिकारमें कोई रुकावट नहीं पड़ती है क्योंकि वह अपने अधिकारके अनुसार इजरायकी कार्रवाई कर सकती है। इस कारण यदि अदालत किसी इजरायमें कोई जायदाद नीलाम करे तो दिवालियेकी कार्रवाई होजाने पर वह नीलाम बातिल नहीं ठहराया जायगा देखो—A. I. R 1925 Lah. 158. परन्तु ऐसी दशामें आगे बतलाई हुई दफ़ा ५२ की कार्रवाईका प्रयोग किया जासकेगा।

पुराने अर्थात् सन १९०७ ई० के एक्टके अनुसार रिसीवरको कोई अधिकार नहीं था कि वह डिक्रीदारसे वह रुपया लेसके जो उसने दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मसे पहिले वसूल कर लिया हो देखो—41 All 274. परन्तु इस एक्टके अनुसार ऐसा नहीं है दिवालियेकी दरख्वास्त ले लिये जाने (Admission) के बाद रिसीवरको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है उससे पहिले जो वसूल हो चुके वह डिक्रीदारहीका समझना चाहिये। इस बातको भली भांति समझ लेना चाहिये कि दरख्वास्तके लिये जाने (Admission) से पहिले इजराय नीलामसे जो रुपया वसूल हो चुकेगा वही बच सकेगा और इस दफ़ाका यही तात्पर्य समझना चाहिये देखो—A. I R 1925 Mad. 224; A. I R. 1926 Sind 199.

इस प्रकार यदि दरख्वास्त लिये जानेसे पहिले (Before Admission) नीलामभी हो चुके परन्तु रुपया बादमें वसूल हो तो वह रक़म रिसीवरकी समझना चाहिये इजराय कराने वाला डिक्रीदार उसके पानेका हक़दार न होगा देखो— A I R. 1925 Mad 248 मे खरीदार नीलाममें क़ीमत खरीदका चौथाई रुपया देदिया था और बाक़ी रुपया जमा किये जानसे पहिले मदयूनने दिवालेकी दरख्वास्त देदी थी तो इस मामलेमें यह तय हुआ था कि डिक्रीदारको नीलामका रुपया नहीं मिलना चाहिये इस दफ़ाके अनुसार केवल कुर्क कराने वाले डिक्रीदारहीका रुपया नहीं बच सकता है किन्तु वह रुपया भी बच सकता है जो दूसर डिक्रीदारोंको जाबता दीवानीकी दफ़ा ७३ के अनुसार बतौर हिस्सा रसदीके मिलना चाहिये क्योंकि हिस्सा रसदी हो जानेपर रुपया उन डिक्रीदारोंका हो जाता है और मदयूनका उसमें कोई हक़ नहीं रह जाता है और इसी कारण वह दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं लिया जासकता है अर्थात् यदि दरख्वास्त दिवालियाके लिये जानेके पहिले (Before Admission) किसी इजराय डिक्रीमें कुर्क शुदा रुपया हिस्सा रसदी लगाने वाले डिक्रीदारोंमें बट गया हो तो वह रुपया भी रिसीवर पानेका अधिकारी नहीं होगा देखो—A. I R. 1922 Mad 31=68 I C. 512.

यदि कोई रुपया कुर्क होकर अदालतके हाथ आर्डर २१ रूल ५२ जाबता दीवानीके अनुसार आया हो परन्तु उस रुपयेको दिये जानेसे पहिले मदयूनको दिवालिया करार दिए जानेकी दरख्वास्त देदी गई हो और आफ़िशल रिसीवर हुक्म इस्तनाई (Interim) रिसीवर नियुक्त कर दिया गया हो तो एसी हालतमें यह तय किया गया कि रिसीवरको उस रुपयेके लिये हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है जिसमें वह एक्ट दिवालियाकी दफ़ा ५१ (१) के अनुसार सब कर्जख्वाहोंके लाभार्थ लिया जासके। देखो—A. I. R 1928 Sind 165. दिवालियेकी दरख्वास्त ले लिये जाने (Admission)

क पश्चात् कुर्क कराने वाले डिक्रीदारका हक कुर्की हुई जायदाद पर नहीं पहुंचता है और वह जायदाद दिवालियेहीमें बनी रहती है तथा दिवालिया क़रार दिये जानेके बाद वह रिसीवरमें हो जाती है। अंग्रेज़ी क़ानूनके अनुसार कुर्क कराने वाले डिक्रीदारका हक जायदाद पर हो जाता है और इसी कारण वह कुर्की हुई जायदादको बेच कर अपना कर्ज़ वसूल कर सकता है परन्तु भारतवर्षमें ऐसा नहीं है यहांके क़ानूनके अनुसार कुर्क कराने वाला डिक्रीदार यदि दरख्वास्त दिवालियाके लिये जानेसे पहिले नीलाम कराके अपना रुपया न ले चुका हो तो उसका कोई हक कुर्कीकी हुई जायदाद पर नहीं पहुंचता और उसकी वही स्थिति समझना चाहिये जो दिवालियाके दूसरे कर्ज़ख्वाहोंकी है और वह नीलामकी क़ीमतमें केवल हिस्सा रसदाही और कर्ज़ख्वाहोंके साथ पासकेगा देखो—44 Cal 1016

यदि दिवालियेका कोई कर्ज़ख्वाह उसका किसी डिक्रीको जो उसने किसी तीसरे शख्सके खिलाफ हासिलकी हो कुर्क कराले तो वह कर्ज़ख्वाह इस कुर्कीमें लाभ नहीं उठा सकेगा क्योंकि दिवालिया क़रार दिये जाने पर इजरायका कुलहक रिसीवरका हो जावेगा देखो—48 All 86

असासा (Assets) से तात्पर्य उस क़ीमतसे है जो इजरायमें कुर्की हुई जायदादके नीलाम होने पर वसूल होवे।

असासा का वसूल होना (Realization of assets) उस वक्त समझा जावेगा जबकि वह अदालतके हाथमें आजाय देखो—18 Cal 242, 28 Cal 264, 19 Mad. 72, 9 A L J 707

यही बात नीचे दिये हुए मामलोंमें भी तयकी जाचुकी है देखो—44 Mad 100, A I R. 1923 Mad 505, 34 All 628, 101 I C 848 (Sindh.) इस 101 I. C 848 के मामलेमें यह भी तय किया गया था कि यदि कुर्क करनेवाली अदालत व वह अदालत जहांसे रुपया कुर्क किया जाने वाला होवे एकही होवें तो वह रुपया दफा ५१ (१) के अनुसार वसूल किया हुआ असासा समझा जावेगा जो अदालतने मदयूनकी डिक्रीसे कुर्क कराने वाले डिक्रीदारके हक़में अपने हुक्म द्वारा मुन्तक़िल कर दिया होवे।

यह दफा उसी वक्त लागू होगी जब कि रुपया किसी डिक्रीकी इजरायमें वसूल किया गया हो इसलिये यदि अदालतमें कोई रुपया ज़मानतका जमा हो तो उसके लिये यह नहीं कहा जावेगा कि वह रुपया इजरायमें वसूल किया गया है देखो— 31 I C 573, 13 A L J 898

उपदफा (२) मह्फूज़ कर्ज़ख्वाह इस दफासे बरी हैं मह्फूज़ कर्ज़ख्वाहोंके हकका वर्णन दफा ९ (२), २८ (६) और दफा २८ में है।

उपदफा (३) यदि किसी व्यक्तिने नेकनीयतीसे नीलाममें जायदाद लेली हो तो उसकी रक्षाका वर्णन इस उपदफामें किया गया है। नेकनीयतीसे नीलाममें जायदाद खरीदनेसे अभिप्राय यह है कि खरीदार नीलामको नीलामके समय यह न मालूम हो कि मदयून नीलामके समय दिवालिया था और न मामूली तौरसे कोशिश करने पर वह यह मालूम कर सकता था कि दिवालेका हुक्म मदयूनके खिलाफ दिया जाचुका है देखो—34 I C 829

दफा ५२ जायदादके खिलाफ डिक्री इजराय करनेमें अदालतके कर्तव्य

अगर कोई डिक्री, कर्ज़दारकी उस जायदादके खिलाफ जारीकी जावे जो इजरायमें बेंची जासकती है और नीलामसे पहिले इजराय करने वाली अदालतको नोटिस मिल जावे कि कर्ज़दार द्वारा या उसके खिलाफ़ दीहुई दिवालेकी दरख्वास्त लेली गई है तो अदालत दरख्वास्त आने पर जायदादको अगर वह अदालतके क़ब्जेमें होगी रिसीवरके सुपुर्द करनेका हुक्म देगी परन्तु उस मुक़द्दमेका खर्च जिसमें डिक्री हुई है तथा इजरायका खर्च उस जायदादसे सबसे

पहिले वसूल किये जायेंगे और रिसीवरको अधिकार है कि वह कुल जायदाद या उसके किसी हिस्सेको इन खर्चोंकी अदायगीके लिये फ़रोख्त कर देवे।

व्याख्या—

इस दफ़ाका वही अभिप्राय है जैसा कि पिछली दफ़ाका था कि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्ज़ख्वाहोंको लाभ पहुँचना चाहिये कोई एक कर्ज़ख्वाह उस जायदादसे अकेलाही फायदा न उठा सके। यदि दिवालियेकी जायदाद लिये जाने (Admission) के पश्चात् दिवालियेकी कोई जायदाद नीलाम होने वाली होवे तथा नीलाम करने वाली अदालतको उस दिवालियेके दरख्वास्तकी सूचना मिल जावे तो वह रिसीवरको उस जायदाद पर कब्ज़ा देनेका हुक्म दे देगा अगर जायदाद अदालतके कब्ज़ेमें होवेगी। पिछले एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके बाद इस प्रकारका हुक्म दिया जासकता था परन्तु इस एक्टके अनुसार दरख्वास्त दिवालियाके लिये जाने (Admission) परही ऐसा हुक्म दिया जावेगा अदालत इस दफ़ाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य है जैसा कि 'Shall' शब्दसे जो अंग्रेज़ीके एक्टमें प्रयोग किया गया है प्रकट होताहै।

इस दफ़ाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि दरख्वास्त दिवालिया कर्ज़दार द्वारा दी गई हो या किसी कर्ज़ख्वाह द्वाराही दी गई हो। दरख्वास्त दिवालिया चाहे जिसके द्वारा दी गई हो इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई कीजासकेगी केवल इतना आवश्यक है कि वह दरख्वास्त लेली गई होवे।

यह बात भी ध्यानमें रहना चाहिये कि इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करानेके लिये दरख्वास्त दिये जानेकी आवश्यकता है अर्थात् इस बातके लिये अदालत इजरायमें दरख्वास्त दी जाना चाहिये कि वह जायदाद रिसीवरके सुपुर्दकी जावे यदि इस प्रकारकी दरख्वास्त न दी गई हो और अदालत नोटिस मिल जानेके बाद भी जायदादको नीलाम कर देवे तो ऐसे नीलामका विरोध रिसीवर या कोई कर्ज़ख्वाह नहीं कर सकता है देखो—A I R 1925 Lah 158

इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाईकी जानेके लिये इजराय कर्ज़दारकी जायदादके खिलाफ़ होना चाहिये अर्थात् यदि इजराय कर्ज़दारके अलावा किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादके खिलाफ़ होगी या ऐसी जायदादके खिलाफ़ होगी जिसमें कर्ज़दार व अन्य लोगोंका भी हिस्सा होवे तो इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई नहीं कीजाना चाहिये। इस दफ़ामें यह भी बतलाया गया है कि इजराय किसी ऐसी जायदादके खिलाफ़ होवे जो इजरायमें बेची जासकती हो। इस एक्टके दफ़ा ४ व २८ में बेचे जाने योग्य जायदादका विवरण दिया हुआ है तथा जाब्ता दीवानीकी दफ़ा ६० में भी इसका विवरण मिलेगा।

इस दफ़ामें जो डिक्रीका उल्लेख है उससे उस डिक्रीका तात्पर्य नहीं है जो रहननामेकी बिक्री हो या किसी मशकूक कर्ज़ख्वाहका जमानतके सम्बन्ध हासिलकी गई हो देखो—A I R 1926 Mad 194

इस दफ़ाका यह अभिप्राय नहीं है कि दिवालियेकी दरख्वास्त लिये जानेका नोटिस मिल जाने पर अदालत मदयूनकी जायदादको नीलाम करनेसे वंचित रखे देखो—A I R 1925 Lah 158

यह दफ़ा उसी समय लागू समझना चाहिये जबकि इजराय करने वाली अदालतको इस बातके लिये दरख्वास्त दीगई हो कि वह जायदाद रिसीवरकी सुपुर्दगीमें देदेवे। इससे यह प्रकट होता है कि दफ़ा उसी समय लागू होगी जबकि कोई रिसीवर नियत किया गया हो। इसी प्रकार यह तय किया गया था कि यदि दरमियानी (Interim) रिसीवरको दिवालिये की जायदाद पर कब्ज़ा लेनेका अधिकार अदालत द्वारा नहीं दिया गया हो तो उस सूरतमें अदालत इजरायमें कोई दरख्वास्त जायदादका कब्ज़ा उसको देनेके लिये नहीं दी जासकती है देखो—A I. R 1926 Mad 606

इस दफ़ामें जो नोटिसका मिलना शब्दके लिये कहा गया है उसके बाबत यह नहीं बतलाया गया है कि नोटिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि इस प्रकारका नोटिस कोई भी व्यक्ति देसकता है। नोटिस इस बातका

होना चाहिये कि दिवालियेकी दरख्वास्त दिया गई है चाहे वह दरख्वास्त दिवालिये द्वारा दी गई हो या उसके किसी कर्जख्वाह द्वारा दी गई हो इससे कोई भेद नहीं पड़ता । यदि नोटिस मिल जाने पर तथा जायदाद पर रिसीवरका कब्जा दिये जानेकी दरख्वास्त दे दिये जाने पर भी अदालत नीलाम कर देवे तो ऐसे नीलामको अनियमित समझना चाहिये तथा ऐसे नीलाममें खरीदार नीलामको कोई हक नहीं पहुँचता है क्योंकि इस दफाके अनुसार अदालत रिसीवरको कब्जा लेनेका हुक्म देनेके लिये बाध्य है। इस दफाके अनुसार रिसीवरको उसी जायदाद पर कब्जा लेनेका हुक्म दिया जासकेगा जो अदालतके कब्जेमें होवे इससे यह टपकता है कि मनकूला (Movoable) जायदाद परही कब्जा लेनेका हुक्म हो सकेगा देखो—A. I R 1926 Sindh, 199 में यह तय हुआ था कि, चूंकि इस दफामें यह दिया हुआ है कि उस जायदाद पर कब्जा दिया जावेगा जो अदालतके कब्जेमें होवे इससे यह मालूम होता है कि दफा केवल उस मनकूला (Moveable) जायदादके लिये लागू है जिस पर अदालत कब्जा कर लेवे या जो इस प्रकार कुर्क की गई हो कि उस पर अदालत कब्जा लेसके । गैरमनकूला (Immoveable) जायदाद पर कब्जा दरअसल कब्जेके तौर पर नहीं किया जाता है किन्तु उस पर कब्जा लेनेके लिये पहिले मदयूनके नाम इस प्रकारका हुक्म जारी किया जाता है कि वह उसे किसी प्रकार अलहदा न करे और इसी कारण इस प्रकारकी जायदाद (अर्थात् गैर मनकूला जायदाद) इस दफाके अन्तर्गत नहीं आती है देखो—A. I. R 1924 Sindh 69

इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि इस दफाके अनुसार नीलामके पहिले जायदाद पर रिसीवरका कब्जा होनेका हुक्म देदिया जावे तो उस जायदादसे इजरायका खर्च तथा उस मुकद्दमेका खर्च जिसमें इजरायकी जाने वाली डिक्री प्राप्त हुई थी पहिले दिलवाया जावेगा तथा रिसीवरको इसकी पूर्तिके लिये यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस जायदादको या उसके किसी हिस्सेको उस खर्चेको चुकानेके लिये बेंच देवे । इन बातोंका अभिप्राय यह है कि यदि कोई डिक्रीदार नीलामका पूरा फायदा उठानेसे रोक दिया जावे तो ऐसी दशामें उसका असली खर्च न मारा जाना चाहिये अर्थात् वह इजरायके खर्चे को पावेगा तथा उस खर्चेको भी पावेगा जो उसे डिक्री हासिल करनेमें करना पड़ा हो परन्तु साथ साथ यह भी ध्यान रहना चाहिये कि वह उन्हीं खर्चोंको पासकेगा जो कि कानूनन् उसको दिलाये गये हों या कानूनन जिनके पानेका वह अधिकारी समझा जावे अर्थात् प्राइवेट खर्चे व वह खर्चे जो कानूनन् उसको नहीं मिल सकते हैं नहीं दिलाये जा सकते हैं।

दफा ५३ अपने आप किये हुए सौदोंकी मंसूखी

अगर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमसे दो सालके अन्दर किया गया हो परन्तु जो किसी शादीके बदलेमें तथा पहिले न किया गया हो अथवा जो नेकनीयतीसे किसी खरीदार या जामिनदार (Incumbrancer) के हकमें समुचित मूल्य लेकर न किया गया हो तो ऐसा इन्तकाल जायदाद रिसीवरके मुकाबले रद्द किया जा सकता है और अदालतको अधिकार है कि उसे मंसूख कर दे।

व्याख्या—

कानून दिवालियाका एक प्रधान उद्देश यह है कि दिवालियेकी जायदाद उसके सब कर्जख्वाहोंमें उचित रूपसे बांटी जासके और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यह आवश्यक है कि दिवालिया अपने आपही (Voluntary) या धोखेके इन्तकाल न कर सके। इसी कारण इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मके कारण दिवालियेके किये हुए ऐसे इन्तकाल रद्द किये जासकते हैं और वह इन्तकाल अदालत मंसूख कर सकती है देखो—62 I. C 924 यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि अंग्रेजी एक्टमें 'Voidable' शब्दका प्रयोग किया गया हो इस कारण यदि उस इन्तकालको रद्द करानेका प्रयत्न न किया जावे और मंसूखीका हुक्म न दिया जावे तो वह इन्तकाल बैसेहि

तेसा कायम रहेगा। किसी इन्तकाल जायदादके ठीक होनेका प्रश्न उसी वक्त उठाया जासकेगा जबकि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो चुके और उससे पहिले अदालतको कोई अधिकार नहीं है कि वह ऐसे प्रश्न पर विचार कर सके देखो— A I R 1927 Lah 95 पुराने एक्टकी दफा ३६ इस दफासे मिलती हुई थी परन्तु उसमें (अंग्रेजी एक्टमें) 'Void' शब्दका प्रयोग था जिसका तात्पर्य यह था कि उस प्रकारके इन्तकाल अपने आपही रद्द समझे जाते थे परन्तु इस एक्टमें 'Voidable' शब्द है जिसका तात्पर्य यह है कि रद्द कराया जासकता है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है।

इस दफामें अदालतसे तात्पर्य अदालत दिवालियासे समझना चाहिये चूंकि अदालत दिवालियाहीको दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कार्रवाई करनेका अधिकार प्राप्त है इसलिये दिवालिये करार दिये जानेके बाद वही अदालत दिवालियेके किये हुए इन्तकाल जायदादको रद्द भी कर सकती है। जबकि अदालत इस एक्टके अनुसार कोई कार्रवाई करे तो उसे चाहिये कि खास तौरसे इसी एक्टके नियमोंका प्रयोग करे परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि वह आम कानूनी मसले मामूली दीवानी अदालतकी तरह तय नहीं कर सकती है देखो—44 All 71.

किन्तु यदि दिवालियेकी कार्रवाई करते समय कोई आम कानूनी मसला तय करना बहुत जरूरी न होवे तो अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह दफा ४ के अनुसार आम दीवानी अदालतके अधिकारोंको न बरते बल्कि उस मसलेको अदालत दीवानी द्वारा तय किये जानेके लिये छोड़ देवे देखो—A. I. R. 1923 Mad 641.

यदि कोई जायदाद अदालत दिवालियाके अधिकार सीमासे बाहर भी होवे तो अदालत दिवालिया उसके सम्बन्धमें किये हुए इन्तकाल जायदादको मसूख कर सकती है देखो—7 I. C. 765 परन्तु ब्रिटिश भारतकी अदालतको यह अधिकार नहीं है कि वह पर मुल्कको जायदादके सम्बन्धमें किये हुए इन्तकालको मसूख कर सके देखो—A. I. R. 1922 Nag 221

इस दफाके अनुसार अदालत किसी भी इन्तकाल जायदादको रद्द करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका रद्द करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है। अंग्रेजी एक्टमें 'May be annulled' शब्दोंका प्रयोग किया गया है जिससे यही अभिप्राय निकलता है कि यदि वाकियातको देखते हुए उचित प्रतीत हो तो अदालत मसूख कर देवे यदि अंग्रेजीमें 'May' शब्दके बजाय 'Shall' शब्दका प्रयोग होता तो बात दूसरी थी व अदालतको मसूख करनेका हुक्म देना लाजिमी होता परन्तु इस दफाका तात्पर्य यही समझना चाहिये कि अदालत मामलेको उचित रूपसे सुनने व समझनेके पश्चात् समयोचित कार्य करे।

अदालतको चाहिये कि वह अपने इस दफामें दिये हुए अधिकारोंका किसीको या किसी मातहत अदालतको न दे देवे देखो—36 All 549 यह दफा उसी समय लागू हो सकेगा जबकि इन्तकाल जायदाद करने वाला व्यक्ति दिवालिया करार दे दिया गया हो तथा इस दफाको लागू करनेके लिये नीचे दी हुई बातोंकी आवश्यकता समझना चाहिये —

(१) यह कि जायदाद अलहदा की गई हो,

(२) यह कि इन्तकाल जायदाद किसी विवाहके बदलेमें तथा पहिले नहीं किया गया हो,

(३) यह कि वह इन्तकाल किसी ऐसे खरीदार या जामिनदार (Incumbrancer) के हकमें नहीं किया गया हो जिसने नेकनीयतीसे व समुचित मूल्य देकर जायदादको लिया हो, और

(४) यह कि वह इन्तकाल, दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले दो सालके अन्दर किया गया हो अर्थात् उस इन्तकाल जायदादके बाद २ सालके अन्दर वह दिवालिया करार दिया गया हो।

दो सालके अन्दर—से तात्पर्य यह है कि यदि कोई इन्तकाल जायदाद, दिवालिया करार दिये जाने बाद

हुक्मसे पहिले उसके दो सालके अन्दर किया गया हो तो वही रद्द किया जा सकता और यदि वह इन्तकाल जायदाद दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेसे पहिले दो सालके अन्दर किया गया हो तो ऐसा इन्तकाल जायदाद इस दफाके अन्दर नहीं आता है यदि किसी इन्तकाल जायदादको हुए दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले दो सालसे अधिक होगये हों परन्तु जो दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेसे दो सालके अन्दर पड़ता हो तो ऐसा इन्तकाल जायदाद इस दफाके आधीन नहीं आता है देखो—A I R. 1925 Bom 480, A I R 1926 All 470, A I R 1924 Lah 374, A. I. R 1927 Sindh 66, A I R 1928 Rang 148, A I R. 1928 Lah 361 (F B)

ऊपर कहे हुए सब मुकद्दमोंमें साफ तौरसे यह तय किया गया है कि दो सालकी मियाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मसे ही लगायी जाती है चाहिये वह मियाद दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेके वक्तसे नहीं ली जासकती है। यदि कोई इन्तकाल २ सालसे पहिलेका होनेकी वजहसे इस दफाके अनुसार रद्द न किया जासकता हो तो उस इन्तकालके लिये दफा ५३ कानून इन्तकाल जायदादके अनुसार नम्बरी नालिशसे रद्द करानेकी कार्रवाई की जासकती है। अर्थात् अदालत दिवालिया यदि दिवालियेकी कार्रवाईके सिलसिलेमें किसी इन्तकाल जायदादको इस दफाके अनुसार रद्द न कर सकती हो तो भी वह इन्तकाल अदालत दीवानीसे मन्सूख कराया जासकता है देखो—A. I R 1926 All 470, A I R. 1922 All 443

बार सुबूत—जो व्यक्ति इन्तकाल जायदादको रद्द कराना चाहता हो उसे पहिले यह साबित करना पड़ेगा कि वह इन्तकाल दिवालिया होनेसे दो सालके अन्दर किया गया है और जब यह साबित कर दिया जावे तो बार सुबूत उसपे हट जावेगा और तब जिस व्यक्तिके हकमें इन्तकाल किया गया है उसका कर्त्तव्य होगा कि वह नेकनीयती तथा समुचित मूल्यका अदा किया जाना साबित करे देखो—A I. R 1923 Nag 97, 39 All 95, 46 All 864

ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब सौदे जो दिवालिया अपनी जायदादके सम्बन्धमें दिवालिया होनेसे दो सालके अन्दर करे जाहिरा अनुचित समझे जाना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध साबित किया चाहे तो उसको चाहिये कि उस सौदेका नेकनीयतीसे किया जाना तथा उसके लिये समुचित मूल्यका दिया जाना साबित करे देखो—A I R 1924 Mad 865, A I R 1926 Lah. 307

जबकि कोई इन्तकाल जायदाद पिछले कर्जेकी अदायगीके लिये किया गया हो तो बार सुबूत इन्तकाल कराने वाले व्यक्ति पर नहीं रहेगा किन्तु अफिशल रसीवरको यह साबित करना पड़ेगा कि वह इन्तकाल बदनीयतीसे कराया गया है देखो—A I R 1926 Sindh. 140. अदालतका कर्त्तव्य है कि वह यह निश्चित करते समय कि कोई इन्तकाल जायदाद नेकनीयतीसे किया गया है या नहीं उन सब बातोंका ध्यान रखे जो इन्तकालसे सम्बन्ध रखती हों अर्थात् जो इन्तकाल जायदाद होते समय उपस्थित हों तथा उससे पहिले या उसके बाद फरीकैनके व्यवहारसे समझ पड़े देखो—26 Bom 571, A I R 1924 Mad 865

नेकनीयतीसे सम्बन्ध रखने वाली हर एक बातको अलहदा अलहदा नहीं समझना चाहिये किन्तु उन बातोंको एक दूसरेके सम्बन्धसे देखना चाहिये तथा सब बातों पर एक साथ ध्यान रखते हुए नेकनीयती या बदनीयतीके प्रश्नका निश्चय करना चाहिये देखो—A. I R 1927 Nag 166. जबकि किसी दैन मेहर (Dower debt) के ठीक होनेका प्रश्न उपस्थित होवे तो इन बातों पर विचार करना आवश्यक समझना चाहिये (१) यह कि कितना मेहर दरअसल बाकी था, (२) यह कि किस प्रकारका मेहर था, (३) यह कि इन्तकाल किस नीयतसे किया गया (४) यह कि जो जायदाद उसके बदलेमें दी गई है उसका मूल्य क्या है, तथा (५) यह कि मेहरका रुपया अदा करनेमें देर किस कारण की गई थी देखो—39 All 95 यदि इस दफाके अनुसार किसी रेहननामेको रद्द करानेकी दरख्वास्त दी जावे तो ऐसी दरख्वास्तके दिये जानेसे अदालत दीवानीका अधिकार रेहननामेका मुकद्दमा तय करनेके सम्बन्धमें नहीं जाता रहेगा। यदि कोई रेहननामा

मुक़द्दमा चल रहा हो और आफिशल रिसीवर उस रेहननामेको रद्द करानेके लिये अदालत दिवालियामें दरख्वास्त देवे तो उचित तरीक़ा यह होगा कि इस दरख्वास्तके फैसल किये जाने तक वह मुकद्दमा रोक दिया जावे देखो—A. I. R. 1925 Mad. 1051.

इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई उसी समय हो सकेगी जबकि दिवालियेकी कार्रवाई चल रही हो अर्थात् वह समाप्त न हो गई हो। यदि इस दफ़ाके अनुसार किसी इन्तक़ाल जायदादको रद्द कराना हो तो इसकी सूचना उस व्यक्तिको अवश्य दी जाना चाहिये जिसके हक़में वह इन्तक़ाल किया गया हो तथा उसे अपना मामला ठीक तौरसे अदालतके सन्मुख उपस्थित करनेका अवसर दिया जाना चाहिये देखो—50 I. C. 117. इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि पूरी कोर्ट फीस लगाकर अर्जी दावाके तौर पर दरख्वास्त दी जाना चाहिये किन्तु इसके लिये जो दरख्वास्त दी जावे उसमें साफ़ तौरसे उन सब बातोंको दिखला देना चाहिये जिसके आधार पर किसी इन्तक़ाल जायदादको रद्द कराना हो। अदालत दिवालियाको यह अधिकार नहीं है कि वह इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करते समय तहक़ीक़ातके लिये मुक़द्दमा मुंसिफ या किसी दूसरी मातहत अदालतके पास भेज देवे किन्तु उसका कर्तव्य है कि ऐसी दरख्वास्तके आने पर उसकी सूचना उचित रूपसे उस व्यक्तिको देवे जिसके हक़में जायदाद लिखदी गई हो तथा इसके पश्चात् दोनों ओरके सुबूत सुनकर स्वयही उस दरख्वास्तका फ़ैसला करे देखो—36 All. 549. रिसीवरको भी इस दफ़ाके अनुसार दी हुई दरख्वास्तको सुनने तथा उसके तय करनेका अधिकार नहीं है। केवल अदालत दिवालियाही इस दफ़ाके अनुसार दरख्वास्त ले सकती है तथा इन्तक़ाल जायदादको मसूख कर सकती है या उसके मसूख करनेसे इनकार कर सकती है। यदि रिसीवर स्वयही ऐसी दरख्वास्तका फैसला करे तो इसका अर्थ यह होगा कि वह स्वयही अपने मामलेके लिये जज बन गया है देखो—A. I. R. 1926 Mad. 1019

इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई मामूली मुक़द्दमोंकी तरह की जाना चाहिये सरसरीकी कार्रवाई न करना चाहिये देखो—39 All. 39. अर्थात् इस दफ़ाके अनुसार यदि कोई प्रश्न उपस्थित होवें तो उनको सरसरीमें तय न कर देना चाहिये किन्तु उनको क़ानूनी तहक़ीक़ातके बाद भली भांति समझ कर तय करना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Mad. 801.

रिसीवरकी रिपोर्ट ऐसे मामलोंके लिये क़ानूनी शहादत न समझना चाहिये और न ऐसी रिपोर्टहीके आधार पर कोई मसला इस दफ़ाके अनुसार तय ही कर देना चाहिये देखो—36 I. C. 906, 36 All. 549; 46 All. 864.

यदि इस दफ़ाके अनुसार कोई इन्तक़ाल जायदाद रद्द कर दिया जावे तो उसके बाद वह जायदाद रिसीवरकी समझना चाहिये और उस जायदादमें दिवालियेके कर्जख्वाहोंको हिस्सा रसदी उसकी और जायदादकी तरह दिया जावेगा। यदि कोई बयनामा इस दफ़ाके अनुसार रद्द किया गया हो और उस बयनामाके ज़रिये किसी पिछले रेहननामेका रुपया अदा किया गया हो तो वह रेहननामेका रुपया बतौर कर्जेके समझा जावेगा और बयनामाके मसूख हो जानेके बाद भी बयनामा कराने वालेको वह रुपया जो उसने रेहननामेका अदायगीमें दिया है बतौर कर्जेके मिल सकेगा अर्थात् वह ओर कर्जख्वाहोंके साथ उस कर्जेके लिये हिस्सा रसदी पासकेगा देखो—A. I. R. 1925 Nag. 73.

इस दफ़ाके अनुसार किया हुआ फैसला अम्र तनकीह शुदा (Resjudicata) समझा जावेगा और फिर वही फ़रीक़ैनके दर्मियान उसी मसलेको तय करानेके लिये मामला नहीं चल सकेगा देखो—49 All. 71, A. I. R. 1927 Cal. 474.

चूंकि इस दफ़ामें यह नहीं बतलाया गया है कि दरख्वास्त किस समय दी जाना चाहिये इससे यह समझना चाहिये कि इस दफ़ाके अनुसार दरख्वास्त दौरान कार्रवाई दिवालियामें किसी समय भी दी जासकती है। देखो—दयालसिंह बनाम

कुन्नीलाल A. I. R 1924 Lah. 553. यदि इस दफाके अनुसार कोई इन्तकाल जायदाद मसूख़ किया जावे तो ऐसे हुक्मकी अपील आईनोंमें दफा ७५ (२) के अनुसार कीजासकती है।

दफा ५४ कुछ मामलोंकी कीहुई तरजीहकी मंसूखी

(१) अगर दिवालिया क़रार दिये जानेसे तीन माहके अन्दर किसी एक कर्ज़ख्वाहके हक़में उसको दूसरे कर्ज़ख्वाहोंके मुक़ाबले तरजीह देते हुए कोई इन्तक़ाल जायदाद, या अदायगी या हक़ पैदा करना या कोई अदालती कार्रवाई उस कर्ज़दार द्वाराकी गई हो जो यह जानता हो कि वह अपने कर्ज़ोंको अदा नहीं कर सकेगा तो यह सब कार्रवाइयां उस पक्ष धोखादेहीकी कार्रवाइयां समझी जावेंगी जबकि तीन माहके अन्दर उसके खिलाफ़ दिवालेकी दरख्वास्त दी गई हो और वह दिवालिया क़रार देदिया जावे और रिसीवरके मुक़ाबले वह रद्द समझी जावेंगी और अदालत उनको मंसूख़ कर देगी।

(२) इस दफ़ासे उस शख्सके हक़में कोई असर नहीं पड़ेगा जिसने नेकनीयतीसे काफ़ी मुआविज़ा (Consideration) देकर दिवालियेके किसी कर्ज़ख्वाह या उसके ज़रियेसे उस हक़को हासिल किया हो।

व्याख्या—

इस दफामें भी पिछली दफाकी तरह यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका असर पिछले सौदों पर क्या पड़ता है। इस दफाके अनुसार उन कर्ज़ख्वाहोंके अधिकारोंकी रक्षाकी गई है जिनके कर्जोंको मारनेके लिये कर्ज़दारने अपनी जायदाद किसी एक कर्ज़ख्वाहके हकमें उसे बेजा फ़ायदा पहुँचानेकी गरज़से करदी हो। परन्तु इस दफाके लिये इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वही सौदे रद्द समझे जावेंगे जो दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किये गये हों अगर तीन माहसे पहिलेके कोई सौदे होवें तो उन पर इस दफाका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दफाके अनुसार कोई सौदा उसी समय रद्द समझा जावेगा जबकि नीचे दीहुई चारों बातें उपस्थित होवें (१) यह कि उस सौदेके किये जाने समय कर्ज़दारके पास अपने सब कर्जोंको अदा करनेका साधन न होवे (२) यह कि वह सौदा किसी कर्ज़ख्वाह या कर्ज़ख्वाहके ट्रस्टीके हकमें किया गया हो (३) वह सौदा यह जानबूझ कर किया गया हो कि उससे उस कर्ज़ख्वाहको बेजा फ़ायदा पहुँचे अर्थात् दूसरे कर्ज़ख्वाहोंके मुकाबले उसे फायदा पहुँचानेकी इच्छासे वह सौदा किया गया हो (४) यह कि वह सौदा दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किया गया हो तथा उस दरख्वास्त पर कर्ज़दार दिवालिया करार देदिया जावे। देखो—A. I. R. 1928 Rag. 166

यह बात भली भांति समझ लेना चाहिये कि अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई उसी समय कर सकेगी जबकि कर्ज़दार दिवालिया करार देदिया जावे अन्यथा नहीं देखो—मूलसिंह बनाम लक्ष्मीदेवी 95 I. C 1055 यदि ऊपर दिखलाई हुई सब बातें उपस्थित होवें तो वह सौदा रद्द समझा जावेगा और चूंकि वह सौदा अपने आपही रद्द होवेगा इसलिये अदालतका कर्तव्य समझना चाहिये कि वह ऐसे सौदेको रद्द कर देवे। अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें (Void) शब्दका प्रयोग किया गया है जो इससे पिछली दफा अर्थात् दफा ५३ में (Voidable) शब्दका प्रयोग किया गया है अतः इस बातसे यह स्वभावतः प्रकट है कि पिछली दफाके अनुसार बातोंके उपस्थित होने पर सौदा रद्द करार दिया जासकता है परन्तु इस दफाके अनुसार बातोंके उपस्थित होने पर सौदा अपने आपही रद्द होता है। इस दफाके अनुसार यह आवश्यक है कि दिवालियेकी मंशा धोखादेहीसे किसी एक कर्ज़ख्वाहको दूसरे कर्ज़ख्वाहोंके मुकाबले फ़ायदा पहुँचानेकी रहीहो यह आवश्यक

नहीं है कि जिसके हकमें सौदा किया गया हो उसकी मशा इस प्रकारकी रही हो देखो—109 I C. 370, A. I R 1929 Lah 79

धोखादहीसे बेजा लाभ पहुँचानेसे तात्पर्य यह है कि सौदा होते समय दिवालियेकी क्या इच्छा थी अर्थात् क्या वह सौदा किसी एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबले बेजा फायदा पहुँचानेकी मशासे किया गया था देखो—42 Mad. 510, A I. R 1928 Mad. 860

दफा ५४ में यह कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इसके अनुसार सौदा किस समय मसूख किया जासकता है परन्तु दफामे यह बात भली भांति प्रकट है कि दिवालिया करार देदिये जानेके बाद यह सौदा रद्द किया जाना चाहिये क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले अदालतको कोई अधिकार इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेका नहीं है। जबकि अदालत मातहतने दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म इसी बिना पर दिया हो कि दिवालियाने कोई सौदा धोखादेहीका किया है तब दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म और धोखादहीसे किये हुए सादेकी मसूखीका हुक्म एक साथ दिया हो और उस सौदेकी मसूखीका हुक्म पहिले लिख गया हो परन्तु दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म उसके बाद लिखा गया हो तो यह तय हुआ कि इस प्रकारकी गलती एक प्रकारसे लिखनेकी गलती है और इसी कारण अदालत मातहतका हुक्म ठीक है अर्थात् अदालत सौदेकी मसूखी व दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म एक साथ दे सकती है तथा उनके आगे पीछे लिख जानेसे हुक्ममें कोई असर नहीं पड़ता है तथा वह हुक्म ठीक समझना चाहिये देखो—हरनामसिंह बनाम गोपालदास देसराज 109 I. C 370, A I. R 1929 Lah 79.

सौदेके मसूखीकी दरख्वास्त इस दफाके अनुसार दिवालियाकी कार्रवाई समाप्त होनेसे पहिले किसी समय भी दी जासकती है। इस बातका अवश्य ध्यान रहना चाहिये कि वही सौदे इस दफाके अनुसार रद्द समझे जावगे जो दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर किये गये हों तीन महीनेका समय जोड़ते समय वह दिन जिस दिनको दरख्वास्त दागई हो नहीं जोड़ा जावेगा।

१५ दिसम्बर सन १९२६ ई० को अपीलाण्ट्स १ व २ ने अपने एक कर्जदारके दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त दी परन्तु उस कर्जदारको जो कर्जा इन दोनोंको अदा करना था वह ५००) पांचसौ रुपयेसे कम था इस कारण २८ जनवरी सन १९२७ ई० को अपीलाण्ट नं० ३ भी उस कर्जदारके विरुद्ध दरख्वास्तमें शामिल होगया और वह कर्जदार १८ फरवरी सन १९२७ ई० को दिवालिया करार देदिया गया। १ मार्च सन १९२८ ई० को अपीलाण्ट्सने अदालतमें दफा ५४ (१) के अनुसार उन सौदोंको रद्द करार देनेकी दरख्वास्त दी जो दिवालियेने १५ दिसम्बर सन१९२६ ई० से पहिले तीन माहके अन्दर किये थे तो यह तय किया गया कि २८ जनवरी १९२७ ई० को असली तारीख समझना चाहिये जबकि दिवालियकी दरख्वास्त दीगई थी और उसी दरख्वास्त पर कर्जदार दिवालिया करार दिया गया था इसी कारण वह सौदे जो इस तारीखसे पहिले तीन माहके अन्दर नहीं हुए हैं इस दफाके अनुसार रद्द नहीं समझे जासकते हैं देखो—28 A L J. 941, A I R 1928 All 676

जैसाकि ऊपर बतलाया जाचुका है इस दफाका प्रयोग होनेके लिये यह आवश्यक है कि सौदा किये जाते समय कर्जदार अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ हो अर्थात् यदि कर्जदारके पास काफी रुपया हो या ऐसा सुभीता हो कि जिससे वह अपने सब कर्जे चुका सकता हो और उस समय वह किसी एक कर्जख्वाहके हकमें दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबले कोई सौदा कर दे तो उस समय इस दफाका प्रयोग नहीं हो सकेगा क्योंकि ऐसी दशामें वह दिवालियाही करार दिये जाने योग्य न होगा परन्तु यदि उसके पास उस समय अपने कर्जोंको चुकानेका सुभीता न होवे तो वह सौदा इस दफाके अनुसार और शर्तोंके पूरा होने पर रद्द होगा। असमर्थ होनेसे तात्पर्य यह है कि कर्जदार उस समय अपने कर्जोंको अपने आप नहीं

चुका रक्खा हो चाहे पर्याप्त रुपये न होनेके कारण व चाहे उसके रुपये फँसे होनेके कारण जिसकी वजहसे वह अपने कर्जोंकी अदायगीका प्रबन्ध उस समय न कर सकता हो। इस बात पर प्रकाश A. I. R. 1927 Lah 136 में डाला गया है इसी प्रकार इस बातकी भी आवश्यकता है कि सौदा होते समय दिवालियेकी यह मंशा रही हो कि किसी एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले विशेष लाभ पहुँचे वरना यह दफा लागू नहीं हो सकेगी देखो—दौलतराम बनाम देवकीनंदन A. I. R. 1924 Lah. 686.

कोई सौदा केवल इसी बातसे रद्द नहीं समझा जावेगा कि उससे एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबले लाभ पहुँचता है जब तक कि यह साबित न हो जावे कि कर्जदारकी ऐसा करनेकी मंशा थी देखो—मोतीलाल बनाम दौलतराम A. I. R. 1626 Lah. 231.

यह अवश्य साबित होना चाहिये कि किसी एक कर्जख्वाहकी अदायगी होते समय कर्जदारकी असल मंशा विशेष कर यही रही हो कि उस कर्जख्वाहको औरोंके मुकाबिले रुपया मिल जावे तथा सब कर्जख्वाहोंमें उसका रुपया हिस्सा रसदीके हिसाबसे न बाटा जावे देखो—37 I. C. 250.

यह साबित करनेके लिये कि किसी कर्जख्वाहको धोखेसे लाभ पहुँचानेके लिये दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तर्जीह दी गई है केवल इतनाही साबित करना आवश्यक नहीं है कि एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तर्जीह दी गई है किन्तु यह भी साबित होना आवश्यक है कि उस सौदेको करते समय कर्जदारकी मंशा उस कर्जख्वाहको तर्जीह देनेकी थी और इसी नीयतसे वह सौदा किया गया था। यह पर्याप्त नहीं है कि उस सौदेसे एक कर्जख्वाहको दूसरोंके मुकाबिले लाभ पहुँचता है किन्तु यह भी साबित होना आवश्यक है कि एकको दूसरोंके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशा रही हो देखो—42 Mad. 510; 44 Mad 810.

यदि सौदा करते समय कर्जदारकी असल मंशा यह रही हो कि इससे स्वयं उसे लाभ पहुँचे न कि उस कर्जख्वाहको जिसके हकमें वह सौदा किया जारहा हो तो ऐसा सौदा इस दफाके अनुसार धोखेसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा देखो—43 All 427; A I. R 1929 Lah 686 इस प्रकारके मामलोंको समझनेके लिये यह देखना आवश्यक है कि आया वह सौदा कर्जदारने अपनी रक्षाके लिये किया है या अपने किसी एक कर्जख्वाहको लाभ पहुँचानेकी मंशासे किया है देखो—A. I. R. 1925 Mad. 1089 यदि किसी सौदेमें केवल इस बातका शक्कही हो कि वह सौदा एक कर्जख्वाहको दूसरोंके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशासे किया गया है तो केवल शक्कहीके कारण यह दफा लागू नहीं होगी देखो—43 Cal 640

जबकि दिवालिया किसी दबावके कारण कोई सौदा करता है या रुपयेकी अदायगी करता है या कोई ऐसा सौदा करता है जिसका कि उल्लेख इस दफामें है तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि उसने धोखादेहीसे किसीको तर्जीह देना चाही था देखो—37 I. C 250. इस दफाके अनुसार जो तर्जीह देनेका जिक्र है वह तर्जीह किसी कर्जख्वाहके लिये होना चाहिये न कि गैरके लिये नहीं इस दफाके लिये कर्जख्वाहका अभिप्राय महफूज कर्जख्वाहसे भी समझना चाहिये देखो—A. I R. 1922 Nag 233. परन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट इस रायसे सहमत नहीं है देखो—A I R 1923 Cal 689 यदि कोई व्यक्ति उन सौदोंके होनेकी वजहसे जो कि रद्द कराया जानेको है कर्जदारका कर्जख्वाह बन जावे तो ऐसा व्यक्ति कर्जख्वाहही इस दफाके अनुसार समझा जावेगा देखो—43 All 427

यदि कोई जामिनदार (Surety) किसी कर्जदारका कर्ज अपने पाससे पूरा देदे तो वह जामिनदार भी उस कर्जदारका कर्जख्वाह बन जावेगा और यदि ऐसे जामिनदारके हकमें कोई सौदा उसको और कर्जख्वाहोंके मुकाबिले

बेजा फायदा पहुँचानेकी मशासे किया जावे तथा वह सौदा किसी खास दबावकी वजहसे न किया गया हो तो ऐसा सौ धोखादेहीसे फायदा पहुँचानेका सौदा इस दफाके अनुसार समझा जावेगा, देखो—A I R. 1923 Rang 149

तर्जीह (Preference) से तात्पर्य यह है कि एक कर्जख्वाहको लाभ पहुँचे तथा उसके कारण दूसरे कर्जख्वाह को हानि उठाना पड़े। जैसा कि ऊपर कहा जाचुका है धोखादेहीसे तर्जीह देनेसे अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जो सौदा किसी एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले लाभ पहुँचानेके लिये किया गया हो तथा सौदा होते सम कर्जदारकी ऐसीही मशा रही हो।

जबकि किसी सौदाके लिये यह कहा जावे कि वह इस दफाके अन्तर्गत आता है तो इस बातके ठीक तौरसे समझनेके लिये यह देखना आवश्यक है कि आया कर्जदारने उस सौदेको नेकनीयतीसे किया है या उसकी आड़में उसने कोई बेजा लाभ उठानेकी मशासे किया है, देखो—A I R 1925 Nag 225. यदि कोई सौदा किसी फौजदारीके मामलेमें बचनेकी गरजसे दबावमें आकर किया गया हो तो ऐसा सौदा स्वयं किया हुआ सौदा नहीं है और वह धोखादेहीसे तर्जीह देनेका सौदा नहीं है, देखो—59 I C 576 कानूनी चाराजोईका दबाव चाहे वह दीवानीके मामलेका होवे या फौजदारीके मामलेका दबाव (Pressure) ही समझा जावेगा, देखो—53 Cal. 640 और जबकि दिवालिया कानूनी कार्रवाई होनेके भयसे कोई सौदा कर देवे तो उसे तर्जीह (Preference) न समझना चाहिये, देखो—A. I R 1924 Cal 946

यदि कोई कर्जदार नालिशसे बचनेकी गरजसे तथा अपनी दशा दूसरों पर प्रकाशित न होनेके लिये किसी कर्जख्वाहके हकमें रेहन कर देवे तो ऐसे रेहनको धोखादेहीसे तर्जीह देना नहीं कहा जावेगा, देखो—A I R 1923 Lah. 602. यदि किसी कर्जख्वाहको पिछले मुआहिदेके अनुसार रुपया अदा किया जावे तो उससे धोखादेहीकी तर्जीह नहीं समझी जासकती है देखो—20 I C 395 यदि कोई कर्जदार अपने किसी सम्बन्धी रिश्तेदारको उसका कर्ज जोकि उस समय वाजिबुलअदा नहीं है चुका देवे तथा उस समय कर्जदार दिवालियेकी हालतमें होवे तो ऐसी अदायगीसे बेजा लाभ पहुचानेकी मशा समझी जावेगी, देखो—55 I. C 57, A I. R 1925 Nag 225

यदि सौदा करते समय कर्जदारकी दरअसल यह मशा न रहा हो कि उससे उसके किसी कर्जख्वाहको और कर्जख्वाहों के मुकाबिले फायदा पहुचे किन्तु उसकी यह मशा रही हो कि उस सौदाके करनेसे वह स्वयं फायदा उठायेगा तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे लाभ पहुचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा, देखो—43 All. 427

यदि यह बात साबित हो जावे कि कर्जदारने धोखादेहीसे फायदा पहुचानेकी मंशासे किसी इन्तकाल (Transfer) को किया है तो कर्जख्वाह इस बातसे लाभ नहीं उठा सकेगा कि उसने वह इन्तकाल नेकनीयतीसे कराया है देखो—21 C. L J. 176 इससे यह प्रकट है कि कर्जख्वाहकी मशा या नेकनीयतीका कोई असर इस दफाके अनुसार किये हुए सौदों पर नहीं पड़ता है यदि कर्जख्वाहने अपने कर्जेकी अदाय में नेकनीयतीसे कोई इन्तकाल कराया हो तो उससे यह नहीं माना जावेगा कि वह इन्तकाल ठीक है अगर यह साबित हो जावे कि दिवालियेकी मशा उस कर्जख्वाहको और कर्जख्वाहके मुकाबिले अधिक लाभ पहुंचानेकी रही है, देखो—A. I R. 1926 Mad 338.

एक कर्जदारने जो अपने सब कर्जोंका अदा नहीं कर सकता था अपनी सब कीमती जायदादको अपने कुछ कर्जख्वाहोंके पास उनका पूरा कर्ज अदा करनेके लिये रेहन कर दिया और कुछ रुपया नकद अपने लिये ले लिया। इस सौदेसे तीन माहके अन्दर दूसरे कर्जख्वाहोंने उसके दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त देदी और वह कर्जदार दिवालिया करार देदिया गया तो यह तय हुआ कि वह सौदा (रेहननामा) कुछ कर्जख्वाहोंको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले

लाभ पहुचानेकी मंशासे किया गया था और इसीलिये मंसूख किये जाने लायक है, देखो— 13 I. C 68. यदि कोई कर्जदार अपने पुराने कर्जख्वाहसे कुछ और कर्ज लिया चाहता हो परन्तु वह कर्जख्वाह अपने पिछले कर्जोंके लिये जमानत लिये बिना दूसरा कर्ज देनेको तैयार न होवे और इस पर वह कर्जदार अपनी जायदाद पिछले कर्जोंके सम्बन्धमें उसके पास रेहन कर देवे तो इसे धोखादेहीसे तर्जीह देना (Fraudulent preference) नहीं कहेंगे क्योंकि उसको बहुत जरूरत थी, देखो— A. I. R. 1924 Lah. 686.

इसी प्रकार यदि कोई कर्जदार मुसीबतमें पड़ा हो और उसको कुछ और कर्जोंके लेनेकी आवश्यकता हो तथा उसका कोई कर्जख्वाह अपने पिछले कर्जों व इस नये कर्जके सम्बन्धमें उसकी जायदाद रेहन करा लेवे तो ऐसे सौदेको धोखादेहीसे तर्जीह (Fraudulent preference) देना नहीं समझना चाहिये, देखो—A I. R 1926 Lah 291.

यदि कर्जदारने जायदादको नीलामसे बचानेके लिये कर्जख्वाहके हकमें रेहननामा कर दिया हो व इसके बाद वह दिवालियेकी दरख्वास्त देवे तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि धोखादेहीसे तर्जीह दी गई है, देखो—A. I. R 1929 Lah. 159 यदि किसी दिवालियेके खिलाफ डिक्री हो गई हो तो रिसीवर पर उसकी पाबन्दी लाजिमी नहीं है क्योंकि मुमकिन है वह डिक्री कर्जदारने मिल कर कराली होवे या कर्जदारको इस बातकी कोई परवाह ही न होवे कि उस पर चाहे जितनेकी डिक्री हो जावे, देखो—A. I R 1925 All. 33. यदि रजामन्दीसे कोई डिक्री कराई गई हो तो उसकी भी पाबन्दी लाजिमी नहीं है और अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह उस डिक्रीके ठीक होने की बात निश्चित कर सके और यदि ऐसी डिक्री इस दफाके अनुसार रद्द कराई जावे तो अदालतको चाहिये कि इस प्रश्न पर विचार करे कि कर्जदारकी असल मंशा उस समय क्या थी देखो--93 I. C 331. जबकि कोई सौदा धोखादेहीसे तर्जीह (Fraudulent preference) देना साबित होनेके कारण रद्द करार दे दिया जावे तो रिसीवरको अधिकार होगा कि वह अधिक दिया हुआ रुपया उस व्यक्तिसे वसूल कर लेवे जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो।

इसी प्रकार यदि उस व्यक्तिने जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो कोई रुपया दरअसल अदा किया हो तो उस सौदेकी मंसूखी पर वह अपना रुपया वापिस पानेका अधिकारी है देखो--51 I. C 720. इस दफाके अनुसार किसी सौदेको मंसूख करानेकी दरख्वास्त रिसीवर दे सकता है देखो--52 I C 188

इस दफाके अनुसार कार्रवाई चालू करनेसे पहिले रिसीवरको अधिकार है कि वह खर्चेके सम्बन्धमें उस कर्जख्वाहसे रुपया जमा करा लेवे जो उस सौदेको मंसूख करानेके लिये कहता हो और यदि अदालत दिवालिया इसे मंजूर न करे तो वह अदालत अपीलमें इस मामलेको ले जा सकता है। देखो--47 Mad. 673 यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो तो कर्जख्वाहको अधिकार है कि वह इस दफाके अनुसार किसी सौदेको मंसूख करा सकता है देखो--A. I. R 1925 Nag. 225. जिसके हकमें मंसूख कराया जाने वाला सौदा किया गया हो उस व्यक्तिको ऐसे मामलेमें फरीक मुकदमा अवश्य बनाना चाहिये देखो--52 I. C 761. यदि कोई सौदा दिवालियेकी दरख्वास्त गुजरनेसे कुछही पहिले किया गया हो तो उससे *यह शक अवश्य होता है कि वह सौदा धोखादेहीसे किसी कर्जख्वाहको लाभ पहुँचानेकी मंशासे* किया गया होगा परन्तु इस बातको निश्चित करनेके लिये कि आया दिवालियेकी दरअसल की क्या मंशा थी सभी मौजूदा बातों पर गौर करना चाहिये अर्थात् केवल शकहीसे यह न मान लेना चाहिये कि वह सौदा इस दफाके अनुसार रद्द है जब तक कि यह भली भांति साबित न हो जावे कि कर्जदारने बेजा फायदा पहुँचानेकी मंशासे उस सौदेको किया है देखो— A. I R 1924 Rangun 308

इस दफाके अनुसार कार्रवाई सरसरी की कार्रवाई नहीं है परन्तु इस दफाके अनुसार कार्रवाई उस समय की जाना चाहिये जबकि उस व्यक्तिको जिसके हकमें सौदा किया गया हो पूरा मौका जवाबदेहीका दे दिया जावे तथा इसके पश्चात्

समझ बूझ कर हुक्म दिया जाना चाहिये देखो— A I R 1922 Lah 214 अर्थात् इस दफाके अनुसार कार्रवाई उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार कि दीवानीका मुकद्दमा तय किया जाता है और रिसीवरका मुद्दईकी हैसियतसे मामला साबित करना चाहिये तब सब मामला समझ कर अदालतको फैसला देना चाहिये।

जबकि कोई सौदा धोखादेहीसे तर्जीह देनेकी बिना पर रद्द कराया जानेको होवे तो बार सुबूत रिसीवर पर या उस व्यक्ति पर होगा जो उस सौदेको रद्द कराना चाहे देखो—53 I C. 692, 21 C. L. J 167; A. I R 1924 Lah 686, A I. R 1928 Rang 166, A I R 1929 Lah 159.

यदि दिवालियेने किसी कर्जख्वाहको धोखादेहीसे बेजा फायदा पहुंचानेका मन्शासे कुछ अदायगीकी हो तो या पहिले रिसीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह इस बातको साबित करे कि इस मंशाहासे वह अदायगीकी गई है परन्तु यदि वह अदायगी दिवालिया होनेसे कुछही पहिलेकी गई हो और दिवालिया इसके लिये कोई खास जवाब न दसके तो जाहिरा यह मान लिया जावेगा कि धोखादेहीसे बेजा फायदा पहुँचानेकी मशाहासे वह अदायगी की गई है और तब इसके विरुद्ध साबित करनेके लिये बार सुबूत दिवालिये पर होवेगा देखो—A I R. 1926 Sindh 123. इस दफाके अनुसार फैसला होजाने पर इस प्रश्नके लिये कोई नया मुकद्दमा चालू नहीं किया जासकेगा देखो—42 Mad 322, 39 All. 626, 49 All 71.

यदि कानून दिवालेकी दफा ५४ के अनुसार दरख्वास्त दी जावे तो पहिले रिसीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि जाहिरा दिवालियेने धोखादेहीसे बेजा फायदा पहुँचानेकी मशासे वह सौदा किया है परन्तु यदि किसी पिछले कर्जोंका अदायगी दिवालिया होनेसे कुछही पहिले कीगई हो तो यह साबित होने पर बार सुबूत उस कर्जख्वाह पर या उस व्यक्ति पर हो जावेगा जिसके हक्कमें वह सौदा किया गया हो। और यदि ऐसे संदिग्ध होनेके कारण भली भांति अदालतको न समझाया जावे तो अदालत यही मान लेगी कि बेजा फायदा पहुचाने की मशाहासे वह सौदा किया गया था देखो—107 I C 210.

दफा ५४ (ए) मंसूखीकी दरख्वास्त कौन लोग देसकते हैं

दफा ५३ के अनुसार किसी इन्तकालके मंसूखीकी दरख्वास्त या दफा ५४ के अनुसार किसी इन्तकाल अदायगी, बार या कानूनी कार्रवाईकी मंसूखीकी दरख्वास्त रिसीवर देसकता है अथवा अदालतकी आज्ञा लेने पर वह कर्जख्वाहभी देसकता है जिसने अपना कर्ज साबित कर दिया हो और जो अदालतको इस बातका विश्वास दिलादे कि रिसीवरसे ऐसी दरख्वास्त देनेके लिये कहा जाचुका है परन्तु वह इसके देनेसे इन्कार करता है।

व्याख्या—

यह दफा बिल्कुल नई है और सन १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बढ़ाई गई है यह संशोधित एक्ट "The Amending Act of 1926 (XXXIX of 1926) कहलाता है। यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें कि यह प्रश्न ठाक तौरसे तय हो जाय कि आया कोई कर्जख्वाह किसी सौदेकी मसूखीके लिये दरख्वास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है या नहीं यों तो पिछली नजीरोंमें यह तय किया जाचुका है कि यदि रिसीवर नियुक्त न किया गया हो तो कर्जख्वाह किसी सौदेकी मसूखीके लिये अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है देखो—A I. R 1925 Nag. 225; A I R. 1924 Nag. 361. परन्तु इस दफामें साफ तौरसे कर्जख्वाहोंको भी मंसूखीकी दरख्वास्त देनेका अधिकार दिया गया है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कर्जख्वाह ठीक उस आज्ञाके साथ ऐसी दरख्वास्त

नहीं देसकते हैं जैसा कि रिसीवर क्योंकि कर्जख्वाहके दरख्वास्त देनेके पहिले नीचे दी हुई दोनों शर्तोंका पूरा होना चाहिये। (१) यह कि कर्ज़ख्वाह अदालतकी इजाज़त लेकर दरख्वास्त दे सकता है, दूसरे (२) यह कि कर्ज़ख्वाहको चाहिये कि वह अदालतको इस बातका विश्वास दिलादे कि रिसीवरसे ऐसी दरख्वास्त देनेके लिये कहा गया था परन्तु उसने दरख्वास्त देनेसे इनकार कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि रिसीवर तो हर समय मंसूखीकी दरख्वास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है परन्तु कर्ज़ख्वाह उसी समय दरख्वास्त दे सकेगा जबकि रिसीवर ऐसी दरख्वास्त देनेसे इनकार कर देवे तथा अदालतकी भी आज्ञा इसके लिये मिल जावे अन्यथा नहीं।

47 Mad 673. में यह बतलाया गया है कि यदि रिसीवरसे किसी सौदेको मंसूख करानेके लिये कहा जावे तो उसका कर्तव्य है कि पहिले वह कहने वालेसे यह समझे कि वह अपने दावेका क्या सुबूत रखता है उसके पश्चात् कर्ज़ख्वाहोंके नाम नोटिस निकाले जिससे वह उस दरख्वास्तका विरोध कर सकें तब यदि रिसीवरको समझ पड़े कि दरअसल कोई सौदा *धोखादेहीसे किया गया है तो उसकी मंसूखीके लिये अदालतमें दरख्वास्त देवे और यदि उसे इस बातमें मजबूती न मालूम हो* परन्तु कोई कर्ज़ख्वाह चाहे कि वह सौदा जरूर मंसूख कराया जाना चाहिये तो रिसीवर उससे खर्च दाखिल करावे वह उसकी मंसूखीके लिये तब अदालतसे कहे। अदालत दिवालियाका भी यह कर्तव्य मालूम होता है कि वह केवल मंसूखीकी दरख्वास्तों को लेही न लेवे किन्तु उन पर न्याय पूर्वक विचार करे अर्थात् यदि अदालतके सामने कोई मंसूखीका प्रश्न उपस्थित किया जावे तो उस पर उसे विचार करना चाहिये चाहे वह प्रश्न रिसीवर द्वारा उपस्थित किया गया हो अथवा उसे कोई कर्ज़ख्वाह उपस्थित करे। अदालत स्वयंभी ऐसा प्रश्न सामने उपस्थित हो जाने पर विचार कर सकती है देखो—A. I. R. 1924 Nag 361.

दफा ५५ नेकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी रक्षा

इस एक्टमें अबतक दिये हुए इजराय सम्बन्धी दिवाले परके असरको ध्यान रखते हुए तथा उन इन्तक़ालात व तरजीहातको ध्यानमें रखते हुए जो मंसूख किये जासकते हैं और कोई बात दिवालेके सम्बन्धमें नीचे दिये हुए कामको रद्द नहीं कर सकेगी।

(ए) अगर दिवालिया किसी कर्ज़ख्वाहको कोई अदायगी करे।

(बी) अगर दिवालियेको कोई अदायगी या सुपुर्दगी कीजावे।

(सी) अगर दिवालिया काफी मुआविज़ा लेकर कोई इन्तकाल (Transfer) करे।

(डी) अगर दिवालियाके साथ कोई मुआहिदा या व्योहार काफी मुआविज़ेके एवज़में किया जावे।

परन्तु यह उसी वक्त ठीक होगा जबकि यह इन्तक़ालात दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मसे पहिले किये गये हों और जिस शख़्सके साथ यह सौदे हुए हों जिसे सौदाके समय नहीं मालूम रहा हो कि कर्ज़दारने कोई दिवालेकी दरख्वास्त दी है या उसके ख़िलाफ कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई है।

व्याख्या—

इस दफामें उन सौदोंका उल्लेख है जो इस एक्टके अनुसार रद्द नहीं किये जाना चाहिये। इस दफाके क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में उन सौदोंको दिखलाया गया है परन्तु साथही साथ यहभी बतला दिया गया है कि यह सौदे

उसी समय रद्द नहीं किये जासकेंगे जब कि नीचे बताई शर्तें पूरी होती होवें तथा वह पीछे बतलाये हुए किसी क़ानूनके अन्दर न आती हो अर्थात् इस एक्टकी दफा ५१, ५२, ५३, व ५४ के अनुसार जो सौदे रद्द हो सकते हैं वह यदि क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) के अन्दरभी आते हों तो भी वह रद्द किये जासकते हैं।

इसी प्रकार इन क्लाजोंमें बतलाये हुए सौदे उसी समय रद्द होनेसे बच सकेंगे जबकि वह सौदे दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मके होनेसे पहिले किये गये हों तथा जिसके हक्में वह सौदे किये गये हों उसको उस वक्त तक इस बातका इल्म न होवे कि जो व्यक्ति सौदा कर रहा है उसने दिवालियेकी दरख्वास्त देदी है या उसके विरुद्ध किसी और ने दिवालियेकी दरख्वास्त देदी है। यह दफा ५५ प्रकारसे नेकनीयतासे किये हुए सौदोंकी रक्षाके लिये बनाई गई है अर्थात् इससे दिवालियेके कर्जदार व उसके कर्त्तख्वाह दोनोंकी रक्षा होती है यदि कोई सौदा नेकनीयतीसे किया गया हो।

क्लाज़ (ए) में उस अदायगीकी बाबत उल्लेख है जो दिवालिया अपने किसी कर्त्तख्वाहको करे व क्लाज (बी) में उस अदायगीकी बाबतका उल्लेख है जो दिवालियेका कोई कर्जदार उसे करे। इसी प्रकार क्लाज (सी) व (डी) में उन सौदों व इन्तकालातका उल्लेख है जो काफी मुआविजा (Valueable Consideration) लेकर दिवालिये द्वारा या उसके हक्में किये गए हों परन्तु इन क्लाजोंको देखने पहिले यह बतला दिया गया है कि इस दफासे पहिले जो शर्तें बतलाई जाचुकी हैं उनकी अवहेलना नहीं की जावेगी अर्थात् उन सबका ध्यान रखते हुए ही इस दफाके अनुसार कार्रवाई हो सकेगी। इस एक्टकी दफा ५१ व ५२ में यह बतलाया गया है कि इजरा पर दिवालियेकी कार्रवाईका क्या प्रभाव पड़ेगा तथा दफा ५३ व ५४ में यह बतलाया गया है कि कौन कौनसे सौदे व इन्तकालात रद्द होंगे या रद्द किये जासकेंगे। इस प्रकार दफा ५१, ५२, ५३ व ५४ का ध्यान रखते हुए ही इस दफाके क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में बतलाये हुए सौदोंकी बचत हो सकेगी और साथही साथ उन शर्तोंके पूर्तिकी भी आवश्यकता है जो इस दफाके अन्तमें बतलाई गई हैं तथा जिनका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है अर्थात् दिवालिया क़रार दिये जानेसे पहिले सौदेका होना तथा सौदा कराने वाले व्यक्तिको सौदा होते समय दिवालियेकी कार्रवाई होनेका इल्म न होना इन दोनों शर्तोंकी भी पूर्ति होना चाहिये।

यदि दिवालियेने कोई इन्तकाल जायदाद अपनी बीबीके हक्में उसके महरके एवज़में कानून मोहम्मदी (Mohammadee Law) के अनुसार कर दिया हो तो ऐसे इन्तकालकी रक्षा क्लाज (सी) के अनुसार हो सकती है। देखो—13 I C. 280.

यदि दूसिरयोंने कर्जदारकी जायदादको हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांटनेके लिये ले लिया हो तो इसे काफी मुआविजा समझना चाहिये तथा इस इन्तकालकी रक्षाकी जासकती है, देखो—43 I. C. 602.

इस बातका भी भली भांति ध्यान रखना चाहिये कि वही सौदे इस दफाके अनुसार रक्षाके पात्र होंगे जो दिवालिये करार दिये जानेसे पहिले किये जाचुके हों अर्थात् दिवालिया करार दिये जानके पश्चात् यदि कोई सौदे हुए हों तो उनकी रक्षा इस दफाके अनुसार नहीं हो सकेगी, देखो—*A. I. R. 1921 Bom. 49.*

जायदादका वसूल करना

दफा ५६ रिसीवरकी नियुक्ति

(१) अदालतको अधिकार है कि वह दिवालिया क़रार देते समय, उसके पश्चात् किसी समय दिवालियेकी जायदादके लिये रिसीवर मुक़र्रर करदे और उसके बाद वह जायदाद रिसीवर को मिलेगी।

(२) नियत किये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको अधिकार है कि वह:—

[ए] रिसीवरसे उस कदर जमानत दाखिल करनेको कहे जो उसे मुनासिब समझ पड़े इस वास्ते कि वह जायदादके सम्बन्धमें जो पावेगा उसका हिसाब देगा।

[बी] इस बातका आम या खास हुक्म देदेवे कि रिसीवरको दिवालियेके लहनेसे कितना महालवा उसके काम करनेके एवजमें उसे बतौर उजरतके मिलेगा।

(३) जबकि रिसीवर नियुक्त किया जावे तो अदालतको अधिकार है कि अगर जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिकी देखरेख या कब्जेमें होवे तो उस शख्सको हटा देवे। परन्तु इस एक्टके अनुसार अदालतको ऐसे शख्सके कब्जे या हिफाजतसे हटानेका इख्तियार न होगा जिसे हटानेका मौजूदा अधिकार दिवालियेको नहीं है।

(४) जबकि इस दफाके अनुसार नियुक्त किया हुआ रिसीवर:—

[ए] अपना हिसाब नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए ढंग पर दाखिल नहीं करे, या

[बी] अदालतके हुक्मके मुवाफिक बचा हुआ रुपया अदा नहीं करे, या

[सी] यह जानते हुए अपनी ग़लतीसे या बड़ी लापरवाहीसे जायदादको नुक़सान पहुंचाता हो।

तो अदालतको अधिकार है कि उसकी जायदादको कुर्क व नीलाम करादे और उस नीलामके रुपयेसे उस नुकसानकी पूर्ति करे जो उसकी वजहसे हुआ है या उस बचतमें मुजरे ले जो उसके पास रही है।

(५) इस दफामें दिये हुए नियम दफा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दरमिआनी (Interim) रिसीवरके लियेभी लागू होंगे।

व्याख्या—

इस दफाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया क़रार दिये जानेके पश्चात् अदालत दिवालियेकी सब जायदाद पर कब्जा ले लेवे जिसमें कि वह उसके कर्जख्वाहोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांटी जासके और चूंकि अदालतके लिये स्वयं इस प्रकारका काम करना कठिन है इस कारण रिसीवरकी नियुक्तिका क्रम रख दिया गया है। दफा २० के अनुसार दिवालियेके जायदादकी रक्षाके लिये दरमियानी (Interim) रिसीवर का नियुक्त किया जाना बतलाया गया है जो कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है। परन्तु इस दफाके अनुसार रिसीवरकी नियुक्ति बाद दिवालिया करार दिये जानेके होगी तथा वह दिवालियेकी जायदादको वसूल करने तथा उसके कर्जख्वाहोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांटनेके लिये नियुक्त किया जावेगा। रिसीवरकी नियुक्ति करनेमें अदालतको जो अधिकार प्राप्त हैं तथा उसकी नियुक्ति होनेके पश्चात् अदालतको उसके कार्योंमें हस्तक्षेप करनेके जो अधिकार प्राप्त हैं उनका उल्लेख भी इस दफामें किया गया है साथ साथ यह भी बतलाया गया है कि दरमियानी (Interim) रिसीवरके लिये भी इस दफामें बतलाये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा जहां तक कि उनका इन नियमोंसे सम्बन्ध है।

उपदफा (१) रिसीवर, दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होते समय या उसके पश्चात् इस उपदफाके अनुसार नियुक्त किया जासकता है यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको ७ साल हो गये हों तो इस देर हो जानेहीके कारण रिसावरकी नियुक्तिसे इन्कार नहीं किया जासकता अर्थात उस समयभी दिवालियेकी जायदादके लिये आवश्यकता पड़ने पर रिसीवर नियुक्त किया जासकेगा देखो—A I R 1924 Cal. 849 ऐसा प्रगट होता है कि दिवालियेकी जायदादके कुछ हिस्सेहो के लिये रिसीवर नियुक्त नहीं किया जासकता है अर्थात् रिसीवरकी नियुक्ति दिवालियेकी सब जायदादके लियेही होनी चाहिये उसके कुछ हिस्सेहो के लिये नहीं देखो—A. I. R. 1925 Rang 224.

जबकि रिसीवरकी नियुक्ति न की गई हो तो दिवालियेकी सब जायदाद दफा २८ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके समयसे अदालतकी समझी जावेगी अत: यदि रिसीवरकी नियुक्ति दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् की जावे तो पहिले दिवालियेकी जायदाद अदालतकी होगी उसके पश्चात् रिसीवरकी नियुक्ति होने पर वह जायदाद अदालतसे रिसीवरकी समझी जावेगी।

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि कौन व किस प्रकारका व्यक्ति रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिये। देखो—39 All. 159 में यह तय हुआ था कि कर्जख्वाहोंमें से कोई व्यक्तिभी रिसीवर नियुक्त किया जासकता है परन्तु इसके पश्चात् देखो—L R 3 A. 85 में यह तय किया गया कि अदालतको चाहिये कि वह दिवालियेके किसी कर्जख्वाहको उसकी जायदाद वसूल करनेके लिये रिसीवर नियुक्त न करे।

चूंकि रिसीवरके कर्तव्योंको करनेके लिये कानूनी योग्यताकी आवश्यकता है अत यह उचित प्रतीत होता है कि कोई कानूनी योग्यता रखने वाला व्यक्तिही रिसीवर नियुक्त किया जावे देखो— 50 I. C. 117. रिसीवरकी नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना दोनों बात अदालत पर निर्भर हैं अर्थात् दोनोंका अधिकार अदालतको प्राप्त है देखो—46 Mad. 403, A. I. R. 1923 Mad. 355

रिसीवरको अदालत नहीं समझना चाहिये किन्तु वह अदालतका एक अफसर है जिसके द्वारा अदालत दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा रखती है तथा उस पर अपने अधिकारका प्रयोग करती है देखो—42 I C 799 अदालत अपने कानूनी अधिकार (अर्थात् फैसला करनेके अधिकार) रिसीवरको नहीं देसकती है किन्तु आवश्यकतानुसार वह रिसीवरको किसी मामलेकी तहकीकात सुपुर्द कर सकती है जिसमें रिसीवर बाद तहकीकात अपनी रिपोर्ट अदालतके सामने पेश कर सके। बाज़ काम काजके लिये रिसीवरकी रिपोर्ट बतौर शहादतके समझी जावेगी देखिये दफा ५२ (२) तथा ३८ (४) 36 I. C 906.

दिवालियेके रिसीवर तथा दीवानीके और मामलोंमे नियुक्त किये हुए रिसीवरके अधिकार एकही से नहीं हैं किन्तु उन दोनोंकी हालतमें अंतर है देखो—A I R 1924 Pat 259, A. I R. 1924 All. 40 जिसमें कि यह बतलाया गया है कि जाब्ता दीवानीके अनुसार किसी जायदादके लिये नियुक्त किया हुआ रिसीवर उस जायदाद पर अदालतकी तरफसे कब्जा रखता है। वह जायदाद उसकी नहीं हो जाती है और न वह उस जायदादका किसी प्रकार प्रतिनिधिही है और यदि उसको फरीक मुकदमा बनाकर जायदाद पर पाबन्दी करना हो तो अदालतकी आज्ञासे वह फरीक मुकदमा इसके लिये बनाया जाना चाहिये। परन्तु कानून दिवालियाके अनुसार जो रिसीवर नियुक्त किया जाता है वह उससे बिल्कुलही भिन्न है वह केवल अदालतका अफसरही नहीं है किन्तु दिवालियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और वह उस जायदादका प्रतिनिधि हो जाता है और इसी कारण यदि दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई मुकदमा चलाया जावे तो उसे अवश्य फरीक मुकदमा बनाया जाना चाहिये और उसको फरीक मुकदमा बनाते समय अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है। इस एक्टके अनुसार रिसीवर नियुक्त किये जातेही दिवालियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि अदालत आज्ञा देवे कि दिवालियेकी जायदाद रिसीवरकी हो गई है। मदरास हाईकोर्टने यह तय किया है कि दिवालिया

क़रार दिये जानेका हुक्म होतेही दिवालियेकी जायदाद आफ़िशल रिसीवरकी नहीं हो जावेगी किन्तु इस दफ़ाके अनुसार उसे रिसीवर नियुक्त करनेका हुक्म दिया जाना चाहिये अर्थात् दूसरे शब्दोंमें जायदादकी सुपुर्दगीका हुक्मही जाना चाहिये और बिना इसके वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य नहीं कर सकता है देखो—47 Mad. 462, A. I R. 1924 Mad. 461.

इस कारण यदि ऐसी नियुक्तिका हुक्म न दिया गया हो तो आफ़िशल रिसीवरसे ख़रीदने वालेका ठीक हक़ जायदादमें नहीं पहुंचेगा देखो—A. I. R. 1927 Mad. 1 यदि इस प्रकारका हुक्म होनेसे पहिले आफ़िशल रिसीवर किसी जायदादको बेंच देवे तो बेंचनेके बाद भी ऐसा हुक्म दिया जासकता है तथा उस हुक्मके होने पर वह सौदा ठीक समझा जासकेगा देखो— A. I. R. 1925 Mad. 249

जबसे कि दिवालियेकी जायदाद रिसीवरकी सुपुर्दगीमें आजाती है वह उस दिवालियेके कर्ज़ख्वाहोंका एक प्रकारसे प्रतिनिधि हो जाता है और उसको चाहिये कि वह उनके हक़ोंकी रक्षा हर प्रकारसे करे। और यदि वह किसी मामलेको उनके लाभके लिये चालू करना आवश्यक न समझे परन्तु कोई कर्ज़ख्वाह यह चाहता हो कि मामला अवश्य चालू किया जावे तो रिसीवरको चाहिये कि वह उस कर्ज़ख्वाहसे मुक़द्दमेके खर्चेके लिये इतमीनान कर लेनेके बाद उस मामलेको चालू कर देवे देखो—36 I. C 771.

उपदफ़ा (२)—रिसीवरके सम्बन्धमें जो नियम इस एक्टके लिये बनाये गये हों उनका मानना आवश्यक है उन नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको अधिकार है कि वह रिसीवरसे जमानतभी लेलेवे जिसमें कि वह उस जायदादके सम्बन्धमें हिसाब दाख़िल करा सके जोकि रिसीवरके क़ब्जेमें आई हो तथा अदालतको यह भी अधिकार है कि वह दिवालियेकी जायदादमेंसे रिसीवरको उसके काम करनेके एवजमें कुछ रुपया बतौर उजरतके दिलवानेका हुक्म देदेवे। यदि अदालत जमानतकी शर्तके साथ रिसीवर नियुक्त करनेका हुक्म देवे तो जब तक जमानत दाख़िल न हो जावे रिसीवरकी नियुक्ति पूर्ण रूपसे न समझना चाहिये और यदि रिसीवर अदालतके हुक्मके अनुसार जमानत देदेवे तो उसकी नियुक्ति उस तारीख़से मानी जावेगी जबसे कि अदालतका हुक्म उसकी नियुक्तिके लिये हुआ है। और यदि अदालतके हुक्ममें जमानतके सम्बन्धमें कोई ज़िक्र न हो तो रिसीवरकी नियुक्ति उसी तारीख़से पूरी मानली जावेगी।

रिसीवरके श्रमफल (Remuneration) के बारेमें निश्चित करना अदालतका कर्तव्य है चाहे वह इसे अपने आम हुक्म द्वारा निर्धारित कर देवे अथवा वह इसके बारेमें कोई ख़ास हुक्म कर देवे। इससे यह प्रगट है कि रिसीवर एक प्रकारसे अदालतका अनुचर है और वह किसी दूसरे व्यक्तिसे अपना श्रमफल पानेका अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अदालतकी आज्ञा लिये बिना छिपाकर रिसीवरको उसका श्रमफल देनेका वादा कर देवे तो यह एक प्रकारसे बड़ा अनुचित कार्य होगा और इस प्रकारका समझौता करने वाले व्यक्ति अदालतका अपमान करनेके भागी होंगे देखो—22 Cal 648.

फ़ीस श्रमफल (Remuneration)—कितना होना चाहिये इस बातको अदालतही तय करेगी। बहुधा यह श्रमफल सैकड़ा पीछे या कमीशनके तौर पर तय किया जाता है परन्तु अदालतको अधिकार है कि वह इसके बजाय माहवारी वेतनके रूपमें भी यह श्रमफल दिलवा देवे यह रुपया दिवालियेकी जायदादही से दिलवाया जावेगा और दिवालियेके उत्तराधिकारी जाती तौरसे इसके अदा करनेके जिम्मेदार नहीं हो सकेंगे देखो—76 I. C 583 जायदादके सब बार्ज (Charges) को चुकानेके पश्चात् जो असासा (Assets) रिसीवरके पास बचेगा उस पर रिसीवरके कमीशन या श्रमफलका बार रहेगा।

यदि रिसीवरने दिवालियेकी जायदादको वसूल किया हो तो वह उससे अपना कमीशन पानेका हक़दार हो जावेगा और यदि दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म मसूख़ भी कर दिया जावे तो भी वह अपना कमीशन पानेका हक़दार बना रहेगा देखो—8 Mad. 79

बम्बई हाईकोर्टके अनुसार रिसीवरका कमीशन ५) रुपया सैकडेसे अधिक नहीं नियत किया जाना चाहिये तथा यह कमीशन उन रुपयोंके अनुसार मिलना चाहिये जो बनैर हिस्सा रसदीके बांटा जाने वाला होवे, देखो—A I. R. 1925 Bom 172. रेहनकी हुई जायदादमें रिसीवरको कमीशन उन्हीं रुपयोंके अनुसार मिल सकेगा जो रेहनके बाकी निकाल देनेके बाद बचे पूर्ण जायदादकी कीमतके अनुसार नहीं मिलेगा, देखो—12 Bom. 272, 21 All 227, 36 Cal. 990.; A I. R 1925 Nag 150, A. I. R 1928 Rang. 23.

उपदफा (३)—इस उपदफाके अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह रिसीवरकी नियुक्तिके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिके अधिकारमें होवे तो उसे उस व्यक्तिके अधिकारसे लेलेवे परन्तु ऐसी जायदाद उसी व्यक्तिसे छुडाई जासकेगी जिससे कि दिवालिया स्वयं छुडा सकता हो अन्यथा नहीं इस दफाके अनुसार जायदाद उस व्यक्तिके कब्जेसे नहीं छुडाई जासकती है जो दिवालियेसे कब्जा मुखालिफाना (Adverse possession) रखता हो या जो बिला अदालती कार्रवाईके दिवालिये द्वाराभी नहीं हटाया जासकता हो, देखो—46 I. C 377; 49 Mad. 762 यदि किसी व्यक्तिका कब्जा जायदाद पर किसी इन्तकाल जायदाद (Transfer) के जरिये हुआ हो और चाहे वह इन्तकाल दफा ५४ के अनुसार काबिल मसूखी होवे तो भी ऐसे व्यक्तिसे जायदादका कब्जा इस उपदफाके अनुसार नहीं लिया जासकता है, जब तक कि वह इन्तकाल रद्द न कर दिया जावे, देखो—A. I. R 1925 Rang 224 इस उपदफाके अनुसार कार्रवाई करते समय अदालतको चाहिये कि दीवानीके मामलोंकी तरह समझ बूझ कर कार्रवाई करे और मामलेको बाकायदा सुने जैसे कि दीवानीके मामले सुने जाते हैं, देखो—37 All 65

इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कोई स्थाई रिसीवर नियुक्त कर देवे अर्थात् दरमियानी (Interim) रिसीवरही नियुक्त न बना रहने दे, देखो—A I R 1926 Pat 291 यदि दिवालिया करार दिये जानेके बाद तथा रिसीवर नियुक्त किये जानेके बाद दिवालियेकी कोई जायदाद इजरायमें बेंच दी गई हो तो रिसीवरको अधिकार है कि वह ऐसे नीलामकी मसूखी तथा बेंची हुई जायदाद पर कब्जा लेनेकी दरख्वास्त इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियामें दे सके, देखो—44 Mad. 524.

इस उपदफाके अनुसार केवल रिसीवर ही दरख्वास्त नहीं दे सकता है किन्तु वह व्यक्ति भी दे सकता है जिसने रिसीवरसे जायदादको खरीदा होवे, देखो—45 Mad 434, A. I R 1922 Mad. 147. यदि इस उपदफामें दी हुई शर्त (Proviso) का ध्यान न रखते हुए अदालत कोई फैसला कर देवे तो उस फैसलेसे फरीकैनके हक पूर्ण रूपसे निश्चित किये हुए नहीं माने जावेंगे, देखो—49 Mad. 762 अर्थात् जो अदालतको दफा ४ के अनुसार किसी हकके तय करनेका अधिकार प्राप्त हो, परन्तु इस उपदफा की शर्त (Proviso) उसमें बाधक पडती हो तो अदालतको दफा ४ के अनुसार कार्रवाई नहीं करना चाहिये। और इसी कारण ऐसे प्रश्नोंको हल करना एक प्रकारसे अदालत दिवालियाके लिये समय नष्ट करना है और उसे चाहिये कि वह ऐसे प्रश्नोंको नम्बरी नालिशमें तय होने देवे देखो—A I. R 1924 Mad. 387. इस दफामें यह कहीं नहीं बतलाया गया है कि रिसीवरको किस मियादके अन्दर कब्जा ले लेना चाहिये अर्थात् रिसीवर दिवालियेकी कार्रवाईके दौरानमें किसी समय भी कब्जा प्राप्त कर सकता है।

उपदफा (४) इस उपदफाके अनुसार अदालतको रिसीवरके कार्योंमें हस्तक्षेप करने तथा उससे हर्जा आदि वसूल करनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् अदालत आवश्यकतानुसार रिसीवरको उचित दण्ड दे सकती है इस उपदफामें रिसीवर द्वारा की जाने वाली सब गलतियां नहीं दिखलाई गई हैं केवल थोडासी गलतियोंका उल्लेख क्लाज (ए), (बी) व (सी) में कर दिया गया है और न इस उपदफामें उन सब सजाओंका ही वर्णन है जो रिसीवरको उसकी गलतियोंके कारण दी जासकती है क्योंकि इसमें सिर्फ रिसीवरकी जायदादको कुर्क करने तथा उससे उसके हर्जेकी पूर्ति करनेही का जिक्र

है। जब अदालत रिसीवरको नियुक्त कर सकती है तो उसे उसके हटानेका भी अधिकार अवश्य प्राप्त समझना चाहिये। इसी प्रकार जिस प्रकारका जुर्म रिसीवर करेगा उसी प्रकारका दण्ड पानेका भागी होगा। इस उपदफामें यह नहीं बतलाया गया है कि रिसीवरकी गलतियां अदालतको कौन बतला सकेगा परन्तु यह बात प्रकटही है कि अदालत यदि किसी गलतीको देखे तो वह स्वयही उस गलतीको पकड़ सकती है तथा उसके अनुसार रिसीवरको दण्ड दे सकती है और चूंकि रिसीवर एक पब्लिक सर्वेन्ट है इस कारण कोई भी व्यक्ति उसकी गलतियोंको अदालतके सामने रख सकता है। अर्थात् जिस किसी भी व्यक्ति को रिसीवरकी गलतियोंकी वजहसे हानि उठाना पड़े उसे अधिकार है कि वह रिसीवरकी उस गलतीको अदालतके सामने रख देवे जिसमें अदालत तहकीकातके बाद रिसीवरको उचित दण्ड दे सके। रिसीवरको अदालतका एक अफसरही समझना चाहिये वह स्वयं अदालत नहीं है और इसी कारण उसे कोई मसला कानूनन् तय करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न वह कानूनी अफसरोंकी तरह किसी मामलेकी कानूनी तहकीकात ही कर सकता है।

यो रिसीवर अदालत नहीं है किन्तु उसके कार्योंमें हस्तक्षेप करनेसे अदालतकी तौहीनीका जुर्म लगाया जासकता है चूंकि वह अदालतका एक प्रकारका एजेन्ट है इस कारण उसके कार्योंमें रुकावट डालना या हस्तक्षेप करना एक प्रकारसे अदालतके हुक्मकी अवहेलना करना है और इसीलिये अदालतकी तौहीनी (Contempt of Court) का जुर्म लगाया जासकता है, देखो—6 B. L R 486, 9 1 C 487, 28 Cal 790; 26 C. L J. 345.

उपदफा (५) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि दफा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दरमियानी रिसीवरके लिये भी वही बातें लागू होंगी जो कि रिसीवरके लिये बतलाई गई हैं और जहां तक उसका ताल्लुक उनसे है।

दफा ५७ सरकारी रिसीवरोंको नियुक्त करनेके अधिकार

(१) प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह जिन लोगोंको उचित समझे किसी खास मुकद्दमा हदके लिये इस एक्टके अनुसार रिसीवर बना देवे यह रिसीवर सरकारी रिसीवर (Official Receivers) कहलायेंगे।

(२) अगर किसी अदालतकी अधिकार सीमाके लिये कोई सरकारी रिसीवर नियुक्त किया गया हो तो वह रिसीवर अदालतके रिसीवर या दरमियानी रिसीवर नियुक्त करने वाले सब हुक्मोंके अनुसार काम करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध किसी विशेष कारणवश कोई दूसरी आज्ञा न दे।

(३) जो रुपया दफा ५६ (२ बी) के अनुसार सरकारी रिसीवरको उसके कामकी वजहसे मिलना चाहिये वह रुपया प्रान्तिक सरकार द्वारा निश्चित किये फण्डमें जमा किया जावेगा।

(४) उस फण्डसे या और किसी जगहसे सरकारी रिसीवरको उतनाही रुपया श्रमफल के रूपमें मिलेगा जितना प्रान्तिक सरकार इस मद्दमें निश्चित कर देगी और उस निश्चित किये हुए रुपयेसे कुछ भी अधिक बतौर श्रमफल (Remuneration) के सरकारी रिसीवरको न मिलेगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) इस दफामें सरकारी रिसीवर (Official Receiver) नियुक्त किये जानेका वर्णन है। प्रान्तिक सरकारको अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी रिसीवरको नियुक्त कर सके तथा ऐसे नियुक्त किये हुए रिसीवरकी

अधिकार सीमा भी निर्धारित कर सके। चूंकि अंगरेजी एक्टमें इस दफामें रिसीवरकी नियुक्ति करने में मे (May) शब्दका प्रयोग किया गया है इससे यह प्रकट है कि सरकारी रिसीवर (Official Receiver) की नियुक्तिके लिये प्रांतिक सरकार बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह चाहे तो नियुक्त कर सकती है और यदि न चाहे तो नियुक्त न करे।

उपदफा (२) यदि किसी जगह के लिये सरकारी रिसीवर (Official Receiver) नियुक्त कर दिया गया हो तो अधिकतर वही रिसीवर इस एक्टकी दफा २० व ५६ में बतलाये हुये रिसीवरका काम करेगा और बिना किसी खास वजहके अदालत उन जगहोंमें आफिशल रिसीवरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त नहीं करेगी 46 Mad. 405. अर्थात् जिन जगहोंके लिये प्रांतिक सरकार द्वारा आफिशल रिसीवर नियुक्त कर दिया गया हो तो वही रिसीवर दरमियानी रिसीवर (Interim Receiver) या स्थाई रिसीवर (Regular Receiver) नियुक्त किया जावेगा परन्तु अदालतको अधिकार है कि यदि वह किसी खास कारणसे किसी अन्य व्यक्तिको दरमियानी या स्थाई रिसीवर नियुक्त किया चाहे तो नियुक्त कर सकती है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होते ही दिवालियेकी जायदाद अपने आपही आफिशल रिसीवरकी नहीं हो जाती किन्तु अदालतका हुक्म होने पर वह दिवालियेकी जायदाद पासकेगा और ऐसा हुक्म होनेसे पहिले उसे दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य करनेका अधिकार नहीं है और न वह उसकी जायदाद बेंच कर खरीदारको ही पूरा हक पहुंचा सकता है देखो—63 I. C. 896; 1924 Mad 461. परन्तु यदि कोई आफिशल रिसीवर सुपुर्दगीका हुक्म होनेसे पहिले दिवालियेकी किसी जायदादको बेंच देवे तो अदालत द्वारा दिये हुए बादके हुक्मसे वह सौदा ठीक किया जासकता है अर्थात् जायदाद बेंचे जाते समय तो एक प्रकारसे वह दस्तखलि जायदाद करताही है और उससे खरीदने वालेको कोई हक नहीं पहुँचता है परन्तु यदि अदालत बादमें उसकी मंजूरी दे देवे तो वह बयनामा ठीक समझना चाहिये देखो—43 Mad 869, A. I. R. 1925 Mad. 249.

आफिशल रिसीवरको वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो दरमियानी रिसीवर या मामूली रिसीवरको जो दफा २० या दफा ५६ के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं प्राप्त हो सकते हैं इनके अतिरिक्त उसे वह भी विशेष अधिकार प्राप्त हो सकेंगे जिनका उल्लेख दफा ८० में किया गया है और उस दफाके अनुसार वह जो काम करेगा या हुक्म देगा उसे अदालतका काम या हुक्म समझा जावेगा। इस प्रकार दफा ८० के अनुसार कार्रवाई करनेके सम्बन्धमें आफिशल रिसीवरको एक प्रकारसे अदालतके अधिकार प्राप्त हैं परन्तु हर मामलेके लिये उसे अदालत नहीं समझना चाहिये।

उपदफा (३) आफिशल रिसीवर तथा मामूली रिसीवरकी हालतमें कुछ अन्तर है। मामूली रिसीवरको वही श्रमफल (Remuneration) मिल सकता है जो अदालत उसके लिये दफा (२) (बी) के अनुसार निश्चित करे परन्तु आफिशल रिसीवरके सम्बन्धमें वह श्रमफल (Remuneration) एक फण्डमें जमा किया जावेगा तथा वह इस फण्डमें से वही नियत किया हुआ वेतन पासकेगा जो प्रान्तिक सरकार उसके लिये निश्चित कर देगी। अदालतको अधिकार है कि वह किसी खास कारणके उपस्थित होने पर आफिशल रिसीवरको हटा देवे देखो—46 Mad 405

दफा ५८ अदालतके अधिकार जब कि रिसीवर नियुक्त न किया गया हो

जबकि कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया हो, तो अदालतको वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टमें रिसीवरके लिये दिये गये हैं तथा वह उन सब अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि किसी मामलेमें रिसीवरकी नियुक्ति न की जावे तो उस समय अदालतको

स्वय वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत जो काम रिसीवरके करेगी वह रिसीवरकी हैसियतसे करेगी अर्थात् इस दफाके अनुसार अदालत जो काम करेगी वह अदालतकी हैसियतसे करेगी और उनको अदालतका कामही समझना चाहिये देखो—62 I. C. 307. गो अदालतको इस दफाके अनुसार वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं परन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि अदालत उन सब अधिकारोंका प्रयोग अवश्य करे अर्थात् अदालत जिन अधिकारोंका प्रयोग किया चाहे कर सकती है तथा जिन अधिकारों का प्रयोग न किया चाहे नहीं कर सकती है। उनका प्रयोग करना न करना आवश्यकता व अवसरके अनुसार समझना चाहिये जैसा कि अंगरेजी एक्टकी इस दफामें दिये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है। अदालत स्वय दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा ले सकती है तथा दूसरेकी साबित होने पर उसे छोड़ सकती व इसी प्रकार वह किसी कर्जख्वाहके कहने पर किसी इन्तकाल जायदादको मन्सूख कर सकती है अर्थात् वह सब काम कर सकती है जो नियुक्त किया हुआ रिसीवर कर सकता है देखो--A. I. R. 1923 Nag 97, 78 I. C. 140.

दफा ५९ रिसीवरके कर्तव्य व अधिकार

इस एक्टमें दिये हुये नियमोंके अनुसार रिसीवर जितनी जल्दी हो सकेगा कर्जदारकी जायदाद वसूल करेगा व उन कर्ज़ख्वाहोंमें उसे तकसीम करेगा जो पानेके मुस्तहक हैं और ऐसा करनेके लिये वह —

(ए) दिवालियेकी सब जायदाद या उसका कोई हिस्सा बेंच सकता है;

(बी) जो रुपया उसे मिले उसकी रसीद दे सकता है और अदालतकी स्वीकृत लेकर नीचे दिये हुये सब या कोई काम कर सकता है।

(सी) दिवालिया का रोजगार उस हद्द तक चालू रख सकता है जिससे कि वह सुभीतेके साथ बंद किया जासके

(डी) दिवालियेकी जायदादके लिये मुकद्दमा या कोई अदालती कारवाई शुरू कर सकता है या उसकी जवाबदेही कर सकता है या दायर हुये मामलोंको चालू रख सकता है

(ई) अदालत द्वारा स्वीकृत प्राप्त हुये रोजगार या कार्रवाईके करनेके लिये वकील या कोई दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकता है

(एफ) दिवालियेकी जायदाद इस शर्त पर बेंच सकता है कि उसकी क़ीमत आयन्दा मिलेगी लेकिन ज़मानत या दूसरे क़िस्मकी उन शर्तोंके साथ ऐसा करना चाहिये जो अदालत उचित समझे

(जी) दिवालियेकी जायदाद का कोई हिस्सा रहन या गिरवी रख सकता है जिससे उसके कर्ज़ों की अदायगीके लिये रुपया वसूल किया जा सके।

(एच) कोई झगड़ा पंच फैसलेके लिये देसकता है और निश्चित की हुई शर्तों के अनुसार सब कर्ज़ों दावों व जिम्मेदारियोंमें राज़ीनामा कर सकता है

(आई) जब कि कोई जायदाद अपनी अजीब शकल या किसी दूसरे कारणसे फौरन या फायदेके साथ बेंची नहीं जा सकती हो तो उसे उसकी मौजूदा शकलमें उसकी अन्दाजा लगाई हुई कीमतके अनुसार कर्जख्वाहोंमें बांट सकता है।

व्याख्या—

इस दफामें रिसीवरके कर्तव्यों तथा उसके अधिकारोंका उल्लेख किया गया है। तथा यह बतलाया गया है कि इस एक्ट सम्बन्धी नियमोंका ध्यान रखते हुए रिसीवरको चाहिये कि वह जल्दसे जल्दी दिवालियेका लहना वसूल करके उसको उन कर्जख्वाहोंमें बांट देवे जो उस लहनेको पानेके हकदार हैं। रिसीवर लहनेको जल्दी वसूल करने तथा उसका हिस्सा रसदके हिसाबसे बांटनेके सम्बन्धमें उन सब बातोंका या उनमेंसे किसी बातका प्रयोग कर सकता है जिसका वर्णन क्लाज (ए) से लेकर क्लाज (आई) तक किया गया है। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि वह क्लाज (ए) व (बी) के अनुसार कार्रवाई अपनी इच्छानुसार कर सकता है अर्थात् उसके लिये उसे अदालतकी आज्ञा विशेष रूपसे लेनेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु क्लाज (सी) से लेकर क्लाज (आई) तक जो कार्रवाइयां बतलाई गई हैं उनके करनेके लिये उसे अदालतकी आज्ञा लेना आवश्यक है। चूंकि रिसीवर एक सरकारी अफसर है इसलिये उसको चाहिये कि वह अदालतकी आज्ञाके अनुसार ही कार्रवाई करे अर्थात् जिन कामोंके लिये अदालतकी आज्ञा लेना बतलाया गया है यदि वह उन कामोंको बिना अदालतकी आज्ञाके करे तो वह काम ठीक नहीं माने जावेंगे। यदि रिसीवरके विरुद्ध कोई शिकायत अदालतमें इस विषयकी की जावे कि उसने किसी बयनामेके लिये मंजूरी नहीं दी है तो रिसीवरका कर्तव्य होगा कि वह अदालतके सामने उपस्थित होवे तथा उस विषयके सम्बन्धकी सब बातें उसके सामने रखे—A. I R. 1924 Mad 147

क्लाज (ए) रिसीवरको दिवालियेकी जायदाद बेंचनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है वह उसकी सब जायदादको या उस जायदादके किसी हिस्सेको बेंच सकता है।

जायदाद (Property) शब्दकी परिभाषा दफा २ (१) (डी) में दी जाचुकी है रिसीवरका यह भी कर्तव्य है कि वह दिवालियेकी जायदादको जितना जल्दी हो सके बेंच देवे। चूंकि रिसीवर स्वयं अदालत नहीं है इसलिये उसके द्वारा जायदादके बेंचे जाने से यह तात्पर्य न समझना चाहिये कि वह जायदाद अदालत द्वारा बेंची गई है और इसी कारण रिसीवर द्वारा किये हुए बयनामेके सम्बन्धमें वह नियम लागू नहीं है जो अदालत द्वारा किये हुए नीलामोंमें लागू होते हैं देखो—50 Mad 135. यदि रिसीवरने किसी जायदादको बेंचा हो तो वह बयनामा रिसीवरके सर्टिफिकेट दे देनेमात्रसे पूरा नहीं हो जावेगा किन्तु रिसीवरको चाहिये कि उसके लिये बाकायदा दस्तावेज बयनामा तहरीर करे और उस पर कानून के अनुसार स्टाम्प लगाना चाहिये तथा कायदेके अनुसार उसकी रजिस्ट्री भी कराई जाना चाहिये। बयनामाकी रजिस्ट्री वैसीही कराई जायगी जैसी साधारण बयनामाकी देखो—46 Cal 887.

रिसीवर जायदादको बेचनेके लिये उसको आम नीलाममें बेच सकता है तथा यदि वह चाहे तो उसे प्राइवेट तौर पर भी बेंच सकता है अगर जायदादकी मुनासिब कीमत लगे देखो—60 I C 745 रिसीवरके खिलाफ भी हकशफाका मामला चलाया जा सकता है जबकि उसने जायदादको इस दफाके अनुसार बेचा हो देखो—27 All 670

रिसीवर द्वारा किये हुए बयनामेकी मंसूखीके लिये आर्डर २१ रूल ९० जाबता दीवानीके अनुसार दरख्वास्त नहीं दी जासकती है 44 I C 883 रिसीवर स्वयं भी अपने किये हुए बयनामेको मंसूख नहीं कर सकता है क्योंकि उस बयनामेमें उसके तथा खरीदारके दरमियान एक प्रकार मुआहिदा पूरा हो जाता है और उस मुआहिदेको तोड़ने या उसके विरुद्ध करने का कोई अधिकार अपने आप रिसीवर के पास नहीं रह जाता है देखो—1926 M W 688.

परन्तु यदि जायदादके बेचनेमें बेतरतीबीकी गई हो या कोई बदनीयतीसे काम किया गया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे बयनामे को मसूख कर देवे देखो—A. I. R. 1923 Mad. 350, 40 All 582.

यदि आफ़िशल रिसीवरने कोई समझौता अदालतकी आज्ञा लिये बिना कर लिया हो अर्थात् किसी मामलेको कुछ कम रुपया लेकर तय कर लिया हो तो इस प्रकारका समझौता रद्द नहीं समझा जावेगा और जब तक कि यह समझौता रद्द न करा दिया जावे तब तक माननीय होगा इजाजत का लेना एक इन्तज़ामी हुक्म है व उसका सम्बन्ध रिसीवरसे है देखो—A. I. R. 1929 Sindh 41.

क्लाज़ (बी) रिसीवरको अधिकार है कि वह दिवालिये का रुपया वसूल करके उसके लिये रसीदें दे सकता है इससे तात्पर्य यह समझना चाहिये कि यदि दिवालियेके सम्बन्धमें कोई व्यक्ति रुपया देकर रिसीवरसे रसीद हासिल कर लेवेतो वह रसीद पर्याप्त होगी तथा दुबारा उस व्यक्ति से इस प्रकार अदा किया हुआ रुपया नहीं मांगा जासकेगा। जिन कार्योंका उल्लेख क्लाज़ (सी) से लेकर क्लाज़ (आई) तकमें किया गया है उन कार्योंको करनेके लिये रिसीवरका कर्तव्य है कि वह अदालतकी आज्ञा प्राप्त करे।

एक्टमें यह कहीं भी नहीं बतलाया गया है कि अदालतकी आज्ञा किस प्रकार लेना चाहिये परन्तु यह अवश्य तय किया गया है कि इसके लिये लिखित आज्ञाके लेनेकी आवश्यकता नहीं है और न इस बातकी आवश्यकता है कि वह आज्ञा किसी खास प्रकारकी होना चाहिये देखो—A. I R 1926 Nag 156

परन्तु अदालतकी आज्ञा काम करनेसे पहिलेही ली जाना चाहिये यदि काम करनेमे पहिले अदालतकी आज्ञा न ली गई हो तो केवल इसही कारण वह काम रद्द न समझना चाहिये क्योंकि आज्ञाका लेना रिसीवर तथा अदालतके बीचका काम है और कामके बादभी यदि अदालत उस कार्यके लिये अपनी स्वीकृति देदेवे तो इसे काफ़ी आज्ञा समझी जावेगी यदि आफ़िशल रिसीवरने बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए कोई मुकदमा चालू किया हो और वह उस मुक़दमेमें हार जावे तो वह उस मुकदमेका खर्च दिवालियेकी जायदाद पर नहीं डाल सकता है देखो—45 Mad. 167.

यदि रिसीवर नियुक्त किये जाते समय उसे क़ानूनी ढगसे किराया आदि वसूल किये जानेके अधिकार प्रदान किये गये हों तो इससे यह मान लिया जावेगा कि उसे मुकदमा दायर करनेके भी अधिकार दिये गये है देखो—18 Cal. 477.

रिसीवरका कर्तव्य है कि वह सब जरूरी मामलोंमें अदालतका आदेश लेकर काम करे देखो—19 Bom 660.

यदि जाबता दीवानीके अनुसार किसी मामलेके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हो तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेके लिये सबसे पहिले अदालतकी आज्ञा लेलेना आवश्यक है परन्तु यदि कोई मामला बिला आज्ञा लिये हुए चालू कर दिया गया हो तो उसके लिये बादमें भी आज्ञाली जासकती है देखो—41 I. C. 802 दिवालियेके मामलोंमें जो रिसीवर नियुक्त किये जाते हैं वह ऊपर कहे हुए रिसीवरोंसे कुछ भिन्न है और उनके विरुद्ध मामला चालू करनेमें पहिले अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—53 I. C 973, A I. R 1924 All 40 बम्बई हाईकोर्टका मत है कि चूंकि रिसीवर एक पब्लिक आफ़िसर (Public Officer) है और इस कारण जाबता दीवानीकी दफ़ा ८०के अनुसार नोटिस दिये जानकी आवश्यकता है देखो—44 Bom.895.

यदि रिसीवर किसी मुकद्दमेके लिये जरूरी फरीक न होवे तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेमें आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है जैसेकि यदि कोई जायदाद रिसीवर द्वारा बेचदी गई हो और कोई व्यक्ति उस जायदाद पर अपना हक साबित करनेके लिये मुकदमा चालू करे तो ऐसे मामलेमें रिसीवरको फरीक मुकदमा बनाना बहुत जरूरी नहीं है। केवल इसही बातसे कि रिसीवरका नाम किसी मामलेमें बहैसियत मुद्दाअलेहके आता है तथा रिसीवरको फरीक मुकदमा बनानेके लिये आज्ञा

नहीं की गई है वह मामला कालिज ख़ारिज होनेके नहीं है अर्थात् मामला ऐसी दशामें भी चल सकता है देखो—41 I. C 809, 48 All. 821

क्लाज़ (सी) रिसीवरको अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञा लेने पर दिवालियेके कारोबारको चालू रख सके परन्तु उसे व्यापार इसही कारण चालू रखना चाहिये तथा उसी हद तक चालू रखना चाहिये जिसमें कि वह फायदेके साथ समेटा जासके देखो—40 Cal. 678.

क्लाज़ (डी) रिसीवरको अदालतकी आज्ञा लेने पर मुक़द्दमे चालू करने तथा उनकी पैरवी करते रहनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् वह दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले मुक़द्दमोंको लड़ सकता है। इस तौर पर इस उपदफा के अनुसार यदि रिसीवरकी सुपुर्दगीमें किसी दिवालियेकी वह जायदाद आई हो जो अविभक्त हिन्दू परिवारकी जायदादका अनुमानित भाग होवे तो रिसीवरको अधिकार है कि वह बटवारेका मुक़द्दमा उस जायदादके लिये दावा कर देवे देखो—A. I. R. 1923 Oudh. 154.

रिसीवर उन्हीं मामलोंको चालू कर सकता है या चालू रख सकता है जिनका सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे अन्यथा नहीं इसलिये यदि दिवालियेके विरुद्ध किसी रुपयेका दावा होवे तथा उसी बीचमें वह दिवालिया करार दे दिया गया हो तो रिसीवर उस मुक़द्दमेमें फरीक़ मुक़द्दमा नहीं बनाया जाना चाहिये देखो—29 I. C 30. दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलोंमें रिसीवरका फरीक़ मुक़द्दमा बनाया जाना आवश्यक है और यदि रिसीवरकी अनुपस्थितिमें दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई हुक्म दिया जावे तो उसे ग़ैर क़ानूनी समझना चाहिये और अपीलमें यदि उसे फरीक़ मुक़द्दमा बनानेकी कोशिशकी जावे जब कि वह शुरूमें फरीक़ न बनाया गया हो तो इससे वह कार्रवाई ठीक नहीं हो सकेगी देखो—30 I. C 703; 41 I. C 802.

कलकत्ता हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि दिवालियेके विरुद्ध बक़ाया किरायेका दावा किया जावे तो उसमें रिसीवरको फरीक़ मुक़द्दमा बनाना जरूरी नहीं है देखो—46 I. C. 395.

यदि कोई रिसीवर फरीक़ मुक़द्दमा बनाये जानेके बाद बदल जावे तो उसकी जगह जो दूसरा रिसीवर नियुक्त होगा उसे फरीक़ मुक़द्दमा बनाया जाना चाहिये देखो—28 Mad. 157.

यदि रिसीवर किसी मुक़द्दमेमें हार जावे तो उसे उस मुक़द्दमेका खर्च स्वयं उस वक्त तक बरदाश्त नहीं करना पड़ेगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जावे कि उसकी बेइनमानियोंकी वजहसे वह मुक़द्दमा खराब हुआ है देखो—A. I. R. 1925 Mad 736

यदि रिसीवरने किसी क़र्ज़ख्वाहके बहुत ज़ोर देने पर कोई मुक़द्दमा चालू किया हो तो अदालत उस क़र्ज़ख्वाहसे मुक़द्दमेका खर्च वसूल किये जानेका हुक्म दे सकती है देखो—46 I. C 377

इस बातके लिये निश्चित रूपसे नहीं कहा जासकता है कि रिसीवर मुफ़लिसीमें दावा कर सकता है या नहीं परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मालूम होता है कि मुफ़लिसीमें वह दावा कर सकता है इलाहाबाद हाईकोर्टने यह निश्चित किया है कि यदि कोई क़र्ज़दार मुफ़लिसीमें कोई दावा लड़ रहा हो और उसी बीचमें वह दिवालिया घोषित कर दिया जावे तो रिसीवर उस मामलेको मुफ़लिसीमें बिना कोर्टफ़ीस अदा किये चालू रख सकता है देखो—16 A. L. J. 440=47 I. C. 577.

क्लाज़ (ई) इस क्लाज़में रिसीवरको वकील या दूसरे एजेण्टोंको नियुक्त करके अदालत द्वारा बतलाये हुए कामोंके करनेका अधिकार दिया गया है अर्थात् यदि रिसीवर किसी कामको स्वयं न कर सकता हो अथवा उसकी देखरेख न कर सकता हो तो उस काम किसी दूसरे व्यक्तिके द्वारा करा सकता है इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस क्लाज़के अनुसार कार्रवाई करनेके लिये भी अदालतकी आज्ञा लेना आवश्यक है।

लाज़ (एफ) रिसीवर दिवालियेकी जायदाद इस शर्त पर भी बेंच सकता है कि उसे उसकी क़ीमत आयन्दा मिलेगी परन्तु ऐसे मामलोंमें काफ़ी ज़मानत आदि लेनी जाना चाहिये और इसके लिये भी अदालतकी आज्ञानुसार ही कार्य किया जाना चाहिये।

लाज़ (जी) इस क्लाजके अनुसार अदालतकी आज्ञा लेने पर रिसीवर दिवालियेके कर्ज़ोंको चुकानेके लिये उसकी जायदादको रेहन कर सकता है।

लाज़ (एच) अदालतकी आज्ञानुसार रिसीवरको दिवालियेके मसलोंमें तसफ़िया करनेका भी अधिकार प्राप्त है और इस क्लाजमें उसके इन्हीं अधिकारोंका उल्लेख है।

लाज़ (आई) इस क्लाजमें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालियेकी कोई जायदाद बेंची न जासके या उसके बेंचनेमे नुकसान होता हो तो अदालतकी आज्ञा लेकर रिसीवर उस जायदादकी क़ीमतका अन्दाज़ लगा कर उसे दिवालियेके कर्ज़ख्वाहोंको उनके कर्ज़ोंके अनुसार बांट सकेगा।

दफ़ा ५९ (ए) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्याफ्त करनेके अधिकार

(१) यदि प्रान्तिक सरकार किसी अदालतको या अदालतके किसी हाकिमको अपनी आज्ञा द्वारा ख़ास तौरसे अधिकार देदेवे तो वह अदालत या हाकिम रिसीवर या किसी ऐसे कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर जिसने अपना कर्ज़ साबित कर दिया है दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी समयभी किसी भी व्यक्तिको नियमित रूपसे तलब (Summon) कर सकता है। यदि यह मालूम हो जावे कि उसके पास दिवालिये की जायदाद है या उसके कब्ज़ेमें दिवालियेकी जायदाद होने का शक है अथवा उस पर दिवालिये का कर्ज़दार होने का शक है या वह व्यक्ति अदालत या दूसरे हाकिमकी रायमें जैसा अवसर होवे दिवालिया, उसके व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्धमें सूचना दे सकता हो और अदालत तथा दूसरा हाकिम जैसा कि अवसर होवे ऐसे व्यक्तिसे दिवालियासे सम्बन्ध रखने वाली अथवा उसके व्यवहार या जायदाद से सम्बन्ध रखने वाली किसी भी दस्तावेज को जो उसके कब्ज़े या अधिकारमें होवे पेश करा सकता है।

(२) यदि कोई इस प्रकार तलब किया हुआ व्यक्ति जबकि उसे उचित व्यय दे दिया गया हो अदालत या हाकिमके सामने उपस्थित होनेसे इन्कार करे या किसी दस्तावेजको पेश करनेमें इन्कार करे और इसके लिये कोई क़ानूनी रुकावट न होती हो जिसकी सूचना अदालत को देदी गई हो तथा अदालतने उसे मंजूर कर लिया हो तो अदालत या हाकिमको अधिकार है कि उसके लिये वारण्ट जारी कर देवे जिसमें वह बयान देनेके लिये लाया जासके।

(३) यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति अदालत या हाकिमके सामने लाया जावे तो अदालत या हाकिम उसका बयान दिवालियेके सम्बन्धमें तथा उसके व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें लेसकती है और ऐसे व्यक्ति की पैरवी वकील द्वारा की जा सकती है।

व्याख्या—

यह दफा कानून दिवालिया संशोधन ऐक्ट नं० ३९ सन् १९२६ [Provincial Insolvency Amendment Act 1926 (XXXIX of 1926)] द्वारा जोड़ी गई है

उपदफा (१) इस दफा में दिये हुए अधिकारोंका प्रयोग उसी समय किया जा सकेगा जबकि प्रान्तिक सरकारने इसके लिये खास तौरसे किसी अदालतको या अदालतके दूसरे हाकिमको आज्ञा दे दी हो अथवा किसी अदालत या हाकिमको इस दफाके अनुसार कार्य करनेका अधिकार प्राप्त न होगा। दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् ही अधिकार प्राप्त हुई अदालत या हाकिम इस दफाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है। इस दफाके अनुसार कार्रवाई करानेके लिये रिसीवर दरख्वास्त दे सकता है तथा वह कर्ज़ख्वाह भी दरख्वास्त दे सकता है जो अपना कर्ज़ साबित कर चुका है अर्थात् किसी तीसरे व्यक्तियों अथवा उस कर्ज़ख्वाहको जिसका कर्ज़ साबित नहीं कियाजा चुका है इस दफाके अनुसार कार्रवाई करानेका अधिकार प्राप्त नहीं है इस दफाके अनुसार वह व्यक्ति तलब किये जा सकते हैं जिनके कब्जेमें दिवालियेकी जायदाद होने या जिनके कब्जेमें दिवालियेकी जायदाद होनेका शुबहा हो वह व्यक्ति भी तलब किये जा सकते हैं जो दिवालियेके कर्ज़दार समझे जावें इसी प्रकार वे व्यक्ति भी तलब हो सकते हैं जिनको दिवालियेके सम्बन्धमें या उसके व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्धमें हाल मालूम होवे यही नहीं कि ऐसे व्यक्ति तलब ही किये जावें किन्तु उनसे दिवालिये अथवा दिवालियेके व्यवहार व जायदाद सम्बन्धी दस्तावेज़ें भी पेश कराई जासकती हैं।

उपदफा (२) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कायदेके मुताबिक तलब किया गया हो तथा उसे उसके व्ययके लिये उचित धनभी दिया गया हो और वह अदालतमें आनेसे इनकार कर देवे अथवा दस्तावेज़ पेश करनेसे इनकार कर देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध वारण्ट जारी कर देवे तथा उस बयान देनेके लिये मजबूरन बुलवा लेवे परन्तु साथ साथ यहभी बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी रुकावट का वजहसे हाज़िर न हो सकता हो या दस्तावेज पेश न कर सकता हो तथा वह अदालतको अपनी यह मजबूरी बतलाकर उससे मंजूरी ले लेवे तो ऐसे व्यक्तिके हाज़िर न होने पर उसके विरुद्ध वारण्ट जारी नहीं किया जावेगा। उचित धनसे अभिप्राय यह है कि उसको उसकी खुराक, राह खर्च, आदिके सम्बन्धमें पर्याप्त धन मिलना चाहिये इसके लिये जाबतादीवानी या दीवानीके जनरल रूल्स (General Rules Civil) देखना चाहिये तथा उनमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिकी हैसियतका ध्यान रखते हुए उसको पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये अर्थात् इस उपदफासे यह प्रकट है कि तलब किया हुआ व्यक्ति पर्याप्त खर्च पानेका अधिकारी है और वह तलब हो जानेके बाद भी अदालत या तलब करने वाले हाकिमसे यह व्यय वसूल करने का हुक्म पाने का हकदार है इस उपदफामें बतलाई हुई वारण्टका कार्रवाई तथा पिछली उपदफामें बतलाई हुई समनकी कार्रवाई निर्धारित नियमोंके अनुसारकी जाना चाहिये अर्थात् ज़ाब्ता दीवानी में या इस ऐक्ट में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ही समन या वारण्ट तामील किये जाना चाहिये।

उपदफा (३) अदालत या दूसरा हाकिम इस प्रकार तलब किये हुए व्यक्तिसे दिवालियेके सम्बन्धमें तथा उसके व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें पूछताछ कर सकता है अर्थात् इन बातोंके अतिरिक्त अन्य बातोंके लिये उससे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है इस उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि इस दफाके अनुसार तलब किया हुआ व्यक्ति अपनी मददके लिये वकील किया चाहे तो कर सकता है या वकीलके ज़रिये जवाबदेही कर सकता है।

दफा ६० गैर मनकूला जायदादके लिये ख़ास नियम

(१) अगर किसी जगह सन् १९०८ ई० के ज़ाब्ता दीवानीकी दफा ६८ के अनुसार घोषणा की गई हो और उसका अमल जारी हो तो उस गैरमनकूला जायदादको जिसपर सरकारी माल-

गुजारी अदाकी जाती हो या जिस पर काश्त होती हो या जो काश्तके लिये उठाई गई हो रिसीवर नहीं वेचेगा, लेकिन जबकि दिवालियेकी सब जायदाद वसूलकी जाचुकी हो तो अदालत तय करेगी कि

(ए) जो रुपया वसूल किया जा चुका है उसके अलावा कितना रुपया इस एक्टके अनुसार साबित किये हुए कर्ज़ोंको चुकानेके लिये चाहिये

(बी) दिवालिये की कितनी ग़ैरमनकूला जायदाद बिकने से बची है

(सी) और अगर बार हो तो उस पर कितना बार है

और ऊपर दी हुई बातों की तफसील कलक्टरके पास भेजेगा और तब कलक्टर उस कोड (ज़ाबता दीवानी) की तीसरी सूचीके पैराग्राफ २ से लेकर १० तक में दिये हुए नियमोंके अनुसार उस कदर रुपया लेवेगा जिसकी जरूरत बतलाई गई है और उन अधिकारोंके प्रयोग करनेसे जो रुपया आवेगा यह सब जहां तक उन पैराग्राफोंके अनुसार काम करते हुए होसकेगा अदालतको बांटनेके लिये दे देगा

(२) अगर किसी अन्य प्रचलित कानूनोंके द्वारा ग़ैरमनकूला जायदादके खिलाफ डिग्री इजराय या हुक्मोंके करनेकी कोई मुमानियत या रुकावट हो तो इस एक्टमें दी हुई बातोंका कोई असर उन कानूनोंके नियमों पर नहीं पड़ेगा और वह नियम इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके अमलमें उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कोई डिग्री या हुक्म ।

व्याख्या—

इस दफामें एक खास प्रकारकी ग़ैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें जिन नियमोंका प्रयोग किया जाना चाहिये उनका उल्लेख है। यह नियम उस ग़ैर मनकूला जायदादके लिये प्रयोग किये जासकेंगे जिनमें सरकारी मालगुजारी अदाकी जाती हो या उस जमीनके लिये किये जासकेंगे जिस पर काश्त होती होवे या जो काश्तके लिये उठाई जाती हो।

इन नियमोंका प्रयोग केवल उन्हीं जगहोंमें होवेगा जहा कि दफा ६८, ज़ाबता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाचुकीहो।

दफा ६८ ज़ाबता दीवानीमें दिया हुआ है कि—"प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दकी आज्ञा लेनेके पश्चात् प्रान्तिक सरकारी गजट द्वारा यह घोषित कर देवे कि किसी खास जगह पर इजराय डिक्रीकी कार्रवाई इजरायके लिये उस जगहके कलक्टरके पास भेज दी जावगी वही इजराय डिक्री इस दफाके अनुसार भेजी जावेंगी जिनमें अदालतने किसी ग़ैर मनकूला (Immoveable) जायदादको बेंचनेका हुक्म दिया हो या जो किसी खास किस्मकी ऐसी डिक्री होवे अथवा जिस डिक्रीमें किसी खास किस्म की जायदाद या उसका हक़ बेंचा जानेको होवे।"

इस दफामें बतलाया गया है कि यदि किसी ग़ैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें दफा ६८ ज़ाबता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाचुके तथा उसमें बतलाई हुई बातोंका प्रयोग जारी हो तो रिसीवर उस जायदादको नहीं बेचेगा किन्तु जब ऐसी जायदादके अतिरिक्त दिवालियेकी और सब जायदाद बेंची जाचुकी हो तो अदालतको चाहिये कि पहिले इन तीन बातोंका निर्णय करे कि (१) दिवालियेके बकाया कर्ज़ोंको अदा करनेके लिये कितने धनकी आवश्यकता है (२) दिवालियेकी कितनी जायदाद बिकनेसे बची है (३) उस पर कितना बार है और यह निर्णय करनेके पश्चात् अदालत इसकी रिपोर्ट कलक्टरके पास भेज देवे और तब कलक्टर चाहे हुए रुपयेके वसूल करनेका प्रयत्न उस जायदादसे ज़ाबता दीवानीके शिड्यूल तीन (Schedule III) के पैराग्राफ (Paragraph) २ से १० तकमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार करेगा। और कलक्टरको उन नियमोंके प्रयोग करने पर जो रुपया वसूल होगा वह उस रुपयेको अदालतके सुपुर्द कर देगा।

जाबता दीवानीकी सूची नं० ३ (Schedule III) म कलक्टर द्वारा जान वाली इजराय डिक्रीके नियमोंका उल्लख है जाबता दीवानीकी तीसरी सूची (Schedule III) क आर्टिकल (Article) २ से १० तक नीचे दिये जाते हैं।

शिड्यूल नं० ३ कलक्टर द्वारा इजराय डिक्रीका होना

२ खास मामलोंमें कलक्टर की कार्रवाई—यदि कोई डिक्री मुआहिदेके अनुसार किसी गैर मनकूला जायदादके बेंचे जानके सम्बन्धमें नहीं दी गई हो तथा वह डिक्री रुपयेकी डिक्री हावे परन्तु उस डिक्री इजरायमें कोई गैर मनकूला जायदाद कुर्क करा कर नीलाममें चढ़ाई गई हो और ऐसा इजराय कलक्टरके पास भेजा जावे तो कलक्टर उचित तहकीकातके बाद यह निश्चित करेगा कि आया जायदादको बिना नीलाम कराये हुए मद्यूनसे कुल कर्जा चुकाया जासकता है या नहीं और यदि उसे इस बातका विश्वास हो जावे तो वह नीचे दिये हुए हुक्मके अनुसार कार्रवाई करेगा।

३ डिक्रीदारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादका दावा करते हों— (१) पैराग्राफ २ में बतलाये हुए मामलेके सम्बन्धमें कलक्टर एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें पावन्दीके लिये ६० दिनका समय दिया जावेगा तथा उस नोटिसके अनुसार —

(ए) हर शख्स जिसकी रुपयेके डिक्री मद्यूनके खिलाफ होवे तथा जिस डिक्रीमें उसकी जायदाद नीलाम कराई जासके तथा डिक्रीदार जायदादका नीलाम कराना चाहता हो अपनी डिक्री कलक्टरके यहां पेश करे अथवा यदि किसीने अपनी बाकी डिक्रीके इजरायमें जायदाद नीलाममें चढ़वानेका काम नहीं किया हो तो वह अदालत इजरायका सार्टीफिकेट पेश करेगा जिसमें कि यह मालूम हो सके कि ऐसी डिक्रीके अनुसार कितना रुपया डिक्रीदार पानेका अधिकारी है।

(बी) यदि उस जायदाद पर किसी शख्सका कोई हक्क हाव तो उसे भी चाहिये कि वह कलक्टरके यहां अपने इस हकके बारेमें बयान दाखिल करे तथा साथही साथ यदि कोई दस्तावेजें होवें तो उन हकके सुबूतमें पेश करे।

(२) इस प्रकारका नोटिस उस अदालतके एक आम जगह पर चिपकाया जावेगा जिसने कि उस जायदादके बेंचे जानेका हुक्म शुरूमें दिया हो तथा उन जगहोंमें भी चिपकाया जावेगा जहां कि कलक्टर मुनासिब समझे और यदि किसी डिक्रीदार या दावेदारका पता मालूम हो तो नोटिसकी नकल बजरिये डाकके या और किसी तरहसे उस डिक्रीदार या दावेदारके पास भेजी जावेगी।

४ डिक्रीका मतालिया निश्चित करना और जायदाद गैर मनकूलाका उसके लिये मुहैय्या करना —(१) इस मियादके समाप्त होनेके पश्चात् कलक्टर कोई तारीख नियत करेगा कि जिसमें उन दिन डिक्रीदार दावेदार या मद्यून अपने अपने मसले पेश कर सकें तथा वह स्वयं मद्यूनकी जायदादके सम्बन्धमें जो बात जानना चाहे जान सके कि किस प्रकारकी जायदाद है तथा कितनी जायदाद है और यह भी जान सके कि उस पर डिक्रीदारों या दावेदारों का कहां तक हक पहुँचता है कलक्टर समय समय पर समायतका तथा तहकीकातकी तारीख भी बढ़ा सकता है।

(२) यदि इस बातके लिये कोई झगड़ा न हो कि मद्यूनके विरुद्ध बतलाई हुई डिक्री या दावे ठीक नहीं है तथा इस बातके लिये भी कोई झगड़ा न पड़ता हो कि कौनसा कर्ज पहले चुकाया जाना चाहिये तथा कौनसा न इस और न इस बातही के लिये कोई झगड़ा होवे कि कौनसे कर्जकी पाबन्दी जायदाद पर है तो कलक्टर एक बयान तयार करेगा जिसमें कि डिक्रीके सम्बन्धमें वसूल किया जाने वाला रुपया दिखलाया जावेगा तथा यह दिखलाया जावेगा कि डिक्री या दावे किस क्रमसे चुकाये जावेंगे और किस क़दर गैर मनकूला जायदाद इन कर्जोंको चुकानेके लिये है।

(३) यदि कोई इस प्रकारका झगड़ा उपस्थित होवे तो कलक्टर झगड़ेका हवाला देते हुए तथा अपनी राय प्रकट करते हुए मामलेको फैसलेके लिये उस अदालतके पास भेज देगा जिसने कि नीलामका हुक्म शुरूमें दिया हो और जब तक कि इसका जवाब नहीं आवेगा नीलामकी कार्रवाईको रोक देगा। यदि मामला अधिकार सीमाके अन्दर होगा तो वह अदालत इस मामलेको तय कर देगी या उस मामलेको किसी ऐसी अदालतके पास फैसलेके लिये भेज देगी जिसे उसके तय करनेका अधिकार प्राप्त है और उस मसलेका जो आखिरी फैसला होगा उसे कलक्टरके पास भेज देवेगी और तब कलक्टर इस फैसलेके अनुसार ऊपर बतलाया हुआ बयान तैय्यार करेगा।

५ जब ज़िलेकी अदालतने नोटिस जारी कर दिया हो—कलक्टर स्वय नोटिस जारी करने या दफा ३ व ४ के अनुसार तहकीकात करनेके बजाय एक बयान इस बातका तैय्यार करके कि मदयूनकी क्या हालत है तथा उसकी गैर मनकूला जायदादकी जहा तक कि कलक्टरको स्वय मालूम है या जहा तक मिसिलसे मालूम होता हो क्या हालत है जिला की अदालत ज़िला (District Court) के पास भेज सकता है और तब वह अदालत नोटिस जारी करेगी तथा दफा ३ व ४ के अनुसार तहकीकात करेगी और उसका सब हाल कलक्टरको लिख भेजेगी।

६ अदालतके फैसलेका असर—दफा ४ व ५ के अनुसार यदि किसी झगड़ेको अदालत निपटा देगी तो वह फैसला फ़रीकैनके दरमियान एक प्रकारकी डिक्री समझी जावेगी और डिक्रीकी तरह वह जारी कराया जासकेगा तथा इसकी अपील भी की जासकेगी।

७ रुपया देनेके लिये विचार—(१) यदि पैराग्राफ ४ व ५ के अनुसार यह तय किया जाचुका हो कि कितना मतालिबा है तथा कितनी जायदाद है तो कलक्टर—

(ए) यदि उसे यह मालूम हो कि जायदादको बिना बेचे हुए रुपया वसूल नहीं हो सकता है तो वह उसके बेचने की कार्रवाई शुरू करेगा।

(बी) यदि उसे यह मालूम हो कि पूरा रुपया व सूद जो डिक्रीमें दिलाया गया हो या जो कायदेसे मिलना चाहिये बिना नीलाम जायदादके वसूल किया जासकता है तो वह जायदादको बिना बेचे हुए उस पर नीचे दिये हुए ढग पर रुपया मय ब्याजके वसूल कर सकता है (i) यह कि कुल जायदादको या उसके किसी हिस्सेको पेशगी रुपया लेकर हमेशाके लिये अथवा किसी खास मियादके लिये उठा सकता है (ii) यह कि उस जायदादको कुल या उसके किसी हिस्सेको रेहन कर सकता है (iii) यह कि उस जायदादके किसी हिस्सेको बेच सकता है (iv) यह कि तारीख नीलामसे २० साल तकके लिये खेतीके लिये उठा सकता है तथा उसका इन्तज़ाम स्वय या किसी दूसरेके जरिये कर सकता है (v) यह कि ऊपर बतलाये हुए तरीकोंसे कुछ रुपया किसी तरीकेसे व कुछ किसी दूसरे तरीकेसे या किसी अन्य तरीकोंसे वसूल कर सकता है।

(२) कलक्टरको अधिकार है कि कुल जायदाद या उसके किसी हिस्सेका प्रबन्ध करते समय वह उस जायदादके मालिकके तौर पर काम कर सकता है।

(३) कलक्टरको अधिकार है कि वह कुल जायदाद या उसके किसी हिस्सेकी कीमत बढ़ानेकी गरज़से अथवा या इस गरज़से कि वह ज्यादा रुपयेके लिये उठाई जासके या वह किसी बारके लिये नीलाम न की जासके बारका रुपया अदा कर सकता है या उसकी अदायगीके लिये समझौता कर सकता है चाहे उसकी अदायगी उस समय होने वाली होवे या उसके बाद और ऐसे बारकी अदायगीके लिये वह जायदादके किसी हिस्सेको रेहन या बय कर सकता है तथा उसे उठा भी सकता है जैसा कि मुनासिब समझ पड़े। यदि ऐसे बार (Incumbrance) की अदायगीके सम्बन्धमें कोई झगड़ा खड़ा हो जावे तो उसे

अधिकार है कि वह मुनासिब अदालतमें उसके बारेमें मुकद्दमा दायर कर देवे यह मुकद्दमा कलक्टर अपने नामसे या मदयूनके नामसे दायर कर सकता है या कलक्टर इसका हिसाब समझ सकता है अथवा झगड़ेको निपटानेके लिये दो पचोंके सुपुर्द कर सकता है जिन्हें कि दोनों फरीकैनने एक एक अपनी तरफसे चुना हो या ऐसे सरपंचके ऊपर छोड़ सकता है जिसे कि इन दो पचोंने चुना हो।

(४) इस पैराग्राफके अनुसार कार्रवाई कलक्टर उन्हीं नियमोंके आधार पर करेगा जो कि प्रांतिक सरकारने इस विषयके लिये बनाये होवें।

८ बाकीका वसूल करना—यदि दफा ७ के अनुसार जायदाद उठाई गई हो या उसका प्रबन्ध किया गया हो और उसकी मियाद समाप्त होने पर यह मालूम होवे कि कुल कर्ज इस पर भी नहीं चुका है तो कलक्टर इस बातकी लिखित सूचना मदयूनको या उसके उत्तराधिकारीको देवेगा और उसमें यह भी लिख देगा कि यदि बकाया मतालिबा ६ हफ्तेके अन्दर नहीं चुका दिया जावेगा तो वह कुल जायदाद या उसके किसी पर्याप्त हिस्सेको बेच देवेगा। और यदि ६ हफ्तेके अन्दर रुपया अदा नहीं होगा तो कलक्टर नोटिसके अनुसार कुल या जुज जायदादको बेच देवेगा।

६ कलक्टरका हिसाब देना अदालतको—(१) कलक्टर समय समय पर उस अदालतको जिसने जायदादके नीलाम किये जानेका हुक्म पेश्तर दिया हो सब हिसाब भेजता रहेगा जिसमें कि रुपये की वसूली तथा इस शिड्यूलके अनुमार प्राप्त अधिकारोंके आधार पर जायदादके लिये जो खर्च किये गये हों उनका उल्लेख होगा और बचतका रुपया उस अदालतकी सुपुर्दगीमें कर देगा।

(२) उन खर्चोंमें सरकारी कर्जे व जिम्मेदारियां जो समय समय पर कुल या जुज जायदादके सम्बन्धमें हो जावें शामिल समझी जावेंगी तथा वह लगान भी शामिल समझा जावेगा जो कि उस जायदाद या उसके किसी हिस्सेके लिये अपनेसे अच्छा हक रखने वाले काश्तकारका निकलता होवे और यदि कलक्टर हुक्म देवे तो उन गवाहोंका खर्च भी जो उसने तलब किये हों लगाया जावेगा।

(३) बचा हुआ रुपया अदालत इस प्रकार व्यय करेगी —

(ए) यहकि वह रुपया मदयूनके परिवारके उन लोगोंकी परवरिशमें लगाया जावेगा जो उसकी जायदादकी आमदनी से परवरिश किये जानेके अधिकारी हैं हर एक मम्बरके लिये उस कदर रुपया बतौर परवरिशके दिया जावेगा जितना कि अदालत मुनासिब समझे।

(बी) यदि कलक्टरने पैराग्राफ (Paragraph) ७ के अनुसार कार्रवाईकी हो तो उस डिक्रीके चुकानेमें लगाया जावेगा जिसके सम्बन्धमें जायदाद नीलाम कराई गई हो या फिर दफा ७३ के अनुसार जैसा कि अदालत उचित समझे।

(सी) यदि कलक्टरने पैरा बी के अनुसार कार्रवाईकी हो तो (i) जायदादके भार (Incumbrance) का सूद चुकानेमें देवेगी (ii) यदि मदयूनके पास जीविकाका पर्याप्त साधन न होवे तो उसकी जीविकाके लिये उस कदर जितना कि अदालत मुनासिब समझे देवेगी (iii) पहिले डिक्रीदार तथा अन्य डिक्रीदारोंका जिन्होंने नोटिसकी पाबन्दीकी हो तथा जिनका मतालिबा वसूल किया जानेका हुक्म हो चुका हो उनका रुपया रसदी तौरसे चुकानेमें देवेगी।

(४) इस जायदाद या बचे हुए रुपयेमेंसे किसी सादी डिक्री वाले दूसरे डिक्रीदार को रुपया उस वक्त तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उन डिक्रीदारोंको रुपया जिनके सम्बन्धमें हुक्म हो चुका है न चुकाया जा सके और अन्तमें बचा हुआ रुपया मदयूनको या ऐसे शख्सको दिया जावेगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे।

१० कैसे बेचा जायगा—जबकि कलक्टर इस सिद्धान्त के अनुसार जायदादको फरोख्त करे तो वह जायदादको एकमुश्त या भिन्न २ भागों में आम नीलाम द्वारा फरोख्त करेगा और उसे यह भी अधिकार है कि वह —

(ए) हर हिस्से (Lot) के लिये कोई उचित कीमत नियत कर देवे

(बी) नीलामकी उचित समयके लिये उचित कारणोंके आधार पर जो लिखे जाना चाहिये मुल्तवी कर देवे जबकि उसे यह मालूम हो कि मुल्तवी होनेसे जायदादकी आधी कीमत आ सकेगी ।

(सी) नीलाममें जायदादको खरीद लेवे और फिर दुबारा उसे नीलाम आम द्वारा बेच देवे या बादमें भी सौदेसे बेच देवे जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो ।

उपरकी दफाओंको देखनेसे यह भली भांति प्रगट है कि कलक्टर अपने यहां आई हुई इजराय डिग्रीकी कार्रवाई को किस प्रकार अमलमें ला सकता है। जिन नियमोंका उपर वर्णन है कलक्टर उन्ही नियमोंका प्रयोग करेगा। उस अदालत को जिसने जायदाद नीलामके लिये भेजा हो वही अधिकार हस्तक्षेपके प्राप्त होंगे जो इन नियमोंमें बतलाये गये हैं अर्थात् वह ऐसे ही झगड़ोंको तय कर सकेगी जो कलक्टर तय होनेके लिये उसके पास भेजे।

यदि इस दफाके अनुसार कलक्टर द्वारा इजरायकी कार्रवाई हो रही हो तो अदालत दीवानीको कोई अधिकार नहीं है कि वह जायदाद नीलाम करने वाले हाकिमके कार्यमें हस्तक्षेप करे। यदि जायदादके नीलाममें या उसके नीलामकी कार्रवाई में कोई शिकायत होवे तो यह शिकायत उसी अफसरके सामने पेश की जाना चाहिये जो नीलामकी कार्रवाई कर रहा हो और उसी अफसरको अदालतको ऐसे प्रश्नों पर विचार करनेका अधिकार है देखो—49 A. 272.=A. I. R. 1927 All. 203. यदि अफिशल रिसीवर इस दफामें बतलाई हुई जायदादको बेच देवे अर्थात् इस दफाके नियमोंके विरुद्ध काम करे तो वह बयनामा अनुचित होगा तथा वह अमलमें नहीं लाया जा सकता है देखो —*A. I. R. 1925 Oudh. 299.*

इस दफाका प्रयोग उन जमीनोंके लिये भी हो सकेगा जो काश्तके लिये उठाई जाती हों या जिन पर काश्तकी जाती हो नीलकी खेतीका होना काश्तकारीका काम है परन्तु नीलकी टिकियोंका तैयार किया जाना काश्त नहीं है 31 Cal. 174. बागके लिये उठाई जाने वाली जमीन काश्तकी जमीन नहीं है देखो—24 Cal. 160. आलू चना व तरकारी आदि बोये जानेकी जमीन काश्तकारीकी जमीन है देखो—25 Mad 627. परन्तु कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार तरकारी बोने तथा घास या फलोंके दरख्त उगाने वाली जमीन काश्तकी जमीन नहीं है देखो—27 Cal. 205. यदि किसी प्रचलित कानूनके अनुसार किसी और मनकूला जायदादकी इजरायके सम्बन्धमें उसको रोकने आदिके लिये कोई नियम बनाये गये हों तो उन नियमों का ध्यान रखते हुये ही इस दफाका प्रयोग किया जा सकेगा।

लाहौर हाईकोर्टने देखो—A. I. R. 1929 Lah. 66 में तय किया है कि अदालत दिवालिया उचित अवसर उपस्थित होने पर दिवालियेकी जायदादको हमेशाके लिये भी अन्हदा कर सकती है। इस मामलेमें लछमनप्रसाद अपीलान्ट सन् १९१५ ई० में दिवालिया करार दिया गया था। उसके पास बहुत सा जमीन थी जिससे रुपया वसूल करनेकी बहुत कोशिश की गई परन्तु कुछ वसूल नहीं हो सका तब वह जमीन उसके एक रिश्तेदारके पास रेहन कर दिये जाने का हुक्म हुआ इसी हुक्मकी अपीलकी गई है अपीलमें जजोंने तय किया कि चूंकि दिवालिया बराबर रुकावट डालता रहा है तथा उसके पास जीवनका दूसरा साधन भी उपस्थित है ऐसी दशामें उसकी वह जमीन रहनकी जाना चाहिये दफा ६० (१) (सी) और दिवालियेकी अपील खारिजकी गई।

तक़सीम जायदाद

दफा ६१ कर्ज़ोंका पेश्तर चुकाया जाना

(१) दिवालियेकी जायदादको बांटते समय नीचे दिये हुए कर्ज़े और सब कर्ज़ोंसे पहिले चुकाये जावेंगे:—

(ए) वह सब कर्ज़े जो गवर्नमेंट या स्थानिक सरकारको देना हों

(बी) क्लर्क नौकर या मजदूरकी बीस रुपयेसे कम वह सब तनख्वाह या उजरत जो उन लोगोंको दिवालेकी दरख्वास्त गुजरनेसे ४ महीने पहिले किये हुए कामके लिये चाहिये है।

(२) उपदफा (१) अर्थात् ६१ (१) में दिये सब कर्ज़े आपसमें बराबर हैसियतके समझे जावेंगे और पूरे पूरे चुकाये जावेंगे लेकिन अगर दिवालियेकी जायदाद काफी न हो तो वह रसदी तौरसे सब कर्ज़े कम कम चुकाये जावेंगे।

(३) अगर दिवालियेकी जायदाद काफी हो तो उपदफा (१) में दिये कर्ज़े उन रुपयोंको अलहदा करनेके बाद जो इन्तजाम या दूसरे खर्चेके लिये जरूरी हों फौरन चुका दिये जावेंगे।

(४) जहां साझेका काम हो वहां पहिले साझेकी जायदादसे साझेके कर्ज़े चुकाये जावेंगे और साझीदारोंकी जुदागाना जायदाद पहिले उनके जुदागाना कर्ज़ोंके चुकानेमें लगाई जावेगी। जब कि साझीदारकी जुदागाना जायदादसे कुछ बचे तो वह साझेकी जायदादका हिस्सा समझी जावेगी और साझेकी जायदादमें साझीदारके जो जुदागाना हिस्से होंगे उसीके अनुसार वह उस साझीदारके हिस्सेमें समझी जावेगी।

(५) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब कर्ज़े जो सूचीमें दर्ज होंगे अपनी तादादके अनुसार तथा बिला कोई तरजीह दिये हुए रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे।

(६) ऊपर दिये हुए कर्ज़ोंकी अदायगीके बाद अगर कुछ बचे तो उससे सूचीमें चढ़े हुए कर्ज़ोंका सूद ६) रु० सैकड़ा सालानाके हिसाबसे दिवालिया करार देनेके वक्तसे चुकाया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादको बांटे जानेके नियम दिये हुए हैं तथा यह बतलाया गया है कि कौनसे कर्ज़े पहिले चुकाये जाना चाहिये तथा कौनसे कर्ज़े बादमें सबसे पहिले यह दिया गया है कि दो प्रकारके कर्ज़े सबसे पहिले चुकाये जाना चाहिये (१) एक तो वह कर्ज़े जो सम्राट या स्थानिक सरकार (Local Authority) को अदा किये जाने वाले हों तथा (२) दूसरे २०) रुपयेसे कम वह मजदूरी व तनख्वाहें जो दिवालियेके प्रत्येक नौकर या मुंशीको उस कामके एवज़में मिलना चाहिये जो उसने दिवालियेकी दरख्वास्त गुजरनेके चार माहके अन्दर किया हो।

उपदफा (२) यह दोनों प्रकारके कर्ज़े एकही हैसियतके समझे जाना चाहिये तथा पूरे पूरे चुकाये जाना चाहिये परन्तु यदि दिवालियेकी जायदाद इनको पूरा पूरा चुकानेके लिये पर्याप्त न होती हो तो हिस्सा रसदीके हिसाबसे वह कर्ज़े कम करके चुकाये जाना चाहिये। यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि रेहननामोंके कर्ज़ोंका बार रेहनकी हुई जायदाद पर सबसे

पहिले होता है अर्थात् सरकारी कर्जोंको उस पर तर्जीह (Perference) नहीं दी जासकती है देखो—29 All. 537; 28 Mad. 420 दूसरे कर्जोंके मुक़ाबिले सरकारी कर्ज़ सबसे पहिले चुकाये जाना चाहिये। स्थानिक सरकार (Local Authority) से अभिप्राय म्यूनिसिपल्टिी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदिसे है।

उपदफ़ा (३) दिवालियेकी जायदाद वसूल करने या उसके प्रबन्ध करनेके लिये जो खर्च आवश्यक होगा पहिले वह निकाला जाना चाहिये इसके पश्चात् उपदफा (१) में बतलाये हुए कर्जोंके चुकानेका प्रबन्ध नियम पूर्वक किया जाना चाहिये।

उपदफ़ा (४) जहां साझेका काम होवे वहां पहिले साझेकी जायदादसे साझेके कर्ज चुकाये जावेंगे और साझीदारोंकी जुदागाना जायदाद पहिले उनके जुदागाना कर्जोंको चुकाये जानेमें लगाई जावेगी। यदि साझीदारोंकी जुदागाना जायदाद उसके जुदागाना कर्जके चुकाये जानेके बाद बचे तो उसे साझेकी जायदादके तौर पर इस्तेमाल किया जासकेगा इसी प्रकार यदि साझेकी जायदाद साझेका कर्ज चुकाये जानेके बाद बचे तो वह हिस्सा रसदीके हिसाबसे साझेदारोंके जुदागाना कर्जोंका चुकानेमें इस्तेमालकी जासकती है।

उपदफ़ा (५) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब कर्जेतो कर्जोंकी सूचीमें दर्ज किये गये हों हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें किसी एकको दूसरेके मुक़ाबिले तर्जीह नहीं दी जावेगी।

उपदफ़ा (६) दिवालिया क़रार दिये जानेके बाद भी सूद दिलानेकी व्यवस्था इस उपदफाके अनुसार की गई है क्योंकि अमूमन सूद बाद दिवालिया क़रार दिये जानेके नहीं मिलता है परन्तु इस उपदफाके अनुसार दिवालिया क़रार दिये जानेके बादसे वसूली तकका सूद ६ रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे दिलाया जासकता है यदि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्ज पूर्ण रूपसे चुकाये जाचुके तथा उसके बाद कुछ रक़म फाजिल बच रहे देखो—A. I R. 1926 All 361 कलकत्ता हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया है कि यदि (अ) को (ब) का कोई कर्ज चुकाना हो परन्तु (अ) यह कर्ज (स) से वसूल कर सकता हो तो (अ) के दिवालिया क़रार दिये जाने पर (स) से (अ) का कर्ज वसूल किया जासकता है परन्तु इस वसूलीमें से (ब) अपना कर्ज चुका पानेका अधिकारी है अर्थात् इस वसूलीमें से पहिले (ब) का कर्ज चुकाया जावेगा देखो—A. I. R. 1929 Cal. 208.

दफ़ा ६२ डिवीडेण्ड, हिस्सा रसदीका लगाया जाना

(१) डिवीडेण्डका अन्दाजा लगाते समय रिसीवर नीचे दिये हुए मदोंके लिये बाक़ी रक़म हाथमें रख लेगा:—

(ए) उन कर्जोंके लिये जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जा सकते हैं और जिनको दिवालियाने अपने बयानमें दिखलाया है या जो और किसी तरहसे मालूम हुए हैं लेकिन जिनके कर्ज़ख्वाह इतनी दूर रहते हैं कि मामूली तौरकी इत्तिला पर उनको काफी समय अपने कर्जोंके साबित करनेका नहीं मिला है

(बी) जिन दावोंका मसला तब तक तय नहीं किया गया है लेकिन जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जा सकते हैं

(सी) जिन मामलोंके साबित होनेमें या दावोंमें झगड़ा हो, और

(डी) जायदादके इन्तज़ाम या दूसरे कामोंके लिये जिन खर्चोंकी ज़रूरत हो

(२) उपदफा (१) में दिये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रुपया जो हाथमें होगा डिवीडेण्डके तौर पर तक़सीम कर दिया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफामें हिस्सा रसदी (Dividend) बांटने समय जिन बातोंका ध्यान रखना तथा जिन रकमोंका रोकना आवश्यक है उनका उल्लेख दिया गया है अर्थात् दिवालियेकी जायदादसे वसूलकी हुई सब रकम एक साथ ही उन्हीं कर्जोंके चुकानेमें न लगा दी जाना चाहिये जो साबित किये जा चुके हैं किन्तु और कर्जोंका भी ध्यान रखना चाहिये।

हिस्सा रसदी (Dividend) बांटनेसे पहिले रिसीवरको चाहिये कि वह काफी रकम उन कामोंके लिये रोक लेवे जिनका उल्लेख उपदफा (१) के क्लाज़ (ए), (बी), (सी), व (डी) में किया गया है।

क्लाज़ (ए) में उन कर्जोंको बतलाया गया है जो साबित किये जा सकते हैं परन्तु जिनको साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका है ऐसे कर्जे वही हो सकेंगे जिन्हें दिवालियेने स्वयं तसलीम किया हो या जिनके बारेमें अदालतको किसी दूसरे जरियेसे इतमीनान होजावे तथा साथही साथ अदालतको यह भी मालूम होजावे कि उन कर्जोंको पानेके हक़दार इतना दूर रहते हैं कि मामूली तारकी इत्तला पर उनको अपने कर्जोंके साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका है।

क्लाज़ (बी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जा सकते हैं परन्तु उनकी तादाद उस वक्त तक निश्चित नहींकी जा सकी है।

क्लाज़ (सी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जिनके साबित होने या दावेमें झगड़ा होवे।

क्लाज (डी) में दिवालियेकी जायदादके इन्तजाम आदिके सम्बन्धमें जिन खर्चोंके होनेकी सम्भावना है उनका उल्लेख किया गया है अर्थात् क्लाज़ (ए), (बी) (सी) व (डी) में बतलाई हुई मदोंके लिये काफी रुपया रोक लेनेके बाद रिसीवरको चाहिये कि हिस्सा रसदी तकसीम करे।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि रिसीवर उपदफा (१) में बतलाये हुए कामोंहीके लिये रुपये रोक सकता है अन्यथा नहीं उसका कर्तव्य है कि वह बाकी सब रुपया कर्जख्वाहोंमें तकसीम कर देवे अर्थात् रिसीवर अपने पास कोई फाजिल रकम नहीं रोक सकता है।

दफा ६३ डिवीडेण्ड ज़ाहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्ज़ख्वाहने कर्ज़ साबित नहीं किया है उसके हक़

अगर किसी कर्ज़ख्वाहने किसी डिवीडेण्ड ज़ाहिर किये जानेसे पहिले अपना कर्ज़ साबित नहीं किया हो तो वह उस बकाया रुपयेसे जो रिसीवरके पास होगा उस डिवीडेण्ड को पानेका हक़दार होगा जो आयन्दा तक़सीम किये जानेको है लेकिन वह उस डिवीडेण्डमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा जो उसके कर्ज़ा साबित करनेसे पहिले तय किया जा चुका है।

व्याख्या—

इस दफामें उस कर्जख्वाहके लिये हिस्सा रसदी पानेकी व्यवस्था बतलाई गई है जिसका कर्ज देरमें साबित किया जावे। अर्थात् यदि उसका कर्ज साबित किये जानेसे पहिले हिस्सा रसदी उन कर्जख्वाहोंमें तकसीम किया जाचुका हो जिनका कर्जा पहिले साबित किया जाचुका है तो वह उस तकसीमशुदा रुपयेमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा और उसे उसमेंसे कोई

हिस्सा रसदी नहीं मिल सकेगी परन्तु उसका कर्ज़ा साबित होनेके बाद जो हिस्सा रसदी (Dividend) बांटा जावेगा उसमें उसे भी हिस्सा रसदी मिल सकेगा अर्थात् उसके कर्ज़ साबित होनेके बाद जो रकम रिसीवरके हाथमें बची होगी उसमें उसका भी हक़ होगा और वह केवल इसही कारणसे कि उसका कर्ज़ देरमें साबित हुआ है उस रकमसे अपना हक़ पानेसे वंचित नहीं रक्खा जावेगा।

दफा ६४ आखिरी डिवीडेण्ड

जब रिसीवर दिवालियेकी कुल जायदाद या जायदादका वह हिस्सा जो अदालतकी रायमें बिना फिजूलकी देर रिसीवरीमें किये हुए वसूल किया जा सकता है, वसूल करले, तो वह आखिरी डिवीडेण्ड घोषित कर देगा। लेकिन ऐसा करनेसे पहिले वह उन लोगोंको नोटिस दे देगा जिनके कर्ज़ोंका ज़िक्र हुआ है लेकिन जो साबित नहीं किये गये हैं कि अगर वह लोग नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर अपने कर्ज़ साबित नहीं करेंगे तो उनके हकोंका बिला लिहाज़ किये हुए आखिरी डिवीडेण्ड दे दिया जावेगा। नोटिसमें दी हुई मियादके समाप्त होने पर या उस मियादके समाप्त होने पर जो किसी कर्ज़ख्वाहने अपना कर्ज़ साबित करनेके लिये अदालत से ली हो दिवालियेकी जायदाद उन कर्ज़ख्वाहोंमें बांट दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें दर्ज है और किसी दूसरे आदमीके दावोंका ख्याल नहीं किया जावेगा।

व्याख्या—

आखिरी हिस्सा रसदी बाँटते समय जिन बातोंका ध्यान रहना चाहिये उनका उल्लेख इस दफ़ामें किया गया है। आखिरी हिस्सा रसदी (Final Dividend) उसी समय बांटा जावेगा जब कि दिवालियेकी कुल जायदाद वसूल की जाचुकी हो अथवा दिवालियेकी जायदादका उस कदर हिस्सा वसूल किया जाचुका हो जो अदालतकी रायमें बिला फिजूलकी देर किये हुए रिसीवर वसूल कर सकता है। परन्तु आखिरी हिस्सा रसदी तकसीम करनेसे पहिले रिसीवरका कर्तव्य है कि वह ऐसे कर्ज़ख्वाहोंको निर्धारित नियमोंके अनुसार सूचना देदेवे जिनके कर्ज़ोंका ज़िक्र तो दिवालियेकी दरख्वास्तमें हुआ हो परन्तु जिनका कर्ज़ साबित न किया गया हो। अर्थात् जिन कर्ज़ख्वाहोंका कर्ज़ साबित होकर दर्ज फेहरिस्त न हुआ हो उन कर्ज़ख्वाहोंको आखिरी हिस्सा रसदी बांटनेसे पहिले सूचना देदी जाना चाहिये। नोटिस इस बातका उनको दिया जावेगा कि वह नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर अपना कर्ज़ साबित करदें अन्यथा बिला उनके कर्ज़ोंका ख्याल किये हुए आखिरी हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

नोटिसमें दी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालियेकी जायदाद सूचीमें दर्ज शुदा कर्ज़ख्वाहोंके बीचमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांट दी जावेगी और उस वक्त दूसरे कर्ज़ख्वाहोंका कोई ध्यान नहीं रक्खा जावेगा। परन्तु यदि किसी कर्ज़ख्वाहने अपना कर्ज़ा साबित करनेके लिये अदालतसे कुछ मोहलत ली होवे तो उस मोहलतके समाप्त होनेके पश्चात् आखिरी हिस्सा रसदी बांटनेकी कार्रवाई अमलमें लाई जावेगी। इस दफाके अनुसार नोटिस उन्हीं कर्ज़ख्वाहोंको दिये जावेंगे जिनके कर्ज़ोंका ज़िक्र आचुका है परन्तु जिनके कर्ज़ साबित नहीं किये गये हैं। आप लोगोंको नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—10 I. C. 791. यदि किसी कर्ज़ख्वाहका कर्ज़ा सूचीमें दर्ज कर लिया गया है तो वह बिना सार्टीफिकेट वरासत हासिल किये हुए हिस्सा रसदी पानेका हकदार है देखो—49 Mad. 952.

इस दफाके अनुसार कर्ज़ख्वाहोंको आखिरी हिस्सा रसदी बँटने तक अपना कर्ज़ा साबित करने तथा उस समयके बाद बांटे जाने वाले रुपयेमें से हिस्सा रसदी प्राप्त करनेका हक़ दिया गया है। यदि वह इस दफाके अनुसार दिये हुए नोटिसकी

मियादके अन्दर भी अपना कर्जा साबित न करें तो फिर उनको और कोई सूचना नहीं दी जावेगी और उनके कर्जोंका बिला ख्याल किये हुए दिवालियेकी बची हुई जायदाद आखिरी तौर पर उन्हीं कर्ज़ख्वाहोंमें बांट दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें दर्ज है। डिवीडेण्ड (Dividend) शब्दसे अभिप्राय हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांटे जानेका है। आफिशल रिसीवरका कर्तव्य है कि वह नोटिस केवल उन्हीं कर्ज़ख्वाहोंको नहीं देवे जिन्होंने अपना कर्ज ज़ाहिर किया है किन्तु उन कर्ज़ख्वाहोंको भी देवे जिनका कर्ज उसको दिवालिया या किसी कर्ज़ख्वाह द्वारा बतलाया गया है अर्थात् नोटिस केवल उन्हीं लोगोंको नहीं होना चाहिये जिनका जिक्र दफा ६२ (१) के (बी) व (सी) क्लाजमें है किन्तु उन लोगोंको भी होना चाहिये जो क्लाज (ए) में भी है। देखो—A I R 1928 Sindh 105=107 I C 439

दफा ६५ डिवीडेण्डके लिये कोई दावा नहीं हो सकेगा

रिसीवरके खिलाफ डिवीडेण्डके लिये कोई मुकद्दमा नहीं दायर किया जावेगा, लेकिन अगर रिसीवर किसी डिवीडेण्डके देनेसे इन्कार करे तो सूचीमें दर्ज नाम वाले कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर अदालतको अधिकार है कि वह, रिसीवरको डिवीडेण्ड अदा करनेका हुक्म देवे और यह भी हुक्म देवे कि वह अपने पाससे खर्च व सूद उस मुद्दतका अदा करे जिस मुद्दत तक उसने रुपया रोक रक्खा हो।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि रिसीवर किसीका डिवीडेण्ड (Dividend) न देवे और उसका नाम कर्ज़ख्वाहोंकी सूचीमें दर्ज हो तो ऐसा व्यक्ति अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है और अदालतको उस वक्त अख्तियार है कि वह रिसीवरको उस कर्ज़ख्वाहका हिस्सा रसदी अदा करनेका हुक्म देवे तथा रिसीवरसे रोकी हुई रकमका सूद व दरख्वास्तका खर्च भी उस कर्ज़ख्वाहको दिलावे इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि डिवीडेण्डके लिये रिसीवरके विरुद्ध कोई मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता है इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार दरख्वास्त केवल वही कर्ज़ख्वाह दे सकते हैं जिनका नाम कर्ज़ख्वाहोंकी सूचीमें दर्ज हो गया हो कोई दूसरा व्यक्ति इस दफाके अनुसार दरख्वास्त नहीं दे सकता है।

दफा ६६ दिवालिये द्वारा इन्तज़ाम व उसका भत्ता

(१) अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेहीको उसकी कुल या जुज़ जायदादका इन्तज़ाम सुपुर्द करदे या अगर कोई रोज़गार हो तो उसके चलानेका भार कर्ज़ख्वाहानके फायदेके लिये उसे सुपुर्द करदे या और किसी तौरसे जायदादके इन्तज़ाममें मदद करनेका भार जिस किस्मसे या जिन शर्तोंके साथ चाहे उसे देदेवे।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह समय समय पर दिवालियेकी जायदादसे उस क़दर भत्ता दिवालिये या उसके खानदानकी परवरिशके लिये नियत करदे जितना मुनासिब मालूम हो या दिवालियेके कामके एवज़में अगर वह अपनी जायदादके इन्तज़ाममें काम कर रहा हो कुछ भत्ता नियत कर देवे; लेकिन इस प्रकारका भत्ता किसी समय भी घटाया बढ़ाया या बन्द किया जा सकता है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार स्वयं दिवालिये ही को उसकी जायदादके प्रबन्धका भार दिया जा सकता है चाहे वह उसकी सब

जायदादके लिये होवे अथवा वह उसकी जायदादके किसी खास हिस्सेके लिये होवे इसी प्रकार यदि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले दिवालिया किसी रोजगारको करता रहा हो तो उस रोजगारको चालू रखनेका कार्य भी उसी दिवालियेकी सुपुर्दगीमें दिया जा सकता है परन्तु इस प्रकार दिवालियेको जो काम सुपुर्द किया जावेगा वह अपने लाभके लिये नहीं करेगा किन्तु अपने कर्जदारोंके लाभार्थ करेगा अदालत दिवालियेसे जायदाद आदिके इन्तज़ाममें मदद भी ले सकती है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालत जिस प्रकार तथा जिन शर्तोंके साथ दिवालियेसे काम लिया चाहेगी ले सकती है अर्थात् दिवालिया मन माने ढगसे उस कामको नहीं कर सकता है जैसा कि वह दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले करता रहा हो।

दिवालिया इस प्रकार सुपुर्द किया हुआ जो काम करेगा उसकी आमदनी कर्जख्वाहानके लाभार्थ समझी जावेगी और उस पर रिसीवरका अधिकार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार उसका अधिकार दिवालियेकी और सब जायदाद पर है उपदफा (२) में बतलाया गया है कि यदि दिवालियेने उसकी जायदाद वसूल करनेके सम्बन्धमें काम किया जावे तो उस कामके एवजमें उसे कुछ भत्ता दिया जा सकता है परन्तु इस भत्तेको घटाना बढ़ाना या बन्द करना अदालतके अधिकारमें है और अदालत समय समय पर ऐसे भत्तेकी योजना कर सकती है।

उपदफा (२) में यह भी बतलाया गया है कि अदालत दिवालियेकी जायदादसे दिवालिया तथा उसके परिवारके पोषणके लिये समय समय पर कुछ भत्ता दे सकती है परन्तु यह भत्ता भी ऊपर बतलाये हुये भत्तेके समान हर समय घटाया बढ़ाया व बन्द किया जासकता है इस दफामें बतलाये हुए भत्ते (Allowance) को देनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है।

यदि दिवालियेको तनख्वाह मिलती होवे तो उसे कोई खास भत्ता देनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी तनख्वाह में से कायदेके मुताबिक आधा पानेका हकदार है देखो—21 I C. 950, 38 I. C. 410, 40 All. 211. परन्तु इलाहाबाद हाईकोर्टने इसके विरुद्ध 45 All 364 में यह तय कर दिया है कि अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेको उस दूसरे आधेमेंसे भी उसके तथा उसके परिवारकी परवरिशके लिये कुछ भाग भत्तेके रूपमें दिलवा देवे अर्थात् आधी तनख्वाहके अतिरिक्त बकाया आधी तनख्वाहमेंसे भी उसे भत्ता दिलवाया जा सकता है अदालतको यह भी अधिकार है कि जब चाहे इस भत्तेको घटा बढ़ा भी देवे तथा जब चाहे उसे बन्द कर देवे।

दफा ६७ बचे हुए पर दिवालियेके अधिकार

जब कि सब कर्जख्वाहोंके कर्ज़ पूर्ण रूपसे मय सूदके जैसा कि इस एक्टमें दिया हुआ है अदा हो जावें और उसके अनुसार की हुई कार्यवाइयोंके खर्च भी चुक जावें तो जो कुछ इस अदायगीके बाद बचेगा वह दिवालियेको मिलेगा।

व्याख्या—

यदि दिवालियेके सब कर्जख्वाहोंका कर्ज़ा उसकी जायदादसे अदा कर दिया जावे तथा उनका सूद भी जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है चुका दिया जावे और वह खर्च भी जो दिवालियेकी कार्यवाईके सिलसिलेमें किया गया है निकाल लिया जावे तो उसके बाद जो रुपया या जायदाद बचेगी उसे दिवालिया पावेगा दिवालिया बचे हुये रुपयेके पानेका अधिकारी है परन्तु वह रुपया उसी समय मिल सकेगा जब कि ऊपर बतलाई हुई तीनों शर्तें पूरी हो गई हों अर्थात्

(१) कर्जख्वाहोंका पूरा रुपया चुक जावे

(२) इस एक्टके अनुसार बतलाया सूद अदा कर दिया जावे, और

(३) दिवालियेके सिलसिलेमें की हुई कार्रवाइयोंका खर्च अदा कर दिया जावे

इस एक्टकी दफा ४८ में सूद दिलाये जानेका उल्लेख है तथा दफा ६१ में भी बाद अदायगी सब कर्जा जानेके देनदारियां करार दिये जानेके बादका सूद दिलाए जानेका उल्लेख है इस प्रकार सब कर्जख्वाहोंका कर्ज पूर्णरूपसे मय सूदके जिसका जिक्र दफा ४८ व ६१ में है चुकाये जानेके बाद जो रुपया बचेगा वही बचा हुआ रुपया समझा जावेगा परन्तु इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें जो खर्च होंगे उन सबकी अदायगी भी दिवालियेकी जायदाद ही से की जावेगी और इसी कारण उन खर्चोंको भी अदा कर देनेके बाद जो रुपया रिसीवरके हाथमें रह जावेगा वही दिवालियेको मिल सकेगा अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि दिवालिया ही अकेला उस बचे हुए रुपयेके पानेका अधिकारी है वह रुपया किसी गैर शख्सको नहीं दिया जा सकता है। इतना अवश्य होगा कि दिवालियके न रहने पर उसके उत्तराधिकारी उस बचे हुए धनको पानेके अधिकारी होंगे।

दफा ६७ (ए) जांचकी कमेटी

(१)* अदालतको अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो उन कर्जख्वाहोंको जिन्होंने अपने कर्जोंको साबित कर दिया है एक जांच करने वाली कमेटी बनानेका अधिकार देवे जिससे कि वह कमेटी रिसीवर द्वारा दिवालियेकी जायदादके प्रबन्धका निरीक्षण कर सके।

(२) जांच करने वाली कमेटीके सदस्य वही कर्जख्वाहान हो सकेंगे, जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया है या जो ऐसे कर्जख्वाहानके मुख्तार आम होंगे।

(३) जांच करने वाली कमेटीको रिसीवर द्वारा की हुई कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित कर दिये जावें।

व्याख्या—

यह दफा प्रान्तिक कानून दिवालिया संशोधन एक्ट ३९, सन् १९२६ के अनुसार बढ़ाई गई है इस एक्टके लिये १ सितम्बर सन् १९२६ ई० को गवर्नरजनरल हिन्द महोदयने अपनी स्वीकृति प्रदानकी थी। यह दफा इस कारण बनाई गई है कि जिसमें रिसीवरके प्रबन्धका भली भांति निरीक्षण किया जा सके। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदालत जांच कमेटी नियुक्त करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् जांच कमेटीकी नियुक्तिके लिये आज्ञा अदालत उसी समय देगी जब कि उसे ऐसी कमेटीके नियुक्त करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो। ऐसी कमेटीके बनाये जानेकी आज्ञा होने पर वह कर्जख्वाहान इस कमेटीको बनायेंगे जिनके कर्ज साबित किये जा चुके हैं अर्थात् दिवालियेके हर एक कर्जख्वाहको ऐसी कमेटी बनानेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न किसी गैर शख्स ही को ऐसी कमेटी बनानेका कोई अधिकार है।

यह कमेटी रिसीवरके प्रबन्धका निरीक्षण करनेके लिये बनाई जावेगी जिसमें कि दिवालियेकी जायदादका ठीक ठीक प्रबन्ध किया जासके तथा उससे जितना अधिक रुपया वसूल किया जासके वसूल किया जावे और वह किसी प्रकार बर्बाद न हो सके।

उपदफा (२) में यह बात भी साफ करदी गई है कि जांच कमेटीके मेम्बर भी वही कर्जख्वाह होंगे जिनका कर्जा साबित होचुका है या उनके मुख्तारआम होंगे अर्थात् कमेटीके मेम्बर इनके अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकेगा। अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस उपदफाके नियमकी पाबन्दी अवश्यकी जाना चाहिये।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि जाच कमेटीको रिसीवरकी कार्रवाई पर वही अधिकार होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों।

रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

दफा ६८ रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

अगर रिसीवरके किसी काम या फैसलेसे दिवालिया या कोई कर्जख्वाह या अन्य कोई व्यक्ति असंतुष्ट होवे तो वह अदालतमें उसके विरुद्ध दरख्वास्त दे सकता है और उस पर अदालतको अधिकार है कि वह रिसीवरके उस काम या फैसलेको बहाल रखे या पलट दे या संशोधित कर दे और जैसा हुक्म मुनासिब समझे दे देवे।

लेकिन इस दफाके अनुसार इस प्रकारकी कोई शिकायत किये जाने वाले काम या फैसलेसे २१ दिनके बाद न सुनी जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाका प्रयोग उन्हीं मामलोंके सम्बन्धमें किया जासकेगा जो रिसीवरने दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें दिवालिये की कार्रवाईके सिलसिलेमें किया हो देखो—39. All. 204, A. I. R. 1925 Bom. 233.

इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील करनेका अधिकार रिसीवरके किसी खास काम या हुक्मके लिये ही नहीं है किन्तु रिसीवरके किसी भी काम या हुक्मकी अपील इस दफाके अनुसार अदालतमें की जासकती है। इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे रिसीवरके किसी काम या हुक्मसे हानि पहुचती हो अर्थात् दिवालिया स्वयं इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, दिवालियेका कोई भी कर्जख्वाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है इसी प्रकार कोई गैर शख्स भी जिसे रिसीवरके कामसे या हुक्मसे हानि पहुचती हो इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है। ऐसी अपीलके होने पर अदालतको अधिकार है कि वह रिसीवरके उस काम या हुक्मको जिसके विरुद्ध अपीलकी गई हो जैसेका तैसा बहाल रखखे या उसको पलटदे या उसमें कोई संशोधन कर देवे। और साथही साथ जैसी आज्ञा उचित समझे उसके लिये देदेवे।

अँग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह भली भांति प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार अपीलकी जाने पर किसी खास हुक्मके देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है। अदालत शिकायत किये हुए काम या हुक्म पर विचार करनेके पश्चात् तथा उसकी जाँच करनेके बाद समयोचित जो आज्ञा देना मुनासिब समझे दे सकती है अर्थात् रिसीवरके काम या हुक्मको जैसेका तैसा बना रहने दे या उसे पलट दे या उसे संशोधित करदेवे। साथही साथ यदि वह कोई दूसरा हुक्म दिया चाहे तो दे सकती है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार अपील २१ दिनके अन्दरही की जाना चाहिये अर्थात् जिस काम या हुक्मके विरुद्ध शिकायत होवे तो उसके होनेके बाद २१ दिनही के अन्दर उसकी अपील अदालतमें कर देवे अन्यथा शिकायत करने वालेको इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार जाता रहेगा। यदि रिसीवरका कोई काम बेईमानीका होवे और उससे कर्जख्वाहोंके हितोंको आघात पहुचाता हो तो अदालत रिसीवरके ऐसे हुक्मको रद्द कर सकती है देखो—73 I.C 374

यदि किसी व्यक्तिने दिवालियेकी किसी जायदादको रिसीवरसे खरीदा हो तो वह इस दफाके अनुसार अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है कि उसकी बोली मञ्जूरकी जाने तथा दूसरे खरीदारकी बोली रद्द करार देकर मञ्जूर न की जावे। अदालतको ऐसी

दरख्वास्त इस दफाके अनुसार सुननेका अधिकार है। इस लिये कोई बाक़ायदा मुक़द्दमा चलानेकी आवश्यकता नहीं है देखो— 66 I. C. 524.

यह दफा उन्हीं रिसीवरोंके कामों या हुक्मोंमें लागू होगी जो इस एक्टके अनुसार नियुक्त किये गये हों और यदि कोई रिसीवर बाक़ायदा नियुक्त न किया गया हो तो उसके कामोंके सम्बन्धमें यह दफा लागू नहीं समझना चाहिये देखो—A. I. R 1924 Mad. 461.

यदि इस दफाके अनुसार अदालत कोई हुक्म देवे तो उस हुक्मको अन्तिम हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसकी अपीलकी जासकती है देखो—40 Mad 752.

चूंकि इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है इसलिये यदि कोई व्यक्ति नियत किये हुये समयके अन्दर इस दफाके अनुसार दिये हुए काम या हुक्मकी अपील अदालतमें न करे तो वह उसके पश्चात् भी रिसीवरके विरुद्ध मामूली दीवानीका मुक़द्दमा दायर कर सकता है यदि उसे उस हुक्म या कामसे हानि पहुँचती हो अँग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रगट है कि यदि हानि उठाने वाला व्यक्ति चाहे तो इस दफासे लाभ उठा सकता है देखो—A. I. R 1924 All. 40=16 All. 16. जब कि दिवालियेकी कार्रवाई समाप्त हो चुकीहो तो हाईकोर्टको कोई अधिकार नहीं है कि वह आफ़िशल रिसीवरके व्यवहारकी जाच करे क्योंकि दौरान कार्रवाईमें उसे अधिकार है कि किसी ख़ास काममें वह जज दिवालियेको सलाह आदि देदेवे देखो—A. I. R 1927 All. 265.

यदि रिसीवर किसी कर्ज़ख्वाहके कहने पर कोई काम न करे या उसके करनेसे इन्कार कर देवे तो केवल इतनीही बातसे दिवालियेका काम इस दफाके अनुसार नहीं माना जावेगा। देखो—47 Mad. 673.

यदि रिसीवर दफा ५३ या ५४ के अनुसार कार्रवाई करनेसे इन्कार कर देवे तो कर्ज़ख्वाहको इस दफाके अनुसार अपील करनेकी आवश्यकता नहीं है किंतु वह स्वय भी उन दफाओंके अनुसार अदालतसे कार्रवाई करा सकता है। देखो— दफा ५४ (ए) इस दफाके अनुसार कार्रवाईकी जानेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई न कोई दरख्वास्त अवश्यही जावे यदि अदालत चाहे तो स्वय भी रिसीवरके किसी काम या हुक्मको पकड़ सकती है या संशोधित कर सकती है और ऐसा करनेमें इस दफासे कोई रुकावट नहीं पड़ेगी देखो—1 Lah. 307=58 I. C. 6.

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई भी व्यक्ति जिसे रिसीवरके काम या हुक्मसे हानि पहुँचती हो इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील कर सकता है। हानि पहुँचनेसे अभिप्राय यह है कि उसे क़ानूनी हानि पहुँचती हो यह नहीं कि उस हुक्मके हो जानेकी वजहसे उसके आयन्दाके किसी लाभमें रुकावट पड़ेगी। यदि रिसीवरके किसी कामके कारण कोई व्यक्ति उलझनमें पड़ गया हो तो उसे इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार है, देखो—51 I. C. 113. इस कारण यदि कोई उलझन न पड़ती हो या कोई क़ानूनी हानि न होती हो तो दफा ६८ लागू न होगी।

एक मुर्तहिनने अपनी डिक्रीमें रेहनकी हुई जायदादको नीलाममें ख़रीद किया और इसके पश्चात् कर्ज़दार मदयून दिवालिया क़रार देदिया गया तथा उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। रिसीवरने उस मुर्तहिन द्वारा ख़रीदी हुई जायदादको बेचना चाहा तो यह तय हुआ है कि मुर्तहिनको रिसीवरके इस कामसे कोई क़ानूनी हानि पहुँचती है क्योंकि यह जायदाद दिवालियेकी नहीं है और यदि रिसीवर ऐसी जायदादको बेच भी देवे तो इसमें मुर्तहिन ख़रीदारके हक़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा अर्थात् इस प्रकार जायदादका बेचा जाना एक फ़िज़ूलसा काम होगा देखो—20 I. C 683 यदि रिसीवर किसी कर्ज़ख्वाहके कर्ज़ेको मंज़ूर न करे तो ऐसे कामसे उस कर्ज़ख्वाहकी हानि समझना चाहिये और वह कर्ज़ख्वाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, देखो—78 I. C. 857. यदि आफ़िशल रिसीवर यह तय करे कि दिवालियेको कोई

कर्ज अदा करता है तो ऐसे हुक्मसे दिवालियेको हानि पहुँचती है और इसकी अपील इस दफ़ाके अनुमार की जासकती है, देखो—62 I. C. 441.

यदि रिसीवर किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादको दिवालियेकी जायदाद समझ कर ले लेवे तो वह व्यक्ति जिसकी जायदाद ली गई है इस दफ़ाके अनुसार अपील कर सकता है देखो—36 All 8, 35 All 410, 47 I. C. 62 (Cal)

परन्तु यदि रिसीवर किसी दूसरेकी जायदादको दिवालियेकी जायदाद क़रार देकर बेंच देवे तो दिवालियाको इस दफ़ाके अनुसार अपील करनेका अधिकार नहीं है क्योंकि उसको इस कामसे कोई हानि नहीं पहुँचती है, देखो—41 All. 243, 49 Mad 461.

मद्रास हाईकोर्टने एक मामलेमें यह भी तय किया है कि यदि मिताक्षरा परिवारके पिताने कोई जायदाद बेंचदी होवे और अदालत उस बयनामाको मंसूख कर देवे तो उसके लड़कोंको यह अधिकार नहीं होगा कि वह रिसीवर द्वारा उस जायदादके सम्बन्धमें की जाने वाली किसी कार्रवाईमें रुकावट डाल सकें, देखो—A. I. R. 1927 Mad. 232.

यदि रिसीवर किसी ग़ैर शख़्सकी जायदाद पर ग़लतीसे कब्ज़ा कर लेवे तो उस ग़ैर शख़्सके लिये दो मार्ग खुले हुए हैं, वह इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है और अगर वह चाहे तो अदालत दिवालियामें कोई कार्रवाई न करे किन्तु वह मामूली दीवानी अदालतमें अपनी जायदादकी वापिसीके लिये दावा उस प्रकार का देवे जैसे कि अनधिकार कब्ज़ा करने वालेके विरुद्ध दावा किया जाता है, देखो—39 All. 626, 40 I C 122; 41 All. 378, A. I. R. 1924 Oudh 294

इस दफ़ाके अनुसार अपील उसी अदालतमें की जाना चाहिये जिस अदालतने रिसीवरको नियुक्त किया हो यदि रिसीवरने किसी जायदादको दिवालियेकी जायदाद क़रार देकर उसके नीलामकी घोषणाकी हो और कोई दूसरा व्यक्ति जिसने दिवालिया क़रार दिये जानेसे पहिले उस जायदादको दिवालियेसे ख़रीदा हो, इस दफ़ाके अनुसार दरख़्वास्त देवे परन्तु उसकी दरख़्वास्त २१ दिनके बाद होनेके कारण ख़ारिज कर दी जावे तो इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उस व्यक्तिने इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करली है किन्तु वह व्यक्ति अदालत दीवानीमें रिसीवरके विरुद्ध दावा दायर कर सकता है, देखो—44 All. 620. परन्तु 47 Bom 548. में यह तय किया गया है कि यदि रिसीवर दिवालियेके कर्ज़दारोंके विरुद्ध कोई हुक्म दे देवे तो वह लोग इसी दफ़ाके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं तो उनको दूसरा मुक़द्दमा चलानेका अधिकार नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करेगा तो उसे मुक़द्दमा दायर करनेका हक़ नहीं रहेगा और यदि वह मुक़द्दमा दायर करेगा तो उसे इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाईकी आवश्यकता नहीं है अर्थात् दो में से एकही प्रकारकी कार्रवाई की जासकती है, देखो—41 All. 378.

यदि अदालत इस दफ़ाके अनुसार किसी प्रश्नको तय कर देवे तो दुबारा उस प्रश्नको तय करनेके लिये कोई दूसरा मुक़द्दमा नहीं चलाया जावेगा क्योंकि वह अदालतका फ़ैसला आख़िरी फ़ैसला समझना चाहिये और उसे जम्र तजवीज़ द्वारा (Resjudicata) समझना चाहिये, देखो—39 All 626, A. I. R. 1923 All 293. परन्तु इस प्रश्नके लिये सब हाईकोर्ट एक दूसरेसे सहमत नहीं हैं लाहौर हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि अदालत दिवालिया किसी ऐसी जायदादके सम्बन्धमें किये हुए एतराज़को नामञ्ज़ूर कर देवे जो दिवालियेकी जायदाद क़रार देकर कुर्क व नीलामकी गई हो तो हानि वाले फ़रीक़को अधिकार है कि वह अपने हक़को तय करनेके लिये बाक़ायदा नालिश दायर कर सकता है, देखो—A. I. R. 1923 Lah. 224.

इस बातके लिये कोई मतभेद नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे रिसीवरके काम या हुक्मसे हानि पहुँची होवे इस दफ़ाके अनुसार अदालत दिवालियासे अपनी शिकायत दूर करनेको न कहे तो उसे मामूली दीवानीका दावा दायर करके अपनी

शिकायत दूर करनेका अधिकार है, देखो—46 All. 16 यदि दिवालिया किसी जायदादके बेंचे जानेमें एतराज करे और रिसीवर उस एतराजका बिना कुछ ख्याल किये उस जायदादको बेंच देवे और इसके पश्चात् रिसीवरके इस कामके विरुद्ध अदालतमें कोई एतराज न किया जावे तो दिवालिया दुबारा उसी बिना पर इस बयनामें के विरुद्ध यह नहीं कह सकता है कि यह बयनामा गलत किया गया था, देखो—A I R. 1924 Mad. 147.

इस दफाके अनुसार तहक़ीकात करते समय यह आवश्यक नहीं है कि अदालत दुबारा शहादत लेवे किन्तु वह रिसीवर द्वारा ली हुई शहादत ही पर विचार कर सकती है और न रिसीवरको उस दरख्वास्तके लिये फरीक़ मुक़दमा ही बनाना जरूरी है, देखो—A. I R 1924 Mad. 830.

परन्तु जहां तक होसके अदालतको रिसीवर द्वारा की हुई कार्रवाई पर विश्वास न करना चाहिये किन्तु उसे स्वयं दोनों फरीक़ोंकी बात सुनना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार तहक़ीकात भी करना चाहिये जिसमें कि ठीक इन्साफ किया जासके देखो—39 All. 626. यदि कोई बाक़ायदा मुक़दमा इस बातके लिये चलाया जावे कि जो जायदाद रिसीवरने बेंची है उसमें दिवालियेका कोई हक़ नहीं था तो रिसीवर उस मुक़दमेंके लिये एक जरूरी फरीक़ है और अदालत दिवालियाकी आज्ञा लिये बिना वह फरीक़ मुक़दमा बनाया जासकता है, देखो—46 All. 16.

इस दफाके अनुसार दरख्वास्त देनेके लिये २१ दिनकी मियाद नियत की गई है डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात् अदालत दिवालियाको २१ दिनसे पहिले रिसीवरकी रिपोर्ट मञ्जूर करनेका अधिकार नहीं है परन्तु फरीक़ैनकी रजामन्दी पर इससे पहिले भी रिपोर्ट मञ्जूर की जासकती है २१ दिनके अन्दर यदि किसी कर्ज़ख्वाह आदि को कोई एतराज करना हो तो वह एतराज कर सकता है जिसमें वह रिपोर्ट बदली जासके या उसमें संशोधन किया जासके, देखो—A I R. 1926 Cal. 826.

अदालत दिवालियाको कोई अधिकार नहीं है कि वह रिसीवर द्वारा किये हुए बयनामेको मन्सूख कर देवे जबतक कि धोखादेही साजिश, खास बेपरवाही, बेंचनेमें गड़बड़ी या बेउनमानी न साबित होजावे जिसकी वजहसे जायदादको नुकसान पहुँचता हो या जब कि रिसीवरने अपने अधिकारोंसे बाहर उस सौदेको न किया हो, देखो—A. I. R 1928 Rang 60; 107 I. C. 172.

चौथा प्रकरण

दण्ड (सज़ा)

दफ़ा ६९ दिवालियेके जुर्म

अगर कोई कर्ज़दार दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मके होनेसे पहिले या उसके बाद—

(ए) दफ़ा २२ के अनुसार बताये हुए अपने कर्तव्योंको जानते हुए नहीं करता है या अपनी जायदादके किसी हिस्सेका क़ब्ज़ा जो उसके कर्ज़ख्वाहोंमें इस एक्टके अनुसार बटना चाहिये और जो उसके क़ब्ज़े या निगरानीमें है अदालतको या अदालत द्वारा क़ब्ज़ा लेनेके लिये नियुक्त किये हुए किसी दूसरे व्यक्तिको नहीं देता है; या

(बी) धोखा देहीसे अपने कामकी हालत छिपानेकी इच्छासे या इस एक्टके अनुसार काम न होने देनेकी इच्छासे:—

(i) किसी दस्तावेज़को जिसका इस एक्टके अनुसार होने वाली तहक़ीक़ातसे सम्बन्ध हो बरबाद कर दिया हो या जान बूझ कर रोक दिया हो या जानते हुए पेश न होने दिया हो, या

(ii) झूठी किताबें रक्खी हों या रखवाई हों, या

(iii) किसी दस्तावेज़में जिसका सम्बन्ध इस एक्टके अनुसार होने वाली तहक़ीक़ातसे है ग़लत इन्दराज कर लिये हों या किसी इन्दराजको न किया हो या जान बूझ कर इन्दराजको बदल दिया हो या ग़लत कर दिया हो, या

(सी) धोखादेहीसे अपने कर्ज़ख्वाहोंमें तक़सीम किये जाने वाले रुपयेको कम करनेकी ग़रज़से या अपने किसी कर्ज़ख्वाहको बेजा फ़ायदा पहुँचानेकी ग़रज़से:—

(i) उस कर्ज़ख्वाहके कर्ज़ेको चुका दिया हो या उससे लेने वाले कर्ज़ेको छिपाया हो, या

(ii) अपनी किसी क़िस्मकी जायदादको अलहदा कर दिया हो, या उस पर बार कर लिया हो या उसको रेहन कर दिया हो, या छिपा लिया हो,

तो जुर्म साबित होने पर उसको एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी।

व्याख्या—

रिपीलिंग एक्ट नं० १२ सन १९२७ ई० [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] के अनुसार अंग्रेजी टेक्स्टमें इस दफ़ाके आख़ीरमें "By the Court" यह शब्द हटा दिये गये हैं अर्थात् पहिले यह था कि जुर्म साबित होने पर (अदालत द्वारा) उसको एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी अब "अदालत द्वारा" यह शब्द नहीं रखे गये हैं।

इस दफामें दिवालिये द्वारा किये जाने वाले अपराधों तथा उनके होने पर जो दण्ड दिया जानेको है उसका वर्णन है। इस दफामें उन सब कार्योंका उल्लेख है जो इस एक्टके अनुसार दण्डनीय अपराध समझे जाना चाहिये।

इसमें दिये हुए अपराध एक प्रकारसे कायदेके अनुसार कार्य न करनेके अपराध हैं यह उन अपराधोंकी भांति नहीं हैं जैसे कि फौजदारीके जुर्म होते हैं देखो—39 All. 171; 54 I. C 740. इस दफामें बतलाये हुए अपराध चाहे दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किये गये हों चाहे वह दिवालिया करार दिये जानेके बाद किये जावे दोनों दशाओंमें वह दण्डनीय होंगे। यह बात भली भांति प्रकट नहीं है कि 'पहिले' से अभिप्राय कितने समय पहिलेसे है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेसे चाहे जितना पहिले इस दफामें बतलाया हुआ अपराध किया गया हो वह दण्डनीय अपराध ही समझा जावेगा परन्तु जिन अपराधोंका उल्लेख है उनसे यह प्रकट होता है कि अधिकतर दिवालियेके मामलोंकी तहकीकातके सम्बन्धमें जो मसले पेश आवेंगे वही दण्डनीय समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1927 All 352.

अदालतसे इस दफाके अनुसार कार्रवाई किसी समय भी कराई जासकती है और उस वक्त अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि आया दिवालियेने दरअसल अपराध किया है या नहीं यह आवश्यकता नहीं है कि जब दिवालिया बहाल होनेकी (Discharge) दरख्वास्त देवे तभी उसके अपराधोंका फैसला किया जाना चाहिये, देखो—49 I. C 55

क्लाज (ए) इस क्लाजमें दो प्रकारके कामोंका उल्लेख है एक तो यह कि दिवालिया जानबूझ कर दफा २२ में बतलाये हुए कर्तव्योंका पालन न करे व दूसरे यह कि वह जानबूझ कर जायदादका कब्जा अदालत या रिसीवरको न देवे। जिन कामोंका उल्लेख इस क्लाजमें है वह उसी समय अपराध समझे जासकेंगे जब कि दिवालियेने जानबूझ कर उस कामको किया हो।

जिस जायदादके कब्जा देनेका प्रश्न इस क्लाजमें किया गया है वह ऐसी जायदाद होना चाहिये जो कर्जख्वाहानमें बांटी जासकती हो तथा वह जायदाद उस समय दिवालियेके कब्जे या अधिकारमें होवे दफा २८ में उन जायदादोंका जिक्र है जो कर्जख्वाहानमें बांटी जासकती हैं। जो रुपया रेलवे फण्डमें जमा हो वह इस प्रकार बांटा जासकता है इस लिये ऐसे रुपयेके सम्बन्धमें यह क्लाज लागू नहीं समझना चाहिये, देखो—44 Bom. 673. इसी प्रकारकी बात ट्रस्टकी जायदाद, पोलिटिकल पेंशन तथा काश्तकारोंकी जमीन आदिके लिये समझना चाहिये।

क्लाज़ (बी) इस क्लाजमें जिन कार्योंका उल्लेख है वह उसी समय अपराध समझे जावेंगे जब कि दिवालियेने उनको अपने असली हालातको छिपानेकी मन्शासे किया हो या इस एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाईको रोकनेकी मन्शासे किया हो और वह काम धोखादेहीकी नीयतसे किये गये हों। इस क्लाजके अनुसार यदि कोई ऐसी दस्तावेज बरबाद करदी जावे या पेश न होने दी जावे जिसका सम्बन्ध दिवालियेके मामलेसे है तो यह अपराध समझा जावेगा। दस्तावेजका बर्बाद किया जाना उसी समय माना जासकता है जब कि उसका होना साबित कर दिया जावे इसी प्रकार किसी दस्तावेजके पेश होनेका प्रश्न भी उसी समय उपस्थित हो सकेगा जब कि यह साबित हो जावेकि कोई उस प्रकारकी दस्तावेज मौजूद है। इस क्लाजके दूसरे भागमें यह बतलाया गया है कि यदि झूठी किताबें रक्खी या रखवाई जावें तो वह भी अपराध है। तीसरे खण्डमें गलत इन्द्राजका करना तथा किसी इन्द्राजको गड़बड़ कर देना भी जुर्म बतलाया गया है परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है यह सब बातें उसी समय जुर्म समझी जावेंगी जब कि धोखादेहीकी मन्शासे दिवालियेने अपने मामलेको छिपाने अथवा इस एक्टके अनुसार कार्रवाईको बेकार करनेकी मन्शासे किया हो।

क्लाज़ (सी) इस क्लाज़में बतलाये हुए कार्य उसी समय अपराध समझे जावेंगे जब कि दिवालियेने धोखादेहीकी मन्शासे कर्ज़ख्वाहोंमें बांटी जाने वाली रक़मको कम करनेकी मन्शासे किया हो। अथवा इस मन्शासे किया हो कि जिसमें उसके किसी खास कर्ज़ख्वाहको बेजा लाभ पहुँच जावे। इस क्लाज़के पहिले भागमें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया अपने लेने या देने वाले कर्ज़को छिपावे या उसे चुका देवे तथा दूसरे भागमें यह बतलाया गया है कि अगर वह अपनी जायदादको छिपावे या उसे हटादे या उसे रेहन करदे अथवा उस पर कोई भार हो जाने दे तो दोनों दशाओंमें ऊपर बतलाई हुई शर्तके पूरा होने पर इस प्रकारके काम दण्डनीय अपराध समझे जावेंगे। यदि कोई व्यक्ति दिवालियेकी दशा होने पर अपनी दूकानसे माल इस मन्शासे हटावे कि जिसमें उसके कर्ज़ख्वाहान उस मालको न पासकें तो ऐसे कामको अपराध समझना चाहिये, देखो—A. I R. 1927 All. 352. यदि इस दफामें बतलाया हुआ कोई अपराध साबित होवे तो अपराधीको १ वर्षसे कारावास का दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि कारावासका दण्ड कठोर (Rigorous) दण्ड होना चाहिये अथवा साधारण (Simple) परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मालूम होता है कि दोनों प्रकारका दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि किसके कहने पर इस दफाके अनुसार कार्रवाई की जावेगी। ऐसा मालूम होता है कि अदालत स्वयं ही किसी कर्ज़ख्वाहके कहने पर इस दफाके अनुसार कार्रवाई चालू कर सकती है देखो—14 All. 145. रिसीवर भी अदालतसे इस दफाके अनुसार दिवालियेके विरुद्ध कार्रवाई चालू करनेको कह सकता है।

इस प्रकार अपराधी ठहरानेके लिये बाक़ायदा मामला चलाया जाना चाहिये और जो जुर्म लगाया जावे उसके साबित होने पर दिवालिया दोषी ठहराया जावे और तभी वह दण्डका भागी होगा। उसको पहिले यह बतला दिया जाना चाहिये कि उसने कौनसा अपराध किया है जिसमें उसे उसका जवाबदहीका मौक़ा मिल जावे, देखो—17 Cal. 209

यदि अदालतको इस बातका विश्वास हो जावे कि दिवालियेने इस दफाके अनुसार जुर्म किया है तो अदालत इस प्रकारका फैसला लिख सकती है तथा किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटके पास जिसकी अधिकार सीमामें वह मामला हुआ हो उस मामलेको चलाने के लिये भेज सकती है देखो दफा ७०।

दफा ७० दफा ६९ का जुर्म लगाने पर कार्रवाई

जब कि अदालतको आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक जांच करनेके पश्चात् विश्वास हो जावे कि दफा ६९ में बतलाये हुए अभियोगोंमें से किसी अभियोगकी जांच होना आवश्यक है और वह अभियोग दिवालिये द्वारा किया हुआ प्रतीत होता है तो अदालत अपनी तजवीज इस बातके लिये लिख सकती है और उस जुर्मका इस्तगासा लिखकर उस अव्वल दर्जेके (First Class) मजिस्ट्रेटके पास भेज सकती है जिसकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) होवे और वह मजिस्ट्रेट उस अभियोगको उसी ढंगसे सुनेगा जैसा कि सन् १८९८ ई० के जाबता फौजदारी (The Code of Criminal Procedure 1898) में बतलाया गया है।

व्याख्या—

दफा ६९ में बतलाये हुये जुर्मोंकी तहक़ीक़ात किये जानेका नियम इस दफामें बतलाया गया है। यह दफा नई है और दिवालिया संशोधन एक्ट सन् १९२६ ई० के अनुसार पुरानी दफाके बजाय रखी गई है इस दफाके बनाये जानेसे पुराने नियममें एक बड़ा परिवर्तन सा हो गया है क्योंकि पिछली दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको भी अधिकार था कि

वह दफा ६९ में बतलाये हुए जुर्मोंके किये जाने पर उनकी तहक़ीक़ात कर सके तथा अभियुक्तके दोषी निर्धारित होने पर उसे दण्ड दे सके परन्तु इस दफ़ाके अनुसार उसे केवल प्रारम्भिक जांच ही करनेका अधिकार है व इसके पश्चात् वह अधिकार रखने वाले फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेटके पास मामलेको भेज सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात मार्केकी जो पिछली दफ़ामें थी वह यह है कि कानून दिवालियेके अनुसार किसी जुर्मके लगाये जानेसे पहिले उसका नोटिस दिवालियेको दिया जाना आवश्यक था परन्तु इस नई दफ़ाके अनुसार बिना ऐसे नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है यदि अदालत आवश्यकतानुसार प्रारंभिक जांच करनेके पश्चात् उचित समझे कि अभियोग चलाया जाना चाहिये तो वह मामलेको चालू करनेके लिये मजिस्ट्रेटके यहां भेज सकती है। पिछली दफ़ा नीचे दी जाती है जिसके देखनेसे पाठकोंको दोनों दफ़ाओंका फरक भली भांति विदित हो जावेगा।

पिछली दफ़ा ७० जो रद्द की जाचुकी है:—

दफ़ा ७० दफ़ा ६९ के अनुसार लगाये हुए अभियोगकी कार्रवाई

(१) जब कि अदालतको यक़ीन हो जावे कि दफ़ा ६९ में दिये हुए किसी जुर्मकी तहक़ीक़ात करनेकी वजह (ज़रूरत) है तो अदालत हुक्म देगी कि क़र्ज़दारको नोटिस इस बातका दिया जावे कि वह वजह ज़ाहिर करे कि उसके ख़िलाफ़ एक या उससे अधिक जुर्म क्यों न लगाये जावें तथा यह नोटिस इस प्रकार भेजे जावेंगे जिस प्रकार सम्मन ज़ाबता दीवानीके अनुसार भेजे जाते हैं।

(२) नोटिसमें जुर्मका (मुद्दआ) बताया जावेगा और एकही नोटिसमें एकसे अधिक जुर्मोंका हवाला दिया जासकता है।

(३) उस नोटिसके अनुसार समाप्त करते समय और उसके अनुसार लगाये हुए जुर्मकी समाप्त करते समय अदालत जहां तक हो सकेगा उस प्रकार कार्रवाई करेगी जैसा कि सन् १८९८ ई० के ज़ाबता फ़ौजदारीके २१ वें प्रकरणमें वारण्ट केसेज (मामलों) के लिये जिनकी सुनवाई हाईकोर्ट या सेशन्स कोर्टमें होती है दी हुई है।

(४) इस दफ़ाके अनुसार चाहे जितने जुर्म हों सब एक साथ लगाये जासकते हैं। परन्तु किसी क़र्ज़दारको इकट्ठा दो सालसे ज्यादाके लिये सज़ा नहीं दी जासकेगी जबकि उसने उसी दिवालियेकी कार्रवाईके सिलसिलेमें इस एक्टके अनुसार जुर्म किये हों।

(५) अदालतको अधिकार है कि वह दफ़ा ६९ के अनुसार किसी जुर्मकी तहक़ीक़ात स्वयं करनेके बजाय उसका इस्तग़ासा लिखकर सबसे नज़दीकी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (दर्जा अव्वल) के पास जिसे अधिकार प्राप्त होवे भेज सकती है और उस हालतमें वह मजिस्ट्रेट उस इस्तग़ासेको उसी प्रकार सुनेगा जिस प्रकार सन् १८९८ के ज़ाबता फ़ौजदारीमें दिया हुआ है। परन्तु उसमें मुस्तग़ीस (वादी Complaint) का बयान लेना ज़रूरी नहीं है।

व्याख्या—

पहिली जनवरी सन् १९२७ ई० से एक्ट ९ सन् १९२६ ई० गवर्नर जनरल हिन्द महोदयकी आज्ञानुसार कार्यान्वित किया गया था और तभीसे ऊपर दी हुई पुरानी दफ़ाके बजाय नई दफ़ाका प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

चूंकि सिविल जस्टिस कमेटीने यह समझा कि हाईकोर्ट तथा अदालत जिलाकी समय दफा ६९ में बतलाये हुए छोटे मोटे जुर्मोकी तहकीकातमें बहुत नष्ट होगा तथा यह उचित समझा कि ऐसे जुर्मोकी जाच बखूबी तौरसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इस कारण तथा अन्य भी बहुत सा बातोंका सोचते हुए पुरानी दफाके बजाय इस नई दफाका प्रयोग में लाया जाना उन लोगोंकी अनुमतिमें उचित प्रतीत हुआ तथा यह नई दफा निर्माणकी गई। चूंकि दफा ६९ में बतलाये हुए जुर्म एक प्रकारसे फौजदारीके जुर्म हैं इस कारण उन जुर्मोंकी तहकीकात भी जाबता फौजदारीके नियमोंके अनुसार होना बतलाया गया है अदालत दिवालिया इस दफाके अनुसार किसी मामलेकी तहकीकात मजिस्ट्रेटके सुपुर्द करनेके लिये बाध्य नहीं है और जब उसको विश्वास हो जावे कि दिवालियाने दफा ६९ में बतलाये हुए जुर्मों में से किसी जुर्मको जाहिरा तौर पर किया है तब वह मजिस्ट्रेटके पास मामला भेज सकती है। अपने विश्वास करनेके लिये अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह प्रारंभिक जाच करे तब इस दफाके अनुसार यह आवश्यक है कि अदालत दिवालिया तहरीरी शिकायत उस जुर्मकी मजिस्ट्रेटके पास भेजे। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलका होना चाहिये अर्थात् इस दफाके अनुसार दर्जा दोयम व सोयमके मजिस्ट्रेट तहकीकात नहीं कर सकते हैं और उसी मजिस्ट्रेटके पास मामला जाना चाहिये जिसका अधिकार सीमा (Jurisdiction) होवे। जब इस दफाके अनुसार कोई मामला मजिस्ट्रेटके पास भेजा जावे तो मजिस्ट्रेटका कर्तव्य होगा कि वह उसकी जाच जाबता फौजदारीके नियमोंके अनुसार करे। अंग्रेजी एक्टकी इस दफा में "Shall" शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि मजिस्ट्रेटको ऐसे मामलेकी जाच अवश्य करना चाहिये तथा उसकी जाच जाबता फौजदारीमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है किसी दिवालियेके विरुद्ध मामला चालू करनेसे पहिले अदालतको इस बातका विश्वास कर लेना चाहिये कि प्रकट रूपमें उसने अवश्य उस जुर्मको किया है केवल शकही पर यह फौजदारीका मामला चालू नहीं करना चाहिये, देखो—A. I. R. 1926 Mad 1159.

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि अदालतको किस प्रकार इस बातका विश्वास करना चाहिये कि दिवालिये द्वारा जुर्म किया गया है इससे यह प्रकट होता है कि या तो अदालत मिसिल (Record) से ऐसी बातका विश्वास कर सकती है या किसी फरीकैन इसका विश्वास कर सकती है प्रारम्भिक जाचमें वह दूसरोंसे भी पूछ ताछ करके इस प्रकारका विश्वास कर कर सकती है। इस दफाके अनुसार कार्रवाई बाकायदा अमलमें लाई जाना चाहिये अर्थात् दिवालियेको कानूनी शहादतके आधारही पर अभियुक्त निर्धारित करना चाहिये उन्हीं गवाहोंकी शहादत मानना चाहिये जिनसे दिवालियेको जिरह करनेका अवसर दिया गया हो। रिसीवरकी रिपोर्ट जो कि उसने दिवालियेके विरुद्ध दी हो दिवालियेको दोषी निर्धारित करनेके लिये पर्याप्त नहीं है गो उस रिपोर्टके आधार पर दिवालियेके बरात (Discharge) होने में तथा तसफीया आदि होने में असर पड सकता है, देखो—46 All 864, A. I R. 1926 All. 29,37 All 429. फर्द जुर्म भी ठीक उसी दफाकी भाषामें लगाया जाना चाहिये जिसमें इस जुर्मका उल्लेख है और उसमें दिवालियेके उस कामका जिक्र होना चाहिये जिसके आधार पर वह जुर्म लगाया जारहा हो देखो—A. I. R 1927 All 352

अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह दफा ७० के अनुसार प्रारम्भिक जाच करे या न करे और अगर वह जाच करना निश्चित करे तो वह ऐसा जाच कर सकती है जिसमें उसे निश्चित हो जावे कि दफा ६९ का कोई अपराध किया गया है। मौजूदा दफा ७० के अनुसार अदालत एकतर्फा भी हुक्म दे सकता है तथा दिवालियेकी नामाजूदगीमें भी इस दफाके अनुसार हुक्म दिया जासकता है जब कि किसी कर्जख्वाहने शिकायतोंकी दरख्वास्त दी हो और जजने दानों फरीकोंके वकीलोंकी बहस सुनने तथा रिसीवरकी रिपोर्ट देखनेके पश्चात् दिवालिये पर मामला चलाये जानेका हुक्म दे दिया हो तो ऐसी हालतमें यह तय हुआ कि जजने जिस तरीकेसे काम किया है वह कानूनन् उचित तरीका है, देखो—55. Cal 783, A I R 1928 Cal 211.

दफा ७१ बहाल होने या तस्फीया होजानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी

अगर दिवालिया दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंका मुजरिम है तो उसके खिलाफ ऐसे जुर्मोंकी कार्रवाई की जावेगी चाहे वह बहाल हो चुका हो या तस्फीया हो गया हो या स्कीम मानली गई हो या मंजूर हो गई हो।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियाके बहाल हो जाने पर या उसके मामलेका तस्फीया आदि हो जाने पर भी दफा ६९ में बतलाये हुए जुर्मोंकी तहकीकातकी जासकती है। अर्थात् यदि दिवालियेने कोई जुर्म दफा ६९ के अनुसार किये हैं तो वह उनसे किसी हालतमें बच नहीं सकता है चाहे वह बहाल ही क्यों न हो गया हो या उसका मामला आपसमें तय हो कर समाप्त ही क्यों न हो जावे।

दफा ७२ बिला बहाल किया हुआ दिवालिया अगर कर्ज़ लेवे

(१) अगर कोई बिला बहाल किया हुआ दिवालिया किसी शख्ससे बिना बतलाये हुए कि वह दिवालिया है पचास रुपये या उससे अधिक कर्ज लेवे तो उसके खिलाफ यह जुर्म साबित होने पर उसे मजिस्ट्रेट छः महीने तककी सज़ा या जुर्मानेकी सज़ा या दोनों सज़ायें दे सकेगा।

(२) जब कि अदालतको विश्वास हो जावे कि किसी बिला बहाल हुए दिवालियेने उपदफा (१) में दिया हुआ जुर्म किया है तो वह मुनासिब इब्तदाई तहकीकात करनेके बाद मामले को फैसलेके लिये सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलके पास भेज सकती है और मुलज़िम को भी हिरासतमें भेज सकती है या उससे उस मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर होनेके लिये काफी जमानत ले सकती है और किसी दूसरे शख्सको भी उस मुकद्दमेमें हाज़िर होने या बयान देनेके लिये बाध्य कर सकती है।

व्याख्या—

(१) इस दफामें यह बतलाया गया है कि बिला बहाल किया हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिसे ५०) पचास रुपये या उससे अधिक उधार नहीं ले सकता है जब तक कि उधार देने वाले व्यक्तिसे वह यह प्रकट न कर देवे कि वह दिवालिया है तथा बहाल नहीं हुआ है। एक प्रकारसे यह दफा उन लोगोंकी रक्षाके लिये बनाई गई है जिनको दिवालियेके दिवालिया करार दिये जाने अथवा उसके बहाल होने आदि का इल्म नहीं हुआ हो अर्थात् जिसमें दिवालिया ऐसे व्यक्तियोंको धोखा देकर उनसे रुपया वसूल नहीं कर सके। इस दफाके अनुसार जुर्म साबित होनेके लिये केवल इतना ही साबित होना आवश्यक है कि दिवालियेने बिना अपनी हालत बतलाये हुए ५०) पचास रुपये या उससे अधिकका कर्ज किसीसे लिया है इस बातके साबित होनेकी आवश्यकता नहीं है कि दिवालियेकी मंशा धोखादेनेकी थी या इस बातके साबित होनेसे वह बच नहीं सकता है कि उसे बहुत जरूरत थी इस कारण उसने इस कर्जको इस प्रकार लिया था। यह बात भी इस दफासे प्रकट होती है कि यह पचास रुपयेका कर्ज किसी एकही व्यक्तिसे लिया गया हो अर्थात् यदि दिवालियेने थोड़ा थोड़ा रुपया कई व्यक्तियोंसे लिया हो और वह सब मिल कर ५०) पचास रुपयेसे ऊपर होते होंवे तो यह बात इस दफाके अन्तर्गत नहीं आती है। इस दफाके

अनुसार जुर्म साबित होने पर दिवालियेको ६ मास तकका कारावासका दण्ड दिया जासकता है या उस पर केवल जुर्माना किया जासकता है अथवा कारावास व जुर्माना दोनों सजायें साथ साथ भी दी जासकती है।

(२) में यह बतलाया गया है कि अदालत दिवालिया प्रारम्भिक जाच करनेके बाद विश्वास होने पर कि दिवालियेने दरअसल जुर्म किया है उसे फौजदारी सुपुर्द कर सकती है। अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है और बिला उसके लिखे हुए इस दफाके अनुसार मामला चालू नहीं हो सकता है। ऐसे मामलेका सुनवाईका अधिकार अव्वल दर्जेके मजिस्ट्रेट ही को प्राप्त है अर्थात् दर्जा दोयम व दर्जा सायमके मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते है। जब कोई मामला किसी मजिस्ट्रेटके सुपुर्द इस दफाके अनुसार किया जावे तो वह मजिस्ट्रेट मामलेकी तहकीकात करने के लिये बाध्य है और अधिक तर यह मामले सबसे समीप वाले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटके पास भेजे जाना चाहिये। इस दफाके अनुसार कार्रवाई उस समय तक न की जावेगी जब तक कि मामला अदालत द्वारा न भेजा गया हो। किसी प्राईवेट व्यक्ति के कहने पर इस दफाके अनुसार अभियुक्त दोषी नहीं ठहराया जासकता है, देखो—53 Cal. 929, A. I. R 1927 Cal 149. अदालत इस दफाके अनुसार मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजते समय दिवालियेको हिरासतमें भेज सकती है या उससे उसकी हाजिरीके लिये पर्याप्त जमानत ले सकती है अदालतको यह भी अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्तियोंको भी जिनके बयान होनेकी आवश्यकता हो मजिस्ट्रेटके सामने हाजिर होनेके लिये बाध्य करे जिसमें वह लोग वहां अपने बयान दे सकें। किसी फर्मने दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त दी तथा उसमें सब हिस्सेदारोंके नाम दिखला दिये गये। इस दरख्वास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो गया। उसके बाद इस फर्मका एक शरीकदार दिवालिया करार दिया गया। उस शरीकदारके विरुद्ध दफा ७२ के अनुसार दरख्वास्त दी गई तो यह तय हुआ :—

(१) यह कि अदालतको यह प्रश्न तय करनेका थे —

(ए) आया फरीकसानी बिला बहाल किया हुआ दिवालिया था ?

(बी) आया उसने ५०) या उससे अधिकका कर्ज लिया था ?

(सी) कि आया उसने दरअसल कर्जा लेते समय कर्जख्वाहसे यह प्रकट कर दिया था कि वह बिला बहाल किया हुआ दिवालिया है ?

(२) यह कि पहिले वाली दिवालियेकी कार्रवाईमें फर्मका तरफसे दरख्वास्त था न कि किसी खास व्यक्तिकी तरफसे और इस कारण उस फर्मका हर एक मम्बर या हिस्सेदार दिवालिया करार दिया गया था।

(३) यह कि जब फर्मके किसी एक हिस्सेदारके विरुद्ध मामला चलाये जानेका हुक्म दिया गया हो तो इस बातका कोई असर नहीं पड़ता कि आया वह कर्ज उस हिस्सेदारने बहैसियत फर्मके हिस्सेदारके लिया है।

(४) यदि कोई माल अमानतन इस बातके लिये लिया गया हो कि उसे बेच कर रुपया अदा कर दिया जावेगा तो ऐसे मालका लिया जाना भी इस दफाके अनुसार कर्ज लिया जाना समझा जावेगा, देखो—A. I. R. 1928 Sindh, 114, 107 I C. 442.

दफा ७३ दिवालियेकी असुविधायें (रुकावटें)

(१) जबकि कोई कर्जदार इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिया जावे या दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो वह इस दफाके नियमोंका ध्यान रखते हुए नीचे दिये हुए कार्योंके लिये अयोग्य समझा जावेगा :—

(ए) मजिस्टट नियुक्त किये जाने या मजिस्ट्रेटीका काम करनेके लिये

(बी) जबकि किसी जगहके लिये चुनाव द्वारा नियुक्ति होती हो तो उस जगहको चुने जानेके लिये या किसी ऐसी जगह पर नियुक्त होनेके लिये या वहां पर काम करनेके लिये जिसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है

(सी) किसी लोकल पद (Local Authority) का मेम्बर चुने जाने या उसमें वोट देनेके लिये ।

(२) इस दफाके अनुसार दिवालियेको जो रुकावटें हैं वह हटा दी जावेंगी या जाती रहेंगी अगर:—

(ए) दफा ३५ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख होजाय, या

(बी) उसे अदालतसे मुस्तक़िल या कायममुक़ामी बहालीका हुक्म इस सार्टिफिकेटके साथ मिल जाय कि वह अभाग्यवश दिवालिया होगया था उसमें उसकी कोई बेइनमानी नहीं थी ।

(३) अदालतको अधिकार है कि जैसा वह मुनासिब समझे ऐसे सार्टीफिकटको दे सकती है या उसके देनेसे इनकार कर सकती है लेकिन इनकार करने वाले हुक्मकी अपीलकी जा सकती है ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लाज (ए), (बी) व (सी) में दिवालियेकी अयोग्यताका वर्णन है क्लाज (ए) के अनुसार वह मजिस्टेट नियुक्त नहीं किया जासकता है और न वह मजिस्ट्रेटीका कोई कामही कर सकता है क्लाज (बी) के अनुसार वह किसी अवैतनिक जगह पर काम करनेके लिये नहीं चुना जासकता है तथा क्लाज (सी) के अनुसार वह किसी स्थानिक पद का मेम्बर नहीं चुना जासकता है ।

इस दफामें जिन अयोग्यताओंका उल्लेख किया गया है केवल वही अयोग्यता नहीं है इनके अतिरिक्त दिवालिया और भी बहुतसे कार्य नहीं कर सकता है जिनका उल्लेख दूसरे कानूनोंमें किया गया है जैसे कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्टके अनुसार बिना बहाल हुआ दिवालिया कौन्सिलका मेम्बर नहीं चुना सकता है । गार्जियन एण्ड वार्ड एक्टके अनुसार वह नाबालिगकी जायदादके वली होनेसे हटाया जासकता है या किसी ट्रस्टके ट्रस्टी होनेसे अलहदा किया जासकता है इत्यादि ।

उपदफा (२) *में बतलाया गया है कि उपदफा (१) की अयोग्यता दूर भी हो सकती है जब कि दिवालिया* करार दिये जाने वाला हुक्म दफा ३५ के अनुसार मंसूख कर दिया जाय अथवा दिवालिया बहाल (Discharge) कर दिया जावे । बहाल होनेके लिये यह भी बतलाया गया है कि चाहे दिवालिया पूर्ण रूपसे बहाल कर दिया जाय अथवा वह किसी शर्तके साथ बहाल किया गया हो जब कि इस प्रकारका सार्टीफिकेट दे दिया गया हो कि वह दिवालिया अभाग्य वश हो गया था और उसके बेइनमानीकी वजहसे ऐसा नहीं हुआ था । यदि दफा २ में बतलाया हुआ सार्टीफिकेट देनेसे अदालत इन्कार कर देवे तो उसकी अपील की जासकती है ।

पांचवां प्रकरण

सरसरीकी कार्रवाई

दफा ७४ सरसरीकी कार्रवाई

जबकि दिवालेकी दरख्वास्त किसी कर्जदारने दी हो या उसके खिलाफ दी गई हो और अदालतको हलफनामासे या दूसरे किसी तरहसे यह इतमीनान हो जावे कि कर्जदारकी जायदाद ५००) रुपयेसे अधिक मूल्यकी नहीं है तो अदालतको अधिकार है कि वह इस प्रकारका हुक्म देदेवे कि कर्जदारकी जायदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किया जावे और तब इस एक्टमें दी हुई कार्रवाई नीचे दिये हुए संशोधनके साथ की जावेगी:—

(i) प्रान्तिक सरकारी गजट द्वारा नोटिसकी मुश्तहरी नहीं की जावेगी जैसा कि एक्टमें दिया हुआ है जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई आज्ञा न देवे

(ii) कर्जदार द्वारा दी हुई दिवालेकी दरख्वास्तके लेलिये जाने पर उसकी जायदाद अदालतकी सुपुर्दगीमें बहैसियत रिसीवरके समझी जावेगी

(iii) दरख्वास्तकी समात करते समय अदालत कर्जदारके कर्ज व लहनेको दरयाफ्त करेगी और निश्चित करके अपने हुक्ममें लिखेगी और दफा ३३ में दिये हुए नियमोंके अनुसार सूचीका तैयार करना जरूरी नहीं होगा

(iv) कर्जदारकी जायदाद जितनी उचित जल्दी हो सकेगी वसूल की जावेगी और उसके बाद जब मुमकिन हो एकही डिवीडेण्डमें बांट दी जावेगी

(v) दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मसे छः माहके अन्दर दिवालिया बहाल होनेकी दरख्वास्त देवेगा, और

(vi) जो कुछ संशोधन, खर्च कम करने तथा कार्रवाईको साधारण बनानेके लिये बनाये जावें उनका अमल किया जायेगा।

परन्तु अदालतको अधिकार है कि वह किसी समय भी कर्जदारकी जायदादके सम्बन्धमें इस एक्टमें दिये हुए साधारण नियमोंके बर्तनेका हुक्म दे सकती है और तब उसके बाद इस एक्टका नियम पूर्वक प्रयोग होगा।

व्याख्या—

यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें छोटे मोटे मामलोंमें बहुत समय नष्ट न किया जावे तथा ऐसे मामलोंमें अधिक खर्च भी न हो सके और ऐसे मामले जल्दी समाप्त किये जा सकें दिवालियेकी दरख्वास्त चाहे कर्जदारने स्वयं दी हो या वह दरख्वास्त उसके विरुद्ध किसी कर्जख्वाह द्वारा दी गई हो दोनों दशाओंमें यह दफा लागू हो सकती है यदि और शर्तें पूरी होती होवें।

इस दफाके अनुसार कार्रवाई उसी दशामें की जावेगी जबकि दिवालियेकी जायदाद ५००) पांचसौ रुपयेसे अधिक मूल्य की न होवे इस मूल्य का परिस अदालत इन्सालवेन्सी दाखिल होने पर या अन्य शहादतके लेने पर कर सकती है इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है।

अर्थात् यदि दिवालियेकी जायदाद ५००) पांचसौ रुपयेसे कम मूल्यकी भी होवे तो भी अदालतको अधिकार है कि वह इस एक्टमें बतलाये हुए मामूली नियमोंके अनुसार कार्रवाई कर सकती है और सरसरी कार्रवाई अमलमें न लावे।

इस दफाके अनुसार कार्रवाईकी जानेके लिये अदालतको जाबतेके अनुसार हुक्म देना चाहिये कि कर्जदारकी जायदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किया जावेगा।

यदि सरसरी तौरसे कार्रवाई करनेका हुक्म हो जावे तो क्लाज (i), (ii), (iii), (iv), (v) व (vi) में बतलाये हुए नियम लागू होंगे।

क्लाज (i) के अनुसार प्रान्तिक सरकारी गजट द्वारा घोषणाकी जानेकी आवश्यकता नहीं रहेगी बशर्ते कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न दे देवे।

क्लाज़ (ii) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद उसी प्रकार अदालतकी सुपुर्दगीमें आवेगी जैसे कि रिसीवरकी सुपुर्दगीमें आना चाहिये।

क्लाज (iii) में बतलाया गया है कि कर्जख्वाहोंकी सूची आदि तैयार किये जानेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु अदालत स्वयही दिवालियेके लहने व कर्जोंका निश्चित करेगी और उनके बारेमें दिवालियाके सुने जाने सम्बन्धी दरख्वास्त कर लेगा।

क्लाज (iv) के अनुसार दिवालियेके कर्जे जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा करके बांट दिया जाना चाहिये।

क्लाज (v) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेका बहाल होनेकी दरख्वास्त ६ माहके अन्दर दे देना चाहिये।

क्लाज़ (iv) में बतलाया गया है कि यदि कोई और नियम इस सम्बन्धमें बनाये गये हों जिनसे खर्चेमें कमी या कार्रवाई को और साधारण बनाया जासके तो ऐसे नियमोंका भी पालन किया जाना चाहिये। यह सब होते हुए भी अदालतको अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकतानुसार किसी समय भी इस एक्टके मामूली नियमोंके अनुसार कार्रवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है अर्थात् यदि सरसरीका हुक्म देनेके पश्चात् अदालतको मालूम होवे कि दिवालियेकी जायदादका मूल्य ५००) रुपयेसे अधिक है या दिवालियेकी जायदादका प्रबन्ध अथवा वसूली होना रिसीवर द्वारा आवश्यक है तो वह ऐसी दशामें रिसीवर नियुक्त कर सकती है तथा सरसरीके हुक्मको मंसूख कर मामूली नियमोंके अनुसार कार्रवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है।

छठा प्रकरण

अपील

दफा ७५ अपीलें

(१) अदालत जिलाके मातहत किसी अदालतके किये हुए फैसले या हुक्मके विरुद्ध जो उसने दिवाला सम्बन्धी अधिकारको बर्तते हुए दिया हो, अपील अदालत जिलामें की जा सकती है और उस अपील पर जो हुक्म अदालत जिलाका होगा वह अन्तिम हुक्म होगा और ऐसी अपील दिवालिया, कर्जख्वाह, रिसीवर या और कोई शख्स जिसको कि फैसले या हुक्मसे नुकसान पहुँचता हो कर सकता है। लकिन हाईकोर्टको अधिकार है कि वह यह जानने के लिये कि अदालत जिलाने अपीलमें जो हुक्म दिया है वह कानूनन ठीक है मुकदमेको मँगा सकता है तथा उसे जो मुनासिब मालूम हो वह हुक्म उसके बाबत दे सकता है। और अगर कोई शख्स अदालत जिला द्वारा किये हुए अपीलके फैसलेसे संतुष्ट न हो जो उसने अपने मातहत अदालतके फैसले या हुक्मके बाबत किया हो तो उसे अधिकार है कि वह दफा ४ के अनुसार जाबता दीवानीकी दफा १०० (१) में दी हुई बातोंकी बिना पर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

(२) अगर अदालत जिलाके उन फैसलों व हुक्मोंकी अपील जो पहिली सूची (Schedule I) में दिये हुए हैं और जिसे उसने अपने मातहत अदालतकी अपीलमें नहीं दिया है हाईकोर्टमें की जासकती है।

(३) पहिली सूचीके अतिरिक्त जो फैसले या हुक्म अदालत जिलाने किये हों लेकिन जो मातहत अदालतकी अपीलमें न किये हों उनकी अपील अदालत जिला या हाईकोर्ट की आज्ञा लेकर हाईकोर्टमें की जा सकती है।

(४) अदालत जिलामें अपील तीस दिनके अन्दर व हाईकोर्टकी अपील ९० दिनके अन्दर की जा सकेगी।

व्याख्या—

इस दफामें अपीलोंका वर्णन है। शिड्यूल (Schedule I) में वह फैसले व हुक्म दिखलाये गये हैं जिनकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है। इस एक्टमें यह कहीं नहीं दिखलाया गया है कि अदालत जिलाके यहां किन किन हुक्मों या फैसलोंकी अपील की जासकती है। परन्तु यह प्रकट होता है कि मातहत अदालतके सभी फैसलों व हुक्मोंकी अपील अदालत जिलाके यहां की जासकती है जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात इस एक्टमें न दी गई हो।

उपदफा (१) इस उपदफाके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे अदालतके फैसले या उसके किसी हुक्मसे हानि पहुँचती हो अपील करनेका अधिकारी है अर्थात् दिवालिया, रिसीवर, कर्जख्वाह या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसे हानि पहुँचती हो अपील कर सकता है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अपील करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु अपील करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। इस उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि इस उपदफाके अनुसार जो

हुई अपीलका जो फैसला होगा उसे अंतिम फैसला समझना चाहिये परंतु साथ साथ यह शर्त लगादी गई है कि यदि हाईकोर्ट चाहे तो अपने संतोषके लिये मुकद्दमेको अपने देखनेके लिये मंगा सकता है तथा उस पर अपना मुनासिब हुक्म दे सकता है और इसी प्रकार दफा ४ के अनुसार फरीकैनको भी जाबता दीवानीकी दफा १०० (१) के अनुसार अदालत जिलाके फैसलेके विरुद्ध हाइकोर्टमें अपील करनेका अधिकार है। इस उपदफामें हानि पहुँचनेसे अभिप्राय कानूनी हानिसे है अर्थात् यदि किसी व्यक्तिको अदालत दिवालियाके किसी फैसले या हुक्मसे किसी वस्तुसे अधिकार जाता रहे या उससे उसके किसी हकमें आघात पहुँचता हो तो ऐसे व्यक्तिके लिये यह माना जावगा कि उसे उस हुक्म या फैसलेसे हानि पहुँचती है, देखो—46 Mad 405 यदि अदालतके किसी हुक्म या फैसलेसे किसी व्यक्तिको केवल यही असंतोष होवे कि उस हुक्म या फैसलेके न होनेसे उसे कुछ भविष्यमें लाभ पहुँचनेकी संभावना थी तो ऐसे हुक्म या फैसलेसे उस व्यक्तिकी कोई कानूनी हानि नहीं समझना चाहिये, देखो—41 I C 96.

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् दिवालियेका कोई हक जायदाद पर नहीं रह जाता है और इसीलिये उसका वसूलयाबीके सिलसिलेमें यदि कोई हुक्म दिया जावे तो उस हुक्मसे दिवालियेको कोई हानि नहीं पहुँच सकती है इस प्रकार यदि उसकी जायदादके किसी हिस्सेके बेंच जानेकी मंजूरी दे दी जावे तो इस मंजूरीके विरुद्ध उसे अपील करनेका अधिकार नहीं है, देखो—49 Mad 461.

यदि अदालत किसी ऐसे कर्जेको मंजूर कर लेवे जो कि साबित नहीं किया जासकता है तो ऐसे हुक्ममें दिवालियेकी हानि होता है और इसके विरुद्ध वह अपील कर सकता है, देखो —47 Mad. 120 यदि कोई कर्जख्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मंसूखीकी दरख्वास्त दफा ४ के अनुसार देवे और वह दरख्वास्त नामंजूर की जावे तो ऐसे हुक्मके विरुद्ध उसे अपील करनेका अधिकार होगा, देखो—A I R 1924 Mad 685

यदि कोई इन्तकाल जायदाद दफा ५३ के अनुसार मंसूख कर दिया जावे तो वह व्यक्ति जिसके हकमें वह इन्तकाल किया गया था इस फैसलेके विरुद्ध अपील कर सकता है क्योंकि ऐसे हुक्मसे उसे हानि पहुँचती है, देखो—7 I C 765. यदि आफिशल एसाइनीको किसी हुक्मसे हानि पहुँचती हो तो वह भी अपील कर सकता है, देखो—33 Mad 134 इलाहाबाद हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियेकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाचुका हो और कोई व्यक्ति उसकी किसी जायदादके लिये उसके विरुद्ध दावा करे तो उसके कर्जख्वाहोंमें से किसी एक कर्जख्वाहको ऐसे मामलेमें अपील करनेका हक प्राप्त नहीं है क्योंकि उसका हानि उठाने वाला व्यक्ति (Aggrieved person) नहीं कह सकते हैं देखो—39 All. 152

लाहौर हाईकोर्टने भी ऐसीही बात तय की थी देखो—62 I. C. 924 (Lah) परन्तु मद्रास हाईकोर्ट इस राय से सहमत नहीं हैं उसने तय किया था कि यदि किसी हुक्मसे किसी व्यक्ति पर कोई पाबन्दी आती हो और उसके हितोंमें आघात पहुँचता हो तो वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझा जावेगा चाहे वह उसमें फरीक मुकद्दमा हो या न हो, देखो—49 Mad 794 यदि कोई कर्जा साबित कर चुकने वाला कर्जख्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख होने पर उस हुक्मकी नजरसानी (Review) करे और वह नजरसानीकी दरख्वास्त खारिज हो जावे तो उसे हानि उठाने वाला व्यक्ति समझना चाहिये, देखो—A I R 1927 Mad 175 इन्हीं कारणोंसे यदि किसी कर्जख्वाहकी दरख्वास्त जो दफा ५३ व ५४ के आधार पर दी गई हो खारिज हो जावे तो उसे अपील करनेका अधिकार प्राप्त है क्योंकि वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति हो जाता है, देखो—47 Mad 673, 44 All 71.

यदि किसी कर्जख्वाहकी दरख्वास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो और वह मंसूख कर दिया जावे तो उस कर्जख्वाहको हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझना चाहिये और वह इसकी अपील कर

सकता है, देखो—A. I. R. 1926 Lah. 24. किसी दिवालियेकी जायदाद नेतर्तीबीसे बेंची गई न उसने उसके विरुद्ध दरख्वास्त दी परन्तु वह दरख्वास्त नामंजूर की गई तब उसने अपील की परन्तु अपीलमें यह तय हुआ कि वह कानूनी रूपसे हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं है अत उसे अपीलका अधिकार नहीं है, देखो—41. All. 243 इसी प्रकार यदि अदालत दिवालियेके विरुद्ध की हुई शिकायतको खारिज कर देवे तो उस कर्जख्वाहको जिसने इस शिकायतको दफा ६९ के आधार पर किया था हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना और न वह अपील कर सकता है, देखो—39 All. 171; 40 Mad 630, A. I. R. 1924 Mad. 180.

इसी प्रकार यदि रिसीवरने दफा ६९ या ७० के अनुसार दिवालियेके विरुद्ध मामला चलाये जानेकी दरख्वास्त दी हो और वह दरख्वास्त खारिज हो जावे तो रिसीवरको हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना चाहिये और वह अपील नहीं कर सकता है, देखो—61 I C. 802. यदि अदालत आफिशल रिसीवरको हटा कर उसके स्थानमें कोई स्पेशल रिसीवर नियुक्त करदे तो आफिशल रिसीवरको ऐसे हुक्मसे हानि पहुँचती है और वह इसके विरुद्ध अपील कर सकता है, देखो—46 Mad 405.

यदि रिसीवरने किसी कर्जख्वाहके कहने पर किसी फसलको कुर्क किया हो और वह फसल कुर्कीसे छोड़ दी जावे तो इस हुक्मके विरुद्ध अपील की जासकती है, देखो—47. All. 849. यदि किसी व्यक्तिको किसी हुक्मसे हानि पहुँचती हो तो उसे अपील करनेका अधिकार होगा चाहे वह अदालत मातहतमें फरीक मुकद्दमा न रहा हो, देखो—53 Cal. 866 यदि अदालत जिलाकी मातहत किसी अदालतने, अदालत दिवालियाके अधिकारोंके बर्तते हुए कोई हुक्म दिया हो तो ऐसे हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें नहीं होगी किन्तु उसकी अपील अदालत जिलामें होना चाहिये, देखो—63 I. C 848. गोकि मातहत अदालतको दिवालिया सम्बन्धी मामलातमें वही अधिकार प्राप्त है जो अदालत जिलाको होते हैं परन्तु अपीलके सम्बन्धमें इन अदालतोंको अदालत जिलाकी मातहत अदालत ही समझना चाहिये, देखो—A. I. R 1923 Nag. 80 अतिरिक्त (Additional) जिला जज अपीलके लिये जिला जजके आधीन नहीं है, देखो—9 A L. J. 371, 36 All. 576.

अदालत खफीफाके हुक्मोंके विरुद्ध जो उसने अदालत दिवालियाके अधिकार बर्तनेमें किये हों अपील अदालत जिलामें की जावेगी, देखो—23 All. 56, 12 Mad 472, 21 Bom 45, 27 Bom. 604. दार्जिलिंगके डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिये हुए हुक्मके विरुद्ध अपील अदालत जिलामें की जावेगी, देखो—15 C. L J. 239, A I. R. 1925 Cal. 335. आफिशल रिसीवरको इस दफाके अनुसार अदालत जिलाके मातहत अदालत नहीं माना जासकता है, देखो—40 Mad 752. अभेतो एक्टकी इस दफामें इन शब्दों 'Shall be final' का प्रयोग किया गया है जिनसे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलाके फैसलेके विरुद्ध अपील दोयम (Second Appeal) नहीं की जासकती है और उसके अपीलमें किये हुए फैसलेको अन्तिम फैसला समझना चाहिये परन्तु आगे चल कर इसी दफामें यह भी बतलाया गया है कि हाईकोर्टको अधिकार है कि वह तजवीजसानी (Revision) के तौर पर अदालत जिलाके फैसलेमें दस्तक्षेप कर सके इससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलाका अपीलमें किया हुआ फैसला एक प्रकारसे अंतिम फैसला है क्योंकि उसकी अपील दोयम नहीं की जासकती है परन्तु उसमें भी हाईकोर्टको दस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है।

इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि कुछ मामलोंमें अपील दोयम अर्थात् हाईकोर्टमें भी अपील उस फैसलेके विरुद्ध की जासकती है जैसा कि इसी दफाके अंतमें जो शर्त लगाई गई है उसमें बतलाया गया है। इस दफाके अनुसार हाईकोर्टको रिवीज़न (Revision) के जो अधिकार प्राप्त हैं वह करीब करीब उसी तरहके हैं जैसे कि उस अदालत खफीफा द्वारा किये हुए फैसलोंमें प्राप्त है। जाबता दीवानीकी दफा ११५ के अनुसार जो अधिकार तजवीजसानी (Revision)

के हाईकोर्टको प्राप्त है उनसे यह अधिकार किसी हद तक अधिक है क्योंकि वह अधिकार केवल अधिकार सीमा (Jurisdiction) ही के सम्बन्धमें बर्ते जासकते हैं परन्तु इस दफाके अनुसार हाईकोर्ट उस वक्त हस्तक्षेप कर सकता है जब कि उसे यह मालूम पड़े कि कानूना ढगसे कार्रवाई नहीं की गई है।

दफा ११५ जाबता दीवानी इस प्रकार है—"हाईकोर्टको अधिकार है कि वह अपने मातहत अदालतके तय किये हुए किसी मुकद्दमेकी मिसिलको मगवाले जब कि उस फैसलेके विरुद्ध अपील न की जासकती हो और यदि ऐसा मालूम हो कि उस मातहत अदालतने (ए) उन अधिकारोंका प्रयोग किया है जो उसे कानूनन् प्राप्त नहीं है या (बी) उसने उन अधिकारोंका प्रयोग नहीं किया है जो उसे कानूनन् प्राप्त हैं या (सी) उसने अपने अधिकारोंको गैर कानूनी तरीके या बड़ी बेतरतीबीसे प्रयोग किया है। और हाईकोर्टको अधिकार है कि वह जो हुक्म मुनासिब समझे ऐसे मामलेमें दे सकता है"।

इस दफाके अनुसार तजवीजसानी (Revision) के जो अधिकार हाईकोर्टको प्राप्त है उनका प्रयोग करना न करना हाईकोर्टकी इच्छा पर निर्भर है वह उनको प्रयोग करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए 'May' शब्दसे प्रकट होता है। यदि अदालत जिलाने अपीलमें यह हुक्म दिया हो कि मजीद शहादत ली जाना चाहिये तो ऐसे हुक्मकी तजवीजसानी हाईकोर्टमें हो सक्ती है, देखो—61 I. C. 589. परन्तु यदि किसी मामलेकी अपील की जासकती हो तो उसके लिये तजवीजसानी (Revision) नहीं सुनी जासकती है देखो—A. I. R. 1926 Mad. 123. यदि अदालत जिला अपीलमें दफा २२ या दफा ६९ के अनुसार कार्रवाई करनेसे इनकार कर देवे तो इसका रिवीजन (Revision) नहीं किया जासकता है, देखो—56 I C 744

इस क्लाजके अन्तमें जो शर्त लगा दी गई है उसके अनुसार अपील दोयम भी की जासकती है। यदि अदालत जिलाने किसी मामलेको दफा ४ के अनुसार तय किया हो तो उसकी अपील दोयम हाईकोर्टमें की जासकती है परन्तु ऐसे मामलोंकी अपीलें उन्हीं बातोंके आधार पर की जासकती हैं जिनका उल्लेख दफा १०० (१) जाबता दीवानीमें है।

जाबता दीवानीकी दफा १०० (१) इस प्रकार है—"उन बातोंका ध्यान रखते हुए जो इस एक्टमें या अन्य किसी प्रचलित एक्टमें बतलाई गई हैं नीचे दिये हुए मामलोंकी अपील हाईकोर्टमें उसके किसी मातहत अदालतके अपीलमें किये हुए फैसलेके विरुद्ध की जासकेगी। (ए) यदि फैसले किसी कानूनके विरुद्ध होवें या किसी चलन (Usage) के विरुद्ध होवे जो बतौर कानूनके बरता जाता होवे (बी) यदि फैसलेमें कोई कानूनी तनकीह या कोई ऐसा चलन जो कानूनी तौर पर बरता जाता होवे तय न किया गया हो (सी) यदि इस कोडमें बतलाये हुए या अन्य किसी प्रचलित कानूनमें बतलाये हुए नियमोंके विरुद्ध खास गल्ती हुई हो जिसकी वजहसे फैसलेमें ठीक तौरसे मसला असली वाकयातके अनुसार तय न किया जासका हो।"

इस प्रकार अपील दोयम उसी समय हो सकेगी जब कि अदालत जिलाने दफा ४ के अनुसार किसी मसलेको तय किया हो तथा उसमें दफा १०० (१) जाबता दीवानी भी लागू होती होवे। इस प्रकार यदि दफा ५३ के अनुसार कोई हुक्म दिया गया हो तो कानूनी मसले पर उसकी अपील दोयम हो सकेगी, देखो—A I. R. 1224 Nag. 301.

जब कि रिसीवरने किसी जायदादको दिवालियेकी जायदाद करार देकर कुर्क किया हो और उस जायदाद पर कोई तीसरा व्यक्ति अपना हक प्रकट करे तथा अदालत उसके हकको स्वीकार कर लेवे तो इसके विरुद्ध दफा ७५ के अनुसार अपील की जासकती है, देखो—A. I R 1928. Lah 556.

यदि अदालतने यह हुक्म दिया हो कि कोई रकम आफिशल रिसीवरको मिलना चाहिये तथा इसके विरुद्ध किसी तीसरे व्यक्तिने अपना हक जाहिर किया हो तथा अदालत उसके हकको मन्जूर न करे तो वह व्यक्ति इस हुक्मकी अपील कर

सकता है क्योंकि यह हुक्म एक प्रकारसे दफा ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म होगा यह भी तय हुआ कि कर्जख्वाहान जरूरी फरीक मुकदमा नहीं है, देखो—A. I R 1928 Lah. 423 यदि अदालत अपील पूरे मामलेको सुननेके पश्चात् यह राय कायम करे कि अपीलाण्टका मामला दरअसल काबिल अपील है जिसके लिये इजाजत दी जासकती थी तो वह अपील की इजाजत दे सकती है, देखो—A I. R 1928 Pat 338.

उपदफा (२) इस उपदफाके अनुसार अदालत जिलाके फैसले या हुक्मके विरुद्ध हाईकोर्टमें अपील की जासकती है परन्तु उसके लिये शर्त यह है कि (ए) उन्हीं फैसला व हुक्मोंकी अपील हो सकेगी जो सूची नं० १ (Schedule 1) मे दिये हुए हैं व (बी) वह फसले व हुक्म उन्हीं मामलोंमें किये गये हों जो अदालत जिलाने स्वयं सुने हों और वह किसी मातहत अदालतकी अपीलोंमें उस अदालत जिला द्वारा नहीं दिये गये हों।

उपदफा (३) उपदफा (२) में बतलाया जाचुका है कि अदालत जिलाके उन्हीं फैसलों व हुक्मोंकी अपील हो सकेगी जिनका उल्लेख सूची नं० १ (Schedule 1) में दिया गया है परन्तु इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि ऐसे हुक्मों व फैसलोंकी भी अपील की जासकती है जो कि सूची नं० १ (Schedule 1) में न दिये गये हों बशर्ते कि उनके लिये अदालतकी आज्ञा ले ली जावे। इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि इस उपदफाके अनुसार भी अपील उन्हीं फैसलों व हुक्मोंकी की जासकेगी जिसको अदालत जिलाने अपने सुने हुए मामलोंमें दिया हो व जिनको उसने अपीलके अधिकार बर्तते हुए न दिया हो, अर्थात् यदि किसी मातहत अदालतके फसले या हुक्मके विरुद्ध अदालत जिलाने कोई फैसला या हुक्म दिया हो तो ऐसे फैसले या हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें किसी भी दशामें नहीं की जासकेगी। अदालत की आज्ञा साधारण तौर पर प्रदान नहीं की जावेगी यह आज्ञा उन्हीं मामलोंमें दी जासकेगी जो जरूर न होवें या जिनमें कोई क़ानूनी मसला आता होवे वरना पिछली उपदफाके बनानेकी आवश्यकता ही नहीं थी। आज्ञाका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और यदि आज्ञा न दी जावे तो इस हुक्मके विरुद्ध अपील नहीं की जासकती है, देखो—38 I C 818. बिला आज्ञा लिये हुए इस उपदफाके अनुसार अपील नहीं की जासकती है अर्थात् इस आज्ञाके लेनेके लिये अपील करने वाला व्यक्ति बाध्य है, देखो—36 All 8. अपीलमें वही लोग फरीक मुकदमा बनाये जावेंगे जिनका सम्बन्ध अपील किये जाने वाले हुक्म या फैसलेसे होगा देखो—38 Mad 74. यदि किसी कर्जदारकी दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त खारिज कर दी जावे तो उस हुक्मकी अपीलकी सूचना उसके कर्जख्वाहोंकी काफी तादादको दी जाना चाहिये जिससे कि वह लोग बहैसियत रिस्पाण्डेण्टके अपने मामलेको पेश कर सकें, देखो—37 I C 391. दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध जो अपीलकी जावे उसका नोटिस आफिशल एसाइनीको दिया जाना चाहिये, देखो—A. I. R 1925 Cal. 1215 यदि दिवालियेको रहनेके लिये मकान न दिया गया हो और वह ऐसे हुक्मकी अपील रिसीवरको फरीक मुकदमा बिना बनाये हुए करे तो वह काबिल चलनेके नहीं है, देखो—57 I C 971 (Lah) यदि कर्जख्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध अपील करे तो उसमें दिवालियेका फरीक मुकदमा बनाया जाना जरूरी है, देखो—A. I R 1924 Bom. 472. यदि अदालत जिलाने दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें किये हुए किसी बयनामेकी मञ्जूरी देदी हो व उसके विरुद्ध अपीलकी जावे तो उसमें खरीदार नीलाम व रिसीवरको फरीक मुकदमा बनाना जरूरी है, देखो—A. I. R. 1923 Lah 58, 68 I C 716 यदि कोई एक कर्जख्वाह अपील करे तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे कर्जख्वाह भी फरीक/मुकदमा बनाये जावें, देखो—58 I C 10. यदि सूचीमें दर्ज कोई कर्जख्वाह मर गया हो और उसके वारिसको नोटिस न दिया जावे तो केवल इसही बातसे अपील रद नहीं हो जावेगी, देखो—A. I R. 1926 Cal. 1210.

यदि रिसीवर फरीक मुकदमा न बनाया गया हो व अपीलमें कोई हुक्म दे दिया जावे तो केवल उसके फरीक मुकदमा

न बनाए जानेही से वह हुक्म रद्द नहीं हो जावेगा जब तक कि यह साबित न होजाय कि उसके फरीक मुकद्दमा न होने से भाई विशेष हानि उसे पहुँचता है , देखो—A I R 1922 Mad 437

जब कि इस दफाके अनुसार अपीलकी गई हो तो जाबता दीवानीकी दफा ४१ में बतलाये हुए सब नियमोंका प्रयोग किया जासकता है यदि वह इस एक्टके किसी नियमके विरुद्ध न पड़ते हों 41 Mad 904 इसीमें दिया हुआ है कि किसी अपीलके दाखिल होनेके बाद आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार क्रास अपील दाखिलकी जासकती है अदालत अपील जाबता दीवानीके आर्डर ४१ रूल १० के अनुसार खर्चेके लिये अपीलाण्टसे जमानत मांग सकता है, देखो—13 Cal 243.

यदि कर्जख्वाहने किसी दिवालियेके विरुद्ध कार्रवाई करनेका दरख्वास्त दी हो और वह दरख्वास्त बिना तहकीकातके या बिना रिसीवरका रिपोर्ट देखे व बिना कोई कारण बतलाये हुए खारिज कर दी गई हो तो इसका अपील हो सकता है, देखो—79 I C 340

यदि अदालतने बिना किसी तीसरे शख्सके किये हुए एतराजका फैसला किये हुए किसी जायदादके बेच दिये जानेका हुक्म दे दिया हो तो इसके विरुद्ध अपील हो जासकता है, देखो—52 Cal 662

यदि कोई ऐसा कर्ज जो साबित न किया जासकता हो साबित मान कर मन्जूर कर दिया गया हो तो उसका अपील हो जासकता है, देखो—47 Mad 120

यदि किसी फैसलेका नज़रसानी (Review) मन्जूर कर ली गई हो तो उसका अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हाईकोर्टमें हो सकती है परन्तु ऐसी अपील जाबता दीवानीके आर्डर ४७ के अनुसारही होना चाहिये, देखो—44 All 605. यदि दफा २७ के अनुसार हुक्म दिया गया हो तो उस हुक्मकी अपील हो सकती है, देखो—100 I C 137 (Lah). यदि दफा २७ (२) के अनुसार समय बढ़ानेके लिये दरख्वास्त दी गई हो और वह दरख्वास्त खारिज हो जावे तो उसकी अपील नहीं की जासकती है, देखो—89 I C 959 यदि अदालत जिला दफा २२ व ६९ के अनुसार कार्रवाई करनेसे इन्कार कर देवे तो इसके विरुद्ध अपील नहीं की जासकता है, देखो—56 I C 744, 61 I C 802, 40 Mad 630, 55 I C 717.

यदि दफा ४३ के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मन्सूख कर दिया जावे तो अदालतकी इस आज्ञाके विरुद्ध अपील नहीं की जासकती है, देखो—100 I C. 137

इसी प्रकार दफा ५६ (३) के अनुसार दिये हुए हुक्मके लिये भी आज्ञा लेकर अपीलकी जासकती है, देखो—46 I C 377 यदि रिसीवरका नियुक्त करनेका हुक्म न दिया जावे तो इसके विरुद्ध भी बिना आज्ञाके अपील नहीं की जासकती है देखो—A I R 1924 Cal 849. यदि किसी हुक्मकी अपील अदालत जिलामें न होता होवे परन्तु अदालत जिला अपील सुन कर अपना फैसला दे देवे तो हाईकोर्टको अधिकार है कि वह अदालत जिलाके किये हुए फैसलेको रद्द कर देवे, देखो—42 I C 287

यदि किसी मृतक कर्जख्वाहके वारिसोंको नोटिस न दिया गया हो तो इसकी वजहसे फैसला रद्द नहीं हो जावेगा परन्तु उन वारिसोंको यदि उनका नाम मिसिलमें नहीं आया हो उस कार्रवाईको दुबारा चालू करनेका अधिकार प्राप्त है, देखो— A I R. 1926 Cal 1210.

इस एक्टमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अपील प्रिवी कौंसिलमें की जासकती है या नहीं इसमें यह प्रकट होता है कि यदि प्रिवी कौंसिलमें अपील करनेका अधिकार प्राप्त हो तो उसके लिये इस एक्टके कारण कोई रुकावट नहीं पड़ेगी, देखो—27 Bom 415

यदि दफा २५ के अनुसार दिवाले की दरख्वास्त नामञ्जूर कर दी गई हो और उसकी अपील भी हाईकोर्ट द्वारा आर्डर ४१ रूल ११ के अनुसार खारिज कर दी गई हो तो प्रीवी काउन्सिलमें अपील होना उचित है, देखो—40 Cal 685.

उपदफा (४) में अपील की मियादें बतलाई हैं। अदालत जिलामें ३० दिनके अन्दर तथा हाईकोर्टमें ९० दिनके अन्दर अपील दाखिल की जाना चाहिये यही मियाद दीवानी की अपीलोंके लिये भी रखी गई है। यदि अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरने किसी गैर शख्स की जायदादको कुर्क कर लिया हो तथा उसका कुछ हिस्सा नीलाम कर दिया हो और जायदादके मालिकाननें अदालत जिलाके यहां इस कुर्की व नीलामके विरुद्ध दरख्वास्त दी हो परन्तु वह दरख्वास्त मियादके बाहर होनेके कारण नामञ्जूर कर दी जावे तो यह तय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जजके इस फैसलेके विरुद्ध अपील की जासकती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजके इस फैसलेसे अपीलाण्टकी हानि पहुँचती है, देखो—A. I. R. 1928 Cal 263 (2), 107 I. C. 467.

सातवां प्रकरण

विविध (मुतफर्रिक)

दफा ७६ खर्चा

इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार की हुई कार्यवाईका खर्च तथा कर्ज़दारको दीवानी जेलमें रखनेका खर्च उस अदालतकी मर्जी पर होगा जिसके सामने मामला पेश हो।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें किये हुए खर्च तथा दिवालियेको कारागारमें रखनेके खर्चके बारेमें यह बतलाया गया है कि अदालत इस सम्बन्धमें जैसा हुक्म देना उचित समझे दे सकती है दीवानीके मामलोंमें मदयूनको जेलमें रखनेका खर्च गिरफ्तार कराने वाले डिक्रीदारको बरदाश्त करना पड़ता है परन्तु दिवालियेके मामलेमें ऐसा नहीं है। इस दफा के अनुसार हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है वह खर्चा दिलानेके लिये किसी मामलेमें बाध्य नहीं है परन्तु समयोचित व वाकियातका ध्यान रखते हुए ही अदालतको खर्च पानेका हुक्म देना चाहिये। जैसे कि बहुतसे मामलोंमें खर्च दिवालियेकी जायदाद पर ही पड़ना चाहिये परन्तु बहुतेरे मामलोंमें जिनमें कि गैर शख्स या कोई कर्जख्वाह वृथाकी कार्रवाई करके परेशान करे तो ऐसी कार्रवाइयोंका खर्च उन्हीं लोगोंसे दिलवाया जाना चाहिये।

दफा ७७ अदालतें एक दूसरेको मदद देवेंगी

वह सब अदालतें, जिन्हें दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाकिम एक दूसरेको दिवालेके मामलोंमें मदद देंगे और अगर कोई अदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुक्म देगी तो उस दूसरी अदालतको उस मदद चाहने वाले मामलेके लिये जिसका जिक्र हुक्ममें होगा वही अधिकार होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंको हो सकते हैं।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि एक अदालत किसी दूसरी अदालतका दिवालिया सम्बन्धी कार्य करनेके लिये लिखे तो उस दूसरी अदालतको उस कार्यके करनेमें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो पहिले अदालतको उस कार्रवाईके सम्बन्धमें प्राप्त हैं। और साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि दिवाला सम्बन्धी कार्य करने वाली अदालतों तथा उनके हाकिमोंका कर्तव्य होगा कि वह एक दूसरेकी सहायता उन मामलोंके करनेमें करें।

दफा ७८ मियाद

(१) इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलों तथा दी हुई दरख्वास्तोंके लिये सन् १६०८ ई० के कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम लागू होंगे तथा ऊपर कही हुई दफा १२ के अनुसार इस एक्टकी दफा ४ का फ़ैसला बतौर डिक्रीके समझा जावेगा।

(२) अगर दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म इस एक्टके अनुसार मंसूख कर दिया गया है तो, दिवालिया करार दिये जाने वाले वक्तसे मंसूखीके वक्त तकका समय, उस मुकद्दमे या दरख्वास्तकी हुक्मदा मियादमें से घटा दिया जावेगा जो उस वक्त चालू होते जब कि इस एक्टके अनुसार कोई हुक्म न दिया गया होता, लेकिन यह नियम उन मुकद्दमे या दरख्वास्तोंके लिये लागू नहीं होगा जिनके लिये अदालतने दफा २८ (२) के अनुसार हुक्म दे दिया हो।

परन्तु अगर कोई कर्ज जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता हो मगर वह साबित न किया गया हो तो ऐसे कर्जेसे सम्बन्ध रखने वाले मुकद्दमे या दरख्वास्तके लिये इस दफाकी कोई बात लागू नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि क़ानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलों तथा दरख्वास्तोंमें लागू होंगे। इस दफाके बननेसे पहिले इस बातके लिये बड़ा मतभेद था कि क़ानून मियादकी दफा १२ व दफा ५ क़ानून दिवालियाके लिये प्रयोग की जासकती हैं या नहीं, परन्तु इस दफाके बननेसे वह सब मतभेद दूर हो गया है। चूंकि दफा ५, व १२ का खास तौरसे उल्लेख कर दिया है इससे यह प्रकट होता है कि क़ानून मियादकी और दफायें क़ानून दिवालिया सम्बन्धी कार्रवाइयोंके लिये लागू नहीं हैं यदि उनका लागू होना और किसी तरीक़ेसे न पाया जावे। यह भी जान लेना आवश्यक है कि क़ानून मियादकी दफा ५ व १२ क्या हैं।

क़ानून मियादकी दफा ५ "यदि अपीलान्ट या सायल अदालतको इस बातका विश्वास दिलादे कि वह किसी खास कारणकी वजहसे नियत किये हुए समयके अन्दर अपील नहीं दायर कर सका था या दरख्वास्त नहीं दे सका था तो उसकी अपील या नज़रसानीकी दरख्वास्त (Review) मियादके बाद भी ली जासकेगी अथवा अपील करनेके लिये आज्ञा या कोई दूसरी दरख्वास्त जिसके लिये कानूनन् यह दफा लागू होगी मियादके बाद दीजासकेगी। विवरण—यदि हाईकोर्टकी किसी नज़ीरसे, हुक्म या अमलमें आने वाली कार्रवाईके कारण किसी अपीलान्ट या दरख्वास्त कुनिन्दाने मियाद समझने या जोड़नेमें गलती की हो तो यह मियाद बढ़ानेके लिये काफी वजह समझी जासकती है।"

क़ानून मियादकी दफा १२ "किसी मुकद्दमे, अपील या दरख्वास्तके लिये मियाद जोड़ने समय वह दिन जिस दिनसे कि मियाद जोड़ना चाहिये उसमेंसे छोड़ दिया जावेगा अर्थात् उस दिनका शुमार उस मियादके अन्दर न किया जावेगा।

(२) किसी अपील नजरसानी (Review) या अपील करनेकी आज्ञा लेने वाली दरख्वास्तके लिये वह दिन जिस दिन कि फैसला सुनाया गया हो मियादके अन्दर नहीं गिना जावेगा और जिस फैसले या हुक्मकी अपील की जाती हो या जिसके लिये दरख्वास्त दी जाती हो उसकी नकल हासिल करनेमें जो समय लगेगा वह भी मुकर्ररमें नहीं जोड़ा जावेगा।

(३) यदि किसी डिग्री की अपील की जाय या उसके नजरसानी (Review) की दरख्वास्त दी जावे तो जो समय उस डिग्रीकी नकल लेनेमें लगेगा वह मियादके अन्दर नहीं जोड़ा जावेगा।

(४) यदि कोई दरख्वास्त किसी फैसला सालसी (Award) की मन्सूखीके लिये दी जावे तो जो समय उस फैसला सालिसी की नकल हासिल करनेमें लगेगा वह मियाद मुकर्ररमें शुमार नहीं किया जावेगा।"

ऊपर दी हुई कानून मियादकी दफा ५ व १२ को देखनेसे यह मालूम हो जावेगा कि यह दोनों दफायें मियादोंको बढानेके सम्बन्धमें हैं। दफा ५ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियत किये हुए समयके अन्दर कोई कानूनी कार्रवाई किसी खास रुकावटकी वजहसे न कर सका हो तो अदालत ऐसा विश्वास दिलाये जाने पर मियाद समाप्त होनेके बाद भी उस कार्रवाईको मंजूर कर सकती है।

दफा १२ कानून मियाद में यह बतलाया गया है कि जो समय नकल हासिल करनेमें लगेगा वह भी अलावा मियादके अपील करने वाले या दरख्वास्त देने वालेको मिल सकेगा यदि उस नकलका हासिल करना आवश्यक हो साथ ही साथ इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि जिस दिन फैसला या हुक्म सुनाया जावे उस दिनको भी मियादमें नहीं जोड़ेंगे अर्थात् उसके दूसरे दिनसे मियादका समय जोड़ा जावेगा।

कानून मियादकी दफा ५ के देखनेसे यह प्रकट होता है कि उसके अनुसार मियाद बढानेके लिये अदालत बाध्य नहीं है उसका बढाना न बढाना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी शब्दमें (May) शब्दके प्रयोगसे प्रकट होता है परन्तु कानून दिवालियाकी कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें उस दफासे वैसा ही फायदा उठाया जा सकता है जैसा कि बाकी दीवानीके और कार्योंके लिये उठाया जा सकता है।

दफा १२ **कानून मियादके देखने** से यह बात भली भांति प्रकट है कि नकलका समय व फैसला सुनाया जाने वाला दिन मियादमें हर्गिज शामिल नहीं किया जाना चाहिये अर्थात् वह अपील करने वालेको या दरख्वास्त देने वालेको अवश्य छूटमें दिये जावेंगे। इन दोनों दफाओंके कानून दिवाला की कार्रवाइयोंमें लागू हो जानेसे दिवालेकी कार्रवाइयोंमें बड़ी सुविधा हो गई है। इस दफामें यह भी साफ कर दिया गया है कि दफा ४ के अनुसार दिये हुए हुक्मको भी कानून मियाद की दफा १२ के अनुसार डिग्री ही समझना चाहिये।

उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मन्सूख कर दिया हो तो वह समय जो दिवालिया करार दिये जाने व मन्सूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता हो मियादमें बढा दिया जावेगा क्योंकि इन तारीखों के दर्मियान किसी कर्जख्वाहको नालिश करनेका हक नहीं रहता है तथा एक प्रकारसे उसकी कार्रवाई इस दरमियानमें रोक दी जासकती है इस कारण इस मियादका असली कानूनी मियादमें जोड़ दिया जाना उचित प्रतीत होता है और इसी वास्ते लेजिस्लेचरने यह उपदफा इसमें जोड़ दी है। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि उपदफा इन दो प्रकारके मामलोंमें लागू नहीं होवेगी (१) जब कि दफा २८ (२) के अनुसार नालिश दायर करने या दरख्वास्त देने की आज्ञा ली जाचुकी हो तथा (२) जब कि नालिश या दरख्वास्त ऐसे कर्जेके सम्बन्धमें होवे जो कि साबित किया जासकता हो परन्तु साबित नहीं किया गया हो। इससे यह प्रकट है कि वही कर्जख्वाह इस उपदफासे लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने अपना कर्जा इस एक्टके अनुसार साबित कर दिया हो।

यदि दफा २८ (२) के अनुसार नालिश करने व डिक्री इजराय कराने की आज्ञा ऐसी शर्तोंके साथ दी गई हो जिनकी वजहसे वह डिक्री जारी नहीं कराई जासकती हो तो ऐसी आज्ञाका कोई असर नहीं रहता है और इस आज्ञाके होते हुए भी कर्जख्वाहको मियादमें वह समय जो दिवालिया करार देने व मसूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता है मियाद दिया जावेगा, देखो—A. I. R. 1925 All. 735.

इस दफाके अन्तमें जो शर्त लगा दी गई है वह बड़े महत्व की है व उसका जिक्र ऊपर किया जाचुका है अर्थात् यह कि यह दफा उन्हीं कर्जोंसे सम्बन्ध रखने वाली नालिशों व दरख्वास्तोंके लिये लागू होगी जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं व साबित किये गये हों ऐसे कर्जोंके लिये नहीं जो साबित किये जासकते हैं पर साबित नहीं किये गये। यदि कोई व्यक्ति दिवालियेकी कार्रवाई जारी रहते हुए दिवालियेके विरुद्ध दावा कर देवे तो वह दफा ७८ से लाभ नहीं उठा सकता है। इस दफाका फायदा उसी शख्सको मिल सकता है जो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके बाद कार्रवाई करे, देखो—A. I. R. 1928 Mad 977.

गो कि दफा ७८ के अनुसार क़ानून मियादकी दफा ५ अपीलों व दरख्वास्तोंके लिये लागू है परन्तु इस दफा ५ का प्रयोग दिवालिया करार दिये जाने वाली दरख्वास्तके लिये नहीं होना चाहिये इस प्रकारका पिटीशन दफा ७८ के अनुसार दरख्वास्त नहीं है इस कारण यदि तीन महीनेसे अधिक की देर हो गई हो तो इस दफाके अनुसार कार्रवाई नहीं हो सकेगी देखो—A. I. R. 1928 Sind. 177.

दफा ४९ में कर्जा साबित करनेका एक सीधा तरीका बता दिया गया है लेकिन उसकी वजहसे कर्जेके किसी दूसरे तरीकेसे साबित होने में रुकावट नहीं पड़ती है इस कारण यदि दिवालियेने अपनी दरख्वास्तमें कोई कर्ज दिखला दिया हो तथा इसी प्रकार वह साबित हो चुका हो तो यह मान लिया जावेगा कि वह कर्जा साबित किया जाचुका है अत: वह कर्जख्वाह उस समयको मुजरे पानेका मुस्तहक़ है जो दिवालिया करार दिये जाने तथा दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके दरमियान पड़ता हो अर्थात् उसे दफा ७८ के अनुसार लाभ उठानेका अधिकार प्राप्त है, देखो—A. I. R. 1929 Cal. 159 (2)

दफा ७९ नियम बनानेके अधिकार

(१) कलकत्ता हाईकोर्ट (First Court of Judicative of Fort William in Bengal) सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दकी आज्ञा लेनेके पश्चात् तथा दूसरे हाईकोर्ट प्रान्तिक सरकार की आज्ञा लेनेके पश्चात् इस एक्टको कार्य रूपमें परिणित करनेके लिये नियम बना सकते हैं।

(२) पिछले अधिकारोंको मानते हुए तथा उनकी अवहेलना न करते हुए इन नियमोंमें नीचे दी हुई बातें हो सकती हैं:—

(ए) सरकारी रिसीवरों (Official Receivers) को छोड़ कर अन्य रिसीवरोंकी नियुक्ति तथा उनके भत्तेके लिये नियम तथा सब रिसीवरोंके हिसाब जांचनेके लिये प्रबन्ध व उस जँचाईके प्रबन्धका खर्च किस प्रकार होना चाहिये

(बी) कर्जख्वाहोंकी सभा किये जानेके नियम

(सी) जब कि कर्जदारके कोई दूकान (Firm) हो तो किस प्रकार कार्रवाई होना चाहिये

(डी) जिन जायदादोंका इन्तजाम सरसरीसे होना चाहिये उनमें किस प्रकार कार्रवाई होना चाहिये

(ई) किसी मामलेके लिये जो निर्धारित किया जानेको होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो।

(३) इस प्रकार बनाये हुए सब नियम गजट आफ़ इन्डिया (Gazette of India) या प्रान्तिक सरकारी गजटोंमें जैसा कि मौका हो प्रकाशित किये जावेंगे और प्रकाशित होनेके पश्चात् यह इस प्रकार समझे जावेंगे जैसे कि यह इस एक्टमें शामिल हों।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार सब हाईकोर्टोंको अपने अपने अधिकार सीमामें इस एक्टका प्रयोग करनेके लिये नियमोंके बनाने का अधिकार दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट गवर्नर जनरल इन्दकौंसिलकी आज्ञा लेनेके पश्चात् ऐसे नियम बना सकता है तथा दूसरे सब हाईकोर्ट अपनी प्रान्तिक सरकारकी आज्ञा लेने पर नियम बना सकते हैं। यह नियम इस एक्टमें बतलाई हुई बातोंको कार्य रूपमें परिणित करनेके लिये बनाये जावेंगे। इन नियमोंके बनानेके लिये हाईकोर्ट बाध्य नहीं हैं जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए 'May' शब्दसे प्रकट होता है अर्थात् नियमोंका बनाना या न बनाना हाईकोर्टकी इच्छा पर निर्भर है।

उपदफा (२) में दिखलाया गया है कि किन बातों या कामके लिये यह नियम बनाया जाना चाहिये साथ साथ यह भी बतला दिया गया है कि इस प्रकार बनाये हुए नियमोंसे इस एक्टमें दिये हुए अधिकारोंके विरुद्ध कोई असर नहीं पड़ना चाहिये। नियम ऐसे बनाये जावेंगे जिनसे इस एक्टके नियमोंमें कोई बाधा न पड़े।

क्लाज़ (ए) के अनुसार नियम रिसीवरकी नियुक्ति तथा उनके भत्तेके सम्बन्धमें होंगे व हिसाबकी जांच व उस जांच सम्बन्धी खर्चेके सम्बन्धमें होंगे परन्तु आफिशियल रिसीवरके सम्बन्धमें यह नियम नहीं होंगे।

क्लाज़ (बी) के अनुसार नियम कर्जख्वाहोंकी मीटिंगके सम्बन्धमें बनाये जासकेंगे।

क्लाज़ (सी) के अनुसार वह नियम बनाये जावेंगे जिनका प्रयोग किसी फर्मके दिवालिया करार दिये जानेमें किया जासकेगा।

क्लाज (डी) के अनुसार उन जायदादोंके इन्तजामके सम्बन्धमें नियम बनाये जासकेंगे जिनका इन्तजाम सरसरी तौरसे किया जानेको है अर्थात् जिस जायदादका प्रबन्ध अस्थायी है।

क्लाज (ई) के अनुसार नियम किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें बनाये जासकते हैं जो निर्धारित किया जानेको होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो। यह क्लाज (ई) बिल्कुल नया है और यह प्रान्तिक कानून दिवालिया संशोधक एक्ट न० २९ सन् १९२६ ई० के अनुसार जिसको गवर्नर जनरल इन्दकौंसिलकी स्वीकृति ९ सितम्बर सन् १९२६ ई० को प्राप्त हुई है, जोड़ा गया है।

क्लाज (सी) से यह प्रकट है कि फर्म भी दिवालिया करार दिये जासकते हैं इससे पहिले यह बात स्पष्ट नहीं थी। फर्म अपने शरीकदारोंका एक संयुक्त नाम है मगर फर्मका नाम एक प्रकारसे एक छोटा नाम है जो उसके हर शरीकदारके अलहदा अलहदा नामोंके बजाय रख दिया गया है, देखो—100 I. C. 112

इस प्रकार फर्म कानूनन् अपने हिस्सेदारोंसे एक अलहदा चीज नहीं है फर्मका नाम उसके सब शरीकदारोंको एक साथ प्रकट करनेके लिये रख दिया गया है। यदि कोई फर्म दिवालिया करार दिया जावे तो उससे उसके हर मेम्बरको दिवालिया करार दिया जाना समझना चाहिये। देखो—A. I. R. 1926 Sind 31, 100 I. C. 112 यदि कोई फर्म कर्जदार होवे तो दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त फर्मके नामसे होना चाहिये, देखो—72 I. C. 60.

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि इस दफ़ाके अनुसार जो नियम बनाये जावें वह गजट आफ इन्डिया या प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जाना चाहिये तथा इस प्रकार प्रकाशित किये जानेके समयसे वह नियम कानून के तौर पर समझे जावेंगे। जब तक इस प्रकार प्रकाशित न हों वे न माने जावेंगे।

दफा ८० सरकारी रिसीवरको अधिकारोंका दिया जाना

(१) हाईकोर्ट ऊपर दी हुई आज्ञाओंके लेनेके पश्चात् समय २ पर सरकारी रिसीवरों को नीचे दिये हुए सब या कोई अधिकार दे सकेगा लेकिन यह अधिकार उन्हीं मामलोंसे सम्बन्ध रखते हुए होंगे जिनके सुननेका अधिकार इस एक्टके अनुसार अदालतको होगा तथा अदालत रिसीवरके इन अधिकारोंमें परिवर्तन कर सकेगी:—

(बी) सूची तैयार करें और कर्ज़ख्वाहोंके सुबूत मंजूर या ख़ारिज कर सकें

(ई) ज़रूरी मामलोंमें दरमियानी हुक्म दे सकें

(एफ) एकतर्फा या बिला विरोध की हुई दरख्वास्तोंको सुन सकें तथा उनको तय कर सकें

(२) दफा ६८ में दिये हुए अपीलके नियमोंका ध्यान रखते हुए सरकारी रिसीवर द्वारा दिये हुए हुक्म व उसके किये हुए काम जो उसने ऊपर दिये हुए अधिकारोंके अनुसार किये हों वह बतौर अदालतके किये हुए हुक्म व कामके समझे जावेंगे।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लाज़ (ए), (सी) व (डी), प्रान्तिक दिवालिया कानून संशोधक एक्ट नं० २९ सन् १९२६ ई० के अनुसार इस दफासे निकाल दिये गये हैं। अब इस उपदफामें केवल क्लाज़ (बी), (ई) व (एफ) रह गये हैं।

क्लाज़ (ए) में दिया हुआ था "कि वह दिवालियेकी दरख्वास्तोंको सुन सकें तथा उसे दिवालिया क़रार दे सकें" तथा क्लाज़ (सी) में दिया हुआ था "कि वह बहाल (Discharge) का हुक्म दे सकें" तथा क्लाज़ (डी) में दिया हुआ था "कि वह तस्फीया या समझौते की स्कीम मंज़ूर कर सकें।" इस प्रकार इन क्लाज़ोंके अनुसार जो अधिकार रिसीवरको दिये जासकते थे अब संशोधित एक्टके अनुसार नहीं दिये जासकेंगे। इस उपदफामें उन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है जो हाईकोर्ट प्रान्तिक सरकार या भारत सरकारकी आज्ञा लेने पर आफिशियल रिसीवरको दे सकते हैं। जो अधिकार अब इस प्रकार दिये जासकते हैं वह इस उपदफाके क्लाज़ (बी), (ई) व (एफ) में दिये हुए हैं।

क्लाज़ (बी) के अनुसार सूची तैयार करनेमें रिसीवर कोई मामला क़तई तौरसे बहैसियत अदालतके नहीं तय करता है 41 Mad. 30 अर्थात् यदि रिसीवर किसी कर्ज़ख्वाहका नाम सूचीमें एक बार दर्ज करले तो उसमें दफा ५० के अनुसार परिवर्तन किया जासकता है या दफा ५३ के अनुसार भी कार्रवाई उस सम्बन्धमें की जासकती है। इस क्लाज़के अनुसार आफिशियल रिसीवरको सूची ही तैयार करनेके अधिकार नहीं दिये जासकते हैं किन्तु उसे कर्ज़ख्वाहोंके सुबूत मंज़ूर करने तथा उनके ख़ारिज करनेके अधिकार भी दिये जासकते हैं।

क्लाज़ (एफ) के अनुसार आफिशियल रिसीवरको एकतर्फी दरख्वास्तें सुननेका अधिकार दिया जासकता है जिनका विरोध न किया जारहा हो तथा वह ऐसी दरख्वास्तोंका फैसला भी कर सकता है। परन्तु ऐसी दरख्वास्तोंका विरोध होतेही उसे उस दरख्वास्तके सुनने या उसका फैसला करनेका अधिकार नहीं रहेगा क्लाज़ (ई) के अनुसार वह ज़रूरी मामलोंमें दरमियानी (Interim) हुक्म भी दे सकता है।

रिसीवर तथा आफिशियल रिसीवरमें जो अन्तर इस दफासे प्रकट होता है वह यह है कि आफिशियल रिसीवर दफा ८०

के अनुसार दिये हुए अधिकारोंके कारण अदालती (Judicial) अधिकार बर्त सकता है परन्तु मामूली रिसीवरको इस प्रकारके अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

उपदफा (२) दफा ६८ के अनुसार आफिशियल रिसीवरके हुक्मोंकी अपील अदालतमें की जासकती है उसकी अपील हाईकोर्टमें नहीं की जाना चाहिये देखो—38 Mad. 15. यदि इस दफाके अनुसार दिये हुए अधिकारोंके आधार पर आफिशियल रिसीवर कोई फैसला करे या हुक्म देवे तो उसे अदालत द्वारा दिया हुआ फैसला या हुक्म मानना चाहिये है। उस फैसलेकी या हुक्मकी अपील अदालतमें अवश्य की जासकती है यदि अपील न की गई हो तो वह फैसला या हुक्म बदस्तूर क़ायम रहेगा व उसे अदालत द्वारा दिया हुआ हुक्म या फैसला मानना चाहिये।

दफा ८१ प्रान्तिक सरकार द्वारा कुछ नियमोंका प्रयोग कुछ अदालतोंके लिये रोका जाना

प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सपरिषद् गवर्नर जनरल (Governor General in Council) की स्वीकृति लेनेके पश्चात् प्रान्तिक सरकारी गजट द्वारा यह घोषित कर देवे कि उसके शासित प्रदेशके किसी हिस्सेकी अदालत या अदालतोंके दिवालिया सम्बन्धी कार्रवाइयों के लिये इस एक्टके शिड्यूल नं० २ (Schedule II) में दिये हुए कौनसे नियम लागू नहीं होंगे।

व्याख्या—

चूंकि देशके सभी भाग एक प्रकारके नहीं होते हैं इस कारण यह उचित समझा गया है कि प्रान्तिक सरकारोंको अधिकार दे दिया जावे कि जिसमें वह अपने शासित प्रदेशके किसी भागमें यदि किसी नियमका प्रयोग किया जाना उचित न समझे तो उसका प्रयोग वहां न होने देवे। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि प्रान्तिक सरकार इस दफामें बतलाये हुए अधिकारका प्रयोग उसी समय कर सकेगी जब कि वह इसके लिये सपरिषद गवर्नर जनरलसे स्वीकृति ले चुकी हो अन्यथा नहीं। और इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि यह दफा कानून दिवालियाके हर नियमके लिये लागू नहीं है किन्तु इसका प्रयोग केवल उन्हीं नियमोंके सम्बन्धमें किया जासकता है जो सूची नं० २ (Schedule II) में दिये हुए हैं। प्रान्तिक सरकार अपने शासित प्रदेशकी अदालत या अदालतोंके लिये ही इस प्रकार की घोषणा कर सकती है। अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि कोई प्रान्तिक सरकार इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह आवश्यक समझे व जिन नियमोंके लिये आवश्यक समझे इस दफाकी शर्तोंका ध्यान रखते हुए उक्त घोषणा कर सकती है अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि इस दफाके अनुसार की हुई प्रान्तिक सरकार की घोषणाका मानना आवश्यक है अर्थात् उसकी अवहेलना नहीं की जासकती है। इस दफामें बतलाई हुई घोषणाका प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाना भी एक आवश्यक बात है।

दफा ८२ बचत (Savings)

इस एक्टमें बतलाई हुई :—

(ए) किसी बातका प्रभाव प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सालवेन्सी एक्ट १६०६ (The Presidency Towns Insolvency Act 1909) या लोअर बर्मा कोर्ट्स एक्ट १६०० (Lover Burma Courts Act 1900) की दफा ८ पर नहीं पड़ेगा, अथवा

(बी) कोई बात उन मामलोंके लिये लागू नहीं होगी जिनके लिये दक्खिण एग्रीकलचरिस्ट्स रिलीफ एक्ट १८७९ (The Dekkhan Agriculturists' Relief Act 1879) का चौथा अध्याय (Chapter IV) लागू है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टका कोई प्रभाव प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्ट पर नहीं पड़ता अर्थात् वह एक्ट इससे भिन्न है तथा उसका प्रयोग जिस प्रकार होना बतलाया गया है या जिन स्थानोंमें होना बतलाया गया है वहां उसी प्रकार किया जावेगा उसकी अवहेलना नहीं की जासकती है। इसी क्लाज (ए) में यह भी बतलाया गया है कि लोअर बर्मा कोर्ट्स एक्ट १९०० की दफा ८ पर भी इस एक्टका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् उसकी भी अवहेलना नहीं की जासकेगी। क्लाज (बी) के अनुसार दक्षिण एग्रीकलचरिस्ट्स् रिलीफ एक्ट १८७९ का चौथा अध्याय जिन मामलों के लिये लागू होगा उन मामलोंमें भी यह एक्ट लागू नहीं हो सकेगा।

दफा ८३ मंसूखी (Repeals)

(१) . ...(मंसूख होगया)

(२) यदि इस एक्टके प्रारम्भ होते समय किसी प्रचलित कानून या दस्तावेजमें सन् १८७७ या १८८२ ई० के जावता दीवानीके बीसवें प्रकरण (Chapter XX) का हवाला दिया गया हो या उन प्रकरणोंकी किसी दफाका हवाला दिया गया हो तो जहां तक हो सकेगा उन हवालों के लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाले इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी दफाके हैं (ऊपर कहे हुए बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मद्यूनका जिक्र है)।

व्याख्या—

इस दफाकी पहिली उपदफा रिपीलिंग एक्ट १९२७ [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] द्वारा रद्द कर दी गई है अर्थात् अब इस दफामें केवल उपदफा (२) ही रह गई है सन् १८७७ व १८८२ ई० के जावता दीवानीके बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मद्यूनका उल्लेख है। इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि उस बीसवें प्रकरणका हवाला कहीं दिया गया हो तो उन हवालोंके लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाले इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी दफाके हैं।

सूची नं० १ (Schedule. I.)

देखो दफा ७५ (२).

वह फैसले व हुक्म जिनकी अपील दफ़ा ७५ (२) के अनुसार हाईकोर्टमें हो सकती है।

दफा	फैसले व हुक्मोंका स्वभाव
४	हक (Title) (Priority) आदि सम्बन्धी प्रश्नोंका फैसला जो इन्सालवेन्सीमें पैदा हों
२५	पिटीशनको खारिज करनेका हुक्म
२६	मुआविज़ा (Compensation) दिलाये जानेका हुक्म
२७	दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म
३३	सूची (Schedule) के इन्दराजके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्म
३५	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूख़ीका हुक्म
३७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मंसूख किये जाने पर दिवालियेकी जायदाद जिन शर्तोंके साथ दिवालियेको मिलेगी उन शर्तोंके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्म
४१	बहाल (Discharge) होने वाली दरख्वास्त पर हुक्म
५०	सूचीमें इन्दराज न किये जाने तथा उसके इन्दराजमें कमी किये जानेके हुक्म
५३	अपने आप (Voluntary) किये हुए इन्तकाल (Transfer) की मसूख़ीका हुक्म
५४	इस बातका फैसला कि कोई इन्तकाल किसी कर्जख्वाहको तर्जीह (Preference) देनेके लिये किया गया है
	नोट.—रिपीलिंग एक्ट सन् १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा इस सूचीका आख़िरी इन्दराज जो दफ़ा ६९ के बाबत था हटा दिया गया है उसमें इस प्रकार दिया हुआ था।
६९	इस दफाके अनुसार किये जुर्मके सम्बन्धमें जुर्म साबित होने तथा सजा दिये जाने पर (मसूख है)

सूची नं० २ (Schedule. II.)

देखो दफा ८१.

एक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोका जासकता है।

एक्टके नियम	विषय
दफा	
२६	मुआविजेका दिलाया जाना (Award of Compensation)
२८ उपदफा (३)	दिवालियेकी कहलाने वाली जायदाद
३४	इस एक्टके अनुसार साबित हो सकने वाले कर्जे
३८, ३९, ४०	तस्फीया व तय करनेकी स्कीमें (Composition and Schemes of Arrangements)
४२ उपदफा १, २	पूर्ण रूपसे बहाल (Absolute Discharge) होनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें कर्तव्य
४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०	कर्जा साबित करनेका ढंग
५१, ५२, ५३, ५४, ५५	पिछले किये हुए सौदों (Antecedent Transactions) पर दिवालेका प्रभाव
६१ उपदफा (१) के क्लाज (ए) व उपदफा (४) को छोड़कर	कर्जोंका एक दूसरेसे पेश्तर चुकाया जाना (Priority of debts)
६२, ६३, ६४, ६५,	हिस्सा रसदी (Dividends)
६६	दिवालिये द्वारा प्रबन्ध तथा उसको दिया जाने वाला भत्ता
७२	बिला बहाल हुए दिवालिये द्वारा कर्ज लिये जाने पर उसके लिये दण्ड

सूची नं० ३ (Schedule. III.)

देखो दफा ८३.

यह सूची रिपीलिंग एक्ट १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा हटा दी गई है।

इस सूचीमें सन् १९०७ व १९१४ ई० के एक्टोंका उल्लेख था व यह बतलाया गया था कि वह किस हद तक मंसूख कर दिये गये हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट रूल्स (Calcutta High Court Rules)

निम्न लिखित रूल्स (Rules) कलकत्ता हाईकोर्टने प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट नं० ५ सन् १९२० ई० की दफा ७९ में दिये हुए अधिकारोंके आधार पर बनाये हैं जिनके लिये भारत सरकार (Governor General in Council) की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है सर्व साधारणके सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं :—

प्रान्तिक क़ानून दिवाला एक्ट ५ सन् १९२० ई०

एक्ट ५ सन् १९२० ई० की दफा ७९ के अनुसार बनाये हुए नियम।

१　नीचे दिये हुए नियम प्रान्तिक कानून दिवालाके रूल्स कहलायेंगे। इन नियमोंमें जो नमूने (Forms) बतलाये गये हैं उनका प्रयोग समयोचित परिवर्तनके साथ उन बातोंके लिये किया जावेगा जिनसे कि उनका सम्बन्ध भिन्न भिन्न रूपसे है।

नोट :—नमूने आगे चल कर सिविल प्रोसेस फार्म (Civil Process Forms) नं० १३७ से नं० १५० तक दिये गये हैं।

२　हर एक दिवालेकी दरख्वास्त दिवालेके रजिस्टरमें चढ़ाई जावेगी और यह रजिस्टर दिवालेके सम्बन्धमें कार्रवाई करने वाली हर एक अदालतके पास रक्खे जावेंगे। इस रजिस्टरमें सर्वाबी संख्या (Serial Number) दी जावेगी और उस मामलेके सम्बन्धमें जो सब कार्रवाइयां बादमें की जावेंगी उनमें वही संख्या (Number) रक्खी जावेगी।

३　दिवालिया सम्बन्धी सब कार्रवाइयोंका मुआयना उन समयों पर तथा उन शर्तोंके साथ किया जासकता है जो डिस्ट्रिक्ट जज नियत करे और यह मुआयना रिसीवर, कर्जदार या कोई कर्जख्वाह जिसका कर्ज साबित हो चुका है कर सकता है या इनका ओरसे इनके कानूनी मुमाइन्दे (Legal Representative) कर सकते हैं।

४.　जब कभी किसी नोटिस या किसी दूसरे मामलेका इस एक्ट या इन नियमोंके अनुसार सरकारी गजट (Official Gazette) में प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandem) जिसमें कि प्रकाशित होने वाली तारीख व गजटका हवाला दिया हुआ होगा मिसिलमें शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्दराज फर्द अहकाम (Order Sheet) में भी कर दिया जावेगा।

५　दफा १९ (२) के अनुसार पिटीशनके सुने जानेकी तारीख नियत किये जानेका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजट (Local Official Gazette) में प्रकाशित किया जावेगा तथा उन अखबारोंमें भी वह नोटिस मुश्तहर किया जावेगा जिनके लिये अदालत हुक्म देवे। नोटिसकी एक एक नकल रजिस्ट्री खत द्वारा सब कर्जख्वाहोंके पास उनके उस पतेसे भेजी जावेगी जो पिटीशनमें दिया गया हो। यही तरीका उन नोटिसोंके सम्बन्धमें भी प्रयोग किया जावेगा जो दफा ३८ (१) के अनुसार तस्फीयेके प्रस्ताव या तय करनेकी स्कीम (Scheme of Arrangement) के लिये दिये जानेको होंगे।

६.　दफा ३० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है उन समाचार पत्रों

Newspapers) में भी प्रकाशित की जासकती हैं जिनके लिये अदालत आज्ञा देवे। यदि कर्जदार सरकारी हाकिम (Government Servant) होवे तो इस हुक्मकी नकल उस आफिसके सबसे बड़े हाकिम Head of the Office) के पास भेजी जावेगी जहां कि वह कर्जदार नौकर होवे।

यही तरीका (Procedure) उन हुक्मोंकी सूचना (Notice) के सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा | दफा ३७ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके लिये दिये जावेंगे।

७. दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदालत द्वारा दिये जानेको हों उनकी तामील कर्जख्वाह या उसके कील पर की जावेगी या वह नोटिस रजिस्टी खत द्वारा भेजा जावेगा।

८. अन्तिम हिस्सा रसदी (Final dividend) बांटनेसे पहिले रिसीवर दफा ६४ के अनुसार जो टिस उन कर्जख्वाहोंके नाम जारी करेगा जिनका कर्जख्वाह होना तस्लीम किया जाचुका है परन्तु जिनके कर्ज ाबित नहीं किये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजे जावेंगे।

९ दफा ४१ (१) के अनुसार बहाल (Discharge) की दरख्वास्त सुननेके लिये जो तारीख नयत की जावे उसकी सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित की जावेगी तथा उन समाचार त्रोंमें भी दी जावेगी जिनके लिये जज आज्ञा देवे और इसकी नकलें सब कर्जख्वाहोंके पास रजिस्ट्री खत द्वारा भेजी जावेंगी चाहे उन्होंने अपना कर्जा साबित किया हो या न साबित किया हो।

१० यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें डाकखानेकी रसीद दाखिल की जावें था अदालतके किसी अफसर या आफिशल् रिसीवर का सर्टीफिकेट या किसी अन्य रिसीवरका हलफनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो वह इस बातकी काफी शहादत मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पतेमें भेजे गये हैं उसको ठीक तौरसे भेजे गये हैं।

११ प्रकाशित किये जानके निर्धारित नियमोंके अतिरिक्त अदालतकी आज्ञानुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जासकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें चिपकवा देनेसे अथवा जिस गांवमें दिवालिया रहता हो वहां मुनादी करा देनेसे।

रिसीवर

१२ रिसीवरकी नियुक्तिका हुक्म लिख कर तथा अदालतके हस्ताक्षर होकर दिया जावेगा। इस हुक्म की नकल अदालतकी मोहर लगा कर कर्जदारके पास भेजी जाना चाहिये तथा वह नकलें नियुक्त किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जाना चाहिये।

१३. (१) अदालतको चाहिये कि वह रिसीवरका श्रमफल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकड़ाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे एक भाग महफूज कर्जख्वाहों (Secured Creditors) की जमानतों (Securities) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया वसूल किया जावे उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस रकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जो वह हिस्सा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे।

(२) जब कि रिसीवर महफूज कर्जख्वाहोंकी जमानत (Security) का रुपया वसूल करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा कर्जख्वाहोंके लाभ को देखते हुए अधिक श्रमफल (Remuneration) दिला सकती है।

१४ रिसीवर रोकड़ या अन्य हिसाबकी किताबें तथा कागजात रखेगा जिसमे जायदाद सम्बन्धी उसके प्रबन्धका ठीक ज्ञान हो सके और वह हिसाब किताब उन समयों पर तथा उस प्रकार दाखिल करेगा जिस प्रकार कि अदालत हुक्म देवे। उन हिसाबोंकी जांच वह लोग करेंगे जिनके लिये अदालत हुक्म देवे। हिसाब की जांच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगी और वह दिवालिये की जायदादसे दिया जावेगा।

१५. वह कर्जख्वाह जो अपना कर्ज साबित कर चुका है अदालतमें इस बातकी दरख्वास्त दे सकता है कि उसको रिसीवरके कुल हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे और जो कि कोर्टमें उस वक्त तक दिखलाया जा चुका हो और उसको वह खर्चा अदा करने पर नकल दी जावेगी जो इस अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंके प्राप्त करनेके लिये बतलाये गये हैं।

१६. यदि किसी मामलेमें कर्जख्वाहोंकी मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता हो और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तस्फीया या तय किये जाने की स्कीम (Scheme) दफा ३८ के अनुसार चाहता हो तो रिसीवर ७ दिनका नोटिस कर्जदार व सब कर्जख्वाहोंको इस बातके लिये देगा कि ऐसी मीटिंग किस तारीख पर तथा किस स्थान पर होगी। ऐसे नोटिस रजिस्ट्रीशुदा खत द्वारा दिये जावेंगे।

कर्जोंका साबित किया जाना

१७ कर्जख्वाहोंका सुबूत सिविल प्रासेस फार्म नं० १४६ [Civil Proces Form No 146 in Volume II] के अनुसार समयानुकूल परिवर्तनके साथ होना चाहिये।

१८. यदि किसी मामलेमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरों व दूसरे काम करने वालों की उजरत (Wages) के बहुतसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुबूत या उन सब कर्जख्वाहों की तरफसे किसी दूसरे व्यक्तिका सुबूत पर्याप्त समझा जावेगा। इस प्रकारका सुबूत सिविल प्रोसेस फार्म (Civil Process Form No. 147 in Volume II) के अनुसार होना चाहिये।

यदि कर्जदार कोई फर्म (Firm) होवे तो उसका तरीका।

१९. यदि किसी सूचना (Notice), एलान (Declaration), दरख्वास्त (Petition) या किसी दूसरी दस्तावेजके तसदीक (Attestation) की आवश्यकता हो और उस पर किसी कर्जख्वाहों या कर्जदारोंके फर्म के दस्तखत फर्मके नामसे किये जावें तो जो हिस्सेदार फर्म की ओरसे दस्तखत करे उसको अपने भी दस्तखत करना पड़ेंगे जैस कि ब्राउन एण्ड कम्पनी बजरिये जेम्सग्रीन फर्मका एक शरीकदार " Brown & Co by james Green a Partener in the said firm"

२०. यदि किसी सूचना (Notice) या दरख्वास्त (Petition) की तामील खास तौरसे होना आवश्यक हो और उसकी तामील अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर उस फर्मके खास रोजगार की जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्मका प्रबन्ध या देखरेख करने वाले व्यक्ति पर की गई होगी तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी तामील बाकायदा फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है।

२१. पिछली दफामें बतलाया हुआ नियम जहां तक मामलेके अनुसार मुमकिन होगा उस मामलेमें भी लागू होगा जब कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे नामसे अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर कारोबार करता होवे।

२२. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालिये की दरख्वास्त देवे तो उस दरख्वास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होने और यदि उस दरख्वास्तमें फर्म की तरफसे किसी एक शरीकदारने दस्तखत किये हों तो उस

दस्तावेजके साथ उस शरीकदारको एक हलफनामा लगाना पड़ेगा कि फर्मके सब शरीकदारों की राय उस दस्तावेजको देनेके लिये है।

२३ यदि किसी फर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे तो यह समझा जायगा कि फर्मके वह सब शरीकदार जो हुक्म देते समय शरीकदार हैं दिवालिया करार दे दिये गये हैं।

२४ साझेके मामलामें कर्जदार साझेके मामलोंके सम्बन्ध की सूची (Chedule) पेश करेंगे और हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामले की सूची भी पेश करेगा।

२५ संयुक्त कर्जख्वाह तथा कर्जख्वाहों के अलहदा २ समूह अलहदा २ तस्फीया या तय होने की स्कीमको मंजूर कर सकते हैं। जहांतक मुमकिन हो सकेगा संयुक्त कर्जख्वाहों द्वारा मंजूर किया हुआ प्रस्ताव निर्धारित रूपसे स्वीकार किया जायगा बिला इस बातका ख्याल किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जख्वाह या कर्जख्वाहान उस तस्फीया या स्कीम को स्वीकार नहीं किया है।

२६. यदि तस्फीया या स्कीम का प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो अथवा फर्म के शरीकदारोंने अलहदा २ तौर से किया हो तो संयुक्त कर्जख्वाहों को किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और उसपर उनके वोट लिये जावेंगे उस समय अलहदा कर्जख्वाहोंके समूहोंका अलहदा ध्यान नहीं दिया जावेगा। और जो प्रस्ताव कर्जख्वाहों के किसी खास समूह से किया गया हो उसपर वह समूह अलहदा से विचार करेगा व वोट देगा कुल कर्जख्वाहों से उसका सम्बन्ध नहीं होगा। यह प्रस्ताव भिन्न २ रूपसे तथा भिन्न २ तारीखके लिये किये जा सकते हैं। जब कि तस्फीया या स्कीम स्वीकार करली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म उसी हद तक मसूख होगा जहां तक कि उसका उस जायदाद से तात्लुक है जिसके कर्जख्वाहों ने तस्फीया या स्कीम को मान लिया है।

२७ यदि किसी शराकती फर्म के दो या दो से अधिक मेम्बरान कोई जुदागाना फर्म चलाते हों तो उस जुदागाना फर्मके कर्जख्वाहान एक जुदागाना कर्जख्वाहों का समूह समझा जावगा। और वह उसी प्रकार समझे जावेंगे जैसे कि फर्मके किसी मेम्बरके अलहदा से कर्जख्वाहान होवें। यदि ऐसे जुदागाना फ[illegible] (Assets) से कोई फाजिल रकम बचे तो वह उस फर्मके शरीकदारों से हिस्सा रसदीके हिसाब से उनकी अलहदाकी जायदाद में ले जाई जावेगी।

दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद का बेचा जाना।

२८ यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं एक्टकी दफा ५८ के अनुसार दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद को बेचे तो उस जायदाद के लिये दस्तावेज बयनामा खरीदार अपने खर्चसे तैयार करायेगा और उस अदालतके हाकिम के दस्तखत होंगे। यदि रजिस्ट्रीका कोई खर्च होगा तो वह भी खरीदार बरदाश्त करेगा।

हिस्सा रसदी (Dividends)

२९ हिस्सा रसदी (Dividend) का रुपया कर्जख्वाहके प्रार्थना करने पर उसके जिम्मेदारी पर डाकके जरिये भेजा जासकता है।

सरसरीकी कार्यवाई

३०. यदि दफा ७४ के अनुसार किसी जायदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किये जानेका हुक्म होवे तो अदालतके किसी खास हुक्मका ध्यान रखते हुए इस एक्टके नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारसे संशोधित होंगे।

(i) किसी कार्रवाईका प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या अन्य किसी समाचार पत्रमें नहीं किया जावेगा।

(ii) दरख्वास्त (Petition) पर तथा बादकी सब कार्रवाइयोंमें 'सरसरी का मामला' (Summary Case) लिख दिया जावेगा।

(iii) कर्जख्वाहोंको दरख्वास्त (Petition) के सुने जानेकी सूचना (Notice) सिविल प्रोसेस फार्म नं० १५० (Civil Process Form 150 Vol. II.) के अनुसार दी जाना चाहिये।

(iv) अदालत कर्जदारका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें लेगी परन्तु वह कर्जख्वाहोंकी मीटिंग करनेके लिये बाध्य नहीं है यो कर्जख्वाहोंको हक होगा कि उनकी जवाबदेही सुनी जावे तथा वह कर्जदारसे जिरह कर सकें।

(v) अधिकतर रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत दफा ५८ के अनुसार कार्रवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालियेकी कार्रवाईमें खर्चा कम हो जावे अर्थात् खर्चेकी बचत हो सके।

खर्चा।

३१. इन सब कार्रवाइयोंका खर्च जो दिवालिया करार दिये जानेके हुक्म तक होगा तथा जिसमें दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म भी शामिल है कार्रवाई करने वाले व्यक्ति पर रहेगा परन्तु जब दिवालिया करार दिये जाने वाला (Adjudication) हुक्म हो जावे तो दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहका उचित खर्च दिवालियेकी जायदादसे दिलवाया जावेगा।

३२. यदि तस्फीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जावे तो तस्फीया या स्कीमकी दरख्वास्तके लिये तथा उसके सम्बन्धमें किये हुए कर्जदारके खर्चेको उसकी जायदादसे नहीं दिलाया जावेगा।

सिविल प्रोसेस नं० १३७.

कर्ज़दारकी दरख्वास्त

दफा १२ प्रान्तिक क़ानुन दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

...........................साकिन

मैं (ए) अधिकतर (बी) का रहने वाला हूँ (या मैं व्यापार करता हूँ या लाभके लिये काम करता हूँ अथवा (सी) के हुक्मके अनुसार (डी) में हिरासतमें हूँ। अपने कर्ज़ोंकी अदायगीमें असमर्थ होनेके कारण दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त देता हूँ। मेरे ऊपर कुल (डी) रुपयेका कर्ज है जिसका इन्दराज तफ्सीलवार इस दरख्वास्तके साथ दी हुई सूची (ए) में दिया है और उस सूचीमें मेरे सब कर्जख्वाहोंके नाम व पते जहां तक मुझको मालूम हैं या जहां तक मुझको मालूम हो सके हैं दिये हुए हैं। मेरे पास जितनी जायदाद है उसकी तादाद व तफसील सूची (बी) में जो इसके साथ दी जाती है दिखलाई गई है और उस सूचीमें रुपयोंके अतिरिक्त जो जायदाद है उसकी तफसील तथा जिस जगह या जिन जगहोंमें वह जायदाद है उनका उल्लेख भी किया गया है।

मैं अपनी सब जायदाद अदालतकी सुपुर्दगीमें देने को तैयार हूं केवल उन चीजोंको छोड़ कर जो कानूनन किसी इजराय डिक्रीमें कुर्क व नीलाम होनेसे बरी हैं (परन्तु हिसाबकी किताबोंको उन चीजोंमें नहीं समझना चाहिये) मैंने इससे पहिले कभी दिवालिया करार दिये जानेके लिये कोई दरख्वास्त नहीं दी है (या मैं सूची (सी) में दिवालिया करार दी जाने वाली दरख्वास्त या दरख्वास्तोंकी तफसील (ई) देता हूं । तसदीक इबारत उसी प्रकार होना चाहिये जैसे कि अर्जी दावोंकी तस्दीक़ होती है ।

दस्तख़त……………

नोट :—जहां पर (ए) दिया हुआ है वहां कर्जदारका नाम व पता दिया जाना चाहिये ।

जहां पर (बी) लिखा हुआ है वहां जगहका नाम व पता होना चाहिये ।

जहां पर (सी) लिखा हुआ है वहां अदालतका नाम तथा उस डिक्री की तफसील व हवाला होना चाहिये जिसके इजरायमें वह गिरफ्तार हुआ हो या जिसके इजरायमें जायदाद कुर्क हुई हो ।

जहां पर (डी) लिखा हुआ है वहां पर यह दिखलाना चाहिये कि कौनसे कर्ज महफूज हैं व वह किस प्रकार महफूज हैं।

जहां पर (ई) लिखा हुआ है उसमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये ।

(i) यदि दरख्वास्त दिवालिया खारिज की गई हो तो वह किस कारण खारिज की गई थी ।

(ii) यदि कर्जदार पहिले दिवालिया करार दिया जाचुका हो तो उसके दिवालिया करार दिये जानेका ब्योरा और यह भी बतलाना चाहिये कि आया कोई पिछली दिवालिये की दरख्वास्त मनूसख़ (Annul) की गई थी या नहीं और यदि मसूख हुई थी तो क्यों ।

सिविल प्रोसेस नं० १३८

दिवालिये की दरख्वास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जख्वाहोंको दिया जाना चाहिये

दफा १९ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०……………

दरख्वास्त दिवालिया न०　　　　सन् १९　　ई०

चूंकि　　　　　　ने इस अदालतमें प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने की दरख्वास्त ता०　　　सन् १९　　को दी है और उस कर्जदारने जो कर्जख्वाहोंकी फिहरिस्त दाखिल की है इसमें तुम्हारा नाम भी दिखलाया है तुमको इत्तला दी जाती है कि इस अदालतने ता०　　　सन् १९　　उस दरख्वास्तके सुने जानेके लिये तथा कर्जदारके बयानके लिये मुकर्रर की है । अगर तुम इस मामले की पैरवी किया चाहो तो या तो स्वयं हाजिर हो या पूरी हिदायत देकर किसी वकीलके जरिये हाजिर हो । तुम्हारा कर्ज जो दरख्वास्तमें दिखलाया गया है उसकी तफसील इस प्रकार है ।

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १३९

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म

दफा २७ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...... ....

दरख्वास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

इस्ब दरख्वास्त मुवरंखा सन् १९ जो खिलाफ (यहा पर कर्जदारका नाम व पता होना चाहिये) के गुजरी है व इस्ब दरख्वास्त (यहा पर रिसीवर, कर्जदार या कर्जख्वाहका नाम होना चाहिये) के व उस दरख्वास्तको पढ़ने व सुननेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जावे तथा वह दिवालिया करार दिया जाता है।

यह भी हुक्म दिया जाता है कि कर्जदार मजकूर आज की तारीखसे के अन्दर अपने बहाल (Discharge) किये जाने की दरख्वास्त देवे।

तारीख सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४०,

उस कर्जख्वाहकी दरख्वास्तका नोटिस जिसका नाम सूचीमें दर्ज नहीं है

दफा ३३ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...... ....

बमुकद्दमा दिवालिया

नं० सन् १९ ई०

बनाम ....

चूंकि इस अदालतमें ने जो कि अपनेको एक कर्जख्वाह जाहिर करता है एक दरख्वास्त इस अम्र की गुजरानी है कि उसको अपना कर्जा साबित करने की आज्ञा दी जावे तथा उसका नाम कर्जख्वाहोंकी फिहरिस्तमें उस कर्जेके सम्बन्धमें लिख लिया जावे जिसे कि वह साबित कर देवे इसलिये तुमको इत्तला दी जाती है कि वह दरख्वास्त ता० सन् १९ को इस अदालतमें सुनी जावेगी और यदि तुमको उसका विरोध करना हो तो तुम स्वयं या वकीलके जरिये उस तारीख पर हाजिर हो सकते हो।

मेरे दस्तखत व अदालतकी मुहरसे यह नोटिस आज ता० सन् १९ को जारी किया गया।

द० डिस्ट्रिक्ट जज

सिविल प्रोसेस नं० १४१

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मंसूखीका हुक्म

दफा ३५ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...... ....

दरख्वास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

.............................सायल

.........के दरख्वास्त देने पर तथा उसको पढ़ने व सुननेके पश्चात् यह हुक्म दिया जाता है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मुवर्रखा सन् १९ जो खिलाफ के दिया गया था मंसूख किया जावे व वह हुक्म मंसूख किया जाता है।

तारीख सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४२

तस्फीया या तय करनेकी स्कीम पर गौर करनेके लिये जो तारीख नियत की गई हो उसकी सूचना कर्जख्वाहोंको देना

दफा २८ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

ब अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज जि०...... ....

दरख्वास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

.............................सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि इस अदालतने तारीख उस तस्फीया या स्कीम पर गौर करनेके लिये मुकर्रकी है जो कर्जदारने इस अदालतमें दी है उस तारीखसे पहिले जिस कर्जख्वाहका कर्जा साबित नहीं हो चुकेगा उसे उक्त मामले पर विचार होते समय वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि तुम ऊपर बतलाई हुई सुनवाईके समय उपस्थित होना चाहो तो स्वयं या किसी ऐसे वकीलके जरिये हाजिर हो सकते हो जिसे इस मामलेके सम्बन्धमें पूरी हिदायत देदी गई हो।

द० जज

इस फार्मकी पुश्त पर इस प्रकार दिया जाना चाहिये।

सम्मन दाखिल किये जानेकी तारीख	
तारीख जब कि सम्मन नाजिरके पास भेजा गया हो	
वह तारीख जब कि सम्मन तामील करने वाले चपरासीको दिया गया हो	
सम्मन तामील करने वाले चपरासीके लौटालनेकी तारीख	
वह तारीख जब कि सम्मन नाजिरने अदालतको लौटाया हो	

सिविल प्रोसेस नं० १४३

उन कर्ज ख्वाहोंकीफिहरिस्त जो कि तस्फ़ीया या तय करने वाली स्कीम पर विचार करते समय होवे

दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

ब अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...... ....

दरख्वास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

मीटिंग ता० सन् १९ को हुई

नम्बर	उन सब कर्जख्वाहोंके नाम जिनके सुबूत माने जाचुके हैं	यहां यह दिखलाना चाहिये कि किन २ कर्जख्वाहोंने वोट दिये हैं तथा उन्होंने वोट स्वयं दिये हैं या वकीलके जरिये	असालत (लहनेकी तादाद)	साबित किये हुए कर्जकी तादाद

वह संख्या जो बहुमतके लिये आवश्यक है.......... ....

आवश्यक तादाद रु०

सिविल प्रोसेस नं० १४४

कर्जख्वाहोंको बहाल होने की दरख्वास्तकी सूचना

दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

ब अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.......... ....

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

....सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि अब दिवालियाने इस अदालतमें अपने बहाल (Discharge) किये जानेकी दरख्वास्त दी है और अदालतने ता० सन् १९ वक्त बजे इस दरख्वास्तको सुननेके लिये नियत किया है।

आज तारीख सन् १९ ई०

द० जज

नोट:—इस फार्मकी पुश्त पर दफा ४२ (१) में बतलाये हुए नियम दिये जाना चाहिये।

सिविल प्रोसेस नं० १४५

आयन्दा होने वाली आमदनी या मिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्त लगा कर बहाल होनेका हुक्म दिया जाना

दफा ४१ (२) (ए), (बी), या (सी) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

... . सायल

दिवालियेके दरख्वास्त देने पर जो कि तारीख सन् १९ को देवालिया करार दिया जाचुका है तथा रिसीवरकी रिपोर्ट पर विचार करनेके बाद व कर्जख्वाहानको सुननेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि दिवालिया मजकूर (ए) बहाल किया जावे। या (बी) तारीखको बहाल किया जावे। या (सी) आयन्दा होने वाली आमदनी या आने वाली जायदादके सम्बन्धमें जो शर्तें दी हुई हैं उन शर्तोंके साथ बहाल किया जावे।

दिवालियेकी आयन्दा होने वाली आमदनी या मुनाफा अथवा आने वाली जायदादसे मुबलिग रुपया सालाना उसकी तथा उसके परिवारकी परवरिशके लिये निकालनेके पश्चात् यदि कोई रुपया बचे (या उस बचतका कोई खास हिस्सा) वह अदालत या आफिशल रिसीवरको उसके कर्जख्वाहानमें तकसीम करनेके लिये देदिया जावेगा। दिवालिया हर साल जनवरीकी पहिली तारीखको या उसके १४ दिनके अन्दर कुल हिसाब अदालतमें दाखिल करेगा जिसमें उसकी आमदनी आयन्दा आने वाली जायदाद तथा साल भरकी आमदनीका हाल दिखलाया जावेगा और इस हिसाबके अनुसार जिस कदर बचतका रुपया उसे अदालतमें दाखिल करना चाहिये वह रुपया अदालतमें दाखिल किया जावेगा या रिसीवरको दिया जावेगा यह रुपया हिसाब दाखिल होनेके १४ दिनके अन्दर दाखिल हो जाना चाहिये।

तारीख सन् १९ ई० द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४६

कर्ज़ा साबित किया जाना—आम तरीका

दफा ४९ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

दरख्वास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

.... सायल

मैं मुकद्दमा नं० सन् १९ में हलफ लेता हूं (या हलफिया व ठीक तौरसे बयान करता हूं) कि दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाने वाली तारीख अर्थात् ता० सन् १९ को कर्जदार मेरा कर्जदार था और अब भी बाबत रु० के मेरा सही तौरसे कर्जदार है यह कर्ज इस दरख्वास्तके साथ

दाखिल किये जाने वाले हिसाबमें दिखलाया गया है तथा यह कुछ कर्ज़ा या इसका कोई हिस्सा मुझे या मेरे किसी आदमीको मेरे हकमें वसूल नहीं हुआ है और न उसके लिये कोई जमानत ही दी गई है सिवाय नीचे दिये हुए रुपयों या जमानतके...

रुपयोंके लिये वोट माना गया।	हलफ की जाने वाली जगह तारीख किसके सामने	हलफनामा दाखिल करने वालेके दस्तखत

द० जज या आफिशल रिसीवर द० कमिश्नर

सिविल प्रोसेस नं० १४८

रिसीवरके नियुक्ति का हुक्म

दफा ५६ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....................

मुकद्दमा .... दिवालिया

नं० सन् १९ ई०

चूंकि मुसम्मी इस अदालतके हुक्मके अनुसार ता० सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया है और अदालतको यह प्रतीत होता है कि दिवालिया मजकूरकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जावे इसलिये दिवालियेके विरुद्ध जायदादकी वसूलीका हुक्म दिया जावे तथा जायदादकी वसूलीका हुक्म दिया जाता है और ....(या आफिशल रिसीवर) दिवालिया मजकूर की जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुक्म दिया जाता है (यदि वह आफिशल रिसीवर न होवे तो) कि रिसीवर मजकूर रुपयोंकी जमानत दाखिल करे और उसका श्रमफल (Remuneration) प्रति सैकडा नियत किया जावे । –

तारीख सन् ई० द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४६

अन्तिम हिस्सा रसदी बाटनेका नोटिस जो कर्जख्वाह बतलाये जाने वाले लोगोंको दिया जाना चाहिये।

दफा ६४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया -

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

....सायल

तुमको इत्तिला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए मामलेमें अन्तिम हिस्सा रसदी (Final Dividend) बांटे जानेका विचार है और यदि तुम अपना मतालिबा ता० सन् १९ तक या उससे पहिले अदालतमें संतोषजनक रूपसे साबित नहीं करोगे (या उस तारीख तक जब तक कि मोहलत अदालत दे देवे) तो तुम्हारा दावा खारिज समझा जावेगा और तुम्हारे दावेका बिला लिहाज किये हुए मैं अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दूंगा ।

तारीख सन् ई० द० रिसीवर (पता)

सिविल प्रोसेस नं० १५०

कर्जख्वाहानको सरसरीकी कार्रवाईका नोटिस

दफा ७४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुक़द्दमा दिवालिया नं०   सन् १९

.... साकिन

तुमको इत्तिला दी जाती है कि उक्त कर्जदारने ता०   सन् १९   को एक दरख्वास्त इस अदालतमें दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी है और अदालतको ता०   सन् १९   को इस बातका यक़ीन कर लिया है कि कर्जदार मजकूरकी जायदाद मुबलिग ५००) रुपयेसे जायद नहीं है और इसलिये अदालतने यह हुक्म दिया है कि दरख्वास्त मजकूर सरसरी तौर पर सुनी जावे और अदालतने ता० सन् १९   दरख्वास्त मजकूरकी मजीद समातके लिये मुकर्रर की है और उसी तारीख़ पर कर्जदारका बयान भी लिया जावेगा।

तुमको इस बात की भी इत्तिला दी जाती है कि यदि अदालत चाहेगी तो उसी तारीख़ पर कर्जदार मजकूरको दिवालिया करार दे देवेगी तथा कर्जदार मजकूरके लहनेको तकसीम कर देवेगी। तुमको अधिकार है कि तुम उस तारीख़ पर हाजिर हो तथा अपनी शहादत पेश करो। यदि तुम कोई कर्ज साबित किया चाहो तो उसका सुबूत तुमको उस तारीखसे पहिले या उस तारीख तक अवश्य दाखिल अदालत कर देना चाहिये।

मेरे दस्तखत व अदालतकी मोहर होकर   आज ता०   सन् १९   ई० को जारी किया गया।

द० जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स

दफा ७९ प्रान्तिक क़ानून दिवाला सन् १९२० ई० के अनुसार बनाये हुए नियम

दफा ७९ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई० के अनुसार गवर्नमेंन्टकी आज्ञा लेनेके पश्चात् सन् १९११ ई० के जनरल सिविल रूल्स (General Civil Rules) में निम्नलिखित संशोधित किय गये हैं।

चैप्टर २६ में दिये हुए नियमोंके स्थान पर निम्नलिखित नियम समझना चाहिये

१ इन नियमोंको आगरा प्रान्तिक दिवालिया नियम (The Agra Provincial Insolvency Rules) कहा जावेगा। फार्म नं० १२८ से लेकर १५२ तकका प्रयोग समयानुकूल परिवर्तनके साथ उन मामलोंके लिये किया जावेगा जिनमें कि उनका अलहदा अलहदा सम्बन्ध होवे।

२. दिवालियेकी हर एक दरख्वास्त (Petition) उस रजिस्टरमें चढ़ाई जावेगी जो दिवालिये या काम करने वाली अदालतें दिवालियेकी दरख्वास्तोंके लिये रखेंगी और उनमें तर्तीबी संख्या (Serial Number) दी जावेगी तथा उसके बादकी सब कार्रवाइयोंमें जो उसी मामलेके लिये की जावेंगी वही नम्बर डाला जावेगा।

३ दिवालियेके सम्बन्धकी सब कार्रवाइयोंका मुआयना उन समयों पर तथा उन नियमोंके अनुसार किया जासकता है जिनके अनुसार कि अदालतकी दूसरी मिसिलोंका हो सकता है यह मुआयना रिसीवर, कर्जदार, व वह कर्जख्वाह जो अपने कर्जको साबित कर चुका हो या उनके कानूनी नुमायन्दे (Legal representative) कर सकते हैं।

नोटिस

४. जब किसी नोटिस या किसी दूसरे मामलेका इस एक्टके अनुसार सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो या इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंके आधार पर उसका किसी स्थानिक समाचार पत्रमें प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होने वाली तारीख व गजटका हवाला दिया हुआ होगा मिसिलमें शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्दराज फर्द अहकाम (Order Sheet) में भी कर दिया जावेगा।

५ दफा १९ (२) के अनुसार पिटीशनके सुननेकी तारीख नियत किये जाने वाले हुक्मका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त उन दूसरे समाचार पत्र व पत्रोंमें भी प्रकाशित किया जावेगा जिनमें अदालत आज्ञा देवे। नोटिसकी एक एक नक़ल सब कर्जख्वाहोंके पास राजस्ट्री खतके द्वारा उस पतेसे पहुँचाई जावेगी जो दरख्वास्त (Petition) में दिया हुआ हो। यही तरीका उन नोटिसोंके लिये प्रयोगमें लाया जावेगा जो दफा ३८ (१) के अनुसार सरफाया या स्कीम पर विचार करनेके सम्बन्धमें दिये जावेंगे।

६. दफा ३० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि एक्टमें बतलाया गया है उन दूसरे स्थानिक अखबार या अखबारोंमें प्रकाशित किया जावेगा जैसा कि अदालत उचित समझे। यदि कर्जदार सरकारी मुलाजिम होवे तो हुक्मकी एक नक़ल

उस आफिसके सबसे बड़े हाकिम (Head of the office) के पास भेजी जावेगी जहां कि वह काम करता हो। यह तरीका उन नोटसों व हुक्मोंके सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा जो दफा ३७ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदीके सम्बन्धमें दिये जावें।

७ दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदालत द्वारा जारी किये जावेंगे उनकी तामील कर्जख्वाहों पर या उनके वकीलों पर की जावेगी या वह बजरिये रजिस्ट्री खतके भेजे जावेंगे।

८ दफा ६४ के अनुसार रिसीवर अन्तिम हिस्सा रसदी (Final Dividend) बांटनेसे पहिले जो नोटिस उन कर्जख्वाहोंके नाम जारी करेगा जिनका कर्जख्वाह होना घोषित किया जाचुका है परन्तु जिनके कर्जे साबित नहीं किये गये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा डाकखानेसे भेजे जावेंगे।

९ बहालकी दरख्वास्त (Application for Discharge) सुननेकी तारीखके नोटिस जो दफा ४१ (१) के अनुसार दिये जावेंगे प्रान्तिक सरकारी गजटके अतिरिक्त उन समाचार पत्रोंमें प्रकाशित किये जावेंगे जिनके लिये जज आज्ञा देवे और उनकी नकलें सब कर्जख्वाहोंके पास रजिस्ट्री डाकके जरिये भेजी जावेगी चाहे उन्होंने अपना कर्ज साबित किया हो या न साबित किया हो।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें डाकखानेकी रसीद दाखिलकी जावे तथा अदालतके किसी अफसर या आफिशल रिसीवरका सार्टीफिकेट या किसी अन्य रिसीवरका हलफनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो वह इस बातकी काफी शहादत मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पतेसे भेजे गये हैं उसको ठीक तौरसे भेजे गये हैं।

११. प्रकाशनके निर्धारित नियमोंके अतिरिक्त अदालतकी आज्ञानुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जासकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें चिपकवा देनेसे अथवा जिस गावमें दिवालिया रहता हो वहां मुनादी करा देनेसे।

रिसीवर

१२. रिसीवरकी नियुक्तिका हुक्म लिखकर अदालतके हस्ताक्षरोंसे दिया जावेगा। इस हुक्मकी नकलकी तामील अदालतकी मोहर होकर कर्जदार पर की जावेगी तथा वह नकल नियुक्त किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जावेगी।

१३. (ए) अदालतको चाहिये कि वह रिसीवरका श्रमफल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकडाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे कि एक भाग महफूज कर्जख्वाहों (Secured Creditor) की जमानतें (Securetion) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया वसूल किया गया हो उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस रकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जिसे कि वह हिस्सा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे।

(बी) जब कि रिसीवर महफूज कर्जख्वाहोंकी जमानत (Security) का रुपया वसूल करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा उससे होने वाले कर्जख्वाहोंके लाभको देखते हुए और अधिक श्रमफल (Remuneration) दिला सकती है।

१४ रिसीवर रोकड बही या अन्य हिसाबकी किताबें तथा कागजात रक्खेगा जिससे जायदाद सम्बन्धी केसके प्रबन्धका ठीक ठीक ज्ञान हो और वह हिसाब किताब उन समयों पर तथा उस प्रकार दाखिल करेगा जिस प्रकार कि अदालत हुक्म देवे। उन हिसाबोंकी जाच वह लोग करेंगे जिनके लिये अदालत हुक्म देवे। हिसाबकी जाच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगी तथा वह खर्च दिवालियेकी जायदादसे दिलाया जावेगा।

१५ अधिकतर रिसीवर वह सब रुपया जो वह वसूल करे सरकारी खजानेमें जमा करेगा या जब कभी किसी खास वजहसे रुपया किसी बैंकमें जमा किया जावे जिसके लिये कि अदालतने स्वीकृत दे दी हो व जो बंधी हुई रकम (Fixed Deposit) में जिस पर कि ब्याज आता हो जमा किया गया हो तो ब्याज का रुपया दिवालियेकी जायदादमें जमा किया जावेगा।

१६. रिसीवर उन सब मामलोंके आय व्ययका हिसाब जिनमें कि वह रिसीवर नियुक्त किया गया हो हर तिमाहीके तिमाही अदालतमें दाखिल करेगा और यह हिसाब तिमाही समाप्त होनेके बाद वाले महीनेकी १० तारीखसे पहिले ही दाखिल कर दिया जावेगा।

१७ जबकि रिसीवरके हाथमें दिवालियेकी जायदाद का कोई रुपया न होवे और वह किसी कर्जख्वाह से रुपयेकी मदद लेवे तो उसको चाहिये कि यह रुपये दिवालियेकी जायदादके हिसाबमें दिखलावे।

१८ वह कर्जख्वाह जो अपना कर्ज साबित करे चुका है अदालतमें इस बातकी दरख्वास्त दे सकता है कि उसको रिसीवरके कुल हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे और जो कि रोकड बहीमें उस वक्त तक दिखलाया गया हो। यह नकल उसको वह खर्च अदा करने पर दी जावेगी जो अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंको प्राप्त करनेके लिये बतलाये गये हैं ऐसी नकलों के लिये किसी कोर्ट फीसके अदा करनेकी आवश्यकता नहीं है।

१९ यदि किसी मामलेमें कर्जख्वाहोंके मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता होवे और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तस्फीया या तय किये जानेकी स्कीम (Scheme) दफा ३८ के अनुसार चाहता हो तो रिसीवर कमसे कम १४ दिन पहिले नोटिस कर्जदार व सब कर्जख्वाहोंको मीटिंगके समय व स्थानके लिये देगा ऐसे नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजे जावेंगे।

कर्जोंका साबित किया जाना

२० कर्जख्वाहोंका सुबूत अपेण्डिक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म नं० १४३ के अनुसार समयानुकूल परिवर्तनके साथ दिया जा सकता है। देखो फार्म नं० १४३ इसी हाईकोर्टका।

२१ यदि किसी मामलेमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरों या दूसरे काम करने वालोंकी उजरत (Wages) के बहुतसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुबूत या उन सबके कर्जख्वाहोंकी तरफसे किसी एक व्यक्ति का सुबूत पर्याप्त समझा जावेगा इस प्रकार का सुबूत अपेण्डिक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म नं० १४४ के अनुसार होना चाहिये।

यदि कर्जदार कोई फर्म होवे तो उसका तरीका

२२. यदि किसी सूचना (Notice) बयान (Declaration) दरख्वास्त (Petition) या किसी दूसरी दस्तावेजके तस्दीक (Attestation) की आवश्यकता हो और उस पर किसी कर्जख्वाह या कर्जदार

के फर्मके दस्तखत फर्मके नामसे किये जावें तो जो हिस्सेदार फर्मकी ओरसे दस्तखत करे उसको अपने भी दस्तखत करना पड़ेंगे जैसे कि "ब्राउन एन्ड कम्पनी बज़रिये जेम्सग्रीन" एक शरीकदार फर्म भेन कर।

२३. यदि किसी सूचना (Notice) या दरख्वास्तकी तामील जाती तौरसे होना आवश्यक हो और उसकी तामील अदालतकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) के अन्दर फर्मके खास रोजगारकी जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्म का प्रबन्ध करने वाले या देख रेख करने वाले व्यक्ति पर की गई हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी तामील बाक़ायदा फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है।

२४. पिछली दफामें बतलाया हुआ नियम जहां तक मुमकिन होगा उस मामलेमें भी लागू होगा जब कि कोई व्यक्ति अपने नामके बजाय किसी दूसरे नामसे अदालतकी अधिकार सीमामें कारोबार करता हो।

२५. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालेकी दरख्वास्त देवे तो उस दरख्वास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होंगे और यदि उस दरख्वास्त पर फर्मकी ओरसे किसी एक शरीकदारने दस्तखत किये हों तो उस दरख्वास्तके साथ उस शरीकदारको एक हलफनामा भी इस बातका लगाना पड़ेगा कि फर्मके सब शरीकदारोंकी राये उस दरख्वास्तको देनेके लिये है।

२६. यदि किसी फर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे तो यह समझा जावेगा कि फर्मके वह सब शरीकदार जो हुक्म दिये जाते समय शरीकदार थे दिवालिया करार दे दिये गये हैं।

२७. साझेके मामलोंमें कर्जदार साझेके मामलोंके सम्बन्धकी सूची (Schedule) पेश करेंगे तथा हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामलेकी सूची भी पेश करेगा।

२८. संयुक्त कर्जख्वाह तथा कर्जख्वाहोंके अलहदा अलहदा समूह अलग तस्फीया या तय होने की स्कीमको स्वीकार कर सकते हैं। जहां तक मुमकिन होगा संयुक्त कर्जख्वाहों द्वारा स्वीकृत हुआ प्रस्ताव ही निर्धारित रूपसे मंजूर किया जावेगा बिला इस बातका ख्याल किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जख्वाह या कर्जख्वाहोंने उस तस्फीया या स्कीम (Scheme) को स्वीकार नहीं किया है।

२९. यदि तस्फीया या स्कीमका प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो और उसे फर्मके शरीकदारोंने अलहदा अलहदा तौरसे भी किया हो तो संयुक्त कर्जख्वाहोंके लिये किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा और उन पर उनके वोट लिये जावेंगे उस समय अलहदा कर्जख्वाहोंके समूहोंका अलहदा ध्यान नहीं दिया जावेगा और जो प्रस्ताव कर्जख्वाहोंके किसी खास समूहके लिये किया गया हो उस पर वह समूह अलहदासे विचार करेगा व वोट देगा कुल कर्जख्वाहोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होगा। यह प्रस्ताव भिन्न भिन्न रूपसे तथा भिन्न भिन्न तादादके लिये किये जासकते हैं। जब कि तस्फीया या स्कीम स्वीकार कर ली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म उसी हद तक मंसूख होगा जहां तक कि उसका उस जायदादसे सम्बन्ध है जिसके कर्जख्वाहोंने तस्फीया या स्कीमको मान लिया है।

३० यदि किसी शराकती फर्मके दो या दो से अधिक मेम्बरान कोई जुदागाना फर्म चलाते हों तो इस जुदागाना फर्मके कर्जख्वाहान एक जुदागाना कर्जख्वाहोंका समूह समझे जावेंगे और वह उसी प्रकार समझे जावेंगे जैसे कि किसी शरीकदारके अलहदासे कर्जख्वाहान होवें यदि ऐसे जुदागाना फर्मके लहने (Assets)

से कोई फाजिल रकम बचे तो वह उस फर्मके शरीकदारोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे उनके हिस्सेके अनुसार उनकी अलहदाकी जायदादमें ले जाई जावगी।

दरख्वास्तें व नोटिस

३१ (ए) यदि इन नियमोंमें कोई बात अन्य प्रकारसे न बतलाई गई हो अथवा अदालत किसी खास मामलेमें कोई अन्य हुक्म न देवे तो अदालतमें दी जाने वाली वह सब दरख्वास्तें लिख कर दी जावेंगी तथा उनकी ताईदमें मायल का हलफनामा भी दाखिल होगा जो कि रिसीवर द्वारा या किसी कर्जख्वाह द्वारा या किसी अन्य व्यक्तिके द्वारा दी जावे जो कर्जदारके लहनेमें अपने को हक़दार बतलाया हो या रिसीवरके किसी काम की शिकायत करे और जो खास कर इन नियमोंकी बिला अवहेलना किये हुए दफा ४, ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५ के अनुसार हुक्म दिये जानेके लिये दी गई हो।

(बी) जिस हुक्म या दादरसीके लिये दरख्वास्त दी जावे उसका उल्लेख पूर्ण रूपसे हर दरख्वास्त में किया जावेगा उनमे इस एक्टकी दफाओंकी जिनके अनुसार दरख्वास्त दी गई हो तथा उन वजहों का जिनके कारण वह हुक्म या दादरसी चाही जाती हो तथा अन्य किसी एक्टकी दफाओं का भी जिनके आधार पर दरख्वास्त दी गई हो उल्लेख किया जावेगा।

(सी) इस प्रकारकी हर एक दरख्वास्तमें यह भी दिखलाया जावेगा कि आया सायल दरख्वास्त की ताईदमें गवहान तलब किया चाहता है या नहीं और उसमें ठीक तौरसे उन दस्तावेजोंका भी लिख दना जिनके कि वह आधार मानता हो।

(डी) यदि रिसीवरके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकारकी दरख्वास्त देवे तो उस दरख्वास्त की नकल तथा उसकी ताईदमें दिये हुए हलफनामेकी नक्लकी तामील रिसीवर पर की जावगी और उन दस्तावेजोंकी नकलें भी जिनका जिक्र ऊपर की (सी) क्लाजमें किया गया है उसको दी जावेगी परन्तु यदि दस्तावेज बहुत सी होवें अथवा बहुत बड़ी हों तो बजाय उनकी नकल भजनेके नोटिस द्वारा रिसीवरको उनके बारेमें बतला दिया जावेगा और रिसीवरको दरख्वास्त सुन जानेसे पहिले पूरे सात दिन का मौका असल दस्तावेजोंका मुआयना करनेके लिये दिया जावेगा।

(ई) यदि ऐसी दरख्वास्त रिसीवर द्वारा दी जावे तो उसकी ताईदमें जो हलफनामा लगाया जावेगा उसमे कर्जदारके उस बयानका हवाला होगा जो या तो मिसिलमें शामिल होवे या रिसीवरके कब्जेमें होवे तथा जिसके आधार पर रिसीवरने दरख्वास्त दी हो।

(एफ) दरख्वास्तके हर एक फरीकको अधिकार होगा कि वह असल दस्तावेजका मुआयना कर सके जो कि या तो दाखिलकी गई हो या दरख्वास्तकी ताईदमे दिये हुए हलफनामेमें जिसका उल्लेख होवे या जिसकी नकलका हवाला हलफनामोंमें दिया गया हो।

(जी) उपदफा (ए) में बतलाई हुई हर एक दरख्वास्त व हलफनामोंके नकलकी तामील रिसीवर पर की जावेगी चाहे रिसीवरके विरुद्ध कोई हुक्म या दादरसी चाही गई हो या न चाही गई हो।

दिवालियेकी गैरमनकूला जायदादका बेचा जाना

३२ यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं इस एक्टकी दफा ५८ के अनुसार दिवालियेकी गैरमनकूला जायदादको बेचे तो उस जायदादके लिये दस्तावेज बयनामा खरीदार अपने खर्चेमे

...या जायगा और अदालतके हाकिमके दस्तखत उस पर होंगे यदि रजिस्टर करनेमें कोई खर्च पड़ेगा तो ...ड भी खरीदार बरदाश्त करेगा।

३३ हिस्सा रसदीका रुपया (Dividends) कर्जखाह (Creditor) के प्रार्थना करने पर तथा उसकी जिम्मेदारी पर डाकके जरिये भेजा जा सकता है।

सरसरी की कार्रवाई

३४ यदि दफा ७४ के अनुसार किसी जायदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किये जानेका हुक्म हुआ तो अदालतके खास हुक्मों का ध्यान रखते हुए इस एक्टके नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारसे मतभित हो जावेंगे।

(i) किसी कारवाईका प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या अन्य किसी समाचार पत्रमें नहीं किया जावेगा।

(ii) दरख्वास्त (Petition) पर तथा बादकी सब कार्रवाइयोंमें सरसरी का मामला (Summary Case) लिख दिया जावगा।

(iii) कर्जखाहोंका दरख्वास्त (Petition) के सुने जानेकी सूचना (Notice) अपेन्डिक्स (Appendix) के फार्म नं० १५१ के अनुसार दी जावगी।

(iv) ... कर्जदार का बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें लगी परन्तु वह कर्जखाहों की मीटिंग ... नहीं है तो कर्जखाहोंसे हक होगा कि उनकी सुनवाईकी (Meeting) ... जावे तथा वह कर्जदारसे जिरह कर सके। ... जावेगा।

(v) अधिकतर रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत दफा ... अनुसार कार्रवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालियेकी कारवाईमें खर्चा कम हो जावे।

खर्चा

३५ उन सब कार्रवाइयों का खर्च जो दिवालिया करार दिये जानेके हुक्म तक तथा जिसमें दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म भी शामिल है कार्रवाई करने वाले ... पर रहेगा परन्तु जब दिवालिया करार दिए जाने वाला (Adjudication) हुक्म हो जाव तो दरख्वास्त देने वाले कर्जखाह का उचित खर्च दिवालियेकी जायदादसे दिलवाया जावेगा।

३६ यदि तस्फीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जावे तो तस्फीया या स्कीमकी दरख्वास्तके लिये तथा उसके सम्बन्धमें किये हुए कर्जदारके खर्चेका जायदादसे नहीं दिलाया जावगा।

३७ यदि कर्जदारके स्वयं दरख्वास्त देने पर वह दिवालिया करार दिया गया हो और अदालतको विश्वास हो जावे कि वह प्रान्तिक सरकारी गजटमें छपवाये जाने का खर्च तथा एक्टकी दफा ३० में बतलाये हुए नोटिस का खर्च अदा नहीं कर सकता है तो अदालत इस बात का हुक्म दे सकती है कि उसका खर्च दिवालियेकी जायदादकी कीमतसे अदा किया जावे। यदि दिवालियेके पास कोई जायदाद न होवे अथवा उसके विक्रीकी कीमत न काफी होवे तो उसका खर्च या न वसूल किया जा सकने वाला मतालिबा माफ कर दिया जावगा।

फार्म नं० ६

रिसीवरकी नियुक्ति का हुक्म

दफा ५६ क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

ब अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर ज़ि०··· ·····················

ब मुक़द्दमा··· ······ ···············दिवालिया

नं० सन् १९ ई०

चूंकि (नाम दिवालिया) अदालतके हुक्म द्वारा तारीख़ सन् १९ ई० को दिवालिया करार द दिया गया है और अदालतको यह उचित प्रतीत होता है कि दिवालये मजकूरकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जावे अत. यह हुक्म दिया जाता है कि रिसीवरके विरुद्ध वसूलीका हुक्म दिया जावे और दिवालिये मजकूरके विरुद्ध रिसीवरको हुक्म दिया जाता है और (या आफिशल रिसीवर) दिवालिये मजकूरकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुक्म दिया जाता है (यदि आफिशल रिसीवर नियुक्त न किया गया हो) कि रिसीवर मजकूर तककी जमानत दाखिल करे और उसका श्रमफल (Remuneration) हिसाबसे होगा।

तारीख़ सन् १९ ई० द० जज.

फार्म नं० ७

फर्जोंका सुबूत (Proof of Debts)

आम तरीक़ा (दफा ४९ क़ानून दिवालिया)

उनवान (Title)

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०··· ·· ·· ·· ········

दरख्वास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

··· ··· ·· ········· ······· ····· ··· ······· सायल

मामला नम्बरी (यहां पर नोटिसका नम्बर होना चाहिये) सन् १९ ई० मैं (नाम व पता) हलफसे कहता हूँ (या ईमानदारी व दिलसे बयान करता हूँ) कि (नाम व पता कर्जदार) तारीख़ सन् १९ ई० को मेरा (तादाद) रुपयेका कर्जदार था व अब भी है जिसकी तफसील इसके साथ दाखिल किये जाने वाले हिसाबमें दिखलाई गई है इस रुपयेका कोई हिस्सा मुझ या मेरी ओरसे किसी आदमीको वसूल नहीं हुआ और न उसकी कोई जमानत ही हुई है सिवाय नीचे दिये हुए रुपयेके

वोटके लिये जो तादाद रुपया मानी गई हो जज या आफिशल रिसीवर	हलफ जहां ली गई हो ·· ········· आज तारीख़ ····· ······ ·· जिसके सामने हलफ ली गई हो···	हलफ लेने वालेके दस्तख़त कमिश्नर

फार्म नं० ८

मज़दूरके कर्जोंका सुबूत (Proof of Debts of Workman)

उनवान (Title)

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

दरख्वास्त दिवालिया न०   सन् १९   ई०

.... सायल

मैं   (नाम व पता हलफनामा दाखिल करने वालेका)   हलफसे कहता हूँ (या ईमानदारी व दिलसे ऐलान करता हूँ)   कि   मैं   तारीख   सन् १९   ई० को फेहरिस्तमें दिये हुए लोगोंका उनके सामने दिखाये हुए रुपयोंके लिये कर्जदार था व अब भी हूँ और यह कर्जा उन लोगोंकी मजदूरीके बारेमें है जो उन्होंने रिसीवरकी नियुक्तिसे पहिले फेहरिस्तमें दिखलाये हुए समय तक हमारे पासकी थी। यह कर्ज या इन कर्जोंका कोई भाग अब तक नहीं चुकाया गया है और न उसके लिये कोई जमानत ही हुई है।

वोटके लिये जो तादाद रुपया मानी गई हो जज या आफिशल रिसीवर } वह जगह जहा हलफनामा किया गया हो, तारीख हलफ लेनेकी, जिसके सामने हलफ ली गई हो { हलफ लेने वालेके दस्तखत, कमिश्नर

फार्म नं० ९

तस्फीया या तय होनेकी स्कीमका नोटिस जो कर्ज़ख्वाहोंको दिया जाना चाहिये

दफा ३८ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

दरख्वास्त दिवालिया नं०   सन् १९   ई०

.... सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि अदालत हाजाने कर्जदारके तस्फीयेकी दरख्वास्त पर विचार करनेके लिये तारीख   सन् १९   ई० नियतकी है। वह कर्जदार जिनका कर्जा उक्त तारीख तक या उससे पहिले साबित नहीं हो जावेगा इस तस्फीये पर वोट देनेका अधिकारी नहीं होगा यदि तुम उस तारीख पर हाजिर होना चाहो तो स्वयं या किसी वकीलके ज़रिये मय सुबूतके हाजिर हो सकते हो।

द० जज

फार्म नं० १०

कर्ज़ख्वाहोंकी फेहरिस्त जो तस्फीया या स्कीम पर विचार करते समय बनाई जावे

दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

बमुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

मीटिंग तारीख़ सन् १९ ई० को (जगहका नाम) में की गई

नम्बर	उन सब कर्जख्वाहोंके नाम जिनके कर्ज़े साबित हो चुके हैं	इसमें उन कर्जख्वाहोंको दिखलाना चाहिये जिन्होंने वोट दिये हैं और यह भी दिखलाना चाहिये कि स्वयं वोट दिये हैं या वकीलके ज़रिये	लहनेकी तादाद	वह तादाद जिसका सुबूत माना गया है

बहुमतके लिये होने वाली संख्या

चाही हुई कीमत रुपये

फार्म नं० ११

अन्तिम हिस्सा रसदी बांटनेसे पहिले कर्ज़ख्वाहोंको दिया जाने वाला नोटिस

दफा ६४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज

बमुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

....मायक

तुमको इत्तला दी जाती है कि उक्त मामलेमें अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जानेके लिये तारीख़ सन् १९ ई० नियतकी गई है और यदि तुम उस तारीख़ पर या उससे पहिले अदालतमें अपना कर्ज़ साबित न कर दोगे या मोहलत दी जाने पर मोहलत वाली तारीख तक न साबित कर दोगे तो तुम्हारा कर्ज़ निकाल दिया जावेगा और उसका बिला ख्याल किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

तारीख़ सन् १९ . ई०

द० रिसीवर

फार्म नं० १२

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीका हुक्म

दफा ३७ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

............................(नाम व पता दरख्वास्त देने वालेका) की दरख्वास्त पर तथा उसे सुनने व पढ़नेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि (दिवालियेका नाम) के विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म जो तारीख सन् १९ ई० को दिया गया था मंसूख किया जावे तथा वह मंसूख किया जाता है।

तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १३

बहाल होनेकी दरख्वास्तका नोटिस जो क़र्ज़ख्वाहोंको दिया जाना चाहिये

दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

उनवान (Title)

तुमको इत्तला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए दिवालियाने बहाल होनेकी दरख्वास्त इस अदालतमें दी है और अदालतने उसके सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई० नियतकी है।

तारीख- सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १५

सरसरीकी कार्रवाई (Summary Administration) दफा ७४

उनवान (Title)

तुमको इत्तला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए कर्जदारने ता० सन् १९ ई० को एक दरख्वास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये इस अदालतमें दी है और ता० सन् १९ ई० को अदालतने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि उक्त कर्जदारकी जायदाद ५००) रुपयेसे अधिक कीमतकी नहीं है और इसी कारण उसकी जायदादका प्रबन्ध सरसरी तौरसे किया जाना निश्चित किया है इस अदालतने तारीख सन् १९ ई० फिर उस दरख्वास्तको सुननेके लिये नियतकी है और उसी तारीख पर कर्जदारके भी बयान होंगे।

तुमको इस बातकी भी इत्तला दी जाती है कि मुमकिन है अदालत इसी तारीख पर उस कर्जदारको दिवालिया करार द देवे व उसका लहना बाट देवे। तुम यदि चाहो तो उस तारीख पर हाजिर होकर शहादत दे सकते हो यदि तुम कोई कर्ज साबित किया चाहो तो उस तारीख पर या उससे पहिले साबित कर सकते हो।

इस अदालतकी मोहर व मेरे दस्तखतसे आज

तारीख सन् १९ ई० को जारी किया गया द० जज

प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२०ई०(The Provincial Insolvency Act)के अनुसार जिन दरख्वास्तों का दिया जाना बतलाया गयाहै उनमेंसे कुछ नमूने नीचे दिये जातेहैं ता कि समयोचित परिवर्तनके साथ प्रयोग किये जासकते हैं। एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए दरख्वास्तें इन नमूनोंके अनुसार विशेष बातों का उल्लेख करते हुए दी जाना चाहियेः—

(नमूनेका फार्म) नं० १

कर्जदार का पिटीशन अर्थात् कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दरख्वास्त

दफा १० (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया एक्ट ५ सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया　　सन् १९　　ई०

दरख्वास्त हस्ब दफा १० (१) प्रांतिक कानून दिवालिया १९२० ई०

(नाम)　　वल्द　　साकिन　　सायल

सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है —

१ यह कि सायल अधिकतर (निवास स्थान का नाम)　　का रहने वाला है और अब तक (स्थान का नाम व पता)　　में व्यापार करता रहा है और यह स्थान इस अदालतकी अधिकार सीमामें स्थित है।

२. यह कि सायल को अपने व्यापारमें बड़ी हानि उठाना पड़ी है क्योंकि　　(यहां पर हानि होनेके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये)　　पर्ते पड़ गई हैं और इसी कारण सायल पर बहुत सा कर्ज लद गया है।

३ यह कि सायलको उक्त व्यापारसे अब कोई लाभ नहींहै और सायलके पास कोई दूसरा लाभका रास्ता भी सिवाय (यदि कोई आमदनी का जरिया हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिये)　　नहीं है और इसी कारण सायल अपना कर्ज चुकानेमें असमर्थ है।

४. यह कि सायल पर जो इस वक्त कर्ज हैं वह सब मिलकर　　रुपयेके हैं　　(यह कर्ज पांच सौ रुपयेसे अधिकके होना चाहिये कमके नहीं) या

सायल डिक्री इजराय नम्बरी　　सन् १९　　ई० बअदालत मुंसिफ या (अन्य अदालत) साहब बमुकद्दमा　　(नाम डिक्रीदार)　　जो खिलाफ मुझ सायलके है इसके अनुसार हिरासत या जेलमें हैं या

सायलकी जायदाद मुकद्दमा इजराय नम्बरी　　सन् १९　　ई० (मुकदमें व अदालत का नाम व पता दिया जाना चाहिये) के अनुसार कुर्क किया जानेका हुक्म हुआ है और यह हुक्म अब भी जायदाद सायलके खिलाफ जारी है।

५ यह कि सायलके कर्जों का ब्योरा इस पिटीशनके साथ दाखिलकी जाने वाली सूची ए में दिया हुआ है और उस सूचीमें सब कर्जख्वाहों का नाम व पता जहां तक सायलको मालूम है व जहां तक सायल उनका पता लगा सका है दे दिया गया है।

६. यह कि सायलकी जायदाद व लहनेकी तादाद व उसका ब्योरा सूची (बी) में दिया गया है और उस सूचीमें जायदादकी कीमत व उन स्थानों का भी उल्लेख कर दिया गया है जहा पर वह जायदाद स्थित है।

७ यह कि सायल अपनी सब जायदाद अदालतकी सुपुर्दगीमें देनेके लिये प्रस्तुत है (सिवाय इन चीजोंके जो जाबता दीवानी या अन्य प्रचलित कानूनके अनुसार कुर्क व नीलाम नहीं की जा सकती है परन्तु उनमें हिसाबकी किताबोंको नहीं समझना चाहिय ।

८ यहकि सायलने इससे पहिले कोई दरख्वास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये नहीं दी है या उसके विरुद्ध कोई दरख्वास्त दिवालिया करार दिये जानके लिये नहीं दी गई है।

अथवा

सायलने एक दरख्वास्त (अदालत का नाम व पता) में दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी या उसके विरुद्ध दरख्वास्त दी गई थी और उसके अनुसार सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और तारीख सन् १९ ई० को सायल बहाल हो चुका है या दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया गया था (यहां पर पिछली कार्रवाई दिवालिया की तफसील तथा मंसूखी आदिके कारण सब दिखा दिये जाना चाहिये)

उक्त कारणोंसे सायल सविनय प्रार्थना करता है कि सायल दिवालिया करार दे दिया जावे या अदालत इस सम्बन्धमें कोई दूसरी उचित आज्ञा देनेकी कृपा करे और सायल सदव इसके लिये कृतज्ञ होगा।

नाम हस्ताक्षर सायल .. . .. .

मैं (नाम व पता) तस्दीक करता हू कि मजमून दफा १ से तक सब मेरे इल्ममें सही है और मजमून दफा .... का सही होना उस इत्तला पर मब्नी (निर्भर) है जो मुझे मिली है।

तारीख व जगह का नाम जहां पर तस्दीक इबारतकी गई हो　　　　हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नम्बर २

कर्जख्वाह का पिटीशन अर्थात् कर्जख्वाह द्वारा कर्जदारके विरुद्ध दी जाने वाली दिवालियेकी दरख्वास्त

दफा ९ (१) व १३ (२) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...... ....

मुकद्दमा दिवालिया　　सन् १९　　ई०

(नाम व पता)　　साकिन　　.................. .. . सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि सायल अधिकतर (स्थान का नाम व पता) का रहने वाला है या (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता है अथवा लाभके लिये काम करता है।

२. यह कि सायल का व्यापारिक सम्बन्ध (दिवालिया करार दिये जाने वाले व्यक्ति का नाम व पता) से इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर था या (उस कर्जदार का नाम व पता) जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर रहता अथवा व्यापार करता है सायलसे सौदा लिया करता था (अथवा उसने सायलसे कर्ज लिया है)

३. यह कि बसिलसिल व्यवहार सायलको उक्त (कर्जदार) से (तादाद) रुपया लेना है जिसे कि उसने अब तक अदा नहीं किया है।

४. यह कि उक्त कर्जदारने कर्जख्वाहका कर्जा मारनेकी इच्छासे अपना कारोबार बंद कर दिया है या तारीख सन् १९ ई० से अपनी दुकान बंद कर दी है और उस वक्तसे बराबर छिपा हुआ है जिससे कि कोई कर्जख्वाहान उससे पत्र व्यवहार नहीं कर सके या उसने आजकी तारीखसे तीन माहके अन्दर अपनी जायदादको बदनीयतीसे कर्जख्वाहानका कर्ज मारनेकी मन्शासे अलाहिदा कर दिया है (अथवा दफा ६ में बतलाई हुई किसी बातका ब्योरेवार दिखलाना चाहिये जिससे कि कर्जदार का दिवालिये का काम साबित हो सके।

लिहाजा दरख्वास्त हाजा गुजरान कर उम्मेदवार हूं कि (१) उक्त कर्जदार दिवालिया करार दिया जावे, (२) उक्त कर्जदारकी जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये दरम्यानी रिसीवर नियुक्त किया जावे। (३) उक्त कर्जदारसे उसकी सब हिसाबकी किताबें दाखिल करवाई जावें व उससे सब कर्जोंकी तफसील वगैरा दाखिल कराई जावे।

इबारत तस्दीक मय तारीख व जगह तस्दीकके की जाना चाहिये।

तारीख सन् १९ ई० दस्तखत ....

नोटः—कर्जेकी तादाद ५००) से अधिक होना चाहिये। दरख्वास्त कई कर्जख्वाह साथमें होकर भी दे सकते हैं।

(नमूने का फार्म) फार्म नं० ३

दरख्वास्त वास्ते वापिस लेने मुकद्दमा (दफा १४)

दरख्वास्त हस्ब दफा १४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

.... सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ सायलने इस अदालतमें तारीख सन् १९ ई० को एक दरख्वास्त दिवालिया करार दिये जाने के लिये दी थी। कर्जख्वाहान के नाम नोटिस जारी किये जाचुके हैं और दरख्वास्त अभी जेर तजवीज है (या उसके सुने जाने के लिये ता० सन् नियत की गई है)

२. यह कि उस दरख्वास्त को देने के बाद मुझ सायलको (नाम व रिश्ता) से वसीयतन (या अन्य किसी कारण जिसका उल्लेख यहां किया जाना चाहिये) पर्याप्त धन प्राप्त होने की सम्भावना है जिससे कि सब

कर्जख्वाहान का ऋण सुगमता पूर्वक चुकाया जा सकता है और मेरे सब कर्जख्वाहान भी इस बात से सहमत है और उनकी इच्छा है कि मुकद्मा अदालत से उठा लिया जावे जिसमें सायल उस जायदाद को वसूल करके उन सबका कर्ज चुका सके।

३. यह कि कानूनन बिना अदालत की आज्ञा के कोई दरख्वास्त दिवालिया वापिस नहीं की जासकती है इसलिये अदालत की आज्ञा, मुकद्मे को वापिस लेने के लिये आवश्यक प्रतीत होती है।

उक्त कारणों से और इस बात पर भी ध्यान रखते हुए कि सब ही कर्जख्वाहान मुकदमा उठाने में सहमत हैं सायल प्रार्थना करता है कि उसको मुकद्मा उठा लेने की आज्ञा दी जावे या कोई अन्य उचित आज्ञा प्रदान की जावे जिसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा।

तारीख　　　सन् १९　　ई०　　　हस्ताक्षर

मैं　(नाम)　वल्द　साकिन .... बहलफ बयान करता हूं।

१. यह कि मैं ही उक्त सायल हू और हालात मुकद्मे को भलीभांति जानता हू।

२ यह कि उक्त दरख्वास्त में जिन बातों का उल्लेख है वह सब मेरे जाती इल्म से सही है।

मेरे सामने ·　　ने हलफिया बयान किया जिसकी तस्दीक की जाती है।

हलफदेने वाले अफसरके दस्तखत　　　बतारीख　　　हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) फार्म नं० ४

कर्जख्वाहान द्वारा दी जाने वाली दरमियानी रिसीवर या किसी दरमियानी कामके लिये दरख्वास्तें (दफा २० व २१)

अर्जी हस्ब दफा २० वास्ते नियत किये जाने रिसीवरके

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्मा दिवालिया न०　　　सन् १९　　ई०

....सायल

मैं　(नाम व पता)　कर्जख्वाह निम्न लिखित प्रार्थना करता हूँ

१. यह कि मुझ कर्जख्वाहने एक दरख्वास्त खिलाफ (नाम कर्जदार) के वास्ते दिवालिया करार दिये जानेके इस अदालतमें तारीख　　　सन् १९　　ई० को दी थी और वह दरख्वास्त जेर तजवीज है।

२ यह कि उक्त दरख्वास्तकी सूचना नियम पूर्वक कर्जदार मजकूरको मिल चुकी है और मुझ कर्जख्वाहको कर्जदार मजकूरके पड़ोसियोंसे तथा अन्य विश्वासनीय सूत्रसे पता लगा है कि यह कर्जदार अपने सब मालको धीरे धीरे हटा रहा है और अपनी जायदादका बड़ा भाग हटा भी चुका है जिसमें कि उसके कर्जख्वाहनका कर्ज मारा जावे।

३. यह कि मुझ कर्जदारको यह भी पता लगा है कि कर्जदार मजकूर अपनी दूकानके बचे हुए सामान (या अन्य किसी वस्तुको जिसका नाम व ब्योरा दिया जाना चाहिये) हटाने वाला है इसलिये शीघ्र ही कोई इस प्रकारकी कार्यवाईकी जाना चाहिये जिसमें वह कर्जदार अपनी मनकूला या गैरमनकूला जायदाद न हटा सके वरना कर्जख्वाहनको अपने कर्जमें कुछ भी न मिल सकेगा।

इस कारण मैं इस बातकी प्रार्थना करता हूँ कि कोई दरमियानी (Interem) रिसीवर उसकी जायदादके लिये नियुक्त किया जावे जो कि कर्जदारकी सब जायदाद पर फौरन कब्जा कर लेवे जिसमें कि वहजायदाद हटाई न जासके।　　तारीख　　सन् १९　　ई०　　हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० ५

दरख्वास्त हस्ब दफा २१ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

ब अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया नम्बर　　　सन् १९　ई०

....सायल

मैं　(नाम)　कर्जख्वाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि　मुझ कर्जख्वाहने एक दरख्वास्त खिलाफ (नाम व पता क़र्जदार) के तारीख　सन् १९　ई० को वास्ते दिवालिया करार दिये जानेके इस अदालतमें दी है।

२. यह कि अदालतने उस दरख्वास्त को सुननेके लिये तारीख　सन् १९　ई० नियतकी है और दरख्वास्तकी सूचना नियम पूर्वक कर्जदार मजकूरको मिल चुकी है।

३. यह कि सूचना पानेके बाद उक्त कर्जदारने अपनी बची खुची जायदादको कर्जख्वाहोंसे बचानेके लिये अपने रिश्तेदारोंके पास हटा दिया है और वह स्वयं भी इस अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर जाने वाला है जिसकी सूचना मुझ कर्जख्वाहको विश्वस्त सूत्रसे मिली है और मुझ कर्जख्वाहको विश्वास भी है कि वह सूचना सच है।

४. यह कि उक्त कर्जदार का तारीख मुकर्रा पर हाजिर होना परम आवश्यक है इस कारण मुझ कर्जख्वाहकी प्रार्थना है कि उक्त कर्जदार वारण्टके जरिये गिरफ्तार किया जावे जिसमें कि वह नियत तारीख पर हाजिर किया जा सके अथवा उससे पर्याप्त जमानत उसकी हाजिरीके लिये ली जावे जिसमें कि वह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म तक अदालतमें उचित व आवश्यक अवसरों पर हाजिर हो सके आशा है कि उक्त प्रार्थना स्वीकारकी जावगी जिसके लिये मैं कर्जख्वाह बड़ा कृतज्ञ होऊंगा

तारीख　सन् १९　ई०　　　हस्ताक्षर

नोट:— यदि उक्त दरख्वास्तके लिये अदालतको विश्वास दिलानेके लिये हलफनामाकी आवश्यकता हो तो वह भी दाखिल किया जाना चाहिये।

(नमूने का फार्म) नं० ६

कर्ज़दार के मुक्त किये जाने के लिये दरख्वास्त दफ़ा २३

दरख्वास्त हस्ब दफा २३ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकद्दमा दिवालिया न०　सन् १९　ई०

....सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि मुझ सायल ने माली हालत बहुत खराब होजाने के कारण इस अदालतमें दिवालिया करार दिये जाने के लिये दरख्वास्त देरक्खी है और वह दरख्वास्त तारीख　सन् १९　ई को अदालत द्वारा लेली गई थी उस दरख्वास्त के सुन जाने के लिये तारीख　सन् १९　ई० नियत हुई है।

२. यह कि मुझ सायल की उक्त दरख्वास्त के लिये जानेके बाद (नाम डिक्रीदार) ने मुझ सायलको इजराय डिक्री न० इजलासी अपनी सादा रुपयेकी डिक्रीमें गिरफ्तार कराया है मैंने डिक्रीदार मजकूरका नाम अपनी दाखिलकी हुई कर्जखाहानकी फेहरिस्तमें दखल दिया है और इसमें उसका कर्ज भी सब दिखला दिया गया है अब मैं उस डिक्रीकी इजराजमें गिरफ्तार हूं।

३ यह कि उक्त डिक्रीदारने मुझ सायल पर नाजायज दबाव डालने व बेजा फायदा उठानेकी गरज मुझ सायलको गिरफ्तार कराया है जिसमें कि उसका कर्ज बमुकाबले और कर्जखाहानके वसूल हो सके। डिक्रीदार मजकूरको मुझ सायलकी दरख्वास्त दिवालिया व माली हालत का पूरा इल्म है।

४ यह कि अगर मैं सायल फौरन आजाद न कर दिया गया तो दरख्वास्त दिवालियेकी पैरवी भली भांति न हो सकेगी और मुझ सायल का रहना भी वसूल न हो सकेगा (मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदालत द्वारा नियत किये हुए रिसीवरके सुपुर्द कर दी है या सुपुर्द करनेके लिये तैयार है) सायल यह भी चाहता है कि उसके सब कर्जख्वाहानको हिस्सा रसदी उसकी जायदादसे मिल सके इसलिये सायल का गिरफ्तारीसे मुक्त किया जाना आवश्यक है।

५ यह कि सायल अपनी दरख्वास्त दिवालियामें सब बातें दिखला चुका है कि अनायासही इसकी माली हालत गड़बड़ हो गई है व इस पर उसका कोई बस नहीं था।

६. यह कि सायल अपने मुक्त किये जानेके लिये नियमानुसार उचित जमानत भी देनेके लिये तैयार है उन कारणोंसे प्रार्थना है कि अदालत सायलका गिरफ्तारी या जेलसे मुक्त किए जानेकी आज्ञा प्रदान करे या अन्य कोई उचित आज्ञा देनेकी कृपा करें जिसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

नोटः— आवश्यकतानुसार इल्फनामा भी इस दरख्वास्तकी ताईदमें लगा देना चाहिये —

(नमूने का फार्म) नं० ७

दफा ३१ के अनुसार प्रोटेक्शन आर्डर (Protection Order) की दरख्वास्त

दरख्वास्त हस्ब दफा ३१ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकदमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

....सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ सायलने इस अदालतमें एक दरख्वास्त न० सन् १९ ई० दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी और अदालत हाजाने इस दरख्वास्तको सुनने व इस पर विचार करनेके बाद मुझ सायलको अपने हुक्मसे तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया है।

२. यह कि मुझ सायलके एक कर्जख्वाहने जिसका नाम दरख्वास्तके साथ दाखिलकी हुई फहरिस्त कर्जख्वाहानमें दिखला दिया गया है मुझ सायलके खिलाफ अपने कर्जके लिये अदालतसे

डिक्री नं०   सन् १९   ई० हासिल कर रक्खी है और अब वह उस डिक्रीकी इजरायमें मुझ सायलको गिरफ्तार कराना चाहता है जिसके लिये उसने उक्त अदालतमें दरख्वास्त दे रक्खी है जो कि अभी जेर तजवीज है।

३ यह कि मैं सायल अपनी मजबूरीकी वजहसे इस दिवालियेकी दशाको पहुंचा हूं और मुझ सायल से अब तक कोई भी उत्पाती अपने कर्जख्वाहन का कर्ज मारने या किसीको बेजा फायदा पहुचानेके लिये नहीं की है। मुझ सायलने अपनी सब जायदाद भी बहुक्म अदालत रिसीवरकी सुपुर्दगीमें दे दी है।

४ यह कि ऊपर बतलाये हुए कारणसे मैं सायल किसी डिक्रीमें गिरफ्तार न किया जाना चाहिये और इसीलिये प्रार्थना करता हूं कि दफा ३१ प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार इस अदालतसे एक हुक्म इस प्रकार का दे दिया जावे कि मैं अपने किसी कर्जेकी डिक्रीमें गिरफ्तार न किया जाऊं या कोई अन्य उचित आज्ञा दी जावे जिसमें कि मुझ सायलको बेजा तौरसे परेशान न किया जा सके अथवा कमसे कम ऊपर बतलाई हुई डिक्रीकी इजरायमें गिरफ्तार किये जानेसे बचने का हुक्म दिया जावे।

तारीख   सन् १९   ई०   हस्ताक्षर

नोट:—आवश्यकतानुसार समयोचित इल्फनामा भी ऐसी दरख्वास्तके साथ दाखिल करना चाहिये।

(नमूने का फार्म) नं० ८

ज़मानतनामा

बअदालत साहब डिस्ट्रिक जज बहादुर जि०.........................

मुकद्दमा दिवालिया नं०,   सन् १९   ई०

....सायल

चूंकि उक्त मुकद्दमेमें अदालतने कर्जदार (नाम व पता) से जिनके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त पर अदालत विचार कर रही है अन्तिम हुक्म होने तक उसकी हाजिरीके बाबत   रुपयेकी जमानत तलबकी है इस लिये मैं अपनी इच्छासे उक्त कर्जदार के लिये जामिनदार होता हूँ और इस बातके लिये जिम्मेदारी लेता हूँ कि उक्त कर्जदार अदालतकी आज्ञानुसार जब अदालतमें चाहेगी उपस्थित होगा तथा अदालत जिन हुक्मोंको करनेके लिये उसे आज्ञा देगी उनको वह करेगा और यदि वह हाजिर न होवे या हुक्मकी पाबन्दी अन्तिम हुक्म होने तक न करे तो मैं   रुपयेके लिये स्वयं व अपने वारिसान व कायम मुकामानको जिम्मेदार करता हूँ और अदालत मुझसे मेरे वारिसान या कायममुकामानसे   रुपये तक जिस तरह पर चाहे वसूल कर सकती है।

तारीख   सन् १९   ई०   हस्ताक्षर

गवाह (१)..........................

गवाह (२)..........................

(नमूने का फार्म) नं० ९

अर्जी मिनजानिब कर्जदार बाबत दिलाये जाने हर्जा हस्ब दफा २६

दरख्वास्त हस्ब दफा २६ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया नं०　　　सन् १९　　ई०

....सायल

उक्त कर्जदार निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि　　(नाम व पता दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाह का)　　ने एक दरख्वास्त खिलाफ मुझ कर्जदारके इस अदालतमें बाबत दिवालिया करार दिये जानेके दी थी उसने उस दरख्वास्तमें अपनेको मुझ सायल का एक कर्जख्वाह जाहिर किया था व बिलकुल गलत बयानीके साथ दरख्वास्तको दिया था जो कि बईसाफ अदालत तारीख　　　सन १९　　ई० को खारिज कर दी गई है।

२ यह कि दिवालियेकी उक्त दरख्वास्त बिलकुल कर्जी व मुझ सायलको परेशान करने व तौहीन करनेकी गरजसे दी गई थी (या इस मशासे दी गई थी जिसमें मैं प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाका मेम्बर बन सकूँ)

इस लिये सायलकी प्रार्थना है कि मुझ सायलको १०००) रुपया बाबत हर्जा उक्त दरख्वास्त कुनिन्दा (कर्जख्वाह) से दिलाया जावे क्योंकि उनकी वजहसे मुझ सायलको फिजूल खर्चा करना पड़ा है तथा ख्वारी व जिस्मानी नुकसान उठाना पड़ा है या अदालत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर फर्मावे सायल इसके लिये बड़ा कृतज्ञ होगा।

तारीख　　　　सन् १९　　ई०　　　　हस्ताक्षर

इसके साथमें एक हलफनामा भी तस्दीक होकर दाखिल किया जासकता है।

(नमूने का फार्म) नं० १०

दरख्वास्त वास्ते गिरफ्तार किये जाने दिवालियाके दफा ३२.

दरख्वास्त हस्ब दफा ३२ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया नं०　　　सन् १९　　ई०

....सायल

.......................कर्जख्वाह (या रिसीवर)

उक्त कर्जख्वाह निम्न लिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि उक्त मुकद्दमेमें...... ...... कर्जदार तारीख　　　सन् १९　　ई० को बहुक्म अदालत दिवालिया करार दे दिया गया है।

२ यह कि उक्त दिवालियाको इस अदालतने यह हुक्म दिया था कि वह अपनी हिसाबका किताबोंको दाखिल करे व अपनी सब मनकूला (Moveable) जायदादकी फहरिस्त तैयार करके उसको रिसीवर (या किसी व्यक्तिके सुपुर्द कर दे।

३ यह कि दिवालियेकी मनकूला जायदाद अधिकतर ऐसी है जो बिना उसकी मददके बेची नहीं जासकती है।

४ यह कि दिवालिया इस अदालतकी अधिकार सीमामें बाहर इस मंशासे यकायक चला गया है जिसमें कि उसको हिसाबकी किताबें न दाखिल करना पड़े या अदालतके हुक्मकी तामील करनेसे बच जावे। उसके इस कामसे मुझ कर्जख्वाह तथा बाकी अन्य कर्जख्वाहोंको नुकसान पहुँचेगा।

इस लिये मुझ कर्जख्वाहकी प्रार्थना है कि दिवालिया मजकूर बजरिये वारण्ट गिरफ्तार करा लिया जावे जिसमें वह इस अदालतके सामने पेश किया जासके या अदालत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर फर्मावे।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोटः—उक्त दरख्वास्त रिसीवर या कोई भी कर्जख्वाह दे सकता है उक्त दरख्वास्तके साथ हलफनामाका दाखिल होना भी आवश्यक है।

(नमूने का फार्म) नं ११

कर्जा साबित करनेकी दरख्वास्त दफा ३३

अर्जी हस्ब दफा ३३ कानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०..................

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

....सायल

मैं बनाम कर्जख्वाह

मैं (नाम व पता कर्जख्वाह) बहलफ बयान करता हूं कि (नाम कर्जदार) ने मुझसे तारीख सन १९ ई० को रुपया बतौर कर्ज लिया था वह रुपया अबतक अदा नहीं हुआ है हिसाब कर्ज का इस दरख्वास्त के साथ दाखिल की जाने वाली फेहरिस्त में दिखलाया गया है यह कर्ज सब सच्चा है और इसमें से एक पैसा भी मुझे या मेरे किसी आदमी को अदा नहीं किया गया है और इस कर्ज की कोई जमानत हीं की गई है।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

जिस जगह हलफ की गई हो उसका नाम वतारीख और हलफ देने वाले कमिश्नरके दस्तखत होना चाहिये।

(नमूनेका फार्म) नं० १२

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके लिये दी जाने वाली कर्जदारकी दरख्वास्त (दफा ३५)

दरख्वास्त हस्ब दफा ३५ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

.... सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है:—

१ यह कि मुझ सायलके विरुद्ध ने जो कि अपनेको मुझ सायलका एक कर्जख्वाह बतलाता है इस अदालतमें एक दरख्वास्त दिवालिया करार देनेके लिये दी थी और उक्त दरख्वास्तके अनुसार मैं तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया क़रार दे दिया गया हूं।

२ यह कि उक्त कर्जख्वाहने बिलकुल गलत बयानीके साथ दरख्वास्त दी थी उसका कर्ज मुझ सायल पर ५००) से कहीं कम है।

३ यह कि उक्त कर्जख्वाहने अपनी दरख्वास्तमें यह गलत बतलाया है कि मैंने अपना कारोबार बन्द कर दिया है या उसके बन्द किये जानेके बाबत कोई सूचना उसको दी है।

४ यह कि मुझ सायलका कारोबार बराबर चल रहा है व मैं अपने सब कर्ज भली प्रकार चुका सकता हूँ।

५ यह कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् सब कर्जख्वाहानके कर्जे चुकाये जा चुके हैं।

इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म जो खिलाफ मुझ सायलके हुआ है मसूख किया जावे या अदालत जो हुक्म मुनासिब समझे दे देवे। सायल इसके लिये बड़ा कृतज्ञ होगा।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

नोट.—इस दरख्वास्तके साथ यदि मुनासिब हो तो हल्फनामा भी दाखिल करना चाहिये। अधिकतर हल्फनामेका दाखिल किया जाना ही अच्छा है।

(नमूनेका फार्म) नं० १३

दरख्वास्त कर्जख्वाह वास्ते मंसूखी हुक्म दिवालिया (दफा ३५)

अर्जी हस्ब दफा ३५ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

मिनजानिब ... ... कर्जख्वाह

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

.. .. सायल

उक्त कर्जख्वाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि उक्त दिवालियेने स्वयं एक दरख्वास्त इस अदालतमें देकर अपनेको दिवालिया करार दिलवा लिया है।

२ यह कि उक्त दिवालिया अधिकतर में रहता है जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके बाहर स्थित है और इसी कारण इस अदालतको उक्त दिवालियेकी दरख्वास्त सुननेका अधिकार प्राप्त नहीं है।

३ यह कि मुझ कर्जख्वाह पर किसी नोटिसकी तामील नहीं हुई जिसके कारण मैं कर्जख्वाह पैरवी मुक़द्दमा नहीं कर सका और अधिकार सीमाका विरोध भी नहीं कर सका।

४ यह कि उक्त दिवालियाने अपने कर्ज़ोंकी तादाद ५००) से अधिककी दिखलाई है गो दरअसल उसने जो कर्ज दरख्वास्तमें दिखलाये हैं अधिकतर फर्जी व मुमायशी हैं और यह असली कर्जख्वाहानका कर्ज मारनेकी गरजसे दिखलाये गये हैं।

५ यह कि उक्त दिवालियाकी माली हालत काफी अच्छी है और यह बआसानी अपने असली कर्ज़ोंको चुका सकता है।

६ यह कि उक्त कारणोंसे यह भली भाँति प्रकट है कि दिवालियेने झूठी दरख्वास्त देकर और असलियतको छिपाते हुए अदालतसे बेजा तरीके पर यह हुक्म ता०　　सन् १९　　ई० को हासिल कर लिया था जो कि काबिल मंसूख़ी है।

इसलिये प्रार्थना है कि दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म मसूख किया जावे अथवा कोई अन्य मुनासिब हुक्म दिया जावे जिसके लिये मैं कर्जख्वाह बड़ा कृतज्ञ होऊँगा।

तारीख़　　सन् १९　　ई०　　हस्ताक्षर

नोटः—इस दरख्वास्तके साथ भी इसकी पुष्टिमें हलफ़नामा तस्दीकशुदा दाखिल किया जाना चाहिये।

(नमूने का फार्म) नं० १४

तस्फीया या तय करनेकी स्कीमका प्रस्ताव पेश करनेकी दरख्वास्त (दफा ३८)

अर्जी हस्ब आर्डर ३८ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुक़द्दमा दिवालिया न०　　सन् १९　　ई०

....सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदालतके हुक्म द्वारा मैं सायल तारीख़　　सन् १९　　ई० को दिवालिया क़रार दे दिया गया हू।

२. यह कि मुझ सायलको दिवालिया बननेकी नौबत इस कारण पहुंची कि बाजारकी हालत आम तौर पर गड़बड़ है व मुझ सायलको खास तौरसे अपने व्यापारमें नुकसान उठाना पड़ा था। मुझ सायलकी ओरसे कोई बेइनमानी अमलमें नहीं लाई गई थी और न मुझ सायलने किसी या सब कर्जख्वाहों का कर्ज मारनेकी गरजसे कोई बेजा काम किया है कोई फिजूल खर्ची भी अमलमें मुझ सायलकी ओरसे नहीं आई है।

३. यह कि अब मुझ सायल का विचार है कि मैं सायल फिरसे अपने व्यापारको करूं और मुझ सायलको पूरी उम्मेद है कि उसमें जरूर फायदा होगा।

४. यह कि इसी कारण मुझ सायलने यह तय किया है कि अपने सब कर्जख्वाहानके कर्जे का समझौता करके कारोबार अपना बदस्तूर शुरू करूं। कर्जख्वाहानने भी कसरतरायसे मुझ सायलका प्रार्थनाको मंजूर कर लिया है और वह लोग रुपयेमें सात आने अपने पूरे कर्जेकी अदायगीमें लेनेको तैय्यार हैं।

५. यह कि चूंकि मुझ सायलकी जायदाद व लहनसे इस समय रुपयेमें चार आने भी वसूल होना नामुमकिन है और मुझ सायलके यकीन दिलानमें कर्जख्वाहानने तय शुदा सात आने दो किश्तोंमें जो छमाही २ में अदा की जावेगी लेना मंजूर कर लिया है इसलिये समझौतेकी यह स्कीम अदालत द्वारा मंजूर किया जाना बहुत मुनासिब है।

इसलिये उक्त कारणोंसे प्रार्थना है कि अदालत ऊपर बतलाये हुए समझौतेके प्रस्तावको कृपया स्वीकार करे और दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मसूख फर्मावे जिसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

(नमूनेका फार्म) नं० १५

दरख्वास्त वास्ते बहाल किये जाने (दफा ४१)

दरख्वास्त हस्ब दफा ४१ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...............

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

....सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदालतने मुझ सायलको तारीख सन् १९ ई० में दिवालिया करार दिया था व साथही साथ यह भी हुक्म दिया था कि मैं सायल माहके अन्दर बहाल (Discharge) की दरख्वास्त दे दूं।

२. यह कि मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरकी सुपुर्दगीमें देदी थी और रिसीवर मजकूरने मुझ सायलका सब लहना व जायदादसे वसूल करके डिवीडेन्ड (हिसाब रसदी) कर्जख्वाहानमें तकसीम कर दिया है जिससे उनका कर्जा रुपयेमें नौ आनेके हिसाबसे चुका दिया गया है।

३. यह कि मुझ सायलने कोई जायदाद या कर्जा नहीं छिपाया था और न मुझसायलकी ओरसे कोई बे उनमानी या हुक्म उदूली ही कभी दौरान मुकद्दमेमें की गई है।

४. यह कि व्यापारमें घाटा होनेके कारण मुझ सायलको नुकसान उठाना पड़ा था और उस वक्त कर्जा लेनेके समय मुझ सायलको उनकी अदायगीके लिये जराभी शक नहीं था व वह पूरी तौरसे चुकाये जा सकते थे।

इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि वह पूर्ण रूपसे बहाल किया जावे।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

रिसीवरकी रिपोर्टका पेश होना भी आवश्यक बात है कर्जख्वाहान इस दरख्वास्तका विरोध भी कर सकते हैं।

नोटः—इस दरख्वास्तके सुने जानेकी सूचना सब कर्जख्वाहानको उसी तरीके पर दी जाना चाहिये जिस तरीके पर दरख्वास्त दिवालियाकी दी जाती है।

(नमूने का फार्म) नं० १६

दरख्वास्त वास्ते बहाल किये जानेके (दफा ४१)

दरख्वास्त हस्ब दफा ४१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...............

मुकदमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

....सायल

मन सायल निम्न लिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मैं सायल बहुक्म अदालत तारीख़ सन् १९ ई०को दिवालिया करार दिया गया था और अदालतने बहाल (Discharge) की दरख्वास्त देनेके लिये ६ माहकी मुद्दत दी थी।

२. यह कि मुझ सायलके पास कोई जायदाद नहीं थी और इसलिये किसी रिसीवरकी नियुक्ति भी नहीं की गई थी।

३. यह कि मुझ सायलको रोजगारमें यकायक घाटा पड जाने या बवजह बीमारी एक साल तक अपने कामकी पूरी २ देख भाल न करनेकी वजहसे इस हालत पर पहुंचना पडा था।

४ यह कि मुझ सायलने जिस वक्त यह कर्ज़ लिये थे उस वक्त सब अदायगी का पूरा सुभीता मुझ सायलके पास था और कभी मुझ सायलकी नियत कभी किसी कर्जके मारनेकी नहीं रही है।

५ यह कि मुझ सायलके पास बराबर बाकायदा हिसाब किताब रहा है व मुझ सायलने किसी कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहों पर तर्जीह नहीं दी है और न कोई बेइमानी अमलमें कभी लाई गई है और न कोई जायदाद बाद दिवालिया होने मुझ सायलके पास नहीं आई है।

६ यह कि ऊपर दिखलाई हुई बातोंसे भली भांति प्रकट है कि दिवालिया बननेके लिये मैं किसी प्रकार दोषी नहीं हू किन्तु अचानक व अभाग्यवश ही मुझ सायलको दिवालिया बनना पडा था।

इसलिये प्रार्थना है कि मैं सायल पूर्ण रूपसे बहाल किया जाऊं जिसमें कि फिरसे अपना कारोबार शुरू कर सकूं क्योंकि दिवालिया होनेके बादमें बराबर तबाह हूं।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० १७

बहालकी दरख्वास्तके विरोधमें दी जानी वाली दरख्वात (दफा ४२)

अर्जी हस्ब दफा ४२ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०...............

मुकदमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

....सायल

मैं कर्जख्वाह निम्नलिखित प्रार्थना करता हू

१. यह कि सायलने जो इस अदालतसे तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था बहाल होनेकी दरख्वास्त इस अदालत में दी है जिसकी सूचना मुझ कर्जख्वाहको मिली है।

२ यह कि उन सायलकी यह दरख्वास्त इन कारणासे हर्गिज काबिल मंजूरी नहीं है।

(ए) यह कि दिवालिये मजकूर का लहना उसके कर्जोंके रुपयेमें आठ आना चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है या उससे कर्जोंकी अदायगीमें सिर्फ रुपयेमें एक आना ही वसूल हो सकता है।

(बी) यह कि दिवालिया क़रार दिये जानेसे पहिले उसने अपनी बहुतसी जायदादको छिपा दिया था या अपने रिश्तेदारों वगैरहके पास हटा दिया था।

(सी) यह कि उसने (दिवालियेने) मुझ सायलका कर्ज मारनेकी गरजसे बहुतसे फर्जी कर्ज अपने रिश्तेदारों व दोस्तोंके दिखला दिये थे।

(डी) यह कि दिवालियेने अपने लहनेके वसूल किये जानेमें कोई मदद रिसीवरको नहीं दी जिससे कि उसका बहुत सा लहना वसूल होनेसे रह गया।

(ई) यह कि बाद दिवालिया करार दिये जानेके उसने बराबर छिपकर दूसरोंके नामसे कारोबार किया है जिसमें कसीर रकम पैदाकी है और वह उस रकमको छिपाये हुए है।

(एफ) यह कि उसने दिवालियेकी दरख्वास्त देनेसे पहिले अपनी गरमनकूला जायदाद के हकमें कर दी थी वह इस तौर पर उसने की बेजा तर्जीह दूसरे कर्जख्वाहों पर दी थी (और यह कि वह इन्तकाल जायदाद फर्जी करार दिया जाकर रद्द किया जा चुका है)

(जी) यह कि दिवालिया मजकूर बराबर हिसाब किताब रखता था लेकिन उसने बगरज हजम करने रकम कर्जख्वाहान अपनी हिसाबकी किताबोंको छिपा रक्खा है उनको पेश नहीं किया है।

(एच) यह कि दिवालिया मजकूरने तमाम रुपया फिजूल खर्चेमें बर्बाद कर दिया है।

(आई) यह कि दिवालिया मजकूरने बहुतसे कर्जे यह जानते हुए लिये थे कि वह उनको अदा नहीं कर सकेगा।

(जे) यह कि दिवालिया मजकूर तरह २ की बेइमानी शुरूसे अब तक अमलमें लाता रहा है जिनके कारण वह हर्गिज बहाल किये जाने योग्य नहीं है।

३. यह कि अगर दिवालिया बहाल कर दिया गया तो आयन्दा उससे किसी रकमके वसूल होने की उम्मेद नहीं रहेगी।

४ यह कि रिसीवरकी रिपोर्टसे भी ऊपर बतलाई हुई बहुतसी बातें साफ तौर पर जाहिर होंगी।

इसलिये प्रार्थना है कि दिवालिया मजकूर हर्गिज बहाल न किया जावे (या वह ऐसी शर्तोंके साथ बहाल बहाल किया जावे जिसमें कि उसकी आयन्दा आमदनी या आने वाली जायदादसे कर्जख्वाहानको कुछ रुपया और वसूल हो सके)

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

नोट:—(१) उक्त उजरदारीकी तार्ईदमें यदि उचित हो तो हलफनामा भी दाखिल किया जाना चाहिये —

(२) दरख्वास्तकी दफा २ में जो वजूहात दिखलाये गये हैं उनमेंसे सब या थोड़ी जो मुनासिब मालूम हो दिखलाई जाना चाहिये।

(३) बहाल पूर्ण रूपमे रोका जा सकता है व आयन्दा होने वाली आमदनी या आने वाली जायदादके सम्बन्ध में हुक्म देकर बहाल किया जा सकता है अथवा किसी नियत की हुई अवधिके बाद बहाल होनेकी आज्ञा दी जा सकती है।

(नमूने का फार्म) नं० १८

दरख्वास्त बाबत मंसूखी इन्तकाल जायदाद (दफा ५३ व ५४ ए)

दरख्वास्त हस्ब दफा ५३ व ५४ ए क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ....

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

....सायल

उक्त मामलेमें निम्नलिखित प्राथना है

१ यह कि दिवालिया स्वयं अपनी दरख्वास्त पर इस अदालत द्वारा ता० सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था।

२. यह कि अदालतके हुक्म द्वारा मैं उक्त दिवालियाकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूं

३. यह कि दिवालिया मजकूरने अपनी जायदाद बजरिये दस्तावेज रजिस्ट्रीया मुवर्रिखा अपने एक रिस्तेदार मुसम्मी के नाम दरख्वास्त दिवालिया देनेके चन्द माह पहिले (अर्थात् अन्दर दो सालके) कर दी है और यह दस्तावेज बिलाबदल व फर्जी थी व अपनी जायदादको बचाने व उसको अपने कर्जख्वाहानसे बचानेकी गरजसे लिखा था जो काबिल कायम रहनेके नहीं हैं।

४ यह कि मुझ रिसीवरने को जिनके हकमें दस्तावेज मजकूर लिखी गई थी इस बातकी इत्तला दे दी थी कि वह जायदाद का कब्जा मुझ रिसीवरको दे देवें लेकिन उन्होंने उसकी कोई सुनवाई नहीं की और न जायदाद पर कब्जा ही दिया।

५. यह कि उक्त कारणोंसे ऊपर बतलाया हुआ इन्तकाल जायदाद बिलकुल फर्जी है व मुझ रिसीवरके विरुद्ध कोई असर नहीं रखता है और जायदाद मजकूर का कब्जा मुझ रिसीवरको मिलना चाहिये जिसमें वह कर्जख्वाहानमें तकसीमकी जा सके।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त इन्तकाल जायदाद फर्जी व बिलाबदल करार देकर मसूख फर्माया जावे व मुझ रिसीवरके खिलाफ बिलकुल बेअसर करार दिया जावे या कोई अन्य मुनासिब हुक्म दिया जावे।

तारीख सन १९ ई० हस्ताक्षर

नोटः—जायदादकी पूरी तफसील दी जाना चाहिये और यदि मुनासिब हो तो इत्तला देने वाले व्यक्ति का हलफनामा भी इस दरख्वास्तकी पुष्टिमें बाबत रिस्ता वगैराके लगा देना चाहिये:—

(नमूने का फार्म) नं० १९

धोखादेहीसे तर्जीह देने वाले इन्तकाल जायदादकी मंसूखीके लिये दी जाने वाली दरख्वास्त (दफा ५४ व ५४ ए)

दरख्वास्त हस्ब दफा ५४ व ५४ ए. प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.................

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

....सायल ;

रिसीवर पिटीशनर बनाम कर्जख्वाह फरीकसानी

उक्त पिटीशनर (रिसीवर) की निम्नलिखित प्रार्थना है.—

१. यह कि सायल अपनी ही दरख्वास्त पर इस अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था व मैं पिटीशनर उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ।

२. यह कि उक्त दिवालियाने तारीख　　को या उसके लगभग अपनी आयदादका इन्तकाल करके उसमेंसे मुबलिग २०००)　　को जो उसका कर्जख्वाह है अपने दीगर कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तर्जीह देकर दे दिया है। जायदादके इन्तकालकी तफसील इस दरख्वास्तके साथ दाखिलकी जाने वाली फिहरिस्तमें दिखलाई गई है।

३ यह कि उक्त इन्तकाल जायदाद व नीज अदायगी रुपया ऐसे समयमें की गई थी जब कि दिवालिया मजकूर अपने कर्जोंके चुकानेमें असमर्थ था और यह काम दिवालियकी दरख्वास्त दिये जानेसे तीन माहके अन्दर किया गया है।

४. यह कि ऐसी दशामें यह सौदा कानूनन नाजायज है और मुझ रिसीवरके विरुद्ध काबिल कायम रहनेके नहीं है और इसी कारण मसूख किया जाना चाहिये।

५ यह कि मुझ रिसीवरने फरीकसानी (कर्जख्वाह जिसके हकमें रुपया अदा हुआ था) को इसकी सूचना देदी थी व उससे उस रुपयेको वापिस देने या सौदाको मसूख करानेको कहा था परन्तु उसने उसे नहीं माना।

इसलिये प्रार्थना है कि उक्त सौदा नाजायज करार दिया जावे या कोई अन्य उचित हुक्म दिया जावे।

तारीख　　सन् १९　　ई०　　हस्ताक्षर

नोट:—इस दरख्वास्तके साथ जायदादकी तफसील दाखिलकी जाना चाहिये व यदि आवश्यकता हो तो जानने वाले व्यक्तिका हलफनामा वाकयातकी पुष्टिमें लगाना चाहिये।

(नमूने का फार्म) नं० २०

दरख्वास्त कर्जख्वाह बाबत मसूखी इन्तकाल जायदाद (दफा ५४ ए)

दरख्वास्त हस्ब दफा ५४ ए प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० ......

मुकद्दमा दिवालिया नं०　　सन् १९　　ई०

.... सायल

मिनजानिब　　कर्जख्वाह

बा० कर्जख्वाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है:—

१. यह कि उक्त सायल स्वयं अपनी दरख्वास्त पर इस अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९　　ई० को दिवालिया करार दिया गया था और　　उसकी जायदादके लिये अदालत द्वारा रिसीवर नियुक्त किये गये हैं।

२. यह कि दिवालिया मजकूरने अपनी जायदादको बजरिये दस्तावेज फर्जी मुवर्रखा अपने एक रिश्तेदारके हकमें बिला बदल लिख दिया है जिसे तखमीनन　　माहके (दो सालके अन्दरका समय होना चाहिये) हुए हैं।

३. यह कि इन्तकाल जायदाद दिवालिया मजकूरने अपनी जायदादको बचानेके लिये इस गरजसे किया है कि जिसमें वह उसके कर्जख्वाहानको न मिल सके व जिस समय यह इन्तकाल किया गया था दिवालिया अपने सब कर्जोंको चुकानेके लिये समर्थ नहीं था व दस्तावेज बिला बदल व फर्जी तारसेकी गई थी जो हर हालतमें काबिल मंसूखी है।

४. यह कि मुझ कर्जख्वाहने उसकी मंसूखीके बाबत रिसीवर साहबसे बारहा कहा व उनको तारीख　　सन् १९　　ई० को नोटिस भी इसके बाबत दिया था लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं हुए लिहाजा मजबूरन मुझ कर्जख्वाहको उसकी मसूखीके लिये दरख्वास्त देना पड़ी।

५. यह कि चूंकि कानूनन मुझ कर्जख्वाहका बिला इजाजत अदालत ऐसे इन्तकालके मसूख कराने का हक नहीं है इस कारण उसकी इजाजतके लिये यह दरख्वास्त दी जाती है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत मुझ कर्जख्वाहको उक्त इन्तकाल जायदादकी मसूख करानेकी इजाजत दी जावे या अन्य कोई उचित हुक्म दिया जावे और साथ ही साथ प्रार्थना है कि उक्त इन्तकाल मसूख फर्माया जावे ।

तारीख़ सन् १९ ई० हस्ताक्षर

नोट: —दरख्वास्तकी पुष्टिके लिये हल्फनामा भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं० २१

दरख्वास्त बाबत तहकीकात जुर्म दिवालिया (दफा ७०)

दरख्वास्त हस्ब दफा ७० प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०..................

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

.... सायल

मिनजानिब रिसीवर

उक्त रिसीवर निम्न लिखित प्रार्थना करता है —

१. यह कि सायल अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और मैं इसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२ यह कि मुझ रिसीवरने दिवालिया मजकूरसे बारहा अपनी सब हिसाबकी किताबें पेश करने व सूचीमें दिखलाई हुई जायदाद पर कब्जा देनेको कहा मगर दिवालियेने उसकी कोई परवाह नहीं की । मुझ रिसीवरने उसको जाब्तेसे इत्तला भी तारीख सन् १९ ई० को दी है इस पर भी न तो दिवालिया खुद मेरे पास आया है और न मेरे कहनेकी इत्तला ही की है ।

३ यह कि दिवालिया मजकूर अपनी जायदादको कर्जख्वाहानसे बचानेकी नीयतही से यह सब कार्रवाइयां कर रहा है । या

दिवालियाने अपनी हिसाबकी किताबोंको नष्ट कर दिया है या उसे अपनी हिसाबकी किताबोंमें गलत इन्दराज वगैरा असली हालतको छिपानेकी मंशासे कर लिये हैं । या

अपनी हिसाबकी किताबोंको पेश नहीं कर रहा है । या

दिवालियेने सूचीमें दिखलाई हुई जायदादमें अपनी बहुतसी जायदाद नहीं दिखाई है या उनमेंसे कुछको रेहन बय आदिसे अलहदा कर रखा है और यह सब कार्रवाई अपने कर्जख्वाहोंको नुकसान करने व बेजा लाभ उठानेकी मंशा ही से की है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत ऊपर दिखलाये हुए जुर्मकी तहकीकात करे और हस्ब दफा ७१ प्रान्तिक कानून दिवालिया कार्रवाई अमलमें लावे या कोई अन्य मुनासिब हुक्म सादिर फर्मावे ।

तारीख़ सन् १९ ई० हस्ताक्षर

॥ इति ॥

प्रेसीडेन्सी टाउन्स
क़ानून दिवालिया
एक्ट नं० ३ सन १९०९ ई०
Presidency Towns Insolvency Act, No. 3 of 1909.

यह क़ानून सिर्फ
कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून और कराची शहरोंमें लागू है

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र नज़ीरों एवं उदाहरणों तथा अन्य क़ानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :—
बाबू रूपकिशोर टण्डन
एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एस० एडवोकेट

प्रकाशक :—
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :—
क़ानून प्रेस, कानपुर

Presidency Towns Insolvency Act.

Act No. III of 1909.

प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नम्बर ३ सन १९०९ ई०

१२ मार्च सन १९०९ ई० को गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति प्राप्त हुई।

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) व रंगूनके कानून दिवालियाको संशोधन करनेके लिये बनाया गया है

प्रस्तावना (Preamble)

चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंसी टाउन्स तथा रंगूनके कानून दिवालिया में संशोधन किया जावे अत निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

[यह एक्ट सिर्फ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची इन ५ शहरोंमेंही लागू होगा इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानमें यह एक्ट लागू नहीं होगा]

दफा १ नाम व प्रारंभ

(१) यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया सन १९०९ ई० (The Presidency Towns Insolvency Act 1909.) कहा जायगा।

(२) यह एक्ट पहिली जनवरी सन १९१० ई० से लागू होगा।

व्याख्या—

यों तो इस एक्ट का नाम प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया है किन्तु प्रेसीडेन्सी टाउन्सके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानोंमें भी इसके प्रयोग किये जाने की व्यवस्था की गई है अर्थात् प्रेसीडेन्सी टाउन्स के अतिरिक्त इसका प्रयोग रंगून शहर व कराचीमें भी किया जाता है। रंगून का उल्लेख तो इस एक्ट के प्रारम्भ ही में कर दिया गया है किन्तु कराची (Karachi) के लिये इसका प्रयोग एक्ट ५ सन् १९२६ ई० के अनुसार किया जाना निश्चित हुआ है उससे पहिले कराचीमें प्रान्तिक कानून दिवालिया लागू था परन्तु उस एक्टके नियमोंका प्रयोग कराची टाउनके लिये उपयुक्त नहीं समझा गया इस कारण सिविल जस्टिस कमेटीकी सिफारिस पर उस एक्ट का प्रयोग कराचीसे उठा दिया गया और उसके स्थान पर वहांके लिये इस एक्ट अर्थात् प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया का प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया। इस एक्ट (प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सालवेंसी एक्ट १९०९) के पास होनेके पहिले प्रेसीडेन्सी टाउन्स (Presidency Towns) में इण्डियन इन्सालवेन्सी एक्ट १८४८ (11 & 12 Vict Ch 21) लागू था और दिवालियेके अधिकारों का प्रयोग प्रेसीडेन्सी टाउन्समें हाईकोर्ट तथा रंगूनमें चीफकोर्ट किया करते थे।

प्रान्तिक क़ानून दिवालियासे भेद—प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सालवेंसी एक्ट तथा प्रान्तिक क़ानून दिवालिया (Provincial Insolvency Act) एक दूसरेसे भिन्न हैं तथा उनके अनुसार दिवालियेके सम्बन्धमें जो अधिकार दिये गये हैं वह भी भिन्न हैं इस कारण यदि कोई दिवालियेकी दरख्वास्त प्रेसीडेन्सी टाउन्स क़ानून दिवालियाके अनुसार हाईकोर्टमें चल रही हो तो वह प्रान्तिक क़ानून दिवालियाके अनुसार कार्य करने वाली अदालत ज़िला (District Court) में नहीं भेजी जा सकती है। देखो—38 Mad 472; 53. Cal. 928.

इस एक्टका पिछले कार्यों पर प्रभाव—इस एक्ट का कोई प्रभाव पिछले किये हुए कार्यों पर नहीं पड़ेगा सिवाय उसके जिसका उल्लेख इस एक्टमें कर दिया गया हो। जो एक्ट बनाये जाते हैं उन सबका प्रयोग भविष्यमें होने वाले कार्यों के लिये होता है पिछले कार्योंके लिये नहीं। इस सम्बन्धमें यहाके हाईकोर्टों तथा विलायतकी बहुतसी नजीरें हैं जिनमें यह साफ तौरसे तय किया गया है कि कानून पिछले क़ानूनोंके अनुसार किये हुए कार्योंको नहीं पलटेगा किंतु भविष्यमें किये जाने वाले कार्य उसके अनुसार किये जावेंगे। देखो—(1890) 15 A. C. 384, (1894) Q B 725 (737), 31 C. L. J. 463.

दफा २ परिभाषायें

यदि कोई बात विषय व महावरेके विरुद्ध न पड़ती हो तो इस एक्टमें दिये हुए नीचेके शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये:—

(ए) क़र्ज़ख्वाह (Creditor) से अभिप्राय डिक्रीदार (Decreeholder) का भी है।

(बी) क़र्ज़ा (Debt) से अभिप्राय डिक्री के क़र्ज़ेसे भी है और क़र्ज़दार (Debtor) से अभिप्राय मदियून (Judgement debt) का भी है।

(सी) आफिशल एसायनी (Official Assiynee) से अभिप्राय क़ायम मुक़ाम अफिशल एसायनी (Acting Official Assiynee) से भी है।

(डी) निर्धारित किये हुए (Prescribed) अभिप्राय उन बातों का है जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हों।

(ई) जायदाद (Property) से अभिप्राय उस जायदाद का भी है जिस पर या जिससे होने वाले लाभ पर किसी व्यक्तिको व्यय करनेका अधिकार होवे और जिसे वह अपने लाभके लिये प्रयोग कर सके।

(एफ) नियमों (Rules) से अभिप्राय उन नियमों का है जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों।

(जी) महफ़ूज़ क़र्ज़ख्वाह (Secured Creditor) से अभिप्राय उस ज़िमींदार (Land Lord) का भी है जिसका किसी प्रचलित क़ानूनके आधार पर ज़मीनके लगानके लिये किसी ज़मीन पर बार होवे।

(एच) अदालत (The Court) से अभिप्राय उस अदालत का है जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करती हो।

(आई) इन्तक़ाल जायदाद (Transfer of Property) से अभिप्राय उस इन्तक़ाल से भी है जो उस जायदादके किसी हक़ या उस पर पैदा हुए किसी भारके सम्बंधमें किया गया हो।

व्याख्या—

अधिकतर ऊपर दी हुई परिभाषायें पूर्ण परिभाषायें नहीं हैं क्योंकि उनमें केवल यह बतला दिया गया है कि किसी शब्द विशेष का प्रयोग किसी ख़ास अर्थमें समझना चाहिये जैसे कि क्लाज़ (ए) में क़र्ज़ख्वाह (Creditor) शब्दकी परिभाषा नहीं दी हुई है किन्तु केवल यही बतलाया गया है कि डिकीदार (Decree holder) को भी क़र्ज़ख्वाह (Creditor) समझना चाहिये।

क्लाज़ (ए) में केवल यह बतलाया गया है कि डिक्रीदार (Decree holder) को क़र्ज़ख्वाह समझना चाहिये इसलिये इस क्लाज़से यह बात प्रकट नहीं होती है कि क़र्ज़ख्वाह किसे किसे समझना चाहिये। इस बातको समझनेमें दफ़ा ४६ तथा उसकी व्याख्यासे सहायता प्राप्त हो सकती है क्योंकि उस दफ़ामें क़र्ज़ा साबित किये जानेका उल्लेख किया गया है। किसी क़र्ज़ख्वाहके बेनामीदारको क़र्ज़ख्वाह नहीं समझना चाहिये, देखो—रुनकी बनाम सूरत 20 C W N 995

क्लाज़ (बी) में भी क्लाज़ (ए) के भांति न तो क़र्ज़की और न क़र्ज़दारहीकी परिभाषा दी गई है किन्तु इतना बतला दिया गया है कि मताल्बा डिकी (Judgement Debt) को क़र्ज़ (Debt) व मदियून (Judgement debtor) को क़र्ज़दार (Debtor) समझना चाहिये। इस कारण इन शब्दों अर्थात् क़र्ज़ या क़र्ज़दारकी परिभाषा भी इस एक्टकी और दफ़ाओंके पढ़ने तथा हाईकोर्ट द्वारा दी हुई नज़ीरोंके देखनेसे समझा जा सकता है। इन शब्दोंके लिये विशेष परिभाषा कहीं नहीं दी गई है किन्तु समय समय पर इन शब्दोंका प्रयोग जिन बातोंके लिये किया गया है या हाईकोर्टके फ़ैसलोंमें इन शब्दोंका प्रयोग जिन बातोंके लिये होना बतलाया गया है उन्हीं बातका तात्पर्य इन शब्दोंसे समझना चाहिये। यदि कोई रुपया दरअसल व दर हालतमें अदा किये जानेको है चाहे उसकी अदायगी उसी समयक्या जानेको होवे अथवा भविष्यमें किसी समय उसकी अदायगी होने वाली होवे तो उस रुपयेको क़र्ज़ समझना चाहिये देखो—36 Cal 94 उधार देने वाले व उधार लेने वालेका सम्बन्ध आपसमें क़र्ज़ख्वाह व क़र्ज़दारका होता है और जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात मुआहिदेमें न होवे, क़र्ज़दारको ट्रस्टी नहीं समझना चाहिये आफ़िशल एसायनी बनाम लिम 32 Mad 68 यदि कोई व्यक्ति अपना रुपया किसी दूसरे व्यक्तिको इस बातके लिये दे कि वह रुपया किसी तीसरे व्यक्तिको दे दिया जावे तो पहिले व्यक्तिका सम्बन्ध दूसरे व्यक्तिसे क़र्ज़ख्वाह व क़र्ज़दारका नहीं होगा क्योंकि इस दशामें वह दूसरा व्यक्ति एक प्रकारसे एजेन्टका काम करता है देखो—30 Mad. 499

क्लाज़ (सी) में यह बतलाया गया है कि आफ़िशल एसायनी (Official Assiynee) से तात्पर्य उस व्यक्तिको भी समझना चाहिये जो उसकी जगह पर काम करनेके लिये नियुक्त किया जावे अथवा जो उसका एवज़ में काम करता हो। आफ़िशल एसायनीकी नियुक्तिके सम्बन्धमें आगे चल कर वर्णन दिया हुआ है।

क्लाज़ (डी) में अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Prescribed) शब्दके बारेमें दिया हुआ वर्णन उसके अनुसार (Prescribed) शब्दका तात्पर्य उन बातोंका समझना चाहिये जो नियमोंके अनुसार [illegible] ।

क्लाज़ (ई) में जायदाद (Property) शब्दके बारेमें लिखा हुआ है, परन्तु इस क्लाज़में इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा नहीं दी हुई है एक्टकी दूसरी दफ़ाओंमें जहां तहां पर बतलाया गया है कि दिवालियेकी कौनसी जायदाद

उसके कर्ज़ख्वाहोंमें बांटी जासकती है या कौनसी जायदाद पर आफ़िशल एसायनी कब्ज़ा ले सकता है इत्यादि। इसका विवरण उन्हीं दफ़ाओंमें मिलेगा जैसे कि दफ़ा ५२ तथा दफ़ा १७ आदि।

क्लाज़ (एफ) में यह बतलाया गया है कि जहां पर नियमों (Rules) का उल्लेख मिले वहां उनसे तात्पर्य उन नियमोंका समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों।

क्लाज़ (जी) में महफ़ूज कर्ज़ख्वाहोंका उल्लेख है परन्तु इस क्लाज़में इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा नहीं दी हुई है। बम्बई हाईकोर्टने भी A. I. R. 1929 Bom. 107. में भी यही मत प्रकट किया है उसमें यह तय हुआ था कि महफ़ूज कर्ज़ख्वाह (Secured Creditor) की परिभाषा पूर्ण परिभाषा नहीं है और चूंकि इङ्गलिश बैंकरप्सी एक्टस् (English Bankruptcy Act) के शब्दोंका अधिकतर प्रयोग इस एक्टमें किया गया है इस कारण उन एक्टों (Acts) में जो परिभाषा दी गई हो वह माननीय समझना चाहिये अर्थात् उन परिभाषाओंको इस एक्टके लिये लागू समझना चाहिये।

क्लाज़ (एच) में अदालत शब्दका विवरण है और यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें जहां कहीं अदालत (The Court) शब्दका प्रयोग पाया जावे वहां इस शब्दका तात्पर्य उस अदालतसे समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिकारोंका प्रयोग कर रही हो। इस प्रकार अदालत शब्द उस अफ़सरके लिये भी प्रयोग किया जाना समझना चाहिये जिसे दफ़ा ६ के अनुसार एकतर्फ़ी दरख्वास्तोंको सुनने या बयान लेने आदिके अधिकार प्रदान कर दिये गये हों।

क्लाज़ (आई) में इन्तकाल जायदादका जिक्र है परन्तु इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा इस क्लाज़में नहीं दी हुई है केवल इतना बतला दिया गया है कि उससे तात्पर्य उस इन्तकाल (Transfer) से भी है जो उस जायदादके किसी हक़ या उस पर पैदा हुए किसी भारके सम्बन्धमें किया गया हो। हाईकोर्टोंने इस बातको तय कर दिया है कि क़ानून दिवालियाके सम्बन्धमें अंग्रेज़ी फैसले (English Decisions) भी माननीय हैं क्योंकि यह क़ानून इङ्गलिश बैंकरप्सी एक्ट (The English Bankruptcy Act) से बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ है, देखो—40 Mad. 810. इसी प्रकार परिभाषाओंके लिये भी वह एक्ट लागू है अर्थात् माननीय है। देखो—A. I. R. 1929 Bom. 107.

नोट:—इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि जिस शब्दकी परिभाषा इस एक्टमें न मिले उसके लिये जनरल क्लाजेज़ एक्टमें दी हुई परिभाषा लागू होगी।

पहिला प्रकरण

अदालतोंकी व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

दफ़ा ३ वह अदालतें जिनको दिवालियेके अधिकार प्राप्त हैं

निम्न लिखित अदालतोंको इस एक्टके अनुसार दिवालियेके सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त हैं।

(ए) कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट तथा बम्बई हाईकोर्ट।

(बी) लोअर बर्माका चीफकोर्ट।

व्याख्या—

इस एक्टके बननेके पश्चात् बहुतसे परिवर्तन तथा संशोधन हुए हैं। इस कारण इस दफ़ाको भी उन्हीं संशोधनोंका ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिये। लोअर बर्माके चीफकोर्टसे तात्पर्य रंगून हाईकोर्टका समझना चाहिये और इस दफ़ामें बतलाई हुई

अदालतोंके अतिरिक्त सिन्धके जुडीशल कमिश्नरको भी दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करने वाली अदालत मानना चाहिये चूँकि एक्ट ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार कराची (Karachi) टाउन (Town) में भी इस एक्ट अर्थात् प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्टका प्रयोग प्रारम्भ हो गया है इस कारण सिन्धकी अदालत आला (Highest Tribunal) को भी वही अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो पेश्तर सिर्फ इस दफामें बतलाई हुई अदालतोंको प्राप्त थे।

दफा ४ अकेला एकही जज इस एक्टके अधिकारोंको बरत सकता है

इस एक्टके अनुसार मामलों को सुनने या तय करनेका जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग ऊपर बतलाई हुई अदालतों का कोई एक जज कर सकता है और चीफ जस्टिस या चीफ जज समय समय पर किसी एक जजको इस एक्टके अनुसार कार्य करनेके लिये नियुक्त करेगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिये का अधिकार रखने वाले हाईकोर्ट या चीफकोर्टके चीफ जस्टिस या चीफ जज का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अदालतके किसी एक जजको दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुननेके लिये नियत कर देवे और ऐसे नियत किये हुए जजको अकेले ही दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुनने तथा उनको तय करने का अधिकार प्राप्त होगा।

दफा ५ कमरेमें जजोंका काम करना

इस एक्टकी बातों तथा उसके लिये बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतके जजको अधिकार है कि वह दिवाले सम्बन्धी मामलेकी सब बातें या उनमेंसे कुछको कमरेमें सुन सकता है अर्थात् वह अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंका प्रयोग कमरेमें बैठे हुए कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करने वाला जज उन अधिकारोंको अपने कमरेमें बैठे हुए भी प्रयोग कर सकता है अर्थात् उनके लिये वह खुली अदालतमें सुननेके लिये बाध्य नहीं है परन्तु इसका तात्पर्य यह न समझना चाहिये कि वह दिवालिया सम्बन्धी सब कामोंको कमरेके अन्दर ही करेगा। आवश्यकतानुसार वह दिवालिया सम्बन्धी सब बातोंको या उनमेंसे कुछको कमरेमें बैठे हुए भी सुन सकता है किन्तु साथ ही साथ उसको इस एक्टकी बातों व इस एक्टके सम्बन्धमें बनाये हुए नियमोंकी भी अवहेलना न करना चाहिये अर्थात् यदि किसी बातको खुली अदालतमें सुनने या तय करनेके लिये एक्ट या नियममें बतलाया गया हो तो उसे खुली अदालतमें ही सुनना चाहिये इसी प्रकार यदि कोई और बात कमरेमें किसी मामलेके सुने जानेके विरुद्ध पड़ती हो तो उसका ध्यान रखना चाहिये।

दफा ६ अदालतके अफसरोंको अधिकार प्रदान करना

(१) चीफ़ जस्टिस या चीफ जजको अधिकार है कि वह समय समय पर अदालतके किसी अफसरको जिसे उसने स्वयं इसीलिये नियत किया हो, इस दफामें बतलाये हुए सब या उनमेंसे कुछ अधिकारोंके प्रयोग करनेका अधिकार दे देवे और यह अधिकार उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें दिये जावेंगे जिनके लिये इस एक्टके अनुसार अदालतको अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार नियत किया हुआ अफ़सर ऊपर बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए जो हुक्म देगा या काम करेगा वह हुक्म या काम अदालत ही का हुक्म या काम समझा जावेगा।

(२) उपदफ़ा (१) में जिन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है वह अधिकार निम्न लिखित हैं.—

(ए) कर्जदारों द्वारा दिये जाने वाली दिवालियेकी दरख्वास्तोंका सुनना तथा उन पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म देना

(बी) दिवालियेका सरेआममें बयान लेना (To hold public examination)

(सी) जिन अधिकारोंका प्रयोग किया जाना कमरेमें बैठे हुए उचित निर्धारित किया गया है उनका प्रयोग करते हुए किसी हुक्मका देना या उनका प्रयोग करना

(डी) किसी ऐसी दरख्वास्त, जिसका विरोध न किया जारहा हो या जो एकतर्फ़ा (Exparto) होवे उसका सुनना तथा उसका निश्चित करना

(ई) अदालत द्वारा दफ़ा ३६ के अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिका बयान लेना

(३) इस दफ़ाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरको अदालतकी तौहीनी (Contempt of Court) के लिये मामला चालू करनेका अधिकार नहीं होगा

व्याख्या—

कार्यकी सुगमताके लिये इस दफ़ाकी उपदफ़ा (१) के अनुसार चीफ़जस्टिस या चीफ़ जजको यह अधिकार दिया गया है कि वह अदालतके किसी अफसरको कुछ मामलोंके सुनने या तय करनेका अधिकार दे सके जिन मामलोंके सुनने या तय करनेका अधिकार इस दफ़ाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरको दिया जासकता है उनका उल्लेख उपदफ़ा (२) में किया गया है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि चीफ़जस्टिस या चीफ़ जज उन्हीं मामलोंके सम्बन्धमें ऐसे अधिकार दे सकते हैं जो उनको अदालतको इस एक्टके अनुसार प्राप्त हों उन अधिकारोंके अतिरिक्त वह अन्य किसी अधिकारको नहीं दे सकते हैं।

उपदफ़ा (२) में जिन अधिकारोंका उल्लेख है वह सबके सब एक साथ ही दिये जानेकी आवश्यकता नहीं है चीफ़जज या चीफ़जस्टिस आवश्यकतानुसार समय समय पर उनमेंसे कुछ अधिकारोंको या उचित प्रतीत होने पर सभी अधिकारोंको दे सकते हैं। चीफ़जस्टिस या चीफ़जज स्वयं ही इस कामके लिये किसी अफसरको नियुक्त करेंगे और ऐसे नियुक्त किये हुए अफसरको जो अधिकार प्रदान किये जावेंगे उनके प्रयोग करनेके लिये वह अफसर पूर्ण रूपसे अधिकारी होगा। उन अधिकारोंका प्रयोग करते हुए वह अफसर जो हुक्म देगा या जो कार्य करेगा वह अदालतहीका काम या हुक्म समझा जावेगा।

उपदफ़ा (३) के अनुसार इस दफ़ामें नियुक्त किये हुए अफसरको तौहीन अदालतका मामला चालू करनेका अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि दफ़ा (६) के अनुसार रजिस्ट्रारको अधिकार दे दिये जावें तो दफ़ा ३८ के अनुसार उसे अदालत समझना चाहिये अर्थात् रजिस्ट्रारको इस दफ़ाके अनुसार अधिकार दिये जासकते हैं. A. I. R 1928 Cal 786

दफ़ा ७ दिवालियेके सम्बन्धमें पैदा हुए सब प्रश्नोंको तय करनेके अधिकार

इस एक्टमें दी हुई बातोंका ध्यान रखते हुए अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उन सब प्रश्नोंको तय करे जो कर्ज़ोंकी बेहतर अदायगीके सम्बन्धमें पैदा हों और भी हर प्रकारके प्रश्नोंको तय करे चाहे वह कानूनी होवें या वाकयाती होवें जो कि अदालतके सामने उपस्थित किसी दिवालियेके मुकद्दमेंमें पैदा होवें या जिनको अदालत पूर्ण न्याय करनेके लिये उचित या आवश्यक समझे अथवा जिनको वह किसी मामलेमें जायदादको पूर्ण रूपसे बांटनेके लिये उचित या आवश्यक समझे।

व्याख्या—

इस दफामें अदालतके अधिकारोंका वर्णन है उसके अधिकार सीमा का वर्णन नहीं है। अदालत दिवालियाको उन प्रश्नोंके तय करने का अधिकार है जो आफिशल एसायनी व गैर शख्सों (Strangers) के बीचमें पैदा हों देखो—20 Mad. L T 311 अदालत दिवालियाके दिये हुए हुक्मको रद्द किये जानेके लिये कोई मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता है, देखो—40 Mad. 1173 उक्त मुकद्दमेमें आफिशल एसायनीके अपीलान्टसके कब्जेसे कुछ जायदादको यह कह कर ले लिया था कि वह जायदाद दरअसल दिवालियेकी जायदाद है क्योंकि उसके सम्बन्धमें जो बैनामा किया गया था वह बिल्कुल फर्जी व धुमायशी था और मिन्न कर दिया गया था। अपीलान्टसने पहिले अदालत दिवालियामें इस बातकी दरख्वास्त दी कि वह माल उनका करार दिया जावे अदालतने इस मामलेकी असलियतको सुन कर अपीलान्टसकी उक्त दरख्वास्तको खारिज कर दिया अपीलान्टसने अदालत दिवालियेके इस फैसलेकी कोई अपील नहीं की किन्तु उसकी वसूलीके लिये अदालत दीवानीमें नालिश दायर कर दी थी उस पर यह तय किया गया था कि अदालत दिवालियाके दिये हुए हुक्मको रद्द करानेके लिये कोई दीवानीका मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है यदि कोई हक सम्बन्धी उलझनके प्रश्न उपस्थित होवें तो अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह आफिशल एसायनीको ऐसे प्रश्न दीवानीकी अदालतों द्वारा तय कराने का आदेश कर देवे। देखो—20 Mad L. T. 311.

इसी फैसलेमें यह भी तय हुआ था कि अदालत दिवालिया अपने अधिकार सीमासे बाहर स्थित जायदादके सम्बन्धमें भी फैसला दे सकती है इस दफामें एक प्रकारकी सहूलियतके लिये अदालत दिवालियाको अधिकार दे दिये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इसके कारण अदालत दीवानीके उस मूल अधिकारका अपहरण होता है जो उसे उन प्रश्नोंके सम्बन्धमें प्राप्त है जो कि आफिशल एसायनी व गैर लोगोंके दरमियान पैदा होवें देखो—35 Bom 473.

यदि इस एक्टमें किसी प्रश्नको तय करनेके लिये कोई नियम दिया हुआ हो तो उसको मानने तथा उसके अनुसार कार्य करनेके लिये अदालत दिवालिया बाध्य है। इस दफाके अनुसार अन्य सब प्रश्नोंके तय करनेके लिये अदालत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है चाहे वह कानूनी होवें या वाकयाती। कर्जोंकी पेश्तर अदायगीके सम्बन्धमें जितने प्रश्न उपस्थित होवें वह सब बिना किसी बाधाके अदालत दिवालिया द्वारा तय किये जा सकते हैं। इसी प्रकार दिवालियेके मुकद्दमोंके सम्बन्धमें यदि और कोई प्रश्न उपस्थित होवे अथवा अदालत इन्साफके लिये किसी प्रश्न का तय करना उचित व आवश्यक समझे तो वह ऐसे भी सब प्रश्नोंको तय कर सकती है और अदालत दिवालिया द्वारा किये हुए फैसलोंको दीवानीके मुकद्दमों द्वारा रद्द नहीं कराया जा सकता है। अर्थात् एक प्रकारसे उनको अम्र तजवीज शुदा समझना चाहिये अदालत दिवालियाको इस दफाके अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि कोई जटिल प्रश्न हकके सम्बन्धमें उपस्थित हो जाय तो उस मामलेको बजाय खुद तय करनेके अदालत दीवानी द्वारा तय किये जानेका आदेश कर देना चाहिये जिसमें पूर्ण रूपसे इन्साफ हो सके व किसी फरीकको शिकायत का अवसर प्राप्त न होवे।

अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्तिके लिये जो दिवालियेकी जायदाद का कर्जदार समझा जाता हो और जो २०० मीलसे अधिक दूरी पर रहता हो उसके विरुद्ध उसकी हाजिरी तथा बयानके लिये सम्मन जारी कर सके देखो—A. I. R. 1928 Mad. 806 दफा ७ के अनुसार हाईकोर्टको गारनिशी मामलोंके सम्बन्धमें भी अधिकार प्राप्त है यदि गारनिशी उसकी अधिकार सीमासे बाहर भी रहता हो देखो—51 Mad. 540, A. I. R. 1928 Mad. 752 ('गार्निशी' यह शब्द मदरास प्रान्तका है)।

यदि दफा ७ के अनुसार किसी गवाहके बयान लिये जावें तो उसको वह सब सुविधायें प्राप्त होंगी जो कानून शहादत (Law of Evidence) के अनुसार गवाहोंको प्राप्त होनी चाहिये और वह उन प्रश्नों का उत्तर देनेके लिये बाध्य नहीं

किया जा सकता है जिनका उत्तर वह कानून शहादतके अनुसार देनेसे इनकार कर सकता है। अदालत इस दफाके अनुसार दिवालियेकी मामलोंके सम्बन्धमें किसी भी व्यक्ति का बयान ले सकती है और कोई गवाह इस कारण कि उसका मामिला त करुं उस मामलेसे है गवाही देनेसे इन्कार नहीं कर सकता है देखो—A. I. R. 1929 Mad. 185.

अपील

दफा ८ दिवालियेके मामलोंकी अपील

(१) अदालत अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करते हुए जिन हुक्मोंको दे चुकी हो उन हुक्मोंकी यह नजरसानी कर सकती है उनको पलट सकती है अथवा उनमें रद्दोबदल कर सकती है।

(२) कोई भी व्यक्ति जिसे हानि पहुँचती हो दिवालिया सम्बन्धी मामलोंमें दिये हुए हुक्मोंकी अपील निम्न प्रकारसे कर सकेगा:—

(ए) दफा ६ के अनुसार अधिकार प्राप्त किये हुए अदालतके अफ़सर द्वारा दिये हुए हुक्मकी अपील उस जजके यहां की जावेगी जो दफा ४ के अनुसार दिवालियेके मामले सुनने या तय करनेके लिये नियुक्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त कोई आयन्दा अपील बिना उस जजकी आज्ञा लिये हुए, नहीं की जावेगी।

(बी) क्लाज़ (ए) में बतलाई हुई बातोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार दिये हुए दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करते हुए किसी जज द्वारा जो हुक्म दिये जावें उनकी अपील उसी प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार उन हुक्मोंकी अपील कीजाती है जो दीवानीके मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए किसी एक जज द्वारा दिये गए हों।

व्याख्या—

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि अदालत दिवालिया अपने हुक्मों पर दुबारा गौर कर सकती है तथा उनको पलटने व बदलनेका अधिकार भी उसको प्राप्त है। इन अधिकारोंको ठीक उसी प्रकार समझना चाहिये जिस प्रकारके अधिकार जाब्ता दीवानीके अनुसार अदालत दीवानी द्वारा प्रयोग किये जाना बतलाया गया है। अदालत अपने हुक्मोंकी नजरसानी (Review) कर सकती है तथा वह अपने मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए उन हुक्मोंको रद्द कर सकती है अथवा आवश्यकतानुसार उनमें रद्दोबदल कर सकती है किसी हुक्मकी नजरसानी (Review) उसी हाकिम द्वाराकी जाती है जिसने उस हुक्मको दिया हो परन्तु यदि वह हाकिम बदल गया हो या किसी वजहसे उस जगह पर काम न करता हो और उसकी जगह पर कोई दूसरा हाकिम काम करता हो तो ऐसा हाकिम भी पहिले हाकिम द्वारा दिये हुए हुक्मोंकी नजरसानी सुन सकता है। जैसे कि यदि किसी रजिस्ट्रारने कोई हुक्म दिया हो तो उसकी जगह पर आने वाला व्यक्ति उस हुक्मकी नजरसानी सुन सकता है। यदि हुक्म किसी एक जज द्वारा दिया गया हो तो दूसरा जज जो दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करता हो पहिले जज द्वारा दिये हुए हुक्मकी नजरसानी (Review) सुन सकता है, देखो—A. I. R. 1928 Cal 786 (F. B.) यदि रजिस्ट्रारने दफा ३६ के अनुसार किसी गवाहकी तलबीका हुक्म दिया हो और उस हुक्मके विरुद्ध कोई दरख्वास्त दिवालियेका काम करने वाले जजके सामने दी जावे तो दरख्वास्त को उपदफा (२) के क्लाज (ए) के अनुसारकी हुई अपील समझना चाहिये, देखो—A. I. R 1928 Cal 786 इसी मामलेमें यह भी तय किया गया था कि यदि किसी जजने ऐसी दरख्वास्तकी नजरसानी (Review) समझ कर सुना हो और सुन कर खारिज

कर दिया हो तो जज महोदयके हुक्मको उपदफा (१) के अनुसार दिया हुआ हुक्म नहीं समझना चाहिये किंतु उसको एक प्रकारसे उपदफा (२) क्लाज (बी) के अनुसार दिया हुआ हुक्म माना जासकता है। और इस हुक्मकी अपील डिवीज़न बैंच में की जासकती है।

उपदफा (२) के क्लाज (ए) में यह बतलाया गया है कि दफा ६ के अनुसार नियुक्त किया हुआ कोई अदालत का अफसर हुक्म देवे तो उस हुक्मकी अपील दिवालियेके मामलोंका सुनने वाले जजके सामनकी जा सकती है परन्तु इस हुक्मकी अपीलमें जज जो फैसला देगा उसे एक प्रकारसे अंतिम फैसला समझना चाहिये उसकी दुबारा अपील नहीं की जा सकती है गो साथही साथ यह भी बतला दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपीलमें दिये हुए जजके फैसलेसे असन्तुष्ट होवे और उसका दुबारा अपील किया चाहे तो उसे अपील करनेसे पहिले उस जजकी आज्ञा ले लेना चाहिये जिसने अपील अव्वलको सुना था तब दुबारा अपील दायर की जा सकती है। क्लाज (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि हाईकोर्ट का कोई जज अपने दिवालियेके अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई फैसला करे तो उसकी अपील उसी प्रकारकी जा सकेगी जिस प्रकार जाबता दीवानीके अनुसार उन फैसलोंकी अपीलकी जासकती है जो उसने अपने दीवानीके मामूली मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए किये हों। क्लाज (ए) व (बी) में जो अन्तर है उसे भले प्रकार समझ लेना चाहिये अर्थात् क्लाज (ए) के अनुसार अपीलमें किये हुए फैसलेकी दुबारा अपील नहीं हो सकती है परन्तु क्लाज (बी) के अनुसार किये हुए फैसलोंकी अपील हो सकती है दोनों हालतोंमें फैसला करने वाला जज वही है परन्तु पहिली हालतमें जजने फैसला अदालत अपीलकी भांति दिया है व दूसरी हालतमें उसी जज का फैसला अपील का फैसला नहीं है किन्तु वह फैसला उसका स्वयं फैसला है जिसे इब्तदाई फैसला कह सकते हैं।

दूसरा प्रकरण

दिवालियेके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाइयां

दिवालियेके काम

दफा ९ दिवालियेके काम

कर्ज़दार नीचे दिये हुए कामोंमेंसे किसी कामको करे तो माना जावेगा कि उसने दिवालिये का काम किया है:—

(ए) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी कुल जायदादको या क़रीब २ सब जायदादको अपने कर्ज़ख्वाहोंके लाभार्थ किसी तीसरे व्यक्तिके हक़में कर देवे।

(बी) यदि वह ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा अपने कर्ज़ख्वाहोंके हक़ मारने या उनके कर्ज़ोंकी अदायगीमें देर करने की मंशासे अलहदा कर देवे।

(सी) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी जायदाद या उसके किसी

भागके सम्बन्धमें कोई ऐसा इन्तकाल करे जो इस एक्टके अनुसार अथवा किसी अन्य प्रचलित एक्टके अनुसार धोखा देहीसे तर्जीह देने का सौदा समझ कर उसके दिवालिया करार दिये जाने पर रद्द समझा जा सके।

(डी) यदि वह अपने क़र्ज़ख्वाहों का क़र्ज़ मारने या उसमें देर करनेकी नियतसे

(i) ब्रिटिश इण्डिया (British India) के बाहर चला जावे या वहां बना रहे

(ii) अपने रहनेके स्थान या अपने अधिकतर व्यापार करनेके स्थानसे चला जावे या किसी वजहसे वहां न रहे

(iii) छिप जावे जिसमें कि उसके क़र्ज़ख्वाहानको उसकी खबर न मिल सके

(ई) यदि उसकी जायदाद रुपयेकी अदायगीके लियेकी हुई डिक्रीके आधार पर कुर्क की गई हो और कुर्की का हुक्म कमसे कम २१ दिनसे बना हुआ हो।

(एफ) यदि वह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त देवे।

(जी) यदि वह अपने किसी क़र्ज़ख्वाहको इस प्रकारका नोटिस देवे कि उसने अपने कारोबारको बंद कर दिया है अथवा वह उसे बंद करने वाला है।

(एच) यदि वह रुपयेके अदायगीके सम्बन्धमें की हुई किसी डिक्रीके आधार पर क़ैद होवे

व्याख्या (Explanation) इस दफाके लिये एजन्टका काम उसके मालिकका काम समझा जावेगा चाहे उस एजेन्टको अपने मालिक (Principal) की ओरसे उस कामको करनेके लिये कोई अधिकार प्राप्त न होवे।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके कामों का उल्लेख किया गया है अर्थात् वह काम बतलाये गये हैं जिनके होने या करनेसे यह मान लिया जावेगा कि कर्जदारने दिवालियेका काम किया है। इस दफामें या इससे पहिले कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि कर्जदार किस व्यक्तिको समझना चाहिये। दफा २ के क्लाज (बी) में केवल इतना बतलाया गया है कि मद्यून (Judgement debtor) को भी कर्जदार समझना चाहिये अर्थात् उस दफामें दी हुई कर्जदारकी परिभाषा पूर्ण परिभाषा हर्गिज़ नहीं समझी जा सकती है। रुपया उधार देने वाले व रुपया उधार लेने वालेसे जो सम्बन्ध होता है वह क़र्ज़ख्वाह व कर्जदार का सम्बन्ध हुआ करता है। कर्जदार शब्द का अर्थ जो बहुधा लोग समझा करते हैं वही समझना चाहिये। हाईकोर्टने अपने फैसलोंमें जहां तहां इस शब्दके अर्थमें कभी २ कुछ प्रकाश डाला है अर्थात् उनमें यह निश्चित किया गया है कि आया कोई व्यक्ति विशेष कर्जदार है अथवा नहीं है।

जैसे कि मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे किसी तीसरे व्यक्तिको अदा करनेके लिये कोई रुपया लेवे तो रुपया इस प्रकार लेने वाले व्यक्तिको कर्जदार नहीं समझना चाहिये देखो—36 Mad 494.
इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि कोई कर्ज किसी मुस्तरका खानदानके कारोबारके लिये किसी व्यक्तिकी नाबालिगीमें लिया गया हो तो वह नाबालिग ऐसे कर्जेके लिये दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता है देखो—41 Mad 824

गैर मुल्क का रहने वाला (Foreignee) भी दिवालिया करार दिया जासकता है यदि इस दफामें बतलाई हुई शर्तें पूरी होती होवें। बम्बई हाईकोर्टने यह तय किया था कि यदि कोई गैर मुल्क का रहने वाला जो ब्रिटिश इण्डियासे बाहर रहता

हो ब्रिटिश इण्डियामें कारोबार करता हो और वह कारोबार किसी एजेन्टके ज़रिये बम्बईमें किया जाता हो तो बम्बईमें उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकता है। चीफ जस्टिस मि० सारजेन्ट महोदयने इस सम्बन्धमें अपनी यह राय प्रकटकी थी कि गैर मुल्क का बाशिन्दा अगर स्वयं कारोबार ब्रिटिश इण्डियामें न करता हो तो वह यहांके कानूनोंकी पाबन्दीके लिये बाध्य नहीं है लेकिन अगर वह अपना कारोबार यहां करे और उस कारोबारसे लाभ उठाना चाहता यह मान लिया जावेगा कि वह अपने इस कारोबारके सम्बन्धमें यहांके क़ानूनोंको पालनेके लिये तैयार है और इसी कारण यहांकी अदालतें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनेकी अधिकारिणी हैं। देखो—17 Bom 662

क़र्ज़दार इस दफाके अनुसार कोई व्यक्ति भी हो सकता है तथा कोई फर्म भी हो सकता है जो लोग सही मुआहिदा कर सकते हैं वह लोग इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जा सकते हैं यदि इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंकी पूर्ति होती है। जैसे कि विवाहिता स्त्री कर्ज़दार हो सकती है नाबालिग बच्चे दिवालिया करार नहीं दिये जा सकते हैं देखो—43 Cal. 1157 इसी प्रकार पागल भी दिवालिया करार नहीं दिये जाने चाहिये।

क्लाज़ (ए) में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्ज़दार अपनी सब जायदाद या करीब २ सब जायदादको मुन्त किल कर दे यदि वह अपनी जायदाद का कोई जुज़ हिस्सा ही इस क्लाज़में बतलाई हुई शर्तके साथ अलहदा कर दे तो इस क्लाज़की पूर्ति नहीं समझना चाहिये इस क्लाज़के अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्तिको इस मन्शासे देना चाहिये जिसमें कि वह उसके सब कर्ज़ख्वाहानको दी जा सके। जैसे कि अपनी सब जायदाद के लिये ट्रस्टियोंका मुकर्रर कर देना जिसमें कि वह ट्रस्टी उसकी जायदादको उसके क़र्ज़ख्वाहानमें बांट सके। इस क्लाज़के लिये यह आवश्यक नहीं है कि जायदाद केवल ब्रिटिशभारत (Brit sh India) ही में इस प्रकार अलहदाकी गई हो उसकी अलहदगी ब्रिटिशभारतके अतिरिक्त अन्य जगहोंमें भी की जा सकती है। इस प्रकार इस क्लाज़से यह तात्पर्य निकलता है कि दिवालियेका काम ब्रिटिश भारतके बाहर भी हो सकता है। जायदादका इन्तकाल इस क्लाज़के अनुसार बाक़ायदा किया जाना चाहिये सिर्फ ज़बानी कह देनेसे या अधूरी तहरीरसे काम नहीं चल सकता है।

क्लाज़ (बी) के अनुसार यदि कोई क़र्ज़दार अपनी सब जायदाद या उसके किसी भागको इस नीयतसे हटा देवे कि जिसमें उसके क़र्ज़ख्वाहोंकी वसूलीमें देर होवे अथवा उनका कर्ज़ मारा जावे तो कर्ज़दारके इस कामको भी दिवालियेका काम माना जावेगा। इस क्लाज़के अनुसार भी जायदादका हटाया जाना ब्रिटिश भारतमें अथवा उसके बाहर किया जा सकता है अर्थात् इस प्रकारका इन्तकाल जायदाद ब्रिटिश भारत ही में किये जानेकी आवश्यकता नहीं है। इस क्लाज़से भी यही तात्पर्य निकलता है कि दिवालियेका काम ब्रिटिश भारतके बाहर भी किया जा सकता है इस क्लाज़में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जायदाद कुल या उसका कोई हिस्सा हटाया जा सकता है जो क्लाज़ (ए) में ऐसा नहीं था उसके अनुसार सब जायदाद या करीब २ सब जायदाद अलहदाकी जाना चाहिये इस क्लाज़के अनुसार जो इन्तकाल किया जावे वह कर्ज़ा मारने या उनकी अदायगीमें देर करनेकी मन्शासे किया जाना चाहिये परन्तु क्लाज़ (ए) के अनुसार जो इन्तकाल किया जावेगा वह कर्ज़ख्वाहानके लाभार्थ किया जावेगा।

क्लाज़ (सी) के अनुसार भी इन्तकाल जायदाद चाहे ब्रिटिशभारत में किया जावे चाहे उसके बाहर। इस क्लाज़के अनुसार वह इन्तकाल जायदाद ऐसा होना चाहिये जो धोखादेहीसे तर्जीह देने वाला इन्तकाल समझा जावे अर्थात् यदि इन्तकाल जायदाद करने वाला कर्ज़दार दिवालिया करार दे दिया जावे और उसके बाद वह इन्तकाल जायदाद किसी एक कर्ज़ख्वाहको दूसरे क़र्ज़ख्वाहके मुकाबिले तर्जीह (Preference)देने

वाला इन्तकाल करार देकर रद्द किया जासके तो ऐसे इन्तकाल जायदादके किये जाने पर दिवालियेका काम समझना चाहिये। इस क्लाजके अनुसार भी यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुल जायदाद अन्तरण कर देवे वह अपनी कुल जायदाद या उसका कोई हिस्सा अलहदा करने पर इस क्लाजके अन्दर आजावेगा। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस क्लाजके अनुसार किया हुआ इन्तकाल तर्जीह देने वाला होना चाहिये अर्थात् किसी कर्जदारके हकमें यानी कि दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले लाभ पहुँचाने मशासे किया जाना चाहिये।

क्लाज (डी) यह तीन उपक्लाजोंमें विभक्त है पहिले उपक्लाज (i) के अनुसार यदि कर्जदार ब्रिटिशभारतसे बाहर चला जावे अथवा यदि वह पहिलेसे बाहर गया हुआ हो और बाहरही बना रहे तो उसका यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा। परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार बाहर जाना या बाहर रहना कर्जख्वाहोंका कर्जा मारने या उसकी अदायगीमें देर करनेकी मशासे किया गया हो। दरख्वास्त दिवालियामें कर्जदारकी इस प्रकारकी मशा साफ तौरसे दिखला देना चाहिये परन्तु यदि दरख्वास्त दिवालियामें इस प्रकारकी मशा न दिखलाई गई हो तो दरख्वास्तकी ताईदमें जो हलफनामा दाखिल किया गया हो उसे देखना चाहिये और यदि हलफनामेमें इस प्रकारकी मशा बतलाई गई हो तो उसे पर्याप्त समझना चाहिये अर्थात् तब वह दरख्वास्तके आधार पर कर्जदार दिवालिया करार दिया जासकता है, देखो—37 Mad 505 अधिकतर इस प्रकारकी मशा कर्जदारके कामोंसे द्वारा ही साबित हो सकती है। यदि किसी फर्मका एक शरीकदार कहीं बाहर चला जावे तो केवल उसीके चले जानेके कारण फर्म दिवालिया करार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि एकके चले जानेसे सब शरीकदारोंका चला जाना नहीं माना जासकता है अपने व्यापारकी जगहसे कर्जख्वाहोंका कर्जा मारनेकी गरजसे बाहर जाना दोनों शरीकदारोंका होना चाहिये तभी यह क्लाज लागू होगा, देखो—24 Bom L R 861. इस क्लाजके उपक्लाज (ii) के अनुसार यदि वह कर्जख्वाहोंका कर्जा मारने या उसमें देर करनेकी मशासे किसी प्रकार भी गैर हाजिर रहे तो उसका यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा इस उपक्लाजमें, रहने वाले मकानसे बाहर रहना या व्यापार करनेकी जगहसे हट जाना इन दो बातोंका उल्लेख है लेकिन साथही साथ उसमें यह भी लिख दिया गया है कि अगर वह इन जगहोंसे हट जावे अथवा किसी प्रकार भी गैर हाजिर रहे तो दिवालियेका काम मान लिया जावेगा। इस उपक्लाजमें रहने वाले मकानका जो जिक्र है उससे अभिप्राय मुस्तकिल (Permanent) रहने वाली जगह ही से नहीं है किन्तु उस जगहसे भी समझना चाहिये जहां कर्जदार रहने लगा हो क्योंकि इस क्लाजमें मुस्तकिलका कोई उल्लेख नहीं है। रोजगारकी जगहसे तात्पर्य उस जगहका समझना चाहिये जहां अधिकतर कर्जदार रोजगार करता हो क्योंकि अँग्रेजी एक्टके इस क्लाजमें (Usual) शब्दका प्रयोग किया गया है। इस शब्दसे यह भासित होता है कि यदि कर्जदारने किसी जगह कोई एक आध सौदा खरीदा या बेचा हो तो उस जगहको उसकी रोजगारकी जगह नहीं मान लेना चाहिये। अगर वह किसी खास जगह पर दूकान खोल कर अपना कारोबार करता हो। इस क्लाजके उपक्लाज (iii) के अनुसार कर्जदारका छिपना जिससे कि उसके कर्जख्वाह उसकी खबर न पासकें एक प्रकारसे दिवालेका काम है। यह छिपना भी कर्ज मारने या उनके अदायगीमें देर करनेकी मशासे किया जाना चाहिये और साथ ही साथ यह छिपना ऐसा होना चाहिये कि उसके कर्जख्वाह उससे पत्र व्योहार न कर सकें यानी जिसमें उनको उसकी खबर न मिल सके।

क्लाज (ई) के अनुसार कर्जदारकी किसी जायदादका इजराय डिक्रीकी इक्तमें बेचा जाना दिवालियेका काम है। इसी प्रकार यदि कर्जदारकी कोई जायदाद इजराय डिक्रीमें कुर्क हुई हो और वह कुर्की २१ दिन या इससे

अधिक दिनोंसे कायम हो तो भी दिवालियेका काम समझा जावेगा। डिक्री जिसका ज़िक्र इस क्लाज़में है वह रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें होना चाहिये। फैसला मालकी डिक्री नहीं है और उसके अनुसार यदि कुर्की हुई हो तो वह दफा (ई) के अनुसार नहीं आसकता है देखो—A I R 1928 Cal, 840।

यदि कर्ज़दार स्वयं दिवालिया क़रार दिये जानेकी दरख्वास्त देवे तो कर्ज़दारका यह काम क्लाज़ (एफ) के अनुसार समझा जावेगा।

क्लाज़ (जी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्ज़दार अपने किसी कर्ज़ख्वाहको इस बातका नोटिस देवे कि उसने अपने कर्ज़ोंका चुकाना बन्द कर दिया है या वह बन्द करने वाला है तो उसका यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा। इस क्लाज़में यह कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि नोटिस लिखकर ही दिया जाना चाहिये या नोटिस किसी खास किस्मका दिया जाना चाहिये इस कारण नोटिसके लिखकर ही देनेकी आवश्यकता नहीं है और न यह आवश्यकता है कि वह किसी खास तरीके (Form) से ही दिया होवे। इस क्लाज़में बतलाया हुआ नोटिस सब कर्ज़ख्वाहोंको एक साथ देनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु नोटिस किसी एक कर्ज़ख्वाहको भी दिया जासकता है।

क्लाज़ (एच) के अनुसार यदि रुपयेके अदायगीके सम्बन्धमें वा हुई डिक्रीके इजरायमें कर्ज़दार क़ैद किया गया होतो इसको भी दिवालियेका काम समझना चाहिये। इस दफ़ाके अन्तमें जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसके अनुसार एजेन्ट द्वारा किया हुआ काम भी मालिक (Principal) द्वारा किया हुआ काम समझना चाहिये चाहे उसको उस कामके करनेका अधिकार विशेष रूपसे न दिया गया हो अर्थात् यदि एजेन्ट बतौर एजेन्टके कोई काम अपने मालिक (Principal) के लिये करे तो एजेन्टका वह काम मालिकका काम मानकर वह दफ़ा ९ के अनुसार दिवालियेका काम समझा जावेगा और मालिक ऐसे दिवालियेके कामके आधार पर दिवालिया करार दिया जासकता है।

दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म

दफा १० दिवालिया क़रार देनेके अधिकार

इस एक्टमें दी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए यदि कर्ज़दार किसी दिवालियेके कामको करे तो दिवालियेकी दरख्वास्त उसका कोई कर्ज़ख्वाह या वह स्वयं देसकता है और अदालतको अधिकार है कि वह ऐसी दरख्वास्त (Petition) पर उस कर्ज़दारके दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दे देवे। यह हुक्म दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म (Order of Adjudication) कहलायेगा।

व्याख्या—

कर्ज़दार द्वारा दिवालियेकी दरख्वास्तका दिया जाना दिवालियेका काम समझा जावेगा और अदालत उस दरख्वास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दे सकती है। दफ़ा ९ में बतलाये हुये दिवालियेके काम करने या होने पर तथा इस एक्टमें बतलाई हुई और शर्तोंकी पूर्ति होने पर कर्ज़दार स्वयं या उसके विरुद्ध उसका कोई कर्ज़ख्वाह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरख्वास्त अदालत दिवालियामें दे सकता है और ऐसी दरख्वास्त गुज़रने पर अदालतको अधिकार है कि वह

कर्जदारको दिवालिया करार दे देवे। इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेका जो हुक्म दिया जावगा उसे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म (Adjudication order) कहेंगे। इस दफासे यह भली भांति प्रकट है कि अदालत दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है। इस दफामें यह बात भी साफ तौरसे बतला दी गई है कि दरख्वास्त दिवालिया कर्जदार स्वयं या उसका कोई कर्जख्वाह दे सकता है बशर्ते कि इस एक्टमें बतलाई हुई सब शर्तें पूरी होती होवें। दरख्वास्त दिवालिया उसी समय काबिल मञ्जूर होवेगी जब कि दफा ९ में बतलाया हुआ कोई दिवालेका काम हुआ हो। परन्तु इस दफाके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसके अनुसार कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरख्वास्तका दिया जाना ही दिवालेका काम है इसलिये कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरख्वास्तके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह दफा ९ में बतलाए हुए किसी दिवालियेके कामके आधार ही पर दी जाय। कर्जख्वाह द्वारा दी जाने वाली दरख्वास्तके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दफा ९ में बतलाये हुए दिवालियेके कामोंमें से कोई काम अवश्य दिखलाया जावे और ऐसे कामके होने पर ही कर्जदार अपने कर्जख्वाहको दिवालिया करार दिलानेका अधिकारी होगा अन्यथा नहीं। व्याख्यासे यह भली भांति प्रकट है कि कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरख्वास्त पर भी अदालत उसको दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है क्योंकि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात् उस दरख्वास्त पर भी अदालत अपनी इच्छानुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दे भी सकती है और देनेसे इन्कार भी कर सकती है। यदि कोई कर्जदार अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर दिवालियेका काम करे तो अदालतको अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध जायदाद वसूल करनेका हुक्म दे सकती है और इस बातमें कोई भी *रुकावट नहीं पड़ेगी कि वह कर्जदार इङ्गलैण्ड (England) में दिवालिया करार दिया जाचुका है अर्थात् इङ्गलैण्डमें दिवालिया* करार दे दिये जानेका कोई असर यहां की दिवालिया सम्बन्धी कार्रवाईमें रुकावट नहीं डालेगा देखो—331 Cal. 761.

दफा ११ अधिकारोंमें रुकावट

अदालतको दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म देनेका अधिकार उस समय तक न होगा जब तक कि—

(ए) दिवालिया क़रार दिये जानेकी दरख्वास्त दाखिल करते समय क़र्ज़दार रुपयेके सम्बन्धमें की हुई डिक्रीके इजरायके अनुसार किसी एसे कारावासमें न होवे जहां क़र्ज़दार दीवानीके मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए अधिकतर रक्खे जाते हैं। या

(बी) दिवालियेकी दरख्वास्त देनेसे पहिले क़र्ज़दार एक साल तक अदालतकी *मामूली* दीवानीके अधिकारोंके अनुसार बतलाई हुई अधिकार सीमामें न रहा हो या उसके रहनेका मकान न होवे अथवा उसने स्वयं या किसी एजेन्टके ज़रिये उस सीमाके अन्दर रोजगार न किया हो। या

(सी) क़र्ज़दार स्वयं अपने लाभार्थ कोई काम अदालतकी सीमाके अन्दर न करता हो। या

(डी) यदि किसी फर्मने दिवालियेकी दरख्वास्त दी होवे अथवा किसी फर्मके विरुद्ध दरख्वास्त दी गई हो तो जब तक कि उस फर्मका कारोबार दिवालियेकी दरख्वास्त दाखिल करनेसे पहिले एक सालसे अदालतकी ऊपर बतलाई हुई अधिकार सीमाके अन्दर न रहा हो।

व्याख्या—

यदि किसी डिक्रीमें यह हुक्म होवे कि रुपयेकी अदायगी न की जाने पर रहनकी हुई जायदाद नीलाम की जावेगी तो ऐसी डिक्रीको रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री समझना चाहिये 28 Mad 473 इस दफामें यह बतलाया गया है कि किन २ दशाओंमें अदालतको दिवालिया क़रार देनेका अधिकार न होगा। क्लाज (ए) के अनुसार दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाते समय कर्जदारका जेल हवालातमें होना एक आवश्यक बात है। क्लाज (बी) के अनुसार दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेसे पहले एक सालके अन्दर तक कर्जदारका अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर रहना आवश्यक है अथवा उसने (कर्जदारने) इस अवधि तक उस सीमामें स्वयं या किसी एजेन्टके जरिये कारोबार किया हो अथवा उसका रहनेका मकान उस सीमाके अन्दर होवे। क्लाज (सी) के अनुसार कर्जदारका अपने लाभके लिये अदालतकी अधिकार सीमा के अन्दर काम करना आवश्यक बतलाया गया है क्लाज (डी) के अनुसार यदि किसी फर्मके विरुद्ध या उसकी ओरसे दिवालिया क़रार दिये जानेकी दरख्वास्त दी जावे तो उस फर्मका कारबार अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर दरख्वास्त देनेसे पहिले कमसे कम एक सालसे होना आवश्यक है।

क्लाज़ (ए), (बी), (सी), व (डी) में बतलाई हुई शर्तोंका एक साथ होना आवश्यक नहीं है इन क्लाजोंके बीच में ' या ' लिखा हुआ है जिससे यह भली भांति प्रगट है कि उन शर्तोंमेंसे किसी एकका होना आवश्यक है अर्थात् अदालत किसी कर्जदारको उस समय तक दिवालिया घोषित नहीं करेगी जब तक क्लाज (ए) (बी), (सी) या (डी) में बतलाई हुई कोई न कोई बात उपस्थित न होवे। इस दफाकी पाबन्दी अदालतके लिये आवश्यक है अर्थात् अदालत उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया जिससे ऊपर लिखी हुई बातकी पूर्ण प्रकार पुष्टि होती है।

क्लाज (बी) के अनुसार दरख्वास्त दिवालियेके दिये जानेसे एक सालके अन्दर कर्जदारका अदालतके अधिकार सीमामें रहना या रहनेका मकान रखना अथवा व्यापार करना आवश्यक बतलाया गया है व्यापार करनेके सम्बन्धमें यह भी बतलाया गया है कि कर्जदार स्वयं व्यापार करता हो या किसी एजन्टके जरिये करता हो परन्तु एजेन्टसे तात्पर्य उस एजेन्टका समझना चाहिये जो बाकायदा मुनासिब तरीकेसे उसका एजेन्ट होवे अर्थात् जो व्यापार एजेन्ट द्वारा किया जाता है उसकी देख रेख स्वयं वह एक प्रकारसे करता होवे एजन्टसे तात्पर्य ऐसे आम एजन्टसे न समझना चाहिये कि जो अपने नामसे बहुतोंके लिये कारोबार करता हो और उन लोगोंसे कमीशन लेता होवे देखो—23 Mad. 458, A. I. R. 1929 Sind 24 अधिकार सीमाके अन्दर रहना या उसमें रहनेका मकान होनसे तात्पर्य यह है कि नेकनीयतीसे उसका सम्बन्ध अधिकार सीमासे होवे यह नहीं कि रहने वाला कहीं का होवे और सिर्फ दरख्वास्त देनेकी नीयतसे अधिकार सीमाके अन्दर चन्द दिनोंके वास्ते चला आवे परन्तु यदि बाहरका कोई आदमी कारबारके सिलसिलेमें अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर आ गया हो और वहीं वह रहने भी लगे अर्थात् उस समय कहीं बाहर उसके रहनेका सिलसिला न होवे तो ऐसे व्यक्तिको वहींका रहने वाला समझना चाहिये तथा ऐसे व्यक्तिके लिये सकूनती मकानका रखना भी कहा जा सकता है कलकत्ता हाईकोर्टने 21 Cal. 63 में यह तय किया गया था कि कर्जदार इङ्गलैण्डसे कलकत्ता आया था और वहां वह चन्द माह तक एक होटलमें ठहरा रहा और रोजगारकी तलाशमें रहा और उसके पश्चात् उसको कानून दिवालियासे लाभ उठानेकी आवश्यकता पड़ी तो यह तय हुआ कि वह नेकनीयतीसे वहां आबाद था जिस समय कि दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई थी और उसीके साथ २ इस बातका ध्यान रक्खा गया था कि उसकी सकूनत किसी दूसरी जगह नहीं थी।

एक पुरोहित दूसरी अप्रैलसे ११ अगस्त तक मित्र २ शिष्योंके पास बम्बईमें रहा तो उसके लिये यह तय हुआ था कि उसका बम्बईमें रहना नहीं समझा जावेगा 18 Bom. 290. घूमने मात्रके लिये जाना बहुधा रहनेके बराबर नहीं हो सकता है। रहनेसे तात्पर्य उस जगहसे मालूम होता है जहां वह खाना पीता या सोता होवे या जहां उसके खानदानी या नौकर खाना पीते या सोते होवें 38 Cal. 394. यदि किसी अविभक्त हिन्दू परिवारका कर्त्ता किसी जगह रोज़गार करता हो तो यह नहीं मान लिया जावेगा कि उस परिवारका दूसरा मेम्बर भी वहीं कारबार करता है देखो—23 Mad. 458.

क्लाज़ (डी) में उन मामलोंके बारेमें बतलाया गया है जब कि किसी फर्मके विरुद्ध दिवालिया क़रार दिये जाने की दरख्वास्त दी जाय अथवा किसी फर्मने अपने दिवालिया क़रार दिये जाने की दरख्वास्त दी हो तो फर्मके दिवालिया क़रार दिये जाने के सम्बन्धमें यह बतलाया गया है कि फर्मका काम दिवालियाकी दरख्वास्त दिये जानेसे पहिले एक सालके अन्दर अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर होना आवश्यक है अन्यथा अदालत, फर्म को दिवालिया क़रार नहीं देगी। इस दफ़ाके चारों क्लाज़ भिन्नभिन्न हैं एक दूसरेके आधार पर नहीं हैं और उनमेंसे किसी भी क्लाजमें बतलाई हुई बातके होने पर अदालतको अधिकार सीमा प्राप्त हो सकती है अथवा नहीं अदालत इस दफ़ामें बतलाये हुए नियमको माननेके लियेबाध्य है उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है।

दफ़ा १२ वह शर्तें जिनके अनुसार क़र्ज़ख्वाह दिवालिया क़रार दिलानेकी दरख्वास्त दे सकता है

(१) किसी कर्ज़ख्वाहको अपने क़र्ज़दारके विरुद्ध दिवालिया क़रार दिये जानेकी दरख्वास्त देनेका अधिकार उस समय तक न होगा:—

(ए) जब तक कि कर्ज़दारसे लिया जाने वाला कर्ज़ख्वाहका कर्ज़ पांच सौ रुपये ५००) न होवे परन्तु उस समय जब कि दरख्वास्त देने वाले एकसे अधिक कर्ज़ख्वाह होवें तो उन सब कर्ज़ख्वाहोंके कर्ज़ेका जोड़ पाच सौ रुपये होना चाहिये।

(बी) जब कि अदा किया जाने वाला कर्ज एक निश्चित धन राशिके रूपमें न होवे जो उसी समय अथवा भविष्यमें किसी निश्चित समय पर चुकाया जाने वाला होवे।

(सी) जब तक कि वह दिवालियेका काम जिसके आधार पर दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई हो दरख्वास्त देते समयसे तीन माहके अन्दर न हुआ हो।

(२) यदि दिवालियेकी दरख्वास्त देनेवाला महफ़ूज़ कर्ज़ख्वाह (Secured Creditor) होवे तो वह अपनी दरख्वास्तमें यह बतलायेगा कि वह अपनी ज़मानतको कर्ज़दारके सब कर्ज़ख्वाहानके लाभार्थ छोड़ देवेगा यदि कर्ज़दार दिवालिया क़रार दे दिया जावेगा अथवा उसे उस ज़मानतकी अन्दाजा लगाई हुई क़ीमत भी बतला देना चाहिये। जब कि वह अन्दाज़ा लगाई हुई ज़मानतकी क़ीमत बतलावेगा तो उसकी दरख्वास्त उस रुपयेके लिये मानी जावेगी जो उसके असली कर्जमें से जमानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत घटानेसे बचे और इस प्रकार निकले हुए रुपयोंके लिये वह बिला महफ़ूज़ (The Secured Creditor) मानलिया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफ़ामें उन बातोंका विवरण है जिसके आधार पर कर्ज़ख्वाह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालिया क़रार दिये जानेकी दरख्वास्त दे सकता है। यह दफ़ा दो भागोंमें विभक्त है पहिले भागमें आम कर्ज़ख्वाहोंका उल्लेख है तथा दूसरे भागमें

महफूज कर्जख्वाहका वर्णन है। पहिले भागमें तीन शर्तें बतलाई गई हैं जिनके उपस्थित होने पर ही कर्जख्वाह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त देनेका अधिकारी हो सकता है। अंग्रेजी एक्टमें इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफाके नियमोंका मानना आवश्यक है और उनकी अवहेलना नहीं की जासकती है इस भागके क्लाज (ए) में यह बतलाया गया है कि अगर कोई एक कर्जख्वाह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त देवे तो उस कर्जख्वाहका कर्ज ५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये और यदि एकसे अधिक कर्जख्वाह मिलकर किसी कर्जदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त देवें तो उन सब कर्जख्वाहोंके कर्जका जोड़ ५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये।

क्लाज (बी) के अनुसार जिस कर्जके आधार पर दरख्वास्त दी गई हो वह एक निश्चित धन राशिके रूपमें होना चाहिये और चाहे वह धन राशि उसी समय अदाकी जानेकी होवे अथवा उसकी अदायगी भविष्यमें किसी निश्चित समय पर की जानेकी होवे।

क्लाज (सी) के अनुसार जिस दिवालियेके कामके आधार पर दरख्वास्त दी गई हो वह दरख्वास्त दिये जानेकी तारीखसे तीन माहके अन्दर होना चाहिये अर्थात् दरख्वास्त देनेसे पहिले तीन माहके अन्दर कर्जदारने दफा ९ में बतलाये हुए कामोंमेंसे किसी कामको किया हो। तीन माहके अन्दर जो दिवालियेका काम किया गया होगा उसके आधार पर दिवालियेकी दरख्वास्त नहीं चल सकती है। हां यह अवश्य हो सकता है कि कोई काम तीन महीनेसे पहिले प्रारम्भ हुआ हो और वह तीन माहके अन्दर तक जारी रहे जैसे कि यदि कर्जदार पहिलेसे बाहर गया हो व वहां बना रहे।

उपदफा (२) में महफूज (Secured) कर्जख्वाहोंके बाबत मसला साफ किया गया है उसके अनुसार महफूज कर्जख्वाहोंके लिये दो रास्ते हैं एक तो यह कि वह महफूज कर्जख्वाह अपनी जमानत सब कर्जख्वाहोंके लाभार्थ छोड़ देवे अर्थात् वह अपनी दरख्वास्तमें यह बतला देवे कि यदि कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे तो उसका कर्ज भी और बिना महफूज कर्जख्वाहोंकी भांति समझा जावेगा तथा वह अपनी जमानतको सब कर्जख्वाहोंके लाभार्थ छोड़ देगा। दूसरा रास्ता यह है कि वह जमानतकी हुई जायदादकी कीमतका अन्दाजा दे सकता है परन्तु जब वह ऐसा करेगा तब दिवालियेकी दरख्वास्त देनेके लिये उसका उतना ही कर्ज समझा जावेगा जो उसके असली कर्जमें से जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई कीमत घटानेके बाद बचेगा। दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहका यह कर्तव्य होगा कि वह इन उपरोक्त बतलाई हुई दो बातोंमें से किसी एक बातको अवश्य अपनी दरख्वास्तमें बतला देवे वरना उसकी दरख्वास्त पूर्ण नहीं होगी। इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि उसका कर्ज दोनों ही दशाओंमें ५००) रुपये अथवा उससे अधिक होना चाहिये।

दफा १३ कर्जख्वाहकी दरख्वास्त पर कार्रवाई तथा उस पर हुक्म

(१) कर्जख्वाहकी दरख्वास्तके साथ उसकी पुष्टिके लिये हलफनामा दाखिल किया जावेगा और वह हलफनामा चाहे कर्जख्वाह स्वयं दाखिल करे अथवा उसकी ओरसे कोई अन्य व्यक्ति दाखिल करे जिसे हालात मालूम हों।

(२) दरख्वास्त सुनते समय अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुबूत लेगी—

(ए) दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहका कर्ज, और

(बी) दिवालिये का काम या यदि दरख्वास्तमें एकसे अधिक दिवालियेके काम बतलाये गये हों तो उनमेंसे कोई एक दिवालियेका काम

(३) अदालत दिवालियेकी दरख्वास्त सुननेकी तारीख बढ़ा सकती है और यह हुक्म दे सकती है कि उसकी इत्तला क़र्ज़दारको दी जावे ।

(४) अदालत नीचे दी हुई बातों पर दरख्वास्तको खारिज कर देगी ।

(ए) यदि वह उपदफा (२) में बतलाये हुये सुबूतसे सन्तुष्ट न होवे, या

(बी) यदि क़र्ज़दार हाज़िर होकर अदालतको विश्वास दिला दे कि वह अपने क़र्ज़ों को अदा कर सकता है या उसने कोई दिवालियेका काम नहीं किया है या किसी अन्य पर्याप्त कारणसे कोई हुक्म उसके विरुद्ध नहीं दिया जाना चाहिये ।

(५) यदि ऊपर बतलाये हुए सुबूतसे अदालत सन्तुष्ट हो जावे तो वह दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म दे सकती है और उस समय भी वह हुक्म दे सकती है जबकि उपदफा (३) के अनुसार तारीख बढ़ाई गई हो और उस तारीख पर काफी तामील हो जाने पर भी कर्ज़दार हाज़िर न होवे परन्तु वह ऐसा हुक्म उस समय नहीं देगी जबकि उसकी रायमें दिवालियेकी दरख्वास्त किसी दूसरी अदालतमें दाखिलकी जाना चाहिये ।

(६) जब कि कर्ज़दार दरख्वास्त पर हाज़िर होवे और दरख्वास्त देने वाले क़र्ज़ख्वाहके कर्ज़ेको मंजूर न करे अथवा यह मंजूर न करे कि उस कर्ज़ख्वाहका कर्ज़ा उतना है जिसके आधार पर वह दिवालियेकी दरख्वास्त दे सकता है तो अदालतको अधिकार है कि वह क़र्ज़दारसे कर्ज़ख्वाहके बरामद होने वाले कर्ज़ेके निस्बत तथा कर्ज़ा साबित करनेमें होने वाले खर्चेके निस्बत जमानत (यदि वह कोई ऐसी ज़मानत लिया चाहे तो) लेकर उतने समयके लिये कार्रवाईको रोक देवे जितने समयमें कर्ज़ेके सम्बन्धका प्रश्न तय किया जासके ।

(७) जब कि कार्रवाई रोकी गई हो उस समय अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दे सकती है लेकिन वह ऐसा उसी समय करेगी जब कि कार्रवाई रुक जानेकी वजहसे देर हो रही हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण उपस्थित होवे) और जब वह ऐसा करेगी तो उस दरख्वास्तको जिसके द्वारा कार्रवाई शुरू हुई थी जिन शर्तोंके साथ चाहेगी खारिज़ कर देगी ।

(८) क़र्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त दाखिल हो जानेके बाद बिला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जासकेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें उन सब कार्रवाइयोंका विवरण दिया हुआ है जो किसी कर्ज़ख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्तके सम्बन्धमें आवश्यक है । यह दफा ८ भागोंमें विभक्त है और उनमें दरख्वास्त दिये जानेके समयसे लेकर अदालतका अन्तिम उचित हुक्म होने तकका हाल एक दूसरेके पश्चात् दिया हुआ है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्ज़ख्वाह द्वारा दी जाने वाली दरख्वास्तके सम्बन्धमें उसकी पुष्टिके लिये हल्फनामाका दाखिल किया जाना आवश्यक है क्योंकि अंग्रेज़ी एक्टमें इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है हल्फनामाके सम्बन्धमें यह दिया हुआ है कि दरख्वास्त देने वाला कर्ज़ख्वाह या तो स्वयं उसे दाखिल कर सकता है

अथवा उसकी ओरसे कोई ऐसा व्यक्ति उसे दाखिल कर सकता है जिसे हालात मालूम हों अर्थात् कर्जख्वाह स्वयं ही हलफ़नामा दाखिल करनेके लिये बाध्य नहीं है परन्तु हलफ़नामा दरख्वास्तकी तारीखमें दाखिल अवश्य किया जाना चाहिये।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि दरख्वास्त सुनते समय किन किन बातोंका सुबूत आवश्यक है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदालत दरख्वास्त सुननेके समय इस उपदफाके क्लाज (ए) व (बी) में बतलाई हुई बातोंका सुबूत अवश्य लेवेगी अर्थात् दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहके कर्जे व दरख्वास्तमें दिखलाई हुई दिवालियेकी कार्रवाई होनेका सुबूत अवश्य लिया जाना चाहिये। क्लाज (ए) में दरख्वास्त देने वाले कर्जख्वाहके कर्जेका उल्लेख है तथा क्लाज (बी) में दिवालियेके कामका उल्लेख है जिसके आधार पर दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई हो क्लाज (बी) में यह भी लिख दिया गया है कि यदि दिवालियेकी दरख्वास्तमें एकसे अधिक दिवालियेके कामोंका किया जाना या होना बतलाया गया हो तो सुबूत उन कामोंमें से किसी एक ही दिवालियेके कामके सम्बन्धमें दिया जासकता है अर्थात् यदि उनमेंसे एक भी दिवालियेका काम साबित कर दिया जावे तो इस उपदफाके लिये पर्याप्त समझा जावेगा। कर्जख्वाहके कर्जेसे तात्पर्य यह मालूम होता है कि आया कर्जख्वाहका कर्ज दरअसल है या नहीं और अगर है तो वह कितना है जिससे कि यह मालूम हो सके कि वह इस एक्टके अनुसार दरख्वास्त दे सकता है या नहीं और दिवालियेके कामोंका वर्णन दफा ९ में दिया हुआ है।

उपदफा (३) के अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है। अदालत यदि चाहे तो सुननेकी तारीखको बढ़ा सकती है और यदि न चाहे तो उसे न बढ़ावे। यह तारीख इस कारण बढ़ाई जा सकती है जिसमें कि उसकी तामील कर्जदार पर हो सके।

उपदफा (४) में उन बातों का वर्णन है जिनके कारण अदालत कर्जख्वाहकी दरख्वास्तको खारिज कर सकती है। यह उपदफा दो क्लाजोंमें विभक्त है। क्लाज (ए) मे यह बतलाया गया है कि यदि अदालत उपदफा (२) में बतलाये हुए सुबूतसे सन्तुष्ट न होवे तो वह दरख्वास्तको खारिज कर देगी।

क्लाज़ (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपस्थित होकर अदालतको इस बातमें विश्वास दिला दे कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है अथवा इस बात का विश्वास दिला दे कि उसके विरुद्ध दी हुई दरख्वास्त में जिस दिवालियेके काम का उल्लेख किया गया है वह उसने नहीं किया है अथवा अन्य किसी बातसे उस बात का विश्वास अदालतको करा देवे कि उसके विरुद्ध कोई हुक्म न दिया जाना चाहिये तो अदालत ऐसी अवस्थामें कर्जख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्तको खारिज कर देगी।

उपदफा (५) के अनुसार यदि अदालतको ऊपर बतलाये हुए सुबूत पर विश्वास हो जावे तो अदालत कर्जदार को दिवालिया करार दे सकती है इस उपदफामें प्रयोग किये हुए 'May' शब्दसे प्रकट है कि अदालत इस उपदफाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है। इस उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि यदि उपदफा (३) के अनुसार बढ़ाई हुई तारीख पर भी कर्जदार हाजिर न होवे और उस पर नोटिसकी तामील होना साबित होवे तो अदालत उसे दिवालिया करार दे देवेगी परन्तु ऐसा करनेसे पहिले अदालत इस बातको अवश्य देख लेगी कि आया वह दरख्वास्त किसी दूसरी अदालतमें तो न दी जाना चाहिये।

उपदफा (६) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपस्थित होकर कर्जख्वाह का कर्ज मंजूर न करे अथवा यह कहे कि उस कर्जख्वाह का कर्ज उसे दिवालिया करार दिलानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो अदालत इस प्रश्नको तय करनेके लिये कार्रवाई स्थगित कर सकती है बजाय इसके कि वह उस दरख्वास्तको खारिज कर देवे और स्थगित करते समय यदि अदालत उचित समझे तो कर्जदारसे कर्जख्वाहके आयन्दा बरामद होने वाले कर्जेके सम्बन्धमें तथा कर्जा साबित करनेमें जो

खर्च होगा उसके सम्बन्धमें उससे उचित जमानत मांग सकती है। इस उपदफाके अनुसार हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

उपदफा (७) में इस बातको साफ कर दिया है कि कार्रवाई स्थगित होने पर अदालत जब चाहे कर्जदारको दिवालिया करार दे सकती है अर्थात् वह देर होनेकी वजहसे अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारणसे किसी दूसरे कर्जख्वाहकी दरख्वास्तके आधार पर कर्जदारको दिवालिया करार दे सकती है और उस समय वह उचित शर्तोंके साथ पहिले दी हुई दिवालियेकी दरख्वास्तको खारिज कर देगी।

उपदफा (८) एक महत्व पूर्ण दफा है उसमें यह बतलाया गया है कि कर्जख्वाहकी दरख्वास्त बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकती है अतएव एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्दसे यह भली भांति प्रकट है कि इस उपदफामें बतलाई हुई शर्तकी पाबन्दी अवश्यकी जाना चाहिये दरख्वास्त का वापिस लिया जाना उसी समय तक हो सकता है जब तक कि उसके आधार पर कर्जदार दिवालिया न करार दे दिया गया हो क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होते ही कर्जदार दिवालिया बन जाता है और जब तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मंसूख न किया जावे अथवा दिवालिया बहाल न हो जावे तब तक वह दिवालिया ही बना रहेगा। बम्बई हाईकोर्टने यह तय किया था कि दरख्वास्त इजाजत लेने पर भी वापिस नहीं ली जा सकती है और यह उपदफा उन्हीं दरख्वास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये जिन पर फैसला नहीं हुआ है मुरारीलाल मुहम्मद देखो—38 Bom. 200.

दफा १४ वह शर्तें जिनके अनुसार कर्जदार दरख्वास्त दे सकता है

कोई कर्जदार उस समय तक दिवालियेकी दरख्वास्त नहीं दे सकेगा जब तक कि नीचे दी हुई बातोंमेंसे कोई बात उपस्थित न होवे।

(ए) उसके कर्जोंकी तादाद ५००) रुपये न होवे, या

(बी) वह किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके आधार पर गिरफ्तार होकर कैद न किया गया हो, या

(सी) किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके आधार पर उसकी जायदाद कुर्क करनेका हुक्म दिया गया हो तथा वह हुक्म उसकी जायदादके विरुद्ध कायम न होवे।

व्याख्या—

क्लाज़ (ए), (बी) व (सी) में बतलाई हुई सब बातोंके एक साथ उपस्थित होनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि इन क्लाजोंमेंसे किसी क्लाजमें बतलाई हुई बात उपस्थित होवे तो उसके आधार पर कर्जदार दिवालियेकी दरख्वास्त दे सकता है अन्यथा नहीं अर्थात् यदि उसके कर्जे ५००) या उससे अधिकके होवें तो वह दरख्वास्त दे सकता है, या यदि वह किसी इजराय डिक्रीके सम्बन्धमें गिरफ्तार होकर कैद हुआ हो तो वह दरख्वास्त दे सकता है अथवा यदि उसकी जायदाद कुर्क होवे तो वह दरख्वास्त दे सकता है। इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि क्लाज (बी) व (सी) में गिरफ्तारी या कुर्की उन्हीं डिक्रियोंके आधार पर होना चाहिये जो रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी गई हों यदि इस दफामें बतलाई हुई तीन शर्तोंमेंसे एककी भी पूर्ति न होती होवे तो कर्जदारके दिवालियेकी दरख्वास्त देनेका हकही पैदा नहीं होगा।

दफा १५ कर्ज़दारकी दरख्वास्त पर कार्रवाई व उस पर हुक्म

(१) कर्ज़दारकी दरख्वास्तमें यह दिखलाया जावेगा कि वह अपने कर्ज़ोंको अदा करने में असमर्थ है और यदि कर्ज़दार अदालतके सामने यह साबित कर देवे कि वह दरख्वास्त देनेका हक़दार है तो अदालत उस पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दे सकती है परन्तु वह ऐसा उस समय नहीं करेगी जब कि उसकी रायमें वह दरख्वास्त दिवालियेके अधिकार रखने वाली किसी दूसरी अदालतमें दी जाना आवश्यक हो।

(२) कर्ज़दार द्वारा दी हुई दरख्वास्त दाखिल होनेके पश्चात् बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकेगी।

व्याख्या—

इस दफामें कर्ज़दार द्वारा दी जाने वाली दरख्वास्तके सम्बन्धमें की जाने वाली कार्रवाइयोंका विवरण है सबसे पहिले उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्ज़दारकी दरख्वास्तमें यह दिखलाना परम आवश्यक है कि वह अपने कर्ज़ोंको अदा करनेमें असमर्थ है। अँग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे इस बातकी पुष्टि होती है। साथ ही साथ अदालतके सामने यह भी साबित किया जाना चाहिये कि वह दरख्वास्त देनेका हक़दार है। दरख्वास्त देनेका हक़ कब होगा इस बातके विषयमें दफा १४ में दिया हुआ है। ऊपर बतलाई हुई दोनों बातोंके होने पर अदालत, दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दे सकती है अर्थात् उस समय भी अदालत दिवालिया क़रार देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु ऐसा करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। अदालतको हुक्म देनेसे पहिले इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि आया उस अथवा अन्य किसी अदालतको उस कर्ज़दारके सम्बन्धमें दिवालियेक अधिकारोंका प्रयोग करना चाहिये कर्ज़दारकी दरख्वास्तके लिये कर्ज़ा अदा करनेकी असमर्थताका सबूत होना चाहिये। देखो—A. I. R 1928 Mad 394

उपदफा (२) में वही बात बतलाई गई है जो दफा १३ की उपदफा ८ में कर्ज़ख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्तके सम्बन्धमें बतलाई जाचुका है अर्थात् अर्ज़ी दाखिल होनेके बाद दरख्वास्त बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जासकती है। इस उपदफाकी पाबन्दी की जाना आवश्यक है जैसे कि अँग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट होता है। इस दफामें भी इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दरख्वास्तकी वापिसीका प्रश्न उसी समय तक उठ सकता है जब तक कि दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म न दिया जाचुका हो क्योंकि उसके पश्चात् दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी अथवा बहाल होने पर ही कर्ज़दार दिवालिया नहीं रहेगा यह उपदफा उन्हीं दरख्वास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये जिन पर हुक्म नहीं हुआ है व जो ज़ेर तजवीज है, देखो—38 Bom 200

दफा १६ दरमियानी रिसीवरकी नियुक्तिके लिये अदालतको स्वतंत्र अधिकार

यदि जायदादकी रक्षाके लिये आवश्यकता बतलाई जावे तो अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेकी दरख्वास्त लिये जानेके बाद तथा दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले किसी समय भी आफिशल एसायनी (Official Assiynee) को कर्ज़दारकी कुल जायदाद या उसके किसीके हिस्सेके लिये दरमियानी रिसीवर (Interim Receiver) नियुक्त कर देवे और इस बातका हुक्म दे देवे कि उसकी सब जायदाद या उसके किसी हिस्से पर फ़ौरन क़ब्ज़ा ले लिया जावे और इस पर आफिशल एसायनीको निर्धारित किये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १९०८ ई० के ज़ाब्ता दीवानीके अनुसार नियुक्त किये हुए रिसीवरको प्रदान किये जासकते हैं।

व्याख्या—

यद्यपि इस दफ़ामें दरमियानी रिसीवरकी नियुक्तिके विषयमें लिखा हुआ है कि अदालत दरमियानी रिसीवर नियुक्त करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टके इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है। दरमियानी रिसीवर दिवालियेका दरख्वास्त दाखिल होनेके बाद तथा दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है क्योंकि दफ़ा १७ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेकी सब जायदाद आफ़िशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजाती है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी दरमियानी रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। दरमियानी रिसीवर उसी समय नियुक्त किया जासकता है जब कि कर्जदारकी जायदादके बर्बाद होनेका अंदेशा होवे और ऐसा रिसीवर उसकी पूरी जायदाद या उसके किसी भागके लिये नियुक्त किया जासकता है। इस दफ़ामें केवल आफ़िशल एसायनी ही के लिये दिया हुआ है कि वह दरमियानी रिसीवर नियुक्त किया जासकता है। इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस दफ़ाके अनुसार नियुक्त किये जाने पर आफ़िशल एसायनीको वह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो उसे आफ़िशल एसायनीकी हैसियतसे प्राप्त हो सकते हैं किन्तु उसको वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों और यह अधिकार वही होंगे जो जाबता दीवानीके अनुसार नियुक्त किये हुए रिसीवरको दिये जासकते हैं। रिसीवरकी नियुक्तिका विषय सन् १९०८ ई० की जाबता दीवानीके आर्डर ४० में दिया हुआ है और वह इस प्रकार है.—

आर्डर ४० जाबता दीवानी रिसीवरोंकी नियुक्ति

नियुक्ति रूल १—(१) जब कि अदालतको उचित व सुविधा जनक प्रतीत हो अदालत अपने हुक्म द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है —

(ए) डिक्री होनेसे पहिले या उसके बाद किसी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त कर सकती है

(बी) किसी भी व्यक्तिको हटा सकती है जिसका कब्जा या अधिकार किसी जायदाद पर होवे

(सी) उस जायदादको रिसीवरके कब्जेमें उसकी संरक्षतामें अथवा उसके प्रबन्धमें दे सकती है

(डी) रिसीवरको जायदादके सम्बन्धमें मुकद्दमा दायर करने उसकी जवाब देही करने तथा उसको वसूल करने प्रबन्ध करने बचाने और उसकी वृद्धि करनेके अधिकार दे सकती है, उसका किराया या मुनाफ़ा वसूल करने और इस प्रकार वसूल किये हुए किराये व मुनाफेको सर्फ करनेके अधिकार भी दे सकती है और जायदादके सम्बन्धमें ऐसी दस्तावेजोंके लिखनेका अधिकार भी दे सकती है जैसे कि स्वयं मालिक लिख सकता है। या इन अधिकारोंमें से कोई भी अधिकार दे सकती है जो उसे उचित प्रतीत होवे।

(२) अदालतको इस रूलके अनुसार यह अधिकार न होगा कि वह जायदादके कब्जे या अधिकारसे किसी ऐसे व्यक्तिको हटा देवे जिसके हटानेका मौजूदा अधिकार मुकद्दमेके किसी फ़रीकको प्राप्त न होवे।

श्रमफल रूल २—अदालत अपने आम या खास हुक्म द्वारा रिसीवरको उसके कामके लिये दिये जाने वाले श्रमफलको नियत कर सकती है।

कर्तव्य रूल ३—इस प्रकार नियुक्त किया हुआ रिसीवर नीचे दिये हुए कामोंको करेगा —

(ए) यदि अदालत कोई जमानत उचित समझे तो वह जमानत उस जायदादके सम्बन्धमें होने वाली आमदनीके हिसाबके लिये देवेगा,

(बी) अपना हिसाब अदालतके हुक्मके अनुसार नियत समय पर तथा नियत ढंगसे देवेगा।

(सी) अदालतके हुक्मके अनुसार वह रुपया देवेगा जो उसे देना है

(डी) उस नुकसानके लिये जिम्मेदार होगा जो उसका जान बूझ कर गलती करने या बड़ी लापरवाहीके कारण हुआ हो

हिसाब न देना रूल ४—(ए) यदि रिसीवर अदालतके बताये अनुसार तथा उसके द्वारा नियत किये हुए समय पर हिसाब न दाखिल करे, या

(बी) यदि अदालतके हुक्मके अनुसार वह रुपया अदा न करे जो उसके पास है, या

(सी) यदि वह जान बूझ कर गलती करनेसे या अपनी बड़ी लापरवाहीके कारण नुकसान हो जाने दे तो अदालत उसकी जायदादके कुर्क किये जानेका हुक्म दे सकती है और उसको बच सकता है तथा बेचने पर आई हुई कीमतसे उस कमीको पूरा कर सकती है जो उसके कारण हुई हो या उस रुपयेमें मुजरा ले सकती है जो उससे निकलता होवे और बचा हुआ रुपया यदि कुछ होगा वह रिसीवरको दे देवेगी।

कलक्टर रूल ५ —जब कि कोई जायदाद ऐसी होवे जिससे मालगुजारी सरकारको अदा की जाती होवे या ऐसी जमीन होवे जिसकी मालगुजारी लिख दी गई हो या उठाली गई हो और अदालतको यह मालूम पड़े कि उससे सम्बन्ध रखने वालोंका फायदा उस समय होगा जब कि उसका प्रबन्ध कलक्टरके हाथसे किया जावे तो अदालत कलक्टरकी अनुमति लेकर उसे उस जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त कर सकती है। रिसीवरके सब या कोई अधिकार करार दिलवाये गये हैं अर्थात् जिनका उल्लेख आर्डर ४० जाबता दीवानीमें होना बतलाया गया है वह सब अधिकार अथवा उनमेंसे कुछ अधिकार इस दफाके अनुसार नियुक्त किये हुए दरमियानी रिसीवरको दिये जासकते हैं।

दफा १७ दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मका प्रभाव

दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म हो जाने पर दिवालियेकी जायदाद चाहे वह जिस जगह पर होवे आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजावेगी और वह जायदाद उसके क़र्ज़ख्वाहों में बांटी जाने योग्य होगी और उसके पश्चात् इस एक्टमें बतलाई हुई बातों को छोड़ कर दिवालियेका कोई भी क़र्ज़ख्वाह जिसका क़र्ज़ इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है दिवालियेकी कार्रवाईके चालू रहते हुए दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न वह कोई मुक़दमा या कोई अदालती कार्रवाई ही अपने क़र्ज़के सम्बन्धमें बिला अदालत की आज्ञाके तथा अदालत द्वारा निर्धारित की हुई शर्तोंके कर सकेगा। परन्तु यह दफा महफ़ूज़ क़र्ज़ख्वाहके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और उसे अपनी ज़मानत वसूल करने या उससे अपना क़र्ज़ वसूल करनेमें वही स्वतन्त्रता प्राप्त होगी जो कि उसे इस दफाके पास न होने पर प्राप्त हो सकती थी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेकी सब जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आ जावेगी और उसी समयसे वह सब जायदाद क़र्ज़ख्वाहोंमें बांटी जाने योग्य भी हो जावेगी। दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले आफिशल एसायनीको उस वक्त तक दिवालियेकी जायदादसे कोई सम्बन्ध नहीं होगा। जब तक कि वह दफा १६ के अनुसार दरमियानी रिसीवर नियुक्त न किया जावे। इसी दफामें यह भी बतलाया गया है कि दिवालिया करार

दिये जानेके बाद दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कोई कर्जख्वाह अपने कर्जेके सम्बन्धमें कोई कार्वाई नहीं कर सकेगा और न बिना अदालतकी आज्ञाके कोई मुकदमा या अन्य अदालती कार्वाई कर सकेगा परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऊपर बतलाई हुई बात उन्हीं कर्जोंके लिये लागू होगी जो दिवालियेकी कार्वाईमें साबित किये जा सकते हैं। इस दफामें जो अन्य कानूनी कार्वाई का उल्लेख है उससे दीवानीकी कार्वाईसे समझना चाहिये फौजदारीका नहीं अर्थात् इस दफामें बतलाये हुए नियमों का पालन केवल उन्हीं कार्वाइयोंके लिये आवश्यक है जो दीवानीके तौर पर होवें और फौजदारीके इस्तगासोंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। देखो—सरदार बहादुर बनाम मूलशङ्कर 35 Bom 63 परन्तु जब कि जाली कागजात दाखिल किये गये हों तो जबरा फौजदारीके अनुसार फौजदारी का मामला चालू करनेके लिये अदालतकी आज्ञा लिये जानेकी आवश्यकता है देखो 37 Mad. 107

इस दफाके साथ जो शर्त लगा दी गई है वह भी बड़े महत्वकी है और उसका ध्यान रखना आवश्यक है उस शर्तके अनुसार महफूज कर्जख्वाह अपनी जमानतको जिस प्रकार चाहे वसूल कर सकता है और उसके लिये यह दफा लागू नहीं होगी। कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार अदालतका आज्ञा मुकद्दमा दायर करनेके लिये दिये जानेसे पहिले दिवालियेके नाम नोटिस जारी किया जावे। नोटिसका दिया जाना व न दिया जाना हर एक मामलेके जुदागाना वाकयात पर निर्भर है। रंगून हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियेके नाम नोटिस बिना जारी किये हुएही अदालतकी आज्ञा देदी गई हो तो वह उचित आज्ञा समझी जावेगी, देखो—6 R. 533, A. I R. 1928 R. 326 यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारका जिसके लिये कि मिताक्षरा कानून लागू हो पिता दिवालिया करार दिया जावे तो उस परिवारकी सब संयुक्त जायदाद जिसमें कि उसके लड़कोंका भी हक शामिल है आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजावेगी। परन्तु लड़कों को अधिकार है कि वह अपना हिस्सा यह साबित करने पर बचा सकते हैं कि बापके कर्जे गैर कानूनी व बेजा तौरसे लिये गये थे और उन कर्जोंके लिये उनके हिस्से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, देखो—11 B. 37; 19 M. 14, 42C 225; 3 Lah 329.

यदि किसी मुकद्दमेके दौरानमें कोई फरीक दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह अपने दिवालिया हो जानेके कारण अपील करनेके अयोग्य हो जाता है। दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मंसूख हो जाने पर वह अपनी अपील चालू रख सकता है। देखो –A. I. R 1929 Bom 20.. इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदाद जहां कहीं होवे आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजावेगी अर्थात् उसका होना केवल ब्रिटिश इण्डिया ही के लिये परिमित नहीं है। बम्बई हाईकोर्टने यह तय किया था कि मनकूला जायदाद जो शघाईके कान्सूलर कोर्ट (Consular Court) की अधिकार सीमामें स्थित है बम्बईके आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें हुक्म हो जाने पर आजावेगी देखो—33 Bom 162 इस एक्टके अनुसार साबित किये जाने योग्य कर्जोंका उल्लेख दफा ४६ में तफसीलवार किया गया है। अदालतकी आज्ञा होने पर जो कार्वाई चालू की जावेगी उसके लिये अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तोंकी भी पाबन्दी आवश्यक है।

दफा १८ कार्वाईका रोका जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी मुकद्दमे या अदालती कार्वाई को जो दिवालियेके विरुद्ध किसी जज या जजों अथवा अन्य किसी अदालतके सामने चल रही हो रोक देवे जिसमें कि वह अदालतके निरीक्षणमें चल सके।

(२) उपदफा (१) के अनुसार दिये हुए हुक्म की नकल अदालत की मोहर लगाकर डाकके जरिये मुद्दई या मुकद्दमा लड़ने वाले व्यक्तिके पतेसे अदालत द्वारा भेजी जासकती है और

आम क़र्ज़ख्वाहोंके लाभको देखते हुए यह राय क़ायम करे कि कर्ज़दारकी जायदाद या व्यापार के इन्तज़ाममें आफ़िशल एसाइनीकी मददके लिये किसी विशेष मैनेजरकी नियुक्ति की जाना चाहिये तो उसे अधिकार है कि वह ऐसे मैनेजरकी नियुक्ति किसी निश्चित किये हुए समय तक काम करनेके लिये जिसे वह मुनासिब समझे कर देवे और उस मैनेजरको आफ़िशल एसायनी को प्रदान किये जाने वाले वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे आफ़िशल एसायनी अथवा अदालत सुपुर्द करे।

(२) विशेष (Special) मैनेजरको उस प्रकारकी ज़मानत देना पड़ेगी तथा हिसाब दाख़िल करना पड़ेगा जैसा कि अदालत हुक्म देवे और उसको वह श्रमफल (Ramuneration) मिलेगा जो अदालत निश्चित करे।

व्याख्या—

उपदफ़ा (१) में विशेष मैनेजरकी नियुक्तिके विषयमें दिया हुआ है कि यह विशेष मैनेजर उसी समय नियुक्त किया जा सकेगा जबकि कर्ज़दारकी जायदाद किसी विशेष प्रकारकी होवे जिसका प्रबन्ध आफ़िशल एसायनी भले प्रकार न कर सकता हो अथवा कर्ज़दारके व्यापार या आम क़र्ज़ख्वाहोंके लाभार्थ आफ़िशल एसायनीकी सहायताके लिये किसी ऐसे व्यक्तिके नियुक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होवे परन्तु इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि विशेष मैनेजर की नियुक्ति करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है। इस प्रकार नियुक्त किया हुआ मैनेजर उतनेही समय तक काम कर सकता है जितने समयके लिये वह अदालत द्वारा नियुक्त किया जावे अर्थात् वह आफ़िशल एसायनीकी भांति दिवालियेकी कुल कार्यवाईके लिये नहीं रहेगा आफ़िशल एसायनीकी मदद ही के लिये ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जावे इसकी नियुक्ति आफ़िशल एसायनीकी जगह पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् उसकी नियुक्तिसे यह न समझ लेना चाहिये कि आफ़िशल एसायनीके सब कार्योंको वह करेगा और आफ़िशल एसायनी का उसकी नियुक्तिके पश्चात् दिवालियेकी कार्रवाईसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहेगा। एक प्रकारसे ऐसा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति आफ़िशल एसायनीका मातहत समझना चाहिये जिसे आफ़िशल एसायनीके लिये निर्धारित किये हुए कार्योंमेंसे कुछ कार्योंके करने का अधिकार प्रदान कर दिया जावे विशेष मैनेजरको आफ़िशल एसायनीको प्रदान किये जाने वाले अधिकारोंमेंसे वह अधिकार प्राप्त होंगे जो आफ़िशल एसायनी अथवा अदालत उसके लिये तय कर दे।

उपदफ़ा (२) के अनुसार इस प्रकार नियुक्त किये हुए मैनेजरसे अदालत जिस प्रकारकी ज़मानत चाहे ले सकती है और उससे हिसाब भी जिस प्रकार वह चाहे दाख़िल करा सकती है अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि विशेष मैनेजरको ज़मानत या हिसाब सम्बन्धी हुक्मोंकी पाबन्दी करना आवश्यक है अदालत इस प्रकारके मैनेजर के लिये श्रमफल (Ramuneration) भी नियत कर देगी और वह मैनेजर इस प्रकार नियत किया हुआ श्रमफल ही पावेगा उससे अधिक या उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पावेगा।

दफ़ा २० दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा

दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा गज़ट आफ़ इण्डियामें (Gazette of India) स्थापित सरकारी गज़टमें (Local Official Gazette) तथा निर्धारित किये हुए अन्य दूसरे ढंगसे प्रकाशितकी जावेगी और उस घोषणामें दिवालियेका नाम पता व पेशा, दिवालिया क़रार देनेकी तारीख़ उस अदालतका नाम जिसने दिवालिया क़रार दिया हो और दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेकी तारीख़ प्रकाशितकी जावेगी।

व्याख्या—

दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन गज़ट आफइण्डिया व स्थानिक सरकारी गज़टमें किया जावेगा तथा निर्धारित किये हुए अन्य प्रकारसे भी किया जावेगा अँग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि-प्रकाशन उक्त प्रकारसे अवश्य किया जाना चाहिये। प्रकाशनमें जिन जिन बातोंका दिखलाया जाना आवश्यक है वह भी इस दफामें बतलाई गई है अर्थात् दिवालियेका नाम, पता व पेशा दिया जाना चाहिये दिवालिया करार दिये जानेकी तारीख़ दी जाना चाहिये दिवालियेकी दरख्वास्त दाखिलकी जाने वाली तारीख़ तथा दिवालिया करार देने वाली अदालतका नाम भी दे दिया जाना चाहिये। इस दफासे यह प्रकट है कि दिवालिया करार देनेके पश्चात् भली भांति मुश्तहर कर दिया जाना आवश्यक है।

दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूख़ी

दफा २१ कुछ मामलोंमें दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूख़ीके अधिकार

(१) जब कि अदालतकी रायमें किसी कर्ज़दारको दिवालिया कारारही नहीं दिया जाना चाहिये था अथवा अदालतको यह संतोषजनक रूपसे साबित हो जावे कि दिवालियेके सब कर्ज़े पूर्ण रूपसे चुकाये जासकते हैं तो अदालतको अधिकार है कि-वह किसी सम्बन्धित व्यक्तिकी दरख्वास्त आने पर अपने हुक्म द्वारा दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख़ कर देवे।

(२) यदि कोई क़र्ज़ा जिसे कर्ज़दार तस्लीम न करता हो परन्तु जिसकी अदायगीके लिये वह दस्तावेज मय उन जमानतोंके जिसे अदालत मंजूर करे लिख देवे तो इस दफाके-लिये यह मान लिया जावेगा कि वह कर्ज़ा पूर्ण रूपसे चुकाया जाचुका है और ऐसे कर्जख्वाहका कर्ज़ा जिसका पता न लगता हो अथवा जिसकी शनाख्त न की जासकती हो यदि अदालतमें जमा कर दिया जावे तो वह भी पूर्ण रूपसे चुकाया हुआ कर्ज़ा माना जावेगा।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख़ करनेके लिये अदालतको दो प्रकारसे अधिकार प्राप्त हैं एक तो यह जब कर्ज़दारको दिवालिया करार ही न दिया जाना चाहिये या व दूसरे उस समय जब कि कर्ज़दारके सब कर्ज़े पूर्ण रूपसे चुकाये जाचुके हों। इस दफाके अनुसार मंसूख़ीके लिये कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति दरख्वास्त दे सकता है अर्थात् स्वयं कर्ज़दार उसका कोई सम्बन्धी या कर्ज़ख्वाह आदि अदालत इस दफाके अनुसार मंसूख़ीका हुक्म दे देनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है। उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् ऊपर बतलाई हुई दो बातोंमें से किसी एक बातके उपस्थित मात्र ही से मंसूख़ीका हुक्म नहीं हो जावेगा किन्तु अदालत और भी वाक़यात पर विचार करेगी अर्थात् दिवालियेके व्योहार आदि पर यदि दिवालिया अपने कर्ज़ोंको अदा करनेमें असमर्थ नहीं था तो दिवालियेका हुक्म इस दफाके अनुसार मंसूख़ किया जाना उचित है, देखो—A. I. R. 1928. *Mad.* 395. 1082. C. 208.

दिवालियेके कर्ज़ोंकी पूर्ण रूपसे अदायगी हो जाना चाहिये और अदालतको संतोषजनक रूपसे यह बात साबित भी हो जाना चाहिये तथा यह माना जावेगा कि कर्ज़े चुकाये जाचुके हैं दिवालिया या उससे मिलकर उसका कोई कर्ज़ख्वाह इस एक्टके

अदालतको अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो कर्ज़दारको फिरसे उसी हिरासतमें भेज देवे जहांसे वह मुक्त हुआ था और जेलर अथवा जेलका संरक्षक जिसकी हिरासतमें वह कर्ज़दार फिरसे भेजा जावेगा इस सुपुर्दगीके हुक्मके अनुसार उस कर्ज़दारको अपनी सुपुर्दगीमें लेवेगा और इसके पश्चात् जेलसे मुक्त होने समय जो बातें कर्ज़दार पर लागू थीं वह ठीक उसी प्रकार लागू होंगी जैसे कि उसके मुक्त किये जानेका कोई हुक्म हुआ ही न होवे।

(२) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मंसूख़ीकी सूचना गजट आफ इण्डियामें (Gazette of India) स्थानिक सरकारी गजटमें (Local Official Gazette) तथा किसी अन्य निर्धारित किये हुए ढंगमें प्रकाशितकी जावेगी।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूख़ीका जो असर पड़ता है उसका उल्लेख इस दफ़ामें किया गया है मंसूख़ीका हुक्म होनेसे पहिले आफिशल एसाइनी या उसकी [illegible] नियुक्त किया हुआ [illegible] कोई व्यक्ति अथवा अदालत जिस [illegible] चुकेंगे वह सब जायज़ समझे जावेंगे अर्थात् मंसूख़ीके हुक्मका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। मंसूख़ीका हुक्म होने पर जायदाद उस व्यक्तिकी सुपुर्दगीमें आ जावेगी जिसे कि अदालत अपने हुक्ममें बतलादे और यदि अदालतने अपने हुक्ममें ऐसा न किया हो तो दिवालियेकी बची हुई जायदाद [illegible] उसके हक़ व अधिकार [illegible] मिल जावेगी। इस प्रकार जायदाद [illegible] उन्हीं शर्तों [illegible] तथा उन्हीं नियमों [illegible] हुए होंगे, जो [illegible] हुक्ममें साथ बतला देवे।

उपदफ़ा (२) में यह बतलाया गया है कि मंसूख़ीका हुक्म होनेके पश्चात् दिवालिया अपनी पूर्व स्थिति पर पहुंच जाता है अर्थात् यदि वह जेलसे मुक्त किया गया है तो वह बदस्तूर जेलमें भेजा जासकता है और उस समय उसकी वही अवस्था समझी जावेगी जैसे कि उसके छोड़ जानेका कोई हुक्म हुआ ही न हो।

उपदफ़ा (३) के अनुसार मंसूख़ीके हुक्मका प्रकाशित होना आवश्यक है [illegible] इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे जाहिर है। यह प्रकाशन भी उसी प्रकार होगी जैसे कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी होना चाहिये जिसका उल्लेख दफ़ा ४० में किया जाता है अर्थात् गजट आफ इण्डिया, स्थानिक सरकारी गजटमें तथा अन्य निर्धारित किये हुए ढंग पर होना चाहिये। जब कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म एक साथ दो अदालतोंसे दिया [illegible] पहिले हुक्मके अनुसार नियत किया हुआ आफिशल एसाइनी दिवालियेकी जायदाद [illegible] होगा व दूसरा आफिशल एसाइनी [illegible] सुपुर्दगीमें [illegible] हुक्म देने वाली अदालतसे दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख़ [illegible] दूसरी अदालतके हुक्मके अनुसार [illegible] आफिशल एसाइनी दिवालियेकी जायदादका अधिकारी हो जावेगा, देखो—55 Mad. L. J. 533

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होने पर कार्रवाइयां

दफ़ा २४ दिवालिये द्वारा दी जाने वाली सूची

(१) जब कि किसी कर्ज़दारके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जावे तब वह निर्धारित किये हुए ढंग पर अपने मामलेके सम्बन्धमें निर्धारित की हुई तफसीलके साथ सूची तैयार करेगा तथा उसे अदालतमें दाख़िल करेगा और उस सूचीकी पुष्टि हलफ़नामा द्वाराकी जावेगी।

(२) ऊपर बतलाई हुई सूची निम्न लिखित समयके अन्दर दाखिल की जावेगीः—

(ए) यदि कर्जेदारकी दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म हुआ है तो उस हुक्मसे ३० दिनके अन्दर

(बी) यदि कर्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म हुआ है तो उस हुक्मकी तामील होनेसे ३० दिनके अन्दर

(३) यदि दिवालिया बिना किसी उचित कारणके इस दफामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबन्दी न कर सकेगा तो अदालतको अधिकार है कि वह आफिशल एसायनी अथवा किसी क़र्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त आने पर उस दिवालियेको जेल दीवानीमें सुपुर्द किये जानेका हुक्म देदेवे।

(४) यदि दिवालिया ऊपर बतलाई हुई सूचीको तैयार न करेगा या उसे दाखिल न करेगा तो आफिशल एसायनी उसकी जायदादके खर्चेसे निर्धारित किये हुए ढंग पर सूची तैयार करा सकता है।

व्याख्या——

इस दफाके अनुसार दिवालिया क़रार दिये जाने पर दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित ढंग पर अपने मामलेके सम्बन्धमें एक सूची दाखिल करे जिसकी पुष्टिके लिये उसे हल्फ़नामा भी देना पड़ेगा और उस सूचीमें वह सब ब्योरा भी देना पड़ेगा जिसके लिये बतलाया गया हो।

उपदफा (१) में (Shall) शब्दका प्रयोग अंग्रेज़ी एक्टमें किया गया है जिससे यह भली भांति प्रकट है कि दिवालिया अपनी इस ज़िम्मेदारीको टाल नहीं सकता है इसी दफाके उपदफा (३) में बतला दिया गया है कि हुक्मकी तामील न करने पर वह दीवानीकी जेलमें भेजा जासकता है। सूची दाखिल करनेके लिये समय भी निर्धारित कर दिया गया है उपदफा (२) के क्लाज़ (ए) के अनुसार यदि दिवालिया अपनी ही दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिया गया हो तो दिवालिया क़रार दिया जाने वाला हुक्म होनेकी तारीखसे ३० दिनके अन्दर सूची दाखिलकी जाना चाहिये। क्लाज़ (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी क़र्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त पर कोई क़र्जेदार दिवालिया क़रार दिया गया हो तो जिस तारीखको उस पर दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मकी तामिल हुई हो उस तारीखसे ३० दिनके अन्दर सूची दाखिलकी जाना चाहिये।

उपदफा (१) में जो हल्फ़नामा देनेकी आवश्यकता रखी गई है वह इस कारण समझना चाहिये कि जिसमें दिवालिया सूचीमें गलत सलत बातें न दिखला देवे किन्तु वह सब बातोंको ठीक ही ठीक दिखला देवे क्योंकि गलत हल्फ़नामा दाखिल करने पर वह गलत हल्फ़नामा दाखिल करनेका दोषी निर्धारित किया जाकर दण्डका भागी हो सकता है।

उपदफा (३) में जेल दीवानी भेजनेका उल्लेख है उससे यह न समझ लेना चाहिये कि दिवालिया सूची न दाखिल करने मात्रही से जेलमें भेज दिया जावेगा। जेलमें भेजना न भेजना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और अदालत समय व आवश्यकतानुसार इस प्रकारका हुक्म देवेगी। इस प्रकारका हुक्म आफिशल एसायनी अथवा अन्य किसी कर्ज़ख्वाह की दरख्वास्त देने पर हो सकता है परन्तु इस बातका भी ध्यान साथ साथ रखना चाहिये कि यदि किसी उचित कारणसे दिवालिया उक्त सूची दाखिल न कर सके अथवा उक्त सूची नियत किये हुए समयके अन्दर न दाखिल हो सके तो इस उपदफाके नियमका प्रयोग नहीं किया जासकेगा जैसे कि दिवालिया बीमार पड़ गया हो अथवा जिन बातोंके सूचीमें दिखलाये जानेकी आवश्यकता हो उसके लिये दिवालियेको कुछ अवकाश मिलना चाहिये तो दोनों हालतोंमें नियत किये हुए समयसे कुछ अधिक समय दिवालियेको मिल सकता है इत्यादि

उपदफा (४) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया उक्त नियमोंके अनुसार सूची तैयार न करे या दाखिल न करे तो आफिशल एसायनीको अधिकार है कि वह उसकी जायदादके खर्चेसे निर्धारित किये हुए ढंग पर सूची तैयार करा देवे।

दफा २५ रक्षाका हुक्म

(१) कोई भी दिवालिया जिसने कि ऊपर बतलाये हुए ढंग पर सूची दाखिल कर दी हो अदालतमें अपनी रक्षाके लिये दरख्वास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरख्वास्त पर दिवालियेकी गिरफ्तारी या क़ैदसे रक्षाके लिये हुक्म दे सकती है।

(२) रक्षाका हुक्म सूचीमें दिखलाये हुए सब क़र्जोंके लिये अथवा उनमेंसे किसी कर्जेके लिये जैसा कि अदालत मुनासिब समझे लागू हो सकता है और वह अदालत द्वारा बतलाये हुए वक्तसे शुरू हो सकता है तथा उसके बतलाये हुए समय तक कायम रह सकता है और जैसा अदालत मुनासिब समझे उसके अनुसार खारिज किया जासकता है अथवा फिरसे जारी हो सकता है।

(३) रक्षाका हुक्म दिवालियेको गिरफ्तारी या कैदसे उन क़र्जोंके सम्बन्धमें बचायेगा जिनके लिये हुक्म हुआ हो और यदि कोई दिवालिया ऐसे हुक्मके विरुद्ध गिरफ्तार या क़ैद किया गया हो तो वह छुटकारा पानेका अधिकारी होगा। परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे हुक्मसे क़र्ज़ख्वाहके हक़में उस समय कोई रुकावट नहीं पड़ेगी जब कि वह हुक्म खारिज कर दिया गया हो अथवा दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म मंसूख़ कर दिया गया हो।

(४) कोई भी कर्ज़ख्वाह हाज़िर होकर रक्षाके हुक्मका विरोध कर सकता है परन्तु ज़ाहिरा तौर पर वह दिवालिया रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी होगा जो आफिशल एसायनी का दस्तखती सार्टीफिकेट इस बातके लिये पेश कर दे कि उसने इस एक्टके नियमोंका पालन उस समय तक बराबर किया है।

(५) अदालतको अधिकार है कि यदि वह कर्ज़ख्वाहोंके हकके लिये उचित समझे तो दिवालिये द्वारा सूची दाखिल किये जानेसे पहिले भी रक्षाका हुक्म दे देवे।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेको रक्षाके लिये हुक्म दिये जानेका वर्णन है। उपदफा (१) में बतलाया गया है कि सूची दाखिल होनेके पश्चात् दिवालिया रक्षाकी दरख्वास्त दे सकता है। अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि रक्षाका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है परन्तु आगे चल कर उपदफा (४) व (५) को देखनेसे यह मालूम होता है कि अदालत अपनी इच्छाका प्रयोग इस सम्बन्धमें अवसर तथा आवश्यकता समझते हुए करेगी और उपदफा (४) में यह साफ तौरसे बतला दिया गया है कि यदि दिवालिया आफिशल एसायनीका सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश करे कि उसने एक्टमें बतलाये सब कर्तव्योंको उस समय तक पालन किया है तो जाहिरा तौर पर वह रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी समझा जावेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात साबित न की जावे। उपदफा (५) के अनुसार सूची दाखिल करनेसे पहिले भी दिवालिया रक्षाका हुक्म प्राप्त कर सकता है। यह न समझ लेना चाहिये कि उपदफा (४) से अदालतका रक्षाका हुक्म देने न देनेका अधिकार छीन लिया गया है किन्तु उस उपदफामें केवल यह बतलाया गया है कि यदि कोई कर्ज़ख्वाह रक्षाकी दरख्वास्तका विरोध करे तो अदालतको किस तरीके पर काम करना चाहिये अर्थात् अदालतकी इच्छा पर हुक्म देना न देना उस हालतमें भी निर्भर है, देखो—35 Bom. 47.

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि ऐसा हुक्म दिये जाने पर दिवालिया गिरफ्तार किया जाता या कैद है तो अथवा यदि उसके विरुद्ध कोई दिवालिया गिरफ्तार या कैद किया गया हो तो वह छोड़ दिया जावेगा और। उपदफा (२) में यह साफ कर दिया गया है कि ऐसा हुक्म सूचना दिये हुए बग़ैर कर्ज़ख्वाहों अथवा अन्य किसी को सूचित किये दिया जा सकता है तथा वह उतने ही समय के लिये लागू समझा जावेगा जितने समय लिए अदालत हुक्म दिया हो। अदालत ऐसे हुक्मको मंसूख भी कर सकती है तथा उसे बढ़ा भी सकती है।

दफा २६ क़र्ज़ख्वाहोंकी मीटिंग

(१) दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी किसी क़र्ज़ख्वाह या आफ़िशल एसाइनी द्वारा दरख्वास्त दिये जाने पर अदालत इस प्रकारका हुक्म दे सकती है कि क़र्ज़ख्वाहोंकी एक मीटिंग की जावेगी जिसमें कि दिवालियेके हालात पर विचार किया जावेगा और दिवालियेकी सूची तथा उस पर प्रकट किये हुए उसके विचार और दिवालियेकी जायदादके आम प्रबन्ध पर गौर किया जावेगा।

(२) पहिली सूची (First Schedule) में दिये हुए नियम क़र्ज़ख्वाहोंकी मीटिंगमें होने वाली कार्यवाई तथा उसके किये जानेके सम्बन्धमें प्रयोग किये जावेंगे।

व्याख्या—

दिवालियेकी सूची पर विचार करनेके लिये तथा दिवालियाकी हालत पर विचार करनेके लिये आफ़िशल एसाइनी अथवा कोई क़र्ज़ख्वाह अदालतमें इस बातकी दरख्वास्त दे सकता है कि क़र्ज़ख्वाहोंकी एक मीटिंग की जावे। यह मीटिंग दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मके होनेके बादही की जा सकती है और उस मीटिंगमें यह भी विचार किया जावेगा कि दिवालियेकी जायदादका प्रबन्ध किस प्रकार किया जावेगा। अदालत इस प्रकारकी मीटिंग किये जानेका हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि ऊपरके एक्समें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है पहिली सूचीमें जो इस एक्टके साथ दी हुई है मीटिंग किये जानेके नियम दिये हुए हैं यह नियम १ से लगाकर २४ तक हैं।

दफा २७ दिवालियेका खुली अदालतमें बयान

(१) जब कि अदालत दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म देवे तो वह किसी नियत किये हुए दिन पर एक खुली अदालत करेगी जिसकी सूचना निर्धारित ढंग पर क़र्ज़ख्वाहोंको दी जावेगी और जिसमें दिवालियेके बयान होंगे। दिवालिया उसमें हाज़िर होगा और उसका बयान उसके बर्ताव व्यवहार तथा जायदादके सम्बन्धमें लिया जावेगा।

(२) दिवालिये द्वारा दाखिल की जाने वाली सूचीके लिये नियत किये हुए समयके बीतनेके पश्चात् जितनी जल्दी सहूलियतके साथ हो सकेगा दिवालियेका बयान लिया जावेगा।

(३) कोई भी क़र्ज़ख्वाह जो सुबूत दाखिल कर चुका है या उसकी ओरसे कोई भी वकील दिवालियेसे उसके मामलोंके सम्बन्धमें तथा उसके घाटेके कारणोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर सकता है।

(४) आफिशल एसाइनी दिवालियेके बयानके समय भाग लेगा और इसके लिये अदालत द्वारा दी हुई अनुमतिके अनुसार किसी वकील द्वारा पैरवी कर सकता है।

(५) अदालत, दिवालियासे वह प्रश्न पूछ सकती है जो उसे अति आवश्यक होवें।

(६) दिवालियेके बयान हलफसे लिये जावेंगे और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले सब प्रश्नोंका उत्तर देवे तथा उन प्रश्नोंका भी उत्तर देवे जिनके लिये अदालत आज्ञा दे देवे। बयान की कुल बातें जो अदालत उचित समझे लिख लेगी और वह या तो दिवालियेको पढ़ कर सुना दी जावेंगी या वह स्वयं पढ़ लेगा और उस पर दिवालिया दस्तखत करेगा और उसके पश्चात् वह बयान उसके विरुद्ध शहादतमें पेश किये जा सकते हैं और उसका मुआयना कोई भी कर्जख्वाह उचित अवसरों पर कर सकेगा।

(७) जब कि अदालतकी रायमें दिवालियेके मामलोंकी पर्याप्त रूपसे जांच पड़ताल हो चुकेगी तो अदालत यह हुक्म देवेगी कि उसका बयान समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे हुक्मसे अदालत यदि वह फिर कभी उसका अधिक बयान लेना उचित समझे तो वञ्चित नहीं रहेगी।

(८) जब कि दिवालिया पागल होवे अथवा वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष या अयोग्यतासे पीड़ित होवे जिसकी वजहसे वह अदालतकी रायमें खुला बयान देनेके लिये अयोग्य है या वह ऐसी औरत होवे जो अपने देशके रीति रिवाजके अनुसार खुले तौर पर बयान देने के लिये मजबूर न की जाना चाहिये तो अदालतको अधिकार है कि वह ऐसे लोगोंका खुला बयान न लिये जानेका हुक्म दे देवे या ऐसा हुक्म दे देवे कि दिवालियेका बयान किसी निश्चित रूपसे तथा निश्चित समय पर लिया जावे जैसा कि अदालत आवश्यक समझे।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् अदालतका कर्तव्य होगा कि वह दिवालियेके बयानोंके लिये कोई तारीख नियत करे और दिवालियेका बयान खुली अदालतमें लेवे। इसकी सूचना कर्जख्वाहोंको निर्धारित किये हुए ढंग पर दी जावेगी।

उपदफा (१) की पाबन्दी आवश्यक है उसके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे जो दो मर्तबा इस्तेमाल किया गया है प्रकट होता है दिवालियेका भी कर्तव्य होगा कि वह अपने बयानके लिये नियत किये हुए दिन पर हाजिर होवे जैसा कि इस सम्बन्धमें भी प्रयोग किये हुए अंग्रेजी एक्टके (Shall) शब्दसे जाहिर होता है। दिवालियेका बयान उसके व्यवहार चलन व जायदादके सम्बन्धमें लिया जावेगा।

उपदफा (२) में वह समय बतलाया गया है जब कि उपदफा (१) के अनुसार बयान लिया जाना चाहिये अर्थात् दिवालिये द्वारा सूची दाखिल किये जानेके लिये जो समय नियत किया गया है उसके बीत जाने पर जितनी जल्दी हो सके उसके बयानके लिये तारीख नियत की जाना चाहिये। अदालत स्वयं सवालात पूछ सकती है। वह कर्जख्वाहान जो अपने कर्जे का सुबूत दाखिल कर चुके हों स्वयं या किसी वकीलके जरिये सवालात पूछ सकते हैं आफिशल एसायनी भी उस समय की कार्रवाईमें भाग लेगा अर्थात् उसका कर्तव्य है कि वह उस समय उपस्थित होवे व उचित पैरवी करे। पैरवी के लिये वह स्वयं भी पैरवी कर सकता है तथा उसके लिये अपनी ओर से वकील को भी खड़ा कर सकता है। इस दफाके अनुसार दिवालियेके जो बयान लिये जावेंगे वह हलफ देकर लिये जावेंगे और दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले तथा पुछवाये जाने वाले सभी सवालों का जवाब देवे अदालत हर सवाल का जवाब या पूरे बयान लिखने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु वह जिन सवालों को उचित समझे लिख सकती है परन्तु अदालत यह नहीं कर

सकती है कि वह कुछ भी न लिखे अदालत का कर्त्तव्य होगा कि वह बयान की जरूरी बातों को लिखे जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की उप दफा ६ में प्रयोग किये हुये (Shall) शब्द से प्रकट है। जो बयान अदालत नोट करेगी वह दिवालिये को पढ़ कर सुनाये जावेंगे और उस पर दिवालिये के दस्तख़त लिए जावेंगे। इस प्रकार लिये हुये बयानों का मुआइना हर एक क़र्ज़ख्वाह कर सकता है तथा इस प्रकार दिये हुये बयान दिवालियेके विरुद्ध शहादत में प्रयोग किये जा सकते है। एक दफा उसका बयान हो जानेके बाद भी अदालत दुबारा दिवालिये का बयान उप दफा (७) के अनुसार ले सकती है उप-दफा (८) के अनुसार अदालत पर्दानशीन औरतों पागलों व अन्य किसी रोग से पीड़ित पुरुषों को इस दफा के अनुसार बयान देनेसे बरी कर सकती है या अगर वह चाहे तो उनका बयान जिस तरीके से मुनासिब समझे उस तरीके से ले सकती है जैसे कि कमीशन से बयान लिये जा सकते हैं। इस उपदफा के अनुसार कार्य करना अदालत की इच्छा पर निर्भर है।

तस्फ़ीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

दफा २८ प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका क़र्ज़ख्वाहों द्वारा स्वीकार किया जाना

(१) दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् दिवालिये को अधिकार है कि अपने क़र्ज़ों के चुकाने के सम्बन्धमें तस्फ़ीये का प्रस्ताव अथवा अपने मामलों को तय किये जाने की स्कीम का प्रस्ताव निर्धारित किये हुये ढंग पर पेश करे और वह प्रस्ताव आफ़िशल एसायनी क़र्ज़ख्वाहों की मीटिंग में पेश करेगा।

(२) आफिसल एसायनी दिवालिये के प्रस्ताव की नकल मय उस पर दी हुई रिपोर्टके सूची में दिखलाये हुये सब क़र्ज़ख्वाहों या ऐसे क़र्ज़ख्वाहोंके पास भेजेगा जो अपना सुबूत मीटिंग में दाखिल कर चुके हैं। और यदि उस पर विचार करने पर कसरत तादाद तथा सब क़र्ज़ख्वाहों के क़र्ज़ें के तीन चौथाई कीमत के क़र्ज़ेवालों की राय से जिनके क़र्ज़े साबित किये जा चुके हैं प्रस्ताव स्वीकार किया जावे तो वह प्रस्ताव क़र्ज़ख्वाहों द्वारा ठीक तौरसे स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव माना जावेगा।

(३) दिवालिया मीटिंगके समय अपने प्रस्तावकी शर्तोंको संशोधित कर सकता है यदि आफिसल एसायनी की रायमें उस संशोधन से उसके आम क़र्ज़ख्वाहों को लाभ पहुंचता होवे।

(४) कोई भी क़र्ज़ख्वाह जो अपना क़र्ज़ा साबित कर चुका है अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति पत्र द्वारा आफिसल एसायनीके पास नियत किये हुये दिनसे एक दिन पहले भेज सकता है अर्थात् उस दिन तक आफिसल एसायनी के पास वह पहुंच जाना चाहिये और इस प्रकार की स्वीकृति या अस्वीकृति का वही प्रभाव होगा जैसे कि वह मीटिंग में मौजूद रहा हो और उसमें वोट दिया हो।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके मामलोंका तसफीया किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है। दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अपने क़र्ज़ोंको तय करनेके लिये प्रस्ताव पेश कर सकता है। यह प्रस्ताव निर्धारित ढंग पर होना चाहिये और यह प्रस्ताव आफ़िशल एसायनी द्वारा क़र्ज़ख्वाहान की मीटिंगमें रखा जावेगा। इस प्रकारका

प्रस्ताव आने पर आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह प्रस्ताव की नकल तथा अपनी रिपोर्टकी सूचना उन सब कर्जख्वाहानके पास भेजे जो अपना कर्जा साबित कर चुके हैं या जिनका नाम सूचीमें दिया हुआ हैं इस प्रकारके प्रस्तावका कर्जख्वाहान द्वारा स्वीकार किया जाना उस समय माना जावेगा जब कि बहुमतसे कर्जख्वाहानने उस प्रस्तावको स्वीकार किया हो तथा साथही साथ उन कर्जख्वाहानका कर्जा कुल कर्जेके तीन चौथाईसे कम न होवे। दिवालिया अपने प्रस्तावका संशोधन भी मीटिंगके समय कर सकता है परन्तु यह संशोधन उसी समय हो सकेगा जब कि आफिशल एसायनी की रायमें वह संशोधन आम कर्जख्वाहोंके लाभके लिये समझा जावेगा। कर्जख्वाहानकी सुविधाके लिये उपदफा (४) में यह दे दिया गया है कि वह अपनी राय लिखकर आफिशल एसायनीके पास भेज सकते हैं और इस प्रकार लिखी हुई रायका वही प्रभाव होगा जो स्वयं उपस्थित होकर वोट देनेका होता है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इससे पहिले आफिशल एसायनीके पास पहुँच जाना चाहिये अर्थात् मीटिंगसे पहिले वाला दिन इस प्रकारकी राय पहुँचनेके लिये आखिरी दिन होवेगा।

दफा २९ अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति

(१) जब कि प्रस्ताव कर्ज़ख्वाहों द्वारा मंजूर किया जाचुके तब दिवालिया या आफिशल एसायनी अदालतमें उसकी स्वीकृतिके लिये दरख़्वास्त दे सकता है। इस दरख़्वास्तके सुने जानें की सूचना उन सब कर्ज़ख्वाहोंको दी जावेगी जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं।

(२) दिवालियेके खुले आम बयान लिये जानेसे पेश्तर ऐसी दरख्वास्त नहीं सुनी जावेगी किन्तु उससे पेश्तर उस दशामें सुनवाई हो सकती है जब कि सरसरीमें उसकी जायदादका इन्तज़ाम किया जानेको होवे अथवा अदालतसे उसके लिये विशेष आज्ञा लेली गई हो। कोई भी कर्ज़ख्वाह जो अपना कर्ज़ साबित कर चुका है दरख्वास्तका विरोध कर सकता है चाहे वह कर्ज़ख्वाहोंकी मीटिंगमें उस प्रस्तावके स्वीकार किये जानेके लिये वोट दे चुका हो।

(३) अदालत उस प्रस्तावके लिये स्वीकृत प्रदान करनेसे पहिले आफिशल एसायनीकी रिपोर्ट उसकी शर्तों तथा दिवालियेके बर्तावके बाबत सुनेगी और उन एतराज़ोंको भी सुनेगी जो कोई कर्ज़ख्वाह करे या जो उसकी ओरसे किये जावें।

(४) यदि अदालत की रायमें प्रस्तावकी शर्तें उचित न प्रतीत हों अथवा उनसे आम कर्ज़ख्वाहोंको लाभ पहुँचने की सम्भावना न हो या कोई इस प्रकारका मामला होवे जिसके कारण अदालत बहाल करनेसे इनकार कर सकती हो तो अदालत प्रस्तावको मंजूर नहीं करेगी।

(५) जब कि कोई ऐसी बातें साबित की गई हों जिनके साबित होनेके कारण दिवालिये के बहाल किये जानेसे इनकार किया जासके या वह रोका जासके अथवा उसमें शर्तें लगाई जा सकें तो अदालत प्रस्तावको स्वीकार करनेसे इनकार कर देगी परन्तु वह उस सूरतमें मंजूर किया जासकेगा जब कि उसमें उचित ज़मानत उन बिला महफूज़ कर्ज़ोंकी रुपयेमें चार आने अदायगी की गई हो जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हों।

(६) यदि दिवालियेकी जायदादसे कोई कर्ज़ औरोंके मुकाबले पहिले अदा किये जानां चाहिये और तसफिये या स्कीममें उनके इस प्रकार पहिले अदा किये जानेकी व्यवस्था न की गई हो तो ऐसा प्रस्ताव या स्कीम स्वीकार नहीं की जावेगी।

(७) अन्य किसी मामलेमें अदालत या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है अथवा उसको अस्वीकार कर सकती है।

व्याख्या—

दफा २८ के अनुसार कर्जख्वाहान द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव उस समय तक कार्यान्वित नहीं किया जावेगा जब तक कि अदालत उसे मंजूर न कर देवे। कर्जख्वाहान द्वारा स्वीकार किये जानेके पश्चात् आफ़िशल एसायनी या दिवालिया अदालतमें उस प्रस्तावके मंजूर किये जानेके लिये दरख्वास्त दे सकता है और इस प्रकार दी हुई दरख्वास्तको सुननेके लिये जो तारीख नियतकी जावेगी उसकी सूचना उन सब कर्जख्वाहानको दी जावेगी जो अपना कर्ज़ साबित कर चुके हैं। इस उपदफ़ामें बतलाई हुई सूचना अवश्य दी जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य मालूम होता है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि जब कोई कार्रवाई सरसरीमें की गई हो या जब कि अदालतने ख़ास तौरसे आज्ञा दे दी हो तो तस्फ़ीयेका प्रस्ताव दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी समय भी सुना जा सकता है परन्तु और मामलोंमें इस प्रकारकी दरख्वास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि दिवालियेका बयान खुली अदालतमें न हो जावे। इसी उपदफ़ामें यह भी बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जख्वाहने प्रस्तावके लिये अपनी स्वीकृति दे भी दी होवे तो वह इस दफ़ाके अनुसार दी हुई दरख्वास्तका विरोध कर सकता है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि वही कर्जख्वाह विरोध करनेके अधिकारी होंगे जिनके कर्ज़ साबित किये जा चुके हैं।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस दफ़ाके अनुसार पेश किये हुए प्रस्तावके लिये अपनी मंजूरी देनेसे पहिले आफ़िशल एसायनीकी रिपोर्टको देखे तथा एतराज करने वाले कर्जख्वाहानके एतराजोंको सुने।

उपदफा (४) में उन दशाओंका वर्णन है जिनके उपस्थित होने पर अदालत प्रस्तावको स्वीकार कर देनेसे इनकार कर देवेगी अदालत इन दशाओंमें प्रस्ताव स्वीकार करेगी—

(i) जब कि प्रस्ताव उचित प्रतीत न होवे, या

(ii) जब कि प्रस्तावसे आम कर्जख्वाहानको लाभ पहुंचनेकी सम्भावना न होती होवे, या

(iii) जब कि ऐसी स्थिति होवे जिसके अनुसार अदालत दिवालियेको बहाल करनेसे इनकार कर देनेके लिये बाध्य होवे। अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफ़ामें (Shall) शब्दका प्रयोग है जिससे यह समझना चाहिये कि इस उपदफ़ामें बतलाई हुई बातोंके होने पर प्रस्ताव हर्गिज़ मंजूर नहीं किया जावेगा।

उपदफा (५) में उन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत प्रस्ताव उस समय तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि बिला महफ़ूज़ कर्जख्वाहानके कर्ज़ रुपयेमें चार आने चुकाये जानेका उचित प्रबन्ध जमानत आदिसे न कर दिया गया हो। इस उपदफ़ाका प्रयोग उसी समय किया जावेगा जब कि वाक़्यात ऐसे उपस्थित होवें जिनकी उपस्थितिके कारण अदालत बहालीका हुक्म देनेसे इनकार कर सकती हो अथवा उसके लिये शर्तें लगा सकती हो अथवा समय बढ़ा सकती हो।

उपदफा (६) में पेश्तर अदा किये जाने योग्य कर्ज़ोंकी अदायगीका प्रबन्ध पेश्तर ही किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है यदि इस प्रकारका प्रबन्ध तस्फ़ीये या स्कीममें न होवे तो वह मंज़ूर नहीं किया जावेगा अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यहां समझना चाहिये कि उनका प्रबन्ध पेश्तर किया जाना ही परम आवश्यक है। उपदफा (१) से लेकर ६ तक जिन नियमोंका वर्णन है उनका ध्यान रखते हुए यदि मामला अन्य किसी प्रकारका होवे तो अदालतको अधिकार है जिस प्रकारका हुक्म चाहे दे देवे अर्थात् अवसर व वाक़्यातको देखते हुए वह अपनी इच्छानुसार उचित हुक्म दे सकती है।

दफा ३० प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुक्म

(१) यदि प्रस्ताव मंजूर किया जावे तो उसकी शर्तें अदालत अपने हुक्ममें लिख देवेगी और दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मंसूखीका हुक्म दिया जावेगा और दफा २३ की उपदफा (१) व (३) के नियम इसके पश्चात् लागू होंगे और वह तसफीया या तय होने की स्कीम सब कर्जख्वाहों पर उस हद तक लागू होगी जहां तक उसका सम्बन्ध उनके उन कर्जोंसे है जो दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं।

(२) किसी सम्बन्धित व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर तसफीया या तय किये जाने वाले स्कीमके नियमोंकी पाबन्दी अदालत द्वारा कराई जासकती है और ऐसी दरख्वास्त पर दिये हुए किसी हुक्मकी उदूली करने पर अदालत की तौहीन (Contempt of Court) समझी जावेगी।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मन्सूखी या तो पूरा कर्जा चुका दिये जाने पर अथवा तसफीया जिसका उल्लेख दफा २८, २९ व ३० में है उसके अनुसार हो सकती है। इसके विपरीत यदि कोई बाहमी समझौता हो जावे तो उससे न तो कर्जोंकी पूरी अदायगी ही समझी जावेगी और न वह तसफीया ही समझा जावेगा, देखो—43 Mad 71. इस दफाके अनुसार यदि तसफीया अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जावे तो उसकी सब शर्तें अदालतके हुक्ममें दे दी जावेंगी अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह भली भांति प्रकट है कि उन शर्तोंका अदालतके हुक्ममें दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार तसफीया स्वीकार करने पर दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया जावेगा। दफा २३ के उपदफा (१) व (३) में बतलाये हुए नियम मसूखीका हुक्म होने पर लागू होंगे अर्थात् दफा २३ की उपदफा (१) के अनुसार मसूखीका हुक्म होनेसे पहिले किये हुए सब सौदे व हुक्म जैसेके तैसे बने रहेंगे तथा जायदाद दिवालिये या अन्य किसी व्यक्तिकी सुपुर्दगीमें अदालतके हुक्मके अनुसार आजावेगी और दफा २३ की उपदफा (३) के अनुसार मसूखीके हुक्मकी मुश्तहरी की जावेगी। इस दफामें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मसूखीका हुक्म हो जाने पर तसफीया या स्कीम जिसके आधार पर मसूखीका हुक्म दिया गया हो दिवालियेके सब कर्जख्वाहों पर लागू होगा अर्थात् उन कर्जख्वाहोंके उन सब कर्जोंके सम्बन्धमें लागू होगा जो दिवालियेकी कार्रवाईमें साबित किये जासकते हैं। ऊपर बतलाई हुई बातका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि वह कर्जख्वाह जिन्होंने तसफीयेको स्वीकार न किया हो अथवा वह कर्जख्वाह जो हाजिर ही न हुए हों तसफीयेके पाबन्द होंगे। दफा २८ के अनुसार तसफीयेके प्रस्तावका नोटिस उन सब कर्जख्वाहोंके पास भेजा जाना बतलाया गया है जिनके नाम कर्जख्वाहोंकी सूचीमें दिखलाये गये हों तथा उन कर्जख्वाहोंके पास भी भेजा जावेगा जिन्होंने अपना कर्जा साबित किया हो इस प्रकार तसफीयेके प्रस्तावकी सूचना दिवालियेके सब कर्जख्वाहोंके पास पहुँचनेकी व्यवस्था की गई है और इसी कारण उन कर्जख्वाहोंको बादमें एतराज करनेका कोई अधिकार नहीं है। दफा २८ में यह भी बात बतला दी गई है कि यदि बहुमतसे कर्जख्वाहान प्रस्तावको स्वीकार करलें और स्वीकार करने वालोंका कर्जा कुल कर्जेके तीन चौथाईसे अधिक होवे तो मान लिया जावेगा कि सब कर्जख्वाहानने प्रस्तावको स्वीकार कर लिया है। दफा ३८, में बतलाये नियमोंके अनुसार कर्जख्वाहों द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति हो जाने पर फिर अदालतके सामने वह प्रस्ताव पेश होगा और वह दफा २९ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जख्वाहानको सूचना देनेके बाद अदालतकी मंजूरी पावेगा। इसलिये यह उचित समझा गया है कि अदालतकी मंजूरी होने पर तसफीया या स्कीमकी पाबन्दी सब कर्जख्वाहों पर उस हद तक होना चाहिये जहां तक उनके उन कर्जोंसे सम्बन्ध है जो अदालत दिवालियामें साबित किये जा सकते हैं। उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तसफीयेके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्मको न माने तो उससे अदालत की तौहीन समझी जावेगी।

दफ़ा ३१ दिवालियेको दुबारा दिवालिया क़रार देनेके अधिकार

(१) यदि ऊपर लिखे अनुसार स्वीकार की हुई स्कीम या प्रस्ताव में बतलाई हुई किसी क़िस्त की अदायगी में ग़लती की जावे या अदालत को मालूम होवे कि बिला बेइन्साफीके या बिला देर किये हुए वह तस्फीया व स्कीम अमल में नहीं लाई जा सकती है या अदालत की स्वीकृति धोखा देही से ली गई है तो अदालत यदि वह उचित समझे तो किसी सम्बन्धित व्यक्ति के दरख्वास्त पर कर्जदार को दुबारा दिवालिया करार दे सकती है और तस्फीया या स्कीम को रद्द कर सकती है। और इस पर दिवालिये की जायदाद आफिशल एसायनी की सुपुर्दगी में आ जावेगी परन्तु इसका कोई प्रभाव उन इन्तकालों (Transfer) पर या उन अदायगियों पर विरुद्ध रूपमें नहीं पड़ेगा जो बाक़ायदा मंजूरकी हुई स्कीम या तस्फीयेके अनुसार किये जाचुके हों।

(२) जब कि कोई क़र्ज़दार उपदफ़ा (१) के अनुसार दुबारा दिवालिया क़रार दिया जावे तो साबित किये जाने योग्य वह सब क़र्ज़े जो दुबारा दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले लिये गये हैं दिवालियेकी कार्रवाईके सिलसिलेमें साबित किये जावेंगे।

व्याख्या—

इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया तस्फ़ियेकी शर्तोंकी पाबन्दी न करे अथवा तस्फीया धोखादेहीसे मंजूर कराया गया हो या वह क़ाबिल पाबन्दी न समझा जावे तो अदालत तस्फ़ियेकी मंजूरीके हुक्मको मंसूख कर कर्ज़दारको फिरसे दिवालिया करार दे सकती है अर्थात् कर्जदार अपनी चालाकियोंसे लाभ नहीं उठा सकता है और न कर्ज़ख्वाहोंको नुकसान ही किसी खास ग़लतीकी वजहसे पहुँचाया जा सकता है दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर कर्जदार उन्हीं शर्तोंका पाबन्द समझा जावेगा जिन शर्तोंका पाबन्द वह पहिली मर्तबा दिवालिया करार दिया जाने पर हुआ था। उसकी जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजावेगी परन्तु तस्फ़ियेकी मसूख़ीका हुक्म होनेसे पहिले तस्फ़ीयेके अनुसार जो काम या सौदे किये गये होंगे वह सब बदस्तूर बन रहेंगे व ठीक समझे जावेंगे।

उपदफ़ा (२) के अनुसार वह सब क़र्ज़े भी दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर साबित किये जासकेंगे जो तस्फ़ीये या स्कीमकी मंजूरके पश्चात् तथा उस मंजूरीके हुक्मकी मसूख़ीसे पहिले किये गये हों। इस प्रकार तस्फ़ीयेके बाद वाले कर्ज़ख्वाह भी दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा रसदी प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे।

दफ़ा ३२ तस्फीये या स्कीमका प्रभाव

तस्फीये या स्कीमके स्वीकार किये जाने पर भी उसका कोई प्रभाव किसी क़र्ज़ख्वाहके ऐसे क़र्ज़ों या जिम्मेदारियों पर नहीं पड़ेगा जिनसे बहाल होने पर भी इस एक्टके नियमोंके अनुसार उद्धार नहीं हो सकेगा जब तक कि वह क़र्ज़ख्वाह तस्फीया या स्कीममें अपनी स्वीकृति न दे देवे।

व्याख्या—

इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि तस्फ़ीया या स्कीमके मंजूर होने पर भी उसकी पाबन्दी ऐसे कर्ज़ों पर लागू नहीं होगी जो दिवालियाके बहाल होने पर भी जैसेके तैसे बने रहेंगे अर्थात् चुकाये हुए नहीं माने जावेंगे जब तक कि उनके कर्ज़-ख्वाह तस्फ़ीये या स्कीमको मंजूर न कर लेवें। दफ़ा ४५ में उन कर्ज़ोंका उल्लेख है जिनसे दिवालिया बहाल होने पर भी बरी

नहीं समझा जावेगा। दफा ४५ की उपदफा (१) के क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में ऐसे कर्जे बतलाये गये हैं सूक्ष्ममें वह कर्जे यह हैं सरकारी कर्ज, धोखेसे लिया हुआ कर्जा, धोखेसे छुड़ाया हुआ कर्जा व जाबता फौजदारीके अनुसार दिलाये मुआवजेका कर्जा। परन्तु इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि ऐसे कर्जेका पाने वाला कर्जख्वाह तरकीब या स्कीमको मंजूर कर लेवे तो उस पर उस तरकीब या स्कीमकी पाबन्दी मंजूर कर लेनेके बाद उसी प्रकार होगी जिस प्रकार अन्य कर्जख्वाहों पर।

दिवालियेकी ज़ात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

दफा ३२ जायदादके बतलाने व उसको वसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालिये के कर्तव्य

हर एक दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह बीमारी अथवा किसी दूसरे पर्याप्त कारणसे न रुक जावे तो वह कर्ज़ख्वाहोंकी उस मीटिंगमें हाज़िर होगा जिसमें आफिशल एसायनी उसकी उपस्थिति आवश्यक समझे और मीटिंग जिस प्रकार चाहेगी उसको उस प्रकारका बयान या इत्तला देना पड़ेगा।

(२) दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह निम्न लिखित कामोंको उस प्रकार करे जिस प्रकार आफिशल एसायनी या विशेष मैनेजर उससे कराना चाहे अथवा जिस प्रकार निर्धारित किया गया हो या जिस प्रकार अदालत अपने विशेष हुक्म द्वारा किसी विशेष मामलेके सम्बन्धमें करनेका हुक्म देवे या जिस प्रकार करनेका हुक्म आफिशल एसायनी, विशेष मैनेजर किसी कर्ज़ख्वाह अथवा किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर दिया जावे:—

(ए) अपनी जायदादकी फिहरिस्त देवे कर्ज़ख्वाहों व कर्ज़दारोंकी फिहरिस्त दाखिल और अपने लेने व देने वाले कर्ज़ोंकी फिहरिस्त भी दाखिल करे।

(बी) अपनी जायदाद अथवा अपने कर्ज़ख्वाहोंके सम्बन्धमें बयान देवे।

(सी) आफिशल एसायनी या विशेष मैनेजरके सम्मुख बतलाये हुए समय व स्थानों पर हाज़िर होवे।

(डी) मुख्तारनामें, दस्तावेज़ इन्तकाल जायदाद और दूसरी दस्तावेज़े तहरीर करे।

(ई) अपनी जायदाद तथा उसको कर्ज़ख्वाहोंके बीचमें बांटे जानेके सम्बन्धमें की जाने वाली सब बातों व कामोंको करे।

(३) दिवालिया अपनी शक्ति भर अपनी जायदादको वसूल कराने तथा उसकी क़ीमत अपने कर्ज़ख्वाहोंमें बांटे जानेमें मदद देवे।

(४) यदि दिवालिया जानते हुए इस दफामें बतलाये हुए कर्तव्योंको पालन नहीं करेगा या वह अपनी जायदादके किसी हिस्सेका कब्ज़ा जो उसके कब्ज़े या अधिकारमें होवे और जो उसके कर्ज़ख्वाहोंमें बांटी जासकती हो आफिशल एसायनीको नहीं देवे तो वह अलावा और सज़ाओंके जो उसको दी जासकती हों अदालतकी तौहीन करनेका दोषी होगा और उसको उसके अनुसार दण्ड दिया जासकेगा।

व्याख्या—

इस दफ़ामें दिवालियेके उन कर्तव्योंका उल्लेख है जो उसे अपनी जायदादका पता बतलाने तथा उसके वसूल करानेके सम्बन्धमें कराना आवश्यक है तथा जिनको न करने पर वह दोषी समझा जासकेगा और दण्डका अधिकारी होगा। अंग्रेजी एक्टकी उपदफ़ा (१), (२) व (३) में (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह तात्पर्य समझना चाहिये कि दिवालिया उन उपदफ़ाओंमें बतलाये हुए नियमोंकी अवहेलना नहीं कर सकता है किन्तु उनकी पाबन्दी उसके लिये आवश्यक है।

उपदफ़ा (१) के अनुसार यदि आफ़िशल एसायनी दिवालियेसे, कर्जख्वाहोंकी किसी मीटिंगमें उपस्थित होनेको कहे तो उस उस मीटिंगमें उपस्थित होना पड़ेगा तथा मीटिंगमें उससे जो बयान या इतला चाही जायगी वह उसे देना पड़ेगा।

उपदफ़ा (२) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेको क्लाज़ (ए), (बी), (सी), (डी) व (ई) में बतलाई हुई बातोंका जवाब देना होगा तथा उनमें बतलाये हुए कामोंको करना होगा। इन क्लाज़ोंमें बतलाये हुए कामोंको करनेके लिये आफ़िशल एसायनी, व विशेष मैनेजर कह सकता है अथवा अदालत स्वयं उसके लिये हुक्म दे सकती है।

क्लाज़ (ए) के अनुसार जायदादकी फेहरिस्त, कर्जख्वाहों व कर्जदारोंकी फेहरिस्त तथा उनको दिये जाने वाले या उनसे वसूल किये जाने वाले कर्जोंका ब्योरा मांगा जासकता है।

क्लाज़ (बी) के अनुसार जायदाद तथा कर्जख्वाहोंके सम्बन्धमें दिवालियेके बयान लिये जासकते हैं।

क्लाज़ (सी) के अनुसार दिवालियेको आफ़िशल एसायनी अथवा विशेष मैनेजरके पास चाहे हुए समय व बतलाई हुई जगह उपस्थित होने को कहा जासकता है।

क्लाज़ (डी) के अनुसार दिवालियेसे मुख्तारनामे, दस्तावेज इन्तकाल जायदाद तथा दूसरे कागज़ात लिखाये जासकते हैं।

क्लाज़ (ई) के अनुसार दिवालियेसे उसकी जायदाद वसूल किये जाने तथा उसके कर्जख्वाहोंमें बांटे जानेके सम्बन्धमें सभी काम व बातें जो आवश्यक समझे पड़ कराई जासकती हैं।

इस उपदफ़ामें बतलाये हुए कामोंको करानेके लिये अदालतमें कर्जख्वाह या अन्य कोई सम्बन्धित व्यक्ति भी दरख्वास्त दे सकता है। आफ़िशल एसायनी या विशेष मैनेजर भी यदि अपने अधिकारोंसे बाहर कोई काम इस दफ़ाके अनुसार कराया चाहे तो अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है और तब अदालत अपने हुक्मके अनुसार दिवालियेको उस कामके करनेके लिये मजबूर कर सकती है।

उपदफ़ा (३) में दिवालियेका यह कर्तव्य बतलाया गया है कि जितनी उससे हो सकेगी उतनी मदद अपनी जायदादका वसूल कराने तथा उसके कर्जख्वाहोंमें तकसीम किये जानेमें करेगा।

उपदफ़ा (४) में यह दिया हुआ है कि यदि जान बूझ कर दिवालिया इस दफ़ामें बतलाये हुए कर्तव्यका पालन नहीं करेगा या वह अपने कब्जेसे अपनी कुल या जुज जायदादको नहीं छोड़ेगा तो वह इस प्रकार किये हुए अपराधका निर्धारित किये हुए दफ़ापर दण्ड पावेगा और सायही साथ वह अदालतकी तौहीन (Contempt of Court) का दोषी समझा जावेगा और इस अपराधका भी दण्ड पासकेगा। यदि आफ़िशल एसायनी दिवालियेसे कोई काम कराना चाहे तो वह जबानी भी कह सकता है परन्तु यदि वह अदालतसे दिवालियेको काम न करनेकी वजहसे सज़ा दिलाना चाहिये तो लिख कर हुक्म देना अच्छा कार्रवाई होगी और उसके साथ साथ यह भी नोटिस देना चाहिये कि यदि हुक्म की तामील नहीं की जावेगा तो अदालतकी तौहीन होनेकी कार्रवाई अमलमें लाई जावेगा। देखो—47 Cal. 56.

दफा ३४ दिवालियेकी गिरफ्तारी

(१) निम्न लिखित बातोंके उपस्थित होने पर अदालतको अधिकार होगा कि वह स्वयं ही या आफिशल पसायनी अथवा किसी कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर दिवालियेको पुलिस आफिसर द्वारा अथवा अन्य किसी नियुक्त किये हुए अफसर द्वारा वारण्टके ज़रिये गिरफ्तार करा लेवे और उसे दीवानीकी जेलमें भेज देवे या यदि वह जेलहीमें होवे तो उसको उस समय तक कि अदालत उचित समझे वहाँ बन्द रखनेका हुक्म दे देवे।

(ए) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये है कि वह भाग गया है या वह इस कारण भागने वाला है कि जिसमें उसका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें न लिया जासके या वह अपने विरुद्ध कीजाने वाली दिवालियेकी कार्रवाइयोंको टाला चाहता है या उनमें देर कराया चाहता है या उनमें उलझन पैदा कराना चाहता है, या

(बी) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये उपस्थित है कि वह अपनी जायदादको इस नीयतसे हटाने वाला है जिससे आफिशल पसायनी द्वारा उस पर कब्ज़ा लिये जानेमें रुकावट पड़े या देर होवे या इस बात पर विश्वास करने के लिये पर्याप्त कारण होवे कि उसने अपनी किसी जायदाद या किताबों या दस्तावेज़ों या अन्य तहरीरोंको जिनसे उसकी दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें उसके क़र्ज़ख्वाह फायदा उठा सकते हैं छिपा दिया है अथवा छिपाने वाला है।

(सी) यदि वह बिला आफ़िशल पसायनीकी आज्ञाके अपनी पचास रुपयेसे ऊपरकी क़ीमत वाली जायदादको हटा देवे।

(२) इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जानेके पश्चात् यदि कोई अदायगी कीजावे या कोई तस्फीया किया जावे या ज़मानत दी जावे और वह धोखादेहीसे तर्जीह देने वाले सौदे इस एक्टके नियमोंके अनुसार होवे तो वह बरी नहीं होंगे अर्थात् वह धोखादेहीसे की हुई अदायगी, तस्फीया या ज़मानत समझी जावेगी।

व्याख्या—

इस दफामें वह वजूहात बतलाये गये हैं जिनके होने पर अदालत, दिवालियेको गिरफ्तार करा सकती है या यदि वह जेलमें होवे तो उसे किसी नियत समय तकके लिये वहां रोके जानेका हुक्म दे सकती है। अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई स्वयं ही कर सकती है अथवा आफिशल पसायनी या किसी कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर कर सकती है। इस दफाके अनुसार वारण्ट किसी पुलिस आफिसर अथवा किसी दूसरे निर्धारित किये हुए अफसरके नाम दिया जासकता है इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जाने पर दिवालिया दीवानीकी जेलमें रखा जासकेगा।

उपदफा (१) के क्लाज़ (ए), (बी) व (सी) में वह बातें बतलाई गई हैं जिनके होने पर या किये जाने पर अदालत गिरफ्तारीका हुक्म या जेलमें रोके जानेका हुक्म दे सकती है।

क्लाज़ (ए) में यह बतलाया गया है कि जब दिवालिया भाग गया हो या भागने वाला हो जिसमें उसका बयान न हो सके

या अन्य किसी प्रकारसे उसके विरुद्ध होने वाली दिवालियेकी कार्रवाईमें रुकावट पड़ सके तो अदालत ऐसा बातका विश्वास होने पर वारण्ट जारी करनेकी कार्रवाई कर सकता है।

क्लाज़ (बी) के अनुसार यदि दिवालियेने जायदादको हटा दिया हो छिपा दिया हो या हटाने वाला होवे अथवा उसने अपनी हिसाबकी किताबों या दस्तावेज़ोंको या दूसरी तहरीरको छिपा दिया हो या नष्ट कर दिया हो जिससे कि आफिशल एसायनीको कब्जा न मिल सके या जिससे उसके विरुद्ध दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें लाभ न उठाया जासके तो अदालत ऐसा बातका विश्वास दिलाये जाने पर गिरफ्तारीकी कार्रवाई कर सकती है।

क्लाज़ (सी) के अनुसार यदि दिवालिया बिना आफिशल एसायनीकी मंजूरके पचास रुपयेकी कीमतसे अधिकका जायदाद हटा देवे तो भी अदालत द्वारा गिरफ्तार कराया जासकता है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जानेके बाद यदि दिवालिया कोई अदायगी की तस्फ़िया करे या ज़मानत देवे और वह अदायगी, तस्फ़िया या ज़मानत धोखादेहीसे तर्जीह दिया जाने वाला सौदा होवे तो वह सौदा उसी प्रकारका याना धोखादेहीसे तर्जीहका सौदा ही माना जावेगा अर्थात् काबिल मंसूखी होगा।

दफा ३५ ख़तोंका दूसरी जगहके लिये भेजा जाना

जब कि आफिशल एसायनी दरमियानी रिसीवर नियुक्त किया गया हो या जब दिवालिया क़रार दिये जाने वाला हुक्म दे दिया गया हो तब आफिशल एसायनीकी दरख्वास्त पर अदालत को अधिकार है कि वह समय समय पर नियत समयके लिये जो तीन महीनेसे अधिक न होगा जैसा अदालत मुनासिब समझे यह हुक्म दे देवे कि दिवालियेके नाम आने वाले सब रजिस्ट्रीशुदा या बिला रजिस्ट्री वाले खत, पार्सल या मनीआर्डर जो कर्जदारके नाम किसी जगह या जगहोंके पतेसे आवें वह ब्रिटिश भारतमें स्थित डाकख़ाने वालों द्वारा आफिशल एसायनीके पास भेज दिये जावेंगे या अन्य किसी व्यक्तिको दे दिये जावेंगे जैसा अदालत हुक्म देवे और तब ऐसा ही किया जायेगा।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके खत, पार्सल व मनीआर्डरोंके लिये आफिशल एसायनीको दिये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है इस दफाके अनुसार हुक्म दरमियानी रिसीवर नियुक्त किये जाने अथवा दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् दिया जासकता है। अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म तीन महीनेसे अधिक समयके लिये नहीं दे सकती है। अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार अदालत इस प्रकारका हुक्म डाकखानेके अफसरोंके नाम दे सकती है कि दिवालियेके नामसे आने वाले रजिस्ट्री शुदा व बिला रजिस्ट्री शुदा खत, मनीआर्डर या पार्सल किसी नियत अवधि तक बजाय दिवालियेके आफिशल एसायनी अथवा अन्य किसी व्यक्तिको दिये जावें अथवा उनके नाम करके भेज दिये जावें। इस प्रकार दिये हुए हुक्मकी पाबन्दी डाकखाने वालोंको करना होगी जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें दिये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य निकलता है।

दफा ३६ दिवालियेकी जायदादका पता लगाना

(१) दिवालिया क़रार दिये जानेके पश्चात् किसी समय भी आफिशल एसायनी या ऐसे क़र्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर जिसने कि अपना कर्ज साबित कर दिया है अदालत निर्धारित

नियमोंके अनुसार दिवालिये या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिको तलब कर सकती है जिसके क़ब्ज़ेमें दिवालियेकी जायदाद होवे अथवा जिसके कब्जेमें दिवालियेकी जायदाद होनेका शक होवे या जो दिवालियेका कर्ज़दार समझा जावे अथवा जो अदालतकी रायमें दिवालिये या उसकी जायदाद या उसके व्यवहारके सम्बन्धमें इत्तला दे सके और अदालत उस व्यक्तिसे उन दस्तावेजोंको भी जो दिवालिये उसकी जायदाद या व्यवहारके सम्बन्धमें होवें तथा जो उसके क़ब्ज़े या अधिकारमें होवें दाखिल करा सकती है।

(२) यदि इस प्रकार तलब किया हुआ कोई व्यक्ति समुचित द्रव्य दाखिल किये जाने पर नियत किये हुए समय पर अदालतके सम्मुख आनेसे इनकार करे या ऐसी दस्तावेज दाखिल करनेसे इनकार करे और उसके लिये कोई ऐसी क़ानूनी रुकावट पेशीके समय न बतलावे जिसे अदालतने स्वीकार कर लिया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिको वारण्ट द्वारा गिरफ्तार करा कर बयानके लिये लाये जानेका हुक्म दे देवे।

(३) इस प्रकार लाये हुए व्यक्तिसे अदालत, दिवालिये तथा उसकी जायदाद व व्यवहारके सम्बन्धमें बयान ले सकती है और ऐसा व्यक्ति अपनी पैरवी वकील द्वारा करा सकता है।

(४) यदि ऐसे व्यक्तिके बयानसे अदालतको विश्वास हो जावे कि वह दिवालियेका ऋणी है तो वह आफिशल एसायनीके दरख्वास्त देने पर ऐसे व्यक्तिको यह हुक्म दे सकती है कि वह व्यक्ति अपने क़र्ज़का रुपया नियत किये हुए समय पर व नियत ढंगसे जैसा कि अदालत उचित समझे अदा कर देवे या उस कर्ज़का कोई हिस्सा उस कर्ज़की पूरी अदायगीमें या योंही जैसा अदालत उचित समझे मय उसके बयानोंके सम्बन्धमें पड़े हुए खर्चेके या बिला उसके आफिशल एसायनीको अदा कर देवे।

(५) यदि उस व्यक्तिके बयानसे अदालत को यह विश्वास हो जावे कि उस व्यक्तिके क़ब्ज़ेमें दिवालिये की कोई जायदाद है तो अदालत आफिशल एसायनीके दरख्वास्त देने पर यह हुक्म दे सकती है कि वह व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद या उसका कोई हिस्सा नियत किये हुए समय पर व नियत किये हुए ढंगसे नियतकी हुई शर्तोंके अनुसार जैसा अदालतको उचित प्रतीत हो आफिशल एसायनीको दे देवे।

(६) उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील उसी प्रकार कराई जावेगी जिस प्रकार जाब्ता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री या जायदाद पर क़ब्ज़ा देने वाली डिक्री इजराय कराई जासकती है।

(७) यदि कोई व्यक्ति उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील करते हुए कोई अदायगी करे या जायदाद सुपुर्दगीमें देवे तो वह इस प्रकारकी अदायगी या सुपुर्दगीसे उस क़र्ज़े व उस जायदाद सम्बन्धी सब ज़िम्मेदारियोंसे बरी हो जावेगा।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदाद बरामद किये जानेके सम्बन्धमें नियम दिया हुआ है। अदालत उपदफा (१) के अनुसार कार्रवाई आफिशल एसायनी या ऐसे कर्जख्वाहोंके दरख्वास्त देने पर करेगी जिसने कि अपना कर्ज साबित कर दिया होवे इस उपदफाके अनुसार कार्रवाई दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म होनेके पश्चात् की जावेगी।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत, दिवालिय अथवा अन्य किसी व्यक्तिको जिसके क़ब्जेमें दिवालियेकी जायदाद होवे या जो दिवालियेका क़र्जदार हावे अथवा जो दिवालिये उसके व्यवहार या उसकी जायदादके सम्बन्धमें इत्तला दे सकता हो तलब कर सकता है और इस प्रकार तलब किये हुए व्यक्तिसे दिवालिये उसके व्यवहार अथवा उसकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली दस्तावेजोंको भी अदालत दाखिल करा सकती है।

उपदफा (२) में यह दिया हुआ है कि यदि नियमानुसार तलब किये जाने पर कोई व्यक्ति न आवे या दस्तावेज न पेश करे तो अदालत उसके लिये वारण्ट जारी कर सकती है परन्तु साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि यदि किसी पर्याप्त कारणसे उसके आनेमें रुकावट पड़ गई हो जैसे कि बीमारी आदिसे अथवा यदि किसी कारणसे वह तलबकी हुई दस्तावेज पेश करनेमें असमर्थ हो तो उसके विरुद्ध इस उपदफाके अनुसार वारण्ट नहीं जारी किया जाना चाहिये।

उपदफा (३) के अनुसार अदालत उक्त प्रकारसे तलब किये हुए व्यक्तिका बयान दिवालिये उसके व्यवहार तथा उसकी जायदादके सम्बन्धमें ले सकती है। इसी उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किया हुआ व्यक्ति अपनी पैरवीके लिये वकील भी कर सकता है।

उपदफा (४) में दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिके बयानसे यदि यह मालूम होवे कि उस दिवालियेका कर्जा चुकाना है तो अदालत आफिशल एसायनीके दरख्वास्त देने पर उस व्यक्तिके लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह दिवालियेका कर्जा नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए ढंग पर आफिशल एसायनीको चुका देवे। उस व्यक्तिसे पूरा कर्ज या पूरे कर्जेकी अदायगीमें कुछ कम भी अदालतके हुक्मके अनुसार लिया जासकता है। उस व्यक्तिसे इस प्रकार बयान लिये जानेके सम्बन्धमें जो खर्च हुआ है वह भी वसूल किया जासकता है।

उपदफा (५) में यह बतलाया गया है कि इस दफाके अनुसार तलब किये व्यक्तिके बयानसे यदि यह मालूम होवे कि उसके क़ब्जेमें दिवालियेकी कोई जायदाद है तो आफिशल एसायनीकी दरख्वास्त पर अदालत उस व्यक्तिके लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह नियत किये हुए समयमें व नियत ढंग पर कुल या जुज जायदाद आफिशल एसायनीको दे देवे।

उपदफा (६) में यह बतलाया गया है कि उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील उसी प्रकार कराई जावेगी जैसे कि ज़ाबता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री या जायदाद पर क़ब्जा लेने वाली डिक्रीकी इजराय कराई जासकती है ज़ाबता दीवानीके आर्डर २१ में डिक्रीके इजराय करनेका वर्णन है और इस आर्डरके रूल ३० में रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके इजरायका उल्लेख किया गया है। और रूल ३१, ३५ व ३६ में जायदाद पर क़ब्जा देने वाली डिक्रीके इजराय करनेके नियम दिये हुए हैं।

ज़ाबता दीवानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३० इस प्रकार है—

"रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके इजरायमें मदियून दीवानीकी जेलमें बन्द किया जासकता है अथवा उसकी जायदाद कुर्क व नीलाम कराई जासकती है या दोनों प्रकार की कार्रवाई की जासकती है। वह डिक्री जिसमें कि कोई दूसरा दादरसी (Relief) दी गई हो परन्तु साथ साथ यह भी दिया हो कि उसके न करने पर रुपयेकी अदायगीकी जावेगी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री समझी जावेगी"

ज़ाबता दीवानी सन १६०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३१ इस प्रकार है मनकूला जायदादके क़ब्जेके सम्बन्धमें—

(१) जब कि डिक्री किसी खास मनकूला जायदाद या उसके किसी हिस्सेके सम्बन्धमें होवे तो उसकी इजराय वह जायदाद या उसके उस हिस्से पर क़ब्जा लेने व उसका क़ब्जा उस व्यक्तिको देने जिसके हक़में डिक्री होवे या उसकी आसे

किसी अन्य व्यक्तिको देनेमें की जासकती है या मदियूनको दीवानीकी जेलमें बन्द करने या उसकी जायदाद कुर्क करने या दोनों प्रकारसे कार्रवाई करनेसे की जासकती है।

(२) जब कि रूल (१) के अनुसार कुर्क की हुई जायदाद छ माह तक कुर्क रही हो और मदियूनने डिक्री की तामील न की हो तो डिक्रीदारके नीलामके लिये दरख्वास्त देने पर वह जायदाद नीलाम कर दी जावेगी और उस नीलामके रुपयसे डिक्रीमें बतलाई हुई तादादके अनुसार या, जहां तादाद न बतलाई गई हो वहां उसके हर्जेके हिसाबसे जैसा अदालत उचित समझे डिक्रीदारको दिया सकती है और बकाया रुपया दरख्वास्त देने पर मदियूनको दिया जावेगा।

(३) जब कि मदियूनने डिक्रीकी तामील करदी होवे और डिक्री इजरायका वह खर्च जो उसे अदा करना चाहिये था अदा कर दिया हो या जब कि छ महीने बीतने पर डिक्रीदारने नीलामके लिये दरख्वास्त न दी होवे या उसकी दी हुई दरख्वास्त नामञ्जूर करदी गई हो तो कुर्की समाप्त हो जावेगी।"

ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३५ इस प्रकार है गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें—

"(१) जब कि डिक्री किसी गैर मनकूला जायदाद पर कब्जा देनेके सम्बन्धमें होवे तो जिसके हकमें डिक्री है उसको उस पर कब्जा दिलाया जावेगा या उसकी आज्ञासे नियुक्त किये हुए किसी अन्य व्यक्तिको कब्जा दिलाया जावेगा और यदि आवश्यकता होगी तो ऐसे व्यक्तिको हटा कर कब्जा दिलाया जावेगा जो डिक्रीके लिये पाबन्द हो परन्तु कब्जा देनेसे इनकार करे।

(२) जब कि डिक्री संयुक्त कब्जेके सम्बन्धमें होवे तो ऐसा कब्जा जायदादके किसी आम जगह पर कब्जेके वारण्ट की नकल चिपकवा देनेसे तथा मुनादी करा देने या अन्य किसी प्रचलित ढंगकी कार्रवाई करनेसे दिलवाया जावेगा।

(३) जब कि किसी इमारत या बन्द जगहका कब्जा देना होवे और जिस व्यक्तिका उस पर कब्जा होवे और वह डिक्री की पाबन्दीके लिये बाध्य होवे परन्तु आसानीसे अन्दर न घुसने देवे तो अदालत अपने अफसरोंके जरिये परदानशीन औरतोंके जो आम लोगोंमें न निकलती होवें निकलनेका मौका देने तथा कब्जा देने वाले व्यक्तिको उचित आगाही देनेके बाद ताला तुड़वा कर या खिड़की तुड़वा कर या किवाड़ तुड़वा कर या अन्य किसी आवश्यक ढंगसे डिक्रीदारको कब्जा दे सकती है।"

जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३६ इस प्रकार है—

" जब कि डिक्री किसी गैर मनकूला जायदाद पर कब्जा देनेके लिये होवे और वह जायदाद किरायेदारोंके कब्जेमें होवे या अन्य किसी व्यक्तिके कब्जेमें होवे जो वहां रह सकता हो और वह इस डिक्रीके अनुसार जगह खाली करनेके लिये बाध्य न होवे तो उसका कब्जा अदालत जायदादकी किसी आम जगह पर कब्जेका वारण्ट चिपकवा कर या मुनादी कराके अथवा अन्य किसी प्रचलित ढंगसे कब्जेकी घोषणा करा देगी और उसमें जायदादके सम्बन्धमें दीहुई डिक्रीका काफी हवाला होगा।"

अब ऊपर दिये हुए आर्डर २१ के रूल ३०, ३१, ३५ व ३६ को देखनेसे यह मालूम हो जावेगी कि इस दफाकी उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्म भी इसी प्रकार तामील कराये जावेंगे।

उपदफा (७) में यह दिया हुआ है कि इस दफाके हुक्मके अनुसार यदि कोई काम किया जावेगा या अदायगी की जावेगी अथवा कब्जा दिया जावेगा तो वह पर्याप्त समझा जावेगा और काम करने वाला व्यक्ति उस कामके सम्बन्धमें आपदा का जिम्मेदारीसे बरी समझा जावेगा अर्थात् यदि उसने कर्जा चुका दिया है तो उससे दुबारा कर्जा नहीं वसूल किया जासकेगा या यदि उसने जायदाद पर कब्जा दे दिया है तो दुबारा कब्जा जायदाद पर नहीं मागा जावेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह तय किया था कि इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिया तथा किसी तीसरे व्यक्तिके बीचमें होने वाले हक सम्बन्धी झगड़ों को तय नहीं करेगी, देखो—27 Mad 60 इस दफाके अनुसार कार्रवाई करानेके लिये अदालतमें जो दरख्वास्त

दी जावे उसमें सूक्ष्म तौरसे यह दिखला देना चाहिये कि तलब किये जाने वाले व्यक्तिसे पूछा जावेगा और उस बातमें दिवालियेके व्यवहार या जायदादका क्या सम्बन्ध है, देखो —44 Cal. 374 इस दफ़ाके अनुसार दिवालियेके जो बयान लिये जावेंगे वह उसके विरुद्ध चलाये हुए फ़ौजदारीके मामलेमें उसके विरुद्ध प्रयोग किये जासकेंगे, देखो—46 Cal. 996

दफ़ा ३७ कमीशन जारी करने के अधिकार

किसी व्यक्ति के बयान लेने के लिये कमीशन व प्रार्थना रूप में पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अदालत को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो १६०८ ई० के ज़ाबता दीवानी की दफ़ा २६ के अनुसार गवाहों के बयानों के सम्बन्ध में अदालत दीवानी को प्राप्त हैं।

व्याख्या—

इस दफ़ा के अनुसार अदालत दिवालिया गवाहों के बयान बज़रिये कमीशन के करवा सकती है। कमीशन उसी प्रकार जारी किये जासकेंगे जिस प्रकार ज़ाबता दीवानीके अनुसार जारी किये जासकते हैं। ज़ाबता दीवानी (१६०८) के आर्डर २६ में कमीशन जारी करने का हाल दिया हुआहै इस आर्डर के रूल १ से लेकर ८ तक गवाहोंके बयान के सम्बन्ध में जो कमीशन जारी किये जासकतेहैं उनका उल्लेखहै इसके पश्चात् इसी आर्डर के रूल १५ से लेकर १८ तक कमीशन के अधिकारों आदि का उल्लेख किया गयाहै।

ज़ाबता दीवानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २६ के उक्त रूल इस प्रकार हैं:—

रूल १—अदालत अपनी अधिकार सीमा के अन्दर सवालात दाखिल किये जाने पर अथवा बिला उसके कमीशन उन गवाहों के बयान के लिये जारी कर सकती है जो इस एक्ट के अनुसार अदालत में आने से बरी हैं या जो बीमारी अथवा कमज़ोरी के कारण अदालत में हाज़िर होने से असमर्थ हैं।

रूल २—अदालत स्वयं ही अथवा किसी फरीक की या खुद गवाह की दरख्वास्त आने पर जिसकी ताईद में हलफ़नामा दाखिल किया गया हो या जो यों ही दी गई हो कमीशन जारी करने का हुक्म दे सकती है।

रूल ३—यदि कमीशन किसी ऐसे गवाह के बयान के लिये जारी किया गया हो जो अदालतकी अधिकार सीमा के अन्दर रहता हो तो वह कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकताहै जो अदालत की रायमें उसके लिये उपयुक्त होवे।

रूल ४—(१) कोई भी अदालत किसी भी मामलेमें निम्न लिखित लोगों के बयान के लिये कमीशन जारी कर सकती है :—

(ए) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा के बाहर रहता हो।

(बी) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा को उस तारीख से पहिले छोड़ना चाहता हो जिस तारीख पर उसका बयान होने को है। और

(सी) किसी भी सरकारी सिविल या मिलिटरी अफ़सर के लिये जो अदालत की राय में बिला अपने सरकारी काम को नुक़सान पहुँचाये हाज़िर न हो सकता हो।

(२) इस प्रकार के कमीशन हाईकोर्ट के अतिरिक्त किसी ऐसी अदालत के नाम जारी किये जा सकते हैं जिसकी अधिकार सीमा में गवाह रहता होवे अथवा किसी वकील या ऐसे व्यक्तिके नाम जारी किये जा सकते हैं जिसे कमीशन जारी करने वाली अदालत नियुक्त कर देवे।

(३) कमीशन जारी करनेवाली अदालत यह भी हुक्म दे देवेगी कि आया कमीशन उसी अदालतमें लौटाया जावेगा या उसकी मातहत किसी अदालत में।

रूल ५—यदि कमीशन जारी करनेवाली अदालत से किसी ऐसे व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन जारी कराया जावे जो बृटिश इण्डिया से बाहर रहता हो और उसका यह विश्वास दिला दिया जावे कि उस व्यक्ति की शहादत ज़रूरी है तो अदालत कमीशन या प्रार्थना पत्र (Letter of request) जारी कर सक्ती है।

रूल ६—जिस अदालत के पास किसी व्यक्तिके बयान के लिये कमीशन भेजा जावेगा वह अदालत उस व्यक्ति का बयान लेवेगी या उसके अनुसार बयान लिये जाने का प्रबन्ध करदेगी।

रूल ७—जब कि कमीशन बाकायदे पूरा कर दिया गया हो तो वह वापिस भेज दिया जावेगा और उसके साथ में उसके अनुसार लीहुई शहादत भी कमीशन जारी करनेवाली अदालत को भेज दीजावेगी यदि उसके विरुद्ध कमीशन के साथ में कोई आज्ञा न देदी गई हो और अगर ऐसा हुआ हो तो उन शर्तोंके अनुसार भेजा जावेगा जो लगादी गई है और आगे दिये हुये रूल का ध्यान रखते हुए कमीशन उसको लौटाया जाना तथा उसके अनुसार ली हुई शहादत मुकदमेंकी मिसिल में सामिल समझा जावेगा।

रूल ८—कमीशनमें लिये हुए बयान उस वक्त तक सुबूतमें बतौर शहादतके नहीं पढे जावेंगे जब तक कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह पढ़े जानेको हैं अपनी सहमत न देवे परन्तु इसकी आवश्यकता निम्न लिखित मामलोंमें नहीं रहेगी—

(ए) यदि बयान देने वाला गवाह अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर रहता है या मर गया है या बीमारी अथवा कमजोरीकी वजहसे अदालतमें आनेसे असमर्थ है या वह ऐसा सरकारी सिविल या मिलिटरी अफ़सर है जो बिना अपने सरकारी काममें नुकसान पहुँचाये हुए हाज़िर नहीं हो सकता है, या

(बी) यदि अदालत क्लाज (ए) में बतलाई हुई किसी बातके माने जानेका हुक्म दे देवे तथा इस बातका हुक्म दे देवे कि कोई शहादत सुबूतमें पढ़ी जावेगी बिला इस बातका लिहाज किये हुए कि बयानोंके पढ़ जाते समय वह बात जाती रही है जो बयानोंके लिये जाते समय उपस्थित थी।

रूल १५—किसी कमीशनके जारी करनेसे पहिले यदि अदालत चाहे तो उसके खर्चेके लिये कमीशन जारी कराने वाले फरीकसे उचित खर्चेके लिये रुपये दाखिल करा सकती है यह रुपया नियत किये हुए समयके अन्दर अदालतमें दाखिल कराया जासकता है।

रूल १६—इस आर्डरके अनुसार नियुक्त किया हुआ कमिश्नर यदि नियत करते समय दिये हुए हुक्मके साथ कोई बात इसके विरुद्ध न लिख दी गई हो तो निम्न लिखित काम कर सकता है—

(ए) फरीकैनके बयान ले सकता है और किसी ऐसे गवाहके बयान भी ले सकता है जिसे वह लोग या उनमेंसे कोई पेश करे और वह किसी ऐसे अन्य व्यक्तिका बयान भी ले सकता है जो उसकी रायमें उस मामलेके सम्बन्धमें अपने बयान दे सकता हो।

(बी) तहकीकातके लिये जो दस्तावेज आवश्यक हों उनको तलब कर सकता है व उनका मुआयना कर सकता है।

(सी) हुक्ममें जिस जमीनका उल्लेख हो वहां किसी उपयुक्त समय पर जासकता है।

रूल १७—(१) इस एक्टमें गवाहोंकी तलबी हाजिरी व बयानोंके सम्बन्धमें जो नियम दिये हुए हैं और उनके लिये जो खुराक व खर्च और जो दण्ड बतलाये गये हैं वह सब बातें उन लोगोंके लिये भी लागू होंगी जिनकी शहादत कमिश्नर लिया चाहे या जिनसे दस्तावेज तलब कराया चाहे। यह सब बातें उन सब कमीशनोंके लिये लागू होंगी जो चाहे ब्रिटिश इण्डियाकी अदालतसे या उसके बाहरकी किसी अदालतसे जारी किये गये हों। इस रूलके लिये कमिश्नरको अदालत दीवानी मान लिया जावेगा।

(२) कमिश्नर हाईकोर्टके अतिरिक्त अन्य किसी अदालतसे जिसकी अधिकार सीमामें गवाह रहता हो गवाहके लिये सम्मन जारी करा सकता है जिसके जारी करानेकी उस आवश्यकता प्रतीत होवे और वह अदालत अपनी इच्छाके अनुसार जैसा उसे उचित व ठीक प्रतीत होगा वैसा इत्तलानामा जारी करेगी।

रूल १८—(१) जब कि इस आर्डरके अनुसार कमीशन जारी कराया गया हो तो अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि फरीकैन स्वयं या अपने एजन्ट या वकीलके जरिये कमिश्नरके सामने हाजिर होंगे।

(२) जब कि फरीकैनमेंसे सब या कोई इस प्रकार कमिश्नरके सामने हाजिर न होवे तो कमिश्नर उनकी नामौजूदगी ही में कार्रवाई कर सकता है।

कमिश्नरकी नियुक्ति आदिके सम्बन्धमें बाबता दीवानीके जिन नियमोंका ऊपर उल्लेख किया गया है वही नियम इस एक्टके अनुसार नियत किये जाने वाले कमिश्नर व कमीशनके सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये। इस दफासे यह भली भांति प्रकट है कि अदालत दिवालिया दफा २६ के अनुसार किसी गवाहका बयान लेनेके लिये कमीशन भी जारी कर सकती है।

दिवालियेका बहाल किया जाना

दफा ३८ दिवालियेका बहाल किया जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अदालतमें अपने बहाल होनेके लिये दरख्वास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरख्वास्तके सुने जानेके लिये कोई तारीख नियत करेगी। परन्तु यदि इस एक्टके नियमोंके अनुसार उसका आम बयान छोड़ दिया गया हो तो यह दरख्वास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि वह बयान न हो जावे दरख्वास्त खुली अदालतमें सुनी जावेगी।

(२) इस दरख्वास्तको सुनते समय अदालत आफिशल असायनी की रिपोर्ट जो उसने दिवालियेके व्यवहार तथा उसके मामलेके सम्बन्धमें दी होवे ध्यानमें रखेगी और दफा ३६ के नियमोंका ध्यान रखते हुए—

(ए) पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है या उसके देनेसे इनकार कर सकती है, या

(बी) बहाल किये जाने वाले हुक्मका प्रयोग निर्धारित समयके लिये रोक सकती है, या

(सी) बहाल होनेका हुक्म उन शर्तोंके साथ दे सकती है जो उसकी आयन्दा होने वाली आमदनी या मुनाफाके सम्बन्धमें होवे या उसको आयन्दा मिलने वाली जायदाद के सम्बन्धमें होवे।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके बहाल किये जानेका वर्णन है। उपदफा (१) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया बहाल किये जानेकी दरख्वास्त दे सकता है और ऐसी दरख्वास्तके आने पर अदालतका यह कर्तव्य होगा कि वह उसके सुननेके लिये कोई दिन नियत कर देवे जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। परन्तु साथही साथ इस उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि

दिवालियाका आम बयान किसी वजहसे नहीं लिया गया हो तो जब तक उसका आम बयान न हो जावे तब तक उसकी दरख्वास्त नहीं सुनी जावेगी। बहाल किये जानेकी दरख्वास्त खुली अदालतमें सुनी जावेगी अर्थात् उसकी समात कमरे (Chamber) में नहीं की जासकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे भासित होता है।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि बहालकी दरख्वास्त पर विचार करते समय अदालत आफिशल एसायनीकी रिपोर्ट जो उसने दिवालियेके व्यवहार व मामलेके सम्बन्धमें दी हो देखेगी और दफा ३९ क नियमोंका ध्यान रखते हुए तीन प्रकारके हुक्म जो फ्राज (ए), (बी) व (सी) में दिखलाये गये हैं दे सकती है।

क्लाज़ (ए) के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है अथवा उसके देनेसे इनकार कर सकती है।

क्लाज़ (बी) के अनुसार बहालके हुक्मको नियत किये हुए समयके लिये मुलतवी कर सकती है।

क्लाज़ (सी) के अनुसार बहालका हुक्म आयन्दा होने वाली आमदनी या आने वाली जायदादके सम्बन्धमें दे सकती है।

यदि दिवालिया किसी कर्जख्वाहके कर्जेका फैसला इस शर्तके साथ कर लेवे कि वह उसकी दिवालियेकी दरख्वास्तका विरोध नहीं करेगा तो इस प्रकार किया हुआ इकरारनामा रद्द समझा जावेगा क्योंकि यह अन्य कर्जख्वाहोंको धोखा देते हुए तथा कानून दिवालियाके मन्तव्यके विरुद्ध है, देखो—20. Bom. 636.

दफा ३९ वह मामले जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे इनकार कर देना चाहिये

(१) यदि दिवालियेने इस एक्टमें बतलाया हुआ कोई जुर्म किया हो या ताजीरात हिन्द की दफा ४२१ से ४२४ तकका कोई जुर्म किया हो तो अदालत ऐसे सब मामलोंमें बहाल (Discharge) करनेसे इनकार कर देगी और आगे दिये हुए किसी बातके साबित होने पर, या

(ए) बहाल करनेसे इनकार कर देगी, या

(बी) किसी नियत किये हुए समय तकके लिये बहाल रोक देवेगी, या

(सी) बहालके हुक्मको उस वक्त तकके लिये रोक देवेगी जब तक कि कर्जख्वाहोंको रुपयेमें चार आने अदा न कर दिये जावें, या

(डी) दिवालियेके बहाल करनेमें यह शर्त लगा देवेगी कि उसके विरुद्ध उस मतालियेके लिये आफिशल एसायनीके हक्कमें डिक्री कर दी जावे जो उस वक्त साबित किये जाने योग्य कर्जोंके सम्बन्धमें देना बाक़ी निकलता होवे। और वह बचा हुआ कर्ज़ा या उसका कोई हिस्सा दिवालियेकी आयन्दा होने वाली आमदनी या उस आयन्दा प्राप्त होने वाली जायदादसे उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ चुकाया जावेगा जो अदालत मुनासिब समझे। परन्तु ऐसे मामलेमें डिक्री बिला अदालतकी आज्ञाके इजराय नहीं की जावेगी और अदालत की ऐसी आज्ञा उस वक्त प्राप्त हो सकेगी जब कि यह साबित होजावे कि बहालके बाद दिवालियेको कोई जायदाद मिली है या आमदनी हुई है जिससे उसके कर्जे चुकाये जासकते हैं।

(२) उपदफा (१) में आगे आने वाली जिन बातोंका हवाला दिया है वह यह हैं:—

(ए) यह कि दिवालियेके लहनेकी क़ीमत इतनी नहीं है जिससे कि उसके बिला महफूज़ क़र्ज़ोंका एक रुपयेमें चार आना न चुकाया जासके जब तक कि वह अदालतको इस बातका विश्वास न दिला देवे कि उसके लहनेकी क़ीमत ऐसी वजहोंसे कम है जिनके लिये वह उचित रूपसे किसी प्रकार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।

(बी) यह कि दिवालिया उस प्रकारके हिसाबकी किताबें नहीं रखता रहा है जैसी कि उसके व्यापारके लिये रखना आवश्यक है और जैसा कि रखे जानेका चलन है और जिनसे कि उसके दिवालिया होनेसे पहिले तीन सालके बीचके व्यापारिक सौदे या माली हालत जानी जासके।

(सी) यह कि दिवालिया अपनेको दिवालिया जानते हुए भी व्यापार करता रहा है।

(डी) यह कि दिवालियेने इस एक्टके अनुसार साबित किया जाने योग्य कोई सौदा यह जानते हुए किया हो कि उसे उस सौदेके अदायगी की सम्भावना सौदा करते समय नहीं थी। इस बातका बार सुबूत दिवालिये पर होगा कि वह सौदा करते समय उसकी अदायगी की उम्मेद रखता था।

(ई) यह कि दिवालिया अपने लहनेकी कमी या उसका नुकसान सन्तोषजनक रूपसे नहीं समझा सकता है।

(एफ) यह कि दिवालियेने अपने बेतहाशा व खतरनाक सट्टेके सौदों को करनेकी वजहसे अथवा रहन सहनमें अनुचित व्यय करनेकी वजहसे या जुएकी वजहसे या अपने व्यापारके कामोंको जानबूझकर न देखनेकी वजहसे अपनेको दिवालिया बना लिया है।

(जी) यह कि दिवालियेने अपने किसी क़र्ज़ख्वाहका बेजा खर्च किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें कर दिया है जो उसने सही तरीक़ेसे उसके विरुद्ध दायर किया हो और जिसमें कि उस दिवालियेने क़र्ज़ख्वाह को परेशान करनेके लिये बेजा तौरसे जवाबदेही की हो।

(एच) यह कि दिवालिये की दरख्वास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर दिवालियेने किसी बेजा व परेशान करने वाले मामलेको चला कर अनुचित व्यय किया होवे।

(आई) यह कि दिवालियेने दरख्वास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर जब कि वह अपने क़र्ज़ोंको अदा करनेमें असमर्थ था अपने किसी क़र्ज़ख्वाह को बेजा तरीक़े पर तर्जीह दी है।

(जे) यह कि दिवालियेने अपनी हिसाब की किताबों या जायदाद को या उसके किसी हिस्से को छिपा दिया है या हटा दिया है अथवा वह अन्य किसी धोखादेहीका या धोखादेहीसे किये हुए अमानतमें खयानत का दोषी हुआ है।

(३) अदालतके हुक्म को मुअत्तिल करने (Suspend) या उसमें शर्तोंके लगानेके अधिकार एक साथ प्रयोग किये जासकते हैं।

(४) बहाल की दरख्वास्तके लिये आफिशल एसायनी की रिपोर्ट ज़ाहिरा तौर पर सुबूत होवेगी और अदालत उस रिपोर्टमें दी हुई बातों को सच्चा मान सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें उन सब बातोंका उल्लेख है जिनके अनुसार अदालत पूर्ण रूपसे बहाल करनेसे इनकार कर देगी व साथ ही साथ यह भी अवस्थायें बतलाई गई हैं जिनके होने पर शर्तोंके साथ बहालका हुक्म दिया जासकता है।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालियेने इस एक्टमें बतलाये हुए किसी अपराधको किया हो अथवा ताजीरात हिन्दकी दफा ४२१, ४२२, ४२३ वा ४२४ के अनुसार अपराध किया हो तो अदालतका कर्तव्य होगा कि वह बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे। अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस उपदफामें बतलाये हुए नियमोंकी अवहेलना नहीं कीजाना चाहिये। इस एक्टके अनुसार किये जाने वाले अपराधोंका उल्लेख दफा १०३ में किया गया है जिसके अनुसार अपने मामलेकी असली हालतको छिपानेसे अथवा किसी कर्जेको छिपाने या पोशीदा तौरसे चुका देने पर या अपनी जायदाद हटा देने या उस पर किसी प्रकारका बार पैदा कर देनेसे दिवालिया अपराधी करार दिया जासकता है। ताजीरात हिन्दकी दफा ४२१ से लेकर ४२४ तकमें भी धोखेसे लिखी हुई दस्तावेजों व जायदादके सम्बन्धमें दिये हुए सौदोंका उल्लेख है।

ताजीरात हिन्द एक्ट नं० ४५ सन् १८६० ई० की दफा ४२१ इस प्रकार है—

दफा ४२१—"यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे या धोखादेहीसे किसी जायदादका हटा देवे, छिपा देवे या दूसरे व्यक्तिको दे देवे या किसी शख्सके हकमें उसका इन्तकाल कर देवे या इन्तकाल करा देवे और उसके लिये पर्याप्त मुआविजा न लेवे तथा इस मन्शासे ऐसा काम करे कि जिसमें उसकी जायदाद कानूनके अनुसार उसके कर्जख्वाहानमें बांटी न जासके या वह किसी अन्य व्यक्तिके कर्जख्वाहोंमें न बांटी जासके तो उस व्यक्तिको दो साल तकके कारावासका सादा या कठोर दण्ड अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड एक साथ दिये जासकेंगे"

दफा ४२२—"यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अथवा धोखादेहीसे अपना या किसी अन्य व्यक्तिका कर्ज इस मन्शासे रोके कि जिसमें वह कानूनके अनुसार उसके कर्जे या उस दूसरे व्यक्तिके कर्जो की अदायगीमें न दिया जासके तो उस व्यक्तिको दोनों प्रकारके दण्ड यानी कारावासका दण्ड दो साल तकके लिये दिया जासकेगा या उस पर जुर्मानेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जासकेंगे।"

दफा ४२३—"यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अथवा धोखादेहीसे किसी ऐसी दस्तावेज या कागज पर दस्तखत करे उसे लिखे या उसके लिखाने जानेमें भाग लेवे जिसके जरिये कोई जायदादका इन्तकाल किया जाना होता होवे या उस जायदाद पर बार पैदा होता होवे या उस जायदादका कोई हक उसमें जाता हो और उसमें मुआविजेका गलत बयान लिखा गया हो या जिस व्यक्तिके हकमें या जिसके फायदेके लिए वह लिखा गया हो, या वह गलत लिखा हो तो वह व्यक्ति दो साल तककी दोनों प्रकारकी सजा या जुर्माने की सजा या यह दोनों सजायें साथ साथ पावेगा"

दफा ४२४—"यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अथवा धोखादेहीसे अपनी या किसी अन्य व्यक्तिकी जायदादको छिपा दे या हटा दे या उसके छिपाने अथवा हटानेमें मदद देवे या बेईमानीसे अपने किसी हकको या मांगको छोड़ देवे जिसका वह मुस्तहक है तो उस व्यक्तिको दो साल तकके सादे या कठोर कारावास या जुर्माने कीसजा या दोनों प्रकारकी सजायें दी जावेंगी"

उपदफा (२) में कुछ बातोंका वर्णन है और उनके साबित होने पर अदालत उपदफा (१) के साथ (ए), (बी), (सी) व (डी) के अनुसार हुक्म देवेगी।

उपदफ़ा (१) क्लाज़ (ए) के अनुसार बहाल होनेका हुक्म देनेसे अदालत इनकार कर सकती है।

क्लाज़ (बी) के अनुसार नियत समयके लिये बहालका हुक्म मुल्तवी कर सकती है और उसी हुक्ममें यह भी दिया जासकता है कि नियत की हुई तारीखसे दिवालिया बहाल होवेगा इस प्रकारके नियमका यह अर्थ समझना चाहिये कि नियत की हुई तारीखसे बहालके हुक्मका प्रभाव आरम्भ होगा, देखो—44 Bom. 555.

क्लाज़ (सी) के अनुसार बहाल किये जाने वाले हुक्मको उस समय तकके लिये मुल्तवी किया जासकता है जब तक कि कर्जख्वाहोंको अपने कर्जेमें रुपयेमें चार आना न मिल चुकें।

क्लाज़ (डी) के अनुसार दिवालियेके ऊपर बहाल किये जानेका हुक्म होनेके साथ साथ बकाया मतालिबके लिये डिक्री दी जासकती है यह डिक्री आफिशल एसाइनीके हक़में की जावेगी और उसका मतालिबा दिवालियेकी आय या होने वाली आमदनी या मिलने वाली जायदादसे उन शर्तोंके अनुसार वसूल किया जासकेगा जो अदालत लगा देना मुनासिब समझे। इस क्लाज़में यह भी दिया हुआ है कि इस प्रकार दी हुई डिक्री बिना अदालत की आज्ञाके जारी नहीं कराई जावेगी और अदालत इस प्रकारकी डिक्रीके इजराय किये जानेके लिये उसी वक्त आज्ञा देवेगी जब उसको यह साबित हो जावे कि दिवालियेने बहाल होनेके बाद काफी जायदाद पाई है या उसको काफी आमदनी हुई है जिससे कि उसके कर्जे चुकाये जासकते हैं।

उपदफ़ा (२) दस क्लाजोंमें विभक्त है इस उपदफ़ाके क्लाज (ए) के अनुसार यदि बिला महफ़ूज़ कर्जे रुपयेमें चार आने न चुकाये जासकें तो अदालत उपदफ़ा (१) के अनुसार हुक्म दे सकती है जब तक कि उसको सन्तोषजनक रूपसे यह साबित न हो जावे कि दिवालिया इस दशाको ऐसे कारणोंसे पहुँचा था जिस पर उसका कोई बस नहीं था अर्थात् जिनके लिये वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता हो।

क्लाज (बी) के अनुसार यदि दिवालिया अपने व्यापारके सम्बन्धमें प्रचलित हिसाबकी किताबें न रखता रहा हो जिससे कि उसके सौदोंका पता व माली हालत दिवालिया होनेसे तीन साल पूर्व तककी जानी जासके तो भी अदालत उपदफ़ा (१) के अनुसार हुक्म दे सकती है। इस क्लाजसे यह भली भांति प्रकट है कि केवल हिसाबकी किताबोंका रखनाही पर्याप्त नहीं है किन्तु उनसे दिवालियेके व्यापार व धन सम्बन्धी हालत भी मालूम होना चाहिये। *हिसाबकी किताबें उस प्रकारकी होना चाहिये जैसी कि बाजारके चलनके मुताबिक उस* प्रकारका व्यापार करने वाले रखते हैं जिस प्रकारका व्यापार दिवालिया करता रहा हो और उन किताबोंसे दिवालियेके व्यापारका पता दिवालिया होनेसे पहिले तीन साल तकका मालूम किया जासके।

क्लाज़ (सी) में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनेको दिवालिया जानते हुए व्यापार करता रहा हो तो वह व्यक्ति भी उपदफ़ा (१) के अनुसार हुक्म पानेका अधिकारी है।

क्लाज़ (डी) में यह दिया हुआ है कि यदि दिवालियेने कोई कर्जा यह जानते हुए लिया हो कि उसके पास उस कर्जेको चुकानेका कोई साधन नहीं है और वह कर्ज इस प्रकारके अनुसार साबित किया जासकता हो तो ऐसी बातके साबित होने पर भी अदालत उपदफ़ा (१) के क्लाजोंके अनुसार हुक्म दे सकती है

क्लाज़ (ई) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया सन्तोषजनक रूपसे यह न साबित कर सके कि उसका असासा उसके कर्जोंको चुकानेके लिये पर्याप्त क्यों नहीं है या उसके असासेमें कमी क्यों हो गई है तो अदालत उपदफ़ा (१) के क्लाजोंके अनुसार हुक्म दे सकती है।

क्लाज़ (एफ) के अनुसार यदि यह साबित हो जाय कि अनुचित खर्च करने या जेमा सट्टेबाजीसे दिवालियेने अपनी यह

हालत कर ली है या जुवमें अथवा व्यापारको ठीक तौरसे न रखनेके कारण अपना कारबार बिगाड़ दिया है तो अदालत उपदफा (१) के क्लाजोंके अनुसार हुक्म देवेगी।

क्लाज़ (जी) के अनुसार दिवालिया यदि किसी कर्जख्वाहका बेजा खर्च हुआ व बेजा जवाबदेहीके कारण किसी मुकदमेमें कर्जा देना पड़ा हो तबसे उसके विरुद्ध चालू किया गया हो तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुक्म दे सकता है।

क्लाज (एच) के अनुसार यदि दिवालियेने दिवालियेका हालत होनेसे पहिले तीन माहके अन्दर बेजा मुकदमे बाजीमें खर्च किया हो तो भी अदालत उपदफा (१) का प्रयोग कर सकती है।

क्लाज (आई) के अनुसार यदि दिवालियेकी दरख्वास्त गुजरनेसे पहिले तीन माहके अन्दर दिवालियन किसी कर्जख्वाहको धोखादेहीसे तर्जीह (Preference) दी हो तो अदालत उपदफा (१) के अनुसार कारवाई कर सकती है। धोखादेहीसे तर्जीह देनेका उल्लेख दफा ५६ में किया गया है।

क्लाज़ (जे) के अनुसार यदि दिवालियने अपना हिसाब की किताबों को हटाया हो या छिपा दिया हो अथवा उसने अपनी जायदाद व उसका कोई हिस्सा छिपाया या हटाया हो अथवा उसने कोई धोखा दिया हो या धोखेसे अमानतमें खयानत किया हो तो वह उपदफा (१) के अनुसार ही हुक्म पानेका अधिकारी होगा।

उपदफा (३) के अनुसार मुल्तवी का हुक्म तथा शर्तों का लगाया जाना एक साथ किया जासकता है।

उपदफा (४) में यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी की रिपोर्ट जाहिरा तौर पर सबूत मानी जावेगी और अदालत उसको बिल्कुल ठीक मान सकती है।

दफा ४० बहालकी दरख्वास्तका सुना जाना

अदालत द्वारा बहाल की दरख्वास्त सुने जानेका नोटिस निर्धारित रूपसे प्रकाशित किया जावेगा और उसकी सूचना निश्चित कीहुई तारीखसे कमसे कम एक माहके पहिले उन कर्जख्वाहोंके पास भेजी जावेगी जो अपना कर्जा साबित कर चुके हैं और अदालत आफिशल एसायनी तथा कर्जख्वाहों की भी बातें सुनेगी। सुनने वाली तारीख पर अदालत दिवालियेसे वह प्रश्न पूछेगी और वह शहादत लेवेगी जो उसे उचित समझ पड़े।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि बहाल होने की दरख्वास्त सुने जानेके लिये जो तारीख नियत की जावे उसकी सूचनाकी मुश्तहरी निर्धारित किये हुए ढंग पर की जावेगी। इस मुश्तहरी की अवहेलना नहीं कीजासकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे मालूम होता है। कर्जा साबित कर देने वाले कर्जख्वाहोंको भी उसकी सूचना नियत की हुई तारीखसे कमसे कम एक माह पहिले दी जाना आवश्यक है। बहाल की दरख्वास्त सुनते समय अदालत आफिशल एसायनी व किसी कर्जख्वाहकी जवाबदेही को भी सुन सकती है। अदालत दिवालियेसे ऐसे सवालात पूछ सकती है व उनके जवाब ले सकती है जो उसे मुनासिब समझ पड़ें।

दफा ४१ बहाल होनेकी दरख्वास्त न देने पर दिवालिया करार देने वाले हुक्मकी मंसूखी

यदि बहाल की दरख्वास्त सुननेके लिये नियत किये हुए दिन पर दिवालिया हाजिर न होवे अथवा दिवालिया निर्धारित किये हुए समयके अन्दर बहाल की दरख्वास्त न देवे तो अदा

तत आफिशल एसायनी या किसी कर्ज़ख्वाह की दरख्वास्त पर या स्वयं ही दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख कर सकती है या और कोई हुक्म जो उसे मुनासिब मालूम हो दे सकती है और इस प्रकारकी मंसूखी होने पर दफ़ा २३ में बतलाये हुए नियम लागू होंगे।

व्याख्या—

यदि दिवालिया बहाल होने की दरख्वास्त सुने जानेके दिन हाज़िर न होवे या अदालत द्वारा नियत किये हुए समयके अन्दर बहाल की दरख्वास्त न देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह दिवालिया क़रार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख कर देवे। इस प्रकारके मंसूखी का हुक्म अदालत स्वयं दे सकती है अथवा आफिशल एसायनी या किसी कर्ज़ख्वाह की दरख्वास्त आने पर दे सकती है। यह भी बतलाया गया है कि इस दफ़ाके अनुसार मंसूखीके हुक्म पर दफ़ा २३ के नियम लागू होंगे अर्थात् दफ़ा २३ में बतलाये हुए सौदे आदि जो इस हुक्मसे पहिले किये गये हों बदस्तूर बने रहेंगे व दिवालिये की जायदाद उसे या अन्य किसी व्यक्ति को अदालत की आज्ञाके अनुसार मिल जावेगी। दिवालिया यदि जेलसे छोड़ा गया हो तो वहां भेज दिया जावेगा व मंसूखीके हुक्मकी मुनादी की जावेगी। दफ़ा २३ को देखनेसे यह सब बातें भली भांति समझमें आसकती हैं।

दफ़ा ४२ बहाल होनेकी दरख्वास्तका दुबारा दिया जाना

(१) जब कि अदालत बहाल किये जाने की दरख्वास्त नामंज़ूर कर देवे तो उसको अधिकार है कि वह नियत किये हुए समयके बीत जाने पर तथा उन बातोंके उपस्थित होने पर जो निर्धारित कर दी गई हों दिवालिये को फिरसे अपनी दरख्वास्त देने का अधिकार दे देवे।

(२) जब कि बहाल किया जानेका हुक्म किसी शर्तोंके साथमें दिया गया हो तो उसके हुक्मके पश्चात् दो साल बीत जानेके बाद किसी समय भी दिवालिया अदालतको उस बात का विश्वास दिला देवे कि कोई उचित सम्भावना इस बात की नहीं है कि अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पूर्ति की जासकेगी तो अदालत अपने हुक्म की शर्तोंमें संशोधन कर सकती है अथवा बादमें दिये हुए हुक्म का संशोधन कर सकती है और यह संशोधन उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ किये जावेंगे जो उसे उचित प्रतीत होवें।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार बहाल होने की दरख्वास्त एक बार ख़ारिज किये जाने पर भी दुबारा दी जासकती है परन्तु दुबारा दरख्वास्त अदालत द्वारा निर्धारित किये हुए समयके बाद तथा उसके द्वारा बतलाई हुई स्थितिके उपस्थित होने पर नहीं दी जासकेगी यदि अदालतने ऐसे समय या स्थितिके लिये कोई हुक्म दिया होवे। और अदालत की आज्ञा लेने पर यह दुबारा दी जाने वाली बहालकी दरख्वास्त दी जासकती है।

उपदफ़ा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी शर्तोंके अनुसार दिवालिया बहाल किया गया हो तो उसके पश्चात् दो साल बीतने पर दिवालिया अदालतको यह विश्वास दिला सकता है कि अब आयन्दा कोई सम्भावना नहीं है कि वह लगाई हुई शर्तोंको तामील कर सके इसलिये उन शर्तोंको या तो हटा देना चाहिये या उनमें उचित परिवर्तन कर देना चाहिये। अदालत ऐसा विश्वास होने पर या तो शर्तोंको हटा सकती है या उनमें उचित परिवर्तन करके अपना दूसरा हुक्म दे सकती है। अदालत इस दफ़ाके अनुसार कार्य करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे मालूम होता है।

दफा ४३ बहाल किये हुए दिवालियेका जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य

बहाल किया हुआ दिवालिया, बहाल हो जाने पर भी आफिशल एसायनी द्वारा चाही हुई मददको अपने उस लहने व जायदादके वसूल करने तथा उसके बांटनेमें जरूर देवेगा जो आफिशल एसायनी की सुपुर्दगीमें आगई हो और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अदालत की तौहीन करने का दोषी होगा और यदि अदालत उचित समझे तो उसके बहाल किये जानेके हुक्म को भी मंसूख कर सकती है परन्तु इस प्रकार मंसूखीके हुक्मसे पहिले तथा बहाल होनेके पश्चात् जो बयनामे, इन्तक़ालात या अदायगी बाक़ायदा कीगई हों या जो काम किये गये हों उन पर इस मंसूख़ीके हुक्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् वह जैसेके तैसे बने रहेंगे।

व्याख्या—

दिवालिया बहाल किये जानेके बाद भी आफिशल एसायनीको अपनी जायदादके वसूल किये जाने तथा उसे कर्ज़-ख्वाहोंमें बांटे जानेमें मदद देवेगा। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि दिवालिया इस दफाके नियमकी अवहेलना नहीं कर सकता है इसी दफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि वह उसकी अवहेलना करेगा तो दोषी निर्धारित किया जाकर दण्डका अधिकारी होगा। इस प्रकारका दोष अदालतकी तौहीन करना समझा जावेगा और उसके अनुसार दिवालिया दण्ड पासकता है। इतनाही नहीं है किन्तु बहाल होनेका हुक्म भी मंसूख किया जा सकता है परन्तु इस प्रकारकी मंसूखीसे पहिले तथा बहाल किये जानेके बाद जो सौदे आदि किये गये हों वह सब बदस्तूर बने रहेंगे। मंसूखीका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है।

दफा ४४ धोखादेहीसे किये हुए सौदे

(१) यदि कोई जायदाद विवाहसे पहिले विवाहके एवजमें लिख दी जावे और लिखते समय लिखने वाला बिला इस जायदादको भी शामिल किये हुए अपने सब कर्ज़ोंको चुकानेमें असमर्थ होवे, या

(२) यदि कोई सौदा या मुवाहिदा विवाहके सम्बन्धमें किया जावे जिससे कि कोई रुपया या जायदाद लिखने वाले व्यक्ति की स्त्री या बच्चों को भविष्यमें मिलने वाली होवे परन्तु वह रुपया या जायदाद विवाहके समय उपस्थित न होवे या उसमें देने वाले का उस समय कोई हक़ न होवे (इसमें उस रुपये या जायदादसे तात्पर्य नहीं है जो उसकी स्त्री की होवे अथवा जिसमें उसकी स्त्री का हक़ पहुँचता हो) तो ऐसी दोनों हालतोंमें यदि लिखने वाला व्यक्ति दिवालिया क़रार दे दिया जावे या वह समझौता कर लेवे अथवा वह अपने कर्ज़ख्वाहोंसे तस्फ़ीया कर लेवे और अदालतको यह मालूम हो कि जायदाद का उस प्रकार दिया जाना या सौदा अथवा मुवाहिदा कर्ज़ख्वाहोंके कर्ज़ों को मारने या उसमें देर करने की मंशासे किया गया था या ऐसे सौदेके किये जाते समय की हालत को देखते हुए वह सौदा अनुचित प्रतीत होवे तो अदालत बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे इनकार कर सकती है या उससे कुछ समयके लिये मुलतवी कर सकती है या शर्तोंके साथ बहाल का हुक्म देसकती है अथवा तस्फ़ीये या तय किये जाने वाले मसले को स्वीकार करनेसे इनकार कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लाभार्थ किसी जायदादको अपनी स्त्री या बच्चोंके हक़में इस मंशासे लिख देवे कि जिससे उसके क़र्ज़दाहोंके क़र्ज़े वसूल करनेमें देर होवे या उनका क़र्ज़ा वसूल न किया जासके या ऐसीही अन्य कोई सौदा या तहरीर कर देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह या तो दिवालियेके बहाल होनेका हुक्म न देवे अथवा बहाल होनेका हुक्म मुल्तवी कर देवे या शर्तोंके साथ बहालका हुक्म देवे या तस्फीया अथवा स्कीमको मञ्जूर न करे। इस प्रकारसे जायदादके लिखे जानेको धोखेसे किया हुआ काम समझा जासकता है और इसी कारण दिवालिया अपने किये हुए धोखादेहीके कामसे कुछ लाभ नहीं उठा सकता है। इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि यदि इस दफ़ाके अनुसार बतलाये हुए सौदे अपनी स्त्री की निजी जायदाद या रुपये या हक़के सम्बन्धमें किये गये हों तो वह सौदे इस दफ़ाके अनुसार किये हुए धोखेके सौदे नहीं माने जासकते हैं।

दफ़ा ४५ बहालके हुक्मका प्रभाव

(१) बहाल का हुक्म दिवालिये को नीचे दी हुई बातोंसे बरी नहीं करेगा:—

(ए) सरकारको चुकाया जाने वाला क़र्ज़ा।

(बी) कोई भी क़र्ज़ या ज़िम्मेदारी जो धोखादेहीसे या धोखादेहीसे की हुई अमानतमें ख़यानतसे पैदा हुई हो और जिसमें दिवालिये का भी हाथ रहा हो।

(सी) कोई भी क़र्ज़ या ज़िम्मेदारी जिसके लिये धोखा देकर माफ़ी ले लीगई हो और जिसमें दिवालिया का भी भाग रहा हो।

(डी) कोई भी ज़िम्मेदारी जो सन् १८९८ ई० के ज़ाबता फ़ौजदारी की दफ़ा ४८८ के अनुसार दिये हुए हुक्मके आधार पर हुई हो।

(२) उन मामलों को छोड़ कर जिनका उल्लेख उपदफ़ा (१) में किया गया है दिवालिया बहाल होने पर उन सब क़र्ज़ोंसे बरी हो जावेगा जो दिवालिये की कार्रवाईमें साबित किये जा सकते हैं।

(३) बहाल किये जाने का हुक्म दिवालिये की कार्यवाई का पूरा सुबूत होगा और उसके सम्बन्धमें की हुई सब कार्रवाइयों का भी पूरा सुबूत होगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति दिवालिये की दरख्वास्त दाख़िल किये जाते समय दिवालिये का साझीदार या उसके साथ ट्रस्टी रहा हो या संयुक्त रूपसे किसी सौदे की अदायगी का ज़िम्मेदार रहा हो या वह ज़ामिनदार या ज़ामिनदारके तौर पर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दिवालियेके बहाल हो जाने पर बरी नहीं होगा।

व्याख्या—

उपदफ़ा (१) में वह क़र्ज़े बतलाये गये हैं जिनसे बहाल होने पर भी दिवालिया उद्धार नहीं हो सकेगा यह क़र्ज़े क्लाज (ए) (बी), (सी) व (डी) में दिखलाये गये हैं।

क्लाज़ (ए) के अनुसार सरकारी क़र्ज़ोंसे बरी नहीं हो सकता वह उसे बहाल होने पर भी देना पड़ेंगे।

क्लाज (बी) के अनुसार यदि दिवालियेने धोखेसे या धोखादेहीसे अमानतमें खयानत करके कोई सौदे किये हों अथवा होने दिये हों तो उन सौदोंके सम्बन्धमें जो कर्ज होवें वह भी बदस्तूर बने रहेंगे और दिवालिया बहाल होने पर भी उनका जिम्मेदार बना रहेगा।

क्लाज (सी) के अनुसार यदि दिवालियेने धोखा देकर किसी कर्जे या जिम्मेदारीको मुआफ करवा लिया हो तो ऐसे कर्जे की अदायगीका भी वह जिम्मेदार बना रहेगा।

क्लाज (डी) में यह बतलाया गया है कि यदि जाब्ता फौजदारी की दफा ४८८ के अनुसार गुजारा देनेके सम्बन्धमें उस पर कोई कर्ज हो जावे तो ऐसे कर्जेसे भी वह बहाल हो जाने पर भी उऋण नहीं होवेगा।

उपदफा (२) में यह दिया हुआ है कि उपदफा (१) में बतलाई हुई बातोंको छोड़ कर दिवालिया बहाल होने पर उन सब कर्जोंसे उऋण हो जावेगा जो दिवालियेकी कार्रवाईमें साबित किये जा सकते हैं अर्थात् यदि किसी कर्जख्वाहने अपना कर्जा साबित न किया हो तो भी वह बहाल होनेके बाद दिवालियेसे अपना कर्जा वसूल नहीं कर सकेगा।

उपदफा (४) में यह बात साफ कर दी है कि किसी व्यक्तिके बहाल होने पर उसका साझीदार या उसके साथका ट्रस्टी या अन्य कोई संयुक्त जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति या उसका जामिनदार बहाल नहीं होवेगा इस नियमकी पाबन्दी भी अवश्य की जावेगी जैसा कि अंग्रेजी ऐक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दका भाव मालूम होता है।

तीसरा प्रकरण

जायदादका प्रबन्ध

कर्जोंका साबित किया जाना

दफा ४६ दिवालियेके सम्बन्धमें साबित किये जाने योग्य क़र्जे

(१) वह मांगें जो मुआहिदे या अमानतमें खयानतके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारसे पैदा हुई हों तथा जो अनिश्चित हर्जेके रूपमें होवें दिवालिया की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित नहीं की जासकेंगी।

(२) यदि किसी कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की दरख्वास्त दी गई हो और उसकी सूचना मिलनेके पश्चात् किसी व्यक्तिने कर्ज दिया हो या कोई दूसरी जिम्मेदारी क़र्जदार पर क़ायम की हो तो वह व्यक्ति अपना इस प्रकारका क़र्ज दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित नहीं कर सकेगा।

(३) उपदफा (१) व (२) को छोड़ कर वह सब कर्जे व जिम्मेदारियां दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जाने योग्य कर्जे समझे जावेंगे चाहे वह मौजूदा होवें या भविष्यमें अदा किये जाने वाले हों अथवा चाहे वह निश्चित होवें या उनका होना किसी बातके

होने वाले होवें व चाहे वह निश्चित होवें अथवा उनका होना किसी बातके होने पर निर्भर होवे साबित किये जाने योग्य समझे जावेंगे। इस बातका भी ध्यान इस उपदफाके सम्बन्धमें रखना चाहिये कि यह कर्जे या तो दिवालिया करार दिये जाते समय होवें अथवा इससे पहिले का हुई जिम्मेदारीके कारण, बहाल होनेसे पहिले दिवालिया इनके लिये जिम्मेदार हो जावे।

उपदफा (४) में उन कर्जोंके बारेमें बतलाया गया है जिनकी कीमत निश्चित न होवे। अर्थात् यदि किसी बातके होने पर किसी कर्जका होना निर्भर होवे अथवा अन्य किसी कारणसे किसी कर्जे या जिम्मेदारी की कीमत निश्चित धन राशिके रूपमें न होवे तो आफिशल एसायनी उस कर्जकी कीमतका तखमीना लगावेगा इस उपदफाके साथ यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि आफिशल एसायनीकी रायमें किसी कर्ज या जिम्मेदारीकी कीमतका अन्दाजा ठीक तौरसे न लगाया जा सकता हो तो वह इस बातका सर्टिफिकेट देगा अर्थात् यह लिखेगा कि उस कर्जकी कीमत ठीक तौरसे तय नहीं की जा सकती है और ऐसे सर्टिफिकेटके देने पर वह कर्ज न साबित किया जाने योग्य कर्ज समझा जावेगा। इस दफाके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसमें जिम्मेदारी (Liability) शब्द जिन २ बातोंके लिये प्रयोग किया जासकता है उन बातोंका उल्लेख है। इस व्याख्यासे यह प्रकट है कि चाहे वह काम वर्तमानमें होवें या भविष्यके लिये होवें अथवा उनका होना किसी बातके होने पर निर्भर होवे उन सब कामोंके सम्बन्धमें होने वाले कर्ज साबित किये जाने योग्य समझे जासकते हैं।

इसी व्याख्यामें यह भी बात साफ कर दी गई है कि चाहे मुआहिदा या वादा साफ तौरसे किया गया हो या उसकी पाबन्दी किसी और ढगसे पैदा हो गई हो अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि मुआहिदा आदि मुआहिदेके ढगसे खुलासा तौर पर ही किये गये हों। इस दफामें यह भली भांति प्रकट है कि दिवालियेकी कार्रवाईमें साबित किया जाने योग्य कर्ज निश्चित धन राशिके रूपहीमें होना आवश्यक नहीं है किन्तु उसका अनुमान निर्धारित नियमोंके अनुसार अथवा रायके अनुसार भी किया जा सकता है।

उपदफा (४) के अनुसार साबित किया जाने योग्य कर्ज भी न साबित किया जाने योग्य कर्ज करार दिया जा सकता है यदि उस उपदफामें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कार्रवाई की गई हो अर्थात् आफिशल एसायनीका सर्टिफिकेट उस कर्जको न साबित करने योग्य बतला देवे परन्तु यह भी बात ध्यानमें रहना चाहिये कि सब कर्जोंके लिये ऐसा नहीं किया जा सकता है केवल उन्हीं कर्जोंके लिये ऐसा हो सकता है जिनकी निश्चित कीमत न होवे तथा जिनका होना किसी दूसरी बात या बातोंके होने पर निर्भर होवे अथवा कोई अन्य ऐसा कारण उपस्थित हो जावे।

दफा ४७ आपसमें व्यवहार व उसकी मुजराई

यदि किसी ऐसे कर्जख्वाहके जो इस एक्टके अनुसार अपना कर्ज साबित करता हो या साबित किया चाहे और दिवालियेके दरमियान एक दूसरेसे व्यवहार रहा हो तो इन बातका हिसाब किया जावेगा कि आपसके व्यवहारके सम्बन्धमें एकको दूसरेसे क्या लेना है और एकका लेने वाला रुपया दूसरेमें से मुजरा दिया जावेगा और इस प्रकार मुजराईके बाद जो बाकी निकलेगा उसीके लिये दावा एकका दूसरेके खिलाफ समझा जावेगा व उसकी अदायगी की जावेगी।

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति उस कर्जकी मुजराई दिवालिये की जायदादसे कराने का अधिकारी नहीं होगा जो उसने इन बातकी सूचना होते हुए दिवालियेको दिया हो कि उसके विरुद्ध दिवालिये की दरख्वास्त देदी गई है या उसने स्वयं दिवालिये की दरख्वास्त दी है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालियेका कर्ज किसी व्यक्तिसे लेना हो तथा उस व्यक्तिको भी दिवा-

जिससे कुछ रुपया वसूल करना हो तो जिसका कर्ज़ा कम होगा वह दूसरेमें से घटा दिया जावेगा और इस प्रकार जो कर्ज़ जिसके जिम्मे ज्यादा निकलेगा वह उससे वसूल किया जावेगा। अंग्रेज़ी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि जहां पर एक दूसरसे लेन व देने का व्यवहार होवे वहां इस दफाके नियमों की पाबन्दी आवश्यक है इस दफामें यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि कर्ज़ा देते समय देने वाले को कर्ज़दारके विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दिवालिये की दरख्वास्त की सूचना होवे तो ऐसा कर्ज़ मुजरा नहीं दिया जावेगा। दिवालियेके एक कर्ज़ख्वाहने आफिशल एसायनीसे कुछ रुपये यह कह कर मांगे कि वह दिवालिये का काम का इन्तज़ाम कुछ सालों तक करता रहा है जिसके कारण उसको मुनाफेसे कुछ हिस्सा मिलना चाहिये लेकिन दिवालियेने आफिशल एसायनीसे यह बयान किया कि वह कर्ज़ख्वाह उसके रोज़गार को खरीदना चाहता था परन्तु उसने अपना मुआहिदा पूरा नहीं किया जिसकी बाबत उस कर्ज़ख्वाहसे हर्जेके तौर पर एक अच्छी रकम वसूल की जाना चाहिये अदालतने यह तय किया कि यदि यह बात दुरुस्त है तो इस प्रकारके व्यवहारको दफा ४७ के अनुसार एक दूसरे का व्यवहार समझा जावेगा और यदि कर्ज़ख्वाह अपनी जिम्मेदारीके सम्बन्धमें कोई जवाब न देवे कि उसके हर्जेमें से कितना रुपया कम कर दिया जावे तो आफिशल एसायनी एसे कर्ज़ख्वाहके दावेको नामंज़ूर कर सकता है, देखो—जाफरी बनाम आफिशल एसायनी रंगून A. I. R. 1928. Rangoon 49. अ पसके व्यवहारका हिसाब उस स्थितिके अनुसार लिया जाना चाहिये जो रिसीविंग आर्डरके समय अर्थात् आफिशल एसायनी द्वारा कर्ज़दार की जायदाद पर कब्ज़ा लेने का हुक्म होते समय होवे देखो—19 Bom. 546 इस दफासे कर्ज़ख्वाह व आफिशल एसायनी दोनों को लाभ है क्योंकि आफिशल एसायनी दिवालियेका वह कर्ज़ा आसानीसे वसूल कर सकता है जो किसी कर्ज़ख्वाहसे लेना है और कर्ज़ख्वाह भी दिवालियेके कर्ज़े की मुजराई अपने लहनेमें देकर उससे सहूलियतके साथ बरी हो सकता है यही नहीं किन्तु जुदागाना तौरसे वसूल करनेमें जो खर्च आदि किये जाना आवश्यक है वह सब बच जाते हैं इसी प्रकार यह दफा दिवालिया सम्बन्धी कार्रवाई को हल्का करने तथा यथोचित पास हो जानेके लिये बनाई गई है और इसकी अवहेलना नहीं की जासकती है।

दफा ४८ कर्ज़ा साबित करनेके नियम

दूसरी सूची (Second Schedule) में दिये हुए नियमोंकी पाबन्दी कर्ज़ा साबित करनेके तरीकेमें, महफूज तथा अन्य कर्ज़ख्वाहोंके कर्ज़ा साबित करनेके हक़में सुबूतके मानने या न माननेमें तथा उन सब अन्य मामलोंमें की जावेगी जिनका उल्लेख उसी सूचीमें किया गया है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टकी दूसरी सूची (Second Schedule) में वह नियम बतलाये गये हैं जिनके अनुसार कर्ज़ साबित किये जासकते हैं। यह नियम उस सूचीके १ से लेकर ८ वें नियम तकमें दिये हुए हैं। उसी सूचीमें यह भी बतलाया गया है कि महफूज कर्ज़ख्वाहों तथा अन्य कर्ज़ख्वाहोंका कर्ज़ा साबित करनेके सम्बन्धमें क्या हक़ है। सूचीके ९ से लेकर १७ वें नियममें महफूज कर्ज़ख्वाहोंके कर्ज़े साबित किये जानेका वर्णन है। सूचीके २५ वें नियमसे लेकर २७ वें नियम तकमें सुबूतके मानने व न माननेका उल्लेख है तथा उसके १८ वें नियमसे २४ वें नियम तक अन्य मामलोंका वर्णन है जैसे कि रेहनकी हुई जायदादका हिसाब लिया जाना (१८ से लेकर २१ तकमें) व सूद और भविष्यके कर्ज़े आदि इस प्रकार इस दफाके अनुसार दूसरी सूचीमें लिखे हुए सब नियमोंकी पाबन्दी दिवालियेके मामलोंके सम्बन्धमें लाज़िम होना बतलाया गया है अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि दूसरी सूचीके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है।

दफा ४९ क़र्ज़ोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना

(१) दिवालिये की आयदाद् बांटते समय नीचे दिये हुए कर्ज़ और क़र्ज़ोंके मुक़ाबिले पहिले बांटे जावेंगे —

(ए) वह सब कर्ज़े जो सरकार को अथवा किसी अन्य स्थानिक हाकिम को दिये जाने वाले होवें।

(बी) किसी क्लर्क (मुहर्रिर) नौकर अथवा मज़दूर की तनख्वाह या उजरत जो उसे दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जानेके चार माहके अन्दर काम करनेके एवज़में मिलना चाहिये परन्तु क्लर्ककी तनख्वाह ३००) रुपये तक व नौकर और मज़दूरकी उजरत हर व्यक्तिके लिये १००) रुपये तक दिलवाई जावेगी।

(सी) वह किराया जो मालिक मालिकान को दिवालियेसे मिलना चाहिये परन्तु इस क्लाज़के अनुसार एक महीनेसे ज्यादा का किराया नहीं मिलेगा।

(२) उपदफा (१) में जिन क़र्ज़ों का उल्लेख है वह आपसमें एक दूसरेके बराबरके क़र्ज़ समझे जावेंगे और वह सबके सब पूरे पूरे चुकाये जावेंगे यदि दिवालिये की जायदाद् उसके चुकानेके लिये पर्याप्त होवे और यदि दिवालिये की जायदाद् कम पड़ती होवे तो वह हिस्सा रसदीके हिसाबसे सबके सब कम करके चुकाये जावेंगे।

(३) उतना रुपया रोक कर जो प्रबन्धके लिये अथवा और किसी कामके खर्चेके लिये आवश्यक होवे बाकी सब रुपयेसे जहां तक वह पर्याप्त होगा उपदफा (१) में दिखलाये हुए क़र्ज़े चुका दिये जावेंगे।

(४) जहां साझे का मामला होवे वहां साझे की जायदादसे पहिले साझेके क़र्ज़ चुकाये जावेंगे और साझीदारों की जुदागाना जायदादसे पहिले उनके जुदागाना कर्ज़े चुकाये जावेंगे। यदि साझीदारों की जुदागाना जायदाद उनके जुदागाना क़र्ज़े चुकाये जानेके बाद कुछ बचे तो वह साझे की जायदादके तौर पर सर्फ की जावेगी और यदि साझे की जायदाद साझे का कर्ज़ा चुकाये जानेके बाद बचे तो उससे साझीदारोंके जुदागाना कर्ज़ उनके हिस्सेके अनुसार हिस्सा रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे।

(५) इस एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्ज़े जो दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये गये हों, हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एकको दूसरेसे तर्जीह नहीं दी जावेगी।

(६) यदि उपर बतलाये हुए सब क़र्ज़ों को चुकानेके बाद कुछ बचे तो उससे दिवालिया क़रार दिये जानेके बाद का सूद साबित किये हुए सब क़र्ज़ोंके सम्बन्धमें छः रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे चुकाया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादसे उसके कर्ज़ोंके चुकाये जानेका वर्णन है। उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि तीन प्रकारके कर्ज़े जिनका उल्लेख क्लाज़ (ए), (बी) व (सी) में किया गया है सबसे पहिले चुकाये जावेंगे। अंग्रेजी

एक्टका इस उपदफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह भली भांति प्रकट है कि इस उपदफ़ाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है। क्लाज (ए) में सरकारी कर्जोंका उल्लेख है तथा क्लाज (बी) में नौकरों व मजदूरोंकी तनख्वाह व उजरत का ज़िक है इस क्लाजमें इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि क्लर्ककी तनख्वाह २००) रुपये तक मिल सकती है व नौकर और मजदूरकी उजरत १००) रुपया की आदमी तक अधिकसे अधिक मिल सकती है। क्लाज (सी) के अनुसार एक मासका किराया भी और कर्जोंके मुक़ाबले मिल सकता है। इस प्रकार अन्य उपदफ़ाओंमें भी (अंग्रेज़ी एक्टमें) (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे इस दफ़ामें बतलाई हुई सभी बातोंका मानना आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात् इसके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है।

उपदफ़ा (२) में यह बतलाया गया है कि उपदफ़ा (१) के क्लाज (ए), (बी) व (सी) में जो कर्जे बतलाये गए हैं वह सब एक दूसरेसे समानता रखते हैं और सबके सब या तो पूरे २ चुकाये जाना चाहिये यदि जायदाद काफ़ी होवे अथवा यदि जायदाद उनको चुकानेमें कम पड़े तो हिस्सा रसदीके हिसाबसे वह कम करके चुकाये जाना चाहिये।

उपदफ़ा (३) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदादमें उसके प्रबन्ध आदिके लिये आवश्यक रक़म निकालनेके बाद उपदफ़ा (१) के अथवा अन्य कर्जे चुकाये जाना चाहिये। साझेके मामलोंके सम्बन्धमें उपदफ़ा (४) के अनुसार साझेकी जायदादसे पहिले साझेके क़र्ज़ चुकाये जाना चाहिये व उनके चुकाये जानेके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साझीदारोंके जुदागाना कर्ज़े उनके हिस्सा रसदीके अनुसार चुकाये जाना चाहिये अर्थात् साझेके कारोबारमें जिस क़दर हिस्सा जिस साझेदार का होवे उसीके अनुसार बचे हुए रुपयेमें से उसका जुदागाना क़र्ज़ चुकाया जाना चाहिये। इसी प्रकार साझीदारोंकी जुदागाना जायदादसे पहिले उनके जुदागाना क़र्ज़े चुकाये जावेंगे व उसके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साझेके क़र्ज़ चुकाये जावेंगे।

उपदफ़ा (५) में यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें बतलाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्जे जो साबित किये गये हों - हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एक को दूसरेसे कोई तर्जीह नहीं दी जावेगी। यदि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्जे चुका दिये जानेके बाद कुछ धन बचे तो उसके लिये उपदफ़ा (६) में बतलाया गया है कि उससे सूद ६) रुपया सैकड़ा सालाना की दरसे साबित शुदा कर्जेके लिये अदा किया जावेगा और यह सूद दिवालिया क़रार दिया जाने वाला हुक्म होनेके पश्चातसे अदा किये जाते समय तक दिया जासकता है कानून दिवालिये का यह नियम है कि सब क़र्ज़े बराबर समझे जावें और यदि आफ़िशल एसायनीने कुछ क़र्ज़ेख्वाहोंसे यह समझौता कर लिया हो कि यदि वह क़र्ज़ख्वाह ख़र्चके लिये रुपया देवेंगे तो उनका क़र्ज़ सबसे पहिले पूरा पूरा चुका दिया जावेगा तो इस प्रकारका समझौता क़ानूनन रद्द समझना चाहिये और उस पर अमल नहीं किया जासकता है, देखो पुरुषोत्तमदास एण्ड ब्रदर्स 55 M. L. J. 657.

इस दफ़ासे यह बात भी प्रकट है कि हिस्सा रसदी केवल साबित किये हुए कर्ज़ों पर ही मिलेगा बिना साबित किये हुए क़र्ज़ों पर नहीं। इस दफ़ाका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले प्रबन्ध आदिके आवश्यक ख़र्चे को निकालनेके पश्चात् बमसे उपदफ़ा (१) के कर्जे चुकाये जावेंगे इसके बाद और सब क़र्ज़े हिस्सा रसदीके अनुसार चुकाये जावेंगे तब भी यदि कुछ बच रहे तो उससे सूद दिवालिया क़रार दिये जानेके बादका ६) रुपया सैकड़ा सालाना की दरसे दिलवाया जावेगा। साथही साथ वही क़र्ज़े चुकाये जावेंगे जो दिवालियाकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित कर दिये गये हों।

दफ़ा ५० दिवालिया क़रार दिये जानेसे पहिलेका किराया

दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होनेके पश्चात् उस हुक्मसे पहिलेके किरायेके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या लहना कुर्क नहीं किया जावेगा जब तक कि दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म मंसूख न कर दिया गया हो, परन्तु मालिक मकान या अन्य कोई व्यक्ति जिसे कि वह किराया लेना होवे उस किराये को और क़र्ज़ों की भांति साबित कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफामें उस किराये की वसूली का तरीका बतलाया गया है जो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेसे पहिले समयके लिये बाक़ी होवे। वह किराया बतौर और कर्जोंके साबित किया जासकता है अर्थात् हिस्सा रसदी दिवालियेकी जायदादसे उस बकाया किरायेके लिये वसूल किया जासकता है। यदि दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म मंसूख कर दिया जावे तो उस किरायेके लिये दिवालिये की जायदाद कुर्क कराई जासकती है अन्यथा नहीं अर्थात् दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात उससे पहिलेके किरायेके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या उसका लहना कुर्क नहीं कराया जासकता है। इस दफाके नियम की भी अवहेलना नहीं की जासकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

वह जायदाद जिससे कि क़र्ज़े चुकाये जासकते हैं

दफा ५१ दिवालियेकी कार्रवाईका सम्बन्ध

किसी कर्ज़दारका दिवालिया होना नीचे दिये हुए समयसे प्रारम्भ होना माना जायेगा तथा उसका सम्बन्ध उसी समयसे होगा चाहे वह अपनी दरख्वास्त पर अथवा अपने किसी क़र्ज़ख्वाह या क़र्ज़ख्वाहों की दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिया गया हो।

(ए) जिस दिवालियेके कामके आधार पर वह दिवालिया क़रार दिया गया हो उस कामके होनेके समयसे

(बी) यदि यह साबित होवे कि दिवालियेने एकसे अधिक दिवालियेके काम किये हैं तो दिवालिये की दरख्वास्त दाखिल किये जानेके तीन माहके अन्दर जो दिवालियेका काम सबसे पहिले किया गया हो उस समयसे

परन्तु शर्त यह है कि कोई दिवालिये की दरख्वास्त अथवा दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म केवल इस ही कारण रद्द नहीं हो जायेगा कि दरख्वास्त देने वाले क़र्ज़ख्वाहके क़र्ज़के बाद दिवालियेका काम हुआ है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालियेकी कार्रवाई का प्रारम्भ दिवालिये का काम होनेके समयसे माना जायेगा अर्थात् आफिशल एसायनी का हक़ दिवालियेकी जायदाद पर उसी समयसे माना जायेगा जब कि दिवालिये का काम हुआ हो। इस दफाके लिये दिवालियेके कामसे तात्पर्य उस कामका समझना चाहिये जिसके आधार पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो।

क्लाज़ (बी) में इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि यदि एकसे अधिक दिवालियेके काम साबित होवें तो दिवालिये की दरख्वास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर जो काम सबसे पहिले हुआ हो उसके होनेके समयसे दिवालियेकी कार्रवाई का प्रारम्भ माना जायेगा। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है। इस दफाके नियमोंका प्रयोग हर एक दिवालियेके सम्बन्धमें समझना चाहिये अर्थात् यदि कोई कर्ज़दार अपनी दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिया जावे अथवा यदि वह किसी क़र्ज़ख्वाह या क़र्ज़ख्वाहों की दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार

दिया गया हो तो दोनों दशाओंमें इस दफ़ाके नियमों को लागू समझना चाहिये इसी दफ़ाके अन्तमें यह भी बात बतला दी गई है कि यदि दिवालिये की दरख्वास्त देने वाले कर्ज़ख्वाहके कर्ज़ेके बाद कोई दिवालिये का काम होवे तो केवल इस ही कारण दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म या दिवालियेकी दरख्वास्त रद्द नहीं हो जावेगी । अर्थात् उस दिवालियेके कामके आधार पर भी दिवालिया क़रार दिया जाने का हुक्म दिया जासकता है और दिवालिये की दरख्वास्त चल सकती है ।

दफा ५२ जो जायदाद कर्ज़ख्वाहोंमें बांटी जासकती है उसका विवरण

(१) नीचे लिखी जायदादको उस जायदादमें शामिल नहीं समझना चाहिये जो कर्ज़ख्वाहानमें बांटी जा सकती है और जो इस एक्टमें दिवालियेकी जायदाद बतलाई गई है:—

(ए) वह जायदाद जो दिवालिया बतौर अमानत (Trust) के किसी दूसरे शख्सकी तरफ़से लिये हुए होवे ।

(बी) उसकी तिजारतके सम्बन्धके औज़ार और आवश्यक पहिनने वाले कपड़े, बिस्तर, खाना पकानेके बरतन और उसका व उसकी बीबी व बच्चोंके लकड़ी काठका सामान (Furniture) परन्तु यह सब औज़ारों, कपड़ों व दूसरी ज़रूरी चीज़ोंके कुल तीनसौ रुपयेसे ज्यादा का न होना चाहिये ।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातों का ध्यान रखते हुए नीचे बतलाई हुई तफ़सील की चीज़ें दिवालियेकी जायदादमें समझी जावेंगी:—

(ए) वह सब जायदाद दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भमें दिवालियेकी है या जो उसको प्राप्त हो सकती है अथवा जो दिवालियेको बहाल होनेसे पहिले दिवालियेको मिल सकती है या दिवालिया जिसको प्राप्त कर सकता है ।

(बी) वह अधिकार जो दिवालिया, दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भसे अथवा बहाल होनेके समयसे पहिले किसी जायदादके सम्बन्धमें प्रयोग कर सकता है या प्रयोग करनेके लिये कार्रवाई कर सकता है, और

(सी) वह सब माल जो दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भके समय दिवालियेके कब्ज़ेमें होवे या उसके अधिकारमें होवे और जिसे वह अपने व्यापार या कारोबारके सम्बन्धमें असली मालिक की रज़ामन्दी व इजाज़तसे इस प्रकार रखे हुए होवे जिसमें कि वह स्वयं उस मालका मालिक प्रतीत होता होवे ।

परन्तु शर्त यह है कि क्लाज़ (सी) के अनुसार उन कर्ज़ोंके अलावा जो वसूल किये जाने वाले होवें अथवा जो उसके व्यापार या कारोबारके सिलसिलेमें वसूल किये जाने को होवें और होने वाली बातें माल नहीं समझे जावेंगे । और यह भी शर्त है कि वह माल जो क्लाज़ (सी) के अनुसार कर्ज़ख्वाहोंमें बांटा जाने योग्य समझा गया हो उस मालका असली मालिक उस मालकी क़ीमतको साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियेकी कौन कौन सी जायदाद उसके कर्जख्वाहानमें बांटी जासक्ती है और कौन कौन सी जायदाद बांटी नहीं जासक्ती है प्रत्येक उपदफ़ामें (अंग्रेजी एक्टमें) (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह साबित है कि इस दफ़ाके नियमों का मानना आवश्यक है।

उपदफा (१) में वह जायदाद बतलाई गई है जो दिवालियेके कर्जख्वाहानमें नहीं बांटी जावेगी। यह उपदफ़ा दो क्लॉजोंमें विभक्त है पहिले क्लाज अर्थात् क्लास (ए) के अनुसार वह जायदाद जो दिवालिया अमानतन अर्थात् बतौर ट्रस्टीके लिये हुए होवे उसकी नहीं समझी जावेगी और न वह कर्जख्वाहोंमें बांटी जासकेगी।

क्लाज़ (बी) के अनुसार दिवालिये की कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी कर्जख्वाहोंमें बांटे जानेसे बरी कर दिया है अर्थात् उस क्लाजके अनुसार व्यापार सम्बन्धी, बिस्तर, खाना पकानेके बर्तन तथा आवश्यक लकड़ी काठ की चीजें छोड़ दी गई हैं परन्तु इसी क्लाजमें यह भी बतलाया गया है कि इन चीजोंकी कुल क़ीमत मिलकर (३००) रुपयेसे अधिक नहीं होना चाहिये अर्थात् ऊपर बतलाये हुए किस्मका सामान तीन सौ रुपये की क़ीमत तक का छोड़ा जासकता है। महाजनोंका एक फर्म एक इन्स्योरेंस कम्पनीका सेक्रेटरी तथा खजांची था। उस इन्स्योरेंस कम्पनीके डाइरेक्टरोंने कम्पनी का कुछ रुपया गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोटसमें लगा देने का हुक्म दिया और महाजनोंके फर्मने कुछ देर करके वह रुपया प्रोमिसरी नोट्समें लगा दिया परन्तु उसके बाद फौरन ही वह फर्म दिवालिया करार दे दिया गया तो यह तय हुआ कि वह अमानतें (अर्थात् गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्स) उस फर्मके पास बतौर अमानत (Trust) के थी और इस लिये इस दफ़ाके अनुसार कर्जख्वाहोंमें नहीं बांटी जासकती थी, देखो—रामसे बनाम आफ़िशल एसायनी 35. Mad 712. यदि कोई सोना जेवर बनानेके लिये किसी व्यक्ति को दिया गया हो और वह उसके बाद दिवालिया करार दिया जाय तो वह सोना यदि उसका ठीक तौरसे पता न लगता हो उस व्यक्ति का जायदाद समझा जावेगा देखो— 28 Mad. 403.

उपदफ़ा (२) में वह तफ़सील बतलाई है जिसके होने पर जायदाद कर्जख्वाहोंमें बांटी जाने योग्य समझी जावेगी।

क्लाज़ (ए) के अनुसार दिवालियेकी कार्रवाईके प्रारम्भमें तथा बहाल होनेसे पहिले जो जायदाद दिवालिये की होवे या उसको मिल सके वह सब दिवालियेकी समझी जावेगी और वह उसके कर्जख्वाहानमें बांटी जासक्ती है। वह रुपया जो दिवालियेको भविष्यमें किसी समय मिलने वाला होवे आफ़िशल एसायनी को मिलेगा जो कि वह रुपया उसी समय अदा किया जाने वाला नहीं है। देखो—26. Mad. 440 इस दफ़ाके अनुसार किसी मुआहिदेके वह अधिकार आफ़िशल एसायनी को प्राप्त हो सकेंगे जो दिवालिये को उसके अनुसार मिल सकते हैं, देखो—मे बनाम बाकर 40 Cal 253. आफ़िशल एसायनीने एक दिवालियेकी इन्स्योरेंस पालिसी (Policy of Inshorence) नीलामकी और एक ख़रीदारने उस दिवालियेकी तरफसे ख़रीद लिया। इसके बाद दिवालिया मर गया उसके मरने पर ख़रीदारने पालिसी का रुपया वसूल किया और उसे एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को दे दिया। यह तय किया गया कि आफ़िशल एसायनीके मुक़ाबिले वह रुपया दिवालियेके वारिसोंको ही मिलना चाहिये। देखो—18. Mad. 24 एक कर्जख्वाहने कुर्की व नीलाम कराने का हुक्म एक जमीनके निस्बत हासिल किया और इसके बाद दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हो गया तो यह तय किया गया कि आफ़िशल एसायनीका हक उस जमीन पर होगा, देखो—42 Cal. 72 29, Mad. 903. यदि किसी मुकदमेमें रुपया मुकदमेके सिलसिलेमें जमा किया गया हो और बादमें डिक्री दी गई हो तो उस रुपये पर कर्जख्वाह डिक्रीदार का हक पहुंचेगा, देखो—35. Mad 355. यदि जेवर बनानेके

छिपे सोना दिया गया हो और दिवालिया करार दिये जाने पर उस सोने का ठीक ठीक पता न लगा सके तो वह सोना दिवालियेकी जायदाद समझी जावेगी और सोनेके मालिकका कोई ज्यादा हक न समझा जावेगा अर्थात् वह मामूली कर्जख्वाहोंकी तरह अपना कर्ज साबित कर सकता है, देखो—28 Mad.L. I. 403. तनख्वाह भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है, देखो—34. Mad 183. मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया था कि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारके कर्ता को उस परिवारकी जायदाद को अलहदा करनेके जो अधिकार हैं वही अधिकार आफिशल एसायनीके उस जायदादके सम्बन्धमें समझना चाहिये। देखो—26. Mad. 214.

यदि काम होनेके समयमें (During business hours) किसी गोदामकी चाभी जिसमें माल भरा हो दिवालियेके कब्जेमें रहती हो परन्तु उसके बादके वक्तमें वह चाभी उस शख्सके पास रहती हो जिसके पास गोदाममें रखा हुआ माल रेहन हो तो वह माल दिवालियेकी हिफाजतमें रहने वाला माल समझा जावेगा, देखो—22 Mad. L. I. 441. यदि दिवालियेके नौकर सुपुर्ददार या किरायेदारके कब्जेमें कोई माल होवे तो वह दिवालिये ही के कब्जेमें समझा जावेगा क्योंकि दिवालियेही की तरफसे वह माल उसके कब्जेमें रहता है। इस दफाकी प्रत्येक उपदफा का मानना आवश्यक है अर्थात् उनकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

पिछले सौदों पर दिवालिया होने का प्रभाव

दफा ५३ इजरायके सम्बन्धमें डिक्रीदारोंके अधिकारोंमें रुकावट

(१) यदि किसी क़र्ज़दारकी जायदादके विरुद्ध डिक्री जारी कराई गई हो तो उस इजरायसे फायदा कोई भी व्यक्ति आफिशल एसायनीके मुकाबिले नहीं उठा सकेगा परन्तु यदि उस कार्यवाईके चालू करनेसे पहिले उसको दिवालिये की दरख्वास्त दी जाने की कोई सूचना न रही हो और वह दिवालिया क़रार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले नीलामसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे वसूली की जाचुके तो उसके पाने का वह व्यक्ति अधिकारी होगा।

(२) इस दफा का कोई प्रभाव महफूज़ कर्ज़ख्वाहके उन अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जो उसे महफूज़ जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिक्री की इजरायके लिये प्राप्त है।

(३) यदि कोई व्यक्ति नेकनीयतीसे इजरायके सम्बन्धमें नीलाम की हुई किसी जायदाद को खरीद करे तो उसको आफिशल एसायनीके विरुद्ध हर प्रकारके अधिकार उस जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त होंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् सब जायदाद आफिशल एसायनीकी समझी जावेगी और उसे जुदागाना तौर पर कोई कर्जख्वाह नहीं पासकेगा।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि इजराय कराने वाले डिक्रीदार को दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाने की कोई सूचना न रही हो और दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेसे पहिले कुछ जायदाद वसूलकी जाचुके तो वह डिक्रीदार उसके पाने का हकदार होगा अन्यथा नहीं किन्तु उस सब जायदाद का हकदार आफिशल एसायनी समझा जावेगा

इस प्रकार यदि सौदा रुपयेके डिक्रीके इजरायमें कोई जायदाद कुर्क होकर नीलाम पर चढ़ाई गई हो परन्तु नीलामसे पहिले मदियून दिवालिया क़रार दे दिया जावे और उसके बाद नीलाम होने पर कोई व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद को खरीदे तो ऐसे खरीदारको कोई हक नहीं पहुंचता है, देखो—31. Mad. 493. यदि हिस्सा रसदी पानेके लिये किसी इजरायमें दरख्वास्त दी गई हो तो वह दरख्वास्त इस दफाके अनुसार इजरायकी दरख्वास्त नहीं समझी जासकती है, देखो—39 Mad. 25. यदि मदियून अदालतमें हाजिर न होवे किन्तु उसकी हाजिरीके लिये कोई रुपया जमा किया जावे तो वह रुपया डिक्रीदार पाने का अधिकारी है, देखो—39. Cal. 1048.

उपदफा (२) में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस दफा का कोई प्रभाव महफूज़ कर्ज़ख्वाहोंके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा अर्थात् वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिक्री को नियम पूर्वक इजराय करा सकता है।

उपदफा (३) के अनुसार नेकनीयतीके साथ जायदाद खरीदने वालोंकी बचत कर दी गई है अर्थात् यदि किसी व्यक्तिने किसी इजरायके सम्बन्धमें नीलामकी हुई जायदाद को खरीदा हो तो वह व्यक्ति उस जायदादके पाने का पूर्ण रूपसे अधिकारी समझा जावेगा और आफिशल एसायनी उसके अधिकारोंमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। इस दफाके नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अँग्रेज़ी एक्ट की इस दफ़ा की प्रत्येक उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे साबित है।

दफा ५४ इजराय करने वाली अदालतोंके दिवालिये की जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य

यदि नीलाम की जाने योग्य जायदादके विरुद्ध डिक्री जारी कराई गई और उसके नीलाम होनेसे पहिले अदालत को यह नोटिस दे दिया जावे कि मदियून दिवालिया क़रार दे दिया गया है तो इजराय करने वाली अदालत दरख्वास्त दिये जाने पर जब कि वह जायदाद अदालतके क़ब्ज़ेमें होवे जायदादको आफिशल एसायनीके सुपुर्द किये जाने का हुक्म दे देगी परन्तु इजराय का खर्च उस जायदादसे सबसे पहिले वसूल किया जायगा और आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह कुल जायदाद को या उसके किसी हिस्से को बेंच कर उस खर्चे को चुका देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि नीलाम होनेसे पहिले इजराय करने वाली अदालत को मदियूनके दिवालिया क़रार दे दिये जाने की सूचना मिल जावे तो वह इजरायकी आयन्दा कार्रवाई को रोक देवगी और दरख्वास्त आने पर अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि वह जायदाद आफिशल एसायनीके सुपुर्द कर दी जावे। इस नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अँग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार इजराय का खर्च भी उस जायदादसे सबसे पहिले वसूल किया जासकेगा अर्थात् वह उस पर सबसे पहिला बार माना जावेगा। इस दफामें आफिशल एसायनी को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह इस बारके चुकानेके लिये सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेंच सकता है परन्तु आफिशल एसायनी ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है।

दफा ५५ स्वयं किये हुए इन्तक़ाल जायदाद की मंसूखी

यदि किसी इन्तक़ाल जायदाद होनेके पश्चात् दो सालके अन्दर इन्तक़ाल करने वाला व्यक्ति दिवालिया क़रार दे दिया जावे और वह इन्तक़ाल जायदाद पहिले तथा किसी विवाहके

प्रबन्धमें अथवा किसी खरीदार या बार रखने वाले मूल्यवान मुआविज़ा लेकर नेकनीयतीके साथ न किया गया हो तो वह इन्तकाल जायदाद आफिशल एसायनीके विरुद्ध रद्द समझा जावेगा।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार केवल वही इन्तकाल जायदाद जो दिवालिया क़रार दिये जानेके दो साल पहिले किये गये हों भले प्रकार सुरक्षित समझना चाहिये। दो सालके अन्दर किये हुए वही इन्तकाल जायदाद सुरक्षित होंगे जो नेकनियतीके साथ पर्याप्त कीमत लेकर किये गये हों। विवाहके सम्बन्धमें तथा पहिले किये हुए इन्तकाल भी सुरक्षित समझना चाहिये। इसके विरुद्ध यदि दो सालके अन्दर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया क़रार किये गये हों तो वह आफिशल एसायनीके विरुद्ध रद्द समझे जावेंगे। इस दफ़ाके नियम माननीय समझना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। इस दफ़ामें जो नेकनीयतीसे इन्तकाल जायदादके किये जाने की व्यवस्था बतलाई गई है उसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्तिके हकमें इन्तकाल जायदाद किया गया हो उसने नेकनीयतीसे इन्तकालको कराया हो यही धुन 16 Mad. 397. से निकलती है। यदि कोई मुर्तहिन किसी रेहननामे को जो दो सालके अन्दर किया गया हो पेश करे तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि रेहननामा नेकनीयतीके साथ मुआविज़ा देकर लिखाया गया था, देखो—43 Mad. 739.

दफ़ा ५६ कुछ मामलोंमें तरजीह का रद्द किया जाना

(१) यदि कोई कर्ज़दार जबकि वह अपने कर्जोंको अपने रुपयेसे न चुका सकताहो किसी एक कर्ज़ख्वाहके हकमें कोई इन्तकाल जायदाद करे या कोई अदायगी करे या कोई ज़िम्मेदारी लेवे और कोई अदालती कार्रवाई करे या होने देवे और उसकी यह नियत होवे कि उस कर्ज़ख्वाह को और कर्ज़ख्वाहोंके मुक़ाबिले तर्जीह मिल जावे और पेसे सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दिवालिये की दरख्वास्त दीजाने पर यदि वह कर्जदार दिवालिया क़रार दे दिया जावे तो वह सब सौदे आफिशल एसायनीके लिये धोखादेहीसे किये हुए सौदे माने जावेंगे तथा रद्द समझे जावेंगे।

इस दफ़ा का कोई प्रभाव ऐसे व्यक्तिके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जिसने नेकनियतीसे दिवालियेके किसी कर्ज़ख्वाहसे मूल्यवान मुआविज़ा देकर किसी अधिकारको प्राप्त किया हो।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार वह सब सौदे जो दिवालिया किसी एक कर्जख्वाह को और कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तर्जीह देनेके लिये करे तो वे रद्द समझे जावेंगे परन्तु इस दफ़ाके अनुसार रद्द समझे जाने वाले सौदे उसी समय रद्द होंगे जब कि सौदा करने वाला व्यक्ति दिवालिया क़रार दे दिया जावे और दिवालिया क़रार दिये जाने की दरख्वास्त उस सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दी गई हो। उपदफ़ा (१) के नियमों का मानना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार उपदफ़ा (२) के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जासकता है।

उपदफ़ा (१) के लिये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि सौदा होते समय दिवालिया अपने कर्जों को अपने रुपयेसे न चुका सकता हो। मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया है कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द का तात्पर्य (Viodable) शब्दसे समझना चाहिये और सौदा होने की तारीख़ से वह सौदा रद्द नहीं है किन्तु उस समयसे रद्द है जब कि आफिशल एसायनी का हक उस पर पहुँचेगा। देखो—25 Mad. 308. महाजनोंका एक फर्म एक इनश्योरेंस कम्पनीके डाइरेक्टर्सने उस फर्मके पास बचे हुए रुपयेसे उसे सरकारी कागज खरीदने का हुक्म दिया। कुछ देर होनेके पश्चात् वह कागज़ खरीदे गये और उसके बाद फौरन ही वह महाजन दिवालिया क़रार दिया गया तो यह तय किया

गया कि कोई धोखादेहीसे तर्जीह ऐसे मामलेमें नहीं दी गई थी. देखो—35 Mad. 712. यदि दिवालिया करार दिये जानेसे कुछ ही पहिले कोई इन्तकाल जायदाद दिवालियेने अपनी स्त्री के हकमें किया हो तो उसकी स्त्री को चाहिये कि वह साबित करे कि सौदा कायम रखा जाना चाहिये अर्थात् वह रद्द नहीं होना चाहिये, देखो—24.I. C 513.

इस दफाके लिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वही सौदे जो एक कर्जख्वाह को दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तर्जीह देनेके लिये किये गये होंगे रद्द समझे जावेंगे। कर्जदार की नीयत केवल इस ही बातमें नहीं समझ लेना चाहिये कि किसी सौदेके एक कर्जख्वाह को लाभ पहुंच गया है व दूसरे कर्जख्वाह यों ही रह गये हैं इसके लिये सब हालतों पर गौर करना चाहिये तथा इसके लिये इङ्गलण्डके क़ानून तथा वहांके फैसलों पर भी ध्यान दिया जासकता है अर्थात् उनके आधार पर यहांके फैसले किये जा सकते हैं, देखो—42Mad. 510. इसी मामले में यह भी तय किया गया था कि दिवालियेने अपने लाभके लिये तथा अपने कारो बार को चालू रखनेके लिये किसी सौदेको किया हो तो वह सौदा हरगिज धोखादेहीसे तर्जीह देने वाला सौदा नहीं समझा जावेगा। तीन माहकी जो अवधि इस उपदफामें बतलाई गई है उसमें यह तात्पर्य नहीं है कि सौदा होनेसे तीन माहके अन्दर सौदा करने वाला व्यक्ति दिवालिया करार दे दिया गया हो किन्तु उसका तात्पर्य यह है कि सौदा होनेसे तीन माहके अन्दर उसके विरुद्ध दिवालिये की दरख्वास्त दे दी गई हो। इस उपदफाके अनुसार केवल इन्तकल जायदाद ही रद्द नहीं समझे जावेंगे किन्तु दूसरे प्रकारके सौदे भी जैसे कि अदायगी या कोई जिम्मेदारी जो दिवालियेने किसी एक कर्जख्वाहके लिये ली हो।

उपदफा (२) में उन लोगोंके बचावकी व्यवस्था बतलाई गई है जिन्होंने नेकनीयतीसे कोई अधिकार दिवालियेके किसी कर्जख्वाहसे या उसके मार्फत प्राप्त किया हो। इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि वह सौदा केवल दिखावटी सौदा ही न होवे किन्तु वह मूल्यवान मुआविजेके दिये जाने पर किया गया हो।

दफा ५७ नेकनीयतीसे किये हुए सौदों की बचत

कुछ इन्तक़ालात (Transfers) तथा तर्जीहात (Preferences) के लिखे जाने तथा उनके रद्द किये जानेके सम्बन्धमें जो नियम ऊपर दिये जाचुके हैं उनका ध्यान रखते हुए नीचे दिए हुये सौदे दिवालियेकी कार्यवाईके सम्बन्धमें इस एक्टके अनुसार किसी बात से रद्द नहीं होंगे:—

(ए) यदि दिवालिये ने अपने किसी कर्ज़ख्वाह को कोई अदायगी की हो,

(बी) यदि कोई अदायगी या सुपुर्दगी दिवालिये को की गई हो,

(सी) यदि दिवालिये ने कोई इन्तकाल जायदाद पर्याप्त मुआविज़ा लेकर किया हो,

(डी) यदि कोई मुवाहिदा या सौदा दिवालिये के साथ क़ीमती मुआविज़ा लेकर किया गया हो।

परन्तु शर्त यह भी है कि ऊपर बतलाया हुआ सौदा, दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म होने से पहिले हुआ हो तथा जिस व्यक्ति के हाथ सौदा किया गया हो उसको सौदा किये जाते समय कर्ज़दार के विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की दरख्वास्त दिये जाने की सूचना न रही हो।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार नेकनीयती से किये हुए सौदों की रक्षा का प्रबन्ध किया गया है। इस दफा में उन्हीं सौदों की रक्षा का विधान है जो दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होने से पहिले किये गये हों तथा यह भी बात ध्यान में रहना

चाहिये कि सौदा होते समय उस व्यक्ति का जिसके हक में सौदा किया गया हो कर्जदार के विरुद्ध दिवालिये की दरख्वास्त दिये जाने की सूचना न हो अर्थात् यदि कर्जदारने दिवालिये की दरख्वास्त दे रखी हो अथवा उसके विरुद्ध दिवालिये की दरख्वास्त दी गई हो और इसके बाद कर्जदारने कोई सौदा किया हो तो उस सौदेके किये जाते समय उस व्यक्ति को दिवालिये की दरख्वास्त की सूचना न होना चाहिये जिसके हकमें सौदा किया गया हो वरना उस सौदे की रक्षा इस दफा के अनुसार नहीं हो सकेगी।

इस दफा के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्ट में प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्द से प्रकट है। नेकनीयतीसे किये हुए सौदेही इस दफाके अनुसार सुरक्षित हैं वह सौदे जो कानून दिवालियासे बेजा लाभ उठाने की नीयतसे किये गये हों अथवा जो स्वयही दिवालिये का काम समझे जा सकते हैं हर्गिज़ रक्षा के पात्र नहीं हो सकते हैं देखो—39 Mad. 250 यदि कोई फर्जी सौदा किया गया हो तो उससे किसी व्यक्ति को हक नहीं पहुंच सकता है चाहे दस्तावेज लिखकर रजिस्ट्री भी कर दीगई हो, देखो—34 I. C. 435 जिन सौदोंकी रक्षाका उल्लेख इस दफामें किया गया है वह चार भागोंमें विभक्त किये गये हैं तथा उनका वर्णन क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है।

क्लाज़ (ए) में उस अदायगी का जिक्र है जो दिवालिया ने अपने किसी कर्जख्वाह को की हो।

क्लाज़ (बी) में यदि दिवालिये को कोई अदायगी की गई हो या कोई कब्जा दिया गया हो तो उनकी भी रक्षा इस दफा के अनुसार की जा सकती है।

क्लाज़ (सी) के अनुसार यदि दिवालिये ने कीमत पर्याप्त लेकर कोई इन्तकाल जायदाद किया हो तथा क्लाज (डी) के अनुसार यदि कोई सौदा या मुआहिदा पर्याप्त धन लेकर किया गया हो तो ऐसे सौदे इस दफा के अनुसार सुरक्षित समझना चाहिये। इस दफा से पहिले जो नियम किसी सौदे के रद्द किये जानेके सम्बन्ध दिये जा चुके हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है अर्थात् दफा ५३, ५४, ५५ व ५६ में बतलाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए इस दफा के नियमों का प्रयोग समझना चाहिये।

जायदाद का वसूल किया जाना

दफा ५८ आफिशल एसायनी द्वारा जायदाद पर क़ब्ज़ा लिया जाना

(१) जितनी जल्दी हो सकेगा आफिशल एसायनी दिवालियेके कागज़ात, किताबों तथा दस्तावेज़ों पर कब्ज़ा करेगा तथा उस सब जायदाद पर भी क़ब्ज़ा करेगा जिस पर दस्ती कब्ज़ा लिया जासकता है।

(२) दिवालिये की जायदाद पर कब्ज़ा लेने तथा उस पर कब्ज़ा रखनेके सम्बन्धमें आफिशल एसायनीके वही अधिकार होंगे जो सन् १९०८ ई० के ज़ाब्ता दीवानीके अनुसार किसी जायदादके सम्बन्धमें नियुक्त किये हुए रिसीवरके होते हैं और अदालत उसकी दरख्वास्त पर इस प्रकार का कब्ज़ा दिलाने तथा कायम रखने की कार्रवाई कर सकती है।

(३) यदि दिवालिये की कोई जायदाद स्टाक (Stock), जहाजके शेअर्स (Shares in Ships), अथवा अन्य किसी प्रकार की ऐसी जायदाद होवे जो किसी कम्पनीके दफ्तर अथवा किसी व्यक्तिके कागज़ातमें एकसे दूसरेके नाममें की जासकती हो तो आफिशल एसायनी इस

प्रकारकी जायदादके इस्तकालके सम्बन्धमें वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया स्वयं इस अवस्थामें जब कि वह दिवालिया नहीं हुआ था बरत सकता हो ।

(४) जब कि दिवालिये की कोई जायदाद दावे की शकलमें होवे तो इस प्रकारकी बातोंके लिये यह मान लिया जावेगा कि वह बाक़ायदा आफिशल एसायनीके हकमें कर दी गई है ।

(५) यदि किसी खजाञ्ची या दूसरे अफसरके अथवा किसी महाजन एटार्नी या एजेण्टके कब्जेमें दिवालिये की तरफसे कोई रुपया या ज़मानतें होवें जो कि वह दिवालिये या आफिशल एसायनीके विरुद्ध नहीं रोक सकता है तो वह रुपया आफिशल एसायनी को अदा कर देगा अथवा उसको आफिशल एसायनीके सुपुर्द कर देगा यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिये यह माना जावेगा कि उसने अदालत की तौहीन की है और इसके लिये आफिशल एसायनी की दरख्वास्त आने पर दण्ड का भागी होगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालिये की जायदाद पर आफिशल एसायनी द्वारा कब्जा लिये जाने का उल्लेख है । उपदफा (१) के अनुसार आफिशल एसायनी का कर्तव्य है कि वह जितनी जल्दी हो सके दिवालिये की ऐसी जायदाद पर कब्जा ले लेवे जिस पर दस्ती कब्जा लिया जासकता है उसमें दस्तावेजें व हिसाब की किताबें भी शामिल है । अंग्रेज़ी एक्टमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि आफिशल एसायनी को ऐसी वस्तुओं पर कब्जा लेनेमें देर नहीं करना चाहिये और न इस उपदफाके नियमों की अवहेलना ही करना चाहिये ।

उपदफा (२) में आफिशल एसायनीके क़ानूनी अधिकार का वर्णन है इस उपदफाके अनुसार आफिशल एसायनीके वह अधिकार समझना चाहिये जो जाब्ता दीवानीके अनुसार जायदादके लिये नियुक्त किये हुए रिसीवरके होते हैं और आफिशल एसायनीके दरख्वास्त देने पर अदालत कब्जा लेने तथा कब्जा कायम रखनेके लिये दूसरोंको मजबूर कर सकती है ।

उपदफा (३) में शेयर्स (Shares) आदि ऐसी जायदाद का वर्णन है जो किसी कम्पनी आदि की किताबोंमें एकके नामसे दूसरेके नाम की जासकती है उनके बारेमें यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया होनेसे पहिले बरत सकता था । इस नियम की पाबन्दीके लिये आफिशल एसायनी बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्ट की इस उपदफा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है अर्थात् वह आवश्यकतानुकूल कार्य कर सकता है ।

उपदफा (४) के अनुसार आफिशल एसायनी को दिवालियेके मामलोंके सम्बन्धमें दावे आदि दायर करनेके पूर्ण अधिकार हैं ।

उपदफा (५) में बतलाया गया है कि यदि किसी व्यक्तिके पास जो खजाञ्ची महाजन, एटार्नी या एजेन्ट होवे इस हैसियतसे दिवालिये का कोई रुपया या दस्तावेजें होवें जो कायदेसे दिवालिये को वापिस मिलना चाहिये तो उन लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वह रुपया या दस्तावेजें आफिशल एसायनी को दे देवें अन्यथा वह अदालतकी तौहीन करनेके दोषी समझे जावेंगे और उसको आफिशल एसायनीके दरख्वास्त देने पर उस जुर्म का दण्ड दिया जासकता है अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है ।

दफा ५९ दिवालियेकी जायदाद पर क़ब्ज़ा लेना

(१) अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिये की किसी जायदादके लिये जो दिवा·

लिये अथवा अन्य किसी व्यक्तिके कब्ज़े या देखरेखमें होये क़ब्ज़ा लेने का वारण्ट नियत किये हुए आफिसरके नाम अथवा कानिस्टेबिलसे ऊपरके ओहदे वाले पोलिस अफसरके नाम दे देवे और इस प्रकार क़ब्ज़ा लेनेके लिये दिवालियेके मकान इमारत या कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का अधिकार दे सकती है जहां कि दिवालिये की मौजूदगी का अनुमान होवे अथवा जहां पर उसकी जायदाद होने का अनुमान होवे।

(२) जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालिये की जायदाद किसी ऐसे मकान या जगहमें छिपाई गई है जो कि दिवालिये की नहीं है तो अदालत उचित समझने पर ऊपर बतलाये हुए अफसरके नाम तलाशी का वारण्ट जारी कर सकती है जो उस वारण्ट की मंशाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्ट की ५८ दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की पाबन्दीके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयोचित कार्रवाई कर सकती है।

उपदफा (१) में दिवालियेके मकान या कमरेमें घुसकर तलाशी लेने व क़ब्ज़ा लेने का उल्लेख है तथा उपदफा (२) में दिवालियेके मकानके अतिरिक्त अन्य जगहोंमें घुसकर तलाशी लेने तथा क़ब्ज़ा करनेके अधिकार का वर्णन है। इस दफाके अनुसार वारण्ट इस एक्टके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये नियत किये हुए अफ़सरके नाम दिया जाना चाहिये अथवा ऐसे पुलिसके अफ़सरके नाम दिया जाना चाहिये जिसका ओहदा कानिस्टेबिलसे बड़ा होवे अर्थात् जो थानेदार, इन्सपेक्टर आदि उच्च उहदों का पुलिस अफ़सर होवे। वारण्ट केवल क़ब्ज़ा लेने ही के लिये नहीं दिया जासकता है किन्तु इमारत या कमरेका किवाड़ तोड़ कर घुसने व उसके अन्दर क़ब्ज़ा लेने का अधिकार दिया जासकता है। उपदफा (१) के अनुसार वारण्ट मामूली तौर पर हर मामलेमें दिया जासकता है क्योंकि दिवालियेके मकान या कमरेमें उसी की चीजोंके होने का अनुमान किया जासकता है किन्तु उपदफा (२) के अनुसार वारण्ट उसी वक्त दिया जासकेगा जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालिये की जायदाद दरअसल किसी अन्यके मकान आदिमें छिपाई गई है वारण्ट दोनों उपदफाओंके अनुसार उन्हीं अफ़सरोंके नाम दिये जावेंगे जिनका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है तथा वह अफ़सर वारण्ट की मंशाके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे अर्थात् मनमानी न कर सकेंगे यो यह आवश्यक नहीं है कि वारण्ट की अक्षरशः तामील की जावे अर्थात् वारण्ट की मंशा को समझते हुए समयोचित काम करेंगे इस प्रकार इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिये की जायदाद पर क़ब्ज़ा उसके मकान तथा अन्य जगहोंसे बजरिये वारण्टके मकान का ताला आदि अन्य रुकावटों को दूर करके दिला सकती है।

दफा ६० दिवालियेकी तनख्वाहका कर्ज़ख्वाहोंके लिये लिया जाना

जब कि दिवालिया फ़ौज या जहाज़ी बेड़े का अफ़सर होवे या शाहन्शाह की हिन्दुस्थानी सामुद्रिक नौकरी में होवे या कैसरेहिन्द की नौकरी में अफ़सर क्लर्क या अन्य किसी प्रकार से काम करता होवे तो आफ़िशल एसायनी उसकी तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिक्रीमें कुर्क किया जा सकता हो तथा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे कर्ज़ख्वाहों में बांटे जाने के लिये ले लेवेगा।

(२) यदि ऊपर बतलाये हुए मामलों के अतिरिक्त दिवालिया कोई तनख्वाह या आमदनी पाता होवे तो अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होने के पश्चात् किसी समय भी और उस समय पर जिस प्रकारका हुक्म मुनासिब समझे आफ़िशल

पसायनीकी अदायगीके लिये दे सकती है जिसमें दिवालिये की आमदनी या तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिक्रीमें कुर्क किया जा सकता हो अथवा उसका कोई हिस्सा कर्ज़ख्वाहोंमें बाँटे जानेके लिये आफिशल एसायनी वसूल कर सके।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी तनख्वाह तथा अन्य आमदनी के कुर्क किये जाने तथा उसके कर्ज़ख्वाहानमें बाटे जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है।

उपदफा (१) में फौजी या जहाजी बेड़ेके अफ़सर तथा सरकारी सिविल सर्विसके अफसर या क्लर्क या दूसरे प्रकारसे काम करने वालोंके दिवालिया करार दिये जाने पर उनकी तनख्वाहके कुर्क किये जानेका उल्लेख है। इस उपदफाके अनुसार इन अफसरोंकी तनख्वाहका वही हिस्सा कुर्क किया जासकता है जो किसी डिक्रीमें क़ानून कुर्क किया जा सकता है परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि उतना हिस्सा अवश्य कुर्क किया जाना चाहिये उससे कम भी कुर्क किया जासकता है किन्तु उससे अधिक कुर्क नहीं किया जाना चाहिये। अदालत जिस हिस्सेके लिये हुक्म देवे वही हिस्सा कुर्क होगा अदालत अपनी इच्छानुसार इसके लिये हुक्म देसकती है।

अँग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे साबित होता है कि इसके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये अर्थात् इस उपदफामें बतलाये हुए अफसरोंकी तनख्वाहका कुर्क किया जाने योग्य अथवा कोई हिस्सा कुर्क होकर कर्जख्वाहानमें अवश्य बाटा जाना चाहिये।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की तनख्वाह तथा आमदनीके कुर्क किये जानेका वर्णन है इसके लिये हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रगट है इस प्रकारका हुक्म दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् दिया जा सकता है और उतने समयके लिये दिया जा सकता है जितनेके लिये अदालत मुनासिब समझे इस उपदफाके अनुसार भी उतनी ही तनख्वाह या आमदनी कुर्क की जासकती है जितनी किसी डिक्रीमें कुर्क की जासकती है उससे अधिक नहीं किन्तु उससे कम कुर्ककी जासकती है यह आमदनी या तनख्वाह कुर्क होकर आफिशल एसायनी को इसलिये मिलेगी कि वह कर्जख्वाहानमें बाटी जासके। इस दफाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया स्वयं ही अपनी दिवालियेकी दशा होने पर पूरी आमदनी या तनख्वाहसे लाभ न उठा सके जिसमें कि उसके कर्जख्वाहान ठगते ही रहें किन्तु कर्जख्वाहोंको भी उसकी आमदनी आमदनीसे जो तनख्वाह आदिकी शकल में दिवालिया पावे लाभ पहुँच सके। अदालतकी इच्छा पर उस दफाके अनुसार कार्रवाई करना निर्भर है।

दफा ६१ जायदादका एकके पाससे दूसरेके पास जाना या एकसे दूसरेको मिलना

दिवालिये की जायदाद एक आफिशल एसायनीके पाससे दूसरे आफिशल एसायनीके पास पहुँच जावेगी और आफिशल एसायनी जब तक कि वह उस हैसियतसे काम करेगा दिवालिये की जायदादका अधिकारी होगा तथा इसके लिये किसी इन्तक़ाल किये जानेकी आवश्यकता न होगी।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी बिना किसी इन्तकालके अर्थात् बिना दस्तावेज आदि लिखे व रजिस्ट्री कराये दिवालिये की जायदाद का अधिकारी होगा। यदि दिवालिये की जायदाद किसी आफिशल एसायनीके अधिकारमें होवे और उस आफिशल एसायनीके स्थानमें दूसरा आफिशल एसायनी नियुक्त किया जावे या अस्थाई रूपसे काम करे तो पहिले आफिशल एसायनीके पाससे दिवालिये की जायदाद दूसरे आफिशल एसायनीके पास पहुँच जावेगी। आफिशल एसायनी

दिवालिये की जायदाद का अधिकारी उस समय तक रहेगा जब कि वह उस दिवालियेकी जायदादके लिये आफिशल एसायनी रहेगा अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफाके नियमों की पाबन्दी आवश्यक है।

दफा ६२ बिला लाभकी व भारी बार वाली जायदादका छोड़ दिया जाना

(१) यदि दिवालिये की कोई जायदाद ऐसी ज़मीन होवे जिस पर भारी बार होवे या जो किसी कम्पनीके शेयर अथवा स्टाक (*Stock*) होवे या जो बिला मुनाफे वाले मुआहिदे होवें या इस प्रकार की जायदाद होवे जो बेंची न जासकती हो या जल्दी इस कारण न बेंची जासकती हो कि बेंचने वाले पर भारी कामके करने का अथवा किसी रुपयेके अदा करने का बार आजाता हो तो आफिशल एसायनी दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होनेके बारह महीनेके अन्दर ऐसी जायदाद को, उन नियमों का ध्यान रखते हुए जो आगे दिये हुए हैं छोड़ सकता है बिला इस बात का ख्याल रखते हुए कि वह उस जायदाद को बेंच सकता था या उस पर क़ब्ज़ा लेसकता था या मालिकाना क़ायम करने की कोई कार्रवाई कर सकता था परन्तु शर्त यह भी है कि यदि दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होनेके एक माहके अन्दर आफिशल एसायनीको ऐसी जायदाद का इल्म न हुआ हो तो वह उस समयसे जब कि उसको इल्म होवे बारह महीनेके अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है।

(२) जिस तारीखसे जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीख़से दिवालिये तथा उसकी जायदादका सम्बन्ध हक़ व ज़िम्मेदारी उस छोड़ी हुई जायदादसे समाप्त हो जावेगी और आफिशल एसायनी भी उस जायदादके सम्बन्धमें उस वक्तसे ज़ाती ज़िम्मेदारीसे बरी हो जावेगा जबसे कि जायदाद उसको मिली थी। परन्तु किसी दूसरे व्यक्तिके हक़ पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतनाही असर पड़ सकता है जितना सम्बन्ध दिवालिये उसकी जायदाद तथा आफिशल एसायनी को ज़िम्मेदारीसे बरी करनेके लिये आवश्यक होगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी को अधिकार प्राप्त है कि वह झगड़ेकी अथवा भारी बार वाली जायदाद को छोड़ देवे इस प्रकार वह स्वयं ज़ाती ज़िम्मेदारीसे बच सकता है तथा दिवालिये व उसकी जायदाद को भी बचा सकता है। इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बारह महीने की अवधि बतलाई गई है परन्तु साथ साथ यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि दिवालिया क़रार दिये जाने का हुक्म होनेके एक माहके अन्दर आफिशल एसायनी को ऐसी जायदाद का इल्म न होवे तो वह इल्म होने पर उसके १२ माहके अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके अनुसार कार्रवाई करना न करना आफिशल एसायनीकी इच्छा पर है। यदि आफिशल एसायनी इस दफाके अनुसार कार्रवाई करे तो वह इस बातका दोषी नहीं ठहराया जासकता है कि उसने जायदाद को बेंचा नहीं या उसने उस पर क़ब्ज़ा लेने या मालिकाना हक़ क़ायम करनेकी कोशिश नहीं की।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि जिस तारीखमें ऐसी जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीख़से दिवालिये या आफिशल एसायनी अथवा दिवालिये की जायदादसे उसका सम्बन्ध छूट जावेगा और इस सम्बन्धका छूटना उसी तारीखसे माना जावेगा जब कि जायदाद आफिशल एसायनी को मिली हो। इस उपदफामें यह भी साफ़ कर दिया गया है कि इस दफाके

अनुसार कार्रवाई होने पर किसी दूसरे व्यक्तिके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतनाही प्रभाव पड़ सकता है जितना कि आफ़िशल एसायनी, दिवालिये या उसकी जायदाद को बरी करनेके लिये आवश्यक होगा अंग्रेज़ी एक्टकी इस उपदफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह साबित है कि इस उपदफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

दफा ६३ ठेकोंका छोड़ा जाना

इस सम्बन्धमें बनाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी बिला अदालत की आज्ञा लिये हुए किसी ठेकेके हक को नहीं छोड़ सकेगा और अदालत को अधिकार है कि वह इस प्रकारकी आज्ञा देनेसे पहिले अथवा आज्ञा देते समय सम्बन्धित व्यक्तियोंको जैसा नोटिस चाहे दे सकती है या आज्ञाके साथ जो शर्तें चाहे लगा सकती है और न हटाई जाने योग्य चीज़ों काश्तकारकी बढ़ाई हुई चीज़ों तथा काश्तकारीसे पैदा हुई और बातोंके सम्बन्धमें जैसा हुक्म मुनासिब समझे दे सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफ़िशल एसायनी अपनी इच्छानुसार किसी ठेके को या पट्टेके हक़ को नहीं छोड़ सकता है उसे ऐसा करनेके लिये अदालत की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह आज्ञा देनेसे पहिले या आज्ञा देते समय जो शर्तें चाहे अपनी आज्ञाके साथ लगा सकती है तथा साथ ही साथ जिस ज़मीनके ठेके का मामला हो उस ज़मीन पर काश्तकार द्वारा बढ़ाई हुई चीज़ों तथा न अलहदा की जाने योग्य चीज़ों तथा इसी प्रकारकी अन्य बातोंके लिये जो हुक्म मुनासिब हो दे सकती है। अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसाकि अंग्रेज़ी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है परन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहे वैसा हुक्म दे सकती है।

दफा ६४ आफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छुड़ाया जाना

यदि किसी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्तिने लिखकर आफिशल एसायनीके पास यह दरख़्वास्त दी हो कि वह तय करे कि जायदादको छोड़ेगा या नहीं और उसने दरख़्वास्त आने के २८ दिनके अन्दर अथवा अदालतकी आज्ञानुसार बढ़ाई हुई अवधिके अन्दर इसबातका नोटिस देनेसे इनकार किया हो कि वह जायदाद को छोड़ेगा या लापरवाही की हो तो आफिशल एसायनी को दफा ६२ के अनुसार उस जायदादको छोड़नेका हक़ नहीं होगा। और मुवाहिदेके मामलेमें यदि आफिशल एसायनीने इसी मियादके अन्दर या अदालतकी आज्ञानुसार बढ़ाई हुई अवधिके अन्दर मुवाहिदे को नहीं छोड़ा हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसने मुवाहिदे को मान लिया है।

व्याख्या—

इस दफामें यह प्रकट है कि छोड़ी जाने योग्य जायदादसे सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति आफ़िशल एसायनीके पास इस बातके जाननेके लिये दरख़्वास्त दे सकता है कि वह जायदाद को छोड़ेगा या नहीं और ऐसी दरख़्वास्तके आने पर आफ़िशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह कुछ न कुछ जवाब देवे और यह जवाब २८ दिनके अन्दर दिया जाना चाहिये परन्तु यदि

जवाब देनेके लिये आफ़िशल एसायनीने अदालतसे कोई मोहलत ले ली हो तो उस मोहलतके अन्दर जवाब देना चाहिये। यदि ऊपर बतलाई हुई मोहलतके अन्दर आफ़िशल एसायनी जायदाद को छोड़नेसे इन्कार करे या जवाब देनेमें लापरवाही करे अर्थात् कोई ठीक जवाब न देवे तो वह आयन्दा उस जायदादको नहीं छोड़ सकेगा इसी प्रकार यदि दरख्वास्त किसी मुवाहिदेके सम्बन्धमें दी गई हो और वह ऊपर बतलाई हुई मियादके अन्दर छोड़ न दिया जावे तो यह मान लिया जावेगा कि वह मुवाहिदा आफ़िशल एसायनी को मंजूर है अर्थात् उसे उस मुवाहिदे को पूरा करना होगा। अंग्रेजी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफ़ाके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है आफ़िशल एसायनी अदालतसे २८ दिनकी बतलाई हुई मियादको बढ़वा सकता है परन्तु मियादके अन्दर या बढ़वाई हुई मियादके अन्दर उचित उत्तर दिया जाना चाहिये।

दफ़ा ६५ अदालत द्वारा मुवाहिदोंके तोड़े जानेके अधिकार

यदि दिवालियेके साथ किये हुए किसी मुवाहिदेके अनुसार कोई व्यक्ति आफ़िशल एसायनीके विरुद्ध किसी लाभके उठाने का अधिकारी होवे या किसी मुवाहिदेके बारके अनुसार उस लाभके उठाने का अधिकारी होवे, तो ऐसे व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर अदालत जैसा कि उसे उचित समझ पड़े उस मुवाहिदेके तोड़ने का हुक्म ऐसी शर्तोंके साथ दे सकती है कि किस फरीक को मुवाहिदेके अनुसार काम न करने की वजहसे कितना हर्जा देना चाहिये और इस प्रकार दिये हुए हुक्मके अनुसार जो हर्जा दिया जाने को होगा वह बतौर क़र्ज़के दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किया जासकता है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफ़ाके अनुसार मुवाहिदा पूरा न करनेके कारण अदालत हर्जा दिलवा सकती है और इस प्रकार दिलवाया हुआ हर्जा बतौर कर्जेके साबित किया जासकता है। इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई अदालत अपने आप ही नहीं करेगी किन्तु ऐसे व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर करेगी जिसे उस मुवाहिदेसे लाभ पहुंचता हो। मुवाहिदे को तोड़ने तथा हर्जा दिलाने का हुक्म समयोचित तथा फरीकैनके लाभ हानि का विचार रखते हुए दिया जाना चाहिये।

दफ़ा ६६ छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सुपुर्दगीका हुक्म देना

(१) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी छोड़ी हुई ज़ायदादमें अपना हक़ ज़ाहिर करता हो या छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें जिसकी ज़िम्मेदारी न पूरीकी गई हो, अदालतमें दरख्वास्त देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह जिन लोगोंके बयान लेना इस सम्बन्धमें मुनासिब समझे उन्हें सुननेके बाद जायदादकी सुपुर्दगी अथवा उस पर क़ब्ज़ा लेनेका हुक्म किसी व्यक्तिके हक़में कर सकती है जिसे वह उसका अधिकारी समझे, या जिसे ऊपर बतलाई हुई ज़िम्मेदारीके कारण वह जायदाद बतौर मुआविज़ेके मिलना चाहिये। यह जायदाद उस व्यक्तिके ट्रस्टीको भी दी जासकती है और अदालत जो शर्तें चाहे अपने ऐसे हुक्म होनेके साथ लगा सकती है। और ऐसे हुक्म होने पर वह जायदाद बिला किसी इन्तक़ालके उस व्यक्तिकी हो जावेगी जिसके हक़में हुक्म दिया गया हो। परन्तु शर्त यह है कि यदि जायदाद ठेके (पट्टे) के योग्य होवे तो अदालत उस जायदादकी सुपुर्दगीका हुक्म किसी ऐसे व्यक्तिके हक़में नहीं देगी जो दिवालियेकी ओरसे

उसके शिकमी ठेकेदारकी हैसियतसे या मुर्तहिनकी हैसियतसे उस जायदादके लिये अपना हक़ जाहिर करता हो। लेकिन ऐसा हुक्म उन जिम्मेदारियोंके साथ दिया जासकता है जिनकी पाबन्दी दिवालिये पर उस वक्त लाज़िमी रही हो जब कि दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई हो और यदि कोई शिकमी ठेकेदार या मुर्तहिन उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे जायदाद को लेनेसे इन्कार करे तो उसका उस जायदाद पर कोई हक़ या जमानत नहीं रह जावेगी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो दिवालिये की तरफसे अपना हक़ तो ज़ाहिर करता हो परन्तु अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तोंके साथ जायदाद को लेनेके लिये तैयार न होवे तो अदालत उस जायदादको किसी ऐसे व्यक्तिको दिये जानेका हुक्म दे सकती है जो ज़ाती तौरसे या वारिसकी हैसियतसे अकेले या दिवालियेके साथ उस पट्टेके सम्बन्धमें पट्टेदारीके इक़रारनामेको पूरा करने का ज़िम्मेदार होवे और वह जायदाद ऐसे व्यक्तिको दिवालिये द्वारा पैदा किये हुए सब बार व हक़ोंसे साफ़ मिलेगी।

(२) अदालत यदि मुनासिब समझे तो ऊपर बताई हुई शर्तोंको संशोधित कर सकती है जिसमें कि उस व्यक्ति पर जिसके हक़में जायदाद मिलनेका हुक्म हुआ हो वही जिम्मेदारियां लागू हों जो उस वक्त होतीं जब कि पट्टा उसके हक़में दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाते समय लिखा गया हो और जैसे कि पट्टेमें वही जायदाद दिखलाई गई हो जिसका उल्लेख सुपुर्दगीके हुक्ममें किया गया है (यदि ऐसा अवसर होवे)।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार कार्य करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार हुक्म देसकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रकट है इस दफाकी योजना इस कारण कीगई है कि यदि छोड़ी हुई जायदादके मिलनेके लिये कोई व्यक्ति दरख्वास्त देवे और उस पर अपना हक़ या अपनी कोई जमानत आदि द्वारा पैदा हुआ अधिकार जाहिर करे तो अदालत उचित तहक़ीक़ातके बाद उसकी सुपुर्दगीका हुक्म उस व्यक्ति या अन्य किसी इक़रारके हक़में कर सकती है। वह जायदाद इक़रारके दूसरोंको भी दी जासकती है। अदालत इस प्रकारका हुक्म देते समय उचित शर्तें भी लगा सकती है इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसा हुक्म होने पर जिस जायदादका जिक्र हुक्म में होवे तथा जिसके हक़में जायदाद मिलने का हुक्म होवे उसे वह जायदाद मिल जावेगी व इसके लिये किसी जुदागाना इन्तक़ाल जायदादके किये जानेकी आवश्यकता नहीं है।

उपदफ़ा (१) के साथ में यह भी शर्त लगादी गई है कि इस प्रकार जायदाद दिये जानेका हुक्म दिवालियेके शिकमी पट्टेदार या मुर्तहिनके हक़में नहीं किया जावेगा जो ऐसा हुक्म उस दशामें दिया जा सकता है जब कि शिकमी पट्टेदार या मुर्तहिन उन सब जिम्मेदारियोंको बरदाश्त करे जो कि दिवालिये पर दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाते समय लागू थीं। इसी शर्त में यह भी बतला दिया गया है कि यदि शिकमी पट्टेदार या मुर्तहिन ऐसी शर्तके साथ जायदाद न लिया चाहता हो तो उसके सब हक़ उस जायदादसे जाते रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अकेले ही या दिवालियेके साथ उस पट्टेके किसी इक़रारनामेको पूरा करनेका पाबन्द होवे तो अदालत ऐसे व्यक्तिके हक़में उस जायदादको, मिलनेका हुक्म दे सकती है और उस व्यक्ति को वह जायदाद सब जिम्मेदारियों व बारसे पाक व साफ़ मिल जावेगी।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत को ऊपर बतलाई हुई शर्तोंके संशोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है और संशोधन द्वारा जायदाद उस दशामें उसको मिलेगी जैसे कि दिवालियेकी दरख्वास्त दिये जाते समय वह जायदाद उसके हक़

में करदी गई हो अर्थात् केवल उसी समयकी जिम्मेदारियां व बारकी पाबन्दी उस पर लागू समझी जावेगी छोड़ी हुई जायदाद के सम्बन्धमें इस दफाके अनुसार अदालत समयानुकूल हुक्म किसी भी ऐसे व्यक्तिके हकमें दे सकती है जो दरअसल उस जायदादको पाने का अधिकारी समझा जावे तथा उचित शर्तें भी अपने हुक्मके साथ लगा सकती है और ऐसा हुक्म होने पर इन्तकाल जायदादकी कार्रवाई अर्थात् दस्तावेजोंके लिखे जाने पर उनके रजिस्ट्री किये जानेकी आवश्यकता भी जाती रहेगी।

दफा ६७ छोड़ी हुई जायदादसे जिसे हानि पहुंचती हो वह साबित कर सकता है

यदि ऊपर बतलाए हुए नियमोंके अनुसार किसी जायदादके छोड़े जाने पर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती होवे तो वह व्यक्ति दिवालियेका कर्ज़ख्वाह उस तादादके लिये समझा जावेगा जिसकी उसे हानि हुई हो और इसीलिये वह उस तादादको बतौर कर्ज़के दिवालियेकी कार्रवाई के सम्बन्धमें साबित कर सकता है।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये। यदि किसी जायदादके छोड़े जानेसे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती हो तो वह अपनी हानिको दिवालिये की जायदादसे उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे कि और कर्ज़े उस जायदादसे वसूल किये जासकते हैं और वह और कर्ज़ख्वाहों की भांति अपने इस कर्ज़े को साबित कर सकता है।

दफा ६८ जायदादकी वसूलीमें आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य व अधिकार

(१) इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी सहूलियतके साथ जितनी जल्द हो सकेगा दिवालियेकी जायदादको वसूल करेगा और उस सम्बन्धमें वह निम्न-लिखित कार्यों को कर सकता है:—

(ए) दिवालिये की सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेंच सकता है।

(बी) जो रुपया वह वसूल करे उसकी रसीद दे सकता है तथा वह अदालतकी आज्ञा लेकर नीचे दिये हुए सब कामोंको या उनमेंसे किसी कार्यको कर सकता है।

(सी) दिवालियेके कारोबारको उस हद तक चालू रख सकता है जिस हद तककि दिवालिये के कामको समेटनेके लिये आवश्यक प्रतीत होवे।

(डी) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें मुक़दमा या कोई दूसरी क़ानून कारवाई चालू कर सकता है या उसमें जवाबदेही कर सकता है या उसे चालू रख सकता है।

(ई) अदालत द्वारा इजाज़त दिये हुए काम या कार्रवाई को करनेके लिये किसी वकील या दूसरे एजेन्ट को नियुक्त कर सकता है।

(एफ) किसी जायदादकी कीमतमें भविष्यमें मिलने वाला वह रुपया मंज़ूर कर सकता है जो किसी लिमिटेड कम्पनीके पूरे अदाकिये हुए शेअर्स अथवा डिबेंचरके सम्बन्ध में या डिबेंचर स्टाकके सम्बन्धमें मिलना चाहिये परन्तु उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे ऐसे सौदेको कर सकता है।

(जी) दिवालियेके कर्ज़ोंको चुकानेके लिये अथवा उसके कारोबारको चालू रखनेके लिय दिवालियाकी जायदादको या उसके किसी हिस्सेको रेहन कर सकता है या गिरवीं रख सकता है।

(एच) किसी झगड़ेको पंच फैसलेके लिये सुपुर्द कर सकता है और सब कर्ज़ों, दावों व ज़िम्मेदारियोंको तय शुदा शर्तोंके साथ तय कर सकता है।

(आई) यदि कोई जायदाद अपनी ख़ास स्थितिके कारण जल्दी व फायदेके साथ बेंची न जासकती हो तो उसको उसी शकलमें उसकी कीमतका अन्दाजा लगा कर दिवालियेके कर्जख्वाहोंमें बांट सकता है।

(२) आफिशल एसायनी अदालतको अपना हिसाब समझावेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार अथवा अदालतके आदेशानुसार सब रुपया अदा करेगा तथा सब ज़मानतोंके सम्बन्धमें कारवाई करेगा।

व्याख्या—

आफिशल एसायनी उपदफा (१) के अनुसार दिवालियेकी जायदादको जितनी जल्दी हो सकेगा वसूल करनेके लिये बाध्य है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इस उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि जायदाद वसूल करनेके लिये वह कुछ काम बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए जिस प्रकार चाहे कर सकता है जिनका उल्लेख क्लाज़ (ए) व (बी) में है तथा कुछ काम अदालतकी आज्ञा लेने पर कर सकता है जिनका जिक्र क्लाज़ (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) व (आई) में है जायदादको या उसके किसी हिस्सेको बेंचनेका काम तथा वसूल किये हुए रुपयोंकी रसीद देनेका काम वह बिना अदालतकी आज्ञाके कर सकता है परन्तु क्लाज़ (सी) के अनुसार वह दिवालियेका कारोबार चालू रखनेका काम आज्ञा लेने पर कर सकता है। इसी प्रकार मुक़द्दमोंका व अदालती काम वह आज्ञा लेने पर कर सकता है। क्लाज़ (डी) में सब प्रकारके अदालती कामोंका एक प्रकारसे वर्णन दिया हुआ है अर्थात् यदि कोई कार्रवाई दिवालिया क़रार दिये जाते समय कर रहा हो तो आफिशल एसायनी उसे चालू रख सकता है तथा दायर हुए मामलोंमें जवाबदेही कर सकता है व नये मामलात चालू कर सकता है।

क्लाज़ (सी) व (डी) में बतलाये हुए कामोंको कार्य रूपमें परिणित करनेके लिये वह अदालतकी आज्ञा लेकर क्लाज (ई) के अनुसार वकील या अन्य एजेन्टोंको नियुक्त कर सकता है।

क्लाज़ (एफ) के अनुसार किसी जायदादको उन शेअर्स आदिके एवजमें भी बेंच सकता है जिनका रुपया भविष्यमें मिलने वाला होवे परंतु ऐसा करते समय अदालत द्वारा बतलाई हुई जमानत आदिकी शर्तोंका ध्यान रखना चाहिये।

क्लाज़ (जी) के अनुसार अदालतकी आज्ञा लेने पर दिवालियेकी जायदाद रेहन की जा सकती है तथा वह गिरवीं रखी जा सकती है जिसमें रुपया वसूल होने पर कर्ज़ चुकाये जासकें या कारोबार चालू रखा जासके।

क्लाज़ (एच) के अनुसार पंच फ़ैसला व बाहमी तौरसे तसफ़ीया करनेका अधिकार प्राप्त है लेकिन अदालतकी आज्ञा लेने पर ही ऐसा किया जावेगा।

क्लाज़ (आई) के अनुसार अदालतकी आज्ञा होने पर न बेंची जाने योग्य जायदादको उसकी मौजूदा शकलमें कर्ज़ख्वाहोंमें बांट सकता है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि निर्धारित नियमोंके अनुसार अथवा अदालतके आदेशके अनुसार आफिशल एसायनी अदालतमें हिसाब समझावेगा व रुपये जमा करेगा तथा जमानतोंको वसूल करेगा। अंग्रेजी एक्टमें किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

जायदादका बांटा जाना

दफा ६९ हिस्सा रसदीका ऐलान व उनका बांटा जाना

(१) आफिशल एसायनी जितनी जल्दी सहूलियतके साथ हो सकेगा हिस्सा रसदीका ऐलान करके उसे उन कर्जख्वाहोंमें बांटेगा जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं।

(२) पहिला हिस्सा रसदी (यदि कोई होगा) दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर ऐलान करके बांटा जावेगा यदि आफिशल एसायनीने पर्याप्त कारण दिखला कर अदालतको यकीन दिलाकर समय ऐलानके लिये बढ़वा न लिया हो।

(३) इसके बाद वाले हिस्सा रसदी यदि कोई वजह इसके विरुद्ध न दिखलाई गई हो तो वह छः छः महीनेसे ज्यादाका बीच न डालकर बांटे जावेंगे।

(४) हिस्सा रसदीका ऐलान करनेसे पहिले आफिशल एसायनी इस इच्छाका नोटिस निर्धारित ढंग पर प्रकाशित करेगा और उसका उचित नोटिस दिवालियेकी फेहरिस्तमें दिखलाये हुए उन हर एक कर्जख्वाहोंके पास भेजेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है।

(५) जब कि आफिशल एसायनीने किसी हिस्सा रसदीका ऐलान किया हो तो वह उन कर्जख्वाहोंके पास जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना भेजेगा कि उनको कितना हिस्सा रसदी मिलेगा और कब व किस प्रकार दिया जावेगा और यदि कोई कर्जख्वाह चाहेगा तो उसको निर्धारित रूपमें दिवालियेकी जायदादका ब्योरा भेजा जावेगा।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है तथा उनकी अवहेलना आफिशल एसायनी को नहीं करना चाहिये।

उपदफा (२) में छ: महीनेके बजाय एक सालकी अवधि कर दी गई है यह संशोधन प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्साल्वेंसी एमेण्डमेंट एक्ट सन् १९२९ ई० एक्ट नं० ३ के अनुसार किया गया है जिसको गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति २२ मार्च सन् १९२९ ई० को प्राप्त हुई थी। इस संशोधित एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर पहिला हिस्सा रसदी घोषित किया जावेगा जब तक कि अदालतको कोई पर्याप्त कारण इस अवधिके बढ़ानेके लिये न दिखाया जावे इससे पहिले मूल एक्टके अनुसार पहिला हिस्सा रसदी छ: महीनेके अन्दर बांटा जानेका नियम था। हिस्सा रसदी उन्हीं कर्जख्वाहोंमें बांटा जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो दूसरे कर्जख्वाहों को नहीं चाहे उनका नाम कर्जख्वाहों की फिहरिस्तमें दिखलाया गया हो।

दिवालिया क़रार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् पहिले हिस्सा रसदी का ऐलान छः महीनेके अन्दर किया जाना, आवश्यक है यदि इसके विरुद्ध अदालतकी कोई आज्ञा न ले ली गई हो अर्थात् आफिशल एसायनी पर्याप्त कारण दिखाकर

अदालतसे समय बढ़ा सकता है। इसके बाद वाले हिस्सा रसदी भी छ छ महीनेके अवकाशमें बांटे जाना चाहिये इससे अधिक अवकाश उनके बांटे जानेमें न पड़ना चाहिये जब तक कि इसके विरुद्ध कोई आज्ञा अदालत द्वारा न दी गई हो।

उपदफा (४) में आफिशल एसायनीके लिये यह काम आवश्यक है कि वह हिस्सा रसदीके ऐलानकी सूचना निर्धारित तरह प्रकाशन कर देवे तथा ऐसे कर्जख्वाहों को भी उचित रूपसे सूचना दे देवे जिनका नाम कर्जख्वाहोंकी फिह्रिस्तमें आया हो परन्तु जिन्होंने अपना कर्ज साबित न किया हो।

उपदफा (५) के अनुसार आफिशल एसायनी का यह कर्तव्य होगा कि वह हिस्सा रसदी का ऐलान करने पर उन कर्जख्वाहों को जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना देवे कि उनको कितना हिस्सा रसदी मिलेगा तथा वह कब व किस प्रकार दिया जावेगा इसी उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई कर्जख्वाह चाहे तो वह आफिशल एसायनीसे दिवालियेके जायदादकी तफसील मांग सकता है और उसके मांगने पर निर्धारित रूपमें वह तफसील उसको मिल जावेगी।

दफा ७० संयुक्त तथा अलगकी जायदाद

यदि किसी फर्म का एक शरीकदार दिवालिया करार दिया जावे तो वह कर्जख्वाह जिसका कर्ज दिवालियेको फर्मके सब शरीकदारों अथवा उनमेंसे किसी शरीकदारके साथ चुकाना हो, उस वक्त तक दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे अपना कर्ज वसूल करनेका हक़दार नहीं होगा जबतक कि दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे उसके जुदागाना कर्ज पूर्णरूपसे न चुकाये गये हों।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार हर व्यक्तिके जुदागाना कर्जे पहिले उसकी जुदागाना जायदादसे चुकाये जावेंगे तब उसकी जायदाद बेचने पर उसके संयुक्त कर्जे चुकाये जा सकेंगे। इस प्रकार फर्मका कर्जख्वाह उस वक्त तक फर्मके एक शरीकदार का जुदागाना जायदादसे फर्मका कर्ज वसूल नहीं कर सकता जब तक कि उसके जुदागाना कर्जे पूर्ण रूपसे न चुकाये जा चुकेंगे। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग पाया जाता है जिससे यह प्रकट है कि इसके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है।

दफा ७१ हिस्सा रसदीका अन्दाज़ा लगाया जाना

(१) हिस्सा रसदी लगाने व उनको बांटनेसे पहिले आफिशल एसायनी निम्नलिखित कामोंके लिये पर्याप्त धन अपने हाथमें रोक लेवेगाः—

(ए) उन कर्जोंके लिये जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनके लिये दिवालियेके बयानों अथवा अन्य प्रकारसे यह साबित होवे कि वह ऐसे लोगोंके हैं जो इतनी दूरकी जगह पर रहते हैं कि मामूली तौर पर खबर भेजे जाने पर उनको पर्याप्त अवसर अपना कर्ज साबित करनेके लिये न मिल सका हो।

(बी) वह कर्जे जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनके दावेका मसला तय नहीं हुआ है।

(सी) वह सुबूत व दावे जिनका विरोध किया गया हो।

(डी) जायदादके प्रबन्ध तथा दूसरे मामलोंके खर्चके लिये जो आवश्यक खर्च होवे।

(२) उपदफा (१) के नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रुपया जो हाथमें होगा बतौर हिस्सा रसदीके बांटा जावेगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि हिस्सा रसदी बांटनेसे पहिले आफिशल एसायनी क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में बतलाये हुए कार्योंके लिये रुपया रोक कर हिस्सा रसदी बांटेगा। अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि आफिशल एसायनीको उक्त क्लाजोंमें बतलाये हुए कामोंके लिये पर्याप्त धन रोक लेना आवश्यक है।

क्लाज़ (ए) के अनुसार यदि किसी कर्जख्वाहको अपना कर्ज साबित करनेके लिये पूर्ण अवकाश न मिला हो तो ऐसे कर्जख्वाहके कर्जके अन्दाजेसे रुपया रोक लेना चाहिये।

क्लाज़ (बी) व (सी) के अनुसार झगड़ेके कर्जोंके सम्बन्धमें भी रोक लेना चाहिये। जायदादका इन्तजाम करनेमें जो खर्च आवश्यक पड़े उसके लिये भी रुपया रोका जासकता है।

उपदफा (२) के अनुसार ऊपर बतलाये हुए कामोंके लिये रुपया रोक लेनेके पश्चात् बाकी जो रुपया बचे वह सबका सब हिस्सा रसदीके तौर पर कर्जख्वाहोंमें बांट दिया जाना आवश्यक है अर्थात् उसमेंसे और कुछ नहीं रोका जासकता है।

दफा ७२ उस कर्ज़ख्वाहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले, अपना कर्ज़ साबित न किया हो

यदि किसी कर्जख्वाहने किसी हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले अपना कर्ज साबित न किया हो तो वह उस बाकी बचे हुए रुपयेसे हिस्सा पावे था जो उस समय आफिशल एसायनीके हाथ में होवे तथा जिससे भविष्यमें हिस्सा रसदी बांटा जानेको होवे तथा जो पहिले उसको नहीं मिल सकता था परन्तु उसका कर्ज़ साबित किये जानेसे पहिले जो रुपया बांटा जा चुका हो उसमें किसी तरहकी गड़बड़ी उसके कारण नहीं पड़ सकेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार उन कर्जख्वाहों को भी हिस्सा रसदी मिल सकता है जो बादमें अपना कर्ज साबित करें परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ऐसे कर्जख्वाह का कर्ज साबित होनेसे पहिले जो हिस्सा रसदी बांटा जाचुका हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जासकता है किन्तु उसका कर्ज साबित होनेके बाद जो रुपया बांटा जावेगा उसमें उसको हिस्सा रसदी मिलसकेगा। इस दफा का तात्पर्य यह समझना चाहिये कि यदि कोई रुपया बांटा जानेसे पहिले किसी कर्जख्वाहने अपना कर्ज साबित कर दिया हो तो वह उस रुपयेमें हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा। इस दफाकी पाबन्दी भी आवश्यक है।

दफा ७३ अन्तिम हिस्सा रसदी

(१) जब कि आफिशल एसायनीने दिवालियेकी सब जायदाद वसूल करली हो या उसका उतना हिस्सा वसूल कर लिया हो जितना उसकी रायमें, बिला फिजूलकी देर कार्रवाईमें किये हुए, वसूल किया जा सकता है तो वह अदालतकी आज्ञा लेने पर अन्तिम हिस्सा रसदीका ऐलान करेगा परन्तु ऐसा करनेसे पहिले वह निर्धारित ढंग पर उन लोगोंको नोटिस देगा जिनके कर्ज़ख्वाह होनेकी सूचना उनको दी जाचुकी है लेकिन उन्होंने अपना कर्ज़ साबित नहीं किया है कि

यदि वह अदालतके सन्मुख संतोष जनक रूपमें अपना क़र्ज़ नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर साबित न कर देंगे तो उनके दावेका बिला लिहाज़ किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

(२) इस प्रकारकी दी हुई मियादके समाप्त होने पर अथवा यदि किसी दावेदारकी दरख्वास्त पर उसको अवकाश दे दिया गया हो तो उस अवकाशके समाप्त होने पर दिवालियेकी जायदाद उन कर्ज़ख्वाहोंके दरमियान बांट दी जावेगी जिन्होंने अपना क़र्ज़ साबित कर दिया हो और अन्य लोगोंके दावोंका उस समय कोई भी ख्याल न रक्खा जावेगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जानेसे पहिले उन कर्ज़ख्वाहों को जिन्होंने अपना कर्ज़ साबित नहीं किया हो एक मौका फिरसे अपना कर्ज़ साबित करनेके लिये दिया जावेगा और यदि उससे भी वह लोग लाभ न उठाना चाहें अर्थात् नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर कर्ज़ साबित न करें तो वह किसी हिस्सा रसदीके पानेके हकदार नहीं होंगे। अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

उपदफा (१) से यह भी प्रकट है कि नोटिसमें दी हुई मियादके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मोहलत लिया चाहे तो उसे अदालत मोहलत दे सकती है परन्तु मियाद या मोहलतके अन्दर यदि कोई कर्ज़ा साबित न किया जावे तो बिला उसका लिहाज़ किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी उन कर्ज़ख्वाहोंके दरमियान बांट दिया जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज़ साबित कर दिया हो। इस दफाके अनुसार दिये हुए नोटिसमें यह लिखना देना चाहिये कि इस मियादके अन्दर तुमको कर्ज़ा साबित कर देना चाहिये वरना बिला लिहाज़ तुम्हारे कर्ज़के अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

उपदफा (२) में यह साफ़ कर दिया गया है कि मियादके या बढ़ाये हुए समयके अन्दर कर्ज़ा साबित न किया जाने पर अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

दफा ७४ हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता

आफिशल एसायनीके विरुद्ध हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं किया जावेगा परन्तु यदि आफिशल एसायनी किसी हिस्सा रसदीके चुकानेसे इनकार कर देवे तो उस कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर जिसे इस इनकारीसे हानि पहुंचती हो अदालत आफिशल एसायनीको उसके अदा करनेके लिये हुक्म दे सकती है और उससे रोके हुए समयके लिये निर्धारित की हुई दरसे सूद तथा दरख्वास्तके सम्बन्धमें किया हुआ खर्च दिलवाया जावेगा।

व्याख्या—

आफिशल एसायनीके विरुद्ध हिस्सा रसदीके लिये कोई जुदागाना दावा नहीं किया जासकता है किन्तु अदालतमें दरख्वास्त इस बातकी दी जासकती है कि उसने हिस्सा रसदी नहीं दिया है ऐसी दरख्वास्तके आने पर अदालत आफिशल एसायनीसे वह रुपया दिलवा सकती है तथा रोके हुए समयका सूद व दरख्वास्तका खर्च भी दिलवा सकती है। अदालत इस प्रकार का हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है किसी प्रकारका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है।

दफा ७५ दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तज़ाम कराया जाना तथा उसे उसके एवज़में श्रम फल मिलना

(१) निर्धारितकी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी स्वयं दिवालियेको उसकी जायदाद या उसके किसी हिस्सेका प्रबन्ध करनेके लिये नियुक्त कर सकता है या उसके द्वारा उसका व्यापार क़र्ज़ख्वाहानके लाभार्थ करा सकता है या उससे उसकी जायदाद के प्रबन्धमें और तरहसे सहायता अपनी बतलाई हुई शर्तोंके अनुसार ले सकता है।

(२) ऊपर लिखी हुई बातोंका ध्यान रखते हुए अदालत समय समय पर उस जायदादसे जैसा उसे मुनासिब समझ पड़े दिवालियेको गुज़ारा उसके तथा उसके परिवारकी परवरिशके लिये या उसके कामके मुआविजेके तौर पर दिला सकती है यदि उससे उसकी जायदादके समेटनेमें सहायता ली जावे परन्तु इस क़िस्मका गुज़ारा किसी समय भी बढ़ाया घटाया या बन्द किया जासकता है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालियेसे स्वयं आवश्यकता पड़ने पर उसकी जायदाद या रोजगारके प्रबन्धमें सहायता ली जाती है अदालत उसको इस कामके एवज़में बतौर गुज़ारा उसकी जायदादसे कुछ रुपया दिला सकती है परन्तु इसका दिलाना न दिलाना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा वह जब चाहे उसे बन्द कर सकती है अथवा घटा बढ़ा सकता है दिवालियेसे जो काम लिया जावेगा वह उसके क़र्ज़ख्वाहानके लाभार्थ लिया जावेगा वह स्वयं केवल अदालत द्वारा दिलवाए हुए गुज़ारे हीके पाने का हक़दार होगा। आफिशल एसायनी की इच्छा पर दिवालियेसे काम लेना न लेना निर्भर है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रगट है।

दफा ७६ बचे हुए हिस्सेके पानेका हक़दार दिवालिया है

यदि क़र्ज़ख्वाहोंका सब रुपया मय सूदके जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है चुका दिया जावे तथा इसके अनुसारकी हुई कार्रवाइयोंका खर्च चुका दिया जावे तो दिवालिया बचा हुआ रुपया पानेका हक़दार होगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि सब क़र्ज़ख्वाहोंका रुपया मय सूदके अदा हो चुके तथा दिवालियेके सम्बन्धमें की हुई कार्रवाइयोंका खर्च भी चुकाया जाचुके और इसके बाद भी दिवालियेकी जायदादमें कुछ बचे तो वह बचा हुआ हिस्सा दिवालियेको मिलेगा अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रगट है कि इस दफाके नियमकी पाबन्दी आवश्यक है तथा उसकी अवहेलना नहीं की जावेगी।

चौथा प्रकरण

आफिशल एसायनी

दफा ७७ दिवालियेकी जायदादके लिये आफिशल एसायनीकी नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना

(१) फोर्ट विलियम (कलकत्ता), बम्बई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिस तथा लोअर बर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजको अधिकार है कि वह अपनी अपनी अदालतोंके लिये मुस्तकिल तौरसे अथवा क़ायम मुकाम तौरसे दिवालियेकी जायदादके लिये उपयुक्त व्यक्तिको आफिशल एसायनी नियुक्त कर देवे और यदि कोई पर्याप्त कारण मालूम हो तो और जजोंके बहुमतके साथ किसी व्यक्तिको जो उस जगह काम करता हो अलहदा कर देवे।

(२) प्रत्येक आफिशल एसायनी निर्धारितकी हुई ज़मानत देवेगा तथा उसको उन नियमों की पाबन्दी करना पड़ेगी व वह काम करना पड़ेंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों।

(३) यदि इन्डियन इन्सालवेंसी एक्ट १८४८ के अनुसार कलकत्ता बम्बई और मद्रासमें कोई व्यक्ति कर्जदारोंके छुटकारे के लिये मुस्तकिल तौरसे या क़ायम मुक़ाम तौर पर आफिशल एसायनीकी जगह पर काम करता हो या लोअर बर्माके चीफ़ कोर्टमें सन् १९०० ई० के लोअर बर्मा कोर्टस एक्टके अनुसार उक्त प्रकारसे काम करता हो तो वह व्यक्ति बिला दुबारा नियुक्तिके मुस्तकिल या क़ायम मुकाम आफिशल एसायनी जैसा कि मामला हो इस एक्टके अनुसार कलकत्ता बम्बई व मद्रास हाई कोर्टों तथा लोअर बर्माके चीफ कोर्टके लिये हो जावेगा और उस वक्त उपदफा (१) से कोई रुकावट न पड़ेगी।

व्याख्या—

कलकत्ता, बम्बई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिसको तथा लोअर बर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजको इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्तिके सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये यह लोग बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना उनकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टका उपदफा (१) में प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस उपदफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्ति मुस्तकिल तौरसे की जासकती है अथवा वह क़ायम मुकाम तौर पर ही नियुक्त किया जासकता है इस उपदफाके अनुसार नियुक्त किया हुआ आफिशल एसायनी अलहदा भी किया जासकता है परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात क़ाबिल ध्यानमें रखने की है कि चीफ जस्टिस या चीफ जज अकेला ही उसे अपने आप अलहदा नहीं करेगा किन्तु वह अपनी अदालतोंके और जजों का मत लेवेगा और उनके बहुमतसे सहमत होकर आफिशल एसायनी को अलहदा कर सकता है किसी पर्याप्त कारणके उपस्थित होने पर ही नियुक्त किये हुए आफिशल एसायनीका हटाया जाना चाहिये।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि यदि उससे ज़मानत मांगी जावे तो वह मांगी हुई ज़मानत दाखिल करे इसी प्रकार उसे निर्धारित किये हुए नियमोंकी पाबन्दी करना पड़ेगी तथा निर्धारित

किये हुए काम करना पड़ेंगे। इस दफ़ाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

उपदफा (३) के अनुसार पेश्तरसे कानूनन नियुक्त किया हुआ आफ़िशल एसायनी अपनी जगह पर बदस्तूर काम करता रहेगा अर्थात् उसके दुबारा नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफ़ाके नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

दफा ७८ हलफ़ देनेके अधिकार

आफिशल एसायनीको अधिकार है कि वह हलफ़नामोंके लिये व ख़ुद्दुस पिटीशन तथा इस एक्टकी अन्य कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें तस्दीक इबारतके लिये हलफ़ दे सकता है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार आफ़िशल एसायनी को हलफ देनेके अधिकार प्राप्त हैं। अंग्रेजी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है तथा हलफ अदालत व अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी दी जासकती है।

दफा ७९ दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्त्तव्य

(१) आफ़िशल एसायनीके कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तथा उसकी जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें होंगे।

(२) आफ़िशल एसायनीके कर्त्तव्य विशेष कर निम्न लिखित होंगे:—

(ए) यह कि दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तहक़ीक़ात करे और बहाल किये जानेकी दरख्वास्त आनेपर रिपोर्ट दाख़िल करे जिससे मालूम होसके कि आया दिवालियेने इस एक्टके अनुसार अथवा ताज़ीरात हिन्दकी दफ़ा ४२१ से लगाकर ४२४ तकका कोई जुर्म तो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं किया है या कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि जिसकी वजहसे अदालत बहाल किये जानेका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे, रोक देवे, या उसके साथ कोई शर्त लगा देवे।

(बी) दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें उन बातोंकी रिपोर्ट दाखिल करे जो अदालत मांगे या जो निर्धारितकी गई हों।

(सी) धोखा देने वाले दिवालियेके चालानके सम्बन्धमें भाग लेवे तथा वह काम करे जिसके करनेके लिये अदालत हुक्म देवे या जो निर्धारित किये गये हों।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार आफ़िशल एसायनी का कर्तव्य केवल दिवालिये की जायदादके प्रति नहीं है किन्तु उसका कर्तव्य दिवालियेके व्यवहार पर भी ध्यान रखने का है तथा दोनोंके लिये कार्रवाई करने का है। अंग्रेजी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफ़ाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

उपदफा (२) में आफिशल एसायनी द्वारा जो काम विशेष रूपसे किये जाना चाहिये उनका वर्णन क्लाज (ए), (बी) व (सी) में किया गया है।

क्लाज (ए) के अनुसार आफिशल एसायनी को चाहिये कि वह दिवालियेके व्यवहारका तहकीकात करे और जब उसके बहाल किये जानेकी दरख्वास्त आवे तब वह उसके व्यवहारके बारेमें अपनी रिपोर्ट अदालतमें दाखिल करे जिससे ज़ाहिर हो कि उसने कोई जुर्म तो नहीं किया है या कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण वह बहाल न किया जावे या उसका बहाल किया जाना मुल्तवी कर दिया जाय अथवा कोई शर्तें बहालीके हुक्मके साथ लगा दी जावें।

क्लाज़ (बी) के अनुसार यदि अदालत चाहे तो आफिशल एसायनीसे दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें और बातोंके बारेमें रिपोर्ट मांग सकती है।

क्लाज़ (सी) में बतलाया गया है कि यदि दिवालिया धोखादेहीसे काम करने का दोषी हो और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाय तो आफिशल एसायनी को उसमें भाग लेना चाहिये तथा अदालत जिस प्रकारकी सहायता इस सम्बन्धमें उससे चाहे ले सकती है।

दफा ८० क़र्ज़ख्वाहोंकी फिहरिस्त दाख़िल करनेका कर्त्तव्य

यदि कोई क़र्ज़ख्वाह चाहे तथा वह निर्धारितकी हुई फीस दाख़िल करे तो आफिशल एसायनी उस क़र्ज़ख्वाहको क़र्ज़ख्वाहोंकी फिहरिस्त देगा तथा उसे बज़रिये डाक रवाना करेगा और उस फिहरिस्तमें वह क़र्ज़ भी दिखलाये जावेंगे जो प्रत्येक क़र्ज़ख्वाहको मिलना चाहिये।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें भी इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह साबित है कि आफिशल एसायनी को किसी क़र्ज़ख्वाहकी दरख्वास्त आने पर तथा उचित फीस दाख़िल कर देने पर क़र्ज़ख्वाहोंकी फिहरिस्त अवश्य देना चाहिये तथा इस दफाके नियमकी अवहेलना न की जाना चाहिये। फिहरिस्तमें क़र्ज़ख्वाहोंके क़र्ज़की भी तफ़सील दी जाना चाहिये।

दफा ८१ श्रमफल (मेहनतकी फीस)

(१) आफिशल एसायनी उस श्रमफल (Remuneration) को पावेगा जो उसके लिये निश्चित किया गया हो।

(२) आफिशल एसायनी उपदफा (१) में दिखलाये हुए श्रमफलके अतिरिक्त और कोई श्रमफल इस रूपमें नहीं पावेगा।

व्याख्या—

इस दफाके नियमोंकी भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। आफिशल एसायनीको जो श्रमफल मिलेगा उसके लिये प्रत्येक अदालत अपनी अपनी अधिकार सीमाके लिये दफा ११० के अनुसार नियम बनावेंगी। आफिशल एसायनीके श्रमफलके लिये नियम दफा ११२ की उपदफा (२) के क्लाज (डी) के अनुसार बनाये जावेंगे।

दफा ८२ आफिशल एसायनीकी बेऐहतियाती

यदि आफिशल एसायनीने हिसाबमें या दूसरे प्रकारसे उसकी बेऐहतियाती लापरवाही या

किसी काम का न करना मालूम हो तो अदालत उसके समझानेके वारेमें कहेगी और यदि उसकी वेउनवानी लापरवाही या काम न करने की वजहसे दिवालिये की जायदाद को कोई नुक़सान पहुँचा हो तो उससे उस नुक़सान को पूरा करा सकती है।

व्याख्या—

अदालतका कर्तव्य है कि वह आफिशल एसायनीसे उसकी गलतीके बारेमें पूछे जैसा कि इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है तथा अदालत यदि चाहे तो आफिशल एसायनीसे उसके द्वारा किये हुए नुकसान की पूर्ति करा सकती है अर्थात् दफ़ाके इस हिस्सके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसके अनुसार करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है।

दफा ८३ किस नामसे दावा दायर किये जाना चाहिये या दावा उसपर होना चाहिये

'दिवालिये की जायदाद का आफिशल एसायनी' (The Official Assignee of the property of an insolvent.) इस नामसे आफिशल एसायनी को दावा दायर करना चाहिये तथा इसी नामसे उसके विरुद्ध दावे किये जाना चाहिये और उसमें दिवालियेका नाम दिखला देना चाहिये। और इसी नामसे हर प्रकार की जायदाद पर क़ब्ज़ा रखा जा सकता है, मुवाहिदे किये जा सकते हैं, अपने ऊपर तथा अपने उत्तराधिकारियोंके ऊपर ज़िम्मेदारी लेने वाले वादे किये जा सकते हैं तथा अपने ओहदेके कामों को पूरा करनेके लिये जिन कामोंका किया जाना आवश्यक तथा अनिवार्य प्रतीत हो उनको किया जा सकता है।

व्याख्या—

आफिशल एसायनी अपने नामसे कोई कार्रवाई नहीं करेगा किन्तु वह 'दिवालियेकी जायदादका आफिशल एसायनी' इस नाममें मुक़द्दमे दायर कर सकेगा तथा इसी नामसे उसके विरुद्ध भी दावे किये जाना चाहिये जिस दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कार्रवाई हो रही हो उसका नाम दे देना चाहिये। आफिशल एसायनी इसी नामसे जायदाद पर क़ब्ज़ा रख सकता है तथा इसी नामसे मुवाहिदे या अन्य कार्य जो आवश्यक प्रतीत हों कर सकता है और इसी नामसे किये हुए कार्योंसे वह स्वयं तथा उसके उत्तराधिकारी जो उसके ओहदे पर काम करें भविष्यमें पाबन्द किये जा सकते हैं। अंग्रेजी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि ऊपर बतलाये हुए नामसे कार्रवाई करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है किन्तु कार्रवाई और भी नामसे की जा सकती है अर्थात् ऐसे नामसे भी जा सकती है जिससे इसी प्रकारका अर्थ निकलता हो तथा जिससे भासित हो जावे कि कार्रवाई किसी दिवालियेके आफिशल एसायनी की ओरसे बतौर आफिशल एसायनीके की जा रही है या उसके विरुद्ध की जा रही है।

दफा ८४ दिवालिया होने पर आफिशल एसायनी अपनी जगहसे हट जावेगा

यदि आफिशल एसायनीके विरुद्ध दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म हो जावे तो ऐसे हुक्मके होनेसे वह आफिशल एसायनीके पदसे हट जावेगा।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार दिवालिया आफिशल एसायनी नहीं रह सकता है अंग्रेजी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफ़ाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जावेगी किन्तु आफिशल एसायनीके खुद दिवालिया क़रार दिये जातेही वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा।

दफा ८५ मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा अदालत द्वारा दी हुई आज्ञाओं को मानते हुए आफिशल एसायनी दिवालिये की जायदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जख्वाहोंमें बांटे जानेके सम्बन्धमें कर्ज़ख्वाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए प्रस्ताव पर ध्यान रखेगा।

(२) आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह समय समय पर कर्जख्वाहों की मंशा जाननेके लिये उनकी मीटिंग करे तथा उसका कर्तव्य होगा कि वह कर्जख्वाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए समय पर या अदालत की आज्ञा दिये हुए समय पर या कर्जा साबित किये हुए कर्ज़ख्वाहोंके चौथाई कर्ज़ा वाले कर्जख्वाहोंके लिख कर कहने पर मीटिंग अवश्य करे।

(३) दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें पैदा हुए किसी मामलेके लिये आफिशल एसायनी अदालतसे सलाह मांग सकता है।

(४) इस एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी जायदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जख्वाहोंमें तक़सीम किये जानेके सम्बन्धमें अपनी रायका प्रयोग करेगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि यदि कर्जख्वाहोंकी मीटिंगमें कोई प्रस्ताव दिवालियेकी जायदादके प्रबन्ध अथवा उसके बांटे जानेके सम्बन्धमें पास किया गया हो और प्रस्ताव इस एक्टके किसी नियमके विरुद्ध अथवा अदालतकी आज्ञाके विरुद्ध न पड़ता हो तो आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रस्तावको कार्य रूपमें परिणित करनेकी कोशिश करे तथा उसे ऐसे प्रस्तावकी अवहेलना नहीं करना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

उपदफा (२) में आफिशल एसायनीके लिये बतलाया गया है कि वह समय २ पर कर्जख्वाहोंकी मीटिंग किया करे परन्तु ऐसा करनेके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है परन्तु यदि कर्जख्वाहोंने अपनी किसी मीटिंगमें किसी कार्यके निर्णयके लिये मीटिंग करना पास किया हो अथवा अदालत मीटिंग करनेके लिये कहे अथवा साबित किये हुए कर्जे वाले कर्जख्वाहोंमें से चौथाई कर्जे वाले कर्जख्वाह लिख कर देवें तो आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह मीटिंग अवश्य करे जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

उपदफा (३) में बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी यदि चाहे तो वह अदालतसे दिवालियेके किसी मामलेके सम्बन्धमें राय ले सकता है इसके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है।

उपदफा (४) के अनुसार आफिशल एसायनी को पूर्ण स्वतन्त्रता जायदादके प्रबन्ध करने तथा उसके बांटनेमें प्राप्त है केवल उसको इस एक्टमें बतलाये हुए किसी नियमकी अवहेलना ऐसा करनेमें नहीं करना चाहिये।

दफा ८६ अदालतमें अपील

यदि आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेसे किसी कर्जख्वाह, दिवालिया या अन्य किसी व्यक्तिको हानि पहुंचती हो तो वह अदालतमें अपील कर सकता है। और अदालत शिकायत किये हुए काम या फैसले को मंजूर कर सकती है, पलट सकती है अथवा संशोधित कर सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीके किसी कार्य या फैसलेके विरुद्ध अपील अदालतमें की जासकती है अदालत को अधिकार है कि वह अपील होने पर आफिशल एसायनीके कार्य या फैसलेको जैसे का तैसा बना रहने दे अथवा उसे रद्द कर देवे या उसमें उचित संशोधन कर देवे। यदि अपीलमें जज लोग एक दूसरे की रायसे सहमत न हों तो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें लेटर्स पेटेण्ट अपील (Letters patent appeal) दाखिलकी जासकती है, देखो—34 Mad. 121.

दफा ८७ अदालतका दबाव

(१) यदि कोई आफिशल एसायनी वफादारीके साथ अपने कर्तव्य का पालन न करे और वह कानून, रूल या अन्य प्रकारसे अपने लिये बतलाये हुए नियमोंका जो उनके कर्तव्यके पालनके लिये बनाये गये हों ध्यान न रखे या उसके बारेमें किसी कर्जख्वाह द्वारा शिकायत कीगई हो तो अदालत उस मामलेमें तहकीकात करेगी तथा उसके लिये आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(२) यदि अदालत आफिशल एसायनीसे किसी समय उस दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें कुछ दरयाफ्त किया चाहे जिसमें वह आफिशल एसायनी होवे तो वह पूछ सकती है तथा दिवालियकी कार्रवाईके सम्बन्धमें उसके अथवा अन्य किसी व्यक्तिके हलफन बयान ले सकती है।

(३) अदालत आफिशल एसायनी की किताबों व पर्चों (Vouchers) की जांचके लिये हुक्म दे सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालतका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आफिशल एसायनीके मामलोंकी तहकीकात करे जो अपना कर्तव्य पालन न करता हो या जो किसी कानूनकी अवहेलना करता हो जिसकी पाबन्दी उसके लिये आवश्यक होवे। केवल तहकीकात ही की आवश्यकता नहीं है किन्तु यथोचित कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जाना चाहिये। कर्जख्वाहकी शिकायत पर भी ऊपर बतलाई हुई कार्रवाई आफिशल एसायनीके विरुद्ध की जावेगी।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत आफिशल एसायनीसे दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें कोई भी बात दरयाफ्त कर सकती है तथा उसका या अन्य किसी व्यक्ति का बयान हलफसे ले सकता है।

उपदफा (३) के अनुसार आफिशल एसायनीकी किताबों व पर्चोंके सम्बन्धमें भी जांच कराई जासकती है। अदालतकी इच्छा पर ऐसा करना न करना निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है।

पांचवां प्रकरण

जांच कमेटी

दफा ८८ जांच कमेटी

अदालतको अधिकार है कि मुनासिब समझने पर वह उन क़र्ज़ख्वाहों को जो अपने क़र्ज़ साबित कर चुके हैं इस बातका अधिकार दे देवे कि वह क़र्ज़ख्वाहोंमें से या उनके प्रोक्सी (Proxies) अथवा उनके मुख्तारआममें से एक जांच कमेटी आफिशल एसायनी द्वारा दिवालियेकी जायदादके प्रबन्ध का नीरीक्षण करनेके लिये नियुक्त कर सके। परन्तु शर्त यह है कि जो कर्ज़ख्वाह जांच कमेटी का मेम्बर बनाया गया हो वह उस वक्त तक उसमें कार्य करने योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपना क़र्ज़ साबित न कर देवे।

व्याख्या—

अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु इसके अनुसार हुक्म देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है इस दफाके अनुसार अन्य कमेटी बनानेके अधिकार केवल उन्हीं कर्ज़ख्वाहोंको प्राप्त हो सकते हैं जो अपना कर्ज़ साबित कर चुके हों परन्तु कमेटीके मेम्बर कोई भी कर्ज़ख्वाह बनाये जासकेंगे चाहे उन्होंने मेम्बर बनाये जाते समय तक अपना कर्ज़ साबित किया हो या न किया हो कर्ज़ख्वाहोंके अतिरिक्त उनकी ओरसे वोट देनेका अधिकार पाये हुए व्यक्ति तथा उनके मुख्तार आम भी कमेटीके मेम्बर बनाये जासकते हैं यह बात ध्यानमें रहना चाहिये कि कर्ज़ा न साबित किया हुआ कर्ज़ख्वाह कमेटीका मेम्बर तो बनाया जासकेगा परन्तु कमेटीमें काम करनेका अधिकारी उसी समय होगा जब कि वह अपना कर्ज़ साबित कर देवे। इस उप नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसाकि अंग्रेज़ी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

दफा ८९ जांच कमेटीके आफिशल एसायनीकी जांचके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनी की कार्रवाइयों पर जाच कमेटी को नियन्त्रणके वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस सम्बन्धमें निर्धारित किये जावें।

व्याख्या—

जाच कमेटी निर्धारित किये हुए जांचके नियमोंकी पाबन्द होगी अर्थात् उनके विपरीत नहीं कर सकेगी जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें दिये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य है।

दफा ९२ एकके स्थानमें दूसरे कर्ज़ख्वाह द्वारा कार्रवाईका किया जाना

यदि दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति उचित मेहनतके साथ दरख्वास्तकी पैरवी न करता हो तो अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्ज़ख्वाहको उसकी जगह पर दरख्वास्त देने वाला मानले परन्तु इस दूसरे क़र्ज़ख्वाहके कर्ज़की तादाद वही होना चाहिये जो दरख्वास्त देने वाले कर्ज़ख्वाहके लिये इस एक्टमें बतलाई गई है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार अदालत किसी मामलेकी पैरवीमें न्यूनता देखकर उसकी उचित पैरवीके लिये असली दरख्वास्त देने वाले व्यक्तिके स्थान पर दूसरे क़र्ज़ख्वाहको मान सकती है परन्तु ऐसा करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करते समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दूसरा शामिल किया जाने वाला कर्ज़ख्वाह भी कर्ज़दारसे कमसे कम ५००) रुपयेका कर्ज़ पानेका हक़दार होवे।

दफा ९३ कर्ज़दारके मरजाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना

यदि कोई कर्ज़दार जिसके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त दी गई होवे अथवा जिसने दरख्वास्त दी होवे मर जावे तो उसके मामलकी कार्रवाई जारी रक्खी जावेगी जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार कर्ज़दारके मर जाने पर भी दिवालियेकी कार्रवाई चालू रक्खी जावेगी व इस नियमकी अवहेलना नहीं की जासकती है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे भासित है। परन्तु अदालतको अधिकार है कि इस नियमके विरुद्ध भी वह आज्ञा दे सकती है यदि कोई आज्ञा उक्त नियमके विरुद्ध न दी गई हो तो इस नियम की पाबन्दी अवश्य की जावेगी।

दफा ९४ कार्रवाईको रोकनेके अधिकार

अदालत किसी समय भी उचित कारणके उपस्थित होने पर दिवालियेकी दरख्वास्तके सम्बन्धमें होने वाली किसी कार्रवाईके स्थाई रूपमें या कुछ समयके लिये किन्हीं शर्तोंके साथ वह स्थगित कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार कार्रवाई करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफ़ाके अनुसार अदालत दिवालियेकी कार्रवाईको किसी नियत समयके लिये अथवा सदैवके लिये रोक सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे। जैसा कि दिवालियेके मरने पर या दिवालियेके विरुद्ध किसी दूसरी अदालतमें कार्रवाई होने पर अथवा अन्य किसी ऐसे ही अवसरके उपस्थित होने पर अदालत मुल्तवी का हुक्म दे सकती है।

दफा ९५ किसी शरीकदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्तका दियाजाना

यदि किसी कर्ज़ख्वाहका कर्ज़ किसी फ़र्मके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त देनेके लिये काफ़ी होवे तो उस कर्ज़ख्वाहको अधिकार है कि वह उस फ़र्मके किसी एक या अधिक हिस्से-

दारोंके विरुद्ध दरख्वास्त उस क़र्ज़के आधार पर दे सके अर्थात् बिला सब क़र्ज़ख्वाहोंको उस दरख्वास्तमें शामिल किये हुए वह दरख्वास्त दे सकता है।

व्याख्या—

यदि किसी हिन्दू मेम्बरकी नाबालिग़ीमें खानदानी कारोबारके लिये कोई क़र्ज़ लिया गया हो तो बालिग़ होने पर वह व्यक्ति ऐसे क़र्ज़के आधार पर दिवालिया क़रार नहीं दिया जासकता है देखो—41 Mad 824. इस दफ़ाके अनुसार संयुक्त क़र्ज़ोंके लिये संयुक्त क़र्ज़के जिम्मेदार व्यक्तियोंके लिये एक साथ या अलहदा अलहदा दरख्वास्त दिवालिया दी जासकती है व अलहदा दरख्वास्त दिये जाने पर वह व्यक्ति पूरे संयुक्त क़र्ज़के लिये क़र्ज़दार समझा जावेगा अर्थात् हिस्सा रसदीके हिसाबसे उस पर उस क़र्ज़की जिम्मेदारी नहीं समझी जावेगी।

दफा ९६ कुछ रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दरख्वास्तका ख़ारिज किया जाना

यदि किसी दिवालियेकी दरख्वास्तमें एकसे अधिक रिस्पाण्डेन्ट्स होवें तो अदालत उनमेंसे किसी एक या अधिक रिस्पाण्डेंटके विरुद्ध दरख्वास्तको ख़ारिज कर सकती है और इस प्रकार ख़ारिज किये जानेका कोई प्रभाव बाक़ी बचे हुए रिस्पाण्डेंट या रिस्पाण्डेन्ट्सके विरुद्ध दिये हुए पिटीशन पर नहीं पड़ेगा।

व्याख्या—

इस दफ़ाके नियमोंका प्रयोग अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसे कि अँग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफ़ाका प्रयोग उसी समय हो सकेगा जब एकसे अधिक व्यक्तियोंके विरुद्ध कोई दरख्वास्त दी जावे। यदि ऐसी दरख्वास्त पर अदालत किसी एक या एकसे अधिक व्यक्तियोंका बरी कर देवे तो बाक़ी बचे हुए व्यक्तियों पर इस बरी किये जानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके विरुद्ध वह दरख्वास्त बदस्तूर बनी रहेगी।

दफा ९७ शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटीशनोंका दिया जाना

जब कि फ़र्मके किसी शरीकदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म हो जावे तो उसी फ़र्मके किसी दूसरे *शरीकदार या शरीकदारोंके* विरुद्ध या उनके द्वारा दी हुई दिवालियेकी दरख्वास्त उसी अदालतमें दी जावेगी या उसी अदालतमें भेज दी जावेगी जहां कि पहिले बतलाई हुई दरख्वास्तकी सुनवाई हो रही हो। और वह अदालत उन दरख्वास्तोंको शामिल कर दिये जानेके लिये वह हुक्म देसकती है जो उसे उचित प्रतीत होवे।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार यदि एक ही मामलेसे सम्बन्ध रखने वाले एकसे अधिक मामले होवें तो उनको एक ही अदालत द्वारा सुना जाना उचित बतलाया गया है जिससे उचित प्रतीत होने पर वह एक साथ शामिल कर दिये जासकें। जैसे कि यदि फ़र्मका एक शरीकदार किसी अदालत द्वारा दिवालिया क़रार दिया गयाहो तो उसी फ़र्मके अन्य शरीकदारोंके विरुद्धकी जाने वाली दिवालियेकी कार्रवाई उसी अदालतमेंकी जाना चाहिये और यदि किसी दूसरी अदालतमें दरख्वास्त दी गई हो तो वह भी उसी अदालतमें भेज दी जाना चाहिये।

दफा ९८ आफिशल एसायनी तथा दिवालियेके शरीकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुक़द्दमें

(१) यदि फर्मका कोई शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो अदालत आफिशल एसायनीको उस दिवालियेके नामसे तथा उस दिवालियेके शरीकदारके नामसे कार्रवाईके जारी रखने या शुरू करने व उसकी पैरवी करनेका अधिकार दे सकती है। और जिस मामलेके सम्बन्धमें कारवाई चल रही हो यदि उस सम्बन्धमें कोई शरीकदार कुछ छोड़ देवे तो ऐसा छोड़ा जाना रद्द होगा।

(२) यदि उपदफा (१) के अनुसार मुक़द्दमा जारी रखने या शुरू करनेकी आज्ञा लेने के लिये दरख्वास्त दी जाये तो उसकी सूचना दूसरे शरीकदारको दी जावेगी जिसमें कि वह उसका विरोध कर सके और उसकी दरख्वास्त पर अदालत यह हुक्म दे सकती है कि उसे उस मामलेसे उसका मुनासिब भाग मिल सके और यदि वह उससे कोई लाभ न उठाया चाहे तो उसको उस सम्बन्धमें दिलाये जाने वाले उस खर्चेका मुआविज़ा मिलेगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे।

व्याख्या--

इस दफाके अनुसार फर्मके किसी एक शरीकदारके दिवालिया करार दिये जाने पर आफिशल एसायनीको उस शरीकदारके नामसे तथा उसके दूसरे शरीकदारके नामसे मामला जारी रखने या नया मामला दायर करनेका अधिकार दिया गया है। अदालत ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु इसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। यदि उपदफा (१) के अनुसार किसी कर्जे या मालके सम्बन्धमें कोई मामला चल रहा हो और फर्मका कोई शरीकदार उस कर्जे आदिको छोड़ देवे तो इस प्रकारका छोड़ा जाना अनुचित होगा तथा वह रद्द समझा जावेगा।

उपदफा (२) में बतलायागया है कि फर्मके दूसरे शरीकदार इजाजतकी दरख्वास्तका विरोध कर सकते हैं तथा अदालत द्वारा उनको उनका हिस्सा मामलेकी कामयाबी पर दिलाया जासकता है और यदि वह शरीकदार मामलेसे कुछ सम्बन्ध न रखना चाहे तो वृथा ही वह उस मामलेके खर्चेसे भी नहीं लादा जावेगा। गो अदालतको मुनासिब हुक्म देनेका अधिकार इस प्रकारके मामलोंमें है किन्तु फिर भी विरोध करनेका अवसर तथा खर्चे आदिसे बचानेकी आज्ञा अदालतको अवश्य देना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टके इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

दफा ९९ साझेके नामसे मामलेका चलाया जाना

(१) यदि दो या दो से अधिक साझीदार होवें, अथवा कोई व्यक्ति साझेके नामसे कारोबार करता हो, तो वह लोग इस एक्टके अनुसार फर्मके नामसे कार्रवाई कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि ऐसे मामलेमें किसी सम्बन्धित व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर फर्मके शरीकदारोंका नाम अथवा उस व्यक्तिका नाम जो फर्मके नामसे काम करता हो जाहिर करनेका हुक्म अदालत दे सकती है और वह उस प्रकार बतलाये जावेंगे तथा हलफसे उनकी तस्दीक उस प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार अदालत हुक्म देवे।

(२) यदि किसी फर्मका कोई शरीकदार नाबालिग होवे तो दिवालिया क़रार दिये जानेका हुक्म उस नाबालिग शरीकदारके अतिरिक्त फर्मके विरुद्ध दिया जासकता है।

व्याख्या—

जिस नामसे कारोबार होता हो उस नामसे दिवालियेके सम्बन्धमें कार्रवाई की जासकती है चाहे उस नामसे कारोबार कोई व्यक्ति अकेले ही करता हो अथवा उसमें कई शरीकदार होवें। परन्तु यदि कोई सम्बन्धित व्यक्ति यह जानना चाहे कि उस फर्मके नामसे कौन व्यक्ति कार्रवाई कर रहा है अथवा फर्मके सब शरीकदारोंके क्या नाम हैं तो अदालत उन लोगोंके नाम बतलाये जानेका हुक्म देसकती है और उस समय अदालतकी आज्ञाके अनुसार उन लोगोंके नाम बतलाये जावेंगे तथा उनकी तसदीक़ हल्फ़न की जावेगी।

उपदफा (२) के अनुसार किसी फर्मका नाबालिग शरीकदार दिवालिया क़रार नहीं दिया जावेगा परन्तु वह फर्म अलावा उसके, दिवालिया क़रार दिया जासकता है इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है जैसा कि अँग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है नाबालिगका उल्लेख दफा ९ में किया जाचुका है।

दफा १०० अदालत दिवालियाके वारण्ट

(१) अदालत दिवालिया द्वारा जारी किये हुए वारण्टों की तामील उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार सन् १८९८ ई० के ज़ाबता फौजदारीके अनुसार जारी किये हुए वारण्टोंकी की जाती है।

(२) दिवालियेकी जायदादके किसी हिस्से पर कब्जा लेनेके लिये दिया हुआ वारण्ट जो दफा ५६ की उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो निर्धारित फार्ममें होगा और ऊपर बतलाये हुए एक्ट की दफायें ७७ (२), ७९, ८२, ८३, ८४ तथा १०२ जहां तक होगा ऐसे वारण्ट की तामीलके सम्बन्धमें लागू होंगी।

(३) यदि दफा ५६ (२) के अनुसार तलाशीका वारण्ट जारी किया गया हो तो उसकी तामील उसी प्रकार होगी व वही शर्तें लागू होंगी जो ऊपर बतलाये हुए एक्टके अनुसार चोरी की जायदादके लिये जारी किये हुए तलाशीके कारण वारण्टमें लागू होती हैं।

व्याख्या—

इस दफामें वारण्टकी तामीलके नियम बतलाये गये हैं। कोई नये नियम इस एक्ट के लिये इस सम्बन्धमें नहीं बनाये गये हैं।

उपदफा (१) में यह बतला दिया गया है कि सन् १८९८ ई० के मजमूए ज़ाबता फौजदारीमें जो नियम वारण्टों की तामीलके लिये दिये हुए हैं उन्हीं का प्रयोग इस एक्टके अनुसार जारी किये हुए वारण्टोंके सम्बन्धमें किया जावेगा। उक्त मजमूए ज़ाबता फौजदारीके छठवें प्रकरणमें यह नियम दिये हुए हैं और वह दफा ७५ से लेकर दफा ९३ तक मिलेंगे तथा इसके बाद दफा ९६ से दफा १०२ तक भी सातवें प्रकरणमें कुछ नियम वारण्ट तलाशी आदिके सम्बन्धमें दिये हुए हैं।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेने वाले वारण्टकी तामीलमें वह नियम लागू होंगे जो मजमूए ज़ाबता फौजदारी की दफाओं ७७ (२) ७९, ८२, ८३, ८४ और १०२ में दिये हुए हैं।

ज़ाबता फौजदारीकी दफा ७७ (२) के अनुसार यदि वारण्ट एकसे अधिक पुलिस अफसरों या दूसरोंके नाम जारी किया गया हो तो उसकी तामील सब लोग मिलकर या उनमेंसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

ज़ाबता फौजदारीकी दफा ७६ के अनुसार यदि वारण्ट किसी पुलीस अफसरके नाम जारी किया हो तो उसकी तामील कोई दूसरा पुलीस अफसर भी कर सकता है जिसका नाम पहिले पुलीस अफसरने वारण्ट पर लिख दिया हो।

ज़ाबता फौजदारीकी दफा ८२ के अनुसार गिरफ्तारी का वारण्ट ब्रिटिश भारतके किसी भी हिस्सेमें तामील किया जासकता है।

ज़ाबता फौजदारीकी दफा ८३ के अनुसार यदि वारण्ट जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमासे बाहर तामील किया जानेको होवे तो अदालत ऐसे वारण्टको बजाय किसी पुलीस आफीसरको देनेके उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिण्टेण्डेंट पुलीस या पुलीस कमिश्नरके पास भेज सकती है जिसके अधिकार सीमामें उस वारण्टकी तामील दरकार होवे और इस प्रकार वारण्टके भेजे जाने पर पाने वाला हाकिम अपने दस्तखत करके जहा तक हो सकेगा उसकी तामील करावेगा।

ज़ाबता फौजदारीकी दफा ८४ के अनुसार यदि किसी पुलीस आफिसरको कोई ऐसा वारण्ट तामीलके लिये दिया जावे जिसकी तामील जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमासे बाहर की जाने को होवे तो वह उस वारण्ट पर उस मजिस्ट्रेट या थानेदार या उससे ऊंचे किसी पुलीस आफिसरके दस्तखत करायेगा जिसके हल्केमें उस वारण्टकी तामील की जाने को होवे और ऐसे अफसरके दस्तखत होने पर तामील करने वाले पुलीस आफिसरको उसके तामील करने का अधिकार प्राप्त हो जावेगा तथा वहां की लोकल पुलीस भी आवश्यकता पड़ने पर उसे मदद देगी यदि दस्तखत आदि करानेमें देर होनेकी सभावना हो जिसके कारण फिर वारण्टकी तामीलही नामुमकिन हो जाती हो तो पुलीस आफिसर बिना दस्तखत कराये ही तामील कर सकता है।

ज़ाबता फौजदारीकी दफा १०२ के अनुसार यदि किसी बन्द जगह की तलाशी ली जाने को होवे तो उस जगह का मालिक या काबिज उस जगहकी तलाशी वारण्ट दिखलाये जाने पर लेने देवेगा, यदि वह उसकी तलाशी नहीं लेने देवे तो जबरन उसकी तलाशी ली जावेगी और यदि कोई आदमी किसी चीजको अपने जिसममें छिपाये हुए होवे तो उसके जिसमकी भी तलाशी ली जासकती है।

उपदफा (३) के अनुसार तलाशीके वारण्ट भी सम्रह जाबता फौजदारीमें बतलाये हुए चोरीके मालकी तलाशी वाले नियमोंके अनुसार तामील किये जावेंगे तलाशीके वारण्टका जिक्र दफा ९६ से लेकर दफा १०३ तक किया गया है दफा ९८ में चोरी की जायदाद वाले मकानकी तलाशी। जिक्र है अर्थात् इस प्रकारके वारण्टकी तामील जाबता फौजदारीमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार की जासकेगी।

सातवां प्रकरण

मियाद

दफा १०१ अदालतके लिये मियाद

आफ़िशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील अथवा अदालतके किसी अफसर के हुक्मकी अपील जिसे दफा ६ के अनुसार अधिकार दिया गया हो उस कामसे अथवा हुक्म या फैसलेसे जैसा कि मामला होवे बीस दिनके अन्दर की जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफ़िशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील उस काम या फैसलेके होनेके बाद २० दिनके अन्दर की जासकती है। उस अफ़सरके काम अथवा फैसलेकी अपील भी इसी मियादके अन्दर की जासकती है जो इस एक्टकी दफा ६ में बतलाये हुए नियमके अनुसार नियुक्त किया गया हो—देखो पिछली दफा ६ व उसकी व्याख्या यदि दिवालिये या काम करने वाले जजके हुक्मकी अपील की गई हो तो अदालत अपीलको अधिकार है कि वह खर्चेकी जमानत लिये जानेके सम्बन्धमें दी हुई दरख्वास्तको ले सके तथा उस पर विचार कर सके देखो—43 Cal 243 इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालतको दफा १० (५) के अनुसार मियाद बढ़ानेका अधिकार हासिल है अर्थात् अदालत मियाद समाप्त होनेके बाद अथवा उससे पहिले यदि वह उचित समझे तो जिन शर्तोंके साथ चाहे इस एक्ट अथवा रूल्सके अनुसार नियतकी हुई मियादको बढ़ा सकती है—देखो पिछली दफा १० (५) इस दफामें बतलाई हुई २० दिनकी मियाद काम या फैसला होनेके समयसे शुमार की जावेगी इस प्रकार यदि आफ़िशल एसायनीने किसी सुबूतको न माना हो तो इसके अपीलकी मियाद उस वक्तसे समझी जावेगी जबकि आफ़िशल एसायनीने वजह लिखकर सुबूतको नामंजूर किया हो जैसा कि उसे दूसरी सूचीके पच्चीसवें रूलके अनुसार करना आवश्यक है।

आठवां प्रकरण

दण्ड

दफा १०२ बिला बहाल हुआ दिवालिया यदि कर्ज़ लेवे

यदि बिला बहाल हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिसे बिला उसको यह बतलाये हुए कि वह बिला बहाल किया हुआ दिवालिया है पचास रुपये या इससे अधिकका कर्ज लेवे तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी निर्धारित किये जाने पर उसको छः महीने तकके कारावासका दण्ड या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों प्रकारके दंड साथ साथ दिये जासकेंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कोई दिवालिया जब तक कि वह बहाल न कर दिया जावे पचास रुपये या इससे अधिकका कर्ज

नहीं ले सकता है यदि वह ऐसा करेगा तो दण्डका भागी होगा परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि जिस व्यक्तिसे कर्ज लिया गया हो उसको बहाल न होनेका हाल न बतलाया गया हो अर्थात् यदि कर्ज लेते समय दिवालियाने कर्ज देने वाले व्यक्तिसे यह बतला दिया हो कि वह बिना बहाल हुआ दिवालिया है तो ऐसी दशामें किसी रुपयेका उधार लिया जाना जुर्म नहीं समझा जावेगा मजिस्ट्रेट इस दफ़ाके अनुसार दिवालियेको दोषी निर्धारित कर सकता है और दोषी निर्धारित किये जाने पर ६ महीने तकके कारावासका दण्ड या जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारके दण्ड साथ साथ दिये जावेंगे। कारावासके दण्डके सम्बन्धमें इस दफ़ामें यह नहीं बतलाया गया है कि वह कठोर कारावासका दण्ड होगा अथवा साधारण परन्तु इसका मतलब यह समझना चाहिये कि दोनों प्रकारके कारावासका दण्ड मजिस्ट्रेटकी आज्ञानुसार दिया जासकता है। अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफ़ाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये अर्थात् दोषी निर्धारित किये जाने पर वह किसी न किसी दण्डको अवश्य पावेगा जैसा कि दोषी निर्धारित करने वाली अदालत उसके लिये उचित समझे।

दफा १०३ कुछ जुर्मोंके लिये दिवालियेको दण्ड दिया जाना

यदि कोई व्यक्ति जो दिवालिया क़रार दिया जाचुका हो नीचे दिये हुए जुर्मोंमेंसे कोई जुर्म करे तो वह दोषी निर्धारित किये जानेके कारावासका दंड पावेगा : —

(ए) यह कि उसने अपने मामलेकी हालत छिपानेकी मंशासे अथवा इस एक्टके अनुसार होने वाले कार्यको न होनेकी मंशासे या धोखादेहीसे —

(i) किसी किताब, काग़ज़ या तहरीरको जिसका सम्बन्ध उसके उन मामलोंसे होवे जो इस एक्टके अनुसार जेर तजवीज हैं बरबाद कर दिया हो अथवा किसी दूसरे प्रकारसे जानते हुए रोका हो या जानबूझ कर उसको पेश न होने दिया हो, या

(ii) झूठी किताबें रक्खी हों या रखवाई होवें या

(iii) किसी किताब, काग़ज़ या तहरीरमें जिसका सम्बन्ध उसके उन मामलोंसे होवे जो इस एक्टके अनुसार जेर तजवीज है गलत इन्दराज किया हो या उसमें कोई इन्दराज न किया हो अथवा जान बूझ कर उसे तब्दील किया हो या गलत किया हो, या

(बी) यह कि उसने धोखादेहीसे तथा इस नीयतसे कि उसके कर्जख्वाहोंमें बांटे जाने वाला रुपया कम हो जावे या उसके किसी एक कर्जख्वाहको और कर्जख्वाहोंके मुक़ाबले बेजा तर्जीह दी जासके :—

(i) उससे लेने या देने वाले कर्ज़को चुका दिया हो या छिपाया हो, या

(ii) अपनी किसी प्रकारकी जायदादको लेकर भाग गया हो या उस पर भार पैदा कर दिया हो या उसे रेहन कर दिया हो अथवा छिपा दिया हो।

व्याख्या—

इस दफ़ामें वह जुर्म बतलाये गये हैं जिनके साबित होने पर दिवालियेको दण्ड दिया जासकता है।

उपदफा (ए) में हिसाबवा किताबों तथा अन्य तहरीरी कागजातका उल्लेख है यह उपदफा तीन क्लाजोंमें विभक्त का गई है। (i) पहिले क्लाजके अनुसार किताबों आदिका न पेश किया जाना जब कि उनके पेश किये जानेका आवश्यकता इस एक्टके अनुसार होवे दण्डनीय बतलाया गया है (ii) दूसरे क्लाजके अनुसार यदि झूठी हिसाबकी किताबें रक्खी गई हों तो वह दण्डनीय है (iii) तीसरे क्लाजके अनुसार यदि झूठे इन्दराज किये गये हों या कोई इन्दराज किये ही न गये हों तो ऐसे काम भी दण्डनीय बतलाये गये हैं।

उपदफा (बी) में किसी कर्जख्वाहको धोखा तर्जीह देनेके लिए अथवा कर्जख्वाहोंमें बांटी जाने योग्य जायदादको कम करनेकी मशासे यदि कोई कर्ज छिपाया गया हो या चुका दिया गया हो अथवा कोई जायदाद छिपाई गई हो या उस पर बार पैदा किया गया हो तो ऐसा काम जुर्म समझा जावेगा यह उपदफा भी दो क्लाजोंमें विभक्त है पहिले क्लाजके अनुसार कोई कर्ज उक्त मशासे छिपाया जाना या चुकाया जाना जुर्म है दूसरे क्लाजके अनुसार जायदादका हटा देना उसे रेहन कर देना या उस पर बार पैदा कर देना जुर्म है। इस दफाके अनुसार जुर्म साबित होने पर दो साल तककी सजा दी जावेगी इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि सजा सादी कैद होगी या सख्त कैद इसलिये यह समझना चाहिये कि सादी व सख्त दोनों प्रकारकी सजायें दी जासकेंगी। यदि किसी रेलवे प्राविडेंट फण्डसे दिवालियेको कुछ रुपया मिलने वाला होवे और वह उस रुपयेको उठा लेवे तो वह जुर्म नहीं समझा जावेगा क्योंकि प्राविडण्ट फण्डका रुपया उसीका है और उसका उठालना धोखेकी कार्रवाई नहीं है क्यों कि कर्जख्वाहोंका उस पर हक नहीं होता है देखो—45 Bom 694 मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया था कि दफा १०३ के अनुसार तय हुये जुर्मको सुनानेका कोई अधिकार प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेटको नहीं है यह जुर्म एक्टके अनुसार जुर्म बतलाये गये हैं और इनका फैसला करनेका अधिकार केवल अदालत दिवालाहीको है जो कि ऐसे मामलोंको सुननेके लिये एक विशेष अदालत है व उसका कार्यक्रम भी भिन्न है देखो—लक्ष्मी बनाम नरसिंहाचारी 25 Mad L. J 577 इस दफाके अनुसार दोषी निर्धारित करनेके लिये मुद्दईका कर्तव्य होगा कि वह दिवालियेकी नियतको साबित करे। और जब तक कि किये हुए कामसे स्वाभाविक परिणाम यही न निकलता हो तब तक नीयत नहीं मानी जावेगी देखो—अब्दुलरहीम बनाम आफिशल एसायनी 27 I. C 753. किसी कर्जदारने दिवालियेका दरख्वास्त दी इसके बाद उसके किसी कर्जख्वाहने प्रेसीडेंसी मेजिस्ट्रेटके यहां धोखादेही (Cheating) का मामला दायर किया तो यह तय हुआ कि दिवालियेकी दरख्वास्त दे दिये जाने ही से प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटके अधिकार कर्जदारके विरुद्ध मामला सुननेके नहीं जाते रहते हैं दफा १७ में जो रसदी कानूनी कार्रवाईका जिक्र है वे दीवानी कार्रवाइयां समझना चाहिये 25 Bom 63 परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसे मामलोंमें जब कि कागज अदालत दिवालियामें दाखिल किये गये हों और उसके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई की जानेको होवे तो अदालत दिवालियेकी आज्ञा होना उचित प्रतीत होता है देखो—37 Mad. 107. इस दफामें जुर्माना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और इसलिये यदि इस दफाके अनुसार जुर्म किये जाने पर जुर्माने का दंड दिया जाय तो वह साफ तौरसे गलत है, देखो—मोतीलाल विश्वास बनाम सरकार बहादुर 32 C W N. 1140.

यदि दफा १०३ (बी) (ii) के अनुसार कोई कार्रवाई जारी हो गई हो तो उससे ताजीरात हिन्दकी दफा ४२१ व ४२४ के अनुसार कार्रवाई किये जानेमें रुकावट नहीं पड़ेगी, देखो 61 Rang 664 वह व्यक्ति जो दिवालिया करार दिया जाचुका हो तथा जिसकी जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आगई हो तो वह ऐसी डिक्रीके इजरायमें जेल नहीं भेजा जाना चाहिये जिसमें कि वह पहिले ही हाजरी की जमानत दे चुका हो चाहे उसने अपनी किताबें पेश न की हों या रक्षाका हुक्म (Protection Order) उसको न मिला हो। किताबें न पेश करने पर उसके विरुद्ध कानून दिवालियाके अनुसार कार्रवाई की जासकती है, देखो—नगीनमल मोदी बनाम लक्ष्मीनरायण गुप्ता A. I. R. 1929. Cal 1144.

दफा १०४ दफा १०३ के जुर्मोंके लिये कार्य क्रम

(१) जब कि आफिशल एसायनी अदालतमें इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालियेने

दफा १०३ के अनुसार कोई जुर्म किया है या जब कि अदालतको किसी क़र्ज़ख्वाहके कहने पर यह विश्वास हो जावे कि दिवालियेने कोई ऐसा जुर्म किया है तो अदालत इस बातका हुक्म दे सकती है कि दिवालियेके पास नोटिस निर्धारित किये हुए ढंग का भेजना चाहिये कि जिसमें वह वजह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे।

(२) नोटिसमें जुर्म की असलियत दिखलाई जावेगी और एक ही नोटिसमें अनेकों जुर्म दिखलाये जासकते हैं।

(३) ऐसे नोटिसके सुने जानेमें तथा इस नोटिसके अनुसार अदालत द्वारा लगाये हुए जुर्मके सुने जानेमें जहां तक मुमकिन होगा वही तरीक़ा अमलमें लाया जावेगा जो सन् १८९८ ई० के जाबता फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरमें मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट केसेज करनेके लिये बतलाया गया है और उस कोर्टके तेईसवें चैप्टरमें बतलाया हुआ हाईकोर्ट तथा सेशन्स कोर्टमें होने वाले मामलों का तरीका ऐसे मामलेमें लागू नहीं होगा।

(४) इस दफाके साथ अनेकों जुर्म एक साथ लगाये जासकते हैं।

व्याख्या—

इस दफामें दफा १०३ के अनुसार किये हुए जुर्मकी कार्रवाई किये जानेके नियम बतलाये गये हैं कार्रवाई उसी वक्त चालू की जासकेगी जब कि आफिशल एसायनी इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालियेने दफा १०२ में बतलाये हुए किसी जुर्मको किया है अथवा किसी कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर अदालतको विश्वास हो जावे कि दिवालियेने दफा १०२ में बतलाये हुए जुर्मको किया है इस प्रकार आफिशल एसायनी की रिपोर्ट तथा किसी कर्जख्वाहके दरख्वास्त देने पर यानी दोनों हालतोंमें अदालत मामला चालू कर सकती है।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत निर्धारित ढगसे एक नोटिस दिवालियेको इस बातका दे सकती है कि वह वजह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे?

उपदफा (२) में बताया गया है कि ऐसे नोटिसमें जुर्म लगाये जानेका कारण दिखलाया जावेगा तथा एक ही नोटिसमें बहुतसे जुर्म एक साथ दिखलाये जासकते हैं अर्थात् प्रत्येक जुर्मके लिये अलहदा • नोटिसकी आवश्यकता नहीं है।

उपदफा (३) में बताया गया है समह जाबता फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरके अनुसार कार्रवाई की जावेगी परन्तु यह दफा सन् १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बदल गई है और अब अदालत दिवालिया बजाय इसके कि वह स्वय मामलेको सुने प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटोंके पास भेज सकती है परन्तु ऐसा वह उसी समय करेगी जब कि उसको प्रत्यक्ष रूपमें यह मालूम हो कि दिवालियेने दफा १०३ के अनुसार किसी जुर्म को किया है व उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाना चाहिये। अदालत दिवालिया यदि उचित समझे व जिस प्रकार उचित समझे मामला भेजनेसे पहिले प्रारम्भिक जांच भी कर सकती है। यह संशोधन इसलिये किया गया था कि जिसमें हाईकोर्टके जजों का मूल्यवान समय छोटे मोटे मामलोंकी तहकीकात व सुनवाईमें वृथा नष्ट न होवें व कार्रवाई फौजदारीके अन्य मामलों की भांति नियम पूर्वक सुननेके बाद की जासके अर्थात् जुर्म साबित होने पर अदालत फौजदारी दिवालिये को दण्ड दे सके। सन् १९२६ ई० के संशोधन एक्टके जारी होनेसे पहिले दिवालियेकी कार्रवाई चालू हो चुकी थी परन्तु इसके जारी होनेके पश्चात् जजने इस्तगासा मजिस्ट्रेटके पास भेजा तो यह तय हुआ कि तहकीकात संशोधन एक्टके अनुसार होना चाहिये इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दफा २७ के अनुसार दिये हुए दिवालियेके बयानों पर विचार किया जासकता है। देखो—मोतीलाल विश्वास बनाम सरकार बहादुर 32, C W. N. 1140 (The Yearly Djest 1928 P. 1141.)

दफा १०५ बहाल होनेके बाद या तस्फीहा होनेके बाद भी ज़िम्मेदारी

जब कि दिवालिया दफा १०२ या दफा १०३ में बतलाये हुए किसी जुर्मका दोषी निर्धारित किया गया हो और वह बहाल हो चुका हो अथवा उसका तस्फीहा या स्कीम स्वीकार करली गई हो तो इन कारणोंसे उसके विरुद्ध कार्रवाई रोकी नहीं जावेगी अर्थात् बहाल होने पर या तस्फीया हो जाने पर भी उसके विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई चालूकी जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी व्यक्तिके बहाल हो जानेके बाद अथवा उसके द्वारा पेशकी हुई स्कीम या तस्फीयाके स्वीकार किये जानेके बाद-उसके विरुद्ध कोई जुर्म जिसका उल्लेख दफा १०२ व १०३ में किया गया है साबित होवे तो उसके विरुद्ध उस जुर्मकी कार्रवाई जरूरकी जावेगी अर्थात् मामला चालू किया जावेगा और वह जुर्मसे बरी नहीं समझा जावेगा। बहाल हुए दिवालियेको अथवा उस दिवालियेको जिसका तस्फीहा स्वीकार कर लिया गया हो अपनेको बरी नहीं समझना चाहिये अर्थात् उन जुर्मोंके सम्बन्धमें उनकी जिम्मेदारी उस समय भी बनी रहेगी।

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाइयां

दफा १०६ छोटे मामलोंमें सरसरी की कार्रवाइयां

(१) जब कि अदालतको हलफनामेसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे यक़ीन हो जावे या आफिशल एसायनी अदालतमें रिपोर्ट दे देवे कि दिवालियेकी जायदादकी कीमत तीन हजार रुपयेसे या इससे कम नियतकी हुई तादादसे अधिक न होगी तो अदालत दिवालियेकी जायदाद का प्रबन्ध सरसरी तौरसे करनेका हुक्म दे सकती है और तब इस एक्टके नियमोंमें निम्नलिखित संशोधित होगा:—

(ए) अदालतके किसी हुक्मके विरुद्ध बिला उसकी आज्ञा लिये हुए कोई अपील नहीं की जावेगी।

(बी) बिला आफिशल एसायनीके अथवा किसी क़र्ज़ख्वाहके दरख्वास्त दिये हुए दिवालियेका बयान नहीं लिया जावेगा।

(सी) जब कि मुमकिन होगा जायदाद एक ही हिस्सा रसदीमें बांट दी जावेगी।

(डी) खर्च कम करने तथा कार्य क्रमको सुगम बनानेके लिये जो दूसरे संशोधन निर्धारित किये जावें परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की किसी बातसे दिवालियेके बहाल होनेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम संशोधित नहीं किये जावेंगे।

(२) अदालत किसी समय भी यदि उसे उचित प्रतीत हो दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें सरसरीके इन्तज़ाम का हुक्म दे सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके छोटे मोटे मामलोंमें अधिक समय न लगाने तथा फिजूल खर्चों को बचानेकी नीयतसे उनकी कार्रवाई को सरसरी तौर पर करनेके नियम बताये गये हैं सरसरीकी कार्रवाई उसी समय की जासकेगी जब कि आफिशल एसायनीने रिपोर्ट की हो कि दिवालियेकी जायदाद तीन हजारसे अथवा अन्य किसी निश्चितकी हुई रकमसे अधिककी नहीं होगी अथवा अदालतको हलफनामासे अन्य किसी प्रकारसे विश्वास हो जावे कि जायदाद उक्त कीमतसे अधिककी नहीं है। अदालत सरसरीकी कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है इसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा उपदफा (२) से यह भी प्रकट है कि अदालत जब चाहे तो सरसरीकी कार्रवाई किये जानेके हुक्मको मनसूख भी कर सकती है और उस वक्त मामूली कार्रवाई अमलमें लाई जावेगी। सरसरीकी कार्रवाई किये जाने का हुक्म होने पर मामूली कार्रवाई जो इस एक्टमें बतलाई जाचुकी है किसी हद तक संशोधित होकर सरसरी वाले मामलोंमें लागू होगी। संशोधनों का उल्लेख उपदफा (१) के क्लाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है।

क्लाज (ए) के अनुसार बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए अदालतके किसी हुक्मकी अपील नहीं की जावेगी जो एक्टके अनुसार अपील बिना आज्ञाके की जासकती है।

क्लाज़ (बी) के अनुसार दिवालियेके बयानकी आवश्यकता नहीं है परन्तु आफिशल एसायनी या कर्ज़ख्वाहके दरख्वास्त देने पर अदालत सरसरीके मामलोंमें भी दिवालियेके बयान ले सकती है।

क्लाज़ (सी) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद एक ही बार हिस्सा रसदीमें बांटी जासकेगी यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई हिस्सा रसदी होवे व अन्तिम हिस्सा रसदीके लिये बतलाई हुई नोटिस आदि की कार्रवाई अमलमें लाई जावे, देखो—दफा ७३ खर्च कम करने तथा कार्रवाई को सादा बनानेके लिये।

क्लाज़ (डी) के अनुसार और भी संशोधन जो इस सम्बन्धमें बताये गये हों प्रयोग किये जावेंगे।

उपदफा (१) के अन्तमें यह भी बतला दिया गया है कि ऊपरके संशोधनका कोई प्रभाव बहाल होने की कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा अर्थात् बहाल होनेके सम्बन्धमें वह सब नियम उसी प्रकार प्रयोग किये जावेंगे जिस प्रकार इस एक्टमें मामूली कार्रवाइयोंके लिये बतलाये गये हैं अर्थात् दफा ३८ से लेकर ४५ तकमें बतलाये हुए नियम बदस्तूर लागू समझना चाहिये।

दसवां प्रकरण

विशेष नियम

दफा १०७ कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना

दिवालियेकी दरख्वास्त किसी प्रचलित एक्टके अनुसार रजिस्ट्री की हुई किसी कम्पनी, सम्प्रदाय (Association) या कारपोरेशन (Corporation) के विरुद्ध नहीं दी जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार रजिस्ट्री शुदा कम्पनी व सम्प्रदाय (Association) दिवालियेकी कार्रवाईसे बचाये गये हैं इसी प्रकार कारपोरेशन (Corporation) भी बचाये गये हैं चूंकि अगेन्स्ट एक्टमें (Against) शब्द कारपोरेशन के लिये एक मर्तबा तथा बादमें एसोसियेशन व कम्पनीके लिये एक साथ दूसरी मर्तबा इस्तेमाल किया गया है व (Registered) शब्दका प्रयोग कम्पनी व एसोसियेशन ही के सम्बन्धमें किया हुआ मालूम होता है इससे यह स्पष्ट है कि कारपोरेशनके रजिस्ट्री होनेका कोई जिक्र नहीं है किन्तु कम्पनी व एसोसियेशनका किसी प्रचलित कानूनके अनुसार रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तब वह बरी हो सकते हैं अर्थात् उस समय उनके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त नहीं दी जा सकेगी। रजिस्ट्री शुदा ऐसी कम्पनी आदिके लिये कम्पनी एक्टके अनुसार लिक्विडेशन (Liquidation) की कार्रवाई अमलमें आवेगी।

दफा १०८ दिवालियेकी हालतमें मरनेवाले क़र्ज़दारकी जायदादका दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें प्रबन्ध

(१) यदि किसी मरे हुए क़र्ज़दारके कर्ज़ख्वाहका इतना क़र्ज़ होवे कि जिसके आधार पर वह कर्ज़दारकी जिन्दगीमें उसके विरुद्ध दिवालियेकी दरख्वास्त दे सकता हो सो वह उस अदालतमें जिसकी अधिकार सीमामें कर्ज़दार मरनेसे छ माह पहिले अधिकतर रहा हो, या व्यापार करता रहा हो निर्धारित किये हुए ढंग पर एक दरख्वास्त इस बातका हुक्म होनेके लिये दे सकता है कि उस मृतक कर्ज़दारकी जायदादका प्रबन्ध इस एक्टके अनुसार किया जावे।

(२) मरे हुए कर्ज़दारके कानूनी वारिसको निर्धारित नोटिस दिये जानेके बाद पिटीशनके कर्ज़ साबित होने पर अदालत मृतक क़र्ज़दारकी जायजाद का प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें करनेका हुक्म दे सकती है अथवा वजह ज़ाहिर किये जाने पर पिटीशनको मय खर्चेके या बिला खर्चेके खारिज़ कर सकती है परन्तु यदि अदालतको इस बातका विश्वास हो जावे कि मृतक कर्ज़दारके कर्ज़ोंके उसकी जायदाद द्वारा चुका दिये जानेकी उचित सम्भावना है तो वह उसकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें किये जानेका हुक्म नहीं दे सकती है।

(३) इस दफाके अनुसार जायदादके प्रबन्धकी दरख्वास्त अदालतमें उस समय नहीं दी जावेगी जब कि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्ज़दारकी जायदादके प्रबन्धके लिये कार्रवाई चालू की जा चुकी है, परन्तु यह दूसरी अदालत ऐसे मामलेमें इस बातका सुबूत होने पर कि

मृतक क़र्ज़दारकी जायदाद उसके कर्जोंको चुकानेके लिये अपर्याप्त है उस दरख्वास्तकी कार्रवाई को उस अदालतके पास भेज सकती है जिसे इस एक्टके अनुसार दिवालियेकी कार्रवाई करनेके अधिकार प्राप्त हैं और तब अन्तमें बतलाई हुई अदालत (अदालत दिवालिया) मृतक क़र्ज़दारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म दे सकती है और वही नतीजा उस समय होगा जो किसी क़र्ज़ख्वाह द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर प्रबन्धका हुक्म होने पर होता है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार मरे हुए क़र्ज़दारकी जायदादके विरुद्ध दिवालियेकी कार्रवाई कीजासकती है। वह क़र्ज़ख्वाह ऐसी दरख्वास्त दे सकता है जो क़र्ज़दारकी जिन्दगीमें अपने क़र्ज़के आधार पर दिवालियेकी दरख्वास्त दे सकता हो ऐसी दरख्वास्त के आने पर मरे हुए क़र्ज़दारके क़ानूनी उत्तर धिकारियोंको नोटिस दिया जावेगा तथा उनका विरोध सुननेपर व इस बातका विश्वास होने पर कि मृतक क़र्ज़दारके सब क़र्ज़ उसकी जायदादसे नहीं चुकाये जा सकते हैं अदालत दिवालियेकी कार्रवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है। अदालतको यदि यह यक़ीन होजावेगा कि मृतक क़र्ज़दारके सब क़र्ज़ उसकी जायदादसे चुकाये जासकते हैं अथवा क़र्ज़दारके वारिसोंकी उज़्रदारी किसी अन्य कारणसे काफ़ी समझ पड़े तो अदालत दरख्वास्तको ख़ारिज कर सकती है अर्थात् वैसी दशामें अदालत मृतक क़र्ज़दारकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं होने देवेगी। यदि किसी दूसरी अदालतमें मृतक क़र्ज़दारकी जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें कार्रवाई चालूकी जा चुकी हो तो अदालत दिवालियामें इस दफ़ाके अनुसार प्रबन्ध किये जानेकी दरख्वास्त नहीं दी जावेगी अर्थात् ऐसी दरख्वास्त दिये जाने पर वह हर्गिज़ चालू नहीं होगी।

उपदफ़ा (३) में यह भी बतला दिया गया है कि यदि अदालत दिवालियाके अतिरिक्त अन्य किसी अदालतमें ऊपर बतलाये अनुसार प्रबन्धकी कार्रवाईकी जा रही हो और उस दूसरी अदालतको यह मालूम पड़े कि मृतक क़र्ज़दारकी जायदाद उसका क़र्ज़ा चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरी अदालत अपने यहांकी कार्रवाईको अदालत दिवालियामें भेज सकती है। इस प्रकार भेजे जाने पर अदालत दिवालिया अपने अधिकारोंके अनुसार उस जायदादके प्रबन्धकी कार्रवाई करेगी व इस एक्टके नियम लागू होंगे। यदि मृतक क़र्ज़दारका लहना उसके क़र्ज़ोंसे कम भी होवे तो लेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of administration) मिल सकते हैं क्यों कि वैसी हालतमें केवल इसी दफ़ाके अनुसार कार्रवाई अमलमें नहीं लाई जाना चाहिये अर्थात् क़र्ज़ख्वाह या अन्य व्यक्ति दूसरे क़ानूनोंके अनुसार जो लागू होवे वैसे कार्रवाई कर सकते हैं देखो—15 Cal. W. N 350

दफ़ा १०९ जायदादका मिलना तथा उसकेप्रबन्धका तरीक़ा

(१) दफ़ा १०८ के अनुसार मृतक क़र्ज़दारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म होने पर जायदाद अदालतके आफ़िशल एसायनीके प्रबन्धमें आजावेगी और वह इस पर इस एक्टके नियमोंके अनुसार जायदादको वसूल करेगा व बांटेगा।

(२) आगे दिये हुए संशोधनोंके साथ तीसरे भागके सब नियम जिनका सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादके प्रबन्धसे है उस हद तक लागू होंगे जहां तक वह लागू होसकते हैं तथा इस प्रकारका हुक्म उसी प्रकार माना जावेगा जैसा कि इस एक्टके अनुसार दिया हुआ दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म।

(३) आफ़िशल एसायनी, प्रबन्धका हुक्म होने पर मृतक क़र्ज़दारकी जायदादका प्रबन्ध करते समय मृतकके क़ानूनी वारिसके उस दावेका ध्यान रक्खेगा जो वह उचित मृतक संस्कार

करनेके सम्बन्धमें तथा मृतक कर्जदारकी जायदादके लिये क़ानूनी खर्च करनेके सम्बन्धमें करेगा। और यह दावे इस हुक्मके अनुसार तर्जीह वाले कर्ज़े समझे जावेंगे और दूसरे क़र्ज़ोंके मुक़ाबिले सबसे पहिले पूर्ण रूपसे चुकाये जावेंगे।

(४) यदि मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करने पर उसके सब कर्ज़े पूर्ण रूपसे चुकाये जानेके पश्चात् आफिशल एसायनीके पास कुछ रकम फाजिल बचे तथा प्रबन्धका खर्च या दिवालियेके सम्बन्धमें इस एक्टमें बतलाया हुआ सूद भी अदा कर दिया गया हो तो बचत मृतक कर्जदारकी जायदादके कानूनी वारिसको दी जावेगी अथवा अन्य किसी निर्धारित ढंग पर उसका प्रयोग किया जावेगा।

व्याख्या—

दफा १०८ के अनुसार दरख्वास्तके मंजूर किये जाने पर अर्थात् मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेकी कार्रवाईके अनुसार किये जानेका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदाद आफिशल एसायनीके प्रबन्धमें आजावेगी और वह उस जायदादको जितनी जल्द हो सकेगा वसूल करेगा तथा बाद वसूली कानूनके अनुसार उसको कर्जख्वाहोंमें बांट देगा।

उपदफा (२) के अनुसार इस एक्टके तीसरे भागमें बतलाये हुए नियम जहां तक कि उनका ताल्लुक समझा जावेगा इस दफाके अनुसार कार्रवाई किये जानेमें लागू होंगे।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि यदि मृतक कर्जदारके किसी वारिसने मृतक संस्कारमें अथवा मृतक कर्जदारकी जायदादके सम्बन्धमें कोई क़ानूनी खर्च किया हो तो आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे खर्चेको सब से पहिलेका कर्ज माने तथा उसको पूर्ण रूपसे मृतककी जायदादसे सबसे पहिले चुका देवे। इस प्रकार इस उप दफाके अनुसार उन वारिसोंके खर्चोंकी रक्षाकी गई है जो वारिस होनेके कारण उनको मृतक कर्जदारके सम्बन्धमें करना पड़े हों।

उपदफा (४) में बतलाया गया है कि यदि मृतककी जायदादसे उसके सब कर्जे पूर्ण रूपसे चुकाये जा चुके तथा सूद जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है चुकाया जा चुका हो और प्रबन्धके लिये किये हुए खर्चे भी अदा किये जा चुके हों और इसके बाद कोई जायदाद या रुपया बचे तो वह मृतक व्यक्तिके कानूनी वारिसोंको दिया जावेगा या किसी अन्य निर्धारित किये हुए ढंग पर लगाया जावेगा। जायदादका प्रबन्ध आफिशल एसायनी इस दफाके अनुसार उसी प्रकार कर सकेगा जिस प्रकार कि किसी व्यक्तिके दिवालिया करार दिये जाने पर उसकी जायदादका प्रबन्ध वह इस एक्टके अनुसार कर सकता है।

दफा ११० क़ानूनी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना

(१) दफा १०८ के अनुसार दी हुई दरख्वास्तके दिये जानेकी सूचना होनेके पश्चात् कानूनी वारिसने यदि कोई अदायगीकी हो या उसने कोई इन्तकाल जायदाद किया हो तो उससे वह कोई छुटकारा नहीं पावेगा जहां तक उसका व आफिशल एसायनीका एक दूसरेसे सम्बन्ध है।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातको छोड़ कर दफा १०८ दफा १०९ या इस दफाकी कोई बात क़ानूनी वारिस द्वारा नेकनीयतीसे किया हुआ कोई काम कोई बात अथवा कोई अदायगी रद्द नहीं करेगी यदि वह काम प्रबन्धका हुक्म होने से पहिले किया गया हो इसी प्रकार यदि डिस्ट्रिक्ट जज ने दि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल्स एक्टकी दफा ६४ के अनुसार दिये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए कोई अदायगी का काम या बातकी हो तो वह भी रद्द नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार यदि मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके लिये दफा १०८ के मुताबिक दरख्वास्त दीगई हो और ऐसी दरख्वास्तकी सूचना हो जानेके पश्चात् उस कर्जदारका कानूनी वारिस कोई अदायगी करे या कोई इन्तकाल जायदाद करे तो उससे वह आफिशल एसायनीके विरुद्ध लाभ नहीं उठा सकता है अर्थात् ऐसी अदायगीसे उसे छुटकारा नहीं मिलेगा।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि प्रबन्धका हुक्म होनेसे पहिले यदि नेकनीयतीसे मृतक कर्जदारके वारिस ने कोई अदायगीकी हो या अन्य कोई काम किया हो तो वह अदायगी या काम ठीक समझा जावेगा और इस दफाके अनुसार अथवा दफा १०८ व १०९ के अनुसार वह रद्द नहीं हो सकेगा। इसी दफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि हिरेकृत जजने अपने कानूनी अधिकारोंको वर्तते हुए कोई अदायगीकी हो या काम किया हो तो वह भी रद्द नहीं समझा जावेगा किन्तु वह ठीक माना जावेगा। अँग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहींकी जावेगी किन्तु उसकी पाबन्दी आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल्स एक्ट १८७४ जिसका जिक्र उपदफा (२) में है रद्द किया जा चुका है और उसके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल्स एक्ट ३ सन् १९१३ चालू है।

दफा १११ एडमिनिसट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा

यदि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलको किसी मृतक कर्ज़दारकी जायदादके प्रबन्धके लिये किसी मामलेमें प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिट्रेशन दिया गया हो तो उस मामलेमें दफा १०८, १०९ व ११० के नियम लागू नहीं होंगे।

व्याख्या—

*इस दफाके अनुसार मृतककी जायदादका प्रबन्ध एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके हाथ आने पर उस जायदादका प्रबन्ध दिवा-*लियेकी कार्रवाईके अनुसार नहीं किया जावेगा परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलको उस जायदादका प्रबन्ध प्रोबेट (Probate) अथवा लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के सिलसिलेमें मिला हो। इस दफासे यह भी प्रकट है कि जब जायदादका प्रबन्ध प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिसट्रेशनके आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल द्वारा किया जाता हो तो दफा १०८, १०९ व ११० के कोई नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् कानूनी वारिस द्वारा की हुई अदायगी या इन्तकाल आदिका रद्द होना या उनका ठीक माना जाना इन दफाओंमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार नहीं समझा जावेगा अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है।

ग्यारहवां प्रकरण

नियम (रूल्स)

दफा ११२ रूल्स

(१) इस एक्टके उद्देशों को कार्यरूपमें परिणित करनेके लिये वह अदालतें जिनको इस एक्टके अनुसार अधिकार प्राप्त हैं समय समय पर नियम (रूल्स) बनावेंगी।

(२) इन नियमोंमें ख़ासकर तथा उपर बतलाये हुए अधिकारोंमें बिना रुकावट डाले हुए निम्नलिखित बातोंकी व्याख्या तथा उनका नियन्त्रण किया जासकता है:—

(ए) यह कि इस एक्टके अनुसार क्या फ़ीस या दस्तूरी लिया जाना चाहिये और किस प्रकार वह इकट्ठी की जावेगी व उसका हिसाब दिया जावेगा और किस हिसाबमें वह जमा की जाना चाहिये।

(बी) यह कि ऐसे हिस्सा रसदीका जो न लिया गया हो अलहदा अलहदा या इकट्ठे किसी कारमें लगाना या दिवालियोंकी जायदादोंका बचा हुआ रुपया व उससे सम्बन्ध रखने वाला और रुपया चाहे दिवालिया इस एक्टके अनुसार अथवा किसी और क़ानूनके अनुसार दिवालिया क़रार दिया गया हो कैसे लगाना चाहिये।

(सी) यह कि दिवालियेके कुर्ज़दारोंकी जायदाद पर आफ़िशल रिसीवरों द्वारा किस प्रकार क़ब्ज़ा लेना चाहिये तथा उसे किस प्रकार वसूल करना चाहिये।

(डी) यह कि आफ़िशल रिसीवरोंका क्या मेहनताना (फ़ीस) होना चाहिये।

(ई) यह कि आफ़िशल रिसीवरों द्वारा दी जाने वाली रसीदें, अदायगी तथा हिसाब किस प्रकार हों।

(एफ़) आफ़िशल रिसीवरोंके हिसाबकी जांच (Audit) किया जाना।

(जी) आफ़िशल रिसीवरोंके मेहनतानेका अदा किया जाना, ख़र्चे मुक़दमेका अदा किया जाना, आफ़िशल रिसीवरोंके इन्तज़ामका ख़र्च तथा उनके हिसाबकी जांचका ख़र्च इन सबका उनके हाथमें आये हुए रुपयेकी आमदनीसे अदा किया जाना।

(एच) ऊपर बतलाई हुई आमदनीसे अदालतकी आज्ञानुसार आफ़िशल रिसीवरों द्वारा योग्य देने वाले, दिवालियेके विरुद्ध पैरवी करने तथा अदालती कार्रवाईमें ख़र्च करना

(आई) अदालतके हुक्म अथवा आदेशके अनुसार कार्रवाई करने वाले आफ़िशल रिसीवरों द्वारा पैदा की हुई किसी दीवानीके मामलेकी डिक्रियोंका अदा किया जाना।

(जे) दिवालिये कुर्ज़दारों तथा कुर्ज़ख़्वाहोंके इक़रारनामे सम्बन्धी या स्कीमके प्रस्तावोंके सम्बन्धमें कार्रवाई किया जाना।

(के) दिवालिये तथा उनकी जायदादके सम्बन्धमें दी हुई दरख्वास्तों तथा उनके मामलों के सुने जानेमें आफिशल एसायनी द्वारा हस्तक्षेप किया जाना।

(एल) बिना बहाल हुए दिवालियेके हिसाबकी किताबों व काग़ज़ातकी आफिशल एसायनी द्वारा जांच की जाना।

(एम) इस एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाईयोंमें नोटिसकी तामील

(एन) जांच कमेटीकी नियुक्ति उनकी मीटिंग तथा उनके कार्य करनेका तरीका

(ओ) इस एक्टके अनुसार किसी फर्मके नामसे कार्रवाईका किया जाना

(पी) इस एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाइयोंमें जो फार्म प्रयोग किया जाना चाहिये।

(क्यू) जो जायदादें सरसरी तौर पर देखी जाना चाहिये उनके प्रबन्धमें किस प्रकार कार्रवाई करना चाहिये।

(आर) मरे हुए कर्ज़दारों की जायदादका प्रबन्ध जो इस एक्टके अनुसार किया जावेगा किस प्रकार किया जाना चाहिये।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार इस एक्टके कामोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये अदालतें समय समय पर नियम (रूल्स) बना सकती हैं।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अनुसार बनाये जाने योग्य रूल्सका वर्णन किया गया है। इस उपदफामें यह नहीं बताया गया है कि कौन २ से रूल्स होंगे किन्तु यह बतलाया गया है कि किन किन कामोंके सम्बन्धमें ऐसे रूल्स बनाये जाना चाहिये यह उपदफा १८ क्लाज़ोंमें विभक्त है तथा इन सब बातोंका उल्लेख इन क्लाज़ोंमें कर दिया गया है जिनके सम्बन्धमें कुछ नियमोंके बनाए जानेकी आवश्यकता है जैसे कि कर्ज़ख्वाहोंकी मीटिंग किस प्रकार होना चाहिये, नोटिस किस प्रकार जाना चाहिये, उसकी जांच किस प्रकार होना चाहिये, आफिशल एसायनी को क्या श्रमफल मिलना चाहिये इत्यादि २ बातें।

दफा ११३ रूल्सके लिये स्वीकृति मिलना

इस भागके नियमोंके अनुसार बनाये हुए रूल्सके लिये स्वीकृति, कलकत्ता हाईकोर्टके लिये सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दसे हासिलकी जाना चाहिये तथा अन्य अदालतोंके लिये उनकी प्रान्तिक सरकारसे हासिल की जावेगी।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये। सिवाय कलकत्ता हाईकोर्टके अन्य अदालतों द्वारा बनाये हुए रूल्सके लिये स्वीकृति प्रान्तिक सरकारों द्वारा दी जावेगी। कलकत्ता हाईकोर्टके रूल्सके लिये स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्द द्वारा दी जाना चाहिये। ऐसी स्वीकृति मिलनेके पश्चात् वह रूल्स कार्यरूपमें परिणित किये जासकेंगे अन्यथा वह अपूर्ण समझे जावेंगे।

दफा ११४ रूल्सका प्रकाशित किया जाना

इस प्रकार बनाये हुए तथा स्वीकृति प्राप्त किये रूल्स गज़ट आफ़ इण्डिया या प्रान्तिक

सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जावेंगे जैसाकि मामला होवे और इसके बाद उस अदालतमें जिसके द्वारा वह बनाये गये हैं इस एक्टकी कार्रवाईके लिये वही असर रखेंगे जैसे कि मानो वह इस एक्टके साथ बनाये गये हों।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग है जिससे यह प्रकट है कि रूल्सका सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। कलकत्ता हाईकोर्टके रूल्स गवर्नमेंट आफ इण्डियामें प्रकाशित किये जावेंगे तथा अन्य अदालतोंके रूल्स प्रान्तिक सरकारी गजटोंमें प्रकाशित किये जावेंगे और प्रकाशित होनेके पश्चात् यह रूल्स जिस अदालत द्वारा बनाये गये होंगे उसके लिये उसी प्रकार प्रयोग किये जावेंगे जिस प्रकार इस एक्टके नियम अर्थात् उनका एक प्रकारसे इस एक्टके साथ बनाया हुआ कानून मान लिया जावेगा।

बारहवां प्रकरण

दफा ११५ इस एक्टके अनुसार किये हुए इन्तक़ाल आदिका स्टाम्प या करसे बरी होना

(१) अदालतके सामने तथा अदालतके हुक्मके अनुसार किये हुए हरएक इन्तकाल जायदाद, रेहन नामा, जायदादका किसीके नाम किया जाना मुख्तारनामा, साक्षीका कागज (Proxy Paper), सार्टीफिकेट, हलफनामा दस्तावेज या दूसरी कार्रवाई दस्तावेज या तहरीर या इनकी कोई नक़लमें स्टाम्प या दूसरे किसी प्रकारका कर नहीं लगता।

(२) इस एक्टके अनुसार आफिशल एसायनी द्वारा दी हुई दरख्वास्तमें कोई स्टाम्प ड्यूटी या दूसरी फीस नहीं ली जावगी या अदालत द्वारा ऐसी दरख्वास्त पर दिये हुए किसी आर्डरके लिखे जाने या जारी करने पर भी स्टाम्प, ड्यूटी या कोई फीस नहीं ली जावेगी।

व्याख्या—

आफिशल एसायनी की तरफसे काम करनेवाले एटार्नीको भी वही सुविधा प्राप्त होगी जो आफिशल एसायनीको उस सम्बन्धमें इस दफाके अनुसार प्राप्त हैं। इसी कारण यदि जजने दिवालियेके अधिकारका प्रयोग करते हुए किसी आर्डर [illegible] हो तो उसकी नकलके लिये कोई स्टाम्प नहीं देना पड़ेगा, देखो 43 Mad 747.

उपदफा (१) के अनुसार दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें अदालतके हुक्म द्वारा किये हुए इन्तकाल जायदाद आदि दस्तावेजों पर स्टाम्प नहीं लगाया जावेगा। इसी प्रकार इन दस्तावेजोंकी नक़लोंमें भी कोई स्टाम्प आदि नहीं लग[illegible]

उपदफा (२) के अनुसार आफिशल एसायनी द्वारा दी जाने वाली दरख्वास्तों तथा उनके अनुसार दिये [illegible] वाले हुक्म स्टाम्प तथा फीससे बरी है।

दफा ११६ गज़ट, शहादत होगा

(१) वह सरकारी गज़ट जिसमें इस एक्टके अनुसार दिया जाने वाला नोटिस प्रकाशित हुआ हो नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका शहादत होगा।

(२) वह सरकारी गज़ट जिसमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन किया गया हो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके लिये तथा उसकी तारीखके लिये पूरी शहादत माना जावेगा।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये तथा उनकी पाबन्दी की जावेगी। यदि नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका सुबूत देना हो तो उपदफा (१) के अनुसार वह सरकारी गजट जिसमें नोटिस प्रकाशित किया गया हो काफी शहादत माना जावेगा।

उपदफा (२) के अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म होनेकी बात तथा उसके दिये जानेकी तारीख उस सरकारी गजटके अनुसार मानी जावेगी जिसमें दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म प्रकाशित किया गया हो। इस प्रकार इस दफामें अदालतके असली हुक्मके पेश करने अथवा किसी नोटिसमें दी हुई बातोंके साबित करनेके लिये मिसिल व लिखने वाले को तलब करानेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु सरकारी गजट सुबूतमें पेश किया जासकता है।

दफा ११७ हलफ़नामेकी तस्दीक़

निम्न प्रकारसे तस्दीक़ किये हुये हलफनामे इस एक्टके अनुसार अधिकारोंको बर्तने वाली अदालतोंमें प्रयोग किये जासकते हैं —

(ए) ब्रिटिश इण्डियामें

(i) किसी भी अदालत या मजिस्टेट, या

(ii) ज़ाबता दीवानी सन् १६०८ ई० के अनुसार हलफ देनेका अधिकार पाया हुआ कोई अफसर या दूसरा व्यक्ति द्वारा तस्दीक किये हुए।

(बी) इङ्गलैंडमें किसी भी ऐसे व्यक्तिके सामने जिसे शाहंशाहके हाईकोर्टमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो, या लंकास्टर की काउण्टी पैलेटाइनके चान्सरी अदालतमें, या किसी बैंकरप्सी अदालतके सामने, या बैंकरप्सी कोर्टके किसी अधिकार प्राप्त अफसरके सामने जिसे लिखकर उस अदालतके किसी जजने इसके लिये अधिकार दिया हो या किसी ऐसी काउण्टी अथवा जगहके जस्टिस आफ दि पीसके सामने जहा कि वह हलफनामा तस्दीक किया गया हो।

(सी) स्काटलैण्ड व आयरलैण्डमें किसी आरडिनेरी जज मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ दी पीसके सामने, और

(डी) किसी दूसरी जगहमें किसी मजिस्ट्रेट जस्टिस आफ दी पीस या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिके सामने जिसे उस स्थानमें हलफ देनेके अधिकार प्राप्त हों (ऐसे व्यक्तिके

लिये किसी ब्रिटिश मिनिस्टर या ब्रिटिश कौन्सल या ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट या नोटैरी पब्लिकको इस बातका सार्टीफिकेट देना चाहिये कि वह मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दी पीस या उक्त प्रकारसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति है) ।

व्याख्या—

इस दफामें हल्फनामोंके तस्दीक किये जानेकी व्यवस्था बताई गई है । हर जगह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबन्दी करते हुए हल्फनामे तस्दीक किये जासकते हैं । ब्रिटिश भारत इङ्गलैण्ड, स्काटलैण्ड व आयरलैण्डके लिये अदालत या अन्य व्यक्तिके नाम बतला दिये गये हैं जो हल्फनामा तस्दीक कर सकते हों । इनके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति या अदालतें हल्फनामा तस्दीक कर सकती हैं परन्तु ऐसे व्यक्ति या अदालतोंकी तस्दीक ऊपर उपदफा (डी) के अन्तमें बतलाये हुए ब्रिटिश आफिसरों द्वारा की जाना चाहिये ।

दफा ११८ व्यवहारिक गलतीके कारण कार्रवाइयां रद्द नहीं होनी चाहिये

(१) दिवालियेके सम्बन्धमेंकी हुई कोई कार्रवाई किसी व्यवहारिक गलती या बेतर्तीबीके कारण उस वक्त तक रद्द नहीं होगी जब तक कि वह अदालत जिसके सामने किसी कार्रवाईके लिये एतराज किया गया हो यह राय न कायम करे कि उस व्यवहारिक गलती या बेतर्तीबीके कारण बड़ी बेइन्साफी हो गई है और वह बेइन्साफी अदालतके किसी हुक्म द्वारा नहीं सुधारी जासकती है

(२) आफिशल एसायनी या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें यदि कोई गलती या बेतर्तीबी हुई हो तो किसी ऐसी गलतीसे उसके द्वारा नेकनीयतीसे किया हुआ कोई काम रद्द नहीं होगा ।

व्याख्या—

यदि कोई व्यवहारिक गल्ती या बेतर्तीबी हो जावे जैसे कि लिखने आदिमें कुछ रह जावे परन्तु उसमें कोई विशेष बेइन्साफी न होती हो अथवा जो बेइन्साफी होती हो वह अदालत अपने हुक्म द्वारा ठीक कर सकती हो तो ऐसी गल्ती या बेतर्तीबीके कारण अदालतकी कार्रवाई उपदफा (१) के अनुसार रद्द नहीं होगी । ऐसा कार्रवाई उसी समय रद्द होगी जब कि एतराज सुनने वाली अदालतकी रायमें उस गल्ती या बेतर्तीबीसे बड़ी बेइन्साफी हुई है या वह बेइन्साफी किसी दूसरे हुक्म से न सुधारी जासकती हो ।

उपदफा (२) के अनुसार यदि आफिशल एसायनीकी नियुक्ति या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें कोई गल्ती या बेतर्तीबी हुई हो और इस प्रकार नियुक्ति किये हुए व्यक्तिने नेकनीयतीसे कोई काम किये हों तो उसके द्वारा किये हुए काम रद्द नहीं होंगे अर्थात् ठीक समझे जावेंगे । अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफा के नियमकी पाबन्दीकी जावेगी तथा उसकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ११९ ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे एक्टका लागू होना

यदि इण्डियन ट्रस्टीज़ एक्ट १८६६ के अनुसार कोई ट्रस्टी होवे और वह दिवालिया करार दिया जावे तो उस एक्टकी दफा ३५ लागू होगी जिससे आवश्यकता प्रतीत होने पर उस दिवालिये के स्थान पर नया ट्रस्टी नियुक्त किये जानेका अधिकार दिया जासकता है (चाहे वह दिवालिया स्वयं इस्तीफा देवे या न देवे) और उस एक्टके तथा उस एक्टसे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे एक्ट के सब नियम इसके पश्चात् लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफामें इंडियन ट्रस्टीज एक्ट १८६६ के अनुसार ट्रस्टी होने वाला यदि कोई व्यक्ति दिवालिया करार दिया जावे तो ट्रस्टीज एक्टकी दफा ३५ का लागू होना बतलाया गया है अर्थात् उसके स्थान पर दूसरे ट्रस्टीकी नियुक्ति होना चाहिये ट्रस्टीज एक्ट (Trustees Act 1866) की दफा ३५ इस प्रकार है :—

" उन सब मामलोंमें जिनमें नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंका नियुक्त किया जाना आवश्यक हो और ऐसा करना बिना हाईकोर्टकी मददके उचित न मालूम होता हो अथवा कठिन हो या किया ही न जा सकता हो तो अदालत कानूनन नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंको नियुक्त कर सकती है चाहे ऐसा हुक्म दिये जाते समय कोई ट्रस्टी होवें या न होवें और यदि कोई ट्रस्टी होवें तो नये ट्रस्टी उनके स्थान पर अथवा उनके अतिरिक्त बनाये जासकते हैं। ऐसे हुक्मके अनुसार होने वाले ट्रस्टी या ट्रस्टियोंको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उनको किसी बाकायदे दायर किये हुए मामलेकी डिक्री होने पर प्राप्त हो सकते थे" । इस दफामें यह प्रकट है कि किसी ट्रस्टीके दिवालिया करार दिये जाने पर उसके स्थानमें दूसरा व्यक्ति कानूनन निश्चय किया जासकता है।

दफा १२० सरकारको पाबंद करने वाले कुछ नियम

केवल उन बातोंको छोड़ कर जो बतलाई गई हैं इस एक्टके नियम जो किसी दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कार्रवाईके सम्बन्धमें होवें, कर्जोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना, तस्फीया या तय होनेकी स्कीमका प्रभाव और बहाल होनेका प्रभाव इन सब बातोंकी पाबन्दी सरकार पर होगी।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए शैल (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस एक्टके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जायेगी तथा बहाल होनेका प्रभाव आदि अन्य दिखलाई हुई बातोंकी पाबन्दी सरकार पर भी होगी।

दफा १२१ मुलाक़ातके अधिकारोंकी बचत

इस एक्टकी कोई बात या इसके अनुसार किये हुए अधिकार परिवर्तनके होने पर कोई बात किसी व्यक्तिके मुलाकातके अधिकारोंको जो उसे इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले प्राप्त हों नहीं लागू होगी या यदि दिवालिये कर्जदारोंके छुटकारेके लिये दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त न रहा हो तो वह अधिकार नहीं दिया जावेगा।

दफा १२२ उन हिस्सा रसदीका, जिनका कोई दावेदार न होवे सरकारको मिलना

यदि आफिशल एसायनीके हाथमें कोई ऐसा हिस्सा रसदी होवे जो एलानसे १५ साल तक या इससे कम नियत किये हुए किसी समय तक न लिया गया हो तो वह उस रुपयेको गवर्नमेंट आफ़ इण्डियाके हिसाबमें उसके नाम जमा कर देवेगा अगर इसके विरुद्ध अदालत कोई दूसरा हुक्म न देवे।

व्याख्या—

हिस्सा रसदीका रुपया ऐलानके बाद १५ सालके अन्दर अथवा अन्य निर्धारितकी हुई मियादके अन्दर न लिया जाने पर इस दफाके अनुसार सरकारका हो जावेगा परन्तु अदालतको अधिकार है कि वह इसके विरुद्ध भी कोई आज्ञा दे देवे व ऐसे हुक्मके होने पर वह रुपया बजाय सरकारके खजानेमें जानेके उस हुक्मके अनुसार लगाया जावेगा।

दफा १२३ दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दावे

यदि दफा १२२ के अनुसार कोई रुपया भारत सरकारके हिसाबमें दे दिया गया हो और कोई व्यक्ति उस रुपये पानेका अधिकारी अपनेको बतलावे तो वह उस रुपयेके मिलनेके लिये अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है और अदालत जब कि उसे विश्वास हो जावे कि दावा करने वालेका हक उन रुपये पर पहुंचता है उस रुपयेके दिये जानेका हुक्म देवेगी परन्तु शर्त यह है कि भारत सरकारमें जमा किये हुए रुपयेके दिये जानेका हुक्म देने से पहिले अदालत गवर्नर जनरल हिन्द द्वारा इसी लिये नियुक्त किये अफसर पर इस बातका नोटिस तामील करेगी कि वह अफसर एक महीनेके अन्दर वजह ज़ाहिर करे कि रुपयेके दिये जानेका क्यों न हुक्म दिया जावे।

व्याख्या—

यदि कोई रुपया न लिये जानेके कारण भारत सरकारको दफा १२२ के आधार पर मिल गये हों और इसके बाद उन रुपयोंका दावेदार खड़ा हो तो वह अदालतमें दरख्वास्त देकर तथा अदालतको अपने हकका यकीन दिलाकर उस रुपयेके वापिस पानेका हुक्म अदालतसे ले सकता है परन्तु अदालतका कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसा आज्ञा देनेसे पहिले भारत सरकार द्वारा नियत किये हुए अफसरको रुपये पानेकी दरख्वास्तके विरोध करनेका अवसर दे तथा नोटिसकी तामील पर १ माहका मौका दिये जानेके बाद रुपये वापिसीका हुक्म देवेगी रुपये वापिसीका हुक्म देनेके लिये अदालत हर हालतमें बाध्य नहीं है किन्तु हकका यकीन होने पर रुपये वापसीका वह हुक्म देवेगी।

दफा १२४ दिवालियेकी किताबोंका मुआयना व क़ब्ज़ा

(१) आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी व्यक्तिको दिवालियेकी किताबोंको रोकनेका अधिकार नहीं होगा और न उन पर उनका कोई बार ही होगा।

(२) दिवालियेका कोई भी कर्जख्वाह अदालतकी आज्ञाके अनुसार तथा इस सम्बन्धमें निर्धारितकी हुई फीसके अदा करने पर स्वयं या अपने एजण्टके जरिये उचित समयों पर आफिशल एसायनीके कब्जेमें होने वाली ऐसी किताबोंका मुआयना कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफासे यह प्रकट है कि दिवालियेके हिसाबकी किताबों पर सबसे पहिले आफिशल एसायनीका हक होगा और वही दूसरोंके मुकाबले उन किताबों पर कब्जा पानेका हकदार होगा। अर्थात् एक्टमें (Shall) शब्दके प्रयोग किये जाने से यह समझना चाहिये कि इस उपदफाके नियमकी अवहेलना नहीं की जावेगी।

उपदफा (२) के अनुसार कर्जख्वाहोंको दिवालियेके हिसाबकी किताबोंका जो आफिशल एसायनीके कब्जेमें होवें फीस देने पर मुआयना करनेका अधिकार प्राप्त है परन्तु अदालत इस सम्बन्धमें हस्तक्षेप कर सकता है।

दफा १२५ फीस व...... .....फी सैकड़ा

वह फीस व . .. फी सैकड़ा इस एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें लिया जावगा जो निर्धारित किया गया हो।

दफा १२६ अदालतें एक दूसरेकी सहायक होंगी

इस एक्टके अनुसार अधिकार रखने वाली सब अदालतें ऐसे हुक्म देंगी व ऐसे काम करेंगी जिससे बैंकरप्सी एक्ट १८८३ (विक्टोरिया चैप्टर ४६ व ४७) की दफा ११८ तथा प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९०७ (एक्ट ३ सन् १९०७ई०) की दफा ५० कार्य रूपमें परिणित की जासकें।

व्याख्या—

सन् १९०७ ई० का प्रान्तिक क़ानून दिवालिया (एक्ट ३ सन् १९०७ ई०) बदल गया है अब इसके स्थानमें सन् १९२० ई० का प्रान्तिक क़ानून दिवालिया (एक्ट ५ सन् १९२० ई०) प्रचलित है। पिछले एक्टकी दफा ५० जिसका हवाला इस दफामें है नये एक्टकी दफा ७७ के रूपमें बतलाई गई है व वह इस प्रकार है.—"वह सब अदालतें जिन्हें दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाकिम एक दूसरेको दिवालेके मामलोंमें मदद देंगे और अगर कोई अदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुक्म देगी तो उस दूसरी अदालतको उस मदद चाहने वाले मामलेके लिये जिसका ज़िक्र हुक्ममें होगा वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंको हो सकते हैं।" बैंकरप्सी एक्टकी दफा ११८ जिसका ज़िक्र इस दफामें है वह भी इसी आशय की है अब पुराने बैंकरप्सी इस एक्टके स्थानमें बैंकरप्सी एक्ट १९१४ (Bankruptcy Act 1914) प्रचलित है और नये एक्टकी दफा १२२ में वह बातें दी गई हैं जो पिछले एक्टकी दफा ११८ में थीं। इस दफाके पाबन्दीकी भी आवश्यकता है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

दफा १२७ क़ानूनोंकी मंसूख़ी

(१) तीसरे शिड्यूलमें दिखलाये हुए क़ानून उस हद तक मंसूख किये जाते हैं जिस हद तक उसके चौथे कालममें दिखलाये गये हैं।

(२) इस एक्टके अनुसार की हुई मंसूखीके होते हुए भी दिवालियेकी उन दरख्वास्तों की कार्रवाइयां जो इण्डियन इन्सालवेंसी एक्ट १८४८ (विक्टोरिया चैप्टर २१ के ११ व १२) के अनुसार इस एक्टके प्रारम्भ होते समय चल रही हों जारी रहेंगी अगर इस एक्टका कोई नियम साफ तौर पर चालू कार्रवाइयोंके लिये न दिया गया हो। और उस हुक्मके सब नियम ऊपर बतलाई हुई बातोंको छोड़कर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह पास ही न हुआ हो।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि तीसरे शिड्यूलमें दिखलाये हुए एक्ट मंसूख किये गये हैं तथा उनकी मंसूखी उस हद तक समझना चाहिये जिस हद तक कि इस तीसरे शिड्यूलके चौथे कालम (खाने) में दिखलाया गया है।

उपदफा (२) के अनुसार पिछले क़ानून दिवालियाके अनुसार होने वाली कार्रवाइयां बदस्तूर बनी रहेंगी परन्तु यदि इस एक्टमें खास तौरसे दे दिया हो कि किसी किस्मकी कार्रवाई मंसूख समझी जावेगी या वह दूसरे ढंगसे की जावेगी तो इस प्रकार बतलाये हुए नियमकी पाबन्दीकी जावेगी। अर्थात् यदि कोई खास बात इस एक्टमें न दी होवे तो पिछले एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाई उसी प्रकार होती रहेगी तथा उसी एक्टके नियम भी लागू होंगे इस एक्टसे उस कार्रवाईमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी।

पहिली सूची

(The First Schedule.)

क़र्जख्वाहोंकी मीटिंग

१ कर्जख्वाहोंकी मीटिंग

आफिशल एसायनी जब चाहे कर्जख्वाहोंकी मीटिंग कर सकता है और वह कर्जख्वाहोंकी मीटिंग उस वक्त जरूर करेगा जब कि ऐसा करनेके लिये अदालत कहे या कर्जख्वाहानने ऐसा करनेके लिये किसी मीटिंगमें प्रस्ताव पास किया हो या जब कि कर्जा साबित कर चुकने वाले कर्जख्वाहोंमेंसे इतने कर्जख्वाह लिख कर मीटिंग करनेके लिये कहें जिनके कर्ज कुल कर्जके एक चौथाई कीमतके बराबर होते होवें।

व्याख्या—

तीन दशाओंमें आफिशल एसायनी कर्जख्वाहोंकी मीटिंग करनेके लिये बाध्य है—(१) यह कि जब अदालत मीटिंग करनेका हुक्म देवे, (२) यह कि जब किसी मीटिंगमें कर्जख्वाहोंने मीटिंग किये जानेके लिये कोई प्रस्ताव पास किया हो (३) यह कि जब एक चौथाई कीमत वाले कर्जख्वाह जिनके कर्ज साबित हुये हों लिख कर किसी मीटिंगके करनेकी प्रार्थना करें। इसके अलावा आफिशल एसायनी जब चाहे कर्जख्वाहोंकी मीटिंग आवश्यकता समझने पर कर सकता है।

२ मीटिंगका बुलाया जाना

मीटिंग किये जानेके समय तथा स्थानकी सूचना सब कर्जख्वाहोंके पास भेजी जावेगी, कर्जा साबित कर चुकने वाले कर्जख्वाहोंके पास यह सूचना उस पतेसे भेजी जावेगी जो उन्होंने कर्जा साबित करनेमें बतलाया हो दूसरे कर्जख्वाहोंको उस पतेसे भेजी जावेगी जो दिवालियेने कर्जख्वाहोंकी सूचीमें दिखलाया हो या किसी दूसरे पतेसे जो आफिशल एसानीको मालूम हो।

व्याख्या—

मीटिंगकी सूचना सब कर्जख्वाहोंके पास भेजी जावेगी चाहे उन्होंने कर्ज साबित किया हो या न साबित किया हो। सूचनामें मीटिंगकी जगह तथा उसके किये जानेका समय बतलाया जावेगा। सूचना उस पतेसे दी जावेगी जो कर्जा साबित करनेमें कर्जख्वाहोंने अपना २ पता बतलाया हो परन्तु जिन्होंने कर्जा साबित हा न किया हो उनको उसी पतेसे भेजी जावेगी जो दिवालियेने अपनी फिहरिस्तमें दिखलाया हो अथवा जो आफिशल एसायनीको अन्य किसी प्रकारसे मालूम हो सके।

३ मीटिंगके नोटिस

मीटिंगके लिये नियत किये हुए दिनसे, कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस भेजे जावेंगे और वह या तो स्वयं बन्दोंको दिये जासकते हैं या स्टाम्प लगाये हुए खतोंसे भेजे जासकते हैं जैसेमें सुभीता होवे। आफिशल एसायनीको यदि उचित प्रतीत होवे तो वह स्थानीय अखबार अथवा प्रान्तिक आफिशल गजटमें मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना प्रकाशित कर सकता है।

व्याख्या—

मीटिंगके होनेसे कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस जारी करनेकी आवश्यकता है नोटिस खानी तौर पर दिये जा

सकते हैं अथवा टिकट लगाकर खतके तौर पर भेजे जासकते हैं अर्थात् बैरंग नहीं भेजा जाना चाहिये। आफिशल एसायनी इस पर निर्भर है कि वह यदि मुनासिब समझे तो मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना स्थानीय अखबारमें अथवा प्रांतिक सरकारी गजटमें प्रकाशित कर देवे। ऐसा उसी समय आवश्यक हो सकता है जब कि बहुतसे कर्जख्वाह होवें या अधिकतर कर्जख्वाह एकही स्थानमें होवें अथवा एक ही प्रांतके होवें अथवा आफिशल एसायनीको अन्य किसी पर्याप्त कारणसे ऐसा करना उचित प्रतीत होवे।

४ यदि आवश्यकता हो तो दिवालियेके हाजिर होनेका कर्तव्य

यदि आफिशल एसायनी किसी मीटिंगमें हाजिर होनेकी सूचना दिवालियेको देवे तो उसका कर्तव्य होगा कि वह उस मीटिंगमें अथवा यदि वह किसी तारीखके लिये बढा दीगई हो तो उस बढ़ी हुई तारीख पर हाजिर होवे। इस प्रकारका नोटिस या तो स्वयं उसे ही दिया जावेगा या मीटिंगसे कमसे कम तीन दिन पहिले डाकके जरिये उसके पतसे भेजा जावेगा।

व्याख्या—

दिवालियेको मीटिंगमें हाजिर होनेका नोटिस जारी होने या तारीखसे कमसे कम तीन दिन पहिले दिया जाना चाहिये। नोटिसकी जारी तामील कीजासकती है अथवा वह डाकके जरिये उसके पतसे भेजा जासकता है बुलाये जाने पर मीटिंगमें उस दिन तथा बढ़ी हुई तारीख पर हाजिर होना दिवालियेका कर्तव्य है।

५ नोटिस न पहुंचने पर मीटिंगकी कार्रवाईका रद्द न होना

यदि किसी कर्जख्वाहका भेजा हुआ नोटिस उसको न भी मिला हो तो किसी मीटिंगमकी हुई कार्रवाइयां व उसमें पास किये हुए प्रस्ताव ठीक माने जावेंगे जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी कर्जख्वाहको नोटिस भेजा गया हो परन्तु उसे न मिला हो और मीटिंग होकर कोई प्रस्ताव आदि पास किये गये हों तो नोटिसकी तामील हुए बिना मीटिंगकी कार्रवाइयोंका किया जाना रद्द नहीं समझा जावेगा परन्तु यदि अदालत चाहे तो ऐसे मीटिंगकी कार्रवाई या उसमें पास किये हुए प्रस्तावको रद्द कर सकती है।

६ नोटिसके जारी होनेका सुबूत

यदि आफिशल एसायनी इस बातका सार्टीफिकेट दे देवे कि किसी मीटिंगका नोटिस बाकायदा दिया गया है तो यह काफी शहादत इस बातकी मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पतेसे भेजा गया है उसको ठीक तौर से भेजा गया है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीने जिस पतेसे नोटिस भेजा होगा उस पतेसे उसका भेजा जाना पर्याप्त माना जावेगा अर्थात् नोटिसके बाकायदा भेजे जानेकी बात आफिशल एसायनीके तसदीक करने पर ठीक मानी जावेगी और वह बतौर शहादतके इस्तेमाल की जासकेगी।

७ मीटिंगका खर्च

जब कि कर्जख्वाहोंकी प्रार्थना पर आफिशल एसायनी कोई मीटिंग करे तो तहरीरी प्रार्थनाके साथ हर बीस कर्जख्वाहोंके हिसाबसे पांच रुपये मीटिंग किये जानेके खर्चके तौर पर जमा किये जावेंगे जिसमें सब खर्च शामिल समझना चाहिये, परन्तु शर्त यह भी है कि आफिशल एसायनी मीटिंगके खर्चके लिये जो उसकी रायमें मुनासिब मालूम पडे और भी अधिक रुपया जमा करा लेगा।

व्याख्या—

कर्जख्वाह अगर मीटिंग कराना चाहें तो उनको पांच रुपया फी बीस कर्जख्वाहके हिसाबसे बतौर खर्चेके दरख्वास्तके साथ जमा करना चाहिये। आफिशल एसायनीको मुनासिब मालूम पड़नेपर और भी अधिक रुपया बतौर खर्चेके जमा कराया जासकता है।

८ चेयरमैन

आफिशल एसायनी हर मीटिंगका चेयरमैन (सभापति) होगा।

९ वोट देनेके अधिकार

कोई कर्जख्वाह जब तक कि वह अपना कर्ज जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किया जा सकता हो बाकायदा साबित न कर देवे मीटिंगमें वोट देनेका अधिकारी न होगा और कर्जका सुबूत मीटिंग होनेके लिये नियत किये हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले हो चुकना चाहिये।

व्याख्या—

कर्जा साबित कर चुकने वाले कर्जख्वाह ही वोट दे सकेंगे। इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि मीटिंगके लिये नियत किये हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले कर्जा साबित हो जाना चाहिये अर्थात् जो कर्जख्वाह मीटिंगके दिन कर्जा साबित किया चाहे वह वोट देनेका अधिकारी नहीं होगा। जिन कर्जख्वाहोंका कर्जा साबित नहीं किया गया है वह वोट नहीं देसकेंगे।

१० कुछ कर्जोंके सम्बन्धमें वोट नहीं दिये जासकेंगे

किसी मीटिंगमें कोई ऐसा कर्जख्वाह वोट नहीं दे सकता जिसका कर्ज निश्चित धनराशिके रूपमें न होवे या जिसका कर्ज किसी बातके होने पर निर्भर होवे अथवा कोई ऐसा कर्ज होवे जिसकी कीमत तय न हुई हो।

११ महफूज कर्जख्वाह

यदि किसी महफूज कर्जख्वाहने अपनी जमानत न छोड़ दी होवे और वह वोट देना चाहे तो वह अपने सुबूतमें अपनी जमानतकी तफसील बतलायगा वह तारीख जब कि जमानतकी गई हो और उसकी अन्दाजा लगाई हुई कीमत और वह अन्दाजा लगाई हुई कीमत कर्जेमे घटानेके बाद जो कर्ज बचेगा उसीके लिये वोट दे सकेगा। यदि वह अपने पूरे कर्जेके सम्बन्धमें वोट देवे तो यह मान लिया जावेगा कि उसने जमानत छोड़ दी है जब तक कि अदालतको उसके दरख्वास्त देने पर यह यकीन न हो जावे कि वह गलती से अपने जमानतकी कीमत नहीं दिखला सका है।

व्याख्या—

महफूज कर्जख्वाह अपने पूरे कर्जेके सम्बन्धमें जमानत छोड़ देने पर वोट दे सकते हैं तथा वह जमानतकी कीमत असली कर्जेमें से घटाकर बाकी कर्जेके लिये वोट दे सकता है।

१२ उन दस्तावेजोंका सुबूत जो काबिल बय व तबादलेके होवें

यदि कोई कर्जख्वाह किसी बिल आफ एक्सचेंज (Bill of Exchange) प्रोमिसरी नोट (Promissory Note) या अन्य किसी ऐसी दस्तावेजको जो बयनामा, हवालगी या किसी इबारतसे बची जा सकती हो (Negotiable Instrument) या किसी जमानतका जिसके लिये दिवालिया पाबन्द हो साबित किया चाहे तो वह बिल आफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेंट या जमानत आफिशल एसायनीके सामने पेश की जाना चाहिये पहिले इसके कि उसका सुबूत वोटके लिये माना जावे परन्तु अदालत इसके विरुद्ध कोई विशेष हुक्म भी दे सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार जिन दस्तावेजोंपर कर्जा बतलाया जाता हो वह आफिशल एसायनीके सामने पेश की जाना चाहिये और उनके पेश होनेके बाद कर्जका सबूत वोट देनेके लिये पर्याप्त माना जावेगा। अदालतको अधिकार है कि वह इसके विरुद्ध कोई विशेष आज्ञा दे देवे और ऐसा होने पर अदालतकी आज्ञाके अनुसार किया जावेगा।

१३ कर्जख्वाहसे ज़मानत छोड़ देनेके लिये कहनेका अधिकार

यदि किसी महफूज कर्जख्वाहने अपनी जमानतकी कीमतका अन्दाजा देनेके बाद किसी मीटिंगमें वोट देने के अधिकारका प्रयोग किया हो तो आफिशल एसायनीको अधिकार होगा कि वह उस सुबूतसे २८ अट्ठाईस दिनके अन्दर उस महफूज कर्जख्वाहसे अन्दाजा लगाई हुई कीमत लेकर सब कर्जख्वाहोंके लाभार्थ जमानत छोड़ देनेको कहे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी महफूज कर्जख्वाह द्वारा अन्दाजा लगाई हुई कीमतको अदा करने पर उससे उसकी जमानतको अन्य सब कर्जख्वाहोंके लाभार्थ ले सकता है परन्तु ऐसा २८ दिनके अन्दर ही किया जाना चाहिये। इस दफाका तात्पर्य यह है कि यदि कोई महफूज कर्जख्वाह अपनी जमानतकी कीमत कम लगाकर बेजा फायदा उठाना चाहे यानी अपने बकाया कर्जको और कर्जख्वाहोंके साथ वसूल किया चाहे तो उससे उसके अन्दाजा लगाई हुई कीमत पर उसकी जमानत आफिशल एसायनी द्वारा ली जा सकती है इस प्रकार जमानत कम कीमतमें ले लिये जानेके डरसे कोई महफूज कर्जख्वाह कम कीमत लगाकर बेजा फायदा उठानेकी हिम्मत नहीं कर सकेगा।

१४ शरीकदारका सुबूत

यदि किसी फर्मका एक शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो उस शरीकदारका कोई कर्जख्वाह जिसका कर्ज उस फर्मके अन्य शरीकदार या शरीकदारोंके साथमें दिवालियेसे लेना होवे अपना कर्ज मीटिंगमें वोट देनेके लिये साबित कर सकता है और ऐसा करने पर वह वोट देनेका अधिकारी होगा।

व्याख्या—

फर्मका कर्जख्वाह या एक से अधिक शरीकदारोंका सयुक्त कर्जख्वाह अपने कर्जको उन शरीकदारोंमें से किसी एक के दिवालिया करार दिये जाने पर अपना कर्ज उसके विरुद्ध साबित कर सकता है तथा उसके आधार पर कर्जख्वाहोंकी मीटिंगमें वोट दे सकता है।

१५ आफिशल एसायनीके कर्ज़ा साबित मानने या न माननेके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनीको वोट देनेके सम्बन्धमें दिये हुए सुबूतको मानने या न माननेका अधिकार हासिल होगा परन्तु उसके फैसलकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। यदि आफिशल एसायनीको इस बातका शक होवे कि आया सुबूत माना जाना चाहिये या खारिज कर देना चाहिये तो वह उस सुबूतमें यह लिख देवेगा कि सुबूतमें एतराज है और कर्जख्वाहको वोट देनेका अधिकार प्राप्त हो जावेगा परन्तु शर्त यह रहेगी कि अगर एतराज कायम बना रहेगा तो उसका वोट गलत करार दिया जा सकेगा।

व्याख्या—

वोट देनेके सम्बन्धमें सुबूतका मानना या खारिज कर देना आफिशल एसायनी पर निर्भर होगा परन्तु उसके फैसलेकी अपील अदालतमेंकी जा सकेगी। शक वाले मामलेमें वोट देनेका अधिकार कर्जख्वाहको इस शर्त पर प्राप्त रहेगा कि उसके विरुद्ध किये हुए एतराजके ठीक साबित होने पर उसका वोट रद्द माना जावेगा।

१६ प्रोक्सी

कर्जख्वाह स्वयं वोट दे सकता है तथा वह किसी कायम मुकाम (प्रोक्सी) के जरिये भी वोट दे सकता है।

व्याख्या—

प्रोक्सीसे तात्पर्य उस व्यक्तिसे समझना चाहिये जिसे किसीने अपनी तरफसे वोट देनेका अधिकार दिया हो।

१७ प्रोक्सी की दस्तावेज

अपनी तरफसे वोट देनेका अधिकार (प्रोक्सी) देने वाली दस्तावेज निर्धारित किये हुए ढंग (फार्म) पर होगी और आफिशल एसायनी द्वारा जारीकी जावेगी।

१८ प्रोक्सी का आम अधिकार (General Proxy)

कर्जख्वाहको अधिकार है कि वह अपने मुख्तारको, मैनेजरको, क्लर्कको अथवा अपनी बाकायदा नौकरीमें रखे हुए किसी मुनीम या अन्य व्यक्तिको आम अधिकार वोट देनेका (General Proxy) दे देवे। ऐसे मामलेमें प्रोक्सीकी दस्तावेजमें यह दिखलाना आवश्यक होगा कि वोट देने वाले व्यक्तिका कर्जख्वाहसे क्या सम्बन्ध है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कर्जख्वाह अपने किसी आदमीको आम इख्तियार वोट देनेका दे सकता है परन्तु ऐसी हालतमें प्रोक्सीके कागजमें यह दिखला दिया जावेगा कि वोट देने वालेका असली कर्जख्वाह से क्या ताल्लुक है।

१९ मीटिंगकी तारीखसे एक दिन पहिले प्रोक्सीका दाखिल किया जाना

यदि उस मीटिंग होनेसे जिसमें कि प्रोक्सी इस्तैमालकी जानेको होवे कमसे कम एक दिन पहिले प्रोक्सी का कागज आफिशल एसायनीको न दे दिया जावे तो वह प्रोक्सी इस्तैमाल नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

मीटिंग होनेसे कमसे कम एक दिन पहिले वोट देनेका अधिकार देने वाला कागज आफिशल एसायनीको दे दिया जाना चाहिये वरना वोट देनेका अधिकार उस कागजके जरिये प्राप्त नहीं माना जावेगा।

२० आफिशल एसायनीका स्वयं प्रोक्सी होना

कोई भी कर्जख्वाह आफिशल एसायनीको अपनी ओरसे वोट (Proxy) देनेके अधिकारको दे सकता है।

२१ मीटिंगका बढ़ा दिया जाना

आफिशल एसायनीको अधिकार है कि वह किसी मीटिंगको एक समयमें दूसरे समयके लिये तथा एक स्थानसे दूसरे स्थानमें किये जानेके लिये हटा सके और ऐसे बढ़ाये जानेका नोटिस दिये जानेकी आवश्यकता नहीं है।

व्याख्या—

मीटिंग ही में समय या स्थानके बढ़ाये जानेकी सूचना हो जानेके कारण उसके लिये नोटिसकी आवश्यकता इस दफाके अनुसार नहीं रक्खी गई है।

२२ कार्यवाईका विवरण

आफिशल एसायनी मीटिंगमें कार्यवाईका विवरण तैयार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

दूसरी सूची

(The Second Schedule)

कर्ज़ोंके सुबूत

मामूली मामलोंमें सुबूत

१ सुबूत दाखिल करनेका समय

दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् जितनी जल्द हो सकेगा हर एक कर्जख्वाह अपना अपना सुबूत दाखिल करेगा।

२ सुबूत दाखिल करनेका तरीक़ा

कर्जेकी तस्दीक करने वाला हलफ़नामा आफिशल एसायनीको देनेसे या उसके पास बजरिये रजिस्ट्री खत के डाक द्वारा रवाना करनेसे सुबूत दाखिल किया जा सकता है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार कर्जोंकी तस्दीक़में लिखा हुआ हलफ़नामा आफिशल एसायनीके पास पहुंचनेसे कर्जेका सुबूत करना माना जावेगा। यह हलफ़नामा हाथमें भी दिया जा सकता है व रजिस्ट्री डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।

३ हलफ़नामा दाखिल करनेका अधिकार

कर्जख्वाह स्वयं या अपनी ओरसे इस कामके लिये अधिकार दिये हुए किसी व्यक्ति द्वारा हलफ़नामा दाखिल कर सकता है यदि उक्त प्रकारसे अधिकार दिये हुए व्यक्ति द्वारा हलफ़नामा दाखिल किया गया हो तो उसमें यह बतलाया जावेगा कि वह किस अधिकारसे हलफ़नामा पेश कर रहा है तथा उसे मामलेका इल्म किस प्रकार हुआ है।

व्याख्या—

यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं कर्जख्वाह ही हलफ़नामा पेश करे उसकी ओरसे अन्य व्यक्ति भी हलफ़नामा दाखिल कर सकता है परन्तु उस व्यक्तिको चाहिये कि वह अपने अधिकारको बतलावे तथा यह भी दिखलावे कि उसे मामलेका हाल कैसे मालूम हुआ है जैसे कि मुनीम या मुख्तारआम अथवा दफ़्तरमें काम करने वाला व्यक्ति जिसके सामने कर्ज दिया गया हो या जिसने कागज़ातमें इन्दराज किया हो हलफ़नामा दाखिल कर सकता है।

४ हलफ़नामेमें क्या बात दिखलाई जाना चाहिये

हलफ़नामामें कर्जेकी तफसील जाहिर करनेके लिये हिसाब या हिसाबका हवाला दिया जावेगा और उसमें उन कागजातका हवाला होगा जिनके जरिये उस हिसाबकी पुष्टिकी जा सकती है। आफिशल एसायनी किसी समय भी उन कागजातको पेश करा सकता है।

व्याख्या—

हलफ़नामेमें एक तो हिसाब दिखलाया जाना चाहिये या उसका हवाला दिया जाना चाहिये जिससे कि कर्जेकी

तफसील मालूम हो सके दूसरे यदि कोई कागजात उस हिमायती पुष्टिमें कर्जख्वाहके पास होवे तो उनका भी हवाला उस हल्फनामेमें दे दिया जाना चाहिये। साथ ही साथ आफिशल एसायनीको अधिकार प्राप्त है कि जब वह चाहे उन कागजात को जिनका हवाला हल्फनामेमें दिया गया हो पेश करा लेवे।

५ हलफनामेमें जमानतका ज़िक्र होना चाहिये

हलफनामेमें यह भी दिखलाया जावेगा कि आया कर्जख्वाह महफूज कर्जख्वाह है या नहीं।

व्याख्या—

सादा रुपयेकी डिक्री रेहननामेके तौर पर लिखी जा सकती है। और इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मुर्तहिनको महफूज कर्जख्वाह समझना चाहिये। 38 Bom. 359.

६ कर्ज़ साबित करनेका खर्च

कर्जा साबित करनेका खर्च स्वयं कर्जख्वाह बर्दाश्त करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई खास हुक्म न देवे।

७ सुबूत देखने व उसका मुआयना करनेका अधिकार

वह कर्जख्वाह जो अपना सुबूत दाखिल कर चुका है दूसरे कर्जख्वाहों द्वारा दाखिल किये हुए सुबूतको हमेशा उचित समय पर देख सकता है।

८ सुबूतसे बट्टेका घटाया जाना

कर्जख्वाह अपना सुबूत दाखिल करते समय अपने कर्जेमेंसे तिजारती बट्टेको घटा देवेगा परन्तु वह अपने खास कर्जेके पांच रुपये सैकडे तकका बट्टा घटानेके लिये उस समय मजबूर नहीं होगा जब कि वह नकद दाममें उसे घटानेके लिये तैयार रहा हो।

व्याख्या—

५ रुपये सैकडे तकका बट्टा वह अपने कर्जेमें बना रहने दे सकता है जब कि नकद दाममें बट्टा दिया जाता हो।

महफूज़ कर्ज़ख्वाहोंका सुबूत

६ जब कि जमानत वसूलकी जाचुकी हो तबका सुबूत

यदि कोई महफूज कर्जख्वाह अपनी जमानत वसूल कर चुका हो तो वह वसूल किये हुए रुपयेको घटाने के बाद जो कर्जे उसका बचे उसे साबित कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार वह महफूज कर्जख्वाह भी अपना कर्जा साबित कर सकते हैं जो अपनी जमानत वसूल कर चुके हों परन्तु ऐसा वह उसी समय कर सकेंगे जब कि जमानतसे कुछ रुपया वसूल न हुआ हो और जमानत वसूल किये जानेके बाद भी उनका कर्ज कुछ बाकी बच रहे। इस सम्बन्धमें इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि ऐसे कर्जख्वाह केवल बचे हुए कर्जे के सम्बन्ध ही में साबित कर सकते हैं अपने पूरे कर्जेके लिये नहीं। जमानत रेहननामेकी शक्लमें अथवा अन्य किसी बातकी शक्लमें हो सकती है।

१० जब कि जमानत छोड़ दी गई हो उस समय सुबूत

जब कि आफिशल एसायनीके हकमें किसी महफूज कर्जख्वाहने अपनी जमानत सब कर्जख्वाहोंके लाभमें छोड़ दी हो तो वह अपने पूरे कर्जके लिये साबित कर सकता है।

व्याख्या—

जमानत छोड़ देनेके बाद महफूज कर्जख्वाह भी अन्य कर्जख्वाहोंकी भांति अपने पूरे कर्जके लिये साबित कर सकता है।

११ दूसरे मामलोंमें सुबूत

यदि कोई कर्जख्वाह न तो अपनी जमानतको छोड़े और न उसने अपनी जमानतको वसूल ही किया हो तो वह हिस्सा रसदी पानेसे पहिले सुबूतमें अपनी अन्दाजा लगाई हुई जमानतकी कीमत तथा जमानतकी तफसील और उसके किये जानेकी तारीख बतलायेगा और अन्दाजा लगाई हुई कीमत घटानेके बाद जो कर्ज बचेगा उसीके लिये वह हिस्सा रसदी पासकेगा।

व्याख्या—

जमानत वाले कर्जख्वाह जमानतकी कीमत घटाकर अपने बाकी कर्जेके सम्बन्धमें हिस्सा रसदी ले सकते हैं।

१२ जमानतकी कीमतका लगाया जाना

(१) जब कि जमानतकी कीमतका अन्दाजा उक्त प्रकारसे लगाया गया हो तो आफिशल एसायनीको अधिकार होगा कि वह अन्दाजा लगाई हुई कीमत कर्जख्वाहको अदा करनेके बाद उस जायदादको छुड़ा लेवे।

(२) यदि किसी जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई कीमतसे आफिशल एसायनी सन्तुष्ट न होवे तो वह जमानतकी जायदाद को उन शर्तों व नियमोंके साथ तथा उन समयों पर नीलाम पर चढ़वा सकता है जो उसके और कर्जख्वाहके दर्मियान तय होवें या ऐसा कोई समझौता न होने पर जैसा अदालत हुक्म देवे। यदि जायदाद नीलाम आममें बेची जाने को होवे तो कर्जख्वाह या आफिशल एसायनी दिवालिये की जायदादकी तरफसे बोली बोल सकता है व जायदादको खरीद सकता है। परन्तु शर्त यह है कि कर्जख्वाह किसी समय भी आफिशल एसायनी को लिखकर नोटिस दे सकता है कि वह जायदादको छुड़ाना चाहता है या नहीं अथवा उसको वसूल कराना चाहता है या नहीं और यदि ऐसा होनेसे छ महीनेके अन्दर आफिशल एसायनी लिखकर कर्जख्वाहको अपने इस प्रकारके अधिकारके प्रयोग किये जाने की सूचना न देवे तो वह फिर इस अधिकारका प्रयोग नहीं कर सकेगा। और हक इनफकाक या अन्य कोई हक जो आफिशल एसायनी का पहुंचता होगा कर्जख्वाहको प्राप्त हो जावेगा और उसके कर्ज की तादादमें जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई कीमत कम कर दी जावेगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार आफिशल एसायनी कर्जख्वाहसे उसके जमानतकी जायदाद अन्दाजा लगाई हुई कीमत पर ले सकता है तथा उपदफा (२) के अनुसार वह कीमतसे असहमत होने पर जमानत वसूल करनेके लिये कर्जख्वाहको मजबूर कर सकता है। इस प्रकार जमानत वसूल करनेमें नीलाम आम किये जाने पर कर्जख्वाह व आफिशल एसायनी दोनों ही जायदाद को खरीद कर सकते हैं। दफामें जो शर्तें लगाई गई हैं उसके अनुसार ६ महीनेके अन्दर कर्जख्वाह आफिशल एसायनीके निश्चयको मालूम कर सकता है जवाब न मिलने पर आफिशल एसायनीके हक कर्जख्वाहको प्राप्त हो सकते हैं तथा उसकी अन्दाजा लगाई हुई कीमत मान कर बाकी कर्जेके लिये वह हिस्सा रसदी ले सकता है।

१३ कीमतमें संशोधन

यदि कर्जख्वाहने अपनी जमानतकी कीमत ऊपर बतलाये हुए ढंग पर लगाई हो तो वह उसकी कीमत तथा अपने सुबूतका संशोधन किसी समय भी कर सकता है जब कि वह आफिशल एसायनी या अदालतको इस बातका विश्वास दिला देवे कि कीमत व सुबूत गल्तीसे कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके कारण नेकनीयतीसे गलत हो गये हैं। या कीमतके अन्दाजा लगाये जानेके बाद जायदादकी कीमत बढ़ या घट गई है। परन्तु इस प्रकारका संशोधन कर्जख्वाहके खर्चे पर होगा तथा उन शर्तोंके अनुसार होगा जो अदालत अपने हुक्मके अनुसार लगावे गो उस समय इसकी बचत हो जावेगी जब कि आफिशल एसायनीने बिना अदालतमें दरख्वास्त दिये हुए संशोधनकी आज्ञा दे दी हो।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कीमतका संशोधन अदालत तथा आफिशल एसायनी दोनों ही पर्याप्त कारण बतलाये जाने पर कर सकते हैं। जब कि आफिशल एसायनी बिना अदालतमें दरख्वास्त दिये हुए संशोधन की आज्ञा दे देवेगा तो कर्जख्वाहका खर्च बच जावेगा वरना अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पाबन्दी उसको करना पड़ेगी तथा खर्चा भी उसे बरदाश्त करना पड़ेगा। संशोधन की आज्ञा जायदादकी कीमत घटाने या बढाने पर दी जा सकती है इसी प्रकार यदि किसी गलतीसे जायदादकी कीमतका गलत अन्दाजा लगाया गया हो तो कीमतका संशोधन हो सकता है।

१४ ज्यादा रुपया वसूल हो जाने पर उसका लौटाया जाना

जब कि ऊपर बतलाये हुए नियमके अनुसार कोई कीमत दुरुस्त की गई हो तो कर्जख्वाह उस अधिक वसूल किये हुए हिस्सा रसदी को लौटा देगा जो कि उसको संशोधित कीमतके हिसाबसे न मिलना चाहिये था अथवा वह हिस्सा रसदीके लिये बचे हुए रुपयेमेंसे भविष्यके हिस्सा रसदी बाँटे जानेसे पहिले उस रुपयेको पाने का अधिकारी होगा जो उसे ठीक की हुई कीमतके अनुसार हिस्सा रसदीमें ज्यादा मिलना चाहिये और जिसे वह गलत कीमतकी वजहसे न पासका हो परन्तु संशोधनसे पहिले बाँटे हुए हिस्सा रसदीमें वह किसी प्रकारकी गड़बड़ी नहीं कर सकेगा।

व्याख्या—

संशोधनसे पहिले यदि कोई हिस्सा रसदी बँट चुका हो तो उसमें कोई रदोबदल नहीं किया जावेगा परन्तु संशोधनके समय यदि कोई रुपया हिस्सा रसदीके लिये बचा हो तो उसमेंसे आयन्दा का हिस्सा रसदी बाटनेसे पहिले उस कर्जख्वाहको रुपया दिया जावेगा जिसे संशोधनके अनुसार कुछ अधिक मिलना चाहिये। यह भी ध्यानमें रहना चाहिये कि यदि संशोधनसे पहिले कोई कर्जख्वाह अपने हिस्सेसे अधिक रुपया बतौर हिस्सा रसदीके वसूल कर चुका हो तो उसे बाद संशोधन वह रुपया लौटाना पड़ेगा और इस प्रकार लौटाया हुआ रुपया सब कर्जख्वाहोंको हिस्सा रसदीके तौर पर मिल सकेगा।

१५ जब कि जमानत बादमें वसूल की गई हो तब संशोधन

यदि जमानतकी कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके पश्चात् कोई कर्जख्वाह अपनी जमानत वसूल कर लेवे अथवा वह रूल १२ के अनुसार वसूल की गई हो तो वसूल किया हुआ रुपया अन्दाजा लगाई हुई कीमतके स्थान पर समझा जावेगा और वह हर प्रकारसे कर्जख्वाह द्वारा संशोधित किया हुआ मूल्य समझा जावेगा।

व्याख्या—

कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके बाद चाहे कर्जख्वाह स्वयं जमानतको वसूल कर लेवे अथवा वह रूल १२ के

अनुसार वसूल की जावे वसूलका हुई क़ीमत ही असली क़ीमत माना जावेगा और उसको अन्दाज़ा लगाई हुई क़ीमत की जगह पर समझना चाहिये।

१६ हिस्सा रसदीसे वंचित रहना

यदि कोई महफूज कर्ज़ख्वाह पिछले रूल्स (नियमों) की पाबन्दी न करे तो वह हिस्सा रसदीसे हर प्रकार वंचित रखा जावेगा।

१७ पानेकी हद

रूल १२ के नियमोंका ध्यान रखते हुए कोई भी कर्ज़ख्वाह रुपयेमें १६ आनेसे अधिक तथा इस एक्टमें बतलाये हुए सूदको छोड़ कर और कुछ नहीं पावेगा।

व्याख्या—

इस रूलके अनुसार कोई भी कर्ज़ख्वाह अपने कर्ज़ेसे अधिक नहीं पासकेगा। हां वह इस एक्टमें बतलाये हुए नियमों के अनुसार सूद अलबत्ता पासकता है यदि रूल १२ के अनुसार कोई कर्ज़ख्वाह स्वयं जायदादको सस्तेमें खरीद लेवे या उसकी कम अन्दाज़ा लगाई हुई क़ीमत मान ली जावे तो ऐसी बातोंसे वह फ़ायदा उठा सकता है।

रेहनकी हुई जायदादका हिसाब लिया जाना तथा उसका बेंचा जाना

१८ रेहननामे आदिकी तहकीक़ात

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनेको दिवालियेकी किसी खास जायदाद या ठेके पर ली हुई जायदादका मुर्तहिन बतलाता हो और चाहे वह मुर्तहिन किसी दस्तावेजके जरिये होवे अथवा किसी और प्रकारसे होवे और चाहे वह कानूनी हो या कानूनीके तौर पर (Equitable) होवे अदालतमें दरख्वास्त देवे या आफिशल एसायनी उक्त प्रकारसे मुर्तहिन जाहिर करने वाले व्यक्तिकी रजामन्दीसे दरख्वास्त देवे तो अदालत इस बातकी तहकीक़ात करेगी कि आया वह व्यक्ति उस प्रकारका मुर्तहिन है या नहीं और किस मुआविजेके एवजमें तथा किस हालतमें है और अगर यह मालूम पड़े कि वह व्यक्ति उस प्रकारका मुर्तहिन है तथा उस रेहननामेके अनुसार बतलाई रकम के लिये उसके हकके विरुद्ध कोई काफी वजह न मालूम हो तो अदालत उस रेहननामेके असली रुपये सूद व खर्चे का हिसाब लेने या तहकीक़ात करनेका हुक्म जो उसे मुनासिब समझ पड़े देवेगी तथा किराये, मुनाफे, हिस्सा रसदी, सूद या दूसरी आमदनी जो उस व्यक्तिको या उसके हुक्मसे अथवा उसके लिये किसी दूसरे व्यक्तिको हुई हो जब कि रेहनकी हुई कुल जायदाद या उसका कोई हिस्सा उसके कब्जेमें रहा हो तो उसका भी हिसाब व तहकीक़ात करनेका मुनासिब हुक्म देवेगी। और यदि अदालतको यकीन हो जावे कि जायदाद बेंची जाना चाहिये तो इस बातकी सूचना उन अखबारोंमें निकालनेका हुक्म देगी जो उसे मुनासिब मालूम पड़े कि कब कहां किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकारसे रेहनकी हुई किस इमारत या जायदाद अथवा उसके किसी हकको बेंचा जावेगा और फिर उसी प्रकार वह जायदाद बेंची जावेगी और आफिशल एसायनी अगर इसके विरुद्ध कोई हुक्म न दिया गया हो उस नीलामको करायेगा परन्तु उस मुर्तहिनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसी दरख्वास्त अवश्य देवे। ऐसे नीलाममें मुर्तहिन भी बोल सकता है तथा जायदादको खरीद सकता है।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार मुर्तहिन दरख्वास्त देनेके लिये बाध्य नहीं है उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है।

यदि कोई मुर्तहिन दिवालियेकी किसी जायदादका हकदार उस हैसियतसे अपनेको समझता हो तो वह अदालतमें दरख्वास्त दे सकता है या आफिशल एसायनी द्वारा ऐसी दरख्वास्त दिला सकता है। दरख्वास्तके पहुंचने पर अदालतका कर्त्तव्य होगा कि वह उसके हककी तहकीकात करे कि कहां तक व किस प्रकारका हक उसका दिवालियेकी किस जायदादके सम्बन्धमें पहुंचता है और यदि अदालतको उसके हकका यकीन हो जावे तो वह हिसाब लिये जाने तथा तहकीकात किये जानेका हुक्म देवेगी कि जिससे मालूम हो सके कि असल व सूद कितना है तथा खर्चेके तौर पर कितना मिलना चाहिये। इस दफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि उक्त प्रकारका मुर्तहिन रेहनकी हुई जायदाद या उसके किसी हिस्से पर काबिज रहा हो अथवा उसकी ओरसे अन्य कोई व्यक्ति काबिज रहा हो तो उस के जैसे जिस कदर फायदा मुर्तहिनने या उसकी ओरसे किसी अन्य व्यक्तिने उठाया हो वह असली मुआविजेसे मुजरे लिया जावेगा। जायदाद उचित प्रमाण होने पर नीलाम भी कराई जा सकेगी मुर्तहिन स्वयं भी बोली बोल सकता है तथा नीलामकी मुश्तहरी अखबारोंमें कराई जा सकती है व नीलामका भार व निगरानी आफिशल एसायनीकी होगी। इस दफाके अनुसार होने वाली कार्रवाई एक प्रकारसे सरसरीकी कार्रवाई समझना चाहिये क्योंकि इसमें कोई डिक्री इब्तदाई बनने आदिकी व्यवस्था नहीं है और न उसमें कोई फक रेहन कराये जानेका ही जिक्र है केवल पीछे दिये हुए रूल १२ के अनुसार आफिशल एसायनी जायदादको छुड़ा सकता है दरख्वास्त पहुंचने पर तहकीकातका करना अदालतका कर्त्तव्य है परन्तु और बातें एक प्रकारसे उसकी इच्छा पर निर्भर हैं क्योंकि उसका करना यकीन हो जाने पर निर्भर है।

१९ दस्तावेज़ इन्तकाल

खरीदारके हकमें लिखी जाने वाली दस्तावेजमें वह सब फरीकैन शामिल होंगे जिनके लिये अदालत हुक्म देवे।

२० बिक्रीका रुपया

इस प्रकार बेचे जाने पर जो रुपया आयेगा वह पहिले उस खर्चेकी अदायगीमें लगाया जावेगा जो कि अदालतमें दरख्वास्त देनेके सम्बन्धमें हुआ हो या किया गया हो तथा जो नीलामके सम्बन्धमें हुआ हो और इससे आफिशल एसायनीका कमीशन भी यदि उसे कुछ मिलना चाहिये पहिले ही दिलाया जावेगा। और इसके बाद मुर्तहिनका वह रुपया जहां तक हो सकेगा दिलाया जावेगा जो उसे असल सूद व खर्चेमें दिलाया जाना बरामद हो और यदि इसके बाद बिक्रीका कोई रुपया बचे तो वह आफिशल एसायनीको मिलेगा। परन्तु यदि बिक्रीके रुपयसे मुर्तहिन के निकलने वाले रुपयेकी पूरी अदायगी नहीं हो सकेगी तो वह अपने बकाया रुपयेके लिये बतौर कर्जेक और कर्जख्वाहोंकी भांति साबित कर सकेगा तथा उसके साथ हिस्सा रसदी पानेका अधिकारी होगा परन्तु उसस पहिले बांटे हुए हिस्सा रसदीमें किसी प्रकारकी गड़बड़ी नहीं कर सकेगा।

व्याख्या—

रूल १८ में जायदादके बेचे जानेका उल्लेख है उसी सम्बन्धमें इस रूलमें बतलाया गया है कि बिक्रीके रुपयेसे पहिले तीन प्रकारके खर्चे चुकाये जावेंगे (i) एक तो वह खर्चे जो अदालतमें दरख्वास्त देनेके सम्बन्धमें किये गये हों (ii) दूसरे वह खर्चे जो जायदादके बेचे जानेमें किये गये हों (iii) तीसरे वह कमीशन जो आफिशल एसायनीको इस सम्बन्धमें मिलना चाहिये। इसके बाद मुर्तहिनका रुपया अदा किया जावेगा अगर मुर्तहिनका पूरा कर्जा उससे न चुके तो वह बाकी कर्जे को और कर्जख्वाहोंकी भांति साबित कर सकता है तथा हिस्सा रसदी ले सकता है परन्तु हिस्सा रसदी जो बट चुका है उसमें कोई गड़बड़ी उसके इस बकाया कर्जेकी वजहसे नहीं पड़ेगी अर्थात् आयन्दा बांटे जाने वाले रुपयेमें ही वह हिस्सा रसदी पासकेगा। नीलामका रुपया मुर्तहिनका कर्जा चुकाये जानेके बाद बचने पर आफिशल एसायनीको हिस्सा रसदीके तौर पर बांटे जानेके लिये मिलेगा।

२१ तहक़ीक़ात पर कार्रवाई

इस प्रकारकी तहक़ीक़ात अच्छे ढगसे किये जानेके लिये तथा हिसाबके अच्छे ढंग पर किये जानेके लिये और खरीदारको हक पहुचानेके लिये सब फरीकैनका बयान मवालात दाखिल करके या अन्य प्रकारसे जैसा अदालत उचित समझे लिया जासकता है और सब फरीकैन अदालतके हुक्मके अनुसार दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली सब दस्तावेजों, काग़ज़ात, किताबों या अन्य तहरीरको इलफिया पेश करेंगे।

व्याख्या—

अदालत इस रूलके अनुसार फरीकैनके बयान जिस प्रकार चाहे ले सकती है तथा उनमें जायदाद सम्बन्धी सब काग़ज़ात दाखिल कर सकती है जिससे कि तहक़ीक़ात ठीक प्रकारसे हो सके और खरीदारको जायदादके खरीदने पर हक पहुंच सके।

२२ समय समय पर रुपयेकी अदायगी

यदि कोई किराया या दूसरी अदायगी किसी नियतकी हुई मुद्दत पर होना चाहिये और दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म उस मुद्दतके अलावा किसी और समय पर किया गया हो तो वह व्यक्ति जिसे किराया या वह अदायगी मिलना चाहिये उस हुक्मके होनेकी तारीख तकके हिसाबसे साबित कर सकता है जैसे कि वह किराया या अदायगी रोज़ानाके हिसाबसे मिलनेको होव।

व्याख्या—

किसी मियादके समाप्त होनेसे पहिले दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म होने पर हुक्म होनेकी तारीख तकका हिसाब लगाया जासकता है जैसे कि यदि छमाही छमाहीका किराया दिया जानेको होवे और केवल दो ही महीने चढ़ने पर दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म हो गया हो तो दो महीनाका किराया और कर्ज़ोंकी भांति वसूल किया जासकता है या जायदाद छ महीने समाप्त होने पर किराया वाजिबुल अदा होगा। इसी प्रकार दूसरी किस्मोंके बारेमें समझना चाहिये।

सूद

२३ सूद

(१) यदि किसी निश्चित कर्ज़ या धनके लिये सूद न रखा गया हो या तय न हुआ हो और जो दिवालिया क़रार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले वाजिबुल अदा हो चुका हो तथा वह क़र्ज़ या धन इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता हो तो क़र्ज़ख्वाह निम्न प्रकारसे छै रुपया सैकड़ा सालाना तकके हिसाबसे सूद साबित कर सकता है:—

(ए) यदि वह कर्ज़ अथवा धन किसी तहरीरी दस्तावेजके आधार पर किसी निश्चित समयमें अदा किया जाने को होवे तो उस अदायगी की तारीखसे दिवालिया क़रार दिया जाने का हुक्म होने तकका सूद लगाया जावेगा।

(बी) और यदि कर्ज़ किसी अन्य प्रकारसे निकलता हो तो उस तारीखसे जबसे कि तहरीरी तौर पर रुपया मांगा गया हो और कर्ज़दारको इस बातका नोटिस दिया गया हो कि उससे उस तारीखके बादसे अदायगी तकका सूद लिया जावेगा। यह सूद भी दिवालिया क़रार दिया जाने का हुक्म होने वाली तारीख तक मिलेगा।

२ यदि दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये हुए किसी कर्जमें सूद या सूदके स्थानमें और कोई रुपया लगाया गया हो तो वह सूद या रुपया हिस्सा रसदीके लिये केवल छ रुपया सैकड़ा सालाना ही के तौर पर जोड़ा जावेगा परन्तु साबित किये हुए सब कर्जोंके अदा हो जानेके बाद यदि कोई रुपया बचे तो उसमें उस कर्जख्वाहको बकाया तय शुदा सूद या मुनाफा दिलाया जावेगा।

व्याख्या—

इस रूलके अनुसार बिना तय हुए सूदके स्थानमें छ रुपया सैकड़ा सालाना तकका सूद दिलवाया जा सकता है उसके लिये दो सूरतें बतलाई गई हैं एक तो उस वक्त जब कि रुपया किसी दस्तावेजके आधार पर वाजिबुल अदा हो और दूसरे बिना दस्तावेजी कर्जों पर उस समयसे सूद मिलेगा जब कि रुपया वाजिबुल अदा हो और बिना दस्तावेजी कर्जों पर उस समयसे सूद मिलेगा जब कि इसके लिये कर्जदारको नोटिस दिया गया हो दोनों हालतोंमें सूद उस तारीख तकका मिल सकेगा जब कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हुआ हो।

उपरूल (२) में यह बताया गया है कि हिस्सा रसदी केवल छ रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे लगाये हुए सूद पर ही मिल सकेगा चाहे इससे अधिक सूद या मुनाफा क्यों न तय हुआ हो परन्तु साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि अगर साबित किये हुए सब कर्ज पूर्ण रूपसे चुकाये जा चुकें व कुछ फाजिल बचे तो उसमें तय शुदा बकाया सूद अदा किया जावेगा।

वह कर्ज़ जो भविष्यमें अदा किये जाना चाहिये

२४ भविष्यमें चुकाये जाने वाले कर्ज़

कर्जख्वाह उस कर्जेके लिये भी जो दिवालिया करार दिये जाते समय अदा किया जानेको न होवे इसी प्रकार साबित कर सकता है जैसे कि वह कर्जा उसी समय अदा किया जाने को होवे केवल उसमेंसे छ रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे सूद हिस्सा रसदी बांटे जानेके समयसे रुपयेके वाजिबुल अदा होने वाले समय तकके लिये उन शर्तोंके हिसाबसे घटाया जावेगा जिनके अनुसार कर्ज लिया गया हो।

व्याख्या—

इस रूलके अनुसार यदि कोई कर्ज दिवालिया करार दिये जाने वाली तारीखके बाद किसी समय अदा किया जानेको होवे तो भी वह साबित किया जा सकता है उसमेंसे हिस्सा रसदी बांटनेके समयसे कर्जेके वाजिबुल अदा होने वाली तारीख तकका सूद ६ रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे घटा दिया जावेगा।

सुबूतका मान लिया जाना या उसका ख़ारिज होना

२५ सुबूतका मान लिया जाना या उसका खारिज होना

आफिशल एसायनी हर एक सुबूत तथा उसके वजूहातको समझेगा और लिखकर पूरे कर्ज या उसके किसी हिस्से का मंजूर या नामंजूर करेगा या उसकी ताईदमें और अधिक सुबूत मांगेगा। यदि वह किसी सुबूतको खारिज करे तो वह उसके खारिज की जानेकी वजह कर्जख्वाहको लिखकर बतलावेगा।

व्याख्या—

इस दफ़्के अनुसार किसी सुबूतके खारिज किये जाने की वजह कर्ज़ख्वाहको लिखकर बताई जाना चाहिये। सुबूत नाकाफ़ी मालूम पड़ने पर अधिक सुबूत भी मांगा जासकता है। पूरा कर्ज़ अथवा उसका कोई हिस्सा साबित माना जासकता है। सुबूतको मानना न मानना आफ़िशल एसायनीके हाथ है वही सुबूतको सुनेगा व मन्ज़ूर अथवा खारिज करनेका हुक्म देगा जो अदालतमें इसकी अपील इस एक्टमें बताए हुए नियमोंके अनुसार की जासकती है।

२६ बेक़ायदा लिये हुए सुबूतको अदालत खारिज कर सकती है

यदि आफ़िशल एसायनीको मालूम पड़े कि कोई सुबूत बेक़ायदे ले लिया गया हो तो अदालत आफ़िशल एसायनीके दरख्वास्त देने पर कर्ज़ख्वाह को नोटिस देनेके बाद उस सुबूतको निकाल सकती है अथवा उसकी तादाद कम कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफ़्के अनुसार यदि गलतीसे कोई सुबूत मान लिया गया हो तो अदालत उसे बादमें रद्द कर सकती है। यदि किसी कर्ज़े का सुबूत गलत हो तो पूरा कर्ज़ रद्द कर दिया जावेगा अथवा यदि कर्ज़ेके किसी हिस्से का सुबूत ठीक न हो तो वह हिस्सा कर्ज़ेसे निकाल दिया जावेगा। अदालत इस दफ़्के अनुसार कार्रवाई करनेमें पहिले उस कर्ज़ख्वाहको जिसका कर्ज़ रद्द किया जाने को हावे सूचना देवेगी। यदि कोई मुर्तहिन दिवालिया क़रार दिया जानेका हुक्म होनेसे दो सालके अन्दरका लिखा हुआ रेहननामा पेश करे तो इस बातका बार सुबूत मुर्तहिन पर होगा कि वह रेहननामा काफ़ी मुआविजके लिये नेकनीयतीके साथ किया गया था और यदि आफ़िशल एसायनीने एक बार इस कर्ज़े को मान भी लिया हो तो उससे बार सुबूत बदल नहीं जावेगा तथा आफ़िशल एसायनी अदालतमें उस कर्ज़े को रद्द कर देनेकी दरख्वास्त देसकता है। देखो आफ़िशल एसायनी मद्रास बनाम सम्ब द मुदालियर 43 Mad 739

२७ किसी सुबूतको रद्द कर देने या उसे घटा देनेके लिये अदालतके अधिकार

यदि आफिशल एसायनी किसी मामलेमें दस्तन्दाज़ी करनेसे इन्कार कर देवे तो अदालत किसी कर्ज़ख्वाह के दरख्वास्त देने पर किसी सुबूतको रद्द कर सकती है या कम कर सकती है अथवा तस्फ़ीया या स्कीमके मामलेमें दिवालियेके दरख्वास्त देने पर किसी सुबूतको निकाल सकती है या कम कर सकती है।

व्याख्या—

आफ़िशल एसायनीके अतिरिक्त किसी कर्ज़ख्वाह या दिवालियेके दरख्वास्त देने पर भी अदालत किसी सुबूतको खारिज कर सकती है या साबित शुदा कर्ज़ेकी तादादको कम कर सकती है। कर्ज़ख्वाह उसी समय इस नियमके अनुसार कार्रवाई करनेकी दरख्वास्त दे सकता है जब कि आफ़िशल एसायनी दस्तन्दाज़ी करनेसे इन्कार कर देवे। दिवालिया तस्फ़ीहे या स्कीम वाले मामलेमें दरख्वास्त दे सकता है अर्थात् यदि कोई फ़र्ज़ी कर्ज़ा उसके विरुद्ध साबित किया गया हो तो उसको रद्द किये जानेकी दरख्वास्त या कर्ज़ बढ़ाये हुए कर्ज़ को कम किये जानेकी दरख्वास्त दे सकता है।

तीसरी सूची

(The Thired Schedule.)

मंसूख किये हुए एक्ट

साल	नम्बर	नाम	मंसूख किये जानेकी हद
		I स्टैट्यूट	
१८४८	११, १२ विक्टो रिया चैप्टर २१	दी इण्डियन इन्सालवेंसी एक्ट १८४८	*इतना जो कि मंसूख न किया जा चुका हो*
		II. सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्द द्वारा बनाये हुए एक्ट	
१८४१	२९	दी इन्सालवेंट इस्टेट्स (अनक्लेम्ड डिवीडेण्ड्स) एक्ट, १८४१	इतना जो मंसूख न किया जा चुका हो
१८९८	१०	दी इण्डियन इन्सालवेन्सी रूल्स एक्ट, १८९८	दफायें २ व ३
१९००	६	दी लोअर बर्मा कोर्ट्स एक्ट	दफा ९ के उपदफा (१) का क्लाज (डी) और उपदफा (२), तथा दफा १७ के उपदफा (३) में यह शब्द "An official assignee" और उपदफा (२) व (४) में यह शब्द "Official assignee"
१९०८	५	१९०८ का संग्रह जाब्ता दीवानी	दफा १२० की उपदफा (२)

॥ इति ॥